राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 5] सप्तम् विधान सभा के पंचम् सत्र का 15 वां दिवस [संख्या 12

सोमवार

दिनांक 20 सितम्बर 1982.

विधान सभा की बैठक म.पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

श्री दाऊ दयाल जोशी एवं श्री हीरालाल आर्य ।

कोटा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा पकड़े गये मामले

297. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) **एवं श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

कोटा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कितने मामले गत दो वर्षों में कहां कहां व किन-किन व्यक्तियों के पकड़े गये और उनमें क्या कार्यवाही वर्तमान समय में चल रही है ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखें ।

राज्य मंत्री, गृह (श्री प्रद्युम्नसिंह) : वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1980 में 6 केस पकड़े गये जिनमें से तीन में एफ. आई. आर. हुई । 1981 में 5 केस पकड़े गये जिनमें से 3 में एफ. आई. आर. लगाई । क्या मन्त्री महोदय इस विभाग पर होने वाला खर्चा केसेज की तुलना में सही समझते हैं ?

अध्यक्ष महोदय, एक केस पर इतना खर्चा, दो साल में कुल 11 केस रजिस्टर हुए....

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, शिकायत आने पर ही केस रजिस्टर किये जाते हैं और जांच की जाती है । इसका

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
खर्च और एस्टेब्लिशमेन्ट से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में एक एडीशनल एस. पी. दो डी. वाई. एस. पी. चार हैड कांसटेबल, 10 कान्सटेबल, और 15 अर्दली हैं, कुल मिलाकर कितना खर्चा इस विभाग पर होता है ?

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी आपने नहीं चाही है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी माननीय सदस्य ने नहीं चाही है।

श्री अध्यक्ष : यह सूचना चाही नहीं गई है।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं अर्ज कर रहा हूं कि यह परव्यू में नहीं आता। इतनी बड़ी संख्या में जो स्टाफ है उसका आधार क्या है ? कुल तीन केस का दो साल में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा अदालत में चालान प्रस्तुत किया गया है, क्या मन्त्री महोदय इससे सन्तुष्ट हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, सन्तुष्ट और असन्तुष्ट होने का प्रश्न नहीं है। जिन मामलों में शिकायत की गई उन पर जानकारी प्राप्त की गई और कार्यवाही की गई। 11 केसेज हुए या 6 केसेज हुए इससे सन्तुष्ट होने न होने का प्रश्न कहां पैदा होता है।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, दो साल हो गये, जो अधिकारी रंगे हाथों पकड़े गये उनको सस्पेण्ड नहीं किया तो फिर भ्रष्टाचार निरोधक विभाग किस काम का है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा जाता है, उनको निश्चित रूप से गिरफ्तार किया जाता है और सस्पेण्ड किया जाता है। माननीय सदस्य, ऐसे किसी अधिकारी का नाम बतायेंगे जिसको ट्रेप किया गया....

(व्यवधान)

तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरीश शर्मा : डा. खण्डेलवाल ए. पी. पी. ने उसको पकड़ा, उसका कुछ भी नहीं हुआ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो नाम बताये गये हैं, उन मामलों को मैं निश्चित रूप से दिखवाऊंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दो वर्षों में कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुई ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या विभाग ने अपने स्तर पर भी कोई इन्क्वायरी करके शिकायत दर्ज की है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना उपलब्ध कराई गई है, माननीय सदस्य प्रश्न का अवलोकन करें, "कोटा जिले में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा कितने मामले गत दो वर्षों में कहां-कहां व किन-किन व्यक्तियों के पकड़े गये और उनमें क्या कार्यवाही वर्तमान समय में

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

चल रही है? कृपया विस्तृत जानकारी सदन पटल पर रखें।"

स्वतः भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने अपने स्तर पर क्या कार्यवाही की, इसकी जानकारी नहीं है। माननीय सदस्य चाहें तो अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री हरीश शर्मा : ए. डी. एम. बून्दी को पकड़ा, उसको वापस लगा दिया गया।

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रश्न कोटा के बारे में पूछा है न कि बून्दी के बारे में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरे वक्त का उत्तर नहीं आया। कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ? कितनी शिकायतों के आधार पर कितने आदमियों को पकड़ा गया ? क्या विभाग अपने आप भी इस प्रकार की जानकारी करता है ? विभाग द्वारा स्वयं के इनिशियेटिव पर कितने केसेज पकड़े गये ? इस प्रकार की कितनी शिकायतें हुईं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इसकी जानकारी नहीं है। मैं पुनः निवेदन करता हूं कि प्रश्न की लैंग्वेज पर गौर करें....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पढ़ लिया और उत्तर भी मिल गया।

अगला प्रश्न

श्री हरीश शर्मा : एस. डी. ओ. रामगंज मण्डी का क्या हुआ ? अभी नाथाराम पकड़ा गया, सस्पेण्ड किया गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसके बारे में ट्रेप में नहीं है। ये ट्रेप केसेज हैं, उनको पकडा गया। एस. डी. ओ., रामगंज मण्डी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त हुई है, यह अभी जानकारी मिली है। उस मामले को जांच के लिए भेज दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय मेरा प्रश्न यह है कि 11 केस पकड़े गये। 6 केसेज में एफ. आई. आर. लगाई गई। 6 में से पांच केस पुलिस वालों के खिलाफ हैं। माननीन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि पुलिस और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग दोनों मिले हुए हैं ? पुलिस वालों के केसेज में एफ. आई. आर. लगानी थी। ए. एस. आई., एस. एच. ओ. कैथून, इन्चार्ज, पुलिस थाना उद्योग नगर, कोटा, रीडर, भारसाधक ये सारे के सारे पुलिस के कर्मचारी हैं।

क्या मन्त्री महोदय यह महसूस नहीं कर रहे हैं, इस चार्ज के बाद कि पुलिस और भ्रष्टचार निरोधक विभाग दोनों एक हो गये हैं ? 6 में से 5 में एफ. आई. आर. लगी है ? यह इस बात का प्रतीक है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग पुलिस से मिल गया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह आरोप गलत है। 11 में से 5 में नहीं लगी है। आप फिर से इसको देखें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अगर मैं सदन को गुमराह कर रहा हूं तो प्रिविलेज मोशन लें आयें मेरे खिलाफ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, 298।

मानटाउन सवाई माधोपुर के ओवर ब्रिज से लिंक रोड का निर्माण

298. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मानटाउन सवाई माधोपुर के ओवर ब्रिज से सीधे आलनपुर, चमत्कारजी के मन्दिर तक बनाये जाने वाली लिंक रोड की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा कौन से सन् में दी गई थी ?

(2) इस लिंक रोड के निर्माण का ठेका किस ठेकेदार को दिया गया एवं सड़क का निर्माण सम्पूर्ण ठेकेदार द्वारा कितने समय में सम्पूर्ण करना था ? अभी तक सड़क निर्माण सम्पूर्ण नहीं होने का क्या कारण रहा एवं अब सरकार उक्त सड़क को कब तक पूर्ण करवा देगी ?

राज्य मन्त्री सार्वजनिक निर्माण (श्री चेताराम मीणा) : (1) इस सड़क के निर्माण हेतु वर्ष 1979 में राज्य सरकार ने प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी।

(2) इस रोड के निर्माण का ठेका तीन अलग-अलग ठेकेदारों को दिया गया, जिनके नाम 1. मै. स्वालका ट्रेडर्स, 2. लल्लू खां एवं 3. बजरंगलाल श्रीमाल हैं।

मै. स्वालका ट्रेडर्स को दिये गये कार्य के एक भाग को एक माह में, दूसरे भाग को दो माह में तथा तीसरे भाग को चार माह में पूर्ण करना था।

लल्लू खां को आवंटित कार्य दो माह में तथा बजरंगलाल श्रीमाल को आवंटित कार्य 6 माह में पूर्ण करना था। अभी तक सड़क पूर्ण न होने का कारण भूमि अवाप्ति में प्रत्याशित राशि खर्च हो जाना था। संशोधित स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य किया जायेगा।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय यह बतायें कि 1979 में जो कार्य प्रारम्भ किया गया, वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

दूसरा प्रश्न यह है कि आपने 7 लाख रुपये का एस्टीमेट बनाया था। काश्तकारों को भूमि का जो मुआवजा दिया गया, वह इसी एस्टीमेट में से दिया गया है या अलग से दिया गया है ?

तीसरा, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जिन काश्तकारों की भूमि अवाप्त की गयी, उनको जो मुआवजा दिया गया उसकी

(श्री हंसराज शर्मा)

रेट क्या थी ? मुग्रावजे की राशि कितनी थी ?

श्री चेतराम मीणा : संशोधित स्वीकृति के लिये भेजा गया था। प्रशासनिक स्वीकृति 6 लाख 50 हजार रुपये की 1.12.79 को जारी की गयी थी। लेकिन लागत बढ़ती गई। जो तकनीकी स्वीकृति दी थी उसके बाद भूमि अवाप्त की स्वीकृत राशि नहीं दी गयी थी। भूमि अवाप्ति की लागत, जो काश्तकारों को दी गई, 5 लाख 85 हजार 712 रुपये थी।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : जो राशि आपने दी है वह मुग्रावजे से अलग राशि थी। अब उस राशि के अगेंस्ट दूसरी राशि देने का क्या कारण है ? क्या वहां पर विरोधी पार्टी के विधायक, जो वहां से चुने गये हैं, के कारण से आप....

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, जहां तक विरोधी पार्टी के सदस्य होने का सवाल है कि यह बात सही नहीं है। इसलिए मैं राशि नहीं दे रहा हूं, संशोधित स्वीकृति केलिये वित्तीय विभाग को 20.8.82 कोभेज दिया गया है। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह राशि उसके अलावा है। भूमि अवाप्ति की 5 लाख 85 हजार 712 है और 2 लाख 605 रुपये का पेमेन्ट करना बाकी है। जब यह संशोधित स्वीकृति हमें मिलेगी तब भमि अवाप्त करके सड़क, पुलिया को पूरा किया जायेगा।

श्री हंसराज शर्मा : जो आपके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे हैं, क्या जब तक उनका स्टे नहीं आ जाता तब तक आप मुग्रावजे की राशि नहीं देंगे ?

श्री चेतराम मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि कोर्ट में स्टे आने तक मुग्रावजे की राशि नहीं दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। 299।

बाड़मेर जिले की जल प्रदाय योजनायें

299. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढ़ा-मालानी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बाड़मेर जिले में कितने ग्रामों को जल प्रदाय योजनाओं से पानी पहुंचाया जा रहा है ? कृपया ग्रामों की सूची पंचायत समितिवार सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में कुछ जल प्रदाय योजनाओं द्वारा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित सभी ग्रामों में समुचित मात्रा में जल वितरण नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया ऐसी जल प्रदाय योजना व गांवों की सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) बाड़मेर जिले की जल प्रदाय योजना होडू-भाटाला के अन्तर्गत सम्मिलित ग्राम होडू एवं सांजटा में माह जनवरी,1981 से अगस्त, 1982 तक प्रति माह प्रति व्यक्ति कितना गैलन पानी पहुंचाया गया ?

(श्री हेमाराम चौधरी)

(4) क्या यह सही है कि ग्राम होडू व सांजटा को कभी भी न तो नियमित रूप से एवं न ही पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचा है ? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार भविष्य में इन ग्रामों की जनता को नियमित रूप से पर्याप्त मात्र में पानी पहुंचाने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) बाड़मेर जिले में 314 ग्रामों को जल वितरण किया जा रहा है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रखी गयी है।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) जी हां। ग्राम भाटाला में पर्याप्त समय तक विद्युत उपलब्ध न होने के कारण छोर ग्रामों में नियमित रूप से जल वितरण नहीं हो पा रहा है। विद्युत आपूर्ति ठीक होने पर जल वितरण नियमित हो सकेगा। (सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री हेमाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर जिले के 314 गांवों की सूची दी है, उसमें अनेकों गांवों में हैण्ड पम्प सही नहीं लगे हैं। पानी खारा आता है। वहां केवल एक या दो हैण्ड पम्प लगे हैं। उनसे क्या उन गांवों की समस्या हल हो गयी है ? दूसरा, आपने यह सूचना दी है कि रूरल वाटर सप्लाई स्कीम ठीक ढंग से चल रही है। होडू में मन्त्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि पानी ठीक तरह से नहीं दिया जा रहा है। 1971 की जनगणना के अनुसार होडू की जनसंख्या 3995 और सांजटा की 2770 है। वहां पर पानी ठीक से उपलब्ध नहीं है। आपने बताया कि बिजली की कमी के कारण यह समस्या बनी हुई है। क्या आप आगे बिजली की समस्या को हल करने केलिये कोई कारगर कदम उठा रहे हैं या समस्या बनी रहेगी ? मन्त्री महोदय, आप लोक सभा और विधान सभा के चुनावों के समय ग्राम होढू में पधारे थे, तब वहां की जनता ने पानी की समस्या का जिक्र किया था और आपने भी इसको गम्भीर समस्या माना था।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने यह जो बिजली की समस्या होने की वजह से गांवों में पानी का न पहुंचना बताया है, क्या जहां पर बिजली पहुंचती है वहां पर पानी के हौद बनाकर पानी उपलब्ध करा सकेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा है जो स्कीम है वह बहुत लम्बी है। पाइप लाइन जो अभी सैक्शन्ड है वह। 1253 किलो. मीटर है। पानी का स्रोत नजदीक नहीं है। 188 किलो मीटर से लेकर 120 किलोमीटर पर भी है,40-40, 50-50,80-80 किलोमीटर पर भी है। जो योजनायें हैं उनमें कुछ काम प्रगति पर हैं, कुछ में बूस्टर्स लगे हुए हैं जहां बिजली के कनेक्शन्स दिये गये हैं, आपने बिजली के औसत की बात की है। होडू भाटाला के संबंध में 6 घंटे का औसत मिला है।

Page No 7

श्री हेमाराम चौधरी : यह जो बिजली के अभाव में पानी नहीं पहुंच रहा है उसके लिये आगे क्या करते रहे हैं ? ग्राम नेमनकोट में बूस्टर लगा हुआ है लेकिन लोग वहां डीजल चोरी करके बेचते हैं। इस कारण आगे पानी नहीं पहुंचता और गड़बड़ होती है। नेमनकोट में बूस्टर का चला हुआ बताकर डीजल की चोरी करते है। दूसरी जो बिजली की समस्या है उसके लिये आप क्या कर रहे हैं जिससे यह योजना ठीक ढंग से चल सके ? हमेशा वैसी ही समस्या बनी रहेगी या उसके लिये अलग से व्यवस्था कर रहे हैं ?

भीमसर योजना के अन्तर्गत एक भी गांव में नियमित रूप से पानी नहीं जा रहा है। नियमित रूप से तो क्या अनियमित रूप से भी नहीं जा रहा है। भूमिथल में पानी नहीं गया, पीपरोल में जब से योजना बनी तब से आज तक पानी नहीं गया। अगर मैं गलत बता रहा हूं तो जांच करवा लें, मेरी बात सत्य हो तो अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें। सिवाय कुडाला को छोड़कर एक भी गांव में पानी नहीं जाता। अनियमित रूप से भी पानी नहीं दिया गया। जवाब बिल्कुल गलत दिया गया है, इसलिये जांच करायें। रीजनल वाटर सप्लाई स्कीम, रातोगुरा से आपने तीन गांवों में पानी देना बताया है जब कि वहां पानी नहीं जाता है। ऐसा नहीं है वहां, मैं दावे के साथ कहता हूं। बाटा में ट्यूबवैल बना हुआ है लेकिन गांव से दो मील दूर है। गांव के लोगों को पानी देने के लिये कोई भी स्रोत नहीं है। ट्यूबवैल गोंदा में पानी पहुंचाने के लिये है। इसके अलावा पम्प और टैंक के जरिये ग्राम वेजा को पानी देना बताया है। कोड़ा से चार किलो मीटर दूर ट्यूबवैल बना हुआ है। इस तरह से यह जो सारी जानकारी दी है, वह बिल्कुल गलत दी है। आप इस बारे में जांच करायें। मैंने जो आपको तथ्य बताये हैं उस बारे में आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ने सूची मांगी थी, बाड़मेर के लिये मैंने बताया कि अलग अलग योजनायें हैं जिनमें रीजनल पाइप लाइन भी है, पम्प और टैंक की भी योजना है, हैंड पम्प की योजनायें भी हैं।

यह जो प्रश्न पूछा गया है वह होडू माटाला और साजटा के लिये है। नीमलकोट में जो बूस्टर लगा हुआ है, उसके लिये आपका आरोप है कि जो डीजल सप्लाई होता है उसकी चोरी हो जाती है। मैं इस बात की जांच करवाऊंगा ताकि चोरी न हो। अगर आप मुझे पहले ही सूचित कर देते तो मैं भी जांच करा लेता। मैंने दोनों एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को बुलाया है और कल रात मैं उनसे बात कर रहा था। बाड़मेर में पानी की समस्या भारी है। आज नहीं, जब भी मैंने जल प्रदाय के बारे में बात की है, इस रीजन के सभी अधिकारी जानते होंगे बाड़मेर के बारे में मैंने खास तौर से इन्स्ट्रक्शन्स दिये हैं। रीजनल पाइप लाइन बहुत लंबी है। जो 349 गांवों की सूची दी है उनमें से मैंने कहा है कि समुचित पानी नहीं पहुंच रहा है। आपने दो गांवों के बारे में कहा कि बिल्कुल कमीशन्ड नहीं हैं। मैं जांच कराऊंगा, अगर गलत सूचना दी गई है तो कार्यवाही की जायेगी कि क्यों अपूर्ण सूचना

Page No 8

(श्री परसराम मदेरणा)

गवर्नमेंट को देते हैं। गोढा के संबंध में पता लगाऊंगा।

जहां तक होढू-भाटाला का सवाल है, इसके स्रोत का कनेक्शन बिजली से है और बिजली नहीं पहुंची। आप जानते हैं बाड़मेर में बिजली लाइनों को छोड़ते आए हैं। इसमें क्या किया जा सकता है? पी. एच. ई. डी के सीमित साधनों को देखते हुये इतनी धनराशि का प्रबंध नहीं कर सकते कि हाई वोल्टेज लाइने खींची जा सकें। जितना किया जा सकेगा उसके लिये प्रयास करेंगे। कहां बूस्टर लगा सकते हैं, बिजली पूरी नहीं मिल रही है तो बूस्टर लगायें और डीजल सैट चलाकर उन योजनाओं से समुचित पानी पहुंचाया जाय, इस ओर प्रयास किये जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। आर्डर प्लीज। बैठ जाएं। श्री अमरा राम।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, पाइप लाइन कब बनी, कितना पानी पहुंचा? बाड़मेर में कितने गांवों को पानी पहुंच रहा है?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अमरा राम चौधरी : खपाली में कितनी बार पानी पहुंचा, एक बार या दो बार?

श्री परसराम मदेरणा : उमा और पुपलिया में बहुत लम्बी योजनायें है, 78 किलोमीटर की। इस योजना को पूर्व में प्रेमिन में स्वीकृत किया था। ट्यूब वैल्स खोदे गये हैं, सोर्स डवलप कर दिया गया है, पानी पहुंचा या नहीं, इस संबंध में जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर पूर्व में जानकारी दे देते तो मैं आपको जानकारी दे देता। लेकिन प्रश्न केवल होढू भाटाला के बारे में था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : ये जो लोग आए हैं जिन गांवों को कमीशन्ड बताया है, क्या यह सही है कि कानासर में जो पानी की सप्लाई बताई जा रही है, मैं कहता हूं एक दिन भी सप्लाई नहीं की? होडू की स्कीम में जसीदान में आज तक पानी नहीं गया।

श्री अध्यक्ष : लम्बी सूची न बतायें।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, क्या यह सही है कि गिरा वाली जो स्कीम है उसमें अभी तक दस गांवों में पानी नहीं आया है?

श्री देवदत्त तीवाड़ी (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, आखिर यह सरकार की बिजली की कमी की बात कब तक चलती रहेगी? आज गांवों में बिजली नहीं होने की वजह से पानी नहीं आ रहा है और गांवों में त्राहि-त्राहि मची हुई है। कहीं

(श्री देवादत्त तिवाड़ी)

एक गांव में पानी आ जाता है तो दूसरी जगह नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया विराज जावें।

श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि जो समदडो से बामसीण तक जो पाइप ला इन है उसके पास में ही एक दूसरी फीडर है जिससे आस-पास के 20-22 गांवों को पानी मिल सकता है लेकिन बिजली नहीं पहुंचने के कारण उन गांवों को पानी नहीं मिल रहा है। जनता को उससे बड़ी परेशानी हो रही है। मेरा निवेदन है कि उन गांवों के लिए सैपरेट योजना बनाने की कृपा करें। वहां पर पिछले दो साल से तार तो डाल दिये हैं लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस समस्या का हल इस पूरक प्रश्न से नहीं होता है। माननीय मन्त्री जी !

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय, शिव से आने वाले माननीय सदस्य ने कानासर वाली योजना के बारे में कहा, यह जो लाइन 9 किलो मीटर लम्बी है। दूसरी, गिराब वाली स्कीम की बात कही है तो मेरा निवेदन है कि यह लाइन आगे रासरर चाढ़ी तक पहुंचती है। यह लाइन करीब 102 किलोमीटर लम्बी है। जैसा कि मैं सदन में कह चुका हूं समुचित पानी की व्यवस्था की जरूरत है, मैंने कल रात को ही अधिकारियों के साथ बैठ कर बात की, उनसे बातचीत करने के बाद, मेरा यह निवेदन है, मुझे सूचना प्राप्त हुयी इस योजना के बीच में कहीं भी पानी के स्रोत नहीं हैं। यहां पर विधान सभा में एक अन्य प्रश्न इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने उठाया था तब मैंने यह कहा था कि इस योजना का रिआर्गेनाइजेशन करने की आवश्यकता है। इस योजना का रिआर्गेना-इजेशन होने के बाद इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कार्यवाही की जावेगी। इस प्रश्न के बारे में मैं यही निवेदन कर सकता हूं कि जो रीजनल पाइप लाइन है उसमें विशेष तौर से बाड़मेर और जैसलमेर का जो इलाका है उसमें बाड़मेर की आबादी ज्यादा है लेकिन जैसलमेर की जो आबादी है वह स्कैअर्स और कम है। हमने बाड़मेर के लिए इस प्रश्न को लेकर भारत सरकार से यह निवेदन किया कि बाड़मेर की एक विशेष परिस्थितियां हैं। वहां पर पानी के जो स्रोत हैं वह बहुत कम हैं। यह कानासर वाली जो योजना है उसमें पानी बहुत नीचे रामसर वगैरह से आगे पानी 50 मीटर नीचे है। जो पाइप लाइन है वह 400 मीटर लम्बी जायगी और वह बहुत ही हाई कॉस्ट योजना होगी इसलिए वहां के लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है, बाड़मेर के लिए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में राज्य सरकार कितना धन उपलब्ध करा सकेगी, यह उस पर निर्भर है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि राज्य सरकार अपनी तरफ से उस प्रोग्राम के तहत धन-राशि की कमी नहीं आने देगी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री तुलसी राम।

सुश्री पुष्पा जैन (ग्रामेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : श्री अमीन खां।

जिला जैसलमेर में खनिज भण्डारों का सर्वेक्षण

300. श्री **अमीन खां** (शिव) : क्या खनिज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के ग्राम खुईयाला हाबूर, सौनू ग्रामों की खानों में चूने का कीमती पत्थर उपलब्ध है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार अकाल पीड़ित जैसलमेर जिले में चूने की फैक्ट्री लगाने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार का इस पिछड़े जिले में खनिज भण्डारों का विस्तृत सर्वेक्षण कराने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री खनिज, (श्री प्रद्युम्नसिंह): (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) सरकार के खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा गत कुछ वर्षों से जैसलमेर जिले में 2 से 3 भू-गर्भिक सर्वेक्षण की परियोजनायें रखी जाती रही हैं जिसके फलस्वरूप इस जिले में जिप्सम, पीली मिट्टी, सिली सियस, अर्थ, ढोलोमाइट, चूना पत्थर खनिजों का उपलब्ध होना पाया गया है। इस वित्तीय वर्ष में भी अमर सागर ग्राम क्षेत्र में सीमेन्ट ग्रेड चूना पत्थर का भू-गर्भिक सर्वेक्षण का कार्य एवं हाबूर, सौनू ग्राम क्षेत्रों में चूना पत्थर के भण्डारों का विस्तृत पूर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

श्री अमीन खां : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जिला जैसलमेर के खुईयाला, हाबूर, सौनू ग्रामों की खानों के लिये कब से सर्वेक्षण किया गया और अब उसका डिटेल सर्वे कब तक हो जायेगा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस साल से इसका सर्वे किया जा रहा है।

श्री अमीन खां : यह कब से ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस मार्च से।

श्री अमीन खां : यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह अभी मैं कैसे कह सकता हूं कि यह कब तक पूरा हो जायेगा।

श्री अमीन खां : यह तो आप कह सकते हैं। यह तो आपके हाथ की बात है। आप कह दो कि कब तक पूरा हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न सुश्री पुष्पा जैन।

कच्चे माल की आकस्मिक जांच हेतु अधिकारियों की नियुक्ति

301. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उद्योग निदेशक, राजस्थान द्वारा कच्चे माल के उपयोग की आकस्मिक जांच करने हेतु दिनांक 26 नवम्बर, 1980 को तीन अधिकारियों की एक टीम नियुक्त की गई थी ? यदि हां, तो उक्त टीम ने अब तक क्या कार्यवाही की और उसका क्या परिणाम निकला ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त टीम द्वारा उद्यमियों की पास-बुकें जब्त की गई थीं ? यदि हां, तो किन किन की और क्यों ? इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मन्त्री, उद्योग (श्री प्रद्युम्नसिंह): (1) जी हां । इस टीम में 9 इकाइयों को आवंटित किये गये कच्चे माल की उपयोगिता के बारे में आकस्मिक जांच । जांच के फलस्वरूप केवल एक इकाई के द्वारा कच्चे माल की उपयोगिता में अनियमितता करना पाया गया । इस इकाई को अपंजीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(2) जी हां । इस टीम द्वारा जयपुर जिले की 10 इकाइयों की पास-बुकें जांच हेतु जब्त की गई थीं । इन इकाइयों की सूची संलगन है । केवल पांच इकाइयों की पास-बुकों में संशोधन-परिवर्तन सम्बन्धी कुछ अनियमिततायें पाई गई थीं जिसके आधार पर जिला उद्योग केन्द्रों को स्पष्ट निर्देश दे दिये गये हैं कि पास-बुकों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन-संशोधन जिला स्तर पर नहीं किया जावे । जब्त शुदा पास-बुकें संबंधित उद्यमियों को लौटने हेतु जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर को भेज दी गई हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी, मेरा पहला प्रश्न तो यह है कि इसमें वह कौनसी पहली पार्टी थी ? उसका नाम बतावें । यह कहां की थी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह पार्टी मैसर्स राजस्थान टिन वर्क्स, केकड़ी की थी ।

सुश्री पुष्पा जैन : उक्त फर्म में क्या-क्या अनियमिततायें पाई गई ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस फर्म का रजिस्ट्रेशन फैक्ट्री टिन के लिये था । इस फैक्ट्री को टिन सीट्स मिलती थीं । उसको फैक्ट्री के मालिक छोटे छोटे टुकड़े करके बाजार में बेच दिया करते थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): क्या यह सही है कि इन तीन अधिकारियों की टीम, जो नवम्बर, 80 में नियुक्त की गयी थी, ने 15 फैक्ट्रीज के खिलाफ जांच की थी ? जो टीम थी उसने इतना कम काम क्यों किया ?

श्री अध्यक्ष : लोगों को पता चल गया होगा । टीम से लोग सतर्क हो गये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस टीम का कार्य क्षेत्र सारा राजस्थान

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

था। इस टीम को अलग अलग जांच करनी थी। उद्योग विभाग में एक जोइन्ट डाइरैक्टर विजीलैन्स की पोस्ट है। तत्कालीन डाइरेक्टर, उद्योग विभाग ने जो टीम बनायी थी उसने अलग अलग जगह पर जाकर जांच की, जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अध्यक्ष महोदय, यह जो टीम बनायी गई थी उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योग विभाग में आलरेडी एक पोस्ट जोइन्ट डाइरेक्टर, विजीलेन्स की है। डुप्लीकेसी ग्राफ दी वर्क नहीं हो जाये इसलिये इस जोइन्ट डाइरेक्टर, विजीलेंस की एक ही एजेन्सी रखी गयी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह कब से रखी गयी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, 26 नवम्बर, 1980 को यह टीम नियुक्त की गयी थी। उसने तुरन्त कार्यवाही इसके अन्दर की। इस कार्यवाही के उपरान्त, मुझे एग्जेक्ट डेट याद नहीं है, पिछले साल ही इस काम को जोइन्ट डाइरेक्टर विजीलेन्स के सुपुर्द कर दिया गया। I am liable for correction. मुझे डेट उसकी याद नहीं है लेकिन यह निश्चित है कि जो कमेटी मुकर्रर की गयी थी वह इस कार्य को नहीं कर रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि इस टीम की नियुक्ति पहाड़िया शासन में की गयी थी और इस टीम ने स्थान स्थान पर जाकर जिन उद्यमियों ने कच्चे माल का उपयोग किया उनका रिकार्ड जब्त किया और कच्चे माल का सदुपयोग हो, ऐसा वातावरण बनाया ? क्या यह सही है कि ज्यों ही माथुर सरकार ने काम संभाला, इस टीम के काम को बन्द कर दिया गया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह बात सही है कि 26 नवम्बर, 1980 को यह टीम नियुक्त की गयी थी और इस टीम ने 9 जगह जांच पड़ताल की। उसमें से सिर्फ एक स्थान पर सही बात पाई गयी। वहां भी इस टीम ने छापा नहीं मारा था। उस क्षेत्र के विधायक ने इस बात की शिकायत की थी। क्षेत्रीय विधायक की शिकायत के आधार पर जांच की गयी थी, केकड़ी वाली शिकायत थी कि यह कच्चे माल का दुरुपयोग कर रहा है। माननीय सदस्य का यह कहना कि माथुर सरकार ने इस टीम को समाप्त कर दिया, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि आलरेडी जोइन्ट डाइरेक्टर विजीलेन्स का पद कायम है। अब तक उस जोइन्ट डाइरेक्टर विजीलेन्स के पास 84 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनके बारे में बराबर कार्यवाही चल रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि इस टीम ने भीलवाड़ा के कई उद्यमियों के यहां छापा मारा है जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जो मुझे जानकारी दी गयी है इस जानकारी के बाद में मैंने और भी पूछा था, इस टीम ने झालावाड़ के अन्दर कोई भी छापा नहीं मारा है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

श्री तुलसी राम ।

लसाड़िया बांध की नहरें

302. **श्री तुलसी राम** (केकड़ी) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लसाड़िया बांध की नहरें पानी छोड़ने के पहले ही टूट गयीं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या विभाग ने इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की है ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

राज्य मंत्री, सिचाई (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : (1) जी हां । यह नहर कई नालों को पार करती है । इस वर्ष दिनांक 23 व 24 अगस्त को भारी वर्षा से इन नालों में काफी पानी चला व नहर कुछ स्थानों से टूट गई ।

(2) जी हां । नहर जहां से क्षतिग्रस्त हुई उन स्थानों पर ग्रामवासियों के सहयोग से तत्कालीन आवश्यकता अनुसार मरम्मत की जाकर इस नहर की टेल पर स्थित बघेरा बांध को इस नहर के द्वारा भरा गया है।

श्री तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, कम बरसात के अन्दर जो नहर टूट गयी उसका कारण यह था कि सीमेन्ट का घोटाला हुआ था । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उस घोटाले के कारण नहर टूट गयी ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : यह अलग से प्रश्न है । वैसे जहां तक मेरी जानकारी है, अजमेर के अन्दर जो सीमेन्ट का काण्ड हुआ है उस संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग जांच कर रहा है और कुछ आदमियों की गिरफ्तारी हुई है ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, नहर पहली बार नहीं टूटी, पानी छोड़ने से पहले ही टूट गयी, क्या इस बात की जांच की गयी कि वहां पर जो सामग्री लगाई गयी वह जितनी आवश्यकता थी उतनी लगाई गई या नहीं ? क्या जिस ठेकेदार या अधिकारी ने नहर का काम करवाया उनमें से कोई दोषी पाया गया ?

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, जो बात पूछी है, यह तथ्य सामने आया है कि जहां से यह नहर गुजरती है उसकी साइड से कई नाले गुजरते हैं, उनमें बहुत जोरों से पानी आने के कारण नहर कई जगह से टूट गयी । अब उसकी व्यवस्था की जायेगी ।

श्री कैलाश मेघवाल : क्या अब भी राज्य सरकार इस बारे में जांच करवाने के लिए तैयार है ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

श्री कैलाश मेघवाल

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 3 एवं 14 सितम्बर, 1982)

उद्योगों द्वारा विद्युत की चोरी

2. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) दिनांक 1-4-1980 से दिनांक 31-3-1982 तक राजस्थान में कितने यूनिट बिजली की चोरी किस किस उद्योग व किन किन व्यक्तियों के द्वारा की गई ? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) चोरी पकड़े जाने के बाद कितने व्यक्तियों व उद्योगों के बिजली के कनेक्शन काटे गये तथा कितनों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) राज्य सरकार इस प्रकार की चोरी को रोकने के क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) :

(1) दिनांक 1-4-1980 से 31-3-1982 तक राजस्थान में बिजली की संभावित चोरी के कुल 310 मामले पकड़े गये। इनमें से 259 मामलों में 1878795 यूनिट बिजली की कीमत वसूली का निर्धारण किया गया। 15 मामले कृषि के फ्लेट रेट कनेक्शन के थे जिनमें यूनिटों की गणना नहीं की जाती है तथा शेष 45 मामलों में यूनिटों की गणना कर वसूली का निर्धारण किया जाना है।

(2) उपरोक्त 319 मामलों में से 276 मामलों में कनेक्शन तुरन्त काट दिये गये थे। 85 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ. आई. आर.) संबंधित पुलिस थाने में भी दर्ज कराई गई।

(3) विद्युत मण्डल द्वारा बिजली की चोरी रोकने हेतु सतर्कता अनुभाग का पुनर्गठन कर भारतीय पुलिस सेवा के एक अधिकारी की नियुक्ति निदेशक, सुरक्षा एवं सतर्कता के पद पर की गई है। एक केन्द्रीय सतर्कता दस्ता जयपुर में गठित किया हुआ है। प्रत्येक वृत मुख्यालय पर भी एक सतर्कता दस्ते का गठन किया हुआ है। इसके अतिरिक्त वृत अधिकारियों द्वारा भी समय समय पर चैकिंग की जाती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि देश और राजस्थान में लाइन लासेस का प्रतिशत क्या है ? लाइन लासेस के बाद स्टेण्डर्ड लाइन लासेस का जो प्रतिशत है वह कितना है ? क्या यह सही है कि राजस्थान में लाइन लासेस का सबसे ऊंचा प्रतिशत है ?

श्री परसराम मदेरणा : प्रश्न बिजली के पिलफरेज और थैफ्ट के संबंध में है। ट्रान्स- मीशन और डिस्ट्रिब्यूशन लाइन के लासेस के संबंध में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह सवाल इसलिए पूछा है....

श्री परसराम मदेरणा : मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि लाइन लासेस के संबंध में अभी मैं निश्चित तौर पर तो नहीं कह सकता लेकिन अभी जो लाइन के लासेस हैं वह 25 और 26 पर्सेन्ट के बीच में होते हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : स्टेण्डर्ड फार्मूले के हिसाब से क्या है ? मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिजली की चोरी बहुत अधिक हो रही है। एक पर्सेन्ट बिजली की चोरी से 1 लाख रुपये का सरकार के खजाने को नुकसान होता है। यह जो मंत्री महोदय ने बताया है कि यह सतर्कता विभाग काम नहीं कर पा रहा है और काम नहीं करने की वजह से चोरी अधिक हो रही है, उसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लाइन लासेस में बताता है, इसलिए मैंने पूछा है कि स्टेण्डर्ड फार्मूला क्या है, लाइन लासेस का। उसके अनुसार राजस्थान में कितने लासेस हुए ? यह जो अन्तर है, क्या यह चोरी जा रही है या नहीं ? एक पर्सेन्ट चोरी में एक लाख रुपये का सरकार के खजाने में नुकसान होता है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो थैफ्ट और पिलफरेज का पर्सेन्टेज आता है वह 1 पर्सेन्ट है। जहां तक पिलफरेज और थैफ्ट के संबंध में चैकिंग का प्रश्न है, सतर्कता रखने का प्रश्न है मैं बता चुका हूं कि डाइरेक्टर सिक्योरिटी और विजिलेन्स का नया पद सृजित किया गया गया है। सेन्ट्रल विजीलेन्स सेन्टर में है वह बराबर चैकिंग करता है और सर्किल में भी स्क्वेड्स हैं। उसके अलावा ए. ई. एन. और एक्स. ई. एन. सब डिवीजन, राजस्थान को लोगों की चैकिंग करनी पड़ती है और चैकिंग कर रहे हैं। जो मामले सामने आते हैं उनमें कार्यवाही की जाती है।

श्री कैलाश मेघवाल : यह जो आपने सूची दी है इसमें जयपुर रोलिंग मिल्स, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र की जो भागेदार फर्म के यहां 5-6-80 को चैकिंग की गयी और बिजली चोरी होती हुई पाई गयी। दूसरी बार 21-2-82 को चैकिंग की गयी और बिजली चोरी होती हुई पाई गई। उसका नाम आपने इस सूची में नहीं दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा, यह राजनैतिक प्रभाव से ऐसा हुआ है ? इस फर्म में माननीय स्वायत शासन मन्त्री, श्री राम गोटेवाला की पत्नी और भाई भागीदार हैं इसीलिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोनों बार चैकिंग हुई है या नहीं ? हुई है, तो चैकिंग के आधार पर जो बिजली की चोरी हो रही थी, आज भी हो रही है, उसके बारे में राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 बजकर 13 मिनट पर विधान सभा द्वारा इस बात की सूचना मिली कि स्थगित प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय सदस्य भी प्रश्न पूछना चाहते हैं। 1-4-80 से 31-3-82 तक जो अवधि पूछी है उसमें यह केस कवर नहीं हो रहा है। जब क्वेश्चन

(श्री परसराम मदेरणा)

पोस्टपोन हो गया और जब 11 बज कर 13 मिनट पर यह ध्यान में आया तो मैं आपको निवेदन कर दूं कि यह बात सही है कि 5-10-82 को जयपुर रोलिंग मिल्स की चैकिंग की गई थी और चेकिंग जब की गई तो यह ध्यान में आया कि कनेक्टेड लोड 132 था और 181 कनेक्टेड लोड चल रहा था। इस सम्बन्ध में चैकिंग हुई थी 78 में 78 में जो चैकिंग हुई उसमें 6 हजार कन्जूमर एडहाक बिल बनाया था–77) रु. 60 पैसे का बिल बनाया गया था जिसको जयपुर रोलिंग मिल ने चेलेन्ज किया। चेलेन्ज करने के बाद मामला सब जुडिस है डिस्ट्रिक्स एण्ड सैशन कोर्ट में।

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : बिजली की चोरी करते हैं और मीटरों में गड़बड़ी करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेंगे ? छोटे आदमी चोरी करते हैं उनके खिलाफ तो एक्शन लेते हैं लेकिन जो बड़े आदमी चोरी करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते हैं। उदयपुर और कोटा में सारे आफिसर्स और इंजीनियर्स बिना मीटर के बिजली जला रहे हैं। उनकी चैकिंग कभी नहीं करते हैं। आपका विजीलेन्स डिपार्टमेंट क्या करता है ?

श्री परसराम मदेरणा : विभाग सतर्क है और इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है। चैकिंग स्क्वेड्स को और स्ट्रेन्थन किया गया है और बराबर ध्यान रखा जा रहा है कि बिजली की चोरी नहीं हो।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं, मन्त्री महोदय ने कहा, बिजली के चोरी के मामले में एफ. आई. आर. दाखिल की गई है। मैं जानना चाहता हूं, किस केस में प्रोसीक्यूशन लान्च हुआ है ? अगर हुआ है, तो वह किस स्टेज पर पहुंचा है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न तो अलग से है लेकिन....

श्री राजबहादुर : आपने जवाब में कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : यह सूचना मेरे पास नहीं कि कोर्ट में कितने केसेज हैं। जो एफ. आई. आर. दर्ज की गई है वह अलग अलग पुलिस स्टेशन पर है और अभी उपलब्ध नहीं है। मामले पिलफरेज के आवश्य हैं, थैफ्ट के नहीं हैं। इस प्रकार के जो मामले सामने आते हैं, उनके लिये इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट के सैक्शन 39 में प्रावधान है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अभी तक यह अनुभव किया है कि फ्लेट रेट होने से बिजली की चोरी कम होगी ?

श्री परस राम मदेरणा : जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं, उसमें तो खुली छूट है। 15 मामले थैफ्ट के और पिलफरेज के आये हैं।

Page No 17

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(दिनांक 10 व 15 सितम्बर, 1982)

आर. एस. एम. एम. लिमिटेड में ओवर बर्डन हटाने हेतु निविदायें

134. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आर. एस. एम. एम. लिमिटेड में ओवर बर्डन हटाने के लिये जिन जिन कम्पनियों की निविदायें अमान्य की गयी थी उन्हीं में से एक कम्पनी आर. एस. एम. डी. सी. में कार्य कर रही है ?

(2) यदि हां, तो किस कारण तकनीकी दृष्टि से सम्पन्न इस कम्पनी को पूर्व में कार्य नहीं दिया गया ?

(3) इससे राज्य सरकार को कितनी राशि की हानि हुई है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जी हां।

(2) मैसर्स जी. एस. अटवाल एण्ड कम्पनी, आसनसोल ने मैसर्स आर. एस. एम. एम. लि. द्वारा आमन्त्रित निविदा में 36) रु. प्रति क्यूबिक मीटर की दर अंकित की थी एवं साथ ही यह भी लिखा था, कि वे अन्य पार्टियों द्वारा दी गई न्यूनतम दर से एक प्रतिशत कम दर पर कार्य करने के लिये तैयार है जबकि मैसर्स ईस्टर्न इंजीनियरिंग एन्टरप्राइजेज द्वारा 35 रु. 80 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर की दर अंकित की गई थी। मैसर्स आर. एस. एम. एम. लि. ने मैसर्स जी. एस. अटवाल एण्ड कम्पनी द्वारा दी गई दूसरी दर को प्रि-एम्पटिव होने से न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं मानते हुए मैसर्स ईस्टर्न इजीनियरिंग एन्टरप्राइजेज को ठेका दिया।

(3) मैसर्स ईस्टर्न इजीनियरिंग एन्टरप्राइजेज लि. को ठेका स्वीकृत करने में कोई हानि नहीं हुई।

श्री सी.पी.जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि आर.एस.एम.एम. में ओवर बर्डन हटाने को 22) रु. क्यूबिक मीटर की रेट है, आज के दिन उससे एक रुपया क्यूबिक मीटर घटा सकते हैं। अगर एक लेबर दिन भर काम करे तो 9) रु. होते हैं। 22 रुपये में से एक रुपया माईनस करने से 21) रु. हो जाते हैं और ठेका दिया है 33) रु. 80 पैसे में। 21 रु. 80 पैसे के बाद ओवर बर्डन को घटाये तो उस हिसाब से आप ज्यादा दे रहे हैं और इससे करीब 2 करोड़ लग चुके हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यदि आप इस कम्पनी को काम नहीं देते तो राजस्थान की जनता के दो करोड़ रुपये बचते हैं? इस्टर्न इण्डिया कम्पनी को जो ठेका दिया गया है और उसकी जो शर्तें है उस आधार पर क्या इनके पास कोई अनुभव था ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, ओवर बर्डन के रिमूवल के लिये इस सदन में विस्तार से चर्चा काफी समय तक हो चुकी है। माननीय सदस्य ने प्रश्न किया

Page No 18

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जिस कम्पनी को ठेका दिया गया है उसको ठेका देने से सरकार को हानि हुई है या नहीं हुई है। ओवर बर्डन किन परिस्थितियों में बढ़ा और उसको हटाने की क्या आवश्यकता थी, उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हो जायेगी, डिबेट हो जायेगी लेकिन यह स्पष्ट है The committee was consisted of Director Mines and Managing Director Hindustan Zinc and Shri P. L. Bhandari and the Committee submitted vide their report dated 13.6.80 recommended that the comapny invited tender of 16 lacs over burden....वहां बोर्ड की सब कमेटी बनी हुई है, उसने निर्णय करके ओवर बर्डन हटाने का निश्चय किया। इस निश्चय के आधार पर वहां टेण्डर्स इन्वाइट किये गये हैं, टेण्डर इन्वाइट करने पर 4 फर्मों ने टेण्डर दिये। उनमें से तीन फर्में छांटी गई। उन तीन फर्मों में ईस्टर्न इण्डिया कम्पनी का टेण्डर सबसे लोएस्ट था। 11-3-81 को इसका टेण्डर, श्रीमन्, मंजूर किया गया।

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठिये, अन्य किसी तरीके से इस प्रश्न को उठायें, समय समाप्त हो रहा है एक प्रश्न और है।

श्री सी.पी.जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछा था कि 21 रुपये 80 पैसे कास्ट आती है, एक क्यूबिक मीटर पर। आप एक क्यूबिक मीटर पर 10 रुपये राजस्थान के ज्यादा दे रहे हैं। 22 लाख क्यूबिक मीटर पर 2 करोड़ 20 लाख रुपये ज्यादा दे रहे हैं, और इस प्रश्न का माननीय मंत्री महोदय जवाब नहीं दे रहे हैं? जब कि मंत्री महोदय उस समय मंत्री नहीं थे....

श्री अध्यक्ष : यह समस्या को समझ गये हैं, उत्तर आने दीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन कर दूं शायद मैं अपने उत्तर से बात को साफ तरह से समझा नहीं सका माननीय सदस्य को। ईस्टर्न इंजीनियरिंग एन्टरप्राइजेज का टेण्डर लोएस्ट था 35.80 रु.का, मैसर्स जी.एस अटवाल का था 36/–रुपये का और अजय माइनिंग कम्पनी का 36.20 रु. का था। तो माननीय सदस्य का यह कहना कि 4 लाख रुपये को हानि हो गई....

श्री सी.पी.जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री सी.पी.जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया 36 रुपये वाले ने लिखा है एक पर्सेन्ट बिलो पर काम करने को तैयार है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, कृपया, माननीय सदस्य, इस तरह से जिद न करें। अन्य किसी माध्यम से इस प्रश्न को उठायें इस तरह से समय न लें सदन का।

Page No 19

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दो बार प्रश्न पूछा है और कौन सा माध्यम है वह आप बता दीजिये। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर तो आ जाने दीजिये....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न। श्री रामकिशोर मीणा।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दो बार प्रश्न पूछा और दोनों बार ही....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। भाषण नहीं होगा। अन्य किसी तरीके से उठायें। मैं अगला प्रश्न, जो पूर्व में स्थगित किया जा चुका है, ले रहा हूं आप बैठ जाय।

श्री सी.पी.जोशी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा। आप समय ले रहे हैं सदन का, मैं एक प्रश्न और ले लेना चाहता हूं। स्थगित प्रश्न।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो, श्रीमान,....

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर इजाजत नहीं होगी। माननीय श्री रामकिशोर मीणा।

(**दिनांक** 13 **सितम्बर**, 1982)

जन अभाव-अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठकें

177.**श्री रामकिशोर मीणा**(सिकराय): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या जिलाधीश, राज्य सरकार के आदेश संख्या प-33/32/प्र.मु./ग्रुप-1/77, दिनांक 17-12-77 के मुताबिक हर माह जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक बुलाने हेतु बाध्य हैं? यदि हां, तो इस आदेश के अनुसारराजस्थान के विभिन्न जिलों में जिलाधीशों ने कब कब बैठकें बुलाई? कृपया सूची सदन को मेज पर रखें।

(2) क्या जिला जयपुर के वर्तमान जिलाधीश द्वारा उक्त आदेशों की समय पर पालना की गई है? यदि नहीं, तो जिलाधीश के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री गृह, (श्री प्रद्युम्न सिंह) :

(1) जी, हां। सूची संलग्न है।

(2) पूर्ण आदेशों की पालना नहीं की गई है। परन्तु जिलाधीश, जयपुर को पाबन्द कर दिया गया है कि भविष्य में हर हालत में प्रति माह बैठकें आयोजित की जायं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री रामकिशोर मीणा : पहले समय पर बैठकें नहीं कीं, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? बैठक नहीं बुलाने के प्रमुख कारण क्या हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसो जिलाधीश, जयपुर से जानकारी प्राप्त हुई है, उनके यहां पर माहवारी बैठकें होनी चाहिये थीं वह नहीं हो पाई हैं। उनका

Page No 20

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

उन्होंने कारण बताया है कि अन्य कार्यों में व्यस्तता होने के कारण वह बैठकें नहीं बुला पाये हैं। इसके लिये उनको इस बात के निर्देश दे दिये गये हैं कि वे बैठकें रेगुलरली बुलावें। इसके अलावा इस बारे में क्या वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिये इस बारे में भी विभाग विचार कर रहा है। जयपुर जिलाधीश, अधिक कार्य में व्यस्त होने की वजह से बैठक नहीं कर पाते हैं तो इस पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या ए.डी. एम. या कोई और हो, बैठकें बुलावें। इस तरह का विचार कर रहे हैं वैसे उनको निर्देश दे दिये हैं कि आप कितने ही व्यस्त क्यों न हों, यह बैठकें आपको बुलानी चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। अल्प सूचना प्रश्न। श्री देवीसिंह भाटी।

(व्यवधान)

समय से हटकर आपने मुझे चिट भेजी इसलिये मैंने आपको समय दिया, माननीय सदस्य....

श्री रामकिशोर मीणा : इसके लिये आपको धन्यवाद, लेकिन अध्यक्ष महोदय....

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से मीटिंग समय पर न बुलाने से जन प्रतिनिधियों का अपमान होता है....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। माननीय सदस्य, बैठ जायं कृपया बैठ जायं।

श्री देवीसिंह भाटी।

अल्पकाल सूचना प्रश्न

सब-मरसीबल पम्पिंग सैट की खरीद

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है मुख्य अभियन्ता जलदाय विभाग ने अपने पत्र संख्या एच-, जी, III(744)81-82/140024-224, तारीख 11-3-1982 द्वारा अधीक्षण अभियन्ताओं को यह आदेश दिया था कि सब-मरसीबल पम्पिंग सैट की खरीद नहीं की जावे ?

(2) उक्त आदेश के बावजूद अधीक्षण अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, वृत्त बीकानेर द्वारा अपने आदेश नम्बर 6369, दिनांक 2-6-1982, 6,470 दिनांक 18-5-1982 व 5,374 दिनांक 3-5-1982 द्वारा 11 एच.पी. 13 एच.पी. व 21 एच.पी. के 9 लाख रुपयों के 50 सब-मरसीबल पम्पिंग सैट खरीद करने के क्या कारण रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पम्पिंग सैट में कैलामा तथा के. एस.बी मेक के पम्पिंग सैट बढ़िया माने जाते हैं ? यदि हां, तो उक्त खरीद मैसर्स पुलन पम्प इण्डस्ट्रीज, अहमदाबाद से क्यों की गई ?

(4) उक्त खरीद हेतु निविदायें किन किन कम्पनियों से प्राप्त हुई तथा उन्होंने क्या क्या दर दी ?

(श्री देवी सिंह भाटी)

(5) क्या यह सही है कि पम्पिंग सैट उनकी जांच करके ही प्राप्त किए जाते हैं? यदि हां, तो उक्त खरीद में जांच(टैस्टिंग) में रिजेक्ट किए गए पम्पिंग सैट क्यों प्राप्त किए ? कृपया कम्पनी द्वारा तथा विभाग द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(6) जलदाय विभाग, बीकानेर द्वारा वर्ष 1980 से 82 तक कुल कितने पम्पिंग सैट किस किस मेक के कितने हार्स पावर के किस दर में खरीद किए गए ? कृपया जानकारी सदन के पटल पर रखें।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) दिनांक 11-3-82 के आदेश में मुख्य अभियन्ता द्वारा 10 वस्तुओं के बारे में, जिनका कि क्रय आदेश/रेट कान्ट्रेक्ट, मुख्य अभियन्ता कार्यालय द्वारा दिया गया था उनको राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन, जयपुर से क्रय करना निषेध किया था। उपरोक्त 10 आइटम में सब-मरसीबल पम्पिंग सैट का क्रय आदेश भी था।

(2) अधीक्षण अभियन्ता, बीकानेर द्वारा निम्न आदेश दिये गये :–

क्र. सं.	आदेश संख्या व दिनांक	हार्सपावर	संख्या
1	2	3	4
	3-5-82	11	10
		13	2
	18-5-82	11	11
		13	2
	2-6-82	13	7
		11	1
		15	2
		21.5	2
		कुल	37

यह क्रय आदेश बीकानेर जिले की विभिन्न जल प्रदाय योजनाओं को अकाल के समय में चालू रखने के लिए पम्प प्राप्त करने हेतु दिये गये। मुख्य अभियन्ता द्वारा दिये गये क्रय आदेशों में उक्त क्षमता के पम्प सम्मिलित नहीं थे।

(3) जी, हां। उक्त पम्प तत्काल आवश्यकता के लिए चाहिए थे एवं रेडी स्टाक में पुलन पम्प ही उपलब्ध हो सके।

(4) उक्त खरीद निविदाएं आमंत्रित कर नहीं कि गयी किन्तु वित्त विभाग के आदेश दिनांक 7 जुलाई, 1979 के अनुसार राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड से सीधे खरीदे गये।

(5) जी, हां। पम्पिंग सैट सहायक अभियन्ता, वर्कशाप एण्ड स्टोर, उपखण्ड डी. पी. ए. पी. डिवीजन बीकानेर द्वारा निरीक्षण कर प्राप्त किये गये। जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(6) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(जांच रिपोर्ट की प्रतियों एवं सूचियों के लिये कृपया 6 देखें)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में

Page No 22

(श्री देवीसिंह भाटी)

फरमाया, चीफ इन्जीनियर ने 10 वस्तुओं, जिनमें सब-मरसीबल पम्प भी शामिल थे, को क्रय करने के लिए लिखा था। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जब चीफ इन्जीनियर ने यह आदेश दिया था कि उस उस मेक के उस उस कैपेसिटी के पम्प नहीं खरीदे जायें उसके उपरान्त श्री भूतड़ा, अधीक्षण अभियन्ता, बीकानेर द्वारा एडीशनल चीफ इन्जीनियर से यह सेंक्शन लेने की क्या आवश्यकता पड़ी ? क्या एडीशनल चीफ इन्जीनियर मुख्य अभियन्ता के आदेश के उपरान्त ऐसे निर्देश या ऐसो सेंक्शन देने में सक्षम थे ?

दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं, जैसा कि भाग दो में आपने बताया कि 37 पम्प खरीदें गये। उसका कारण, यह बताया गया कि अकाल था, फेमिन की ऐसी स्थिति थी जिसकी वजह से खरीदने जरूरी थे। क्या यह सही नहीं है कि पूर्व में एडीशनल चीफ इन्जीनियर, श्री दाऊ लाल, जो पूर्व में एस. ई. थे, ने जो 15 पम्पिग सैट खरीदे वह फेल पाये गये ? अध्यक्ष महोदय, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा पूर्व में जो कैलामा कम्पनी को आदेश दिया हुआ था पम्पिग सैट सप्लाई करने का, उसने फेमिन के दौरान यह 15 सैट सप्लाई कर दिये थे, उसके उपरान्त 37 पम्पिग सैट खरीदने की क्या आवश्यकता पडी ? क्या यह भी सही है कि यह जितने पम्पिग सैट खरीदे गये....

श्री अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछिये संक्षेप में, भाषण मत दीजिए। ताकि मन्त्री महोदय उत्तर दे सकें।

श्री देवीसिंह भाटी : मन्त्री महोदय, समझदार हैं, काफी एक्सपेरीएन्स्ड हैं, वह उत्तर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : एक्सपेरीएन्स्ड तो आप भी हैं, आपका लम्बा अनुभव है, वह बहुत ही विस्तृत जानकारी के रूप में आये तो उत्तर देना कठिन हो जाता है।

श्री देवीसिंह भाटी : बहुत बड़ा घोटाला है 9 लाख का घोटाला है। अध्यक्ष महोदय, यह पम्पिग सैट खरीद लिये गये क्योंकि फेमिन की ऐसी स्थिति थी, पानी की गम्भीर समस्या थी। मन्त्री महोदय, यह कब कब किस किस जगह साइट पर पहुंचे और काम में लगा दिये गये ? क्या यह सही नहीं है कि जब यह प्रश्न, जो मेरे द्वारा पूछा गया था, विभाग में गया, उसके बाद यह साइट पर भेजे गये और अभी भी बेकार पड़े है, काम में नहीं लिये गये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह बता चुका हूं कि जिस क्षमता के पम्पों के सम्बन्ध में चीफ इन्जीनियर, पी. एच. ई. डी., राजस्थान ने आदेश दिये थे या निविदाएं आमंत्रित की थीं उसमें और अधीक्षण अभियन्ता, बीकानेर द्वारा दिये गये क्रय आदेश में डिस्चार्ज और हैड इन मीटर बिलकुल अलग अलग हैं। इन्होंने दस चीजों के लिए कहा था, उससे ज्यादा डिस्चार्ज और ज्यादा हैड इन मीटर के पम्प बीकानेर के लिए आवश्यक थे इसलिए चीफ इन्जीनियर के आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है–एक बात। नम्बर दो-फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने जो आदेश प्रसारित किये हैं, उनके अनुसार एग्री

(श्री परसराम मदेरणा)

इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन से बिना निविदा के खरीदे जा सकते हैं इसलिए एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन से खरीदे गये हैं। तीसरी बात, पहले जो पम्प योजनाओं में लिये गये थे, वह स्टैण्ड बाई थे या दूसरी योजनाओं के थे। यह नार्म्स हैं कि अगर एक सोर्स है कहीं पानी का, तो एक पम्प सैट स्टैण्ड बाई रहना चाहिए, जो सब जगह नहीं हैं। लेकिन जहां तक सम्भव होता है पानी के लिए अगर स्टैण्ड बाई सैट नहीं हों तो पानी 4 घण्टे डिले नहीं किया जा सकता इसलिए इन पम्पों की जरूरत थी। जैसा कि मैं उत्तर में निवेदन कर चुका हूं कि टैंकर्स को भरने के लिए रणथम्भौर पर 200 के आसपास एस. एस. की स्कीम है, वहां पर बनका इस्तेमाल किया गया। उसमें कुछ स्टैण्ड बाई रखे गये। इन पम्पों में से 8 तो लगा दिये गये, 7 का अन्य कुओं पर काम प्रगति पर है और दूसरे स्टैण्ड बाई रखे गये।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

चर्चा समाप्त हुई, आसन पैरों पर है। कृपया बैठिये।

श्री देवीसिंह भाटी : मेरा प्रश्न मूल है इसके कारण....

श्री अध्यक्ष : कई प्रश्नों के उत्तर नहीं आते कई माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होते।

श्री देवीसिंह भाटी : ज्यादा नहीं पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : इसमें मेरा दोष नहीं है। माननीय सदस्य, समय हो गया इसलिए मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : ज्यादा नहीं पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : कृपया, मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : एक ही सप्लीमेन्ट्री ?

श्री अध्यक्ष : लेकिन एक छोटी सप्लीमेन्ट्री होगी।

श्री देवीसिंह भाटी : एक तो सीधा साधा यह ही पूछना चाहूंगा, जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया था कि अकाल की वजह से यह पम्प खरीदे गये। यह भी फरमाया कि स्टैण्ड बाई रखने के लिए खरीदे गये। फिर उन्होंने बताया कि 8 तो लगा दिये गये, 7 वहां पैंडिग पड़े हैं और दूसरे भी बेकार हैं। फेमिन तो निकल गया तब क्यों नहीं लगाये गये ? दूसरा यह कि इसी दौरान आपने पूर्व में जो आदेश कैलामा कम्पनी को दिये हुए थे, वह 15 पम्प मिले गये उसके बाद भी यह इतनी खरीद क्यों की गयी ? इसके बारे में भी आप फरमायें कि जब पम्प यहां आये तब टैस्टिंग रिपोर्ट में डी. पी. ए. पी. के एक्स. ईएन., ए. ईएन. ने उनकी खराब क्वालिटी के बारे में एक पत्र लिखा, क्या वह आप पढ़कर बताएंगे मन्त्री महोदय ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने सूची सदन की मेज पर रख दी है। वहां जाकर ए.ई.एन. चैक करके आये हैं, वह पूरी की पूरी रिपोर्ट सभी पम्पों की मैंने सदन के पटल पर रखी दी है। जैसा मैं कह चुका हूं कि एडीशनल चीफ इंजीनियर से अनुमति लेकर अधीक्षण अभियन्ता ने एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन से पम्पिंग सैट खरीदे। अकाल के सम्बन्ध में मैंने यह बात कही है कि अकाल में टैंकर्स को भरना पड़ता है और टैंकर्स बराबर उन गांवों में जाते हैं जहां न तो रीजनल पाइप लाइन है, न पानी का स्रोत है। इसलिए पानी की उपलब्धि लगातार जारी रखने के लिए स्टेण्ड बाई भी रखे गये। इसके साथ साथ 200 की जो मैंने बात कही है वह इसलिए कही कि इस संख्या में है। स्टेण्ड बाई दो सौ आज है भी नहीं बहुत कम है। अगर स्टैंड बाई नहीं रखते तो जिन योजनाओं को चालू करना था, जिनको हमने दूसरी योजनाओं में लगा दिये थे उनकी योजना प्रारम्भ नहीं की जा सकती थी, इसलिए जो कुछ भी आदेश दिये गये हैं, उनमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गयी।

श्री देवीसिंह भाटी : पम्प जब आपके अण्डर डिस्प्यूट पड़े हैं तो 15 का आर्डर क्यों कर दिया गया ? अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। चर्चा समाप्त हुई।

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

. . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इस पर जिद नहीं होगी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, महोदय, यह जल प्रदाय योजना फेल हो गई है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट आफ आर्डर है। भाषण नहीं होगा। अंकित भी नहीं हो रहा है। बैठ जायें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : आपके एक पूरक प्रश्न को मैंने अलाऊ कर दिया था, प्रश्नकाल समाप्त करने की घोषणा के बाद में।

श्री भैरूलाल मीणा : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर। मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल में कोई पाइन्ट आफ आर्डर का प्रश्न नहीं होता है।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 25

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान स्टेट मोटर गैराज के वाहन

299. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में राजस्थान मोटर गैराज की स्थापना कब हुई और इस विभाग के रख-रखाव, वाहन चालक, पैट्रोल, डीजल, गाड़ियों की मरम्मत आदि पर गत दस वर्षों में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय की गई ?

(2) राज्य में मोटर गैराज के पास सभी प्रकार के कितने वाहन हैं ?

(3) क्या सरकार का इस खर्चीले विभाग को बंद कर कोई नई व्यवस्था करने का विचार है ?

उत्तर

(1) राजस्थान मोटर गैराज की स्थापना नवम्बर 1950 में हुई थी, इस विभाग के रख-रखाव, वाहन चालक, पैट्रोल, डीजल, गाड़ियों की मरम्मत आदि पर पिछले दस वर्षों में हुए व्यय की सूचना संलग्न तालिका में है।

(2) राज्य में मोटर गैराज के पास कुल 91 गाड़ियां निम्न प्रकार से हैं –

1. एम्बेसेडर	83
2. फियेट	1
3. जीप	1
4. बड़ी कारें	6
	91

(3) जी नहीं।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

योजना आयोग की आर्थिक प्रोग्राम सम्बन्धी रपट

300. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या मुख्य मंत्री (आयोजना) यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि योजना आयोग ने आर्थिक प्रोग्राम के क्रियान्विति की अपनी मई मास की रिपोर्ट में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले की पहचान करने अथवा उनकी सूची बनाने के कार्य की प्रगति पर असन्तोष व्यक्त करते हुए उसे राज्य सरकार की निम्न कोटि की कार्यक्षमता होने की संज्ञा दी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि आयोग ने बंधक मजदूरों की मुक्ति के कार्य तथा परिगणित जातियों एवं जनजातियों के परिवारों के आवास गृह के लिए भूमि वितरण के कार्य को भी निम्न स्तर का कहते हुए असंतोष व्यक्त किया है ?

(श्री राजबहादुर)

(3) क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध मात्र 3.5 प्रतिशत कार्य हो पाया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । योजना आयोग ने आर्थिक प्रोग्राम की क्रियान्विति की अपनी मई मास की रिपोर्ट में एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम का प्रगति की निम्न कोटि की कार्य क्षमता का कहीं उल्लेख नहीं किया है ।

(2) जी नहीं । यह सही नहीं है कि आयोग ने बन्धक श्रमिकों के मुक्ति कार्य को निम्न स्तर का कहा है । वस्तुतः इस सूत्र के लिए आयोग ने स्तर सम्बन्धी बात ही नहीं की है ।

यह भी सही नहीं है कि परिगणित एवं जन-जातियों के परिवारों के लिए आवास गृह हेतु भूमि वितरण के कार्य को निम्न स्तर का कहा गया है । वस्तुतः आयोग ने इस प्रकार का कोई विभाजन नहीं किया है ।

(3) जी नहीं । अलग-अलग सूत्र के लिये निर्धारित अलग-अलग लक्ष्यों में अलग अलग उपलब्धियां का प्रतिशत रहा है । अतः 3.5 प्रतिशत उपलब्धि कहने का कोई आधार नहीं है ।

राज्य में योजना व्यय

301. श्री राजबहादुर (भरतपुर) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1982–83 की राज्य की योजना के लिए व्यय का क्या अनुमान था और कितनी राशि निर्धारित की गई ?

(2) वर्ष 1982–83 की योजना राशि में से जुलाई, 1982 के अन्त तक कुल राशि का कितना भाग उपयोग में लिया गया है और कितनी राशि अब उपयोग में ली जा सकेगी ?

(3) उक्त योजना में विद्युत, सिंचाई एवं सड़कों के लिये पृथक्-पृथक् कितनी राशि रखी रखी गई है और कितनी-कितनी राशि अब तक उपयोग में लाई जा चुकी है ?

उत्तर

(1) राज्य की वार्षिक योजना 1982-83 के लिए 541.00 करोड़ रुपये के आकार का प्रारूप प्रेषित किया गया था । योजना आयोग द्वारा 340.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सीमा निर्धारित की गई ।

(2) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1982–83 की राज्य योजना (340.00 करोड़ रु.) के अन्तर्गत जुलाई, 1982 तक 23.7 प्रतिशत राशि (80.63 करोड़ रु.) का उपयोग किया गया है तथा शेष राशि इस वित्तीय वर्ष में उपयोग कर ली जावेगी ।

(3) वर्ष 1982–83 की राज्य योजना में विद्युत, सिंचाई एवं सड़कों के लिए क्रमशः 115.7 करोड़ रु. 64.41 करोड़ व 12.50 करोड़ रु. का प्रावधान रखा गया है जिसमें से माह जुलाई, 1982

Page No 27

(आयोजना मंत्री)

तक क्रमशः 25.71 करोड़ रु., 24.53 करोड़ रु. व 3.21 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

पुलिस मुठभेड़ में डकैत की मृत्यु

302. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि डीग (भरतपुर) के निकट रुद्र के जंगल में हाथी नामक डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया यदि ? हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि हाथी शांतिप्रिय जीवन व्यतीत कर रहा था और अपने गांव कहेरा में प्याऊ पर पानी पिलाता था ?

(3) क्या यह सही है कि डीग के थानेदार से रंजिश होने के कारण हाथी को जंगल में ले जाकर झूठी मुठभेड़ बताकर मार दिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 5-7-82 को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।

(2) जी नहीं।

(3) अनुसंधान जारी है।

भरतपुर में साम्प्रदायिक प्रकरण

303. श्री बालचन्द्र आर्य वीर (डग) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा रेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 9 अगस्त, 1982 को भरतपुर में अनुसूचित जाति के लोगों तथा जाटों के बीच संघर्ष हुआ ? क्या उस झगड़े में अनुसूचित जाति के जाटव लोगों की दुकानें तथा मकान लूटे गये ? यदि हां, तो उसमें कितने धन की हानि हुई ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) सरकार ने किन-किन पीड़ित गरीब व्यक्तियों को कितना-कितना मुआवजा दिया ? सरकार ने ग्रामीण अंचलों के जान-माल की सुरक्षा की क्या व्यवस्था की है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। विवरण संलग्न है।

(2) सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया है। "एक्सग्रेशिया" सहायता संलग्न विवरण अनुसार दी गई है। पुलिस की समुचित पैट्रोलिंग की व्यवस्था की गई। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने शान्ति समिति के सदस्यों के साथ दौरा कर लोगों की जानमाल की सुरक्षा हेतु आश्वस्त किया। किसी भी जगह असुरक्षा की भावना नहीं पाई गई।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

भ्रष्टाचार एवं गबन के प्रकरण में निलम्बित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

304. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(1) क्या यह सही है कि श्री रामेश्वर पतालिया श्री जगदीश पतालिया, श्री राम नारायण पतारिया एवं श्री राधेश्याम चतुर्वेदी, पटवारी भ्रष्टाचार एवं गबन के मामले में निलम्बित हैं, और क्या यह सही है कि उक्त निवासी ग्राम धिनोई (गोविन्दगढ़-जयपुर) के निवासियों ने उनके विरुद्ध चौमूं थाने में गुंडागर्दी व चोरी करने के मामले दर्ज करवाये हैं ? यदि हां, तो पुलिस ने कितने मामलों में जांच कर इनके विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही की ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध श्री सोहनलाल मीणा उर्फ सोन्या मीणा के परिवार ने गृह सचिव जिला अधीक्षक प्रारक्षी को शिकायतें की हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन व्यक्तियों के विरुद्ध गांव के एक अन्य व्यक्ति ने भी मवेशियों से खड़ी फसल को बरबाद कराने और मारपीट करने के बारे में गृह सचिव को शिकायत की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) गृह सचिव को प्राप्त आवेदन जिलाधीश, जयपुर को उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

(3) शिकायतकर्ता के नाम के अभाव में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि गृह सचिव को कोई शिकायत की गई थी या नहीं।

जिला बाड़मेर-जैसलमेर में ऊन के लघु उद्योग लगाना

305. श्री अमीन खां (शिव): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकार रेगिस्तानी जिले बाड़मेर व जैसलमेर में ऊन के लिए बकरी, ऊंट की जट के लघु उद्योग लगाएगी ?

(2) क्या यह सही है कि सीमावर्ती जिले बाड़मेर, जैसलमेर में हमेशा भयंकर अकाल पड़ते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार छोटे-छोटे उद्योग लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में राज्य सरकार स्वयं कोई लघु उद्योग लगाने का विचार नहीं रखती है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में उद्यमियों को लघु उद्योग स्थापित करने पर घोषित समस्त सुविधाएं एवं रियायतें उपलब्ध कराई जाती हैं। बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में भी उद्यमियों को ये समस्त सुविधायें एवं रियायतें उपलब्ध कराई जावेंगी।

राज्य की रुग्ण औद्योगिक इकाइयां

306. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितनी औद्योगिक इकाइयां रुग्ण पड़ी हुई हैं? इनमें से कितनी इकाइयों को राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण दिया गया?

(2) क्या वित्त निगम ने इन इकाइयों को पुन: चलाने के लिए कोई योजना बनाई है? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत किन-किन रुग्ण इकाइयों को वित्त निगम द्वारा ऋण दिया गया है? इन रुग्ण इकाइयों के नाम, पहले दिया गया ऋण, बकाया ऋण, बन्द रहने की अवधि तथा पुन: संचालित करने के लिए दिया गया ऋण का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य में 246 औद्योगिक इकाइयां रुग्ण हैं। राजस्थान वित्त निगम द्वारा सहायता प्राप्त 214 औद्योगिक इकाइयां बन्द पड़ी हुई थीं जिनको निगम ने 2.48 करोड़ रुपये वितरित किया था।

(2) जी हां। राजस्थान वित्त निगम ने बन्द एवं रुग्ण इकाइयों को ऋणों द्वारा पुन: उत्पादन शुरू करने के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम कलकत्ता के सहयोग से औद्योगिक पुनर्जीवन योजना" वर्ष 1981-82 से शुरू की है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम एवं राजस्थान वित्त निगम के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर 13 अगस्त, 1983 को हुए। निगम ने 31 अगस्त, 1981 तक 6 औद्योगिक इकाइयों को ऋण स्वीकृत किया है, जिनके विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

राजस्थान वित्त निगम का पांच बत्ती स्थित कार्यालय

308. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन); क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान वित्त निगम का पांच बत्ती स्थित कार्यालय अधिकारियों की लड़कियों के विवाह में उपयोग में लाया जाता रहा है? यदि हां, तो यह कब-कब और किस किस को उपयोग के लिये दिया गया?

(2) क्या यह सही है कि दौसा की एक आइस फैक्ट्री को दोषी होने के बाद भी एक अधिकारी द्वारा सुनियोजित तरीके से लोन दे दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उस अधिकारी का स्थानान्तरण जयपुर से बाहर कर दिया गया था? यदि हां, तो आदेश निरस्त नहीं होने पर भी वह अधिकारी अभी मुख्यालय में किस आदेश के अन्तर्गत काम कर रहा है? कृपया आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

(4) क्या यह भी सही है कि वित्त निगम ने इसी पांच बत्ती स्थित कार्यालय के अधीन कोई अन्य भवन भी किराये ले रखा है ? क्या यह भी सही है कि निगम ने उसी मकान को एक व्यक्ति को किराये पर भी दे रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) दौसा की ग्राइस फैक्ट्री को केवल एक ही बार राजस्थान वित्त निगम के संचालक मण्डल द्वारा वर्ष 1970 में ऋण स्वीकृत किया गया था न कि किसी अधिकारी द्वारा ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां। कार्यालय के पीछे एक फ्लेट 1972 से किराये पर लिया हुआ है। वित्त निगम के मुख्यालय का उद्योग भवन में स्थानांतरण हो जाने के बाद यह भवन रिक्त हो गया था । चूंकि इस भवन की लोकेशन निगम के शाखा कार्यालय के समीप होने के कारण व भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस भवन को निगम ने अपने पास रख अपने ही एक उप प्रबन्धक को किराये पर दे रखा है। निगम इस कर्मचारी से निरन्तर किराया वसूल कर रहा है ।

राज्य विद्युत मण्डल को जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदत्त ऋण

311 श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को इस वर्ष जीवन बीमा निगम से कितने रुपये का ऋण मिला है ? यह धनराशि किन-किन योजनाओं पर खर्च की जायेगी ?

(2) इस समय विद्युत मण्डल पर जीवन बीमा निगम का कुल कितना ऋण बकाया है ? और उसका प्रति माह कितना ब्याज दिया जाता है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को अभी तक जीवन बीमा निगम से कोई ऋण नहीं मिला है । जीवन बीमा निगम से ऋण किसी विशिष्ट योजना के लिए नहीं लिया जाता है । यह ऋण वार्षिक योजना के कुल संसाधनों के एक भाग के रूप में होता है तथा वार्षिक योजना के कार्यों पर व्यय किया जाता है।

(2) इस समय जीवन बीमा निगम का कुल 56 करोड़ 50 लाख 47 हजार का ऋण बकाया है । निगम से किये गये अनुबन्धों के तहत विद्युत मण्डल को ब्याज का भुगतान प्रति माह न कर छमाही करना होता है । उपरोक्त ऋण पर छः माह की अवधि के ब्याज का 333·75 लाख रुपया देय होता है ।

धारेश्वर बांध (पाली) योजना

312. श्री भंवरसिंह गुर्जर (खारची) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या पाली जिले में धारेश्वर बांध बनाने की कोई योजना है ? यदि हां; तो क्या इसके लिए सर्वे कराया गया है ? प्रस्तावित योजना की लागत व बी. सी. रेश्यो से अवगत करावें ।

(2) धारेश्वर बांध की यह योजना कब तक पूरी कर ली जावेगी एवं इससे कितने व कौन से क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । बांध बनाया जा रहा है । उसके तैयार होने के पश्चात् योजना की लागत एवं बी. सी. रेश्यो ज्ञात हो सकेगी ।

(2) यह अभी बताना सम्भव नहीं है ।

चाकसू (जयपुर) की ग्रामीण विद्युत योजना

313. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले की चाकसू ग्रामीण विद्युत योजना कब स्वीकृत हुई और उसके लिए केन्द्र से कितनी धन राशि प्राप्त हुई ?

(2) इसका वर्षवार लक्ष्य क्या रखा गया था ? कृपया ग्रामों की सूची विवरण सहित सदन के पटल पर रखें ।

(3) वर्तमान में उनमें से कौन-कौन से व कितने गांवों को बिजली उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा शेष को कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी ।

उत्तर

(1) जयपुर जिले की चाकसू ग्रामीण विद्युतीकरण योजना दिनांक 22-3-1979 को स्वीकृत हुई थी । उक्त योजना के लिए अब तक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से 64·636 लाख रु. की धनराशि ऋण सहायतार्थ प्राप्त की जा चुकी है ।

(2) योजना के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में 76 ग्राम, द्वितीय वर्ष में 39 ग्राम एवं तृतीय वर्ष में 52 ग्रामों का तथा 22 नॉन-पोटेन्शियल ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था । ग्रामों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(3) वर्तमान में उक्त योजना में सम्मिलित 114 गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है । जिन गांवों का विद्युतीकृत किया जा चुका है वह उक्त सूची में दर्शा दिया गया है । वर्ष 1982-1983 में इस योजना के अन्तर्गत 9 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है । इस योजना के शेष ग्रामों का विद्युतीकरण अगले वर्षों

(ऊर्जा मंत्री)

में उपलब्ध होने वाले वित्तीय साधनों पर निर्भर करेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

विद्युत मण्डल में अधिशासी अभियन्ताओं का निलम्बन

314. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1977 में विद्युत मंडल के आदेशों से कतिपय अधिशासी अभियन्ताओं को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो कृपया निलम्बित किये गये अधिशासी अभियन्ताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन अधिशासी अभियन्ताओं को निलम्बित करने के क्या कारण थे ? कृपया पृथक्-पृथक् अधिशासी अभियन्ताओं के निलम्बित किये जाने के कारणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) निलम्बित अधिशासी अभियन्ताओं में से कितनों को बहाल किया गया व कितनों को सेवा निवृत्त किया गया ?

(4) पुनः बहाल किये अधिशासी अभियन्ताओं में किन-किन को कब-कब बहाल किया गया ?

(5) पुनः सेवा में लिए गये अधिशासी अभियन्ताओं में से कितनों को निलम्बन काल का वेतन दे दिया गया और कितनों को अभी तक नहीं दिया गया है ?

(6) पुनः सेवा में लिए गये अधिशासी अभियन्ताओं को अब तक वेतन नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन कर्मचारी/अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार इन्हें निलम्बन काल का वेतन देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1977 में विद्युत मण्डल के आदेशों से निलम्बित किये गये दो अधिशासी अभियन्ताओं की सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) इन अधिशासी अभियन्ताओं को निलम्बित किये जाने के कारण उक्त सूची में प्रत्येक के सम्मुख दर्शा दिये गये हैं।

(3) उपरोक्त दोनों अधिशासी अभियन्ताओं को बहाल कर दिया गया है तथा अभी तक किसी को भी सेवा निवृत्त नहीं किया गया है।

(4) श्री टी. आर. गुप्ता व श्री एम. एल. गर्ग दोनों को ही दिनांक 15-5-1980 को बहाल कर दिया गया था।

(5) पुनः सेवा में लिये दोनों अधिशासी अभियन्ताओं में से श्री टी. आर. गुप्ता को निलम्बन काल का वेतन दे दिया गया

(ऊर्जा मंत्री)

है। श्री एम. एल. गर्ग को निर्वाह भत्ते के अलावा अभी निलम्बन काल का वेतन नहीं दिया गया है।

(6) निलम्बित अवधि का वेतन अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण होने पर सक्षम अधिकारी के निर्णयानुसार दिया जाता है। श्री टी. आर. गुप्ता की जांच पूर्ण होने पर उनके मामले पर विद्युत मण्डल ने दिनांक 8-3-1982 को हुई अपनी बैठक में, उन्हें दोषमुक्त करते हुए निलम्बन काल का वेतन देने का निर्णय लिया। तदनुसार उनको निलम्बन काल का वेतन दिया जा चुका है। श्री एम. एल. गर्ग के मामले में जांच अधिकारी द्वारा जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है। अतः निलम्बित काल का वेतन देने या न देने का निर्णय तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं ले लिया जाता।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

जालौर जिले में ग्रामीण विद्युतन योजना

315. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(3) जालौर जिले में कुल कितनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं स्वीकृत हैं? स्वीकृत योजनाओं में कौन कौन से गांव शामिल हैं? कृपया गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिले की उपरोक्त कौन-कौनसी योजना किस-किस वर्ष में स्वीकृत हुई एवं प्रत्येक योजना को कार्यान्वित किये जाने का निर्धारित कार्यक्रम का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जालौर जिले में विभिन्न श्रेणी की कुल 16 ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं स्वीकृत हैं। उक्त योजनाओं में सम्मिलित ग्रामों की योजनानुसार सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त योजनाओं के स्वीकृति वर्ष तथा योजना कार्यकाल का विवरण दर्शाते हुए तालिका "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची एवं तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

घोसुन्डा सिंचाई परियोजना

316. श्री घनश्याम जैन (बेगूं) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले की घोसुण्डी सिंचाई परियोजना की स्वीकृति कब हुई?

(2) इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है?

Page No 34

(श्री घनश्याम जैन)

(3) इस वर्ष इस परियोजना पर कितनी धन राशि आवंटित हुई है ?

(4) इस सिंचाई परियोजना पर धनराशि कम देने एवं मंद गति से कार्य चलाने के क्या अभिप्राय है ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले की घोसुण्डा सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दिनांक 23-1 80 को दी गई थी।

(2) इस परियोजना पर अगस्त, 1982 तक 56.84 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं ?

(3) वर्ष 1982-83 के बजट में इस योजना के लिए 50.00 लाख रुपये का प्रावधान है।

(4) योजना आयोग ने परियोजना की स्वीकृति देते समय कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कुछ बिन्दुओं पर केन्द्रीय सरकार की सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा पुनः विचार के आदेश दिए थे। इन बिन्दुओं पर अन्तिम निर्णय लिया जा चुका है तथा योजना के फाइनल डिजाइन तैयार किये जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में योजना का कार्य पूर्ण गति से चलाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

पांचना प्रोजेक्ट, सवाई माधोपुर

317. श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर में पांचना प्रोजेक्ट बनाया गया था ? क्या उसमें कर्मचारियों तथा अधिकारियों के ठहरने हेतु मकान तथा डाक बंगले भी बनाये गये हैं ? यदि हां, तो किस स्थान पर तथा कितने ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रोजेक्ट के लिये राज्य सरकार द्वारा जो राशि स्वीकृत की गई उसमें आवासीय मकान तथा डाक बंगले बनाने का पृथक से प्रावधान किया गया था ? यदि हां, तो मार्च, 1981 तक मकान, डाक बंगले तथा प्रोजेक्ट में अलग-अलग कितनी-कितनी राशि खर्च हुई ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में पांचना सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है। इस परियोजना के अन्तर्गत सवाई माधोपुर में 9, करौली में 24, पांचना बांध स्थल पर 14, महावीर जी में 19, अन्य स्थानों पर 14 इस प्रकार कुल 80 भवन बनाये गये हैं अथवा निर्माणाधीन हैं, इनमें केवल एक डाक बंगला बनाया गया है।

(2) जी हां।

मार्च, 1981 तक मकानों, निरीक्षण गृह एवं परियोजना पर क्रमशः 13.77, 1.33 एवं 457.86 लाख रुपये व्यय किये गये।

Page No 35

अन्ता (कोटा) सब डिवीजन के अन्तर्गत लदवाड़ा माइनर का निर्माण

318. **श्री रघुवीरसिंह कौशल** (बारां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) कोटा जिले के सिंचाई विभाग के अन्ता सब-डिवीजन के अन्तर्गत लदवाड़ा माइनर का निर्माण कब हुआ ?

(2) इस लदवाड़ा माइनर के निर्माण कार्य के लिये किसानों की कितनी एकड़ भूमि काम में ली गई ?

(3) क्या यह भूमि अवाप्त करली गई है ? यदि हां, तो क्या मुआवजा दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों और इस विलम्ब के लिए कौन अधिकारी दोषी है ?

(4) क्या यह सच है कि इन भूमियों का किसानों को लगान भी देना पड़ रहा है ?

उत्तर

(1) लदवाड़ा माइनर का निर्माण वर्ष 1965-66 में हुआ।

(2) लदवाड़ा माइनर के निर्माण में किसानों की 10.3 एकड़ भूमि आई।

(3) जी नहीं। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही है। भूमि अवाप्ति की औपचारिकताएँ पूर्ण न होने के कारण मुआवजा नहीं दिया जा सका है। अवाप्ति की कार्यवाही में विलम्ब के लिए जांच की जा रही है तथा दोषी अधिकारी का नाम जांच पूर्ण होने पर ही बताया जाना संभव होगा।

(4) जी हां।

मांगरोल नगर में ड्रेनेज का निर्माण

319. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा), **श्री बालचन्द्र आर्य वीर** (डग), व **श्री मालाराम** (खेतड़ी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के मांगरोल नगर में रामगढ़ रोड से दो ड्रेनेज निकल रही हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों ड्रेनेज के अधूरे होने से नगर में पानी भरा रहता है, गंदगी फैली रहती है तथा रास्ते अवरुद्ध हो रहे हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त दोनों ड्रेनेज को शीघ्र पूरा कराने का आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। लेकिन यह स्थिति सिंचाई विभाग द्वारा खोदी गई ड्रेनों के आगे नगरपालिका तथा मांगरोल नगर-

(सिचाई मंत्री)

वासियों द्वारा कचरा एवं गंदगी डलवाने के कारण उत्पन्न हुई है।

(3) जी हां।

लूणकरणसर क्षेत्र में राहत कार्य खोलना

321. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या लूणकरणसर क्षेत्र के सैनिक तोपाभ्यास क्षेत्र में खाली करवाए जाने वाले प्रस्तावित 34 गांवों में अकाल की स्थिति होने के बावजूद वर्ष 1980-81 में अकाल राहत कार्य नहीं खोले गए? यदि हां, तो किस कारण? यदि नहीं, तो किन-किन गांवों में राहत कार्य खोले गए? कृपया पूर्ण विवरण दें।

(3) क्या उक्त क्षेत्र में वर्ष 1981-82 में अकाल राहत कार्य प्रारम्भ किए गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो किन किन गांवों में कितने मजदूरों को रोजगार दिया गया? कृपया प्रत्येक गांव से राहत कार्यवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) लूणकरणसर क्षेत्र के सैनिक तोपाभ्यास हेतु शीघ्र ही खाली करवाये जाने वाले क्षेत्र में वर्ष 1980-81 में 5 कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत करवाये गये थे। अतः इस क्षेत्र में और राहत कार्य नहीं खोले गये। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत खोले गये कार्यों की सूची संलग्न है।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्ष 1981-82 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कोई राहत कार्य नहीं कराया गया क्योंकि यह क्षेत्र सेना को सौंपा जाना है। वर्ष 1981-82 में इस क्षेत्र के 16 ग्रामों में तालाब खुदाई का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत किया गया एवं 5583 श्रमिकों को रोजगार दिलाया गया। जिन ग्रामों में ये कार्य कराये गये उनकी सूची सलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

जिला बाड़मेर में अकाल राहत कार्यों हेतु टेन्डर आमन्त्रित करने सम्बन्धी शिकायतें

322. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1982-83 में बाड़मेर जिले में अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में अधीक्षण अभियन्ता वृत्त (दो) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर द्वारा दिनांक 30-4-82 से 21-6-82 तक टेण्डर आमन्त्रित किये गये?

(2) क्या यह सही है कि उक्त निर्माण कार्यों में भयंकर अनियमितता

(सुश्री पुष्पा जैन)

एवं भ्रष्टाचार होने का एक आरोप-पत्र श्री पूनमचन्द चौधरी, मंत्री जिला लोकदल, बाड़मेर द्वारा माननीय मुख्य-मन्त्री, अकाल राहत मंत्री एवं सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) शिकायत प्राप्त होने पर जांच कराई जा रही है।

तहसील सोजत में आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना

323. श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

तहसील सोजत में 1-1-81 से 31-7-82 तक किस-किस ने किस-किस तारीख को हस्ब धारा 48 आर. टी. एक्ट के प्रावधानान्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये व तहसीलदार ने उन पर कब-कब व क्या आदेश दिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

तहसील सोजत में दिनांक 1-1-81 से 31-7-82 तक किसी भी व्यक्ति ने हस्ब धारा 48 आर. टी. एक्ट के प्रावधानान्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं, अतः किसी प्रकार का आदेश नहीं दिया गया।

राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा पशु गणना प्रतिवेदन का मुद्रण

325. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 1980-81 में राजस्थान राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पशुगणना प्रतिवेदन, ग्रामवार का मुद्रण कराया गया था ?

(2) यदि हां, तो इस मुद्रण कार्य हेतु निविदा सूचना प्रसारित कराई गई थी ? किस-किस माध्यम एवं किस-किस समाचार पत्र में छपवा कर प्रकाशित व प्रसारित की गई ? कृपया विवरण निविदा सूचना की प्रति सहित सदन के पटल पर रखें।

(3) इस निविदा सूचना के उत्तर में किस-किस मुद्रक ने कब-कब किस-किस रेट से किन-किन शर्तों के आधार पर टेण्डर प्रस्तुत किये ? इनमें से किसका स्वीकृत किया जाकर कार्यादेश कब दिया गया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(4) मुद्रित प्रतिवेदन कब-कब कितने कितने मण्डल द्वारा प्राप्त किये गये और उनका कितना-कितना चुकारा कब-कब किया गया ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(5) क्या इस सम्बन्ध में यह शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं कि मण्डल के संबंधित कर्मचारी एवं मुद्रक ने मिलजुल कर सारी प्रक्रिया चुपचाप पूरी कर मुद्रण का कार्य बाजार भाव से दो–ढाई गुनी रेटों पर स्वीकृत करा राजकोष को घाटा पहुंचाया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मुद्रण कार्य वर्ष 1981-82 में कराया गया था।

(2) निविदा सूचना जनसंपर्क विभाग के माध्यम से प्रसारित कराई गई थी जो दैनिक नवज्योति, अजमेर व जयपुर, कोटा आधुनिक राजस्थान तथा भारत भूमि दैनिक में प्रकाशित हुई थी। निविदा सूचना की प्रति संलग्न है।

(3) इस निविदा सूचना के उत्तर में निम्नलिखित ने उनके सामने अंकित दिनांक को टेण्डर प्रस्तुत किये :–

1) चावला प्रिंटर्स, खाईलेंड, अजमेर 25-11-81

2) केशव आर्ट प्रिंटर्स, अजमेर, दि. 25-11-81

3) प्रिंट हाउस, बाबू मोहल्ला, अजमेर, 25-11-81

4) फाइन आर्ट प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर 25-11-81

5) माडर्न प्रिंटिंग प्रेस अजमेर दि. 25-11-81

6) टाइम्स प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर दि. 25-11-81

7) जाब प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर दि. 25-11-81

टेण्डर की शर्तें संलग्न है। मुद्रकों द्वारा दी गई रेट्स संलग्न तालिका में अंकित है। क्र. सं. 1,2,6 व 7 मुद्रकों ने पूरा कार्य स्वयं अकेले पूरा करने में असमर्थता प्रकट करते हुये इस शर्त पर टेण्डर दिया था कि यह कार्य बांट दिया जाय। टेण्डर क्रम सं. 4 के मुद्रक का स्वीकृत किया गया तथा उसको निविदा स्वीकृति की सूचना दिनांक 3-12-81 को दी गई तथा एग्रीमेण्ट 8-12-81 को किया गया।

(4) मुद्रित प्रतिवेदन निम्न क्रम से प्राप्त हो चुके हैं :– 1-3-81 अजमेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, सीकर, सिरोही, बीकानेर, टोंक, बून्दी व झुन्झुनू जिले की 100-100 प्रतियां, 2-3-82 पाली, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू व अलवर जिले की 100-100 प्रतियां, 5-3-82 चित्तौड़गढ़, स. माधोपुर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, जयपुर, नागौर, झालावाड़, गंगानगर व भरतपुर जिले की 100–100 प्रतियां। इनको रुपये 256840–81 का चुकारा दिनांक 27-3-82 को किया गया।

(5) यह सही नहीं है कि मुद्रण कार्य बाजार भाव से दो-ढाई गुनी रेटों पर स्वीकृत

(राजस्व मन्त्री)

करा कर राजकोष को घाटा पहुंचाया है।

राजस्व मण्डल को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिन्हें अध्यक्ष राजस्व मण्डल ने भी देखा है। राजस्व मण्डल ने इन्हें सही नहीं माना।

(प्रति एवं टेण्डर की शर्तों के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

प्रतापगढ़ में पेयजल सुलभ करवाना

326. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 1980-81 में तहसील प्रतापगढ़ में हैण्ड पम्प व परम्परागत जल स्रोत से कितने गांवों में पेयजल सुलभ करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई और किस किस गांव में कार्य पूर्ण हो गया है ?

(2) वर्ष 1981-82 में कितने गांवों में पेयजल सुलभ करवा दिया गया है ? कृपया ग्रामों की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील प्रतापगढ़ में हैण्ड पम्प योजना द्वारा पेयजल सुलभ कराने हेतु वर्ष 1980–81 में 34 ग्रामों एवं वर्ष 1981-82 में 37 ग्रामों हेतु स्वीकृति दी गयी। परम्परागत जल स्रोत योजना के अन्तर्गत कोई ग्राम स्वीकृत नहीं हुआ। 15 ग्रामों में 35 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(2) वर्ष 1981–82 में हैण्ड पम्प योजना के अन्तर्गत तहसील प्रतापगढ़ के 15 ग्रामों में 35 हैण्ड पम्प लगाये गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

तहसील जैतारण (पाली) में पेयजल योजना

327. **श्री शिवदानसिंह राठौड़** (जैतारण): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील जैतारण जिला पाली के कौन कौन से गांवों की जलदाय विभाग द्वारा पेयजल योजनायें बनाई जा चुकी हैं ? इनमें से इस वर्ष कौन कौन सी योजनायें सरकार द्वारा स्वीकृत की जाने वाली हैं ? सूचना सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला पाली की तहसील जैतारण के कौन-कौनसे ऐसे ग्राम हैं, जहां जलदाय विभाग की अभी कोई भी योजना न तो चालू हुई है तथा न उन गांवों की कोई योजना ही बनाई गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन गांवों की योजना कब तक बना दी जायेगी ?

उत्तर

(1) तहसील जैतारण जिला पाली के 44 गांवों में अगस्त, 1982 तक पेयजल

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री)

योजनाओं पर निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं 16 गांवों के लिये योजनायें स्वीकृत हैं तथा धन उपलब्धि के अनुसार उन पर कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1982–83 में 21 अतिरिक्त गांवों के लिये स्वीकृति प्रदान होने की सम्भावना है। गांवों के नामों की सूचियां संलग्न है।

(2) तहसील जैतारण में 13 ग्राम ऐसे हैं जिनके लिये अभी तक कोई पेयजल योजना नहीं बनायी गयी है। सूची संलग्न है।

(3) प्रश्न 2 के उत्तर में वर्णित 13 ग्राम में से 9 ग्राम 1971 की जनगणना के अनुसार गैर आबाद हैं। 3 गांव समस्याग्रस्त गांव हैं। उक्त चारों गांवों में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पेयजल योजनाएं स्वीकृत होने की सम्भावना है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

उदयपुर शहर में जलदाय विभाग में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारी

328. **श्री कमलेन्द्रसिंह** (वल्लभनगर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) शहर उदयपुर में जलदाय विभाग के कार्यालयों में वर्कचार्ज पर कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(2) इनमें से कितने कर्मचारियों को ता. 27-4-1982 के बाद रखा गया है ?

(3) क्या वर्कचार्ज पर रखे गये कर्मचारियों के नाम विधिवत् नियोजन कार्यालय से मंगाये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पी. एच. ई. डी. नगर खण्ड उदयपुर में वर्तमान में 107 कर्मचारी वर्कचार्ज पर एवं 36 कर्मचारी मस्टर रोल पर कार्यरत है।

(2) पी. एच. ई.डी. नगर खण्ड उदयपुर में दिनांक 27-4-82 के पश्चात् कोई भी नयी नियुक्ति वर्कचार्ज/मस्टर रोल पर नहीं की गयी है।

(3) पी. एच. ई. डी. नगर खण्ड उदयपुर में दिनांक 27-4-82 के पश्चात् कोई भी नयी नियुक्ति वर्कचार्ज/मस्टर रोल पर नहीं की गयी हैं।

जिला जैसलमेर में पाक सीमा पर स्थित ग्रामों में यातायात व्यवस्था

329. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में भारत-पाक सीमा पर स्थित ग्राम पोंछीणा, करडा, लूणार, गुजनगढ़, बीजराज तला में यातायात की कोई व्यवस्था है.? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उपरोक्त ग्रामों में यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु

(श्री देवीसिंह भाटी)

प्राइवेट बसों की व्यवस्था के लिये परमिट देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यातायात की सुचारू व्यवस्था करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। अभी इन गांवों को थल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मार्गों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है क्योंकि इस हेतु कोई प्रस्ताव अथवा मांग प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार को प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) सर्वेक्षण कराने पर ही यह ज्ञात हो सकेगा कि ये गांव व इनके मार्ग वाहन चलाने योग्य हैं अथवा नहीं।

राज्य में पथ परिवहन निगम की बसेज

330. **श्री चन्द्रवीर सिंह** (जैसलमेर): क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के पास कितनी बसें उपलब्ध हैं ? इनमें से कितनी बसें चालू हालत में हैं तथा कितनी बसें मरम्मत की जानी हैं ?

(2) निगम को वर्ष 1981-82 में कितना शुद्ध लाभ या हानि हुई ?

उत्तर

(1) परिवहन निगम के पास कुल 2562 वाहनें हैं। (निगम की 2354 तथा निजी वाहन एजेंसियों से किराये पर ली हुई 208) उक्त वाहनों में से 2133 वाहनें चालू हालत में हैं तथा 429 वाहनें निगम की विभिन्न कार्य-कलाओं में मरम्मत तलब हैं।

(2) निगम को वर्ष 1981-82 में 1103.89 लाख (प्रोविजनल) की हानि हुई है।

परिवहन निगम को भीलवाड़ा आगार से आय

331. **श्री बंशीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को भीलवाड़ा नगर डिपो से सन् 80-81 व 81-82 में व वर्ष 82-83 में अब तक कितनी कितनी आय हुई ? विस्तृत सूचना अपेक्षित है।

उत्तर

परिवहन निगम के भीलवाड़ा आगार से वर्ष 1980–81 से वर्ष 1982-83 (अगस्त, 82 तक) तक निम्न प्रकार आय हुई :—

वर्ष	आय (लाख रुपयों में)
1980-81	136.69
1981-82	178.81
1982-83 (अगस्त, 82 तक)	80.76

विधायकों को राज्य के विभिन्न नगरों में आवासीय मकानों का आवंटन

332. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री हरिसिंह)

(1) क्या वर्ष 1980-81 में विधायकों को जयपुर तथा राजस्थान के अन्य नगरों में मकान आवंटन किये जाने हेतु उनसे प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये थे ? यदि हां, तो कितने विधायकों के प्रार्थना-पत्र पंजीयन हुये हैं ? कृपया सूची मय नाम पते तथा मकान की श्रेणी सहित सदन की मेज पर रखें ।

(2) उपरोक्त रूप में पंजीकृत लोगों को मकान कब तक आवंटित हो जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, जयपुर तथा कोटा शहर में मकान आवंटन के लिए विशिष्ठ पंजीकरण योजना 1980 के अन्तर्गत विधायकों का पंजीकरण किया गया। इसके अन्तर्गत जयपुर शहर के लिए उच्च आय वर्ग के 72 तथा मध्यम आय वर्ग के 39, कोटा के लिए उच्च आय वर्ग के 2 तथा मध्यम आय वर्ग के 2 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। सूची "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जमीन उपलब्ध होने पर उनका निर्माण होने के पश्चात् आवंटन किया जा सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

कांकरोली (उदयपुर) के खनिज अभियन्ता का निलम्बन

333. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि पिछले विधान सभा सत्र के दौरान कांकरोली के खनिज अभियन्ता को अवैध रूप से मारबल प्लॉट्स देने के आरोप में निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो उपरोक्त अवैध खनिज पट्टों के मालिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गईट ? कृपया विस्तृत जानकारी सदन के पल पर रखे।

उत्तर

जी हां। मारबल प्लॉट्स अवैध रूप से देने के आरोपों की जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है। जांच पूर्ण होने के पश्चात् ही सरकार ऐसे खनन पट्टों के मामलों पर विचार कर सकती है ।

चित्तौड़गढ़-कोटा रेलवे मार्ग क्षेत्र में खनिज पदार्थों का सर्वे

334. **श्री घनश्याम जैन** (बेगूं) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या खनिज विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़–कोटा प्रस्तावित रेलवे मार्ग क्षेत्र में खनिज पदार्थों का सर्वे करवाया गया है ?

(2) तहसील बेगूं में उक्त मार्ग पर कौन-कौनसे खनिज पदार्थ कितने कितने क्षेत्रफल में व कितनी कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं ?

(श्री घनश्याम जैन)

(3) क्या ऐसा कोई क्षेत्र पं. स. बेगूं में बचा है जहां रेलवे लाइन होकर निकलने की संभावना है व खनिज भण्डार का सर्वे नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो कौन सा एवं सर्वे कब तक कराने की संभावना है ?

उत्तर,

(1) जी हां।

(2) बेगूं तहसील में प्रारम्भिक सर्वेक्षण के अनुसार 20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मुख्यत: खनिज चूना पत्थर (सीमेन्ट ग्रेड) निकट ग्राम पारसोली, बिचौर, रामनगर काटुण्डा, माडना, मगनियावास, थेला, सामरिया क्षेत्रों में उपलब्ध होना पाया गया है। इन क्षेत्रों में 150 मिलियन टन सीमेन्ट ग्रेड चूना पत्थर के भण्डार प्रारम्भिक सर्वेक्षण द्वारा अनुमानित किये गये हैं। डोलोमाइट खनिज के संकेत निकट ग्राम खाण्डा, साभरखेड़ा क्षेत्रों में पाये गये हैं।

(3) पंचायत समिति बेगूं क्षेत्र में जहां से प्रस्तावित रेलवे लाइन निकलने की सम्भावना है, का प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया है तथा इस वित्तीय वर्ष में भी बेगूं तहसील में एक परियोजना चूने के पत्थर बेराईटीज, डोलोमाइट के पूर्वेक्षण हेतु निकट ग्राम काटुण्डा, पारसोली बिचौर रामनगर, मगनियावास क्षेत्रों में रखी गई है।

खनिज अभियंता अजमेर के क्षेत्राधिकार में विचाराधीन खनिज पट्टे/परमिट्स

335. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) खनिज अभियन्ता, अजमेर के क्षेत्राधिकार में दिनांक 15-8-82 तक प्रधान एवं अप्रधान खनिज के पट्टे अथवा परमिट प्राप्त करने के कितने प्रार्थना-पत्र कितने कितने क्षेत्रफल के लिये कब कब से विचाराधीन हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 एवं चालू वित्तीय वर्ष में दिनांक 15-8-82 तक पट्टे अथवा परमिट प्राप्त करने के कितने प्रार्थना-पत्र किस किसके कब कब किस किस कारण से खारिज किये गये ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 15-8-82 को खनि अभियन्ता के अजमेर क्षेत्राधिकार में प्रधान खनिज के कुल 46 आवेदन पत्र विचाराधीन थे। जिसका क्षेत्रफल एवं आवेदन पत्र की तिथि संलग्न सूची के अनुसार हैं। (परिशिष्ट-अ)। अप्रधान खनिज के कुल 55 विचाराधीन थे। जिसके क्षेत्रफल एवं आवेदन पत्र की तिथि संलग्न सूची के अनुसार हैं। (परि-

Page No 44

(खनिज मन्त्री)

शिष्ट-ब) । दिनांक 15-8-82 को कुल 15 प्रार्थना पत्र वास्ते परमिट विचाराधीन थे । (परिशिष्ट–स)।

(2) वित्तीय वर्ष 80-81, 81-82 एवं चालू वित्तीय वर्ष में 15-8-82 तक प्रधान खनिज के कुल 15 आवेदन पत्र खारिज किये गये हैं ।

भाग–1 (80-81) :–9

भाग–2 (81-82) :–1

भाग–3 (1-4-82 से 15-8-82) :–5

भाग 1, 2, 3, के कारण संलग्न सूची (परिशिष्ट - द) में दर्शाये हैं ।

अप्रधान खनिज के कुल 108 आवेदन पत्र खारिज किये गये हैं ।

भाग–1 (80–81) :–64

भाग–2 (81–82) :–40

भाग–3 (1-4-82 से 15-8-82) :– 4

जिसके कारण संलग्न सूची के भाग 1, 2, 3, (परिशिष्ट - ध) में दर्शाये हैं ।

वित्तीय वर्ष 80-81, 81-82, एवं चालू वित्तीय वर्ष में 15-8-82 तक कोई भी प्राप्त परमिटों के आवेदन पत्र खारिज नहीं किये गये हैं ।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

ग्राम चौमेला (झालावाड़) के सरपंच द्वारा वृक्षों की अवैध कटाई

336. श्री **बालचन्द्र आर्यवीर** (डग): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चौमेला जिला झालावाड़ के सरपंच द्वारा एक मन्दिर की जमीन पंचायत की बता कर पंचायत के कब्जे में लेकर बड़े बड़े हरे वृक्ष कटवाये ? यदि हां, तो कितने पेड़ किस किस जाति के थे ?

(2) क्या सरकार उक्त सरपंच के खिलाफ कोई कड़ी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां तो, क्या और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि तहसीलदार व कन्हैयालाल नाम का एक कर्मचारी दिनांक 7-8-1982 को प्रातः सरपंच के निवास पर आये थे और वे इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) मन्दिर की जमीन के पेड़ नहीं काटे गये । अतः सरपंच के खिलाफ कार्य-

Page No 45

(वन मन्त्री)

वाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(3) जी नहीं। तहसीलदार गंधार व श्री कन्हैयालाल रीडर दिनांक 7-8-82 को जिलाधीश कार्यालय झालावाड़ मीटिंग में उपस्थित थे।

रामगंज मण्डी के ग्रामों के समीपस्थ जंगल में पशुओं की चराई

337. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंजमंडी): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की रामगंजमंडी तहसील में ग्राम खेडारूद्धा से अमझार तक के सभी गांव जंगल के किनारे हैं ? क्या समीपस्थ जंगल में किसानों के पशुओं को चरने दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या इन ग्रामवासियों तथा वन विभाग के कर्मचारियों में आये दिन पशुओं के जंगल में चरने के कारण विवाद होता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन गांवों के आस-पास कोई चरागाह भी नहीं है ?

(4) क्या सरकार पशुओं के लिये जंगल में चारा चरने की स्वीकृति देगी या अन्य कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) कोटा जिले की तहसील रामगंजमण्डी में ग्राम खेडारूद्धा से अमझार तक निम्न गांव जंगल के किनारे स्थित हैं :-

मनोहरपुरा, नयागांव, भटवाड़ा, अमझार, घाटोली, बक्सपुरा, रामपुरिया, झामरा।

(2) इन गांवों के पशुओं को वन बन्दोबस्त के अनुसार स्वीकृत अधिकारों/ अनुदानों के अनुरूप चरने दिया जाता है।

(3) वन बन्दोबस्त द्वारा दिये गये अधिकारों/अनुदानों के विपरीत स्थिति उत्पन्न होने पर हो राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाती है।

यह सही नहीं है कि इन गांवों के आस-पास कोई चरागाह नहीं है।

(4) वनों में नियमानुसार चराई की स्वीकृति दी जाती है।

पंचायत समिति बस्सी (जयपुर) के विभिन्न ग्रामों की गोचर भूमि में मिक्स प्लांटेशन लगाना

338. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की बस्सी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

भूड़ला के ग्राम रोजवाड़ी व भूड़ला की गोचर भूमि में मिक्स प्लांटेशन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था ? यदि हां, तो विभाग ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह भी सही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा इसी वर्ष प्लांटेशन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी ? यदि हां, तो अब तक कार्य आरम्भ नहीं करने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रस्ताव विलम्ब से प्राप्त होने के कारण अभी विचाराधीन है।

(2) प्रस्ताव पर प्रशासनिक स्वीकृति नहीं दी गई है।

आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर

339. **श्री नन्द लाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) आदिम जाति सेवक संघ जयपुर द्वारा चलाये जा रहे आदिवासी छात्रावास अरनोद जिला चित्तौड़ के भवन क्रय अथवा निर्माण में राज्य सरकार ने अब तक कितनी राशि संस्था को दी है ?

(2) क्या यह सही है कि अरनोद छात्रावास के लिये क्रय किये गये भवन में से संस्था ने कुछ हिस्सा विक्रय कर दिया है ? यदि हां, तो किसे, कब और कितनी राशि में ?

(3) क्या इस विक्रय के लिये राज्य सरकार की अनुमति ली गई थी ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) आदिम जाति सेवक संघ जयपुर द्वारा आदिवासी छात्रावास अरनोद के भवन क्रय/निर्माण हेतु 25,000 रु. की राशि संस्था को दी गई।

(2) जी नहीं। संस्था से प्राप्त जानकारी के अनुसार भवन में से कोई हिस्सा विक्रय नहीं किया गया है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंचायत समिति खमनोर के आदिवासियों को लाभान्वित करना

340. **श्री सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा): क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सच है कि पंचायत समिति खमनोर की पंचायत सालोदा, अनवास, खमनोर बड़ामाजुला, मचीन्द्र, फतहपुर, टांटोल एवं ओडन में भी कुल जनसंख्या में आधे से अधिक जनसंख्या आदिवासियों की है ?

(2) क्या इन आदिवासियों को जन-जाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम की योजना से लाभान्वित किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार माडा योजना आरम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मन्त्री)

(2) जी, नहीं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूरा नहीं करने के कारण वर्तमान में इस क्षेत्र में माडा योजना प्रारम्भ करना सम्भव नहीं है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास उदयपुर द्वारा पिछड़े वर्गोत्थान कार्य

341. **श्री भैरूलाल मीणा** (उदयपुर-ग्रामणी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के विकास के लिये कार्य कर रहा है ? यदि हां, तो वर्ष 1980-81 में व 1981-82 के जून तक कौनसे पिछड़े क्षेत्र में कौनसा ऐसा कार्य किया गया है या किया जा रहा है जिससे इस पिछड़े वर्ग के लोगों को सामूहिक लाभ मिला हो या मिलने वाला है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस विभाग द्वारा छोटे मोटे बांध एवं एनीकट बनाये जा रहे हैं, जिनसे ट्राइब के लोगों को सीधा लाभ मिला है ?

(3) क्या यह सही है कि माहीडैम के निर्माण पर व्यय इस विभाग द्वारा किया गया है और इस बांध से केवल आदिवासियों को ही बेघर होना पड़ा है ? क्या यह भी सही है कि उदयपुर की पीछोला फीडर (नादेश्वर तालाब) को बांधने से भी 50-60 आदिवासियों की जमीन गई और उनको बेघर होना पड़ा है ?

(4) क्या सरकार ऐसे बेघर लोगों के जीवन निर्वाह के लिये प्राथमिकता के आधार पर उन्हें कोई सुविधा देगी ? यदि हां तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास सिर्फ अनुसूचित जन जातियों के विकास के लिए ही कार्य कर रहा है। अन्य किसी वर्ग या पिछड़ा वर्ग के लिये नहीं। इसलिए 1980-81 व 1981-82 के जून तक पिछड़े वर्ग के लोगों को कोई लाभ के लिये कार्य करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) जी, हां।

(3 एवं 4) जी, नहीं। माही डैम पर व्यय सिचाई विभाग द्वारा किया जा रहा है। पिछोला फीडर (नादेश्वर तालाब) को बांधने से कुल 72 व्यक्तियों की जमीन अवाप्त हुई है, जिसमें अनुसूचित जाति के 4 व्यक्तियों की 12 बीघा 15 बिस्वा अनुसूचित जन जाति के 42 व्यक्तियों की 86 बीघा 5 बिस्वा तथा अन्य 26 व्यक्तियों की 30 बीघा 10 बिस्वा भूमि अवाप्त हुई है। उपरोक्त भूमि का बाजार दर पर मुआवजा चुकाया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त 15 अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के मकान भी अवाप्त हुए जिन्हें मुआवजा दिया जा चुका है। माही बजाज सागर बांध से जिला बांसवाडा के प्रभावित आदिवासी कृषक एवं अन्य कृष

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

विस्थापितों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पुनर्वास मापदण्डों के आधार पर उनके जीवन निर्वाह हेतु कृषि भूमि आवंटित की गई है। कुल 4214 कृषक विस्थापितों में से अब तक 4108 कृषक विस्थापितों को कृषि भूमि आवंटित की जा चुकी है शेष 106 कृषक विस्थापितों को कृषि भूमि आवंटन का कार्य प्रगति पर है।

ग्राम रवां से टी. डी. (उदयपुर) मुख्य सड़क का निर्माण

342. **श्री भैरूलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गांव रवां, पंचायत जावर से टी. डी. मुख्य सड़क तक का निर्माण कार्य शुरू कराया गया था? परन्तु निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ?

(2) क्या उस अधूरी सड़क को पूरा करने की सरकार मंशा रखती है, यदि हां, तो इसे कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) रवां से टी.डी. सड़क का कार्य इस विभाग द्वारा नहीं करवाया गया। इस विभाग के रिकार्ड में ऐसी कोई सड़क नहीं है। अतः पूर्ण करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अजमेर व जोधपुर के मुख्य मार्गों का अधिकार क्षेत्र परिवर्तन

343. **श्री भगवानदास शास्त्री** (अजमेर (पश्चिम): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर व जोधपुर के मुख्य मार्गों को नगर परिषदों के नियन्त्रण से हटा कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन किया गया है? यदि हां, तो उक्त दोनों जिलों मे सड़कों की मरम्मत पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने वर्ष 1981-82 में कितनी धनराशि खर्च की है?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त नगरों की सड़कों की बुरी हालत होने के कारण दुर्घटनाएं अधिक होने लगी हैं? यदि हां, तो अब कब तक इन सड़कों की मरम्मत करवाने का सरकार का क्या विचार है?

उत्तर

(1) अजमेर के कुछ मार्गों को नगरपरिषद के नियन्त्रण से हटाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन किया गया था परन्तु जोधपुर में नगर के मुख्य मार्ग पहले से ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन थे तथा जोधपुर में किसी भी सड़क का नियन्त्रण नगर परिषद् से हटकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन नहीं किया गया है। अजमेर तथा जोधपुर में विभाग ने वर्ष 1981-82 में सड़कों की मरम्मत पर रु. 58.89 लाख व्यय किये हैं।

(2) जी नहीं। विभाग द्वारा आवश्यक मरम्मत समय पर कराई जाती है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी

345. श्री शिवदान सिंह राठौड़ (जैतारण)

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राज्य के विभिन्न डाक बंगलों में ठहरते हैं ? यदि हां, तो गत एक वर्ष में कौन-कौन से आई. ए. एस. अधिकारी किस-किस डाक बंगले में कितने दिन ठहरे तथा उनके खाने-पीने पर कितना व्यय हुआ तथा व्यय का वहन किस के द्वारा किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां।

गत वर्ष में डाक बंगलों में ठहरने वाले आई. ए. एस. अधिकारियों के बारे में उपलब्ध विस्तृत सूचना (प्रपत्र-क) सदन के पटल पर रख दी गई है। खाने-पीने के व्यय का इस विभाग से कोई संबंध नहीं है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

टोंक शहर को बाढ़ से बचाने हेतु योजना

346. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग टोंक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो यह योजना कितनी राशि की है ? कृपया योजना का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त योजना के लिए राशि की स्वीकृति आज तक नहीं होने के कारण योजना का किसी प्रकार का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने जिलाधीश टोंक के निर्देशानुसार बाढ़ नियन्त्रण के लिये मोती बाग से रेढी-वास तक ड्रेन की स्कीम 20.00 लाख रुपये अनुमानित लागत की बनायी थी।

(2) इस विभाग की योजनान्तर्गत न होने के कारण इस विभाग द्वारा इसकी क्रियान्वति संभव नहीं है।

नगर परिषद, अलवर के राजस्व अधिकारी एवं आयुक्त के विरुद्ध मामला

347. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (अजमेर पूर्व):- क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद, अलवर के भूतपूर्व राजस्व अधिकारी एवं

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

आयुक्त, श्री रामशरण शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध भिन्न भिन्न समय पर नगर परिषद् अलवर में रुपये 80,000/- का गबन करने का मामला अनुसंधान हेतु भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को सौंपा गया था ?

(2) यदि हां, तो यह मामला भ्रष्टाचार विभाग को कब सुपुर्द किया गया ? कृपया प्रथम सूचना की प्रति मय उस पर अभी तक की गई कार्यवाही के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि श्री रामशरण शर्मा ने गत माह सितम्बर, 1981 में राजस्थान उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत के आदेश प्राप्त कर लिये हैं और अग्रिम जमानत के इस प्रार्थना पत्र का विभाग की ओर से विरोध नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत रातकोट (अजमेर) द्वारा राशन की शक्कर के वितरण में अनियमितता

348. श्री मालाराम (खेतड़ी)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि गत दिनांक 15-7-82 को श्री किशनलाल मीणा, प्रवर्तन अधिकारी, उप-खण्ड कार्यालय केकड़ी (अजमेर) द्वारा ग्राम पचायत, रातकोट की माह फरवरी एवं मार्च, 1982 की राशन की शक्कर दिनांक 10-5-82 को केकड़ी से उठाकर ग्रामो में वितरण नहीं कर उसको ब्लेक में बेच देने तथा दिनांक 11 5-82 से दिनांक 13-5-82 तक ग्रामों में वितरण का फर्जी रेकार्ड बनाने के तथ्य जांच में सही पाने पर पुलिस स्टेशन भिनाय (अजमेर) पर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु प्रथम सूचना दी गई थी ?

(2) यदि हां, तो प्रथम सूचना किस-किस के विरुद्ध दी गई थी ? कृपया प्रथम सूचना की प्रति सदन के पटल पर रखें ?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रथम सूचना देने के बाद थाना प्रभारी भिनाय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के कारण गांव रातकोट एवं ग्राम झोपिया के सैकड़ों लोगों के हस्ताक्षर करके पुलिस के उच्च अधिकारियों को शिकायत की थी ? यदि हां, तो कृपया उस शिकायत की प्रति भी सदन के पटल पर रखें।

(4) अभी तक इस प्रकरण में क्यों कार्यवाही हुई है और थाना प्रभारी द्वारा

(श्री कैलाश मेघवाल)

तत्परता से कार्यवाही नहीं करने के क्या कारण रहे हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) प्रथम सूचना श्री अमरसिंह, सरपंच, सोहनलाल, रामदेव भांभी व महेन्द्र कुमार के विरुद्ध दी गई थी। प्रथम सूचना की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां। प्रति संलग्न है।

(4) इस प्रकरण से सम्बन्धित प्रमुख अभियुक्त महेन्द्र कुमार को 17-7-82 को धारा 3 (2) प्रिवेंशन आफ ब्लेक मार्केटिंग एण्ड मेन्टनेंस आफ सप्लाई आफ असेन्सियल कमोडिटी एक्ट के अन्तर्गत जिला दण्डनायक के आदेश से डिटेन किया जा चुका है। सम्बन्धित व्यक्तियों के अनुसंधान जारी हैं। उनके हस्ताक्षर मिलान हेतु विशेषज्ञ के पास भिजवाये जा रहे हैं। दो अभियुक्तों श्री अमरसिंह एवं रामदेव भांभी की अग्रिम जमानत हाई कोर्ट द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। अनुसंधान में कोई देर नहीं हुई है।

(प्रतियों के लिये कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

खनिज अभियंता, उदयपुर द्वारा तहसील खेरवाड़ा में खनिज क्षेत्रों का निरीक्षण

349. श्री चुन्नी लाल (खण्डार)

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खनिज अभियन्ता कार्यालय, उदयपुर के अधिकारियों द्वारा माह अप्रेल, 80 एवं मई, 80 में खेरवाड़ा तहसील में राजा देवेन्द्र सिंह सेठी के नाम स्वीकृत दो एवं श्री गुरुदत्त सिंह सेठी के नाम स्वीकृत एक सरपेन्टाइन खनिज के पट्टों के अन्तर्गत आने वाले खनिज क्षेत्रों का निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो कृपया इन तीनों ही पट्टों के अन्तर्गत खनिज क्षेत्रों के निरीक्षण की रिपोर्ट्स सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त निरीक्षण के फलस्वरूप रिकार्ड की अनियमितता और राजस्व की हानि के कारण अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1977 के अन्तर्गत पार्टीज को एक लाख बीस हजार रुपये खनिज की कीमत जमा कराने के नोटिसेज दिये जाने के बावजूद उसकी पालना नहीं करने पर दो खनन पट्टे रद्द कर दिये गये और पार्टी से रु. 1,20,000/– वसूलना बाकी रहा ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील होने पर कार्यवाहक अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) खान एवं भू-गर्भ विज्ञान, उदयपुर ने नियमित अतिरिक्त निर्देशक (प्रशासन) के कार्यभार ग्रहण करने

(श्री कैलाश मेघवाल)

के सिर्फ एक दिन पूर्व ही स्थल निरीक्षण कर उसी दिन दोनों पट्टे बहाल करने एवं रु. 1,20,000/–को माफ करने का फैसला सुना दिया ? यदि हां, तो कृपया स्थल निरीक्षण को रिपोर्ट्स की नकल एवं फैसले की नकलें सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) श्री राजा देवेन्द्र सिंह के पक्ष में कागदर ग्राम, तहसील खेरवाड़ा के निकट स्वीकृत खनन् पट्टे का निरीक्षण दिनांक 29-4-80 को खनिज कार्यदर्शक द्वारा किया गया था । निरीक्षण की रिपोर्ट संलग्न है ।

(2) जी हां, तथापि कुल मांग एक लाख बीस हजार न होकर रुपया 1, 18, 992/–है ।

(3) यह सही है कि निर्णय के विरुद्ध अपील होने पर कार्यवाहक अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) के कार्यभार सौंपने के एक दिन पूर्व निरीक्षण किया एवं फैसला दूसरे दिन दिनांक 10-8-81 को किया गया । यह भी सही है कि अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) ने दोनों पट्टे बहाल करने का आदेश दिया । परन्तु यह सही नहीं है कि किसी राशि को माफ करने का फैसला दिया गया । निरीक्षण का ब्यौरा कार्यवाहक अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) ने अपने फैसले दिनांक 10-8-81 में ही दिया है । फैसले की प्रति प्रपत्र (ख) I व II संलग्न है।

(निरीक्षक रिपोर्ट एवं फैसले की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6 सितम्बर 1982)

अकाल राहत कार्यों पर व्यय

1. श्री अमिन खां (शिव) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सम्वत् 2037 व 2038 के अकालों में अकाल राहत कार्यों पर कुल कितना व्यय हुआ ? जिलेवार आंकड़े बताने की कृपा करें ।

(2) उक्त अवधि में राजस्थान के प्रत्येक जिले में विभिन्न विभागों द्वारा मजदूरी व सामग्री पर अलग अलग कितना कितना व्यय किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) सम्वत् 2037 व 2038 के अकालों में राहत कार्यों पर अब तक एकत्रित सूचना के आधार पर दोनों वर्षों में कुल 12455.04 लाख रुपये की राशि व्यय हुई । जिलेवार एवं अभिकरणवार आंकड़े संलग्न है । (परिशिष्ट "अ" "ब" "स" "द")

(2) सूचना संलग्न कर दी गई है ।

(अकाल राहत मंत्री)

(परिशिष्ट "अ" "ब" "स" "द")

(आंकड़ों एवं सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

(13 सितम्बर, 1982)

मारवाड़ जंक्शन तहसील में लकड़ी काटने के मामले

165. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 84 के प्रावधानान्तर्गत खातेदारी काश्तकार अपनी आयज जरूरत के लिये अपनी खातेदारी भूमि से पेड़ काट सकता है ?

(2) 1-1-1981 से 31-1-1982 तक तहसील मारवाड़ जंक्शन के किस-किस पटवारी ने कितने-कितने मामले किस-किस काश्तकार के विरुद्ध लकड़ी काटने के बनाये और ये मामले लकड़ी काटने के कितने दिनों या महीनों बाद बनाये गये ?

उत्तर

(1) जी हां । इस हेतु प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 84 एवं उसके तहत बने नियमों में हैं ।

(2) वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित है ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 24 देखें) ।

(13 सितम्बर, 1982)

सलूम्बर तहसील में अनु. जाति व जनजाति के लोगों के घर निर्माण हेतु बल्लियां

199. **श्री मानसिंह मीणा** (सलूम्बर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) वर्ष 1982–83 में सलूम्बर तहसील में जन-जाति व अनुसूचित जाति के कितने व्यक्तियों को घर बनाने हेतु बल्लियां निःशुल्क दी गई ? यदि हां, तो कृपया नामवार सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सलूम्बर तहसील रेंज सलूम्बर से किसी भी व्यक्ति को घर बनाने के लिए बल्लियां बांगी आदि निःशुल्क नहीं दी गई और व्यापार मण्डल के मार्फत दी जा रही हैं ? यदि हां, तो 'गरीबों को छप्पर' कार्यक्रम के अन्तर्गत बल्लियां समय पर उपलब्ध नहीं कराने के लिये कौन जिम्मेदार है ?

(3) क्या यह सही है कि व्यापार मण्डल ने इस वर्ष किसी भी काश्तकार को बल्लियां नहीं दी हैं ? यदि दी हैं, तो

(श्री थानसिंह मीणा)

इस वर्ष कितने काश्तकारों ने बल्लियां हेतु आवेदन किया व कितनों को बल्लियां दी गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1982–83 में सलूम्बर तहसील के 21 आदिवासियों को घर बनाने हेतु बल्लियां डाण्डे, बूंगे थाम्बे आदि निःशुल्क दिये गये हैं। नामवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) सलूम्बर तहसील के विभागीय बिक्री केन्द्र आसपुरा पर 555 बल्लियां निलाम द्वारा विक्रय की गई हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 25 देखें।)

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

उदयपुर डिस्टलरी की शराब की बोतल में कीड़ा

श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लीजिए। यह एक डिस्टलरी की बोतल है जिसके अन्दर कीड़े पड़े हुए हैं। इसमें कई प्रकार का एसिड छोड़ा जाता है। उदययुर में एक डिस्टलरी का कारखाना है। उस कारखाने से गन्दा पानी उस नाले में छोड़ देते हैं। वहां पर हायरनाथ की नदी है। पांच पंचायतों और उदयपुर शहर के कुछ वार्ड्स के नागरिकों को उस नदी में से कुएं बना करके पानी सप्लाई किया जाता है। मैं खुद जाकर आया हूं, लोग मुझे पकड़ कर ले गए कि इस प्रकार का हम पानी पीते हैं। पानी भी इतना गन्दा लोगों को सप्लाई करते हैं। दूसरे, वहां पर मवेशी भी हैं। वहां पर पानी मिलता नहीं, बिजली मिलती नहीं इसलिए कुओं से पानी पिलाते हैं। बिजली नहीं मिलने से कुओं से पानी पिलाते हैं। मवेशी वहां पर नाले में से पानी पीते हैं। वह पानी पीने मे चार दिन तक मवेशी सूखे की भांति खड़ी हो जाती है। न पानी पीती है, न घास खाती है। चार दिन बाद मवेशी कहीं ठीक होती है, नहीं तो धीरे-धीरे मर भी जाती है। ऐसी हालत में यह गन्दा पानी है, उसमें कीड़े हैं। उदयपुर डिस्टलरी का पानी पहले हौद में जमा रखते थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मैं सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा। व्यवस्था के प्रश्न का जहां तक सम्बन्ध है यह इसमें नहीं आता है इसलिए मैं आपकी आपत्ति को निरस्त करता हूं। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है—

(1) श्री महावीर प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोंक जिले की बगड़ी ग्राम पंचायत में से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लगभग 250 व्यक्ति रोजगार की तलाश में गांव से चले गये, इस विषय में,

(2) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से रामगंज मंडी जिला कोटा में चोरियों की संख्या में वृद्धि होने के विषय में,

(3) सर्वश्री हंसराज शर्मा व रंगजी मीणा सदस्य, विधान सभा की ओर से भारत सरकार द्वारा खाद का कारखाना सवाई माधोपुर में लगाने हेतु सर्वेक्षण हो जाने के पश्चात् भी उसकी घोषणा न करने के विषय में,

(4) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले की ग्राम पंचायत बीलवा में सरपंच व अधिकारियों की साठ गांठ से चरागाहों की जमीन पर कब्जा करने के विषय में,

(5) श्री मेघराज तावड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से विद्युत निरीक्षक, राजस्थान द्वारा सरकारी जानकारी के बिना अपने आपको मुख्य विद्युत निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के आदेश जारी करने के विषय में,

(6) सर्व श्री हीरालाल आर्य, दाऊदयाल जोशी व श्री रघुवीरसिंह कौशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की नायब तहसील इन्द्रगढ़ की जनता की इच्छा के विरुद्ध बूंदी जिले में मिलाने के विषय में,

(7) श्री यदुनाथसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर स्थित होम्योपैथिक मेडिकल कालेज के प्रबन्धकों व छात्रों में मारपीट होने के विषय में,

(8) श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित हवामहल सिरह-ड्योढ़ी सड़क पर विस्फोटक पदार्थों की दुकानों की बढ़ोतरी होने के विषय में,

(9) सर्वश्री घनश्याम तिवाड़ी व भवर लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने, जयपुर व अलवर में डाकेजनी, साम्प्रदायिक संघर्ष आदि की घटनाओं के विषय में,

(10) सर्वश्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत बालाजी, पंचायत समिति नागोर के सरपच के खिलाफ शिकायतें होने के बावजूद भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही न करने के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

व्यवस्था का प्रश्न

दिनांक 20 सितम्बर 1982 को प्रस्तुत स्थगन प्रस्तावों पर सरकार से जानकारी प्राप्त करने सम्बन्धी व्यवस्था

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : हम कृपापूर्वक, नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि आप इनको रिजेक्ट कर दीजिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझ पर भी आप कृपा करें। तभी मैं रिजेक्ट कर देता हूं जब जानकारी मंगाना आवश्यक नहीं समझता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कई माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि हमारे प्रस्ताव मंजूर हो जावें। कई तो यह मांग करते हैं। हम तो यह मांग कर रहे हैं कि हमारे प्रस्ताव नामंजूर कर दिये जावें।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : दो दो मिनट बुलवा दीजिए....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें बहुत से महत्वपूर्ण विषय हैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जब आसन के पास कोई प्रस्ताव आ जाता है तो वह सदन की सम्पत्ति बन जाता है और मुझे अपने विवेक से उस पर व्यवस्था देनी होती है। जिसमें मैं आवश्यक समझता हूं कि सरकार से जानकारी प्राप्त की जावे उस पर जानकारी मंगवाता हूं। जिसको मैं आवश्यक नहीं समझता उसको मैं अस्वीकार कर देता हूं। इसलिए विपक्ष के नेता महोदय भी मुझ से सहमत होंगे कि मेरी व्यवस्था है वह बिल्कुल ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जब कभी आप विपक्ष पर उदार रहते हैं..

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय जिन माननीय सदस्यों ने एडजोर्नमेंट मोशन दिये हैं सरपंच के खिलाफ शिकायत आई, अभी नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने एडजोर्नमेंट मोशन दिया कि उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की। क्या यह एडजोर्नमेंट मोशन है ? एडजोर्नमेंट मोशन अविलम्बनीय लोक महत्व का होना चाहिए। या जैसे हवामहल के रास्ते पर विस्फोटक पदार्थों की दुकानें हैं। दुकानें तो काफी लम्बे अर्से से चल रही हैं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विदेशी महिला को उठा कर ले गए....

श्री परसराम मदेरणा : साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में है, यह एक जनरल कोश्चन है, ईवन कोई घटना तो है नहीं। मैं लिख रहा था एक एक को। जिन माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में अभी अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी उसमें से आप देख लीजिए। टोंक से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं यह कि 250 व्यक्ति हैं उनको मजदूरी नहीं मिली। एडजोर्नमेंट मोशन ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व के होने चाहिए। इसलिए जो रिजेक्ट किये जाते हैं, अस्वीकार किये जाते हैं, इस सम्बन्ध में भी अगर माननीय सदस्य उसकी गम्भीरता और लोक महत्व की गम्भीरता को देखते हुए उनको रखें तो ज्यादा उचित रहेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए।

माननीय राजस्व मंत्री जी ने स्थगन प्रस्तावों की व्याख्या की है लेकिन उन

श्री भैरोंसिंह शेखावत

प्रस्तावों को भूल गये जिसमें एक विदेशी परिवार को जयपुर शहर से उठाकर ले गए और....

श्री परसराम मदेरणा : वह नहीं दिया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह दिया है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अलवर जयपुर के बारे में दिया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सोढाला के पास डकेती हुई जिसमें एक परिवार मारा गया । एक व्यक्ति मारा गया, उनका धन लूट कर ले गए । जयपुर में एक युवती को जला कर मार दिया गया । ये इस प्रकार के प्रस्ताव हैं जिन पर, राजस्व मन्त्रीजी, मैं समझता हूं आपको भी आपत्ति नहीं होगी । मुझे ऐसा लगता है । यदि आपको आपत्ति होती तो उल्लेख करते । आपने उनका उल्लेख नहीं किया । आपने केवल विस्फोटक पदार्थों का उल्लेख किया । दो सो मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली उसका उल्लेख किया, सरपंच के कामों का उल्लेख किया । तो, अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की ओर से भी इस बात की स्वीकृति है कि इन तीन प्रस्तावों के अलावा बाकी जो उन्होंने मेंशन नहीं किये वह तो सभी गम्भीर हैं । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप जानते हैं कि विधान सभा का सत्र कल तक ही चलने वाला है, उसके बाद में चलेगा नहीं । जब कल तक ही चलने वाला है तो ये जो मसले हैं इनको यदि आप राज्य सरकार के पास भेज देंगे तो इसका मतलब इन मसलों पर हाउस में चर्चा नहीं होगी । हम यह चाहते हैं कि आपने जैसी व्यवस्था कर रखी है, दो दो तीन तीन मिनट की, इन मसलों को भी आप आज ही डिस्पोज आफ कर दें, जितने भी हो ताकि मेम्बरों को शिकायत नहीं रहे कि हमने जो प्रस्ताव रखा था उसके लिये मौका नहीं मिला । दो दो मिनट से क्या होगा, बीस सदस्य बोलेंगे तो चालीस मिनट मे सब मामले खतम हो जावेंगे । आपकी भी वाहवाही हो जाएगी और मेम्बर्स की भी वाहवाही हो जाएगी ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि अंतिम क्षण तक मेरा यह प्रयत्न रहता है कि जहां कहीं भी कोई गम्भीर घटना हो, आदि आदि कई तरह के विषय आते हैं, उनके बारे मे जानकारी लेऊं । जानकारी लेने की एक प्रक्रिया है । माननीय सदस्य भी मानते है कि उस प्रक्रिया से काफी लाभ होता है । कहीं सरकारी अधिकारियों के स्तर पर ढील हो तो वे सचेत हो जाते है । इसलिए मेरा कल तक यह प्रयत्न रहेगा कि जितने भी आ सकते हो.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज आ जावें उनको तो डिस्पोज आफ कर दें । आज एक विशेष बात और भी है....

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, गरीब को छप्पर योजना के अन्तर्गत जहां पर 72 आदमियों को साढ़े सात सो रुपयो में से सिर्फ ढाई सो रुपये दिये गये और जो 72 आदमी बचे हैं उनको एक पैसा न दें, यह बात भी गंभीर नहीं है तो इससे ज्यादा गंभीर बात और क्या होगी । 70 हजार रुपयों का एक पशु जल कुण्ड बनाया जा रहा है ।

श्री महाराम चौधरी

उस कुण्ड को जहां पर पशु जा ही नहीं सकते उस जगह पर बना रहे हैं···

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, माननीय सदस्य ···

श्री महाराम चौधरी : इससे ज्यादा गंभीर और क्या बात हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष : मैंने पूर्व में व्यवस्था दी है····

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : जब कोई घटना घट जायेगी उसके बाद क्या होगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावे ।

माननीय सदस्यों ने जो स्थगन प्रस्ताव दिये है उन पर मैंने जो व्यवस्था दी उनमें से जो माननीय सदस्य चाहेंगे कि उनके स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जावे, उनको मैं अस्वीकार कर दूंगा और और बोलने की इजाजत दे दूंगा ।

जो माननीय सदस्य चाहेंगे कि उनकी सूचना मंगवाई जाय उसमें सूचना मंगवाऊंगा । लेकिन एक बात मैं निवेदन करूंगा कि आज की कार्यसूची काफी लम्बी है....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । आर्डर आर्डर । बैठ जावे ।

इसलिये कृपया दो मिनट से अधिक समय न लें । दो मिनट होते ही यह समझा जायगा कि स्वतः ही भाषण समाप्त हो गया । फिर यह अच्छा नहीं लगता कि मैं माननीय सदस्य को बीच में रोकूं और वह आग्रह करें । उसमें और ज्यादा समय चला जाता है ।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : आसन अभी पैरों पर है । इसमें कुछ स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था अवशेष रह गई है । मैं उनको पढ़ देता हूं, उसके बाद अन्य माननीय सदस्य यदि कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उनको अवसर दूंगा ।

श्री सम्पत राम (खेरथल) : अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था में यह सहयोग देगा । मैं एक सैकण्ड में अर्ज करना चाहता हूं, अगर ईजाजत हो तो ।

अभी विरोधी पक्ष के नेता जी ने एक एडजार्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में आपके सामने निवेदन किया । कोइ भी उत्तरदायी सरकार है, अध्यक्ष महोदय, उसका यह फर्ज होता है, डाका, संगीन जुर्म जो कोई भी होता है, अगर वह अखबार में आया हो जाता है तो उस सरकार का परम कर्त्तव्य है कि वह इमिजिएटली उसकी सूचना प्राप्त कर ले । उसकी सूचना प्राप्त करना बहुत अनिवार्य होता है । वायरलैस है, आपके पास सारे साधन है इसलिये हम यह मानकर चलते है, अध्यक्ष महोदय, आप इस प्रकार के जो एडजार्नमेंट मोशन हैं उनके बारे में राज्य सरकार से इमिजिएटली इनफार्मेशन ले सकते हैं । यह उनका कर्त्तव्य तभी हो गया, अखबार में आ गया तो सरकार को चाहिये कि वह सारी इन्फोर्मेशन अपने पास लें । यह सूचना उनके पास है । एडजोर्नमेट मोशन को आप रिजेक्ट कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है । लेकिन यह बड़ा महत्वपूर्ण है जिससे कि सारे राजस्थान की जनता का मनोबल गिरा है, उसको बड़ी चिन्ता पैदा हुई है । सारे देश का भी ध्यान

(श्री सम्पत राम)

आकर्षित हुआ होगा। अन्तर्राष्ट्रीय विवेचन भी इनवाल्व्ड है इसमें कि विदेशी महिला को उठा कर वहां पर ले गये। हमारे चरित्र का कितना प्रदर्शन होता है? इस प्रकार के मुद्दों के ऊपर राज्य सरकार की तरफ से यदि आप कोई स्टेटमेंट दिलायेंगे, वह इस विधान सभा के महत्व को बढ़ायेगा सरकार के लिये एक बहुत अच्छा मौका होगा कि सरकार कितनी जागरूक है, इतने शार्ट समय में इस प्रकार सारी सफाई सदन के सामने की है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि पहले मैं व्यवस्था दे दूं। अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिये। बात यह है कि हो सकता है, सरकार को जानकारी हो जाये कुछ घटनाओं के बारे में लेकिन यहां पर प्रक्रिया यह रही है कि जो कोई भी विषय स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से शासन के पास आते हैं उनके बारे में सरकार से सूचना ली जाती है। जब सूचना हमें उपलब्ध हो जाती है उसके बाद ही व्यवस्था देते हैं। यदि आवश्यक समझते हैं कि सरकार उसमें वक्तव्य दे तो वक्तव्य दिला देते हैं अन्यथा उसको अस्वीकार कर देते हैं और माननीय सदस्य दो मिनट में अपनी बात कह देते हैं। जैसा विपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि इस सत्र का भी अवसान काल आ गया है। आज कोई नयी व्यवस्था करें तो उससे भी कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है। आपने जो सुझाव दिया है, आप सुन नहीं रहे हैं, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है अगले सत्र से उस बात पर विचार करेंगे। अगले सत्र से...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आइडियल गवर्नमेंट के लिए है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : मेरा भी निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी परम्परा जनता पार्टी के शासन मेंकी गई। जनता पार्टी के शासन में यह परम्परा शुरू की गई थी कि जिस रोज अखबार में कोई घटना आती थी, हम लोग उधर बैठते थे तो हम में से कोई सदस्य उठा लेते थे और इन्होंने कुछ रोज जवाब देना शुरू किया। लेकिन बाद में यह फंसने शुरू हो गये क्योंकि पूरी इन्फार्मेशन उस वक्त कलेक्ट नहीं होती थी। बाद में इन्होंने कहा, रोजाना नहीं दे सकते।

(व्यवधान)

ऐसा सम्भव नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : उस वक्त होम मिनिस्टर कौन थे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : होम मिनिस्टर साहब अभी फर्मा रहे थे।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक भी मौका नहीं दिया था। ईमानदारी के साथ कहता हूं, मैंने 24 घंटे इस बात की सावधानी बरती थी, बराबर महकमा सतर्क रहे, जो कुछ सूचना मांगी जाये वह चाहे रात के 12 बजे मिले, दो बजे मिले फौरन मैंने स्टेटमेन्ट्स दिये हैं। यह गलत बात कहते हैं इस तरह की चीज है।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इन्होंने प्रयत्न किया था लेकिन वह प्रयत्न आपका सफल नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : खैर इसमें....

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। इस सम्बन्ध में मैंने व्यवस्था दे दी उसको बदलने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनके लिए जीवन दान हो रहा है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : (11) श्री देवीसिंह भाटी सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, व चूरू से गोहत्याहेतु गायों की पाकिस्तान में तस्करी किये जाने के विषय में। इस विषय पर आज सरकार की ओर से सदन में एक वक्तव्य दिया जा रहा है।

(12) श्री राज बहादुर, सदस्य विधान सभा की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्थान राज्य सेवा तथा राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाओं में आमूलचूल परिवर्तन किये जाने के विषय में। यह प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व को नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

निम्नांकित स्थान प्रस्तावों पर राज्य सरकार से तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त हुई है:—

(1) **श्री हरीश शर्मा**—कोटा जिले में वन विभाग द्वारा वन चौकियां तोड़ने।

सरकार ने सूचित किया है कि जंगलों की अवैध कटाई की घटनाओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है और अतिरिक्त कार्यवाही के लिए चल दण्डनायकों के पद सृजन करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) **श्री रामकंवार बैरवा**—जयपुर जिले में कई क्षेत्रों में रेल सुविधा उपलब्ध न होने के विषय में।

सरकार ने सूचित किया है कि पिछले 20 अगस्त से कुछ मार्गों के बन्द हो जाने के बाद रेल विभाग को लिखा गया है उक्त सुविधायें 3 4 दिन से पुनः प्रारम्भ कर दी गई हैं।

(3) **श्रीमती विद्या पाठक व डॉ. उजला अरोड़ा, श्रीनाथूसिंह**—माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कुछ पाठ्य पुस्तकों का बाजार में उपलब्ध न होना।

सरकार ने सूचित किया है कि कुछ पाठ्य पुस्तकें छपवाने के आदेश दिये जा रहे हैं या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है।

श्री हरीश शर्मा—आवासन मण्डल द्वारा 1973 से पंजीकृत नागरिकों को मकान न देना।

सरकार ने सूचित किया है कि जमीन की कमी के कारण मकान नहीं दिये जा रहे हैं और जमीन अधिग्रहण हो जाने के बाद निर्माण कार्य हो जाने पर मकानों की कमी पूरी होने की आशा है।

(5) **श्री यदुनाथसिंह**—सरदार शहर में आयुर्वेद विद्यालय में मारपीट की घटना। सरकार ने सूचित किया है कि मारपीट की घटना कुछ छात्रों में आपस में हुई थी,

(श्री अध्यक्ष)

जिसका व्यवस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है। सम्बन्धित मामले में मुकदमा दायर करा दिया गया है।

(6) श्री हंसराज शर्मा -सवाई माधोपुर महाविद्यालय में कुछ अतिरिक्त कक्षाएं न खोलना।

सरकार ने सूचित किया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी भी स्नातक महाविद्यालय को क्रमोन्नत करने का विचार नहीं है। नये विषय खोलने का उनके गुणावगुणों के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(7) श्री बंशीलाल पटवा: माणिक्य लाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में छात्रों को प्रवेश न देना।

इस संबंध में सरकार ने सूचित किया है कि कुछ छात्रों को नियमानुसार वाणिज्यिक में प्रवेश नहीं दिया गया है और कुछ के आवेदन पत्र प्रधानाचार्य से सम्पर्क न करने के कारण विचाराधीन हैं।

(8) श्री दाऊदयाल जोशी व श्री रघुवीरसिंह कौशल : कोटा में महाराव भीमसिंह अस्पताल में गजेन्द्रसिंह पुत्र गोविन्दसिंह की आपरेशन से मृत्यु।

सरकार ने सूचित किया है कि भर्ती के समय श्री गजेन्द्रसिंह की हालत बहुत गम्भीर थी उनकी मृत्यु किसी लापरवाही के कारण नहीं हुई और न ही उपचार में कोई कमी पाई गई।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(9) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सदस्य, विधान सभा की ओर से वेरी वेतन आयोग के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है। इस विषय पर कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी स्थगन प्रस्ताव व अन्य प्रस्तावों की सूचनाएं दी थीं। कल दिनांक 21-9-82 को सरकार की ओर से सदन में इस विषय पर एक वक्तव्य दिया जायगा।

(10) श्री भवरलाल शर्मा सदस्य, विधान सभा की ओर से पुलिस थाना झोटवाड़ा के ग्राम नांगल जैसा बोरा के निर्वाचित वार्ड पंच श्री नन्दकिशोर की गिरफ्तारी के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को भी स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

एक एक करके माननीय सदस्य खड़े न हों, धैर्य रखें। मैं समय दूंगा। सब एक साथ बोलेंगे तो समय व्यर्थ जायेगा। सर्व प्रथम मैं पुकार रहा हूं....

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : पाइन्ट आफ आर्डर अध्यक्ष महोदय.......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन के समक्ष कोई विचाराधीन विषय नहीं है इसलिये कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं हो सकता।

Page No 62

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैंने नियम 295 के तहत अनुमति चाही है। मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहती हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा कि धैर्य रखिये। 1-1 मिनट के लिये सब को सयम दूंगा। एक साथ प्रश्न उठायेंगे उससे समाधान नहीं हो सकेगा.......

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : मैंने 6-7 को स्थगन प्रस्ताव दियाहै, कल सब समाप्त हो जायेगा........

श्री अध्यक्ष : प्रत्येक दिन 15 से 20 स्थगन प्रस्ताव आते हैं, अधिक से अधिक एक या दो में वक्तव्य दिला सकते हैं। अन्य माननीय सदस्यों को इजाजत दे सकता हूं........

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : मैने निवेदन किया है, 25 बीघा जमीन पर सारे एम. एल. ए., एम. पी. कब्जा कर लें और यू. आई. टी. मौन रहे, कुछ भी न करे........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह विषय इस तरह न उठावें, मैं इसे जबानी रिजेक्ट नहीं कर सकता। विपक्ष के नेता महोदय।

(व्यवधान)

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : परसों मैंने आपसे अर्ज किया था....

श्री अध्यक्ष : वह मुझे याद नहीं। आप बैठ जाइये, माननीय सदस्य।

श्री बंसीलाल पटवा : आपने फर्माया था कि यह ले लेंगे। परसों मैंने निवेदन किया था, पुलिस की ज्यादतियों के संबंध में और आपने राजा बाबू को कहा कि रिजेक्ट कर देना.....

श्री अध्यक्ष : हां, तो रिजेक्ट करवाना हो तो मैं निवेनन कर रहा हूं रिजेक्ट कर दूंगा। यह पहले ले लेने दीजिये। मैंने कौन सा समाप्त कर दिया। बैठ जाइये। आर्डर प्लीज। इतनी देर में तीन माननीय सदस्य बोल लेते।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने गंगानगर के बारे में 6 दिन पहले स्थगन प्रस्ताव दिया है कांता की हत्या के बारे में।

(व्यवधान)

श्री बंसीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे संपर्क किया। आप आज्ञा देते हैं उसके बाद एग्जीक्यूशन नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : मैंने, माननीय सदस्य, आपसे निवेदन किया है कि स्थगन प्रस्तावों

(श्री अध्यक्ष)

की संख्या अत्यधिक होती है। अगर आपको शिकायत है तो इसमें नाराज होने की क्या बात है, मैंने आपको अर्ज कर दिया कि यह सब फैसला होने के बाद आपको रिजेक्ट करके अवसर दे दूंगा। इसमें आवेश में आने की क्या बात है। आर्डर प्लीज, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

जैसी माननीय सदस्यों को सुविधा होती है, आप चाहते हैं कि रिजेक्ट कर दो तो रिजेक्ट कर देता हूं, एक्सेप्ट की बात करते हो तो अकोमोडेट करने की कोशिश करता हूं। आप स्वयं जानते है कितने प्रश्न होते हैं। फिर भी मैंने कर दिया। रिजेक्ट का उस दिन फर्माया था वह पेपर्स आये नहीं होंगे, कोई कारण भी हो सकता है। फिर आप रिजेक्शन चाहते हैं तो रिजेक्ट कर दूंगा। इसमें विवाद की कौन सी बात है। आपने तो बिना सुने ही बाधा शुरू कर दी।

श्री वंशीलाल पटवा : मैं अर्ज कर रहा हूं ओबिडियेंटली.......

श्री अध्यक्ष : यह मैंने आपकी सुविधा के लिये किया था वरना मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप चाहें जब रिजेक्ट कर दूं, चाहें जब स्वीकृति दे दूं। इस तरह से नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। दो दिन का समय बचा है, यदि माननीय सदस्य उत्सुक होंगे तो मैं समय दे दूंगा इसमें कोई विवाद नहीं है।

(व्यवधान)

कृपया बैठ जायें, पहले मुझे कार्यवाही शुरू करने दीजिये।

श्री महावीर प्रसाद, बगही ग्राम के बारे में। आप इसको अस्वीकार कराना चाहते है या जानकारी चाहते हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : मेरा निवेदन यह है कि कल तक उत्तर आ जाय तो... ....

श्री अध्यक्ष : इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो फिर रिजेक्ट.......

श्री अध्यक्ष : तो दो मिनट का समय।

(व्यवधान)

सुश्री पुष्पा जैन : पॉइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : पॉइन्ट आफ आर्डर में क्यों समय लेती हैं। माननीय सदस्या, मैं 1-1 करके सुन लूंगा। पहले मैंने जिनका नाम पुकारा है उनको......

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, आपने लाठी चार्ज के बारे में....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यदि आप धैर्य रखेंगे तो समय मिल जायेगा। 10 मिनट खराब कर दिये। इतने में पांच माननीय सदस्य बोल लेते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि टोंक जिले में पहले तो बाढ़ आई फिर अकाल आ गया, ऐसी स्थिति हुई है कि कहीं पर भी किसी प्रकार की पैदावार नहीं है। ग्राम पचायत बगड़ी के लोगों ने कहा कि हमारे रोजगार के कोई साधन नहीं हैं और भूखों मरने की नौबत आ रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति के 250 लोग वहां से पलायन कर गये हैं। उनमें से कुछ लोग यहां जयपुर में मजदूरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। आज इस प्रकार की स्थिति बन गई है। बगड़ी ग्राम की ही बात नहीं है, सारे टोंक जिले और टोंक पंचायत समिति में यदि रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराये गये तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, वहां पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, एक भी आदमी नहीं मिलेगा। सारे के सारे जिले से पलायन कर जायेंगे, भुखमरी की स्थिति पैदा हो जायेगी। मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं, शीघ्रातिशीघ्र वहां रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जायं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा, रामगंज मण्डी में चोरियों की संख्या में वृद्धि के बारे में। आप रिजेक्ट करवाना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं ?

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : रिजेक्ट कर दें।

श्री अध्यक्ष : रिजेक्ट।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगंज मण्डी में लगातार चोरियां बढ़ती जा रही है। एक बार तो रामगंज मण्डी के नागरिक एस. पी. से मिले लेकिन चोरियों की तादाद जबर्दस्त बढ़ रही है और रामगंजमण्डी के अलावा आसपास के गांवों में भी चोरियां होती जा रही हैं। रामगंजमण्डी में एक एक रात में 5-5 चोरियां हुई। कल रात्रि को, माननीय अध्यक्ष महोदय, पचसील व्यापारी के यहां चोरी हुई। चोर को रंगे हाथों पकड़ कर पुलिस को दे दिया गया, गवाही दे दी, उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। आखिर क्यों ? क्योंकि पुलिस चोरों से मिली हुई है और चोरों को सरक्षण दे रही है। कारण क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय ? आखिर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती ? मैंने स्वयं एस. पी., ए. एस. पी. से बात की, बार बार कहा कि स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि असन्तोष हो जायेगा। आप चोरों को पकड़ो। वहां पास में ही कंजरों की बस्ती है। बार बार लोग चोरों को पकड़ते हैं, वहां के नौकरों को चोरी करते हुए पकड़ा। उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। इसलिये मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय जब नागरिक ने चोरों को रंगे हाथों

(श्री हरीश शर्मा)

पकड़ कर पुलिस को दे दिया कि पकड़ो यह चोर है फिर भी कार्यवाही नहीं होती। यही मेरा निवेदन है।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा— खाद कारखाने के बारे में जवाब चाहते हैं या....

श्री हंसराज शर्मा (सवाईमाधोपुर) : जवाब ही चाहते हैं कल जवाब ग्रा जाय तो जवाब दिलवा दें।

श्री ग्रध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक ग्राम पंचायत बीलवा में सरपंच एवं ग्रधिकारियों की सांठ गांठ से चरागाह भूमि पर कब्जा।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे एक स्थगन प्रस्ताव पर जवाब भी ग्रा गया है, ग्रगर ग्राप कहें तो....

श्री ग्रध्यक्ष : 2 मिनट में कह दें मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्रीमती विद्या पाठक : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था 14 तारीख को, उस पर सरकार की ग्रोर से जवाब जैसी ग्रपेक्षा थी वैसा ही ग्राया है। बिलकुल इस तरह का जवाब है जिसमें कहीं कोई कमिटमेंट नहीं है कोई सुधार का ग्राश्वासन नहीं है। विद्यार्थियों के प्रति, पढ़ाई के प्रति कोई सम्वेदना नहीं है। ग्रध्यक्ष महोदय, जवाब में कहा गया है कि कुछ किताबें प्रकाशित नहीं हुई हैं जिनको प्रकाशित करवाने ग्रौर छपवाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

ग्रध्यक्ष महोदय, वास्तविकता तो यह है कि बोर्ड कुछ पब्लिशर्स को ग्रधिकांश पुस्तक प्रकाशित करने के लिये देता है कि ये बोर्ड के लिये प्रकाशित की जाये। कक्षा 9वीं 10वीं ग्रौर 11वीं के बच्चों की पढ़ाई से सम्बन्धित पुस्तकें होती हैं।

यहां जिन किताबों को छापने की बात कही है, उनका पूरे राजस्थान भर का एक ही व्यक्ति को ठेका दिया जाता है ग्रौर नतीजा यह होता है वह किताबें समय पर छप ही नहीं सकती हैं। ये व्यवस्था करते हैं तो केवल जयपुर शहर क्षेत्र की करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी ऐसी किताबें समय पर प्राप्त करने से महरूम रह जाते है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जयपुर के एक ही प्रकाशक स्टूडेन्ट बुक कम्पनी को पांच पुस्तकों का सोल एजेन्ट पब्लिशर बनाया हुग्रा है, सोल पब्लिशिंग के लिये। नतीजा यह होता है कि जब विद्यार्थी पुस्तकें लेने जाते है तो या तो किताबों पर जो छपी हुई कीमत है उससे कहीं ज्यादा कीमत ली जाती है या किताबें उन लोगों को दी जाती है जो उन लेखकों की ग्रन्य पुस्तकों को खरीदते हैं या वे जो बुक सीरिज, पास बुक निकालते हैं, वह खरीदते हैं या ऐसे लोगों को दी जाती है जो कोर्स की किताबों का ब्लेक करते हैं। इससे सारे विद्यार्थी समाज में रोष व्याप्त है। यह तो केवल एक पब्लिशर की बात है। कई ऐसी पुस्तकें हैं, उनमें एक किताब मेरे पास में भी है-"गद्य संग्रह"। उनके लिये बोर्ड की तरफ से एक जांच टीम भी ग्राई थी। उसने उन किताबों को देखा था। नियमानुसार उनका जो पेपर होना चाहिए था उससे

(श्रीमती विद्या पाठक)

कहीं ज्यादा खराब पेपर है। जो उनके स्पेसिफिकेशन में जो पेपर प्रस्तावित था उससे खराब पेपर है। पुस्तक जितने की है उससे ज्यादा महंगी बेची जाती है। हाफ ईयरली इम्तिहान होने वाले हैं किताबों के ग्रभाव में विद्यार्थियों को कष्ट हो रहा है। हिन्दी कहानी कुंज, सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी के कम्पलसरी विषय की पुस्तक है। यह ग्राज तक ग्रवेलेबल नहीं है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, कामर्स की एक प्रमुख किताब ग्राज भी ग्रवेलेबल नहीं है। किताब जो लेने जाते हैं उनसे ये पब्लिशर्स मिस-बिहेव करते हैं। उनकी बहुत शिकायतें हैं। इस तरह की ग्रव्यवस्था, पुस्तकों के प्रकाशन का ग्रभाव ग्रौर एक ही सोल एजेन्ट को सारा प्रकाशन कार्य देना यह विद्यार्थी के लिये बहुत ही कष्टदायक होता है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्राप ग्राम पंचायत के विषय पर ग्रा जाइये।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत बीलवा चरागाह की भूमि वैसे ही पंचायत ने बेच दी है। दूसरा खसरा नम्बर 407 के लिये मन्त्री महोदय को भी पिछले दो महीने से निवेदन कर रही हूं ग्रौर वे भी प्रयत्नशील हैं। यह खसरा नम्बर वह है, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, जिस पर वहां के स्थानीय सरपंच महोदय के भाई ने पिछले 13 साल से कब्जा कर रखा है। 13 साल से ग्रवैध कब्जा कर रखा है ग्रौर जब भी इस विषय पर प्रश्न उठाया जाता है या कोई उस भूमि से उनको हटाने की कार्यवाही करता है तो वह एस. डी. एम., कलेक्टर का स्टे ले ग्राते हैं। 13 साल से स्टे की स्थिति बनी हुई है। सन् 1981 की जुलाई में जो बाढ़ ग्राई उसमें कुछ बाढ़ग्रस्त लोगों को उक्त खसरा नम्बर पर बसाया गया था। ग्राज के दिन स्थिति यह है कि जिन बाढ़ग्रस्त लोगों को बसाया गया है उनको हटाने की कार्यवाही की जा रही है। सरपंच महोदय प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ मिल कर बाढ़ग्रस्त लोगों को हटाने की साजिश कर रहे हैं। स्टे वैकेट हो जाता है ग्रौर बार बार दे दिया जाता है। यह स्टे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टे है। कलेक्टर के यहां से दिया हुग्रा है ग्रौर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टे है। इसमें कोताई बरतना गरीब लोगों के हित में नहीं है। इसी से सम्बन्धित यह चरागाह भूमि है। ग्रध्यक्ष महोदय, इस पंचायत की एक दूसरी चरागाह की भूमि जिसको....

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, दो भूमियों की बात है, मैं एक मिनट में ग्रपनी बात समाप्त करती हूं।

इसी तरह इसी पचायत की एक चरागाह की भूमि है, जिसमें पिछले साल ही सरकार ने साढ़े सात हजार रुपये लगाकर पशुग्रों के लिये तालाब की व्यवस्था की है, ये चरागाह ही एकमात्र स्थान है ग्रौर केवल यहीं पशुग्रों को पानी उपलब्ध हो सकता है। उस भूमि का सरपंच महोदय ने ग्रवैध तरीके से पिछले वर्ष वन विभाग को बेचान कर दिया था क्योंकि उसकी कीमत बहुत है। गांव वालों ने उच्च स्तर पर प्रयास कर उसे मुक्त कराया, लेकिन फिर ग्रभी

(श्रीमती विद्या पाठक)

महीने पहले उन्होंने किसी ग्रन्य व्यापारिक संस्थान को उस भूमि का बेचान बिना कन्वर्शन के ग्रौर गैर कानूनी तरीके से करने का प्रयास किया है । इन सारी वारदातों को प्रशासनिक ग्रधिकारियों द्वारा संरक्षण प्राप्त है ग्रौर सारे कागजों को दबाया भी जा रहा है ।

श्री ग्रध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या ।

श्रीमती विद्या पाठक : इसलिये माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वे इस बारे में शीघ्र ही कार्यवाही करें ।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री मेघराज तावड़ । ग्राप इस पर सरकार का उत्तर चाहते हैं या बोलना चाहते हैं ?

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूं ।

श्री ग्रध्यक्ष : बोलिये ।

श्री मेघराज तावड़ : इसलिये बोलना चाहता हूं...

एक माननीय सदस्य : कारण बता दीजिये ।

श्री मेघराज तावड़ : ग्रापने इजाजत दे दी है ।

ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने परसों या परले रोज विधान सभा में यह कहा था. मायुरवाद चल रहा है यह मायुरवाद यहां नहीं चलेगा । माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इस सरकार पर ग्रधिकारी ग्रौर नौकरशाही हावी है ग्रौर सरकार सोई हुई है । माननीय मदेरणा साहब यहां पर नहीं हैं, मदेरणा साहब से सम्बन्धित यह मसला है । ग्रध्यक्ष महोदय,....

(व्यवधान)

बात सुनिये. ग्रापकी पोल खोल रहा हूं । माननीय ग्रध्यक्ष महोदय. बिजली विभाग में एक प्रेम नारायण माथुर, विद्युत इन्सपेक्टर हैं । उन्होंने खुद ने ग्रपने नाम से, ग्रपने हस्ताक्षर से, खुद का प्रमोशन कर लिया । यह प्रमोशन चीफ इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर के पद पर हुग्रा । यह उनके हाथ का दिया हुग्रा है । उनके खुद के साइन हैं । यह ग्रधिकारियों के ध्यान में ग्राया ? कानून को तोड़ कर ताक में रख दिया गया । कानून नाम की कोई चीज नहीं है, नियम नाम की कोई चीज नहीं है । ग्रधिकारियों को मालूम नहीं कि प्रेम नारायण माथुर ने ग्रपने हस्ताक्षरों से खुद का प्रमोशन कर लिया है ।....

(12.56 म.प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

इसके बाद जब डिप्टी सैक्रेटरी के ध्यान में यह बात ग्राई तब उन्होंने एक दूसरा नोटिस इश्यू किया, दूसरी विज्ञप्ति जारी की । सभापति महोदया, वह मैं ग्रापको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"I am directed to say that Shri P. N. Mathur, Electrical Inspector, Rajasthan, Jaipur, vide

(श्री मेघराज तावड़)

his letter No. Estt. 2/CEI/C/20 dated 1-10-81 has informed all concerned that Government has upgraded the post of Electrical Inspector into the post of Chief Electrical Inspector. In fact the Government have not issued any orders for upgrading the post of Electrical Inspector into Chief Electrical Inspector. Therefore, the letter in question issued by Shri P. N. Mathur be treated as cancelled."

सभापति महोदया, अन्धा पीसे कुत्ता खाये वाली कहावत इस सरकार पर चरितार्थ होती है, इसलिए मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि सदन इसे गम्भीरता से ले। राजस्थान सरकार सोई हुई है। आफिसर, अधिकारी कोई कुछ भी लिख दे। इसी तरह आज सुबह भ्रष्टाचार की बात चल रही थी तो माननीय गृह मंत्री जी कहने लगे ऐसे चार केसेज हैं जिनकी एफ. आर. दी गई। माननीय सभापति महोदया, एफ आर. देना या न देना इनके लिए कोई महत्व नहीं रखता क्योंकि सब चीज जायज है। इस सरकार की चमड़ी हाथी की तरह जाड़ी हो गई है। कोई असर इस सरकार पर नहीं होता है। सभापति महोदया, कल कोई भी आदमी, कोई भी छोटा चपरासी इन्सपेक्टर बन जायेगा, कलेक्टर बन जायेगा, वह अपने नाम से आदेश निकाल सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि वह माथुर है, पी. एन. माथुर है, मुख्य मंत्रीजी के साडू भाई हैं। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? केवलराम ने यह नोटिस निकाला "ट्रीटेड ऐज कैन्सिल्ड" हमने कोई ऐसा अपग्रेडेशन नहीं किया है। उनको डिप्टी इलेक्ट्रिकल सैक्रेटरी यह लिखते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? अब उनको और इनाम दिया जा रहा है। चुपके से उनके काले कारनामे पर पर्दा डालने के लिए चीफ इलेक्ट्रिकल इन्सपेक्टर की पोस्ट अपग्रेड करने की अन्दर ही अन्दर पीछे के दरवाजे से कार्यवाही चल रही है। होना यह चाहिये था, सभापति महोदया, कि उनको जेल के सींखचों के अन्दर रखते लेकिन उसके बजाय इनाम देने जा रहे हैं। इसलिए माथुर सरकार, माथुर साहब, यह तुम्हारा माथुरवाद नहीं चलेगा। माथुर साहब अपने भाई भतीजों को चाहे कितना ही करें, वह कोई भी गुनाह करें तो सब जायज है लेकिन जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है।

श्री सभापति : सर्व श्री हीरालाल आर्य, दाऊदयाल जोशी, रघुवीर सिंह कोशल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा जिले की नायब तहसील को जनता की इच्छा के खिलाफ बूंदी जिले में मिलाये जाने के बाबत।

माननीय सदस्य, यह स्थगन प्रस्ताव आप कैंसिल कराना चाहते हैं ? दो मिनट में समाप्त करें, आप।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : कोटा जिले की नायब तहसील, जो लगी हुई है, का हमेशा से ही सम्बन्ध कोटा से रहा है लेकिन कुछ राजनैतिक षड़यन्त्रों की वजह से, जनता पार्टी की सरकार के वक्त नायब तहसील में जो कार्य किये गये थे उन कामों से प्रभावित होकर वहां की जनता ने हमारे प्रति जो भावनायें प्रकट कीं उससे चिढ़कर इस सरकार ने मन्त्रि-मण्डल में उस नायब तहसील को बूंदी जिले में मिलाने का निर्णय लिया है। इसके पीछे वहां के जो प्रभारी मन्त्री जी पण्डित बृज सुन्दर जो शर्मा हैं उनकी नीयत खराब थी। वे इस नायब तहसील को वर्षों से हड़पने में लगे हुए थे लेकिन उनकी चली नहीं। यह निर्णय जब मन्त्रि-मण्डल ने लिया तो निर्णय लेते ही वहां की जनता ने इसका विरोध किया। इस निर्णय के विरोध में सभा की, पत्र लिखे, ग्राम सभायें कीं ग्रौर प्रदर्शन किए कि हम लोग कोटा में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि कोटा में जो सुविधायें हैं वे बूंदी में नहीं हैं। माननीय सभापति महोदया, कोटा इन्द्रगढ़ से ग्राने जाने के लिए रेल मार्ग से जुड़ा हुग्रा है ग्रौर दिन में 6-7 गाड़ियां ग्राती जाती हैं। हमारे क्षेत्र का गरीब ग्रादमी कोटा से इन्द्रगढ़ तीन रुपये में ग्रा जा सकता है जब कि बूंदी हमारे यहां से केवल बस द्वारा ही जुड़ा हुग्रा है किराया करीब 10 रुपया लगता है। इसलिए, सभापति महोदया, ग्रावागमन की दृष्टि से भी यहां की जनता नहीं चाहती है कि वह बूंदी में मिले। सभापति महोदया, हमारे इन्द्रगढ़ की जो मण्डी है वह मानी हुई मण्डी है। इस मण्डी की वजह से ही कोटा से हमारा सीधा व्यापारिक सम्बन्ध है। कोटा से व्यापारिक सम्बन्ध होने से व्यापारी ग्रौर पब्लिक भी चाहती है, हमारा सामान कोटा सीधा जायेगा इस दृष्टि से किसानों के हित के लिए भी हम लोग कोटा में रहना चाहते हैं।

तीसरी बात, शिक्षा के क्षेत्र की दृष्टि से कोटा में कामर्स कालेज है, ग्रार्ट्स कालेज है, साइन्स कालेज है ग्रौर वहां पर लड़कियों के लिए ग्रलग कालेज है, इंजीनियरिंग कालेज है, इसलिए भी हमारा इन्द्रगढ़ कोटा से जुड़ा रहना चाहता है जब कि बूंदी एक पिछड़ा हुग्रा क्षेत्र है।

इसके ग्रलावा ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें तो राजा महाराजाग्रों के वक्त जो नायब तहसील के राजा थे वे कोटा के एच. एच. को ही ग्रपना महाराजा मानते थे इसलिए भी मैं यह मांग करता हूं कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी उसको कोटा के साथ ही रखना चाहिए। माननीय सभापति महोदया, जबसे यह निर्णय हुग्रा है तब से वहां की जनता में बड़ा भारी रोष है। बूंदी जिले में इन्द्रगढ़ नायब तहसील को मिलाने के लिए सरकार ने वहां की जनता से पूछा था, विकास ग्रधिकारी के माध्यम से। उस पत्र का जवाब सातों पंचायतों ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर यह भेजा कि हम कोटा जिले में ही रहना चाहते हैं। बाद में जब हमें यह पता लगा

(श्री हीरालाल आर्य)

तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ । मंत्रिमण्डल ने यह घोषणा की कि वहां की जनता बूंदी में मिलना चाहती है । अब यह पता नहीं कौनसी जनता थी जो यह चाहती थी कि हम बूंदी में जाना चाहते हैं । सात ग्राम पंचायतों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है । जिला प्रमुख ने यह लिखकर दिया है, अखबार में स्टेटमेन्ट आया है हम कोटा में ही रहना चाहते हैं हमारी पब्लिक भी यही चाहती है । वहां के प्रधान ने लिखा है, वहां की जनता ने लिखा है, वहां का विधायक चाहता है, एक-एक नागरिक चाहता है, पूरी जनता चाहती है । जनता की इच्छा का नाम लेकर पंडित जी ने मंत्रिमण्डल को गुमराह किया है । खुद तो गुमराह हुए हैं लेकिन मंत्रिमण्डल को भी गुमराह किया है । इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को यह आग्रह करना चाहता हूं कि जब से यह निर्णय लिया है तब से वहां की जनता में भारी रोष व्याप्त है । वहां की जनता में काफी क्रोध व्याप्त है, इसलिए अच्छा तो यह है कि जनता की भावनाओं का आदर करते हुए, यदि आप प्रजातन्त्र की भावनाओं का आदर करते हैं तो ग्राम पंचायतों की जो भावना है उनकी जो इच्छा है उसे पूरा करें ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : समाप्त करें ।

श्री हीरालाल आर्य : प्रधान ने लिखा है, प्रमुख ने लिखा है, मैंने लिखा है और जितने भी वहां के जन प्रतिनिधि हैं उन्होंने लिखा है जनता यह चाहती है । अगर आप प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं, प्रजातन्त्र में जनता के अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, जनता की भावनाओं का आदर करते हैं तो जो मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया है उसको बदलने की अविलम्ब कार्यवाही करें ।

श्री सभापति : समाप्त करें । माननीय सदस्य ।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदया, इस प्रश्न को लेकर वहां की जनता में भारी रोष व्याप्त है । वहां किसी भी ऐसे उग्र उपद्रव, आन्दोलन की आशंका है जिससे कि स्थिति और भी खराब हो सकती है ।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें । अभी इस विषय पर और भी माननीय सदस्य बोलेंगे ।

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदया, यह जीवन मरण का प्रश्न है इसलिये मेरा यही निवेदन है कि जनता की भावनाओं का आदर करते हुए इस निर्णय को बदलें अन्यथा स्थिति विस्फोटक होगी । अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी ।

श्री सभापति : श्री दाऊदयाल जोशी ! कृपया इन तथ्यों को रिपोर्ट नहीं करें ।

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : सभापति महोदया, इन्द्रगढ़ तहसील कोटा जिले में मिले यह एक ज्वलन्त प्रश्न है। अनेक बार इस प्रकार के प्रयास किये गये हैं लेकिन जनता के विरोध को देखते हुए, जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर राज्य सरकार इसको पहले बूंदी जिले मे मिलान मे अक्षम रही है। फिर कोई कारण नहीं था कि इन्द्रगढ़ नायब तहसील को बूंदी जिले म मिलाने का निर्णय किया जाय। सारी पचायतों, हर पंचायत समिति, पचायत समिति के प्रधान, जिला परिषद् के प्रमुख और वहां का प्रतिनिधित्व करने वाले जन प्रतिनिधियों ने सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव दिया है, नगरपालिका ने प्रस्ताव दिया है कि हर कीमत पर नायब तहसील को कोटा जिले मे ही रखा जाय। समय-समय पर इसके बूंदी जिले में मिलाने के प्रयास किये गये। एक मन्त्री की इच्छा सारे मंत्रिमण्डल की इच्छा मान ली जाय यह लोकतन्त्र में स्वीकार नहीं हो सकता है। मैं आपके माध्यम से शासन और वर्तमान में विराज रहे विधि मत्री से निवेदन करूंगा कि आप भी यह महसूस करते हैं कि इन्द्रगढ़ नायब तहसील का हित बूंदी में रहने से नहीं है, कोटा में रहने से ही है फिर भी, आप लगातार इसको हर कीमत पर बूंदी में मिलाने की हर संभव कोशिश करते रहे।

दूसरी ओर क्या कोटा से 45 किलोमीटर चलकर, वहां पहुंच कर आदमी न्याय प्राप्त करेगा? इधर वह 2 रुपये 30 पैसे में ट्रेन के द्वारा कोटा पहुंच कर न्याय प्राप्त कर लेगा और उधर 10 रुपये 65 पैसे खर्च करके बूंदी चलकर आयेगा, न्याय प्राप्त करने के लिए। यह कैसा न्याय है? किस प्रकार से सस्ते न्याय की दुहाई दी जा रही है? बूंदी में मिला कर कोई उपयोगी बात सामने नहीं आती है। अगर राज्य सरकार को मिलाने की ही बात करनी थी तो रावत भाटा तहसील को कोटा में मिलाने की बात करती, जवाहर सागर बांध को कोटा में मिलाने की बात करती। जवाहर सागर कोटा से केवल 33 किलोमीटर की दूरी पर है। यह हमारे राज्य की सबसे बड़ी योजना है। हर हालत में जवाहर सागर कोटा में मिलना चाहिए। 33 किलोमीटर पर ही राणा प्रताप सागर बांध है जो कि चित्तौड़ के अन्दर है। चित्तौड़ वहां से 65–70 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मंत्रिमण्डल को निर्णय लेना था तो राणा प्रताप सागर को कोटा में मिलाना चाहिए था, जवाहर सागर को कोटा के साथ मिलाना चाहिए था। उसको न मिलाकर मन्त्रिमण्डल ने जो निर्णय लिया है, उस पर पुनर्विचार करें वरना स्थिति विस्फोटक होगी, वातावरण बिगड़ेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कदम जनता उठा सकती है।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री बाऊदयाल जोशी : मैं इन्हीं शब्दों के साथ विधि मन्त्री जी को आसन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, कृपा करके, भगवान के नाम पर इन्द्रगढ़

(श्री दाऊदयाल जोशी)

के निवासियों को कष्ट मत दो, वे गरीब लोग है। इन्द्रगढ़ तो पहले ही उजड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ है........

(1. 10. म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : दो मिनट, मैंने आज्ञा माग ली थी।

श्री अध्यक्ष : आप लम्बा भाषण दे देंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मुझे तो कुछ कहना नहीं, विधि मन्त्री जी बैठे हैं, मै तो चाहता हूं वह स्वयं बतायें........

श्री अध्यक्ष : उनको पूर्व सूचना नहीं ......

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : वह कोनसा कारण है, जिसके कारण मंत्रि-मण्डल पर हावी होकर इस प्रकार के निर्णय करवा रहे है? मंत्री महोदय से आपके माध्यम से........

श्री अध्यक्ष : पूर्व सूचना तो चाहिए मन्त्री महोदय को.......

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप कह दें, कोई फिक्र की बात नहीं।

मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, अगर गुड सैन्स प्रिवेल हो जाये, अभी तक तो साम-दाम की नीति चला रहे थे, विधि मन्त्रीजी ने अब भेद नीति चलाना शुरू कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, रिपीटिशन नहीं करूंगा। हुआ क्या है, इन्द्रगढ़ नगरपालिका का काम नहीं चलता था। पिछले जनता पार्टी के राज के समय निर्णय हुआ कि मोहनगढ़ और सुमेरगंज मण्डी को उसके साथ मिला दिया जाय, उसकी रेवेन्यू को ठीक करने के लिए। माननीय मन्त्री महोदय ने उनको बुलाया जो सुमेरगंज मण्डी के अच्छे व्यापारी हैं, और कहा कि देखो, तुम नगरपालिका की चुंगी से बच सकते हो, तुमको मैं अलग कर सकता हूं, वापस, तुम इस बात को मन्जूर कर लो.......

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मन्त्री) : बिलकुल गलत कह रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय........

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : Let me complete। कह देना आप........

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं इसीलिये बता रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। बात कह रहा हूं, आपको प्रमाणित, सिद्ध कर सकता हूँ। मंत्री महोदय ने उन लोगों को बुलाकर, वहां के और लोगों को बुलाकर, तुम यह मंजूर कर लो......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । वाद विवाद नहीं होगा, माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, सारे तर्कों के आधार पर नायब तहसील कोटा की है। कोटा के साथ सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई है……..

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कम से कम राज्य सरकार को ऐसी नेक सलाह दें कि इस प्रकार की बाधा न डालें। आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं……..

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : रिजेक्ट । आज जो दिया है, उसी पर ही....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का समय ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं पिछले दो तीन दिन में राजस्थान प्रदेश में कुछ ऐसी घटनायें घटने से कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत विकट हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछले दिनों जयपुर में एक विदेशी महिला का अपहरण किया गया। ऐसे स्थान, ऐसी जगह से अपहरण किया गया जो सरकार के लिये, हम सब के लिये चिन्ता का विषय है। आस्ट्रेलिया निवासी × × × उसके पिता का नाम....

श्री अध्यक्ष : कृपया नाम न लें, व्यक्तियों के....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिसका अपहरण किया गया है, वह × × × नाम की लड़की थी।

श्री अध्यक्ष : लड़की का, किसी का नाम न लें। अपमान होता है इससे । विदेशी लड़की थी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अपहरण किया गया । 4 व्यक्तियों ने उसका अपहरण किया। पहले वह शराब पीकर कार में बैठकर आये, बॉम्बीनो रेस्टोरेन्ट एम. आई. रोड पर चमेलीवाला मार्केट में है, उसके अन्दर घुसकर पहले तो लड़की का हाथ पकड़ कर बाहर निकाला। उनमें से एक सरकारी अधिकारी था। उस समय तो वहां के कर्मचारियों ने लड़की को छुड़ा लिया। उसके बाद लड़की बाहर निकली तब उसको पकड़ कर 10-15 कदम घसीटा घसीट कर कार में डाल लिया। लड़की के साथ एक 60 साल का बूढ़ा भी था, वह

× × × नाम माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इंगलैण्ड का रहने वाला था। उस व्यक्ति ने एतराज किया तो उसको भी उसके साथ पकड़ कर कार में डाल लिया। उसको तो थोड़ी दूर ले जाकर कार से नीचे छोड़ दिया और अध्यक्ष महोदय, लड़की को फार्म पर ले गये। × × × के फार्म पर....

श्री अध्यक्ष : किसी का नाम न लें। नाम एक्सपंज कर दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, फार्म पर ले जाकर उस लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया। बंद करने के बाद चारों शराबी आपस में लड़ने लगे। लड़की किसी प्रकार निकलकर मजिस्ट्रेट के घर पहुंची....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का समय है, कृपया जल्दी कीजिए। कई विषय हैं। माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दूंगा इस पर....

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मन्त्री, गृह) : इस मामले में तीन लोग गिरफ्तार हो चुके, एक आदमी फरार है....

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ गया, आपकी समस्या समाप्त हो गयी। आर्डर प्लीज।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार की एक घटना सोडाला में डाका पड़ने की है, सोडाला में उसी दिन डाका पड़ा। डाका डालने के बाद डाकू वहां से अमानीशाह का नाला पार करके सोलसिंह की ढाणी में घुसे। वहां पर डाका डाला। 2 डाके डाले। डाके डालने के बाद चले गये। आज तक उन डाकुओं, जो 16 थे, का कोई पता नहीं चला।

इसी प्रकार जयपुर में तीसरी घटना उसी दिन घटी। अध्यक्ष महोदय, दो महिला डॉक्टर जा रही थीं। मालवीय नगर, ओ. टी. एस. के पास, स्कूटर पर जाकर तीन लड़कों ने उनके स्कूटर को रोका। उनके स्कूटर को नीचे गिराया और उनके गहने, जेवरात सारे छीनकर ले गये। यह दोपहर की घटना है, 11 बजे की। किस प्रकार घटनाएं घटती हैं एक ही दिन में? अध्यक्ष महोदय, उसी दिन दिन अलवर में 80 हजार का डाका डाला गया। अध्यक्ष महोदय, डाके पड़ते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में इस समय कानून और व्यवस्था पुलिस की निष्क्रियता से करीब करीब समाप्त हो चुकी है। जंगल का राज जयपुर में कायम हो गया है। आज जयपुर में दिन दहाड़े महिलाओं को लूटकर ले जाते हैं, जयपुर में डाके पड़ जाते है। जयपुर मे विदेशी महिला का अपहरण करके ले जाते हैं। इस बात से विदेशों में हमारी नाक कटती है। उसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल होता है। अध्यक्ष महोदय, एक मुल्जिम आज तक फरार है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कानून और

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
व्यवस्था की स्थिति हमारे लिये चिन्ता की बात है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं एक मिनट में। वह निवेदन छोटा है। वह यह है कि सीकर के अन्दर कानून और व्यवस्था की स्थिति.......

(व्यवधान)

इस बात के लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले 7-8 दिन से कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को सीकर में उन्होंने नियन्त्रित किया है लेकिन लड़कियों के पत्र राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं उनको आप पढ़ लीजिए.......।

श्री अध्यक्ष : सब पत्रिकाओं के इस तरह के जितने दुर्भाग्यपूर्ण समाचार हैं उनकी यहां व्याख्या न की जाये। आपने कह दिया, सर्टिफिकेट दे दिया कि कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक निवेदन करना चाहता हूं कि उन लड़कियों के पत्र आये हैं। लड़कियों के जो पत्र सम्पादक ने छापे हैं उनमें लड़कियों ने गुहार की है कि हमको आये दिन सड़कों पर लोग छेड़ते रहते हैं, हमारी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। छेड़ने वाले लोग प्रभावशाली परिवारों के लोग हैं, वह संरक्षित हैं। मै चाहूंगा, गृह मंत्री महोदय से, उन सब सारे तत्वों को....

(व्यवधान)

जयपुर में कम से कम ऐसी व्यवस्था करें।

(व्यवधान)

पर्यटन का केन्द्र बनाना चाहते हैं ..

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवा-हल) : मैं एक मिनट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य।

श्री भंवर लाल शर्मा : जयपुर का मामला है.......

श्री अध्यक्ष : जयपुर के मामले में सभी की रुचि है। हम भी वर्तमान में जयपुर में रहते हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : एक ही मिनट में।

श्री अध्यक्ष : एक ही मिनट में, मैं देख रहा हूं।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो घटनायें रोज घट रही हैं वास्तव में बड़े खेद व खोज का विषय है। पहले यह कहा करते थे कि चोर

(श्री भंवर लाल शर्मा)

को मारने से चोरी रुकती है लेकिन आज चोर को मारने से चोरी नहीं रुकती है, आज तो चोर की मां को मारने से चोरी रुकती है। चोर की मां कौन है? ऐसे अपराध कौन करते है? वह कोई साधारण व्यक्ति तो होंगे नहीं, उनको निश्चित रूप से राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। मेरा निवेदन यह है कि इधर उधर, छोटे मोटे व्यक्तियों को पकड़ने की बजाय जिन लोगों ने राजनैतिक संरक्षण दे रखा है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कारवाही करनी चाहिये। यह जो घटना घटी है विदेशी महिला के साथ, उसमें यह जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, इनमें से किसी का हाथ जरूर है। इसमें खोज की जानी चाहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आरोप बिलकुल गलत है। किसी को राजनैतिक संरक्षण प्राप्त नही है, मनगढ़त बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

बैठ जायं, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी।

श्री महाराम चौधरी (नागोर) : अध्यक्ष महोदय मैंने पंचायत समिति नागौर की ग्राम पंचायत श्रीबालाजी के सबंध में स्थगन प्रस्ताव दिया है। गांव वाले पिछले 3-4 दिन से लगातार छप्पर की शिकायत कर रहे हैं। गरीब को छप्पर योजना के अन्तर्गत 72 आदमियों को ऋण स्वीकृत हुआ। उस ऋण का उनको पूरा पैसा मिला नहीं। किसी को ढाई सौ किसी को तीन सौ रुपये मिले। सरकार को शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई।

इसी प्रकार अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत तालाबों की खुदाई के लिए कार्य शुरू किया गया। उसके मस्टर रोल बनाये गये लेकिन मस्टर रोल बिना काम कराये पेश कर दिये, पैसा उठा लिया। इस पैसे का भयंकर दुरुपयोग हुआ।

इसी तरह से पशु जल कुण्ड के लिए 70 हजार रुपया विकास अधिकरण, नागोर द्वारा स्वीकृत किया गया। इस परपज के लिए स्वीकृत किया गया कि पशुओं को पीने के लिए पानी की व्यवस्था की जाय। उस 70 हजार रुपयों का भयंकर मिसयूज हो रहा है। वह स्वयं के उपयोग में आने की जैसी बात है। इसी तरह से नायकों की ढाणी है वहां पर भी तीस हजार रुपयों का पशु जल कुण्ड बनाया जा रहा है। उस पर पूरा पैसा नहीं लगाया गया सिर्फ 15-16 हजार रुपया लगा करके गरीबों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहता था, यह घटना घट रही है। वह कुण्ड कम्पलीट हो जायेगा उसमें पूरा पैसा नहीं लगेगा। उस पैसे का दुरुपयोग होगा इसलिए जो कुण्ड बनाया जा रहा है उसको रोका जाय। इसलिए यह....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री महाराम चौधरी : बहुत महत्वपूर्ण विषय है और यह इस घटना से सम्बन्ध रखता है। इसके उपरान्त अगर आप मुझे इस सम्बन्ध में बोलने नहीं देते हैं तो इसकी कार्यवाही के लिए सरकार को भिजवा दिया गया जाये, जो उचित कार्यवाही करके....

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर ।

आपने बोल लिया, अब कोई कार्यवाही नहीं होगी ।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, उचित कार्यवाही के लिये भेजा जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री राजबहादुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में मुझे, अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से यह निवेदन करना है कि हाल ही में आर. जे. एस. और आर. टी. एस. की परीक्षायें, प्रतियोगितायें एक कर दी गई हैं, आमल चूल परिवर्तन किया गया है। इससे एक बहुत बड़ी हानि यह हो रही है कि जिन काम्पीटिटर्स को केण्डीडेट्स को यह अवसर मिलता था कि आर. जे. एस. में अलग वे शामिल हो जायें, आर. टी. एस. में अलग शामिल हो जायें और तीन चान्सेज चार चान्सेज अधिक मिल जाते थे उससे वे वंचित हो गये। दूसरी बात यह कि 26 से 28 की ऐज लिमिट की गयी थी 1978 में, इस बीच में यू. पी. में....

श्री अध्यक्ष : मेरा मतलब यह है कि यह रिजेक्ट हो जायेगा, अब जानकारी नहीं आयेगी ।

श्री राजबहादुर : इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं, आपसे। आपने शुरू में रिजेक्ट किया था। पहले ऐज लिमिट 26 थी फिर 28 हुई सन् 70 में। इस बीच में यू. पी. में 30 हो गई, मध्य प्रदेश में 30 हो गई, हरियाणा में 30 हो गई, तमिलनाडू में 30 हो गई, बिहार में 30 हो गई है, इसके अलावा आर. जे. एस. और लेक्चरर्स के लिए भी ऐज लिमिट 35 ईयर्स है अगर यह सारा आमूल चूल परिवर्तन करना था, तो यह देखते हुए कि रूरल यूथ, खासकर जिनकी बहुत देर से शिक्षा शुरू होती है, देर में ही डिग्रियां प्राप्त करते हैं, क्वालिफिकेशन प्राप्त करते हैं, को आवश्यक समय देने के लिए ऐज लिमिट 30 वर्ष होनी चाहिये थी। एक बात और है। अभी 15-20 दिन पहले नोटिफिकेशन निकला काम्पीटिशन का, एग्जामिनेशन का और 22 तारीख परसों गोया लास्ट डेट है एप्लीकेशन की। इन सारे हालातों में, अध्यक्ष महोदय, कोई उपाय नहीं था, सिवाय स्थगन प्रस्ताव के जरिये मैं शिक्षा मन्त्री का और सरकार का अटेन्शन ड्रा करूं। हजारों लाखों युवक जो प्रतिभाशाली हमारे नौजवान हैं वे वंचित रह जाते हैं। अपने चांस से भी रह जाते हैं, उनके साथ पूरा न्याय नहीं होता। मैं आशा करता हूं, लेट स्टेज पर प्रतियोगिता की तारीख बढ़ाई जायेगी और साथ साथ ऐज की लिमिट, जो खाली गवर्नमेन्ट के अधिकार में है कोई स्टेटुअटरी बिल लाने की जरूरत नहीं है, बढ़ायेंगे। फिर यह भी सोचेंगे कि इन दोनों को एक कर

(श्री राजबहादुर)
रहे हैं तो तीन चान्सेज चार चान्सेज मिल जाते थे केण्डीडेट को, आर.जे.एस. में भी बैठ सकता था, आर.टी.एस. में भी बैठ सकता था, दोनों में बैठता था इससे यह सारे चान्स खतम हो जाते हैं। पता नहीं, आपने किस खयाल से किया है, क्यों किया गया है इससे कोई हित तो हुआ नहीं है प्रतिभाशाली और होनहार जो हमारे नवयुवक हैं उनका इससे अहित हो हुआ है। मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट से आशा करता हूं कि जरूर इस पर विचार करेगी। अव्वल तो जो 22 तारीख लास्ट डेट है एप्लीकेशन्स की, उसको आगे बढ़ायेंगे। आमूल-चूल परिवर्तन किया वह बहुत ही नजदीक में किया है। आमूल-चूल परिवर्तन के साथ ऐज का परिवर्तन जरूर होना चाहिये, जैसा और में 30 वर्ष ऐज लिमिट हो चुकी है। फिर यह भी है कि अगर रूरल यूथ को आगे लाना है, बैकवर्ड क्लासेज को आगे लाना है शिड्यूल्ड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स को आगे लाना है तो निश्चित रूप से आपको ऐज बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि उनकी शिक्षा भी देर से शुरू होती है और योग्यता भी देर से प्राप्त करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आशा प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : माननीय अध्यक्ष महोदय इस पर मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दो विषय हैं आपके, वन विभाग की चौकियों के बारे में और दूसरा है आवासन मण्डल के बारे में। अपनी बात कह दें।

श्री हरीश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया था बहुत इम्पार्टेन्ट मामला है, माननीय राजबहादुरजी भी बोले हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार, हरियाणा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तीस साल उम्र है कॉम्पीटिशन, परीक्षा देने की जब कि राजस्थान में पहली बार चेन्ज किया है बगैर सूचना दिये। यहां के जो होनहार छात्रों को प्रतिभाओं को पता नहीं था कि चेन्ज हो जायेगा, कितना परटर्ब होगा? अध्यक्ष महोदय, सब कम्बाइन्ड कर दीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विषयान्तर हो गये हैं।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत उपयोगी है।

श्री अध्यक्ष : उपयोगी विषय हो सकता है और सबकी रुची हो सकती है लेकिन इस सम्बन्ध में प्रस्ताव नहीं दिया है कृपया अपने आपको वन विभाग और आवासन मण्डल तक ही सीमित रखकर दो मिनट में अपनी बात कहने की कृपा करें।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वन मन्त्री कोटा और रावत भाटा पधारे थे। उनको खुद को पता है रावत भाटा में गांव वालों ने कितनी शिकायतें कीं। मैं उस एरिया से पहले विधायक था, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जंगलों की बहुत रक्षा की और जो जंगल काटते थे उनके खिलाफ मैंने लड़ाई की। मेरे सामने अब समस्या हो गई, एक तो शरीर मे मैं कमजोर हो गया नहीं तो मैं उनकी टांग तोड़ देता। दूसरी बात, वहां पर जो

(श्री हरीश शर्मा)

गूजर लोग हैं उनको लोग बहुत मारते हैं, उनकी औरतों को पीटते हैं, पकड़ कर ले जाते हैं। सारा जंगल कटवा दिया। मैं सारे आदमियों को जानता हूं, मेरे को नाम मालूम है, उन्होंने पत्थर फेंके। माननीय अध्यक्ष महोदय, एन्गल कितने महंगे होते हैं, उनको तोड़कर ले जा कर बेच देते हैं। एक एन्गल बाकी नहीं रखा। वन और वन्य जीवों की रक्षा की जानी चाहिये लेकिन जंगलों की कटाई हुई है, मुझे इस बात का दुःख है। वहीं पर कुछ नहीं मिलता।

श्री अध्यक्ष : अब आवासन मण्डल पर।

श्री हरीश शर्मा : सारे जंगल साफ हो जाते हैं। जंगलों से बरसात होती है, जंगलों से बाढ़ रुकती है, जंगलों से पानी आता है उससे एग्रीकल्चर होती है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये। आवासन मण्डल पर आ जायं।

श्री हरीश शर्मा : आवासन मण्डल में जिनका 73 में पंजीकरण हुआ आज तक उनको मकान नहीं मिला। आज भी उनको मकान अलॉट नहीं हुआ। इन्होंने कहा है, भूतपूर्व सैनिकों का रिजर्व कोटा है, लेकिन उनको भी मकान नहीं दिये गये। भूतपूर्व विधायकों, भूतपूर्व सैनिकों का रिजर्व कोटा है उनको भी मकान नहीं दिये गये। 73 में रजिस्ट्रेशन हुआ उनको आज तक मकान नहीं मिले। लोगों को मकान नहीं मिलते किराया बहुत भयंकर है फिर आवासन मण्डल का उपयोग क्या है।

मेरा आपसे निवेदन है कि आवासन मण्डल को समस्या को सुलझाया जाये।

फारेस्ट के बारे में मेरा निवेदन यह है, मैंने पहले भी कई दफा कहा है, मंत्रिमण्डल में भी निर्णय हुआ था कि वहां पर अतिरिक्त मुख्य सचिव की नियुक्ति की जायेगी, अभी तक वहां पर उनको नियुक्ति नहीं की गयी है इसलिए उनकी नियुक्ति की जाय।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री राम कंवार बैरवा रेल सुविधा के बारे में। इस तरह की सुविधा हो गई है।

श्री यदुनाथसिंह: सरदार शहर में आयुर्वेद विद्यालय में मारपीट की घटना। इच्छा न हो तो रहने दीजिये।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : मैं विद्यार्थियों को लेकर मंत्री जी से भी मिला था, सैटलमेंट हो गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मैं हर विषय पर इजाजत नहीं दे सकता।

श्री हंसराज शर्मा, सवाई माधोपुर में महाविद्यालय में कुछ अतिरिक्त कक्षायें लगाने के विषय में। इस संबंध में सरकार का उत्तर आपने सुन लिया, मेरे खयाल से इसकी कोई...

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिला सवाई माधोपुर एक पिछड़ा हुआ जिला है। यहां अधिकतर आबादी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की

(श्री हंसराज शर्मा)

है। सवाई माधोपुर में जो महाविद्यालय है उसमें पढ़ने वाले छात्र इस बात की मांग कर रहे हैं कि हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं, इसलिये विद्यार्थियों के लिये अतिरिक्त कक्षायें खोली जायं और अतिरिक्त शैक्षणिक संस्थायें चलायी जायं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, सरकार ने कहा कि हम व्यवस्था करेंगे लेकिन अभी तक इसका प्रबन्ध नहीं किया गया है। सवाई माधोपुर महाविद्यालय में एग्रोकल्चर का विषय नहीं है। हायर सैकण्डरी स्कूल जो सवाई माधोपुर में हैं, केवल वहां पर हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री हंसराज शर्मा : मेरी आपके माध्यम से मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि वहां पर एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट रखा जाय जिससे वहां के छात्रों को दिक्कत न हो। हमारे जिले में हायर सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी में पढ़ने वालों के लिये कोई साधन नहीं है। अगर सवाई माधोपुर महाविद्यालय में इसकी व्यवस्था कर दी जाती है तो छात्रों में जो असन्तोष है वह समाप्त हो जायेगा, नहीं तो वह उग्र रूप धारण कर लेगा। इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि जो विद्यार्थी दूर-दूर से शिक्षा के लिये आते हैं उनके लिये यह व्यवस्था कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री बंसीलाल पटवा। राजकीय महाविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के बारे में। आप एक रिजेक्ट करवाना चाहते हैं, वह कौन सा है ?

श्री बंसीलाल पटवा (भीलवाड़ा): पुलिस की ज्यदातियों के सन्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : दोनों पर दो-दो मिनट बोल लीजिये।

श्री बंसीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं जिन पर आपने इजाजत दी। एक पुलिस से संबंधित था। मेरा निवेदन है कि भीलवाड़ा जिले में जो एस.पी. हैं वह काफी अच्छे हैं। उन्होंने कई सुधार के प्रयत्न भी किये हैं लेकिन वहां के सदर थाने में जो व्यक्ति रहते हैं वह इर्रेगुलेरिटी करने में हेबिचुएटेड हैं। भीलवाड़ा में 3-8 को नवज्योति के प्रतिनिधि को पकड़ा गया और उनको हथकड़ी लगायी गयी। उनकी पत्नी गई तो उसको अपमानित किया गया। कुछ दूसरे पत्रकार गये तो उनको भी अपमानित किया गया। इस तरह से चाहे कोई सदर थाना हो, चाहे थाना हो, काम्पीटेंट अथारिटी नहीं होने के कारण, कोतवाली के अन्दर कोतवाल की अच्छी व्यवस्था नहीं होने के कारण आये दिन इसी तरह की छोटी-मोटी घटनायें घटती रहती हैं। इसी तरह से पिछली तीन तारीख को शक्करगढ़ में एक व्यक्ति को पुलिसपकड़कर ले गयी नकबजनी कीइन्वेस्टीगेशन के लिये और उसको टार्चर किया गया। सात हजार लोग इकट्ठे हो गये कोतवाली के सामने, उसको छोड़ने की मांग करने लगे। जो डीवाई. एस. पी. शाहपुरा से गये थे, उन्होंने बिना सूचना के, बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बल प्रयोग किया, हवाई फायर किया। उसके बाद एडीशनल

(श्री बंसीलाल पटवा)

एस.पी. गये उन्होंने व्यवस्था करने की कोशिश की, स्थिति पर काबू पाना चाहा, लेकिन कामयाब नहीं हुए। फिर एस. पी. वहां पर गये और उन्होंने वहां की स्थिति पर काबू पाया। हमारे यहां पर पुलिस इस तरह से जो निरपराध व्यक्ति हैं, उनको पकड़ती है और टार्चर करती है इससे उत्तेजना फैलती है। इसी तरह से दो तारीख को भीलवाड़ा में एक सिपाही पुलिस के हथियार के स्टोर से बन्दूक उठा कर ले गया और हरिजन पर गोली चला दी। वह व्यक्ति घायल हुआ और अस्पताल में पड़ा रहा। इसी तरह से बनेड़ा में....

श्री अध्यक्ष : दूसरे विषय पर आ जायें।

श्री बंसीलाल पटवा : आ ही रहा हूं।

इसी तरह से विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह से वहां आये दिन ऐसी घटनायें घटती रहती हैं। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि पुलिस की व्यवस्था ठीक की जाय थानों की व्यवस्था ठीक की जाय अन्यथा हालात खराब हो जायेंगे। यदि व्यवस्था नहीं की गई तो लोगों में असन्तोष बढ़ेगा, इस पर राज्य सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन है, कालेज के के बारे में। उसके बारे में उत्तर आया कि विद्यार्थी भर्ती हैं। इस संबंध में मेरा निवेदन है पिछली बार मुख्य मंत्री जी भीलवाड़ा गये थे। उन्होंने वहां गर्ल्स के लिये कामर्स फैकल्टी खोलने की बात कही थी, लेकिन अभी तक एक्जीक्यूशन नहीं हुआ। वहां पर गर्ल्स कामर्स कालेज नहीं खोला गया। इसी तरह से करीब सत्तर से अधिक छात्रों, जो अच्छे नम्बरों में पास हुए हैं, के प्रवेश फार्म पेंडिंग पड़े हैं, उनको भर्ती नहीं किया गया। कहा जाता है कि उन्होंने सम्पर्क नहीं किया, यह बिलकुल मिथ्या है। इसी प्रकार से कामर्स कालेज अलग से खोलने की व्यवस्था की है, लेकिन प्रिंसिपल की व्यवस्था नहीं की गई है जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर अव्यवस्था फैल गयी है। लड़कों के काम पेंडिंग पड़े हैं। आज यदि गर्ल्स कालेज में कामर्स फैकल्टी खोल दी जाय तो राजकीय महाविद्यालय की जितनी भी छात्रायें हैं वह उधर चली जायेंगी। तो मेरा आपसे निवेदन है कि गर्ल्स कालेज में कामर्स फैकल्टी खोलने की जो घोषणा की कई है वह पूरी की जाय। जिन विद्यार्थियों के अच्छे प्रतिशत हैं उनको भर्ती किया जाये, यदि नहीं किया गया तो असन्तोष बढ़ेगा और उसके लिये सरकार जिम्मेदार होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी, महाराव भीमसिंह अस्पताल में श्री गजेन्द्रसिंह की मृत्यु।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार ने जवाब दिया है कि पूरी पूरी चिकित्सा की गई। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, रिटायर्ड श्री गोविन्दसिंह की इकलौती सन्तान, श्री गजेन्द्रसिंह की शादी एक साल पहले हुई। डेढ़ बजे वह मेटाडोर के एक्सीडेंट में घायल हुआ और उसको महाराव भीमसिंह अस्पताल में इन्टेंसिव केयर वार्ड में भर्ती करवाया गया। जैसी राज्य सरकार ने आपको जानकारी दी है, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर, उसकी पूरी चिकित्सा की गई। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता

(श्री दाऊदयाल जोशी)

हूं, अगर आपको सही सूचना दी है कि सही सही चिकित्सा की गई तो यह बतायें कि गजेन्द्र सिंह का आपरेशन कब किया गया ? 1½ बजे एक्सीडेंट हुआ, 2½ बजे वह इन्टेंसिव केयर वार्ड में आ गया। वार्ड में आने के बाद उसकी कोई समुचित चिकित्सा नहीं की गई। 2½ बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक किसी प्रकार की कोई समुचित चिकित्सा व्यवस्था महाराव भीमसिंह अस्पताल में नहीं की गई। 7½ के बाद गजेन्द्र सिंह का आपरेशन किया गया। इकलौता पुत्र, वह भी किसका ? डा. गोविन्दसिंह का, जो सरकारी अस्पताल का डाक्टर था और 1½ साल पहले रिटायर हुआ था। ऐसे व्यक्ति की भी समुचित चिकित्सा व्यवस्था महाराव भीमसिंह अस्पताल में नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह मर गया। आज की तारीख में भी कोटा के महाराव भीमसिंह अस्पताल में कोई न्यूरो सर्जन नहीं है। न्यूरो सर्जरी की चिकित्सा व्यवस्था नहीं है और फिर सरकार आपको जवाब दे रही है। हमको गुमराह करे सो करे लेकिन आसन को गुमराह करती है कि समुचित व्यवस्था की गई। क्या की गई ? इकलौती संतान चली गई।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, सदन के सामने आपने बात कह दी।

श्री दाऊदयाल जोशी : जैसी सूचना आपको दी गई....

श्री अध्यक्ष : मेरे पास सूचना आ गई।

श्री दाऊदयाल जोशी : अगर वास्तव में 2½ बजे से लेकर 7 बजे तक....

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर लाल शर्मा। आर्डर प्लीज, कृपया, बैठ जाइये। आसन आपको अनुमति दें तभी बोलें। श्री भंवर लाल शर्मा, श्री नन्द किशोर की गिरफ्तारी के संबंध में।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मैं जिस घटना का विवरण दे रहा हूं, वह एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। वैसे तो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी एक बड़ी बात नहीं कही जा सकती....

श्री अध्यक्ष : हां, स्थगन प्रस्ताव का तो विषय नहीं बन सकता।

श्री भंवर लाल शर्मा : लेकिन आप मेरे कहने के बाद स्वीकार करेंगे कि वास्तव में यह बहुत बड़ा गम्भीर विषय है। प्रारम्भ में लगता है, कोई बड़ा विषय नहीं है लेकिन कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, सदन के सामने रखना चाहता हूं उससे निश्चित रूप से मेरी मान्यता है कि आप मेरे साथ सहमत होंगे। यह घटना जैसा मैंने निवेदन किया, एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से ही केवल संबंधित नहीं है, इसके पीछे देखें, कारण क्या हैं। आजकल हम देख रहे हैं राजनैतिक कारणों से समाज के प्रत्येक वर्ग में कांग्रेस की ओर से ऐसा आतंक फैलाया जा रहा है, इस प्रकार एक्शन्स किये जा रहे हैं कि राजनीति में काम करने वाले, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग आतंकित हैं, भयभीत हैं। उनमें से भी यह घटना है। यह घटना है नांगल बोहरा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ग्राम की जो जयपुर से करीब 6 किलोमीटर दूर है। वहां पर श्री नन्द किशोर एक बड़े उत्साही श्रौर बड़े कर्मठ सामाजिक श्रौर राजनैतिक कार्यकर्ता हैं जो समय-समय पर वहां पर राजनेताओं द्वारा किये गये अनुचित व गलत कार्यों का विरोध करते हैं श्रौर ऐसे कार्यों से जो जनता को दुख होता है उसको मिटाने के लिये कार्यवाही करते रहते हैं। उसका परिणाम यह है कि आज भी वह कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की श्रौर राज-नेताओं की ग्रांखों में खटकने लगे हैं श्रौर उसके परिणाम स्वरूप उन पर विभिन्न प्रकार के केसेज लगाये जा रहे हैं, लेकिन वह एक वीर कार्यकर्ता हैं। इतना होने के बावजूद भी उन्होंने अपने कर्त्तव्य को नहीं छोड़ा श्रौर समय-समय पर ऐसे कार्यों का जिस स्तर पर विरोध करने के लिये आवश्यकता पड़ती है उसको करते रहते हैं।

इसी प्रकार से एक घटना अभी कुछ दिन पहले इसी ग्राम में रहने वाले श्री सोहन-लाल नाम के व्यक्ति, जो जाति से हरिजन है, के साथ घटी। उस व्यक्ति ने एक प्रार्थना पत्र दिया जलदाय विभाग को कि मुझे भी पानी पीने के लिये मेरे घर पर पानी का नल लेने की इजाजत दी जाय। वह पानी का कनेक्शन चाहता था वह भी अपने खर्चे मे। उससे कहा गया कि तुम पंचायत में जाकर नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाम्रो। वह नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने के लिये गया। उससे 50) रुपये मांगे गये यद्यपि ऐसी कोई फीस नहीं है लेकिन 50) रुपये मांगे गये फिर भी वह कनेक्शन नहीं दिया गया। उसके बाद श्री नन्द किशोर ने कहा कि इस प्रकार का अत्याचार, अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। आपको कनेक्शन देना होगा, यह गरीब आदमी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, झोटवाड़ा पंचायत समिति की जो प्रधान हैं शकुन्तला श्रीवास्तव, यहां नाम लेना मना है इसलिये नाम नहीं लूंगा। उन्होंने क्योंकि श्री सोहन लाल हमारी पार्टी का है उनकी पार्टी का व्यक्ति नहीं है, ऐसा मानकर उसको कनेक्शन नहीं दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि वह मामला कुछ पत्रकारों के हाथ में आ गया और उन पत्रकारों ने दिनांक 28 अगस्त के इण्डियन एक्सप्रेस में छाप दिया जिससे उन्हें श्री नन्द किशोर से चिढ़ हुई।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : दो बजे से पहले कर दूंगा। I am the last speaker.

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। दो दो मिनट का समय दिया है सब को स्थगन प्रस्तावों पर बोलने के लिये। कृपया समय का ध्यान रखें, कार्य सूची बहुत लम्बी है। आर्डर प्लीज। दो मिनट। सचेतक भी इस तरह का उदाहरण पेश करेंगे तो अन्य माननीय सदस्य भी प्रेरित होते हैं नियमों का उल्लंघन करने के लिये।

श्री भंवर लाल शर्मा : दो मिनट।

मेरा चार्ज है कि राजनैतिक आधार पर उस व्यक्ति को धारा 110 सी.आर.पी. सी. में गिरफ्तार किया गया। यह राजनैतिक विद्वेष से किया गया है और उसका सबूत यह है कि जब उस व्यक्ति को गिर-फ्तार कर थाने पर ले गये उससे पूर्व उस

(श्री भंवरलाल शर्मा)

थाने पर, जो खिलाफ दल के लोग हैं, 150 व्यक्ति मौजूद थे। वहां फोटोग्राफर की व्यवस्था थी। चुने हुये व्यक्ति को हथकड़ी नहीं लगाई जाती है और वह व्यक्ति आज भी उस ग्राम पंचायत का पंच है उसके बावजूद उसको हथकड़ी डालकर उसका प्रदर्शन किया गया, अदालत में ले जाया गया। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यदि 110 का अपराधी होता तो थाने पर न भीड़ होती न फोटोग्राफर की आवश्यकता होती, ये तीनों घटनायें, कांग्रेस के लोगों का इकठ्ठा होना, फोटोग्राफर का मौजूद होना चुने हुए व्यक्ति के हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन करना, इस बात को प्रमाणित करती हैं कि यह राजनैतिक षड़यन्त्र था और राजनैतिक षड़यन्त्र के नाते उनको पकड़ा गया। फिर यह सैक्शन 110 क्या है। मैं उस सैक्शन को पढ़कर सुनना चाहता हूं। 110....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कानून का उदाहरण देने के लिये सेक्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप भी जानते हैं, हम जानते हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : 110 सी.आर.पी.सी. के अपराध में सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ताओं को यदि इस प्रकार से और भी जयपुर के नजदीक गिरफ्तार किया जायेगा, बन्द किया जायेगा उनको हथकड़ी डालकर उनका प्रदर्शन किया जायेगा तो निश्चित रूप से यह कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मेरा चार्ज है कि ये लोग जो मेरे सामने वाली बैंचों पर बैठे हैं, निश्चत रूप से इन हरकतों में उनका हाथ है और उन्होंने राजनैतिक आधार पर ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार से प्रताड़ित और अपमानित करने का षड़यंत्र रचा है, वह निंदनीय है और मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में जंच की जाय कि वास्तव में वह 110 का अपराधी था? अगर नहीं था, तो जिन जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : मैं आधा मिनट बोलूंगी। मेरी पंचायत समिति का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट आपको भी।

सुश्री पुष्पा जैन : जैसा कि हवा महले से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया महज राजनैतिक रंजिश के कारण श्री नन्दकिशोर को गिरफ्तार करके हथकड़ी लगाकर भोटवाड़ा के बाजार में घुमाया गया और हर प्रकार से जलील किया गया। यह रंजिश निकालने की जो उनकी इच्छा थी वह बहुत दिनों से थी, खास तौर से प्रधान के चुनाव के बाद यह इच्छा उनकी बहुत ज्यादा प्रबल हुई। प्रधान के चुनाव में नन्दकिशोर ने कांग्रेस पार्टी का विरोध किया, वह दूसरी राजनैतिक पार्टी को बिलांग करते हैं, प्रधान का चुनाव जीतने के बाद क्योंकि वे कुर्सी पर आ गये इसलिये उन्होंने अपनी प्रबल इच्छा कार्य रूप में परिणत करने के लिये ऐसा किया। श्री हेगराम वहां के एस. एच. ओ. थे, जो बहुत दिनों तक कहने के बावजूद इस

(सुश्री पुष्पा जैन)

कार्य के लिये तैयार नहीं हुए कि बिना वजह से किसी को 110 में गिरफ्तार किया जाये । उस आदमी का ट्रांसफर करके श्री दिनेश शर्मा को लाया गया । राजनैतिक कार्यकर्ताओं को जबर्दस्ती जलील, परेशान किया जाय और मनमाने केसेज दायर करके अपनी इच्छाओं को कार्य रूप में परिणत किया जाय....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें ।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं सरकार को आगाह करना चाहूंगी कि यदि इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर, अपने मनमर्जी के आदमी लाकर आपने राजनैतिक कार्यकर्ताओं को परेशान किया तो वह दिन दूर नहीं जब दूसरी राजनैतिक पार्टियां इसी बात के लिये अग्रसर हो जायेंगी और उसके परिणाम आपके हक में बहुत बुरे होंगे ।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये दो मिनट मैं भी बोलना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर अभी भंवरलालजी शर्मा, जो हवामहल क्षेत्र के माननीय सदस्य हैं, ने जो बात बतायी मेरा यह निवेदन है कि झोटवाड़ा मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है और

(व्यवधान)

हां, नागल बोहरा मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है ।

(व्यवधान)

हां, हां, मेरे विधान सभा क्षेत्र में है । उपाध्यक्ष महोदय, यह आदमी ऐसा है जिससे पूरी झोटवाड़ा पंचायत समिति भयभीत है । इस आदमी का काम है, लोगों के साथ झगड़ा करना और लोगों के साथ मारपीट करना । यह इन्होंने अपना काम बना रखा है । इतना ही नहीं, यहां तक कि पुलिस के सिपाहियों को इन्होंने मारा पीटा है और पुलिस के ए. एस. आई. को भी पीट दिया है । इसके अलावा जब झोटवाड़ा के विकास अधिकारी सीमेन्ट बांटने गये तो इन्होंने उनको भी लान्छित किया । इसके अलावा पानी के कनेक्शन के बारे में जब जिलाधीश महोदय के यहां पर बैठक थी उस समय मैं भी वहां मौजूद था । पंचायत समिति के द्वारा एक फण्ड हर आदमी से इकट्ठा किया जा रहा था तब इन्होंने उस फण्ड में पैसा देना नहीं चाहा इनके साथ जोर जबर्दस्ती की । इनका कोई एक केस हो तो बताऊं, उपाध्यक्ष महोदय, इनके तो कई मामले हैं । चाहे कोई धर्मशाला का मामला हो, चाहे कोई स्कूल बिल्डिंग का मामला हो इनके कई घपले किये हुए हैं । मेरी आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह मांग है कि इनके खिलाफ जांच कराई जाय और मालूम किया जाय कि असलियत क्या है ।

एक माननीय सदस्य : जांच करायी जाय ।

श्री शिवराम शर्मा : हां हां, बिलकुल जांच करायी जाय । चाहे धर्मशाला का मामला हो, चाहे कोई मामला हो यह गड़बड़ करते हैं । इन्होंने गुण्डागर्दी फैला रखी है । इनके खिलाफ वहां की जनता

(श्री शिवराम शर्मा)

ने एस. पी. साहब को, मुख्य मन्त्री जी को और आई. जी. पी. साहब को एप्लीकेशन दे रखी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिये । आप बैठ जावें, माननीय सदस्य।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र
प्रतिवेदन

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्रीमती कमला : कृषि मंत्री।

श्रीमति कमला (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं भूमि विकास अधिनियम, 1975 की धारा 38 की उप धारा 3 के अन्तर्गत राजस्थान भूमि विकास निगम के 30 जून, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन एव लेखों से सम्बन्धित 7 वां प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखती हूं।

व्यवस्था का प्रश्न
सांसद के विरुद्ध विशेषाधिकार
हनन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार हनन प्रश्न। श्री कमलेन्द्र सिंह।

(1. 50. म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि यहां पर जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा रहा है उस पर मुझे आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले उसे पेश तो होने दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, वह पेश ही नहीं हो सकता।

श्री उपाध्यक्ष : यह आप एन्टीसिपेट कैसे कर सकते हैं कि वह पेश नहीं हो सकता।

श्री भंवरलाल शर्मा : पेश नहीं हो सकता है, साहब।

श्री बुलाराम : आसन ने उनका नाम पुकारा है पेश तो वह होगा।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में विधायकों और संसद सदस्यों को यह सुरक्षा प्रदान की गयी है कि उनके कार्यों पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। उनको किसी प्रकार का....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह कैसे कह रहे हैं आप। आपके एतराज जो भी हैं वह आप बाद में उठा सकते हैं। सदन में प्रस्ताव आने के पहले आप कैसे उठा सकते हो।

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें। मैंने व्यवस्था दे दी है। यह तो आप सदन में मोशन आने के बाद बोलना।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह आपने कैसी व्यवस्था दे दी है। मैं आपको रूल कोट कर रहा हूं। रूल 157 जो है, यह जो आपने व्यवस्था दी उससे तो अव्यवस्था कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, रूल 157 में यह है

"A member may, with the consent of the Speaker, raise a question involving a breach of privilege either of a member or of the House or of a Committee thereof."

यह इसमें लिखा है लेकिन "If there is any objection from a member, then it cannot be raised." This is my objection.

यह प्रिविलेज मोशन जो है यह पेश ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज ही नहीं हुआ है। एक व्यक्ति एम. एल. ए. की केपेसिटी में अलग अलग काम करता है। एक एम. एल. ए. यात्रा करता है, कूपन लेकर यात्रा पर जाता है।...

(व्यवधान)

श्री चेतराम मीणा : अखबारों की न्यूज को आप नहीं मानते हैं क्या।

(व्यवधान)

श्री बुलाराम : आपने इन्दिराजी के खिलाफ में क्या किया था, पता नहीं है क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : साहब, अगर इस तरह से अव्यवस्था होगी तो कैसे काम चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि इन्होंने जो प्रिविलेज मोशन रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने पढ़ा है उसको ? आपको पता है, क्या दिया है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इन्होंने यह प्रस्ताव दिया है उसमें इन्होंने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने उसको पढ़ा है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : किसको ?

श्री उपाध्यक्ष : उस प्रिविलेज मोशन को।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, पढ़ लिया है। आप मेरी बात सुनिये।

इसमें इन्होंने चार्ज लगाया है कि राज्य सभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें एम. एल. एज. ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिये। जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है उन्होंने एम. एल. एज. को खरीद लिया है। यह चार्ज लगाया है। यह ब्रीच आफ

(श्री भंवरलाल शर्मा)

प्रिविलेज के अन्तर्गत नहीं आ सकता है। मेरा निवेदन यह है कि हम लोग राज्य सभा के लिये जो वोट देते हैं क्या वह हमारी सदन की कार्यवाही का अंश है? Only when they act as members.....

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लिजिये।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह तो एम. एल. एज. का प्रिविलेज ।

श्री उपाध्यक्ष : They vote as members of the House.

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मेरी बात तो सुन लिजिये। मेरी बात सुनने के बाद भी निर्णय देने का अधिकार आपके पास ही है। आप बाद में निर्णय दे देना। आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : हां हां, सुन रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : साहब, यह मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : वह कहते हैं कि प्रिविलेज मोशन ही नहीं बनता है।

श्री कमलेन्द्रसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह मोशन एडमिट हो गया है। मुझे सदन में पेश करने की अनुमति दे दी गयी है। अब मैं जब यह मोशन सदन में पेश कर दूं उसके बाद में यह चाहें तो आबजेक्शन पेश कर सकते हैं पर यह बाद में होगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रूलिंग पेश कर रहा हूं। साहब, आप मेरी बात तो सुन लिजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। रूलिंग वूलिंग मैं सब जानता हूं। आप विराजिये, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप मेरी बात तो सुनिये। मैं रूलिंग पेश कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मेरी रूलिंग वूलिंग सब देखी हुई है, माननीय सदस्य।

माननीय सदस्य, आप बिराजिये। आप बैठ जाइये। I will give you opportunity.

श्री भंवर लाल शर्मा : आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, Please, आप बैठ जाइये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं आपसे कह रहा हूं, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ब्रीच आफ

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रिविलेज का प्रस्ताव दिया है उसके हाउस में प्रस्तुत होने के बाद में उस पर जो आपत्ति होगी उस आपत्ति को पेश करने की अनुमति आप हमें प्रदान करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बिलकुल देंगे। पर मोशन हाउस में आने के बाद में।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो रूल 157 के अनुसार आपत्ति उठायी है वह रूल 157 के तहत नहीं उठायी जा सकती है वह तो रूल 158 के तहत उठायी जा सकती है पर वह भी सदन में मोशन रखे जाने के बाद। अब यह प्रश्न है कि यह प्रिविलेज का मोशन ही नहीं है तो हाउस में इस मोशन को रखने की इजाजत दे दी गई है, उसको मान लिया गया है।

विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित श्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक वक्तव्य पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री कमलेन्द्र सिंह।

श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है। जो मैंने विशेषाधिकार का हनन प्रस्ताव रखा है उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य अपने आबजेक्शन पेश कर सकते हैं पर पहले मेरी बात को सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप उनकी बात को इग्नोर करके अपना प्रस्ताव रखें।

श्री कमलेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनकी बात को बिलकुल इग्नोर करते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने विशेषाधिकार हनन का यह प्रश्न उठाया है कि दिनांक 4 अप्रेल, 1982 के राजस्थान पत्रिका के अंक में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का बयान छपा है, उस बयान में यह है कि राजस्थान में कुछ विपक्ष के विधायक खरीद लिये गये जिसके कारण भाजपा प्रत्याशी सुन्दरसिंह भण्डारी चुनाव हार गये। उल्लेखनीय है कि राजस्थान से राज्य सभा के लिये हाल ही में सम्पन्न हुए तीनों प्रत्याशी सत्ता रूढ़ दल कांग्रेस (आई) के विजयी हुए।

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने सदन के माननीय सदस्यों पर आरोप लगाया है। उपाध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य होने के नाते उनके कुछ विशेष अधिकार होते हैं, उन्हें सम्मान मिलता है, उसको हनन करने का प्रयास किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न मैं इसको मानता हूं इसके लिये मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस को कोट करना चाहता हूं। मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस में यह लिखा है, "Reflection upon member is equivalent to reflection upon the House." सदन के माननीय सदस्यों के बारे में वाजपेयी का जो बयान है वह विशेषाधिकार हनन होने के दायरे में आता है। राजस्थान विधान सभा की गरिमा को भी इससे चोट पहुंची है। उन्होंने विधान सभा के सदस्यों का खुल्लमखुल्ला अपमान किया है। जिस भाषा का उन्होंने उपयोग किया है उसको लेकर उनके खिलाफ में विशेषाधिकार हनन का मामला पैदा

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

होता है । उन्होंने सदन के माननीय सदस्यों के काम में बाधा पहुंचाने की कोशिश की है ।

मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि इस केस में जिस प्रकार श्री वाजपेयी ने यह बयान किया है और लांछन लगाया है आपको उनके खिलाफ कोई कारगर कार्यवाही करनी चाहिए, गम्भीर कार्यवाही करनी चाहिए ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और उल्लेख आपके सामने मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस का करना चाहूंगा । उसमें यह लिखा हुआ है : "Imputation of corruption for a member amounts to a breach of privilege." किसी भी मैम्बर के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाये या भ्रष्टाचार का संकेत भी किया जाये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो वह विशेषाधिकार के हनन की परिभाषा में आता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा यह बयान दिया गया है इससे ज्यादा स्पष्ट रूप से श्री वाजपेयी सदन के सदस्यों पर कोई लांछन लगा नहीं सकते थे । इतने स्पष्ट रूप से, मैं समझता हूं, विशेषाधिकार हनन का मामला कभी इस सदन के सामने आया नहीं होगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में मैं कोई ज्यादा बहस इस पर करने की आवश्यकता नहीं समझता । मैं यही आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि श्री वाजपेयी के बयान के पीछे जो राज है उसको देखते हुए सदन ने अपना मानस जरूर थोड़ा बहुत बना लिया होगा । मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस में एक और सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस सिद्धान्त पर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा । उसमें यह कहा गया है :

"Attempted intimidation of members is the duty is a breach of privilege."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी मैम्बर पर किसी भी तरह का अनुचित दबाव डालना, किसी भी प्रकार का दबाव डालने की कोशिश करना ब्रीच आफ प्रिविलेज की परिभाषा में आता है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसका उदाहरण भी मेज पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस में दिया गया है ।

एक हाउस आफ कामन्स के मैम्बर ने सदन में अपना वोट किसी विषय पर डाला, वोट डालने के बाद जिस ट्रेड यूनियन का मैम्बर था उस ट्रेड यूनियन ने उसका एक्सप्लेनेशन मांगने के लिए, उसका स्पष्टीकरण मांगने लिए भी लैटर मूव किया कि तुमने गलत वोट हाउस आफ कामन्स में डाला । उस लैटर के आधार पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हाउस आफ कामन्स में विशेषाधिकार हनन का मामला बना । विशेषाधिकार हनन का मामला बनने के बाद उस ट्रेड यूनियन के सैक्रेटरी को माफी मांगनी पड़ी सदन के सामने । यह उदाहरण इन्टीमिडेशन की परिभाषा में आता है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री वाजपेयी ने अपने बयान में इन्टीमिडेशन की कोशिश की है । उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि हमको आप वोट नहीं देंगे तो

Page No 91

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा प्रचार करेंगे कि तुमने पैसा खाया है। यह अटेम्प्ट आफ इन्टीमिडेशन है। हाउस को इसका नोटिस लेना चाहिए। हाउस को बहुत जिम्मेदारी से सोचना चाहिए कि अटेम्प्ट आफ इन्टीमिडेशन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह एक तरह का राजनैतिक ब्लैकमेल है, राजनैतिक कल्चर ब्लैकमेल का कल्चर है। भारतीय संस्कृति जो है इधर बैठने वाले सभी सदस्य हैं उनके लिए तो संस्कृति है किन्तु उस भारतीय संस्कृति को एक ही ताखड़ी में तोलकर बाजारों में बेच रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सभा के इलेक्शन में एक सदस्य के नाते, इस सदन का एक सदस्य होने के नाते हमको एक कान्स्टीट्यूशनल ड्यूटी पूरी करनी है। हम एक संवैधानिक फर्ज को पूरा करते हैं, अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं उसमें श्री वाजपेयी का बयान एक अड़चन पैदा करता है, एक अवरोध पैदा करता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी मैम्बर की किसी भी ड्यूटी में कोई भी बाहरी शक्ति या किसी का भी बयान किसी भी तरीके से अड़चन डालता है, अवरोध डालता है तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वह स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार के हनन का मामला बनता है। माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारी कान्स्टीट्यूशनल ड्यूटी क्या यह है कि श्री वाजपेयी की इच्छानुसार हम वोट डालें? क्या श्री वाजपेयी हमको या सदन के मैम्बर्स को कोई अपना बंधुआ मजदूर मानते हैं? क्या श्री वाजपेयी के प्रति हमने कोई वफादारी की कसम ले रखी है? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सदस्य के नाते हमने केवल एक कसम ले रखी है कि इस संविधान को हम अक्षुण्ण रखें। हम निर्भीकतापूर्वक अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे। केवल एक हमने कसम ले रखी है। श्री वाजपेयी हमारे लिए गौण हैं। श्री वाजपेयी क्या चीज हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी पार्टी के वह लीडर हो सकते हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किन्तु कम से कम कई महीनों से ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि श्री वाजपेयी भारत के भावी प्रधान मंत्री बनने वाले हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रचार है उससे शायद उनके संतुलन पर कुछ फर्क पड़ सकता है। जो आदमी एक ही पछाड़ में अपना संयम खो जाये वह हजारों, हजारों और करोड़ों भारतीय जनता की क्या हिफाजत कर सकता है।

(2.00 म. प.) (श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, उदासीन) माननीय अध्यक्ष महोदय, भाषणों के अलावा कई गुण ऐसे चाहिए जिससे लगे कि कभी प्रधान मंत्री बन सकते हैं। भाषणों के आधार पर जो प्रधान मंत्री बनना चाहते हैं उनकी स्थिति यह होती है कि वह कुछ भी अखबारों में कह देते हैं उनका प्रचार जरूर होता है। किन्तु इस सदन के विशेषाधिकार का वह हनन कर रहे हैं। आगे पीछे का उनको ध्यान नहीं रहता, माननीय अध्यक्ष जी। मेज पालियामेन्ट्री प्रेक्टिस में जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनका उल्लेख मैंने आपके समक्ष किया है उनके आधार पर यह विशेषाधिकार के हनन का मामला जरूर बनता है, पूरी तरह से बनता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा और आपके द्वारा सदन को भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। आपको

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे एक उदाहरण प्रचारित हो जाये कि यह राजस्थान विधान सभा अपने विशेषाधिकारों के बारे में जागरुक है और विशेषाधिकारों के हनन के बारे में कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर सकती है। जब तक सदन इस चीज को नहीं सोचेगा, इस चीज को गम्भीरता से नहीं लेगा, गम्भीरता से कार्यवाही नहीं करेगा मैं समझता हूं कि इसके विशेषाधिकारों की मान्यता या उनका सम्मान कभी सदन के बाहर आम जनता में लोग नहीं कर सकते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस का उल्लेख करते हुए मैं एक उदाहरण की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं:

"Both House of Parliament have constantly punished on the principle of minishing ther respect due to them........"

माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों ही हाउस आफ लार्ड्स और कामन्स में परिचित शब्द है कान्सटेन्टली पनिश्ड, हर वक्त सजा दी है। इसलिए सजा दी है, इस प्रिन्सिपल पर सजा दी है, इस सिद्धान्त पर सजा दी है कि कोई भी ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है, कोई विशेषाधिकार का हनन होता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस विशेषाधिकार हनन से जो सदस्य हैं उनका सम्मान घटता है, उससे हाउस के काम में बाधा पड़ती है। इस प्रिन्सिपल पर उन्होंने हर वक्त सजा दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सजा देने का जो अधिकार है वह पार्लियामेन्ट्री प्रिविलेज के लिए एक आधारशिला है। मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस से मैं आपको कोट करता हूं: "Commitment is the key stone of parliamentary privileges."

सजा देने का अधिकार विशेषाधिकार की आधारशिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से यह पुरजोर निवेदन करना चाहूंगा कि विशेषाधिकार का हनन का मामला बनता है, स्पष्ट रूप से बनता है। अब कार्यवाही करना है मैजोरिटी पार्टी के हाथ में। अब प्रश्न यह है कि क्या कार्यवाही करनी है। इसके सम्बन्ध में मैं नहीं कह सकता, लेकिन कार्यवाही की जाय यह जरूर कह सकता हूं। कुछ न कुछ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी पड़ेगी, यह आपकी जिम्मेदारी है, सदन की जिम्मेदारी है। सदन की जिम्मेदारी के हिसाब से हम केवल आपके भरोसे बैठे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अखबार प्रचार का साधन है। प्रचार के साधन अखबार में किस रूप से वक्तव्य आया है यह स्वयं आपने भी पढ़ा होगा। हमारे पास प्रचार के साधन नहीं है। इसलिये यह आवश्यक है कि इस विशेषाधिकार के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर कार्यवाही करनी पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चीज और कहना चाहूंगा। सन् 43 में जब सुभाष चन्द्र बोस अपनी सेना का गठन कर रहे थे तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था, एक नारा दिया था, "मुझे खून दो,

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

मैं आपको आजादी दूंगा।" उसकी बहुत ही फीकी श्री वाजपेयी ने नकल की है। "मुझे विश्वास दें, मैं आपको विकल्प दूंगा।" माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह सदन की ड्यूटी हो गई है कि इस विकल्प को सदन के बाहर खड़ा करके आप स्पष्ट रूप से यह कहिये....

(व्यवधान)

इस विकल्प को, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के बाहर खड़ा करके आप ताड़ना दें क्योंकि वे छोटा सा झूठ बोलते हुए पकड़े गये। जैसे साधारण अपराधी होता है। उस कामन क्रिमिनल की तरह ब्लैकमेल करता हुआ वह आदमी पकड़ा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि आप एक इतिहास बनायेंगे। सदन के सामने उनको आप लायेंगे, प्रचार उनका जरूर होगा, इसका हमें दुःख नहीं है। किन्तु आप सदन के सामने पेश कराकर उनको ताड़ना देंगे, यह सदन उनको सजा देगा तो आप एक इतिहास बनायेंगे। इन बैंचेज पर आने वाली जो पीढ़ियां हैं वे देखेंगी कि जहां कहीं भी संसदीय व्यवस्थाओं में, संसदीय प्रणाली में अड़चन पड़ी या अड़चन डाली गई और यदि किसी जबान से भी अड़चन डाली तो उसको ताड़ना मिली, सजा मिली। ऐसा इतिहास बनाने के लिए मैं आप सबसे, माननीय अध्यक्ष महोदय से और मैजोरिटी पार्टी से भी अनुरोध करूंगा कि वे कुछ कड़ी कार्यवाही करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय को सुन लें, पहले फिर बाद में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक जानकारी करना चाहता हूं. इस प्रस्ताव के पक्ष में बोलने वाले यदि पहले बोलना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है बाद में मुझे सुन लें।

श्री कमलेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले आब्जेक्शन आने चाहिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आब्जेक्शन कर दिया। आपत्ति है मेरी। अब उस आपत्ति के बाद बोलना चाहें तो बोल लें।

(व्यवधान)

श्री कमलेन्द्र सिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

पहले विपक्ष के नेता बोल लें उसके बाद।

(व्यवधान)

ऐसा है कि यह तो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कौन बोले, कब बोलें, बोलें, नहीं बोलें। इसलिए मैं आमन्त्रित करता हूं माननीय सदस्यों को कि जो विषय सदन के समक्ष आया है, उस पर विचार व्यक्त करें। कोई भी माननीय सदस्य इसका लाभ उठाना चाहें वह उठा सकते हैं।

मुख्य सचेतक महोदय।

श्री रघुनाथ सिंह (नदबई) : अभी तो प्रस्ताव ही रखा जा रहा है। प्रस्ताव रखने वाले को बोलना है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपकी बात सुन नहीं सका हूं, माननीय यदुनाथ सिंह जी, क्या कहना चाहते हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : पहले तो जो प्रस्ताव रख रहे हैं, उनको बोलने देना चाहिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्रस्ताव में आपका नाम है ?

श्री यदुनाथ सिंह : जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो आप बोलिये पहले।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज हम बहुत ही गंभीर मसले पर यहां विचार कर रहे हैं। राज्य सभा के चुनाव के विषय में जो माननीय वाजपेयी का वक्तव्य 4 तारीख को राजस्थान में बहुत से अखबारों में प्रकाशित हुआ उसके बारे में हम यहां विचार करने बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, जितनी इज्जत मैं अपने नेता की करता हूं उतनी ही इज्जत मैं वाजपेयी जी की करता हूँ।

श्री खेतराम मीणा : दोनों एक से हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि वे भी हमारी उतनी ही इज्जत करें। उन्होंने जो एक वक्तव्य दिया उससे हमारे स्वाभिमान को ठेस लगी हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वाजपेयी जी ने जो बयान दिया, उसमें मेरी ओर इंगित था। इसलिये जब मेरे स्वाभिमान को ठेस लगती है तो इस विधान सभा के सदस्य के रूप में ठेस लगती है और इस तरह से ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है, हमारे विरोधी दल के नेता जि पार्टी से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी, जिसके वाजपेयी राष्ट्रीय नेता हैं उनके स्वाभिमान को भी ठेस लगी होगी। उन्होंने वक्तव्य यह दिया था कि विपक्षी सदस्यों ने वोट कांग्रेस को दिये हैं इसलिये भण्डारी जी हारे तो यह रिफक्शन श्री वाजपेयी के वक्तव्य से उनके ऊपर भी था इसलिये उनका भी कर्त्तव्य यह हो जाता है कि जिस स्वाभिमान को तोड़ने की बात श्री वाजपेयी ने कही है उस पर वे भी गम्भीरता से विचार करें। वह बात उन्होंने आप लोगों के लिये भी कही थी। इतना ही निवेदन करते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि यह सदन इस पर गम्भीरता से विचार करे। उस स्टेटमेंट के बाद उसका कोई खण्डन नहीं आया। खण्डन नहीं आया तो जाहिर होता है कि उन्होंने वह बयान दिया है इसलिये मैं चाहूंगा कि सदन इस पर गहराई से विचार करे और सभी सदस्यों का स्वाभिमान रहे। इसलिये विशेषाधिकार का जो प्रस्ताव है, उस पर विचार करें। यहां की ड्यूटी परफार्म करने में किसी सदस्य के स्वाभिमान को उनके वक्तव्य से ठेस लगती है इतना ही निवेदन करते हुए मैं चाहूंगा कि आज इस पर बहुत गम्भीर चर्चा होनी चाहिये। बहुत गम्भीर यह विषय है। सदस्य अपनी ड्यूटीज को बिलकुल फ्रीली परफार्म कर सकें इसके लिये इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना जरूरी है। जब हमें ठेस लगती है तो हमारे दिमाग का बैलेन्स भी बिगड़ता है इसलिये हम चाहते हैं आज इस पर सदन में गम्भीरता से विचार हो।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का

(श्री छोगाराम बकोलिया)

एक प्रश्न है। कल की तारीख में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की रिपोर्ट पर डिस्कशन होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है वह रिपोर्ट जब तक हमको मिलेगी नहीं, तब तक डिस्कशन क्या होगा। मैं अनुरोध करूंगा यह रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करवाई जाय ताकि हम डिस्कशन में भाग ले सकें क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का मामला है।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी व्यस्त हू। इस सम्बन्ध में चेम्बर में जाकर असली स्थिति क्या है, उसकी जानकारी कर लूंगा।

श्री खेतसिंह राठोड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, बल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रिविलेज मोशन या विशेषाधिकार का प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। राज्य सभा के चुनावों के बाद में यह सदन पहली बार मिल रहा है। राज्य सभा के चुनावों में कई माननीय सदस्यों ने जैसी इच्छा, भावना और नीति रही, उसके अनुसार उन्होंने अपना वोटिंग किया था। इन्दोर में कोई वक्तव्य अटल बिहारी जी ने तीन अप्रेल को दिया, जो राजस्थान पत्रिका में इस प्रकार छपा था, "भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री बिहारी वाजपेयी ने ऐसा आरोप लगाया है कि राजस्थान में विपक्ष के कुछ विधायक खरीद लिये गये जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री सुन्दर सिंह भण्डारी चुनाव में हार गये......"

(व्यवधान)

मुख्य बात यह है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और मैम्बर आफ पार्लियामेंट भी हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्होंने जो इस प्रकार का वक्तव्य दिया, यह बहुत ही शर्मनाक है। उन्होंने बेबुनियाद जो वक्तव्य दिया था उस वक्तव्य का खण्डन पार्टी के मुख्य सचेतक के नाते मैंने किया था। मैंने वक्तव्य दिया था वह राष्ट्रदूत में आया है।

"पार्टी के मुख्य सचेतक, श्री खेतसिंह राठोड़ ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस आरोप का खण्डन किया है कि राजस्थान में विपक्ष के कुछ विधायक खरीद लिये गये हैं। उन्होंने इस आरोप को निराधार, बेबुनियाद व सत्यता के बिलकुल परे बताया। उन्होंने कहा कि 13 विपक्ष के जिन सदस्यों ने कांग्रेस (आई) के प्रत्याशी को राज्य सभा के चुनाव में अपना मत दिया था वह प्रगतिशील विचारधारा के हैं और प्रतिक्रियावादी ताकतों के हमेशा खिलाफ रहे हैं।"

यह बात मैंने उस वक्तव्य में कही थी। मेरे कहने का मतलब यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित तौर से एक विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। बल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने सही कहा कि यदि विधायकों के बारे में इस प्रकार से गैर जिम्मेदारी के वक्तव्य दिये जायेंगे, तो निश्चित तौर से इस सदन और हरएक माननीय सदस्य की इज्जत बिगड़ेगी, उसके सम्मान को इससे ठेस पहुंचेगी। मैं तो इतना ही कह सकता हूं। मेरी पार्टी के माननीय नेता महोदय भी

(श्री खेतसिंह राठौड़)

.ग गये हैं, विपक्ष के नेता महोदय भी .पने विचार व्यक्त करेंगे लेकिन मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह निश्चित तौर से विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बनता है। आपके सामने दो परिस्थितियां हैं, एक तो आप इसको विशेषाधिकार कमेटी के समक्ष भेज सकते हैं अथवा इस हाउस के अन्दर ही आप इसको डिस्कस करा सकते हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि अब विशेषाधिकार कमेटी एगजिस्ट नहीं कर रही है अतः यह एक ऐसा विषय है जिस पर तुरन्त ही विचार कर निर्णय लेना चाहिये।

इसलिये मेरा आपसे यह निवेदन है कि इस प्रश्न को आज ही तय करें और इस पर फैसला दिया जाना चाहिये-यह मेरा आपसे खास तौर से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : अन्य कोई माननीय सदस्य पहले बोलना चाहें ?

श्री सी. पी. जोशी।

एक माननीय सदस्य : इनके बाद कोई नहीं बोलेगा।

श्री अध्यक्ष : यह मैंने कब कहा।

श्री हनुमान प्रभाकर (मावली) : विपक्ष के नेता महोदय के बाद हम लोग बोलना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष: आपको अवसर दूंगा, आप बोलना चाहेंगे तो, इसमें क्या बात है ?

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : आपने यह कहा कि अन्य कोई माननीय सदस्य पहले बोलना चाहें, तो....

श्री अध्यक्ष : विवाद का विषय है इसलिये मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि अलग-अलग पक्षों से बात आ जाय और मुख्य जो विचारणीय बिन्दु हैं वह सामने आ जायं। जो माननीय सदस्य मेरी आई कैच करते रहेंगे मैं उनको अवसर देता रहूंगा।

श्री सी. पी. जोशी.

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव बल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : यह कानूनी मसला है इसलिये जो माननीय सदस्य इस पर अध्ययन करके आये हैं, इसका सबूत मैं यह मानता हूं कि कोई छोटी-मोटी किताब उनके पास हो ....

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

विशेषाधिकार हनन प्रश्न उठाने की रीति

श्री कमलेन्द्र सिंह: ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, रूल 160(1) में यह कहा है :

"the Speaker if he gives consent under rule 157 and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, all the member concerned....

160 (2) में है :

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

"If objection to leave being granted is taken the Speaker shall request those members who are in favour of leave being granted to rise in their places, and if not less than ten members rise accordingly, the Speaker shall decide ....

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आब्जेक्शन पहले इन्वाइट कर लिये जायं तब जवाब दें। इनके आब्जेक्शन कोई नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि जब कभी कोई प्रश्न आया है सदन के समक्ष वह सदन की सम्पत्ति बन जाता है, मैं प्रश्न पूछूं इस सम्बन्ध में कि सदन की क्या राय है, उससे पहले मैं इस स्थिति का स्पष्टीकरण चाहूंगा कि इसमें संवैधानिक और परम्पराओं की क्या स्थिति है, यह जानना चाहूंगा। यह माननीय सदस्य के लिये और मेरे लाभ के लिये है।

राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित श्री अटल बिहारी वाजपेयी के एक वक्तव्य पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, आपने यह व्यवस्था दी कि यह प्रश्न ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस पर अध्ययन करके आये हों, वह ही बोलेंगे। जितने माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उनमें से अधिकांश की तो उम्र इतनी हो गई है कि आने वाले समय में राजनीति में रहें या नहीं रहें लेकिन हम राजनीति में निश्चित तौर से रहेंगे इसलिये मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। निश्चित तौर पर आपको टोटल कांटेक्स्ट में देखना पड़ेगा आज 30-35 साल का जो समय रिपब्लिक सैट-अप का है, जिसमें डेमोक्रेटिक सैट-अप के अन्दर हमने व्यवस्था में तरमीम की थी और हमारा कान्स्टीट्यूशन बनाया कि एक पार्टी सत्ता में रहेगी और कुछ पार्टी विरोध में रहेंगी। इसे हमारा सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, एक पार्टी सत्ता में आने की कोशिश करती है, जब वह सत्ता में आने की कोशिश करती है तो निश्चित तौर पर एक पार्टी सत्ता में रहेगी और दूसरी पार्टी विरोध में रहेगी, हिन्दुस्तान में एक से अधिक पार्टी सत्ता के विरोध में हैं। जो सत्ता में बैठे हुए हैं क्या जो लोग विरोध मे बैठे हुए है वह अलग अलग विचारधारा के लोग है। उनमे से एक पार्टी के अध्यक्ष ने इस तरह का वक्तव्य दिया, निश्चित तौर से यह गम्भीर है। आने वाले समय में लोकतांत्रिक परम्पराओं की स्थापना करने के लिए जो प्रस्ताव वल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है उसके सम्बन्ध में मेज पालियामेन्ट्री प्रेक्टिस की बात करें या कौल शकधर की पालियामेन्ट्री प्रेक्टिस की बात करें या कान्स्टीट्यूशन में लिखा है उसकी बात करें, इस सम्बन्ध में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन यह बात स्पष्ट है कि जिस कान्टेक्स्ट में यह वक्तव्य आया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस कान्टेक्स्ट को समझना बहुत आवश्यक है। कान्टेक्स्ट यह है कि राज्य सभा का चुनाव हुआ, राज्य सभा के चुनाव में विरोधी दल की जो पार्टी यह प्रदर्शित कर रही है कि हिन्दुस्तान के अन्दर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का विकल्प

(श्री सी. पी. जोशी)

कोई हो सकता है तो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी ही हो सकती है, उस पार्टी के अध्यक्ष पार्टी के एक नुमाइन्दे के राज्य सभा के राजस्थान में हुए चुनाव में हार जायें तो इस प्रकार का वक्तव्य दें जब कि राजस्थान में विरोधी दल के रूप में जनता पार्टी भी हो, लोकदल भी हो, प्रगतिशील दल भी हो। इस कान्टक्स्ट को समझना बहुत आवश्यक है। आने वाले समय में लोकतांत्रिक परम्पराओं स्थापित करने के लिए जो दल अपने आपको जनता में ऐसे दल के रूप में प्रदर्शित करता है कि हम आने वाले समय मे सत्ता लेंगे उस दल का अन्य विरोधी दल जब समर्थन नहीं करते है तब उसे बोखलाहट होती है कि यह क्या हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कान्टेक्स्ट में जायें कि राजस्थान विधान सभा में अन्य विरोधी दल भी है इसलिए मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस की बात न करें, जो आने वाले वर्षों में सत्ता में आने की घोषणा कर रहे हैं उनमें दूसरी अन्य पार्टीज, जनता पार्टी, लोकदल आदि सारी पार्टियां सत्ता में आने की कोशिश कर रही हैं, ऐसी स्थिति में एक पार्टी के नेता इस आधार पर वक्तव्य दें जब उनकी पार्टी का बड़ा नुमाइन्दा हार जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, हर पार्टी की अपनी नीति होती है, विधान सभा के हर सदस्य को राज्य सभा, लोकसभा आदि के चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है, उनके अलग-अलग फंक्शन्स होते हैं। बल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, यह बात मोटी और इम्पार्टेन्ट है, राजस्थान की विधान सभा में जो डिसीजन करेगी, वह निर्णय आने वाले लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने का हिस्टोरिकल डिसीजन होगा। मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सारे परिप्रेक्ष में हम यह सोचें कि जिस कन्टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार खड़ा किया गया और जिस कन्टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो विरोधी दल के सदस्य हैं, उन पार्टियों के सदस्यों ने अपने विवेक से विधान सभा सदस्य होने के नाते वोट कास्ट किया उनको ब्लेकमेल करने का निश्चित तौर पर यह प्रयास है। इस प्रयास के सन्दर्भ में हमें एक नया उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में जब कभी भी ऐसा अवसर आयेगा तब दूसरा बड़ा विरोधी दल यह कोशिश करेगा कि छोटे विरोधी दल जिन्दा नहीं रहें और उनके ब्लैकमेल करने का निश्चित तौर से आने वाले समय में गम्भीर प्रयास होगा, ऐसा मैं मानता हूं। मैं मेज पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस और कौल शकधर पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस में न जाकर खास तौर से विरोधी दल के नेता को कहना चाहता हूं, यह इमोशन्स में इस प्रस्ताव के विरोध में अपने आर्गुमेन्ट्स देना चाहते हैं। इनके इमोशन्स किसी पार्टी के नेता के प्रति हो सकते हैं, होने भी चाहिये, इसमें सन्देह भी नहीं लेकिन यह नहीं भूलें कि हिन्दुस्तान में सत्ता में केवल वह पार्टी भी आ सकती है, दूसरी पार्टी भी आ सकती है इसलिये किसी विरोधी दल, पार्टी के नेता यदि छोटे मोटे विरोधी दल, पार्टी के सदस्यों के प्रति इस तरह

(श्री सी. पी. जोशी)

का ग्राचरण करें और जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी इस तरह का सरकास्टिक रिमार्क करें तो यह निश्चित तौर पर गम्भीर प्रश्न है। मैं समझता हूँ कि इस पर सदन को निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरू सिंह गुर्जर।

श्री भैरू सिंह गुर्जर (खारची) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो स्टेटमेन्ट श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी का अखबारों में छपा है, इससे केवल उनकी ही आत्मा पीड़ित नहीं हुई है, हम दूसरे सदस्यों की भी आत्मा निस्सन्देह पीड़ित हुई है कि माननीय सदस्य, जो जनता से चुनकर आते हैं, वोट लेकर आते हैं, के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगाया जाय। मैं आपसे निवेदन करूं, अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ ही समय पूर्व जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही इस बात को बड़े जोर शोर से प्रचारित किया था और यह कहा था कि अन्तरात्मा की आवाज पर वोट दिये जायें। जब वह कहते हैं कि अन्तरात्मा की आवाज पर वोट दिये जायें तो अगर कुछ सदस्यों ने अन्तरात्मा की आवाज पर वोट दे दिया तो क्या गुनाह हुआ। वह तो उनकी अन्तरात्मा की आवाज थी कि कौन उम्मीदवार, किस पार्टी का उम्मीदवार उनका सही प्रतिनिधित्व राज्य सभा में करेगा, किसको उनको वोट देना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारी सरकार आने से पूर्व जब माननीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार थी उस समय राज्य सभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस (आई) से समर्थित उम्मीदवार निर्दलीय श्री भीमराव जी जीत कर गये थे। वह क्यों जीत कर गये थे, शायद विपक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को पता नहीं कि उनमें आपसी फूट थी, बी. जे. पी. के दो ग्रुप थे, एक ग्रुप तो उनका होता है जो आर. एस. एस. से प्रमोट होकर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, एक ग्रुप उनका होता है जो सीधी भर्ती से ले लिये जाते हैं, इन दोनों की भर्ती से जो आपसी फूट हो गई थी, उस फूट का नतीजा यह निकला कि कांग्रेस (आई) द्वारा समर्थित उम्मीदवार श्री भीमराव जी जीतकर राज्यसभा में पहुंचे, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत कर पहुंचे। माननीय विपक्ष के नेता महोदय, उस समय भी आपकी पार्टी में असन्तुष्ट थे, आप नहीं रोक सके तो क्या उन असन्तुष्टों को भी खरीदा गया था? क्या उनसे भी वोट खरीदा गया था? क्या वह भी बिके थे? जो आरोप लगाया है अटल बिहारी जी वाजपेयी ने उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि बौखलाहट के कारण आरोप लगाया है। इस आरोप में जो कहा है, वोट लोकदल या किन्हीं विपक्षी दलों के सदस्यों ने दिये हैं। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि सुन्दर सिंह जी भण्डारी, जो मुख्य मन्त्री के चुनाव

(श्री भैरूसिंह गुर्जर)

में माननीय श्री भैरूसिंह जी शेखावत के एक प्रतिद्वन्द्वी थे, से इनके ही गुट के कुछ लोग शायद बदला लेना चाहते हों, हमारे विपक्ष के नेता महोदय, के उस समय मुख्य मन्त्री पद के लिए प्रतिद्वन्द्वी थे, राज्य सभा में उनको क्यों भेजा जाय, क्यों नहीं इसी जगह सड़क छाप नेतागिरी करें. हम इनको वोट नहीं देकर यहीं रखें। इसलिए अटल बिहारी जी वाजपेयी का बेबुनियाद और बौखलाहटपूर्ण आरोप है, स्वार्थ से पूर्ण है। बौखलाहट उनको पैदा हो गयी थी, उनकी पार्टी की छवि जो दिनों दिन जनता में बिगड़ती जा रही है उसको किस तरह से मे बनाया जाय, इसका उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने सोचा कि चलो एक स्टेटमेन्ट लोकदल और जनता जे. पी. के सदस्यों के खिलाफ भी दे दिया जाय। मेरा तो आपसे निवेदन है कि सदन के समक्ष श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी को बुलाया जाय और इस सदन की एक राय से, सहमति से उनको प्रताड़ित किया जाय कि वह माननीय सदस्य के खिलाफ इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप, निराधार आरोप नहीं लगायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक समय था, जब हमारे देश के अन्दर जनतांत्रिक प्रणाली में श्रीमती इन्दिरा गांधी चिकमगलूर से जीत कर वापस लोकसभा में पहुंची तो यही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, इन्हें स्वार्थ आ गया, यह श्रीमती गांधी से डर गये, इन लोगों ने ऐसा ही एक छोटा सा सिलसिला चला कर हमारी लोकप्रिय नेता को लोकसभा से बाहर कर दिया। इनकी तो जरा सी बात भी नहीं अखरी, जरा सी बात नहीं खुली। मेरा यह निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी को ही प्रताड़ित नहीं किया जाय, इस पूरी भारतीय जनता पार्टी को प्रताड़ित किया जाय।

श्री जय कृष्ण शर्मा (राज्य मन्त्री, यातायात): माननीय सदस्य, आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि भीमराव जी निर्दलीय नहीं, कांग्रेस के उम्मीदवार थे।

श्री भैरूसिंह गुर्जर: कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार थे।

श्री जय कृष्ण शर्मा: कांग्रेस के उम्मीदवार थे।

श्री हरिसिंह (महुआ): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के समक्ष आज बहुत ही गम्भीर मसला उपस्थित हुआ है और वह है सदन के अपमान का, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के आते ही 3 विचार बिन्दु मेरे सामने उपस्थित हुए। क्या माननीय श्री वाजपेयी जी के स्टेटमेन्ट से सदन का अपमान हुआ है? पहला मुद्दा, राज्यसभा का चुनाव नितान्त रूप से इस सदन का अपना मसला है जिससे सदन के बाहर के किसी व्यक्ति का कोई सरोकार नहीं है। राज्य सभा का चुनाव हुआ, बी. जे. पी. का अधिकृत प्रत्याशी हारा। उसके बाद एक आरोप यह लगाया गया कि विपक्ष के सदस्य बिक गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य चाहे इस पक्ष में बैठने वाला हो, चाहे

(श्री हरिसिंह)

उस पक्ष में बैठने वाला हो, वह इस सदन का माननीय सदस्य है। विपक्ष के जिन माननीय सदस्यों की ओर इंगित किया, जिनके ऊपर बिकने का आरोप लगाया है, न केवल उन माननीय सदस्यों का अपमान है बल्कि सत्ता पक्ष के ऊपर खुला आरोप है कि एक बिका हैं तो दूसरा खरीद करता है। इस सदन का कोई भी माननीय सदस्य ऐसा नहीं है जो अपने आप से यह कह सके कि हम इस अपमान से दूर रह गये। खरीदने वाला अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सत्ता पक्ष को बतला कर सत्ता पक्ष को अपमानित किया है: बिक्री की वस्तु विरोध के कुछ माननीय सदस्यों को बतला कर उनका अपमान किया है। इसका क्लीयरकट यह तात्पर्य है कि समूचे सदन का अपमान किया है, समूचे सदन का ही अपमान नहीं किया है बल्कि राजस्थान की चार करोड़ जनता का अपमान किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं, चाहे हम लॉ आफ टोर्ट्स को उठाकर देख लें, चाहे आई. पी. सी. के सैक्शन्स को उठाकर देख लें, क्लीयरकट हिन्दुस्तान के कानून में यह प्रावधान बना हुआ है कि कोई भी स्पीच, कोई भी साइन, कोई भी जैस्चर which lower down a person in the estimation of the public opinion, तो उसका अपमान है। निस्संदेह रूप से वाजपेयी जी के इस स्टेटमेन्ट द्वारा सदन के न केवल उन समुदायों को अपमानित किया गया है जो विरोध पक्ष में बैठे हैं, उनकी तरफ तो क्लीयरकट इंगित किया है, बल्कि सत्ता पक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्यों को भी उन्होंने अपमानित किया है कि एक विक्रय की वस्तु है और एक खरीददार है। यह इस प्रजातन्त्र के लिए लांछित करने वाली चीज है और इस मुल्क को अपमानित करने वाली चीज है। मैं कहता हूं, मेरी मान्यता है, अध्यक्ष महोदय, विदेश के समाचार पत्रों में अगर यह बात आई है तो निश्चित रूप से न केवल राजस्थान का यह सदन बदनाम हुआ है बल्कि हिन्दुस्तान की भारत भूमि भी बदनाम की गई है। आखिर डेमोक्रेटिक सैट अप की अपनी कुछ परम्परायें हैं।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लोग जब सदन से बाहर गये, अखबार में उन्होंने पढ़ा कि सुन्दरसिंह जी भंडारी अपने आचरण से नहीं हारे, सुन्दर सिंह जी भंडारी इसलिए नहीं हारे कि उनकी पार्टी के पास कोई प्रोग्राम नहीं था सुन्दरसिंह जी भण्डारी इसलिये नहीं हारे कि उनका जनता में विश्वास नहीं था, या जनता का उनमें विश्वास नहीं था, फिर भी सुन्दर सिंह जी भंडारी की हार को यह कह कर टाल दिया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान विधान सभा के माननीय सदस्य जो हैं, वे खरीद और फरोख्त की वस्तुएं हैं इसलिए सुन्दर सिंह जी भण्डारी हार गए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों में से जब कोई भी अपने-अपने क्षेत्रों में गया होगा, जनता ने, उनके वोटरों ने, राजस्थान की जनता ने उनको बड़ी हिकारत भरी नजर से देखा होगा, ये माननीय सदस्य वे हैं जिनकी खरीद फरोख्त सत्ता पक्ष द्वारा की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप

(श्री हरिसिंह)

से न केवल माननीय सदस्य, जो विरोध पक्ष में बैठते हैं, को अपमानित किया गया है बल्कि निश्चित रूप से सत्ता पक्ष के ऊपर भी एक खुला लांछन है कि सत्ता पक्ष इस प्रकार की हरकतें करता है कि वह वोट की राजनीति चलाने के लिए, अपने कैंडीडेट्स को जिताने के लिए पैसे से वोट खरीदता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह न केवल विरोध पक्ष के लोगों का अपमान है बल्कि सत्ता पक्ष के लोगों का भी अपमान है। राजस्थान की कामन जनता की निगाह में इस सदन का अपमान हुआ है। इसलिए जो प्रस्ताव रखा गया है मेरा उसमें आगे बढ़ करके एक और प्रस्ताव है, माननीय अध्यक्ष महोदय, और वह यह है कि अपमानजनक शब्दों का उच्चारण करने वाले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हैं और अपमानजनक शब्दों को जनता तक पहुंचाने वाला राजस्थान पत्रिका है। इसलिये न केवल माननीय अटल बिहारी जी को सदन के कटघरे में खड़ा किया जावे बल्कि राजस्थान पत्रिका, जिसने इसका प्रचार किया, को भी कटघरे में खड़ा किया जावे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : अब कई माननीय सदस्य इधर से भी बोलेंगे। वाद-विवाद के अच्छे नियम वही होते हैं जिनमें दोनों पक्ष बराबर बोलते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, तो मैं बोलता हूं। मुझे इजाजत है आपकी ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह विषय चर्चा का यहां हो ही नहीं सकता। यहां उस पर ही चर्चा करनी चाहिए जिसके अन्तर्गत किसी विधान सभा के माननीय सदस्य या लोक सभा सदस्य, जब वह अपना एज एन एम. एल. ए. और एज एन एम. पी. कोई काम कर रहे हों, का अपमान करने वाला, अपमानकारक कोई कृत्य हो या कोई ऐसी शब्दावली हो या कोई वक्तव्य हो। मेरा निवेदन यह है कि यह जो विषय है यह बात सही है कि एम. एल. एज. के सम्बन्ध में यह बात कही गई है। किन्तु जिस विषय में यह कहा गया है, क्या एम. एल. ए. के नाते कर्त्तव्य कर रहे थे, उस विषय में कहा गया है। ऐसा ही एक विषय गुजरात की विधान सभा में खड़ा हुआ था। गुजरात की विधान सभा में ऐसा विषय खड़ा हुआ और वह विचार के लिए वहां की जो कमेटी थी उस कमेटी में गया। उन्होंने एक निर्णय लिया है वह मैं सदन की और आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा।

गुजरात :

"Publication of article in Prabhat arising acceptance of money to the members of the House during the election to Rajya Sabha.

यानि जो विषय यहां है वही विषय वहां उठाया गया।

"Offending article published in Prabhat of 3rd April 1962"

यह भी राजस्थान पत्रिका के विषय में उठाया गया :

(श्री भंवरलाल शर्मा)

"This is an open fact that large amounts were offerred as illegal gratification to get a Swatantra party candidate Shri Pasa Bhai Patel elected at the Council of State election. An amount of Rs. 3500 was gifted to the Pragati-lok one member says that amount has been given to him to defrey the election expenses as one of the associate is claiming his share out of it."

यह चार्ज था :

"The Committee of Privileges in its report presented to the House on 29th March, 1963 inter-alia stated the position in this respect of the House of Commons in U. K is as follows :

The question therefore to be considered as whether the election of bribary and corruption in the news item question reflects upon the conduct of the House as members of the House. It is therefore necessary to know the exact significance of the two phrases-

Conduct of the member in that capacity...."

श्री अध्यक्ष : इसमें किस नतीजे पर पहुंचे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : वही पढ़ता हूं। यह किया गया कि इस विषय में विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शांति से सुनें। कानूनी मसला है। माननीय सदस्य, कृपया।

श्री भंवरलाल शर्मा : विधान सभा के सदस्य राज्य सभा के चुनाव में जो वोट देते हैं वह विधान सभा की कार्यवाही का भाग नहीं है। विधान सभा, जो सदन है या विधान सभा के जो हमारे अधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी, चुनाव आयोग उनका उपयोग करता है ...

श्री अध्यक्ष : यह चर्चा समाप्त करने के बाद में यह पुस्तक मुझे देने का कष्ट करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : दे दूंगा।

तो ऐसी स्थिति में जब हम वोट देते हैं राज्य सभा के चुनाव का तो वोट देते समय हम विधान सभा की कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। हमको वोट देने का अधिकार कई स्थानों पर है। जब यहां चुनाव होते हैं, मतदान होता है, उसमें वोट देते हैं। अन्य संस्थाओं में वोट देते हैं एज एन एम. एल. ए. तो उस समय हम जो वोट देते हैं क्या वह वोट देने की कार्यवाही इन दी कैपेसिटी आफ दी एम. एल. ए. कर रहे हैं ? तो गुजरात की कमेटी ने तय किया कि जो राज्य सभा में वोट दिए गए उस समय यदि किसी अखबार में यह लिख दिया गया कि ये लोग बिक गए या इनको खरीद लिया गया, इसको विशेषाधिकार

Page No 104

(श्री भंवरलाल शर्मा)

का प्रश्न नहीं माना जाता । यह गुजरात की प्रिविलेज कमेटी ने डिसाइड किया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । शांत रहें, माननीय सदस्य । उनको अपनी बात कहने दीजिए ।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : इसकी लास्ट लाइन क्या है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय देख लेंगे ।

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय की समझ में आवे या नहीं आवे, आप पढ़ दीजिए ।

श्री सूर्यकुमार (नैनवा) : इसकी कन्क्लूडिंग लाइन बतायें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं बता दूंगा ।

श्री रामसिंह बिश्नोई : फिर आपने उनको क्या दिया । आप ही बता देते ।

श्री सूर्यकुमार : तो बता दीजिए, साहब, आप ही बता दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसी सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहती हूं ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : मैं बोलना चाहूंगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य ने जो प्रिविलेज का मोशन रखा है, मैंने बहुत इसका अध्ययन करने की कोशिश की है, मेरी दृष्टि में यह प्रिविलेज बनता ही नहीं है और वह इसलिए नहीं बनता, अध्यक्ष महोदय, जितने भी प्रिविलेज बनते हैं हाउस का और हाउस के सदस्य का, वह प्रिविलेज उनके एक्ट के सम्बन्ध में बनता है, प्रिविलेज माननीय सदस्य आफ दी हाउस का है, कार्यवाही जो सदन की होती है, बोर्गी ए मेम्बर आफ दी हाउस सदन की कार्यवाही में भाग लेता है । यह प्रिविलेज बनया गया वह इसलिए बनाया गया कि इस कार्यवाही में कोई बाधा उपस्थित न हो । अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे, हाइ कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कुछ ही दिन पहले । जब राज्य सभा के चुनाव हो रहे थे उस समय मैंने एक रिट की थी हाई कोर्ट में उस रिट में जो डिसीजन हुआ है हाई कोर्ट का वह मैं आपको सुनाना चाहूंगा । लेकिन उससे पहले, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो इलेक्शन हुआ अभी राज्य सभा का, जैसा माननीय सदस्य बता रहे थे, वह इस हाउस की कार्यवाही नहीं थी । इस हाउस की कार्यवाही वही हो सकती है, या तो कोई कमेटी बनी हो, या उस कमेटी के चेयरमैन हों जिसका हाउस निर्माण करता है या जिसको स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन, जिनका नाम पैनल में होता है, अध्यक्षता कर रहे हों तो वह हाउस से सम्बन्धित मामला माना जा सकता था लेकिन यह केवल चुनाव था

(श्री नाथूसिंह)

राज्य सभा का और उस चुनाव को कण्डक्ट आप नहीं कर रहे थे । राज्य सभा के चुनाव मे विधायक को वोट देने का अधिकार है हम विधायक की हैसियत से वोट दे रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं इसके पहले हाई कोर्ट का निर्णय सुनाना चाहता हूं। मैंने रिट की उस पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि हाउस में जब तक आप शपथ ग्रहण नहीं करते तब तक हाउस की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते हैं। कोई भी एम. एल. ए. चुन कर आ सकता है किन्तु जब तक वह शपथ ग्रहण नहीं करे हाउस की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है । अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, मैं चाहूंगा, आप थोड़ा गम्भीरतापूर्वक इस पर सोचें और फैसले की कापी का अवलोकन करें। अध्यक्ष, महोदय, यह निर्णय दिया है कि चाहे शपथ ग्रहण नहीं की हो, शपथ ग्रहण किये बिना, राज्य सभा का वोट दे सकता है । अध्यक्ष, महोदय, जब हाउस में शपथ ग्रहण नहीं की तो हाउस का फार्मेशन कहां हुआ ? हाउस का फार्मेशन नहीं हुआ तो प्रिविलेज कहां से बना ? प्रिविलेज तब बनेगा जब हाउस का फार्मेशन हो ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जब कि हाउस बना ही नहीं उस स्थिति में भी राज्य सभा के चुनाव में तो बिना ओथ लिये वोट दे सकते हैं। ओथ लेने के पश्चात् ही हाउस का फार्मेशन होता है । इसलिये यह देखने की चीज है जब हाउस का फार्मेशन नहीं हुआ तो प्रिविलेज हाउस का नहीं बनता ।

श्री अध्यक्ष : इसमें तो माननीय सदस्यों ने ओथ ली हुई थी पहले ।

श्री नाथूसिंह : ली हुई थी, मेरा पाइन्ट ही यह है । लेकिन हाउस का पार्ट नहीं था इलेक्शन । कार्यवाही नहीं थी हाउस की जिसमें भाग लें being a member of this House इस तरह से हाउस की कार्यवाही नहीं थी इलेक्शन था राज्य सभा का ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप लोग तो बेकार समय जाया कर रहे हैं ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक और निवेदन करना चाहूंगा । being formation of this House-part partial of this House वह कार्यवाही नहीं थी ।

एक और पाइन्ट निवेदन करना चाहूंगा । अध्यक्ष महोदय, जिस प्रिविलेज मोशन को सदन में आप विचारार्थ ले रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि प्रिविलेज नहीं है । मान लीजिये, प्रिविलेज मान भी लिया जाये तो हम इस हाउस में उस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं । क्यों नहीं कर सकते हैं, अध्यक्ष महोदय ? 1954 में लोकसभा और राज्य सभा की एक कमेटी बनी उस कमेटी ने प्रिविलेज के मामले पर विचार किया । उसके बाद एक एस्टेब्लिशड प्रेक्टिस बन गयी । संयुक्त समिति की उसका निर्णय था, "यदि किसी भी दूसरे

(श्री नाथू सिंह)

सदन के माननीय सदस्य ने कोई भी ऐसी बात कही जिससे ब्रीच आफ प्रिविलेज बने तो उस हाउस के अन्दर, जिसका वह मैम्बर नहीं है, उस पर चर्चा नहीं की जा सकती है।" उस समय उसने यह व्यवस्था दी जो 1954 से चली आ रही है। यदि लोकसभा के किसी माननीय सदस्य द्वारा किसी दूसरी राज्य विधान सभा के सदस्यों का ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ तो केवल लोक सभा विचार कर सकती है, उस पर विधान सभा विचार नहीं कर सकती है। तब से यह व्यवस्था चली आ रही है। अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा हो जायगा तो दो हाउसेज में कन्फन्टेशन की स्थिति पैदा हो जायगी। मान लीजिये, ऐसी स्थिति हो जाये, एक हाउस यह निर्णय दे दे, यह प्रिविलेज बनता है, दूसरा हाउस यह निर्णय दे दे कि यह प्रिविलेज नहीं है तो, अध्यक्ष महोदय मैं, निर्णय चाहता हूं, उस स्थिति में क्या स्थिति हो जायगी। लोकतंत्र में जो स्ट्रक्चर है इस देश का उसमें इन्डिपेंडेंट हाउसेज हैं उनमें से दो हाउसेज में आपस में लड़ाई होगी, कन्फन्टेशन की स्थिति पैदा होगी, क्या यह उचित होगा ? अध्यक्ष महोदय, जो लोक सभा और राज्य सभा की संयुक्त समिति बनायी गयी 1954 में, उसने गंभीरतापूर्वक इस पर विचार किया। हाउस आफ कामन्स, दूसरे देशों के हाउसेज की सारी स्थिति का अध्ययन करने, जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं उनको पढ़ने के पश्चात् यह तय किया गया, इस तरह से दो हाउसेज में कन्फन्टशन की स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिये। इसलिये उन्होंने कहा है एक लोक सभा के माननीय सदस्य के द्वारा किसी का ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ तो उसको लोक सभा में डिस्कस किया जायगा उस हाउस में नहीं। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है इसी तरह से प्राइमा फेसी ब्रीच आफ प्रिविलेज का सवाल है। उन्होंने जो निर्णय दिया उसमें यह भी दिया कि प्राइमा फेसीब्रीच आफ प्रिविलेज होता है या नहीं। इसको देखकर, यदि ब्रीच आफ प्रिविलेज का मामला बनता है तो लोक सभा को रेफर करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के केस में प्राइमाफेसी ब्रीच आफ प्रिविलेज का मामला नहीं बनता है। मैं समझता हूं इस पर इस सदन में चर्चा करने की अनुमति नहीं दें क्योंकि इस सदन की कार्यवाही से और सदस्यों की कार्यवाही से कोई इसका लेना देना नहीं है। जो मैंने हाई कोर्ट में रिट की थी उस पर यह निर्णय हुआ था—

"Without taking oath an elected person cannot ask for vote...."

जो भी है, केन्डीडेट था। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है नहीं। आप इस पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दें। इसके अलावा भी यह ब्रीच आफ प्रिविलेज बनता हो तो मैंने जो निर्णय बताया, उसके हिसाब से हम इस सदन में चर्चा नहीं कर सकते हैं।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री माणकमल मेहता।

श्री माणक मल मेहता (पाली) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रिविलेज के विषय पर विचार हो रहा है उसके सम्बन्ध में मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। हमारा संविधान जब बना तो हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लार्ड्स की तरह से पार्लियामेंट के दो भाग बनाये गये। जिस तरह से लेजिस्लेचर है आपके समक्ष

(श्री माणकमल मेहता)

जैसे राजस्थान स्टेट का लेजिस्लेचर है, संविधान में जो नियम बने, उसके अनुसार यह एग्जिस्टेंस में आया। प्रश्न यह है कि किसी भी डेमोक्रेसी, हमारे संविधान में जिस डेमोक्रेसी का निर्माण हुआ है, में प्रिविलेज क्यों दिये जाते हैं और हाउस के मैम्बर्स को क्यों प्रिविलेज हैं ? दूसरों से विशेष अधिकार क्यों हैं ? अधिकार सबको होते हैं, हमारे संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को अधिकार होते हैं, लेकिन असेम्बली में चुन कर या पार्लियामेंट में चुन कर जो व्यक्ति जाते हैं उनको विशेष अधिकार होते हैं। वह विशेष अधिकार केवल इसलिये होते हैं, जिस जनता ने उसका निर्वाचन करके भेजा है, वह निर्भीकतापूर्वक अपने विचारों को रख सके और उनके अभाव अभियोग की वकालत असेम्बली में कर सके। इसलिये कुछ एम्युमिनिटी रखी है उन मैम्बर्स के लिये जो विधान सभा, राज्य सभा या लोक सभा में जाते हैं।

बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि पार्लियामेंट के मैम्बर अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, इसलिये वहीं यह प्रश्न उठाना चाहिये। मेरा विनम्रतापूर्वक, अध्यक्ष महोदय, निवेदन है, वह अध्ययन करें इस बात का कि किन मैम्बर्स के प्रिविलेज का हनन हुआ है। खास बात यह है कि पार्लियामेंट के मैम्बर के प्रिविलेज का हनन हुआ है तो वहां पर वह प्रश्न उठाया जा सकता है लेकिन यदि इस हाउस के माननीय सदस्य का हनन हुआ है, उनकी एम्युमिनिटी, उनके राइट्स, उनके प्रिविलेज पर कुठाराघात हुआ है तो प्रश्न पर इस सदन को, इस महान् सदन को निर्णय करना होगा। इसलिये आपके समक्ष यह जो प्रश्न रखा गया है, उसका निर्णय मेरी सम्मति में इस विधान सभा के सदस्यों को करना पड़ेगा।

आपने यह बात कही, वह सदस्य, जिस मैम्बर ने ओथ नहीं ली है, राज्य सभा के चुनाव में वोट दे सकता है। इस ओथ का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हमने वोट दिया लेकिन हम जब तक इस महान् विधान सभा के सदस्य नहीं होते हमको वोट देने का राइट नहीं होता। वोट देने का राइट हमें मिला है यह केवल इस सदन का मैम्बर और सदस्य होने के नाते मिला है। विधान सभा के सदस्य होने के नाते हमने वोट दिया है। इसलिये यदि किसी सदस्य के वोट देने के अधिकार पर किसी प्रकार का कुठाराघात होता है, उसको किसी तरह से जन साधारण के समक्ष नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, उसकी अवमानना और अपमान करने की कोशिश की जाती है तो मैं समझता हूं उसको दबाने की कोशिश है। उसका जो राइट आफ एक्सप्रेशन, राइट आफ स्पीच है हाउस में, जिसके आधार पर विचार हाउस में प्रकट करता है, उस पर एक प्रकार का कुठाराघात किये जाने की कोशिश की जा रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि माननीय वाजपेयी साहब ने जो शब्द कहे हैं, वह इस सदन के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक माननीय सदस्य का अपमान है। दोनों ओर के माननीय सदस्यों का अपमान है। केवल एक ओर के माननीय सदस्यों का अपमान नहीं है। क्योंकि वोट हमेशा सीक्रेसी में

(श्री माणकमल मेहता)

दिये जाते हैं, इसलिये सीक्रेसी में वोट देने पर यह नहीं कह सकते हैं, अपोजिशन पार्टी के सदस्य ने वोट दिया है, या इस पार्टी के सदस्य ने या कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने वोट दिया है । इसलिये सारे सदस्यों का यह अपमान है ।जब सारे हाउस का अपमान होता है तो इतनी जबरदस्त अवमानना सहन नहीं कीजा सकती ।

अभी हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने एक गुजरात का उदाहरण दिया कि किस प्रकार से रुपये देकर फलां व्यक्ति को खरीद लिया गया । यहां यह बात नहीं है । यहां पर तो कहा गया है जनरलाइज करके, स्वीपिंग रिमार्क पास किया गया है । इसको सहन करने के लिये कदापि तैयार नहीं हो सकते क्योंकि यह हमारी जबरदस्त अवमानना है । मैं समझता हूं हमारे जो माननीय सदस्य हैं उनके कुछ राइट होते हैं, कुछ एम्युनिटीज होती हैं जिसके बगैर वे हाउस में उन फंक्शंस, जो उन्हें एन्ट्रस्ट किये गये है, को विधान सभा के सदस्य के नाते फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते जो संविधान में प्रिज्वर्ड है, लिखे हुए हैं । इसलिये यह उनकी अवमानना है । माननीय वाजपेयी जी ने हमारे प्रत्येक सदस्य का अपमान किया है इसलिये हाउस सक्षम है कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसका निर्णय करे । उन्होंने हाउस की गरिमा पर आघात किया है । क्योंकि सदस्यों के बगैर कोई हाउस नहीं होता, इसलिये सदस्यों की अवमानना हाउस की अवमानना है । उन्होंने प्रिविलेज का ब्रीच किया है इसलिये उनको हाउस द्वारा सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए । इस हाउस में उनको बुला कर ताड़ना या सजा, जो भी मुनासिब समझें, दी जानी चाहिये ।

इतना ही कह कर मैं निवेदन करूंगा यह क्लियर ब्रीच आफ दी आनरेबल हाउस है ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो विशेषाधिकार का प्रस्ताव विचाराधीन है उसके सम्बन्ध में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कही गयी बात का बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य, अन्य साथियों और मित्रों ने खण्डन करने की कोशिश की है । उनको सदन के सदस्यों का ध्यान कम है और अपनी पार्टी के नेता का ध्यान अधिक है । मैं समझता हूं हम सभी लोग अलग अलग अपनी पार्टी के कार्यकर्त्ता हैं परन्तु हम को सदन में बैठने के बाद अपनी पार्टी से अधिक सदन की गरिमा का ध्यान रखना चाहिये । भाजपा के मित्रों से मेरा अनुरोध है कि अटलबिहारीजी भाजपा के नेता हैं इसलिये उनकी गलत बात को भी सही करने के लिये वह बोलें और खून पसीना एक करके सदन का समय बेकार करने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होना चाहिए । मेरा अनुरोध है वह कम से कम सदन के सदस्य की हैसियत से इस बात पर विचार करें कि उनके माननीय नेता ने जो × × × भाषा का उपयोग करके हमारे माननीय सदस्यों की शान में फर्क करके ठेस पहुंचाई है और विशेषाधिकार का हनन किया है उसके लिये उनको उचित सजा

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

Page No 109

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

मिलनी ही चाहिये। यह खास तौर से भाजपा के हक में भी होगा। यदि × × × तो न केवल उनके नेता को व्यक्तिगत लाभ मिलेगा बल्कि उनकी पार्टी को भी लाभ मिलेगा। इस प्रकार की × × × करके हिन्दुस्तान की राजनीति को छिछली करने की वह कोशिश न करें। इसके अलावा खास तौर से जो निहित स्वार्थों का हिन्दुस्तान में बहुत बड़ा दल उनके साथ लगा हुआ है उसको गलत रास्ते पर न ले जायं। नहीं तो जिस गाड़ी पर बैठ कर खास तौर से हिन्दुस्तान में जिस निहित स्वार्थों का यहां पर सतत, अबाध गति से शोषण जारी रखने की प्रक्रिया जारी है, उसका नेतृत्व जारी रखना चाहते हैं वह काम भी पीछे पड़ जायेगा। इसलिये उनके हित में यह है कि × × × प्रस्ताव हमारे जिन मित्रों ने रखा है उनकी मदद करे।

इसमें, अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन यह है कि किसी भी मतदाता पर साधारण तौर पर किसी प्रकार का दबाव डाला जाता है, उसको किसी प्रकार का लोभ-लालच देकर या दबाव डालकर किसी प्रकार को अपमानजनक स्थिति में लाया जाता है तो मतदाता के मतदान के स्वतंत्र अधिकारों पर कुठाराघात होता है। माननीय विधान सभा के जो सदस्य हैं वे सब विधान सभा के सदस्य की हैसियत से राष्ट्रपति या राज्यसभा के चुनाव में वोट देने जाते हैं। उस स्थिति में विधान सभा का सदस्य किस को वोट दे, किसको न दे, उस पर दबाव डालना या उसे इंगित करना या उसको किसी प्रकार से लांछित करने की कोशिश करना निश्चित रूप से उसके विधान सभा सदस्य की हैसियत, उसकी प्रतिष्ठा के बारे में गलत धारणा पैदा करना है, उसके कार्य में बाधा पहुंचाना है। जो उन्होंने भाषण दिया है उसके द्वारा निश्चित रूप से हमारे अधिकारों के पालन करने, कर्त्तव्यों का पालन करने और अधिकार का उपयोग करने में बाधा पहुंचाई है इसलिये निश्चित रूप से यह विशेषाधिकार के हनन के दायरे में आता है।

एक बात कहूंगा कि वह लोक सभा के सदस्य हैं। उन्होंने लोक सभा में यह बात कही ही नहीं। अगर लोक सभा में इस प्रकार की बात कहते, इससे भी ज्यादा हल्की बात कह सकते थे, तब तो विचारणीय प्रश्न था कि लोक सभा में कही हुई बात चाहे झूठी हो, उस पर इस सदन में विचार करें या न करें। मगर माननीय अटल बिहारी जी ने यह बात लोक सभा के बाहर अखबार के प्लेटफार्म पर खास तौर से राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को एक प्रकार से बदनाम करने की दृष्टि से, खास तौर से इस विचारधारा से, इस बुरी नियत से कही, मैं कहूंगा, वह जानते थे इस प्रकार का कोई सदस्य बिक नहीं सकता, कम से कम विधान सभा का सदस्य होता है, वह किसी की खरीद फरोख्त में नहीं आता परन्तु उनको शायद कुछ वहम हो गया, × × × शायद दूसरे लोग भी इस तरह के होंगे। इतने बडे, भारतीय स्तर के नेता का राजस्थान विधान सभा के

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

सदस्यों को लोक सभा के बाहर ग्राम चर्चा का साधन बनाना शोभा की बात नहीं है। इससे बड़ी भारी राजस्थान विधान सभा के सदस्यों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। मैं समझता हूं कांग्रेस, जो हमारी पार्टी है, पर उन्होंने ऐसा कह कर ठेस पहुंचाई है, हमारे विचारों पर, गरिमा पर आघात पहुंचाने की कोशिश की है ऐसा कह कर, जैसे हम कोई खरीदने वाले लोग हों, जैसे हम कोई वोटों की खरीद करने वाले हों, और बाकी के लोग, जो कांग्रेस के नहीं हैं, सब बिकने वाले लोग हों। कांग्रेस और नान-कांग्रेस के भी विधान सभा में सदस्य हैं, एक प्रकार से किसी को खरीदने वाला और किसी को बिकने वाला कह कर सभी माननीय सदस्यों के मान-सम्मान को ठेस पहुंचाई है इसलिये यह विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है। इस पर विचार कर जो भी दण्ड उचित हो, उससे दण्डित किया जाना चाहिये।

श्री **अध्यक्ष** : समाप्त कीजिये।

श्री **भैरू लाल भारद्वाज** : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ सदस्यों ने इस पर ऐसे विचार किया है जैसे यह केवल उनकी पार्टी के नेता का सवाल है। इसको इस तरह से नहीं लिया जाय। इससे काफी गलतफहमी हुई है। कुछ माननीय सदस्यों पर इस बात पर दबाव डालने की कोशिश की गई, कुछ को समझाने की कोशिश की गई कि किसी प्रकार की कार्यवाही न करें परन्तु माननीय सदस्यों को अधिकार है कि वे यहां ऐसे मामलों को पेश करें। कमलेन्द्रसिंह जी और दूसरे सदस्य ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं समझता हूं वह काफी गंभीर है। प्रजातन्त्र में यह जरूरी है कि ऐसे लोगों की दूसरों के अधिकारों का हनन करने, और दूसरों को नुकसान पहुंचाने तथा विधान सभा के सदस्यों को अपने कर्त्तव्यों का पालन करने की भावना को ठेस पहुंचाने की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिये। यह भी कहता हूं. माननीय अध्यक्ष महोदय, अटल बिहारी जी ने इस तरह का भाषण देकर अपनी उस प्रवृत्ति को उजागर किया है जो कि फासिज्म की प्रवृत्ति है। फासिज्म का मूल सिद्धान्त यह है कि अपने विचारों के प्रतिकूल किसी आदमी को बरदाश्त नहीं किया जाय। यह फासिज्म का उदाहरण है.......

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : पर्याप्त हो गया, माननीय सदस्य।

श्री **देवीसिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, ये समय बरबाद कर रहे हैं।

श्री **अध्यक्ष**, बैठ जाइये, माननीय सदस्य। काफी कह दिया, समाप्त कीजिये।

श्री **भैरू लाल भारद्वाज** : राष्ट्रपति के और राज्य सभा के चुनावों में वोट देने वालों को उन्होंने मिथ्या ही बिका हुआ कह कर और दूसरे लोगों को खरीदने वाला कह कर राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के मान-सम्मान और कर्तव्यों को ठेस

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरू लाल भारद्वाज)

यह चाई है इसलिये उनके खिलाफ कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत होगा।

श्री अध्यक्ष : अन्य माननीय सदस्य बोलना चाहें।

श्री यदुनाथ सिंह, प्रस्ताव हमारा है। जो आब्जेक्शन रेज किये हैं, उन पर हमारा जवाब होना चाहिये।....

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त नहीं हुई हैं।

श्री हनुमान प्रभाकर (मावली), माननीय अध्यक्ष महोदय, वल्लभनगर से निर्वाचित माननीय सदस्य ने 3 अप्रेल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वाजपेयी जी के एक भाषण का अंश यहां पर उदधृत किया है, और उसके सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उपस्थित किया है। अध्यक्ष महोदय, यहां कई बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, इस विधान सभा में कुल 200 सदस्य हैं, उनमें से कांग्रेस के 147 सदस्य हैं, बी. जे. पी. के 31 सदस्य हैं, और इनके अलावा अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य हैं। राज्य सभा के चुनाव के अन्दर यह निश्चित है, विधान सभा के लिये निर्वाचित सदस्य ही मतदान कर सकते हैं, अन्य कोई मतदान नहीं कर सकता है। कांग्रेस के उम्मीदवार को 160 वोट मिले तो स्वाभाविक है, 13 वोट अन्य सदस्यों ने दिये। तो यह कहना कि यह विशेषाधिकार इसलिये नहीं बनता है क्योंकि वेग चार्ज है, मैं इसको नहीं मानता हूं। विपक्षी दल के सदस्य या और सदस्यों ने मतदान किया है, माननीय अध्यक्ष, राज्य सभा के चुनाव के लिये आप भी एक मतदाता है, मैं भी एक मतदाता हूं, इस तरह से मतदाताओं पर निश्चित रूप से यह आरोप लगाया गया कि आपने मतदान किया है, यह स्पष्ट तथ्य है कि विरोधी दल के 13 सदस्यों ने मत कांग्रेस के पक्ष में दिया इसलिये कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट 160 मिले। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अखिल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को जनता के द्वारा निर्वाचित व्यक्तियों के लिये इस तरह का भाषण देने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जिन सदस्यों ने सिद्धान्तों के आधार पर, एक विचारधारा के आधार पर, समझ बूझ करके सुन्दरसिंह भण्डारी को वोट न देकर उनको हराया और कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताया, एक तरह से उन लोगों का अपमान करना चाहते हैं। एक बात तो मैं यह कहना चाहता हूं। दूसरी बात यह कि कांग्रेस के लिये इस तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोग वोट का खरीद-फरोख्त करते हैं। खरीद-फरोख्त करने वाली बात बहुत सोच समझ कर कही गई है। इसके साथ तीसरा पक्ष जो नहीं आया, अध्यक्ष महोदय, उसको भी मैं रखना चाहता हूं। उनको यह मालूम था कि वे हारेंगे, हारने के बाद उदयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीतना होगा इसलिये लोक सभा के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिये, कांग्रेस की गरिमा को नीचे गिराने के लिये उन्होंने एक षड्यन्त्र किया। यही कारण था कि उन्होंने एक वक्तव्य दिया। आप कहना चाहते हैं कि विधायकों की खरीद-फरोख्त के कारण

(श्री हनुमान प्रभाकर)

सुन्दरसिंह भण्डारी हारे । मैं कहना चाहता हूं कि उदयपुर लोकसभा के अन्दर जिन लाखों लोगों ने मतदान किया और 50,000 वोटों से श्री सुन्दर सिंह भण्डारी को हराया, क्या 50,000 वोटों की, मतदाताओं की खरीद-फरोख्त की गई ? लोकतन्त्र के अन्दर चाहे विधान सभा के मतदाता हों, चाहे साधारण मतदाता हों, उनके प्रति यदि इस तरह की बात, खरीद-फरोख्त करने वाली कोई बात कहे तो निश्चित रूप से वह सुलझे हुए विचारों का व्यक्ति नहीं हो सकता, लोकतन्त्र में विश्वास करने वाला नहीं हो सकता । निश्चित रूप से सामन्ती और अधिनायकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति ही इस तरह की बात कर सकता है । अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है । तो एक पक्ष मैंने आपके सामने रखा कि यह वक्तव्य उनको किन कारणों से देना पड़ा । दूसरा कारण यह है, जिन विधायकों ने अपने मतदान का फैसला किया, उनका अपमान करने के लिये, कांग्रेस को खरीद-फरोख्त करने वाली पार्टी बताने के लिए उन्होंने ऐसा कहा । तीसरा कारण जो मैंने बताया, मई में होने वाले उपचुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने की दृष्टि से उन्होंने इसका उपयोग किया ।

एक प्रश्न यह उठाया गया कि विधान सभा में जो कार्यवाही हो उसी के अन्तर्गत यह सारी बात की जा सकती है । तो अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से मतदान में विधान सभा के सदस्य को तरह मतदान किया गया है । प्रिविलेज डाइजेस्ट 1971 के अन्दर एक केस है, उसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा । नागपुर के अन्दर राष्ट्रपति के आने के बाद एक एम. पी. जाना चाहते थे राष्ट्रपति से मिलने को । वहां उन्हें पुलिस अधिकारियों ने रोका और उनकी गर्दन पर हाथ डाला । वहां पर पार्लियामेन्ट नहीं थी और एम. पी. की तरह का कर्त्तव्य भी नहीं था । यहां पर तो मतदान जो हुआ वह निश्चित रूप से एम. एल. ए. के कर्त्तव्य से जुड़ा हुआ था । वह एम. पी. का कर्त्तव्य नहीं था उसके बावजूद पुलिस अधिकारी ने रोका, धर-पकड़ की । उसके साथ वे सीधे पार्लियामेन्ट में गये । यह घटना, अध्यक्ष महोदय, 27 मई, 1970 की है । 18 नवम्बर, 1970 को पार्लियामेन्ट में प्रश्न आया और उन्होंने सदन में सारी बात बतायी । सारी घटना बताने के बाद में यही अटल बिहारी वाजपेयी, जो संसद सदस्य थे, ने प्रस्ताव रखा कि इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये । उसके बाद सदन ने उसको स्वीकार नहीं किया । परन्तु श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, हमारे संसद सदस्य के साथ हाथापाई की, इसलिये सदन को, संसद को अवश्य विचार करना चाहिये और प्रिविलेज कमेटी को यह प्रस्ताव भेजना चाहिये । उस समय जो दूसरे संसद सदस्य थे श्री नाथ पै । उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सदन विचार करे, उन्होंने तारीख दी, फलां तारीख को 12 बजे डिप्टी कमिश्नर महाराष्ट्र और जो दूसरे अधिकारी हैं उनको बुलाया जाये । अध्यक्ष महोदय मैं विनम्रता के साथ

(श्री हनुमान प्रभाकर)

यह कहना चाहता हूं, यह जो संसद का निर्णय है, हमारे लिये दिशा निर्देश है। यदि किसी सदस्य का अपमान होता है तो संसद को किस तरह से उत्तरदायित्व का निवर्हन करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आप पर छोड़ना चाहता हूं, यह जो चार्ज है क्या छोटा है? कुछ विधायकों के लिये यह कहा कि बिकते हैं, कुछ लोगों के लिये यह कहा कि विधायकों को खरीदते है, मैं समझता हूँ राष्ट्रपति की, नागपुर की घटना इससे बड़ी घटना है। इस बड़ी घटना को यदि आंखों से ओझल करना चाहेंगे और इसको राजनीतिक स्वरूप देना चाहेंगे तो मैं कहना चाहूंगा कि आगे आने वाली जनता के लिये, लोकतन्त्र के लिये निश्चित रूप से एक ऐसी घटना होगी जिससे कई खतरे उत्पन्न हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और मैं आपको कहना चाहता हू, वाणी की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतन्त्रता है, किस व्यक्ति ने क्या कहा और क्या नहीं कहा यह तथ्यों पर आधारित है या नहीं, यह कह कर इस प्रस्ताव को प्रिविलेज कमेटी में भेजने की बात की जाये। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रिविलेज का मैंने उल्लेख किया, उसमें भी तथ्य की आवश्यकता थी। क्या उस एम. पी. के साथ मारपीट हुई या नहीं, इस तथ्य की जानकारी करनी थी किन्तु जैसा मैंने कहा, लोक सभा ने इस सारी चीज के महत्व को स्वीकार करते हुए सीधा हाउस में विचार किया।

यह तथ्य है कि निश्चित रूप से 147 के बजाय 160 वोट हमको मिले हैं। यह भी सही है कि इस पर उन्होंने बिकने का आरोप लगाया। अध्यक्ष महोदय, आज बी. जे. पी. के कई साथी, विधायक यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि यदि यह वक्तव्य गलत था तो इसका प्रतिवाद क्यों नहीं आ सका? यह प्रतिवाद नहीं आना इस बात का सबूत है कि जो कुछ कहा गया उसके पीछे वजन था, इरादे से बात कही गई, समझदारी से बात कही गयी। जब इरादे से, समझदारी से कोई बात कही जाती है तो, अध्यक्ष महोदय, उसका उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है।

इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा, अपराध करने वाला व्यक्ति कैसा है, अपराध करने का इरादा कैसा है, इसको भी देखना होगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी के श्री अटल बिहारी बाजपेयी है, वे इस अखिल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, इस देश के अन्दर वे बहुत ऊंचे पद पर रह चुके हैं। वे इस तरह से बात करते हैं तो अपराध और गम्भीर बन जाता है। यदि यह बात एक साधारण नागरिक कहता तो मैं समझता हूं कि उसका अपराध इतना गम्भीर नहीं बनता।

एक बात कही गई, लोकसभा सदस्य के मामले में यहां विचार नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए यह हाउस सक्षम है। आप सक्षम हैं। आपको विचार करना होगा, विचार कर निर्णय देना

(श्री हनुमान प्रभाकर)

होगा यह केवल एक बहाना तलाश करना है कि हम लोक सभा के सदस्य के मामले पर विचार नहीं कर सकते। हाउस सब पर विचार कर सकता है, निर्णय ले सकता है, निर्णय लेने का अधिकार इसे है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा, यह जो प्रस्ताव है, न केवल कांग्रेस के लिए है न केवल पक्ष में बैठने वाले सदस्यों के लिये है, न केवल विपक्ष के सदस्यों के लिये है यह विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है इस पर विचार करके उचित निर्णय ले यह ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी वजह से आगे की राजनीतिक दिशा का निर्धारण होगा। भविष्य में इस तरह की गैर जिम्मेदाराना, अनुत्तरदायित्वपूर्ण सार्वजनिक चर्चा विधायकों के सम्बन्ध में नहीं हो सके इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि इस विशेषाधिकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय, इस सदन में इस पर विचार किया जाय इसके लिये कोई तिथि निश्चित की जाय, अटल बिहारी वाजपेयी को हाउस में सम्मन किया जाय। यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : कैसे रोका जायेगा यह। यह नहीं हो सकता। क्या हम आपके बोलने के बाद बोल ही नहीं सकेंगे। क्या विपक्ष के नेता के बाद हम नहीं बोल सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बल्लभ नगर से आने वाले माननीय सदस्य के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने सदन में एक इस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तुत कर इस सदन को लोकतांत्रिक व्यवस्था का इतिहास बनाने में एक कड़ी के रूप में काम करने में सहयोग दिया है। अध्यक्ष महोदय, सदन में कई प्रश्नों के ऊपर चर्चा होती है, कई प्रश्नों के ऊपर निर्णय होता है लेकिन आज जिस तरह का प्रश्न इस सदन के सामने प्रस्तुत हुआ है निश्चित रूप से राजस्थान विधान सभा का इससे इतिहास बनेगा।

अध्यक्ष महोदय, इस बात का भी निर्णय हो जायगा कि यह सदन दुर्भावना से काम करता है या यह सदन न्याय के आधार पर काम करता है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, 'सदन की दुर्भावना' शब्द सदन की मर्यादा के लिये ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार की सदन की गरिमा होनी चाहिए, उस प्रकार की सदन की गरिमा रहती है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें, यदि मैं यहां तक कहूं कि आज का अपना निर्णय ऐतिहासिक निर्णय होगा, तो मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय किसी को कोई

(व्यवधान)

आपत्ति नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, आज सदन की कार्यवाही से इतिहास बनेगा, अध्यक्ष महोदय आपके, निर्णय से इतिहास

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

बनेगा, यदि सदन में यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, सदन यदि यह प्रस्ताव पारित करता है तो इस प्रस्ताव के पश्चात् होने वाली कार्यवाही से इतिहास बनेगा इसलिये इस पर हमें गम्भीरता से चिन्तन करना चाहिए। मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमें इस पर गम्भीरता के आधार पर चिन्तन, मनन और निर्णय करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव केवल इस बात पर रखा गया कि श्री वाजपेयी ने इन्दौर में कोई बात कही जो राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं वह पूरा समाचार पढ़कर सुनाना चाहता हूं आपकी आज्ञा से—

"राजस्थान पत्रिका, 4 अप्रेल, 1982 राजस्थान के विपक्ष के विधायक बिके-अटल

इन्दौर, 3 अप्रेल, हिन्दुस्तान समाचार। अटल बिहारी वाजपेयी ने आरोप लगाया कि राजस्थान के विपक्ष के कुछ विधायक बिक गये। इसके कारण भाजपा के उम्मीदवार सुन्दर सिंह भण्डारी चुनाव हार गये। उल्लेखनीय है कि राजस्थान विधान सभा में राज्य सभा के लिए हाल ही में सम्पन्न हुए चुनावों में तीनों उम्मीदवार सत्तारूढ़ दल के विजयी हुए हैं। वाजपेयी ने कल यहां संवाददाताओं को बताया कि राज्य सभा के चुनावों के लिये विपक्षी दलों में हुए तालमेल से उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में अच्छे परिणाम निकले हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में काले धन के प्रयोग की शंका है।'

यह वक्तव्य है। अध्यक्ष महोदय, 4 अप्रेल, 1982 के राजस्थान पत्रिका के अंक में यह प्रकाशित हुआ। यह समाचार 4 अप्रेल को प्रकाशित हुआ जिस पर इस प्रकार का राजस्थान विधान सभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव इस सत्र में आया है। माननीय सदस्य कह सकते हैं कि यह उनका अधिकार है। मैं पूछना चाहता हूं यदि विधान सभा का सत्र नहीं होता तो इस प्रकार का विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव किस प्रकार प्रस्तुत किया जाता। लेकिन सदन के कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन तथा नियमों का ठीक प्रकार से अध्ययन किया हैं। वे समझते हैं, माननीय सदस्यों का अधिकार है कि यदि सदन की कार्यवाही नहीं चलती है और विशेषाधिकार का कोई प्रश्न खड़ा हो जाये तो माननीय सदस्य अध्यक्ष के समक्ष विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है। अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार है कि सदन की बिना अनुमति के, सदन में बिना चर्चा कराये उस प्रस्ताव को विचार के लिये विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि 4 अप्रेल से लेकर 6 सितम्बर, 1982 तक 6 महीने निकल गये, इसकी किसी को चिन्ता नहीं हुयी....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 6 महीने नहीं तीन महीने।

श्री भैरोंसिह शेखावत : तीन महीने मान लो। साढ़े तीन महीने मान लो।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अगर 4 अप्रेल को भाषण दिया तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर पांच महीने मान लो। न आप सही हैं न मैं सही हूं न तीन महीने हुए और न 6 महीने हुए, पांच महीने हुए। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों, जिनके ऊपर इस प्रकार का रिफ्लेक्शन हुआ, को पांच महीने तक कोई चिन्ता नहीं हुई। अगर चिन्ता होती तो आपके सामने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आता। चिन्ता इस बात की भी नहीं हुयी कि राजस्थान पत्रिका, जिसमें यह समाचार छपा था, को एक पत्र लिखा जाता कि आपने इस प्रकार का समाचार छापा, वह गलत है, राजस्थान विधान सभा के किसी सदस्य की बिक्री नहीं हुई है, राजस्थान विधान सभा के किसी सदस्य की खरीद नहीं हुई है। न पत्रिका में खण्डन किया, न और समाचार पत्रों में खण्डन किया और न आपके सामने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव....

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : मारे अखबारों में खण्डन हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। माननीय सदस्य, बीच में बाधा नहीं पहुंचायें। शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उन्होंने जो खण्डन किया है वह भी मेरी नालेज में है। उसको भी मैं कोट करूंगा। मेरे पास खेतसिंह जी का भी वक्तव्य है।

हां तो, अध्यक्ष महोदय, उस समय किसी ने खण्डन नहीं किया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि Conditions of admissibility of the question of privilege. क्या है: 'The right to raise a question of privilege shall be governed by the following conditions, namely :

(ii) the question shall be restricted to a specific matter of recent occurrence,"

अब मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह रीसेंट आकरेंस का विषय है क्या? आजकल की घटना है क्या? क्या विधान सभा का सत्र चालू होने के बाद की कोई घटना है? क्या विधान के सत्र के 10-15या20 दिन पहले की घटना है? यह घटना हुई है 4 अप्रेल, 1982 को....

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : क्या मियाद निकल गयी।

श्री अध्यक्ष : कोई सदस्य बाधा नहीं डालें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, 4 अप्रेल को यह वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ, व्यक्तिशः किसी माननीय सदस्य ने समाचार पत्रों में खण्डन नहीं किया समाचार पत्र को कोई पत्र नहीं लिखा, किसी ने कोई विशेषाधिकार हनन की बात उस समय नहीं की, प्रस्ताव नहीं दिया। उस समय इस प्रकार के किसी प्रस्ताव की राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष को कोई सूचना नहीं दी और पांच महीने के बाद वह प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा जाय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तो यह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इसको रीसेंट आकरेंस का समझेंगे कि नहीं। मैं आपको और इस सदन को आगाह करना चाहता हूं कि अगर कोई बात है, व्यवहार है उसको लेकर छुई मुई के समान विधान सभा में विशेषाधिकार हनन के किसी प्रस्ताव के ऊपर कोई निर्णय लेने की आपने चिन्ता की भी तो अटल बिहारी वाजपेयी को तो यहां बुलाकर आप रेप्रीमेंड कर देंगे लेकिन किस प्रकार की परम्परा का निर्माण करने जा रहे हैं उस पर चिन्तन करना पड़ेगा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मनन करना पड़ेगा विचार करना पड़ेगा, यह नहीं कि इन्दिरा जी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बाधा नहीं पहुंचायें, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिह शेखावत : माननीय सदस्यों को चिन्ता हुयी, श्रीमती गांधी का निष्कासन किया वह अच्छा नहीं किया। आप शायद उस सारी चीज का बदला लेना चाहते हैं, उसके लिए आपने यह सारी बात कही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपकी इन्दिरा गांधी तो अटल बिहारी वाजपेयी है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अगर यह परम्परा डलेगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं बैठ जाऊंगा।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री): श्रीमती इन्दिरा गांधी, जब मैम्बर ऑफ पॉलियामेण्ट थीं, के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाकर रैस्टिकेट किया, वह केस कितने समय पूर्व का था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह एक कमेटी की रिपोर्ट थी, उनके खिलाफ चार्ज लगाये गये थे, उस सम्बन्ध में पेश हुई थी, उसका किसी समय कॉग्नीजेन्स ले लें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य, बैठ जायें।

श्री दुलाराम : आप अटलजी की वकालत करते हैं, हम इन्दिरा गांधी....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य। कृपया उनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपकी मजबूरी है, वह समझ में आती है। इन्दिरा गांधी को हमने निकाला, इसलिये अटल जी को यह निकालेंगे। आपकी मजबूरी है, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं, आप मजबूरी में काम करें।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : हमारा कर्त्तव्य है। हमारी नेता के प्रति आक्षेप लगाये जायें तो यह मजबूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कृपया शान्त रहें।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक निवेदन करना चाहता हूं, जो कुछ इन्दिरा गांधी के साथ हुआ, इन्दिरा गांधी के खिलाफ जो वर्ड यूज किया, रैस्टिकेशन, और एक ने वर्ड यूज किया, 'निकाल दिया गया', उस से कोई परम्परा अच्छी तो नहीं....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, प्लीज, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य बोल रहे हैं कृपया शान्त रहें। गम्भीर विषय है, सदन के समक्ष। कृपया इसमें बाधा उपस्थित न करें। ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी से, जो उनको निकाला गया, वह परम्परा अच्छी बनी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर, माननीय सदस्य, मन्त्री जी।

श्री शिवचरण माथुर : मेरा नम्बर आयेगा, मैं बोलूंगा। आप मेहरबानी करके जो कुछ कहना है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत अच्छा है, आपका वक्त आयेगा।

अध्यक्ष महोदय, अब एक वक्तव्य निकलता है, मैं दूसरा वक्तव्य पढ़कर सुनना चाहता हूं, वह राजस्थान पत्रिका के 5 अप्रेल, 1982 के अंक में प्रकाशित हुआ है 'विपक्ष के 6 विधायकों का सत्ता पक्ष को समर्थन गलत है। राजस्थान विधान सभा में लोकदल विधायक दल के नेता श्री लच्छूराम ने आज एक बयान जारी कर उनके ऊपर लगाये गये इस आरोप का खण्डन किया कि राज्य सभा के चुनाव में जान-बूझकर वोट डालने नहीं गये।'

अध्यक्ष महोदय, आगे लिखा है लच्छूराम जी ने, 'सभी विधायकों तथा विपक्षी दलों के उम्मीदवार और नेताओं को विदित है कि मेरे पैर का आप्रेशन हुआ, जिसके कारण मुझे बैड से हिलने की मनाही हुई। मैंने राज्य सभा चुनाव अधिकारी से अस्पताल में वोट देने का पत्र लिखा था, लेकिन कानून में इस प्रकार का कोई प्रावधान न होने के कारण उन्होंने इसमें असमर्थता व्यक्त की। बयान में कहा गया है कि चुनावों में राज्य में कुछ विपक्षी विधायकों ने सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार को मत दिये, यह राजनैतिक और नैतिक दृष्टि से बहुत ही गलत है।" यह लोकदल के नेता ने कहा, मैंने नहीं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर, माननीय सदस्य, बात नहीं करें। ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसे सुन रहा था, जैसे तुलसीदास जी रामायण सुना रहे थे। बीच में क्यों बोल रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं।

लोकदल के नेता ने कहा, वह बात मैंने रिपीट की। अखबार में छपा, राजस्थान पत्रिका में है, "वह राजनैतिक और नैतिक दृष्टि से बहुत ही गलत है"। राजनैतिक दृष्टि से गलत हो सकता है लेकिन वर्ड यूज किया, नैतिक दृष्टि से गलत है। इसके विस्तार में मैं जाना नहीं चाहता, गलत क्या है, माननीय सदस्यगण स्वयं ही, जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अब आगे कहना चाहता हूं। श्रीमान खेतसिंह राठौड़ ने वक्तव्य पढ़ कर सुनाया, उन्होंने अपने हिसाब से पढ़ कर सुनाया। पढ़ा हुआ तो है, है तो वही, लेकिन फिर पढ़ कर सुनाता हूं। "मुख्य सचेतक श्री खेतसिंह राठौड़ ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी के आरोप का खंडन किया कि राजस्थान में विपक्ष के कुछ विधायक खरीद लिये गये। 'अभी तो आरोप यह लगा रहे हैं, हमको यह कह दिया कि बिक गये।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खेतसिंह जी इस आरोप का खण्डन कर रहे हैं कि खरीद लिये गये। अब आगे कहते क्या हैं, "उन्होंने इस आरोप को निराधार बेबुनियाद, सत्यता से परे बताते हुए कहा कि जिन 13 विपक्षी विधायकों ने कांग्रेस (आई) के प्रत्याशी को राज्य सभा के चुनाव में अपने मत दिये, वह प्रगतिशील विचारधारा के हैं और प्रतिक्रियावादी ताकतों के हमेशा खिलाफ रहे हैं।' अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि 13 विधायकों....

(3. 34 म.प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 13 विरोधी दल के सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। है कोई माई का लाल जो खड़ा होकर यह कह दे कि मैंने वोट दिया है ....

अनेक माननीय सदस्य : गोपनीय है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक बार बता दूं, हो हुल्लड़ से दबने वाला नहीं हूं। जिस तरह का व्यवहार आप करोगे, उसी तरह का व्यवहार मिलेगा। मैंने शांति से सुना है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, शांति से सुनो। मैंने खेतसिंह जी का वक्तव्य कोट किया 13 विधायक विरोधी दल के कांग्रेस को वोट देते हैं और कांग्रेस के मुख्य सचेतक बयान देते हैं। मुख्य सचेतक में हिम्मत हो, नैतिकता हो तो नाम बता दें। या जिन्होंने वोट दिये हुए हैं, वह खड़े होकर बता दें।

दोनों तरफ मौन।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाम बताने का प्रश्न नहीं क्योंकि वोट गोपनीय होता है लेकिन वोटों की गिनती में 13 वोट ज्यादा मिले हैं, वे आपके भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा अहसास है कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हो सकता है, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, माननीय सदस्य। आपस में बातें नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि आज कह दिया खेतसिंह जी ने कि 13 विधायकों ने वोट दिये थे कि लेकिन न वह प्रमाणित कर सकते हैं कि 13 विधायकों ने वोट दिये, न देने वाले प्रमाणित कर सकते हैं।

श्री चाव खां : 13वां तो मैंने दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय सदस्य, श्री चाव खां की बहुत प्रशंसा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करूंगा कि इन्होंने स्पष्ट रूप से हाउस में कह दिया, मैंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। और है कोई माई का लाल, देने वाला, जो वोले....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको मौका मिलेगा।

आॅर्डर आॅर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, खेतसिंह जी ने इस आरोप को निराधार, बेबुनियाद और सत्यता से परे बताते हुए कहा कि जिन 13 विपक्ष के विधायकों ने कांग्रेस के प्रत्याशी को राज्य सभा चुनावों में अपना मत दिया था, वे प्रगतिशील विचारधारा के हैं, और प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वह शब्द आप देख लें, 'प्रगतिशील विचारधारा के और प्रतिक्रियावादी ताकतों के हमेशा खिलाफ रहने वाले।' आप जनता पार्टी को प्रगतिशील विचारधारा का कब से मानने लग गये? आप जनता पार्टी को प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ होने वाली शक्ति कब से मानने लग गये?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जनता पार्टी और लोकदल का सवाल नहीं है। 13 विधायकों में आप में से भी हो सकते हैं, इनमें से भी हो सकते हैं। लेकिन जिन्होंने दिये हैं उन्हें हमारी नीतियों, मतलब, हमारी नेता की नीतियों में विश्वास है, और हम प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति हैं ही।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से खुशी हुई कि कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक स्वीकार करते हैं कि हम प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति हैं। प्रतिक्रियावादी ताकतों के खिलाफ हमारे में ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : No questions to be put.

श्री भैरों सिंह शेखावत उपाध्यक्ष महोदय, अब आप देखिये, राजस्थान विधान सभा में, उपाध्यक्ष महोदय, एक सवाल आया कि वाजपेयीजी ने एक वक्तव्य दिया उस वक्तव्य में यह कहा कि तेरह विधायक बिक गये।

एक माननीय सदस्य : कुछ विधायक....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं गलत बोल गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कुछ विधायक। मैं गलत बोल गया, आप सही कहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : अगर 13 मानते हैं तो आप प्रिज्यूम कर लीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह मैं नहीं मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, ये तो आपकी पार्टी.....

(व्यवधान)

अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूं, आप सुनते जाइये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मन्त्रीजी को बधाई देना चाहूंगा....

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्रीजी को इसलिये बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने विरोधी पक्ष में मतभेद पैदा करने में सफलता प्राप्त की । वाजपेयी जी के खिलाफ यदि प्रस्ताव सत्तारूढ़ दल की तरफ से आता,....

(व्यवधान)

विरोधी पक्ष से आ रहा है और विरोध पक्ष के माननीय सदस्य, जिन्होंने प्रस्ताव रखा है, वाजपेयीजी की बुराई कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं, 1977 तक हिन्दुस्तान का नेता यही मान-कर चल रहे थे....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कोई पाइन्ट नहीं है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : No relevancy.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1980 से लेकर 1982 तक ये हमारे साथ रहे, मैं समझता हूं, 15 वर्ष तक तो हमारे साथ रहे । 15 वर्ष तक हमने साथ काम किया, 15 वर्ष तक वाजपेयीजी की जय-जयकार भी की । 1980 में किसी मतभेद के कारण राव साहब हमसे अलग हो गये थे उस समय से इनको वाजपेयीजी में बुराइयां दिखने लग गईं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मन्त्रीजी को बधाई दी वह इसलिए दी कि वाजपेयीजी के विरुद्ध यदि सत्ता पक्ष की तरफ से कोई प्रस्ताव आता तो कोई बात नहीं थी लेकिन विरोधी पक्ष की तरफ से इन्होंने प्रस्ताव रखवाने में सफलता प्राप्त की । यह मैं इसलिए कह रहा था, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग की कार्यवाही आपने अखबारों में पढ़ी होगी । अब मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी के कहने से कैसे हुआ । यह अखबार है ।

"वाजपेयी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की मांग".

यह मांग जनता पार्टी की मीटिंग में नहीं हुई, यह मांग लोकदल की मीटिंग में नहीं हुई, यह मांग शरद पंवार वाली कांग्रेस की मीटिंग में नहीं हुई, यह मांग कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग में नही हुई, यह मांग सी. पी. आई. (एम) की मीटिंग में नहीं हुई, यह मांग कांग्रेस (आई) विधायक दल की मीटिंग में हुई । इसमें लिखा गया है, "कांग्रेस (आई) के 39 विधायकों और चार मन्त्रियों ने विधान सभा अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जनता पार्टी एव लोकदल द्वारा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध रखे गये विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को सदन में विचार करने की मांग की ।

ज्ञातव्य है कि राजस्थान में जनता पार्टी विधायक दल के नेता राव कमलेन्द्र-सिंह एवं लोकदल के यदुनाथसिंह के वाज-पेयी द्वारा इन्दौर में 4 अप्रेल को पत्रकारों

Page No 122

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

के सामने दिये गये बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने यह कहा था राजस्थान के कुछ विपक्षी विधायकों को कांग्रेस (ग्राई) ने खरीद लिया, जिसके कारण भाजपा से राजस्थान के लिए उम्मीदवार सुन्दरसिंह भण्डारी चुनाव हार गये, वाजपेयी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव के सिलसिले में कल रात्रि को कांग्रेस (ग्राई) विधायक दल की बैठक में भी बनवारीलाल शर्मा ने मामला उठाया था और वहां मुख्य मन्त्री से अनुरोध किया था कि राज्य सभा के चुनावों में हमारा साथ देने वाले दल का हम साथ देना चाहिये और प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होनी चाहिये। बैठक में मुख्य मन्त्री माथुर, मुख्य सचेतक खेतसिंह ने कहा था कि इस प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करने के लिए वे अध्यक्ष से वार्ता करेंगे किन्तु उस समय विधायकों ने एक स्वर से मांग की कि उस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होनी चाहिये। शर्मा के कथन का अध्ययन करके पर्यटन राज्य मन्त्री श्री नरेन्द्रसिंह भाटी ने भी समर्थन किया। विधायकों को पत्र के जरिये सूचना में जिन चार विधायकों ने हस्ताक्षर किये उनके नाम हैं कृषि मन्त्री, श्रीमती कमला, पर्यटन राज्य मन्त्री, श्री नरेन्द्रसिंह भाटी, वन राज्य मन्त्री, श्री गोविन्दसिंह गुर्जर, जेल राज्य मन्त्री श्री दिनेश राय डांगी। इसके अलावा 39 वरिष्ठ विधायकों ने भी हस्ताक्षर किये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह इसलिए पढ़कर सुनाया निर्णय तो कांग्रेस पार्टी पहले कर चुकी थी।

श्री हनुमान प्रभाकर (मावली) : कौनसी मीटिंग ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं।

श्री हनुमान प्रभाकर : किस तारीख को किया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता रहा हूं यह बैठक है 17 तारीख की।

श्री हनुमान प्रभाकर : आपने कहा उनके कहने से रख दिया....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (राज्य मंत्री, पर्यटन) : वह तो आज भी....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं है, आपको भ्रम है। आपके रखने से पहले प्रस्ताव पास कर दिया, उसके बाद में आपने तय किया। मैंने पहले कभी नहीं कहा आपको कोई मिसअण्डरस्टेण्डिंग नहीं होनी चाहिये।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : नहीं, आपने यह कहा कि विरोधी पक्ष के द्वारा इस प्रस्ताव को रखवाने का निर्णय आपने लिया जबकि ये प्रस्ताव पहले रख चुके थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है, मैंने कटिंग, टिप्पणी पढ़ कर सुनाई है उसका सम्बन्ध केवल इससे है, इन्होंने जो प्रस्ताव रखा उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में चर्चा हुई, मुख्य मन्त्री ने आश्वासन दिया कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अध्यक्ष से इस सम्बन्ध में बात की जायगी और अध्यक्ष महोदय से आपने जिस प्रकार का निर्णय लिया उस निर्णय अनुसार सदन से प्रस्ताव को स्वीकार कराने के लिए कहा जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं क्या राजस्थान के मुख्य मन्त्री को, कांग्रेस पार्टी को ऐसा निर्णय लेने का अधिकार है कि वह अध्यक्ष के लिये यह कह दे, अध्यक्ष से इस प्रकार का निर्णय करवा देंगे। क्या अध्यक्ष से इस बात का....

(व्यवधान)

नहीं, सत्तारूढ़ दल का यह निर्णय हो जाय, सत्तारूढ़ दल यह निर्णय करे कि बैठक में मुख्य मन्त्री श्री माथुर एवं मुख्य सचेतक श्री खेतसिंह राठौड़ ने कहा प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करने के लिए अध्यक्ष से वार्ता करेंगे।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कौनसे अखबार में छपा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : "वार्ता करके उनसे निवेदन करेंगे," मैं उस पर बाद में आ रहा हूं। 'किन्तु उस समय विधायकों ने एक स्वर से मांग की कि उस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होनी चाहिये। 'कांग्रेस पार्टी में यह तय हुआ कि इस विशेषाधिकार प्रस्ताव को अनुमति के लिये मुख्य मंत्री और मुख्य सचेतक माननीय अध्यक्ष महोदय से वार्ता करेंगे। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का बहुमत है, इसमें सन्देह नहीं। बहुमत वाला दल दलीय आधार पर यदि विशेषाधिकार के किसी प्रश्न के ऊपर निर्णय ले ले तो, उपाध्यक्ष महोदय, और कोई संकट खड़ा नहीं होता, अध्यक्ष के लिए संकट खड़ा होता है कि........

(3.43 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
अध्यक्ष, पदासीन)

विशेषाधिकार समिति के प्रश्न के ऊपर एक तरफ बहुमत है एक तरफ अल्प मत है। बहुमत के कहने के आधार पर निर्णय ले लें, यह अल्पमत के अधिकारों का हनन है जिनकी सुरक्षा के लिए आप जिम्मेदार हैं। इस प्रकार का वह निर्णय ले, अध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान)

इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि यहां पर कांग्रेस पार्टी के निर्णय को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, विधायक दल में जो निर्णय लिया उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, इस एग्जीक्यूशन में, अध्यक्ष महोदय आपको व्यवस्था देनी है।

मैं इस आधार पर निवेदन करना चाहता हूं। अब, अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने इसको विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बनाया। मैं ऐसा समझता हूं कि पार्लियामेन्ट या हिन्दुस्तान की लेजिस्लेचर के लिए प्रिविलेज अभी तक कोडिफाई नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, कई बार इसकी चेष्टा की गई कि विशेषाधिकार संकलित किये जायं, या इनको कोडिफाई किया जाय। जब भी कोडिफिकेशन का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

प्रश्न उत्पन्न होता है तो हिन्दुस्तान के विशेषज्ञों की यह सम्मति आई कि हम इनको यदि कोडिफाई करेंगे तो हम अपनी सुविधाओं को एक सीमा में लायेंगे। ऐसे प्रश्न, जो उस सीमा से बाहर भी हैं, विशेषाधिकार के प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए जिस प्रकार से हाउस आफ कामन्स में प्रिविलेज को कोडिफाई नहीं किया, विशेषज्ञों ने इस प्रश्न पर राय दी कि उसी प्रकार से हमको भी इस पर विचार करना चाहिये। मैं समझता हूं आज तक हिन्दुस्तान की किसी भी विधान सभा के विशेषाधिकार क्या हैं, इसका किसी भी रूप में कोडिफिकेशन नहीं किया गया। अब प्रश्न यह उठता है, उपाध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार क्या हैं।

विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य बिक गये। इस प्रकार की खबर आती है। अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपको निवेदन करना चाहूंगा और सदन को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि हम विधायक वोट केवल राज्य सभा के चुनाव में नहीं देते, हम वोट लोक सभा के चुनाव में देते हैं, हम वोट पंचायत के चुनाव में देते हैं, हम पंचायत समिति के चुनाव में वोट देते देते हैं, जिला परिषद के चुनाव में वोट देते हैं, बैंक्स के चुनाव के अन्दर हम वोट देते हैं। उसमें यदि कोई यह कह दे कि बैंक के चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में वोटर बिक गया तो हम निश्चित रूप से विधायक होते हैं तो क्या विधायक यह क्लेम करेंगे कि बिक गये की बात कह दी यह विशेषाधिकार हनन का प्रश्न है। यह हम नहीं कह सकते।

(व्यवधान)

श्री दिनेश डांगी (राज्य मंत्री, पुनर्वास) : आप विधान सभा को बैंक के बराबर बता रहे हैं। आप सदन की गरिमा को नीचा कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ऊंचा करने वालों की शक्ल तो देख लीजिये।

श्री दिनेश डांगी : मैंने खुद यह प्रस्ताव रखा है....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं डांगीजी का बहुत ही कृतज्ञ हूं कि उन्होंने पार्टी की मन्शा को रखा। विधान सभा कोई भी निर्णय करेगी वह पार्टी निर्णय के अनुसार करेगी। पार्टी ने निर्णय कर लिया फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हाउस में आपके वर्चस्व का एक प्रकार से प्रकटीकरण होगा। पार्टी वर्चस्व को यहां किस प्रकार से लागू किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने विषय पर आ रहा हूं। विषय यह था, अध्यक्ष महोदय, अगर कोई विधायक पंचायत में वोट देता है, पंचायत समिति में वोट देता है, जिला परिषद में वोट देता है, क्या वह विधायक के कर्त्तव्य हैं ? अगर इस सदन की यह सम्मति है कि जिला परिषद में वोट देता है स्टेट्यूट के अन्तर्गत, पंचायत समिति के अन्दर वोट देता है स्टेट्यूट के अन्तर्गत, को-आपरेटिव बैंक के अन्दर वोट देता है स्टेट्यूट के अन्तर्गत तो क्या वोट देना विधायक के कर्त्तव्य में आता है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

डांगी जी ने एक बात ही, यह विधायक का कर्त्तव्य है।

(व्यवधान)

मैं भी समझता हूं अधिकार और कर्त्तव्य दोनों बातें हैं। आप कुछ भी समझ लीजिये।

अध्यक्ष महोदय, एक बात स्पष्ट कर लें कि पंचायत से लेकर जिला परिषद तक के चुनाव में वोट देने का जो हमारा कर्त्तव्य है, अधिकार है उस सम्बन्ध में यदि कोई व्यक्ति यह कह दे, अटल बिहारी वाजपेयी कह दें, भैरोंसिंह शेखावत या कोई एक्स, वाई, जेड, कह दे कि अमुक व्यक्ति से वोट खरीद लिया जीतने वाले ने, या अमुक वोटर बिक गया तो मैं पूछना चाहता हूं कि कोई सदस्य यह मानने को तैयार नहीं होगा कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है, जिस इलेक्टोरल कॉलेज के अन्दर विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ है। अब, अध्यक्ष महोदय, जिला परिषद के चुनाव के इलेक्टोरल कालेज में लोक सभा के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य होते हैं इलेक्टोरल कालेज के अन्दर वह हैं। जिला परिषद के चुनाव में लोक सभा राज्य सभा, विधान सभा के सदस्य और जहां विधान परिषद है वहां उसके सदस्य कानून के अन्तर्गत वोट देते हैं, कानून के अन्तर्गत उनको वोट देने का अधिकार है। इस अधिकार, फ्रेन्चाइज के अन्तर्गत जब वह वोट देते हैं यदि किसी प्रकार का उन पर रिफ्लेक्शन आ जाये कि वोट खरीद लिया गया तो मैं सदन से पूछना चाहूंगा कि विशेषाधिकार हनन का प्रश्न बनेगा? मैं समझता हूं, नहीं बनेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और अध्यक्ष महोदय से कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें कि जिला परिषद में कोई विधायक किसी कंसीडरेशन के आधार पर वोट दे दे, अभी तो यह कहा है कि बिक गये, यदि कोई कह दे कि मैंने 500 रुपये देकर वोट खरीद लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अखबार में छपने पर किसी प्रकार का विशेषाधिकार हनन का प्रश्न उठाये। इसलिये नहीं उठेगा क्यों कि वह विधायक की ड्यूटी नहीं है। विधायक के नाते तो इस हाउस में ड्यूटी डिस्चार्ज करनी पड़ती है। मैं आपको कांस्टीट्यूशन का रेफरेंस देना चाहता हूं जिसके लिये माननीय सदस्य बड़े चिन्तित हैं। "Composition of the Council of States" जिसके अन्तर्गत वोट देते हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट लगेगा, मैं कुछ रेलेवेंट आर्टिकल पढ़कर सुनाना चाहता हूं : There shall be a Parliament for the Union which shall consist of the President and two Houses to be known respectively as the Council of States and the House of the People."

Article 80. "(1) The Council of States shall consist of :–

(a) twelve members to be nominated by the President in accordance with the provisions of clause (30) and

(b) not more than 238 repse -

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

sentatives of States and of the Union territories.

(2) The allocation of seats in the Council of States to be filled by representatives of the States and of the Union Territories shall be in accordance with the provisions in that behalf contained in the Fourh Schedule.

(3) The members to be nominated by the President under sub-clause (a) of clause (1) shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely...."

इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो इलेक्टोरल कालेज बनता है, राजस्थान विधान सभा के सदस्य उस इलेक्टोरल कालेज के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष महोदय, इलेक्टोरल कालेज जिला परिषद में बनता है, पंचायत समिति में बनता है, वह एक्ट बनता रहा है, पंचायत समिति के एक्ट के अन्दर बनता है। आप उसको स्वयं देख लेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है, वह किस आधार पर होता है। मैं पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस से बता रहा हूं जिसमें से बार-बार आप कोट कर रहे थे। उसके पेज 124 से एक पैराग्राफ पढ़ कर सुनाता हूं, यह काफी लम्बा है, जिस समय आप निर्णय दें उस समय देख लीजियेगा--

"Written imputation as affecting a member of Parliament may amount to breach of privilege without perhaps being libelous at the common law, but to constitute a breach of privilege, the libel upon a member must concern the character and conduct of the member in that capacity."

Character and conduct of the member. "

And what is the conduct and character of the Member ?

श्री हीरालाल देवपुरा : गुजरात वाला केस है........

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप सुन लें, गुजरात वाला केस है।

'The Committee also considered that the term conduct of member in that capacity should also be understood and interpreted in the context of the principle that the privileges are meant only the effective discharge of the functions of the House.'

मैं पूछना चाहता हूं माननीय सदस्यों से, किसी को वोट देना is it a function of the House ?

एक माननीय सदस्य : Yes,

श्री भैरोंसिंह शेखावत : No. It can never be the function of the member. आप कोई भी फैसला करें it is not the function of the Member to vote for candidates of the Rajya Sabha.

यह कोई फंक्शन नहीं है। वोट देने का अधिकार मिला है आपको, मानता हूं।

श्री दिनेश डांगी : यदि वोट का अधिकार है तो यह फंक्शन है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इनको समझा सकते हैं।

श्री दिनेश डांगी : आपसे ज्यादा पढ़ा-लिखा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं फिर इसको रिपीट करना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी इसको देखें :

'The Committee also conridesed that the term "conduct of member in that capacity" should also be understood and interpreted in the context of the principle that the privileges are meant only for the effective discharge of the functions of the House."

यह नहीं हो सकता कि विधान सभा का सदस्य बाहर किसी को मारे और कह दे कि मैं विधायक हूं इसलिये मेरे खिलाफ आई. पी. सी. का केस नहीं बन सकता। आज विधायक चोरी कर ले और पकड़ा न जाये और पकड़ा जाये तो क्या विशेषाधिकार का हनन हो गया ? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विधायक के फंक्शन हैं, उन फंक्शन में यदि वाजपेयीजी का स्टेटमेंट अवरोध उत्पन्न करता है तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा, जो कहता कि वाजपेयीजी को बुलाओ।

मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिये कहना चाहता हूं, मैंने पहले कहा कि इतिहास बनने वाला है, वह इतिहास इस बात का बनने वाला है कि मैम्बर्स के फंक्शन्स क्या हैं, मैम्बर्स के फंक्शन्स को डिफाइन किस प्रकार से किया जा रहा है। यदि आपने मैम्बर के फंक्शन्स को वोट देना मान लिया तो इतनी वाइड नेट होगी कि आज आप वाजपेयीजी को फंसा लेंगे, कल मैं शिवचरण माथुर को फंसा लूंगा और विधान सभाओं में बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी का बहुमत है, कांग्रेस के लोगों को फंसा देंगे, तमिलनाडु में डी. एम. के. का बहुमत है, वहां कांग्रेस के लोगों को फंसा लेंगे। मैं इसके आधार पर कहना चाहता हूं कि फंक्शन्स क्या हैं, उन फंक्शन्स और हमारे जो अधिकार हैं उन दोनों को मिक्स अप मत करो। फंक्शन्स और अधिकारों में बड़ा अंतर है, उसको समझ कर आपको चलना पड़ेगा।

मैं इसी आधार पर फिर कह रहा हूं कि कमेटी ने इस पर विचार किया :

'The Committee is of the opinion that irrespective of whether the electoral college is a separate entity or not, a member, while voting at such election, is acting in the capacity of a voter of the electoral college and not in

Page No 128

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

the capacity of member of the House.'

अध्यक्ष महोदय, मैं विधि मंत्री से कहना चाहूंगा कि इसके विपरीत कोई रूलिंग बता दें किसी विधान सभा, लोक सभा या हाउस आफ कामन्स की तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। कन्डक्ट, करेक्टर और फंक्शन्स, इन तीनों में बड़ा डिफरेंस है इस फाइन डिफरेंस को गुजरात की रूलिंग में इस प्रकार से लिया है:

'The Committee is, therefore, of the opinion that the allegations of bribery and corruption made in the said news-item....'

वहां तो अटल बिहारीजी ने इतना ही कहा कि बिक गये, वहां तो यह कहा था कि राज्य सभा के चुनाव में इनको पैसे दिए गए, यह अखबारों में छपा। वह एलीगेशन ज्यादा सीरियस था बनिस्बत इसके कि किन किन को खरीदा, कौन कौन से बिक गये, यहां तो सारे का सारा छिपा हुआ है लेकिन वहां तो डाइरेक्ट चार्ज था कि अमुक अमुक आदमी को इतने इतने पैसे दिये गये और बिक गये। उसके बावजूद गुजरात की प्रिविलेजिज कमेटी ने फैसला दिया :

"The Committee is, therefore, of the opinion that irrespective of whether the electoral college is a separate entity or not, a member, while voting at such election, is acting in the capacity of a voter of the electoral college and not in the capacity of a member of the House."

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वाजपेयीजी ने जो कुछ भी कहा उन मैम्बर्स के लिये वह उन फंक्शन्स के संबंध में कहा है जो विधान सभा के फंक्शन्स नहीं हैं, इसलिये इस विधान सभा के किसी भी सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया हो, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। आगे लिखा है इसी कमेटी ने:

"The Committee is, therefore, of the opinion that the allegations of bribery and corruption made in the said news-item against the six members do not concern the character or conduct of the members in that capacity and do not cast reflections upon the members of the House for or relating to their service therrein and, therefore, there is no breach of privilege of the House."

अध्यक्ष महोदय, तीनों चीजें अच्छे ढंग से डिफाइन्ड हैं, करेक्टर और कन्डक्ट क्या है, फंक्शन्स क्या हैं। मैम्बर वोट देता है वह इस हाउस का फंक्शन है या वोटर का फंक्शन है। उन्होंने बिलकुल तय कर दिया कि यदि कोई विधायक वोट देता है तो वोटर के नाते वोट देता है, विधायक के फरायज के नाते नहीं। विधान सभा में जो उसकी गतिविधियां हैं या विधान सभा में जो कार्यवाही करता है उस नाते से नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। यदि हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें तो विधान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सभा का इतिहास बनायेंगे, कोई संदेह नहीं।

मैं एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। माननीय सदस्य, जो बांदीकुई से आये, ने उसका रेफरेंस दिया। लोक सभा सदस्य के विरुद्ध यदि हम विशेषाधिकार हनन का प्रश्न रखते है तो मैं इस बात को तो मानता हूं कि दानों प्रकार की व्यवस्थायें हैं। एक व्यवस्था यह है कि लोक सभा को हम लिख दें कि लोक सभा के अमुक सदस्यों ने हमारे सदस्यों के विशेषाधिकार का इस प्रकार हनन किया। लोक सभा की विशेषाधिकार समिति उस पर कार्यवाही करेगी। दूसरा यह है कि विधान सभा चाहे तो उस मेम्बर को यहां बुला कर उसकी इन्क्वायरी करायें। दोनों प्रकार की व्यवस्थायें हैं।

आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था से लोक सभा के एक सदस्य के खिलाफ कार्यवाही की गई तो पंजाब, उड़ीसा की कई ऐसी मिसालें हैं जिनमें लोक सभा सदस्य के विरुद्ध कार्यवाही हुई। उन्होंने विशेषाधिकार समिति को सिफारिश की। सदन जिस प्रकार चाहे फैसला दे, मुझे आपत्ति नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अटल बिहारीजी हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, वह हिन्दुस्तान के बाहर के नहीं हैं, उनके अपने एक सिटीजन के नाते कुछ राइट्स हैं। उन राइट्स का आप एन्क्रोच करना चाहते हैं। एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है एक्सप्रेशन का, उस एक्सप्रेशन को आप बांधना चाहते हैं, उस एक्सप्रेशन पर आप कठोरता से अंकुश लगाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यदि अटल बिहारीजी को किसी सदस्य के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने का कोई अधिकार नहीं है तो बोलने का अधिकार है....

अनेक माननीय सदस्य : गाली देने का ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गाली देने का अधिकार है। मेरी बात सुन लीजिये। उस गाली का परिणाम भुगतने की व्यवस्था हमने इण्डियन पीनल कोड में कर रखी है। माननीय सदस्य का यदि अपमान होता है, खेतसिंह का अपमान होता है तो हिन्दुस्तान में न्यायालय है, वल्लभनगर में न्यायालय है, जयपुर, जोधपुर और शेरगढ़ में न्यायालय है, डिफेमेशन सूट आज तक अटल बिहारी जी पर फाइल कर दिया होता। लेकिन वहां नहीं किया। वहां इसलिये नहीं किया कि वहां अगर करेंगे तो कुछ होगा नहीं। जो एक आल्टरनेटिव अब इनको मिला हुआ है, संविधान में कानून सम्मत जो अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार का उपयोग तो नहीं किया और आज सदन में आकर कहते हैं कि सदन में बुलाया जाय। किसी तरीके से तो बुला लो और बुलाने के लिए विशेषाधिकार का प्रस्ताव यहां प्रस्तुत कर दिया जाय। हम तो हमारे सारे अधिकार, हमारा भविष्य सारे का सारा आपके हाथ में सुरक्षित महसूस करते हैं। आप जिस तरह का निर्णय लेंगे वह हमको मान्य होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं दो केसेज और साइट करता हूं ताकि किसी प्रकार की भ्रांति माननीय सदस्यों में हो वह भ्रांति निकल जाय। एक केस है, मैं माननीय

Page No 130

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सदस्यों की जानकारी के लिये, यदि अनुमति हो, तो एक पेज पढ़ कर सुना दूं :

"On the 20th April, 1960, the Speaker (Shri M. A. Ayyangar) informed the House that he had received notice of a question of privilege from Shri R. K. Khadilkar, a member, which stated inter alia;-

'A friend of mine drew my attention to a speech delivered by Shri C. Rajagopalachari at Chandigarh on the 24th March, 1960. It has been reported in the leading English daily the Indian Express of the 26th March, 1960. The report says:-

'Mr. Rajagopalachari said that its (Congress) representatives in the legislatures were such people whom any first class magistrate would round up.

आप अन्दाजा लगाये किस संदर्भ में कहा है :

They were men without any appreciable means of livelihood."

अब सारे डिटेल्स में जाऊंगा तो...

अनेक माननीय सदस्य : आगे पढ़ो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं पढ़ रहा हूं, आपको चिन्ता क्यों हो रही है।

"Prima facie, it is a contempt of the House and therefoce serious notice of it should be taken."

Ruling by the speaker. इसमें क्या हुई :

'The Speaker, disallowing the question of privilege ruled inter alia:-

"A similar question arose in the House of Commons, U. K. on the 21st June, 1954, when a member, Sir, H. Williams, brought to the notice of the Speaker the following portion of a speech, attributed to another member Mr. Shinwell appearing in that day's Daily Mail"

वह खबर इन्ट्रेस्टिंग है, वह यह है:–

Mr. E. Shinwell, Socialist M. P......predicted an election at the end of the year when he spoke at a Labour Party Gala. He siad it would be an opportunity to get rid of the crazy Tories, the wretches, the rascals...'

श्री राजबहादुर : दूसरा शब्द है rapscallions।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बता दीजिए। वह आगे है। तीनों वर्ड्स, क्या क्या वर्ड्स यूज किए हैं। उसमें लिखा है :

'to get rid of the crazy Tories, the wretches, the rascals, the rapscallions."

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें से कोई भी बात नहीं है ।

(व्यवधान)

क्या कहा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें ।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप हिन्दी में बोले तो ठीक रहे । आप हिन्दी में अनुवाद कर दें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हिन्दी में अनुवाद करूंगा तो आप मेरे खिलाफ में भी प्रिविलेज मोशन मूव कर देंगे । मैं तो अभी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करूंगा तो सुरक्षित रहूंगा । अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि अगर मैं अभी हिन्दी में बोला तो आप मेरा गला पकड़ेंगे । मैं तो अंग्रेजी में ही पढ़ूंगा इसको,

'The member contended that the reference was clearly to members on the side of the Treasury Benches and, as such, it was a gross breach of the privilege of the Houte. The reupon the Sp aker observed :-

'My vi w of it is that hard words used against persons and parties are dealt with, if necessary, by the law of defamation."

स्पीकर क्या कहते हैं :

'...by the law of defamation,

अध्यक्ष महोदय, किसी विधायक को रास्कल कह दें, रेचिड कह दें या और कुछ कह दें, अध्यक्ष महोदय, क्या इसको ब्रीच आफ प्रिविलेज बना दिया जाय ? अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इसे आफ ब्रीच प्रिविलेज नहीं माना । उन्होंने कहा कि इसके लिये और भी प्रोसीजर है, वह चाहें तो डिफेमैशन का सूट फाइल कर सकते हैं they can get a remedy.

उसमें आगे लिखा है कि :

"...and it is only where House as a whole is affected by the spoken word..."

एक बात इसमें और भी है, अध्यक्ष महोदय, उसमें कहा है पूरे हाउस का अपमान होता है और इसमें लिखा है कि 13 विधायक हैं । अध्यक्ष महोदय, जो 13 विधायक हैं वह भी विरोधी दल के हैं ।

एक माननीय सदस्य : कुछ इधर के भी हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो खेतसिंहजी ने पहले ही कह दिया कि सभी हमारी तरफ के ही हैं । खेतसिंहजी ने पहले ही यह मैटर समाप्त कर दिया । उन्होंने तो शुरू में ही कह दिया था । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि

'...it is only where the House as a whole is affected by the spoken word that, to my mind, a question of privilegearises, In this case, it seems to me that these offensive epithets

(भैरोंसिह शेखावत)

are selective theirs in application· Therefore ‹f the words complained of, I could not really find a prima facie case of breach of privilege.'

आगे फिर लिखा है:

'I only want to tell hon. members that we ought not to be little too touchy...'

अध्यक्ष महोदय, स्पीकर ने कहा है कि हम कोई छुई मुई की तरह थोड़े ही हैं। हम कोई छुईमुई नहीं हैं कि हर मामले में ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न बना दें। अध्यक्ष महोदय, We should be broad-minded and we should not be so touchy.

"I only want to tell hon. memders that we ought not te be little too touchy with respect to these matters. Each party attacks the other party...I may refer to the ruling given by the Speaker of the House af Commons. U.K. in another case, which be may berne in mind by all hon membeas. It rerds:-'

इसमें आगे लिखा है

'...however grave the charges and imorputations made in that article may be. il do not think it is a case of privilege. It has been the practice of this House to restrain privilege under great limitations and conditions: and these restrictions and limitations have been, in my opinion, very wisely imposed by the House upon itself. The rule is that, when imputations are made, in order to raise a case of privilege the imputation must refer to the action of honourable member in the discharege of their duties in the actual transaction of the business of the House.

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : यह भी डिस्चार्ज आफ ड्यूटीज है।

श्री भैरोंसिह शेखावत : वह मैं बता रहा हूं, बनवारीलालजी, आप सुनते जाओ। आपको चान्स मिलेगा। अगर आपके भाषण से मुख्य मन्त्रीजी प्रभावित होंगे तो अब के रिसफलिंग में वह आपको ले लेंगे।

(व्यवधान)

मेरी सिफारिश पर तो उल्टा होगा। आप कोशिश कर रहे हैं पिछले दो दिन से जब से मुख्य मन्त्रीजी ने एक प्रचार शुरू कर दिया है कि मुझे रिसफलिंग करने को अनुमति मिल गयी है। उसके बाद में सब लोग धूं धां में लगे हुए हैं कि किस तरह से मुख्य मन्त्रीजी मेरे लिये सोचें। अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बनवारी लालजी, आप उछल उछल कर बोल रहे हैं, अगर आप मेरे बोलने के बीच में इन्टरप्शन करते हैं और उससे आपका काम बनता है तो बनाइये।

मैं निवेदन कर रहा था :

'The rule is that, when imputations are made, in order to raise a

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
case of privilege, the imputation must refer to the action of the hon. members in the discharge of their duties in the actual transaction of hte House.'

सदन का कोई सदस्य, ईमानदारी से यह कह दे कि वोट जो देना है it is discharge of duties. It is not discharge of duties.

(व्यवधान)

श्री भैरों सिंह शेखावत : आप बता दें, हम भी समझदार हो जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, आगे है :

'...and though I quite under stand the honourable Baronet having brought this matter to my notice, I cannot rule that this is a case of privilege of course, if the honourable members think themselves aggrieved, they have a remedy; and they will not be precluded from pursuing their remedy elsewhere than in this House.'

This matter is closed.'

अब, अध्यक्ष महोदय, इससे दो बातें साफ हो जाती हैं कि पार्लियामेंट और हाउस आफ कामन्स में भी इस प्रकार के मामले उठे, अध्यक्ष महोदय, इससे भी सीरियस मसले उठे, इनसे भी सीरियस शब्दों का प्रयोग किया गया किन्तु फिर भी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं माना। अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो थोड़ा सा समय मुझे दें मैं 10-20 विधान सभाओं की रूलिंग और कोट कर दूं, आपको प्रस्तुत कर दूं जिनसे यह साफ हो जायगा कि मैम्बर का कन्डक्ट, करेक्टर, मैम्बर की ड्यूटीज, जो हाउस में अन्दर करते हैं, जो फंक्शन हाउस में डिस्चार्ज करते हैं और वोट करने का जो फंक्शन है उसमें कितना अन्तर है। अध्यक्ष महोदय, थोड़े थोड़े कोटेशन आपके सामने रख रहा हूं जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर लॉज आफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर इन इण्डिया के पेज नम्बर 361 को कोट कर रहा हूं :

'To constitute a breach of privilege, a libel upon a member must concern the character and conduct of the member in that capacity. And the conduct of any member on which the libel was based. must be action performed or words uttered in the actual transaction of the business of the House.'

अध्यक्ष महोदय, जो मैंने कोट किये हैं उनमें और भी सीरियस चार्जेज हैं। पूरी व्यवस्था, अध्यक्ष महोदय, आपके हाथ में है। मैं सारे के सारे केसेज कोट करके आपका समय नहीं लेना चाहता। मैं अब यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारा प्रिविलेज डाइजेस्ट, मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा होगा और मुख्य मन्त्रीजी ने भी देखा होगा इस डाइजेस्ट में, अध्यक्ष महोदय, जब से हमारा संसदीय इतिहास आरम्भ हुआ है उस समय से लेकर आज तक जितने भी विशेषाधिकार के मामले हमारे देश की विधान सभाओं में और लोक सभा में हुए हैं वह सब है। इस डाइजेस्ट को इसीलिये तैयार किया गया है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
इस डाइजेस्ट से, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा, मुझे कोई भी कोट कर दे, माननीय सदस्य के वोटिंग के अधिकार को विधान सभा में उसका फंक्शन माना है। विधान सभा सदस्य द्वारा विधान सभा में किये जाने वाले काम से उसके अधिकार को और उसके वोट देने के प्रश्न को अलग अलग माना है। अभी तक कोई भी रूलिंग नहीं है जिसमें मैम्बर के कन्डक्ट, डयूटीज, फंक्शन को एक माना हो। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के माननीय नेता इतने स्वीपिंग चार्जेज लगा रहे हैं। एक उदाहरण इनको अभी पढ़ कर सुना सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। मैं आपको अवसर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो मैं निवेदन कर रहा था कि मैंने सारी चीजें कोट की हैं उन पर फ्लेग लगे हुए है आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। इनको आप देखेंगे तो आप स्वयं इस बात को मान लेंगे कि ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं बनता है, कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज हाउस का नहीं हुआ है। आपको यह भी मालूम होगा कि सदन के सदस्यों के अधिकार क्या हैं, सदन के फंक्शन्स क्या हैं, किस किस व्यवहार से और सदन के किस काम में बाधा पहुंचाने से ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें विशेषाधिकार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। जैसा कि अभी माननीय डांगीजी ने कहा कि हमने तो फैसला कर लिया है। आपने फैसला कर दिया है और आप अटल-बिहारी वाजपेयी जी को यहां बुलाकर रेप्रीमेन्ड करेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि आखिर बहुमत द्वारा फैसला होगा और बहुमत के सामने हम कुछ भी कर नहीं सकते। लोकतन्त्र में, लोकमत में बहुमत से फैसला होता है। अगर, अध्यक्ष महोदय, बहुमत के आधार पर इस प्रकार का फैसला हो कि अटल बिहारी को रेप्रीमेण्ड किया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मुख्यमन्त्रीजी इस प्रकार का बहुमत से फैसला करना चाहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर बहुमत से आप यह फैसला करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आखिर बहुमत से फैसला कराना आप शुरू कर देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कल तो यह फैसला होगा बहुमत का कि महादेवसिंह को सदन के बाहर निकाला जाय, कल को यह भी फैसला होगा कि जिन विधायकों ने अवैध भूमि पर कब्जा कर रखा है उनको भी निकाला जाय, कल को यह भी बहुमत से फैसला करना पड़ सकता है कि जिन विधायकों ने सीलिंग से ज्यादा जमीन के लैण्ड सीलिंग एक्ट के तहत फर्जी दस्तावेज बनाकर कलेक्टर के सामने पेश किये हैं उनको भी विधान सभा से बाहर निकाला जाय, कल को यह भी फैसला हो सकता है कि विधान सभा के जिन सदस्यों ने फर्जी टी. ए. डी. ए. उठाया है उनको भी विधान सभा के बाहर निकाला जाय, कल को यह भी फैसला हो सकता है कि जिन विधायकों ने किसी प्रकार से रिश्वत ली है उनको भी विधान सभा के बाहर निकाला जाय। अध्यक्ष महोदय, अगर

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

विधान सभा में अटल बिहारीजी को बुला कर रेप्रीमेण्ड किया जाय तो, अध्यक्ष महोदय, अटल बिहारी वाजपेयीजी का वर्चस्व नहीं घटेगा उनका वर्चस्व तो सातवें आसमान पर पहुंच जावेगा। उनको रेप्रीमेन्ड करने से आपकी विधान सभा का वर्चस्व घटेगा, इस सदन का वर्चस्व घटेगा । उनको रेप्रीमेन्ड करने से, मुख्य मन्त्रीजी, आपका वर्चस्व घटेगा। हम एक ऐसी परम्परा डालेंगे जिसमें इस सदन के कई माननीय सदस्यों को बलि का बकरा बनाकर निकाल दिया जायगा....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, शांत रहें । उनको अपनी बात कहने दें ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं....

श्री भैरूलाल भारद्वाज : सदस्यों को आतंकित करने का प्रयास मत कीजिए ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं नही करूंगा आतंकित, अध्यक्ष महोदय, यह आतंकित तो तब होंगे जब लोगों के टी. ए., डी. ए. यहां सदन में प्रस्तुत होंगे ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। उनको अपनी बात कहने दीजिए ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने सदन को निवेदन कर दिया, सदन के नेता को निवेदन कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष अल्प मत में होता है, विरोधी पक्ष का संरक्षण....

श्री अध्यक्ष : यह जो आप बात कह रहे हैं यह प्रिज्यूम करके चलना है । आसन के प्रति कुछ भी नहीं कहें । न इन शब्दों से आसन को प्रभावित करें। आप सदन को प्रभावित करने की कोशिश कीजिए ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं कि मुझे सदन को इस संबंध में जितनी बात कहनी थी वह माननीय सदस्यों को भी कह दीं और मुख्य मंत्रीजी को भी कह दीं....

श्री अध्यक्ष : सदन को ही कहें ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं समझता हूं, मुझे यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि हम अल्पमत में हैं और अल्पमत के अधिकार अध्यक्ष के हाथों सुरक्षित हैं। बहुमत के आधार पर हमारे खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन लिया जाये तो, अध्यक्ष महोदय, ले सकते हैं। बहुमत ही निर्णायक होगा । बहुमत और अल्पमत के बीच में यदि अध्यक्ष नहीं हों तो विधान सभा ही नहीं चलेगी। विधान सभा की कोई कार्यवाही ही नहीं होगी। कानून मर्जी आये जिस तरह से पास हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, यह अध्यक्ष का ही पद है जो पद अल्पमत और बहुमत के बीच में बैलेन्स बनाकर अल्पमत की रक्षा करता है और जिसके कारण से लोकतंत्र जीवित रहता है। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैंने आरम्भ में कहा कि इतिहास बनाना है, इस इतिहास बनाने में राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष इतिहास बनाये....

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष तो बीच में नहीं आता ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसी आशा और विश्वास के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर । शांत रहें । श्री राजबहादुर ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष जी, मैं विरोधी पक्ष के नेता महोदय की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि यह प्रश्न साधारण नहीं है, बहुत गम्भीरता से इस पर विचार होना चाहिए, दुर्भावना से नहीं न्याय से होना चाहिए । यह भी है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होना चाहिए । इसमें कोई सन्देह नहीं क्योंकि सवाल विशेषाधिकार का है, सवाल डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग का है, जनतंत्र की पवित्रता का है कि हम कैसी परम्परायें और मर्यादायें डालते हैं । इसमें कोई सन्देह नहीं कि चार पांच इश्यूज बिलकुल सामने आ जाते हैं ।

एक इश्यू तो यह है कि जो राज्य सभा के चुनावों में हम लोगों, मैम्बर्स ने वोट दिये क्या हमने हमारी ड्यूटी नहीं की, या ड्यूटी से बाहर कर रहे थे कोई एक्स्ट्रा, मैम्बर्स का जो राइट नहीं है उसकी एक्टिविटीज परफार्म कर रहे थे, इसमें हो या जिला परिषद हो । पहला इश्यू तो यह है ।

दूसरा इश्यू यह है कि जो कुछ वाजपेयीजी ने कहा, क्या वह लायेबल की हद तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है । लायेबल की मुझे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि लायेबल क्या है । इस प्रश्न का महत्व यों भी नहीं रह जाता है जैसा विरोधी पक्ष के नेता ने भी कहा, यदि लायेबल है यदि ड्यूटी का प्रश्न है तो मैं मानता हूं कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न पैदा हो जाता है ।

तीसरी चीज जो सामने आती है वह यह है कि पहले एक मैम्बर आफ पालियामेन्ट कोई लायेबल करता है और एक स्ट्रेन्जर कोई लायेबल करता है उसमें कोई अन्तर है ।

चौथा इश्यू मैं आपसे कहूं तो यह है कि **Whether there is any difference between the breach of privilege committed by a member in the House or in his private capacity.**

एक आध इश्यू और भी है वह मैं समय पर कहूंगा ।

मेरे ख्याल से पहला इश्यू बिलकुल डिस्पोज आफ हो जाता है लायेबल तो यह है । यह भी हो जाता है कि ब्रीच अगर हुआ है, मैम्बर ने किया है या स्ट्रेन्जर ने किया है, वह ब्रीच आफ प्रिविलेज है तो जहां तक मैं अध्ययन कर पाया हूं मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस और शकधर वगैरह का, तो मैम्बर का यह राइट होता है कि मैम्बर को नोटिस दिया जाता है, वह

(श्री रावजहादुर)

भी एज एन एक्ट आफ कटंसी है। मैं पढ़कर नहीं सुनाना चाहता हूं क्योंकि समय नहीं लेना चाहता, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहूंगा लेकिन आप स्वयं जब अध्ययन करेंगे तो मालूम हो जायेगा कि मैम्बर का ब्रीच आफ प्रिविलेज आता है उसके खिलाफ कोई कम्पलेंट आती है तो उसको एक तरह से नोटिस दिया जाता है स्पीकर नोटिस देते हैं even before the Speaker allows the matter to be raised, इससे पहले होता है, एज एन एक्ट आफ कटंसी बाकी और कोई लायेबल उसने कमिट किया है तो इस कमिट पर ही होगा। अब सवाल आता है कि लायेबल कमिट कहां किया है। अगर दो हाउसेज हैं पालियामेंट के राज्य सभा और लोक सभा, हाउस आफ कामन्स वाले एक मैम्बर ने अगर हाउस आफ लार्ड्स का ब्रीच आफ प्रिवलेज किया है तो परम्परा हाउस आफ कामन्स की क्या रही है, यह भी एक विचारणीय प्रश्न होगा। दूसरा प्रश्न यह होगा कि अगर दूसरे हाउस का वह मैम्बर है तो क्या होगा? खुद हाउस वाला करे एक तो यह होगा, इस विधान सभा का मैम्बर है कि विधान सभा ही करे एक तो यह प्रश्न है एक यहां विधान परिषद होती, तो विधान सभा का एक मैम्बर दूसरा प्रश्न यह है। तीसरा प्रश्न यह होता है कि अगर ऐसा हो भी तो क्या किया जाये। इसकी परम्परायें भी बन चुकी हैं और वह एक नहीं अनेक रूलिंग दी हुई है शकधर में भी और मेज पालियामेन्ट्री प्रेक्टिस में भी वहां यह परम्परा बन गयी है कि अव्वल तो य जगह यह है कि जहा कोई मेम्बर्स के खिलाफ शिकायत आती है, कम्पलेन्ट आती है तो एपोलोजी आ जाती है। डेली मेल का केश विचित्र केश है, दूसरा केश है, वह अलग बात आयगी लेकिन होता यह है कि एपोलोजी आ जाती है और उसके साथ ही सारा प्रिविलेज का वजन गिर जाता है।

अभी दो, तीन, चार प्रश्न उठाये उन पर मैं बहुत गौर से सोचने लगा कि मान लीजिए कि यह माना जाये कि कोई भी हमारी अवहेलना नहीं हुई, कोई भी हमारे ऊपर आरोप नहीं लगाया गया और जो हमारे ऊपर लगाया गया है, हम पर मतलब हमारे मैम्बर्स पर लगाया गया है वह था कि खरीद लिये गये। मैं बहुत विनम्रता-पूर्वक पूछना चाहूंगा कि कन्डक्ट, करेक्टर और फंक्शन कोई भी आदमी और कोई भी मैम्बर बिना बोले और बिना प्रिविलेज के फंक्शन नहीं कर सकता। और हमारे बारे में यह मशहूर हो जाये हमारे हाउस मैम्बरसं के बारे में कि खरीदे जा सकते हैं या खरीदने की प्रथा चल गयी है तो हमारा फेस क्या रहता है? we lose our face. हमारा करेक्टर, कन्डक्ट जो है, इस प्रश्न के ऊपर तो मैं दो तीन बातें आपसे कहना चाहूंगा। एक फंक्शन के लिये कहना चाहूंगा मैम्बर्स के बारे में भी यह आ गया, पेज 244 है शकधर का। मैंने जैसा कहा कि मैम्बर्स हाउस के फंक्शन करते है वह अलग बात है लेकिन जहां हाउस के बाहर फंक्शन करने की बात आती है उसके बारे में यह चीज क्लियर है:

'However, notice of the breach of privilege or contempt of the House can be taken if the member

(श्री राजबहादुर)

of the other House or any other State Legislature has committed it outside the House to which he belongs."

यह मिडल आफ दी पेज पर है। पहले तो यह हो गया कि एक दूसरे चेयरमैन ने और लोक सभा के मैम्बर्स ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और दोनों ने एग्री किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूं और पहले के पैराग्राफ इसीलिए नहीं पढ़ रहा हूं।

"You will agree that it is not desirable for members of one House to make allegations or cast reflectons on the floor of the House on the members of the other House."

"In his reply, the Chairman, Rajya Sabha, expressing his agreement with the Speaker, stated that Deputy Chairman, Rajay Sabha had already expressed his disapproval of member's speech.

However notice of the breach of privilege or contempt of the House can be taken if the member of the other House or any other State Legislature has committed it outside the House to which he belongs."

यह क्लियर है, इसमें आउट साइड दी हाउस होता है तो वह पोजीशन नहीं है और जैसा उन्होंने कहा कि जहां तक यह बात आती है प्रिविलेज का कोडीफिकेशन नहीं हुआ। यह निश्चित बात है कि प्रिवि- का कोडीफिकेशन नहीं हुआ लेकिन we are largly guided by Lok Sabha and Rajya Sabha primarily and also by the House of Commons जो प्रेक्टिस होती है उससे गवर्न होते हैं, उसमें जो डेली मेल का केस कोट किया है पढ़ा हुआ जो केस है उसमें नई बात है। It was an attack on a party and not on the whole House, and it was outside the House.

एक बात यह भी थी कि आउट साइड दी हाउस के बाद वह सजेशन जो था मेम्बर का वह इनफरेंस था कि It means the House. लेकिन था पार्टी के लिये। पार्टी के लिये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस (आई), कांग्रेस (एस) पार्टी के लिये, जनता पार्टी के लिये कुछ कहना चाहें, कह सकते हैं। बुरी से बुरी भाषा इस्तेमाल की तो इसमें कोई शक नहीं कि कोई माआज्ज भाषा नहीं थी लेकिन इलेक्शन का मौका और फिर साथ में उसका माहौल और माहौल के बाद यह क्लियर है। लेकिन जहां यह खास मेम्बर के बारे में हो, उन 13 मेम्बरों के बारे में हो कि ये बिके गये हैं, खरीदे गये हैं, मतलब यह कि यह बेईमान आदमी हैं खरीदे जा सकते हैं, बिक सकते हैं। सच्ची बात तो यह है कि अटल बिहारी जी, मैं समझता हूं, इतने उदार होंगे तो वे स्वयं मान लें कि उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये। ऐसी बात कह दें अगर तो बहुत कुछ गुत्थियां सुलझ जाती हैं। लेकिन मैं विरोधी दल के नेता से बिलकुल सहमत नहीं हो सकता हूं जब वे यह कहते हैं कि जिला परिषद् में हम वोट देते हैं तो हम मैम्बर नहीं हैं, मेम्बर की हैसियत से काम नहीं कर रहे हैं। राज्य सभा के लिये खास तौर से कान्स्टी-

(श्री राजबहादुर)

ट्यूशन पढ़ कर सुनाया, तो मेरा निवेदन है, राज्य सभा के चुनाव में हम वोट तभी दे सकते हैं जब मेम्बर आफ दी हाउस हैं। अगर मैम्बर आफ दी हाउस वोट देते वक्त खरीदे गये हैं We lose our prestige and we lose our face.

तो हमारा करेक्टर और कन्डक्ट, ब्लेम हो जाता है इसलिये फंक्शनिंग पर असर पड़ता है। प्रिविलेज की रक्षा इसीलिये की जाती है ताकि मेम्बर की केपेसिटी जो है काम करने की वह न खतम हो। इसलिये मैं विनती करना चाहूंगा, यह चीज ऐसी है जिसको सुलझाने के वास्ते कोई दलगत राजनीति से उठकर विचार करना चाहिये। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि जो कुछ अपमान मैम्बर का हुआ है और जो कुछ अटलजी ने कही है उसको दर-गुजर किया जा सके। एक क्लियर फेस है जिसमें यह आता है कि कुछ मैम्बर को कहा गया, खास तौर से उन मैम्बर्स को जिन्होंने वोट दिया है कि वे बिक गये। साथ में पार्टी पर भी आया, दूसरी पार्टी पर उन्होंने बेचा उनको, उन्होंने खरीदा उसको। इस हालत में ब्रीच तो होता है, मेरी यह बहुत विनम्र राय है....

(व्यवधान)

मैं आबजेक्टिवली बिना किसी सब्जेक्टिव माइन्ड के कह रहा हूं और इसलिये कह रहा हूं कि परम्परायें कैसे डाली जायेंगी। अगर यह हो जाय कि आज एक पार्टी कह रही है वे बिक गये दूसरी पार्टी कह रही है वे बिक गये तो, जनता किस पर विश्वास करेगी। जनता यह समझेगी कि यह सबके सब बिके हुए लोग हैं इसलिये हमारी प्रेस्टिज, हमारा फेस और हमारी फंक्शनिंग की केपेसिटी इम्पेयर होती है, तो यह नहीं हो सकता है।

एक बात कही गई, राइट आफ फ्रीडम आफ एक्सप्रेसन। मैं पाइन्ट बाई पाइन्ट नहीं कहना चाहता लेकिन फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन भी लिमिटेड है। कोई लाभ भी नहीं है। मैं फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन का मिस यूज करूं तो मुझे ब्रीच आफ प्रिविलेज में पकड़ा न जाय या ब्रीच आफ प्रिविलेज में हलफ न किया जाय। लाजीमी बात यह है कि कोर्ट एक रास्ता है जरूर कि कोर्ट में जाकर अपना विन्डीकेट करे लेकिन वह जहां कि मेरे फंक्शनिंग से परे है। अब मेन चीज यह रह जायगी कि जो वोट दिया मैम्बर्स ने was it in their capacity as members or in some other capacity, and which was not the function of the House.

मैं यह कहता हूं फंक्शन आफ दी हाउस का जहां तक ताल्लुक है, फंक्शन आफ दी हाउस अलग चीज है लेकिन वोट भी हम बिना मैम्बर हुये नहीं दे सकते हैं और वोट देने के बाद वन वे और दी अदर अगर वोटिंग में हमारा कन्डक्ट इम्पीच होता है और यह माना जाता है, कि हम बेईमान हैं, हम खरीदे जा सकते हैं या खरीद सकता है कोई उस स्थिति में हमारा फंक्शनिंग हाउस में इम्पेयर होता है। जैसा मैंने कहा प्रिविलेज का प्रोटेक्शन इसीलिये है कि capacity of the members to function in the House is not impaired.

(श्री राजबहादुर)

अगर मेन इश्यू देखेंगे तो उसमें यही इश्यू आयेगा कि हमारी केपेसिटी फंक्शन करने की इम्पेयर होती है या नहीं होती है। अगर जिला परिषद के मैम्बर वोट देने के लिये जाते हैं, पंचायत समिति में जाते हैं या और कहीं जाते हैं, अगर उनके बारे में आम तौर से यह शिकायत हो। और यह कहा जाय कि यह बिक गये, बहुत बड़ा आश्चर्य था जब विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा कि 500 रु. दे दिये, कोई कह दे इस बात को, अगर कह सकता है तो यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है या नहीं, यह बात भी डिस्प्यूटेबल हो जायगी लेकिन निश्चित बात है I vote in the Zila Parishad or vote to the Rajya Sabha as member. If I was not a member I could not have voted. That is why I was functioning as a member of the House for the purpose of the House क्योंकि इलक्टोरल कालेज मैम्बर्स आफ दी हाउस का ही बनता है। तो मेन डिस्प्यूटेबल इश्यू होगा वह यही होगा क्या वोट देते वक्त हम एज मैम्बर फंक्शन कर रहे हैं, हाउस में फंक्शन कर रहे हैं, हाउस के बाहर फंक्शन कर रहे हैं, हाउस के काम तो नहीं आ रहा है वह। इसमें कोई शक नहीं, वोटिंग हाउस का एक पर्टीकूलर जेन्डा नहीं है लेकिन हाउस के मैम्बर की हैसियत से ही वोट दे सकते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कोई उलझी हुई बात नहीं है कि इसे सुलझाने के लिये, समेटने के लिये विचार करें। अटल जी, के साथ काम करने का मौका मिला है मुझे, पार्लियामेंट में उनको सुनने का मौका भी मिला है, अच्छे विद्वान हैं, वक्ता भी अच्छे हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। वह स्वयं ऊंचा उठ कर इस बात को सोचें कि जो आवेश में बात कह गये, अगर सारी पार्टियों के बारे में कहते तो बात दूसरी है लेकिन खास कुछ मैम्बर्स के बारे में कहा। उन्होंने यह भी कहा कि अपोजीशन के मैम्बर्स बिक गये। अपोजीशन के मैम्बर्स बिक गये, तो जो 13 आदमियों ने वोट नहीं दिया उन्हीं के बारे में खास तौर से बात आई है। अब वह कौन थे कौन नहीं थे इनके नाम खोले जायं और ऐसी बात कही कि कोई माई का लाल ऐसा हो कि जिसने वोट दिया हो। वह तो ऐसी बात हुई कि कोई वोट देने जायं जो विपक्षी वोट हैं उनके बारे में भी इल्जाम लगा दिया गया। जो वोट देने आये, फिर सिक बैड से आये उनके बारे में इल्जाम लगा दिया गया, उन्होंने भी कांग्रेस को वोट दिया....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हां लगाया है, लगाया है इल्जाम, बिलकुल लगाया है।

श्री राजबहादुर : अब यह बात आ गई पर्सनली इसलिये कहता हूं कि मैंने वोट अपोजीशन के साथ दिया! मैं सिक बैड पर आया, व्हील चेयर पर आया लेकिन मेरे बारे में यह कहें, कौन माई का लाल है जो यह कहे। इसलिये मैं कहता हूं. अव्वल तो वोट सिक्रेट चीज होती है, हमारी धरोहर है, हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है लेकिन वह 13 मेम्बर्स जिन्होंने वोट दिया उनको तो बदनाम किया गया। और उससे तो सारे हाउस पर रिफलेक्शन भी आता है कि हाउस में ऐसे लोग हैं, या तो खरीदना जानते हैं या बिकना जानते हैं। इससे मैम्बर की हाउस

(श्री राजबहादुर)

में फंक्शनिंग की केपेसिटी कम होती है या नहीं होती है, मेम्बर की केपेसिटी कम होती है या नहीं। सारी इश्यूज को आप देखें। इसलिये आपको जो निर्णय करना है, एक बात का तो यह करना है कि जब हम वोट देने आते हैं राज्य सभा के क्या are we divorced of the capacity of the members of the House or not? we are not private individuals, we could not have voted but in the capacity as being members of the House.

मैम्बर आफ दी हाउस की हैसियत से वोट देने आये इस पाइंट पर डिसीजन करना है। दूसरा यह करना है कि जो इम्प्यूटेशन लगाया गया है, वह लायेबल की हैसियत में आता ही है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इम्प्यूटेशन लगाने के बाद यह जरूरी नहीं है हाउस के मैम्बर जनरली और पर्टीकूलरली उन लोगों का जिन्होंने वोट दिये हैं they lose their face, they lose their credibility, and they lose their conduct and character. Thank you, very much.

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़): अध्यक्ष महोदय, एक विशेष बिन्दु पर आज सदन में विचार किया जा रहा है और वास्तव में जैसा कहा गया है गम्भीर मसला है उसी गम्भीरता से लिया जाना चाहिये। मैं भी यही निवेदन कर रहा हूं कि यह गम्भीर मसला है और इसे गम्भीरता से ही लिया जाना चाहिये। विपक्ष के माननीय नेता जब बोल रहे थे, गम्भीरता की बात तो उन्होंने कही लेकिन कितनी गम्भीरता से उन्होंने लिया, वह उनके भाषण से स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से अध्यक्ष महोदय को भी और सदन को भी माननीय सदस्यों को उदाहरण देकर प्रभावित करने की कोशिश उन्होंने की।

माननीय अटल बिहारी ने इस सदन के माननीय सदस्यों के विरुद्ध राज्य सभा के चुनाव को लेकर एक आरोप लगाया कि राजस्थान में विपक्ष के कुछ विधायक बिक गये इसलिये उनके उम्मीदवार श्री सुन्दर सिंह भण्डारी इस चुनाव में हार गये, यह सदन के विशेषाधिकार के हनन का प्रश्न बनता है या नहीं यह बिन्दु विचारणीय बिन्दु है। अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्यों और विपक्ष के माननीय नेता महोदय को भी यह स्पष्ट हो गया है कि जो भाषा उन्होंने उपयोग में ली वह भाषा अपमानजनक और लायेबल की तारीफ में आती है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता है लेकिन क्या उससे इस सदन का अपमान या सदन के माननीय सदस्यों का अपमान का मसला बनता है? एक ही केस पर जोर दिया जा रहा है और वह केस साइट किया गया है गुजरात विधान सभा का जिसमें उन्होंने इस बिन्दु को डिफाइन किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात को निवेदन करना चाहता हूं कि गुजरात विधान सभा ने किस आधार पर इस केस को लिया है। उन्होंने इस केस को हाउस आफ कामन्स के आधार पर लिया है। हाउस आफ कामन्स ने 1701 में एक रिजोल्यूशन में पास किया और उस रिजोल्यूशन में जिस प्रकार इस बात को इन्टरप्रेट किया है उसका इन्टरप्रिटेशन उस रिजोल्यूशन में कतई तौर पर नहीं है। उन वर्ड्स का इन्टरप्रिटेशन,

(श्री हीरालाल देवपुरा)

करेक्टर, कन्डक्ट इन दी केपेसिटी जो उन्होंने लिया है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

"Written imputations, as affecting a member of Parliament may amount to breach of privilege without perhaps being libelous at the common law, but to constitute a breach of privilege, the libel upon a member must concern the character and conduct of the member in that capacity."

यह बात उसमें कही गई है, corrector and conduct of the members in that capacity को कहीं पर भी इन्टरप्रेट इसमें नहीं किया गया। उस रिजोल्यूशन में गुजरात विधान सभा ने अपनी तरफ से उसका इन्टरप्रिटेशन किया है। उन्होंने इस बात को बताया है कि राज्य सभा के चुनाव के अन्दर अगर कोई विधान सभा का सदस्य वोटिंग करता है, मत देने जाता है, तो उसको हाउस का फंक्शन नहीं माना है, उसको कन्डक्ट नहीं माना है।

मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो गुजरात विधान सभा की रूलिंग है वह हमारे लिये बाइन्डिंग नहीं हो सकती है। माननीय अध्यक्ष को अपना इन्टरप्रिटेशन करने का पूरा अधिकार है। उसके आधार पर इन्टरप्रिटेशन नहीं किया जाना चाहिये। दूसरा एक केस माननीय अध्यक्ष के समक्ष साइट किया गया जो पार्लियामेन्ट का केस है। उसके लिये यह कहा जा सकता है कि गुजरात विधान सभा के मुकाबले में पार्लियामेन्ट का केस है उसे मानने के लिये हमें ज्यादा बाध्य होना चाहिये। पार्लियामेन्ट सुप्रीम है, उसके जो फैसले हैं, उसके जो निर्णय हैं वह हमारे लिये बाइंडिंग हो सकते हैं। हमारे समक्ष जो विधान सभायें हैं उनके निर्णय हमारे लिये बाइन्डिंग नहीं हो सकते हैं। केस है पार्लियामेन्ट का, जो पार्लियामेन्ट के मैम्बर के. एम. कौशिक ने पार्लियामेन्ट में 18 नवम्बर, 1977 को पेश किया था। जो केस साइट किया गया उसमें बताया गया कि वह केस तो बिलकुल ही दूसरी तरह का केस है। राष्ट्रपति जी नागपुर गये थे। राष्ट्रपति जी की विजिट हुई थी। वहां पर पुलिस के लोग लोगों को मिस हैण्डल कर रहे थे और धक्का-मुक्की कर रहे थे। तब पार्लियामेन्ट के मैम्बर ने यह कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनको जाने क्यों नहीं देते? तब उनको भी धक्का दिया गया। इस पाइन्ट के ऊपर कि पार्लियामेन्ट के मैम्बर के हिसाब से एक्ट नहीं कर रहे थे, केवल एक सिटीजन के हिसाब से एक्ट कर रहे थे लेकिन चूंकि वे पार्लियामेन्ट के मैम्बर थे इसलिये उस आधार पर वह केस पेश किया गया। पार्लियामेन्ट में उस केस के ऊपर यह माना कि इसको प्रिविलेज के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिये और पार्लियामेन्ट में उस आधार पर सम्मन किया गया। यह लेटेस्ट केस है जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि इस तरह के मसले, जो मैम्बर्स के खिलाफ हों, जो मैम्बर्स के कन्डक्ट पर रिफ्लेक्ट करते हों और जिनकी वजह से मैम्बर्स की छवि

(श्री हीरालाल देवपुरा)

समाज के अन्दर, उनके अपने क्षेत्र के अन्दर बिगड़ती हो, को प्रिविलेज का मामला मानकर के हाउस के अन्दर उसको डिस्कस किया गया। उसमें जब उन्होंने सॉरी फील किया तब हाउस ने उनको क्षमा किया है, माफी दी है। ऐसा नहीं कि उसको प्रिविलेज के आधार पर लिया ही नहीं गया हो। उस केस को देखा ही नहीं गया हो। ठीक इसी प्रकार का केस यहां हमारे सामने है। माननीय अटल बिहारी जी ने न केवल उन लोगों के प्रति, जैसा कि कहा जा रहा है कि 13 लोगों के लिये कहा गया, यह 13 की तो हमने संख्या निकाल ली, राज्य सभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के केन्डीडेट को जो मत मिले थे 160, 147 मैम्बर्स के मुकाबले में तो 13 मत ज्यादा मिले। 147 तो हमारे अपने हो ही सकते हैं 13 मैम्बरों ने ज्यादा वोट दिये वह आखिर कौन से थे जब कि विपक्ष के नहीं थे। इस आधार पर हम 13 कहते हैं लेकिन 13 का नाम नहीं लिया गया। इस दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष के मेम्बरों में से 13 कौन मेम्बर है, इसका मतलब साफ है कि वह केवल 13 मेम्बर्स के खिलाफ नहीं बल्कि वह बात सभी मेम्बरों के ऊपर पड़ती है। क्योंकि इनमें से कौन 13 हो सकते थे। कोई नहीं कह सकता कि कौन 13 हो सकते थे इसलिये सबके ऊपर है।

दूसरी तरफ यह बात इस दूसरे पक्ष पर भी आ जाती है कि उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वे बिके, तो आखिर किसने उनको खरीदा। खरीदने की बात भी अपमानजनक बात है। इस प्रकार से यह अपमान सारे सदन का हुआ है। विपक्ष के माननीय नेता ने भी यह बात स्पष्ट कही है अपने भाषण में कि अपमान किसी एक सदस्य का उसकी अलग-अलग केपेसिटी में होता है उसको और तरीके से आंका जाना चाहिये। अगर सारे सदन का हुआ है उसको और तरह से आंका जाना चाहिये। इस आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सीधा केस है सारे सदन का अपमान का, इसलिये इसको प्रिविलेज के आधार पर माना जाकर, इस हाउस के अन्दर प्रिविलेज के आधार पर मान कर माननीय अटल बिहारी जी को नोटिस दिया जाना चाहिये, उनसे पूछा जाना चाहिये और आवश्यकता हो तो यहां पर उन्हें तलब किया जाना चाहिये और उस पर पूरा विचार किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कही गई कि उसमें यह बताया गया कि रीसेन्ट आकरेन्स के आधार पर ही प्रिविलेज की बात होनी चाहिये। उसी समय हम में से भी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा और मैंने भी निवेदन किया था कि रीसेन्ट आकरेन्स की बात करते हैं आज विपक्ष के नेता महोदय, जब उस वक्त हमारे देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी, के ऊपर प्रिविलेज का केस चलाया था, 1975 का केस था, 1977 या 1978 में वह केस चलाया गया और उनको सदन से निकाला गया....

(व्यवधान)

मैं निवेदन कर रहा हूं कि कमेटी की

(श्री हीरालाल देवपुरा)

रिपोर्ट के आधार पर नहीं। दूसरी बात यह कही गई कि दुर्भावना के आधार पर फैसला नहीं किया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ कि दुर्भावना के आधार पर फैसला नहीं होना चाहिये। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि दुर्भावना के आधार पर फैसला हो। यह दुर्भावना के आधार पर फैसला आप ही लोगों ने किया था और आप ही लोग करते हो। इन्दिरा गांधी जब दुबारा जीत कर आई उस समय का केस नहीं था, जिस समय का केस था उस समय केस नहीं चला। जिस समय वह सदस्या बनी, नये तरीके से जनता ने वरडिक्ट दिया उनके हक में, दुबारा जीत कर आ गई हाउस में उसके बाद आपने फैसला किया, वह दुर्भावना थी। केवल आप उन्हें निकालना चाहते थे सदन के बाहर, वह दुर्भावना थी। दुर्भावना का कोई कारण नहीं था....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसका बदला निकालेंगे आप...

श्री हीरालाल देवपुरा : हम बदला लेने की बात नहीं करते, अध्यक्ष महोदय, फैसला करेंगे। बदला लेने की बात हम नहीं करते। मैंने शुरू में कहा है, दुर्भावना की बात हमारे मन में कतई नहीं। दुर्भावना की बात कहने वालों को पहले यह सोचना चाहिये कि उनका खुद का कन्डक्ट कैसा रहा है। उनके मन में दुर्भावना थी या नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दुर्भावना की कोई बात नहीं है। रीसेन्ट आकरेन्स की बात करते हैं, जो केस मैंने पार्लियामेन्ट का साइट किया है, अध्यक्ष महोदय, जो भी 1970 का केस है उसमें केस में आकरेन्स है इन दी मन्थ आफ मई। मई महीने का आकरेन्स है और पार्लियामेन्ट के अन्दर वह केस रखा गया है इन दी मन्थ ऑफ नवम्बर। मई और नवम्बर के अन्तर को आप देख लीजिये, उसको भी पांच महीने निकल चुके। वह केस यहां पर है, यह कोई प्रश्न नहीं है कि रीसेन्ट आकरेन्स, कौन सा आकरेन्स है। सही बात है, तत्काल अगर केस होता है, उसकी एक अहमियत होती है उसका एक असर होता है। नहीं भी होता है।

लेकिन यदि कोई इम्पार्टेन्ट केस है। जो हमारे आज के राजनैतिक वातावरण को शुद्ध करने के लिये, हमारे यहां के एटमासफियर को ठीक करने के लिये है अगर उस पर विचार करना आवश्यक है, तो उस पर विचार किया जाना चाहिये। उसको यह कह कर नहीं टाला जाना चाहिये कि यह रीसेन्ट आकरेन्स का मामला है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने एक बात और कही, जो राज्य सभा के चुनाव का मसला था, कि राज्य सभा के चुनाव के अन्दर जो वोटर्स हैं वह स्पेसिफिकली डिफाइन्ड हैं, कान्स्टीट्यूशन के अन्दर और उसमें बताया गया है कि हम विधान सभा के सदस्य, अपने यहां से राज्य सभा के अन्दर सदस्य भेजने के लिये इलेक्टोरल कालेज के सदस्य होंगे, मतदाता होंगे। अगर वह विधान सभा का सदस्य नहीं है तो उसका कंडक्ट साफ

(श्री हीरालाल देवपुरा)

हो गया, अगर विधान सभा का सदस्य नहीं है, तो वह वोटर हो नहीं सकता। विधान सभा का सदस्य है इसलिये वह वोटर है। यहां उदाहरण दिया, जिला परिषद् और पंचायत समिति का। मुझे जहां तक जानकारी है बैंकों में तो विधान सभा के सदस्य को विधान सभा के सदस्य की हैसियत से मत देने का अधिकार नहीं है। शायद आप से भूल से बात निकल गई। लेकिन यह सही है कि जिला परिषद् और पंचायत समिति मे हमने हमारे कानून के अन्तर्गत उनको अधिकार दिया है। उनको वोट देने का अधिकार, चूंकि वे विधान सभा के सदस्य हैं, इसलिये नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का मैम्बर होने के नाते हमने उनको पंचायत समिति का एसोसियेट मेम्बर बनाया और जिला परिषद् का मेम्बर बनाया है। मै वोटर हू जिला परिषद् का नोट एज ए. एम. एल. ए. बल्कि जिला परिषद् का मेम्बर होने के नाते वोटर हूं। जिला परिषद् और पचायत समिति एक्ट के अन्तर्गत अगर मेम्बर नही बनाया होता तो मैं विधान सभा का सदस्य होने के नाते भी वहां जाकर वोट नहीं दे सकता था। चूंकि मुझे वहां पर मेम्बर बनाया गया, उस एक्ट के अन्तर्गत इसलिए मैं पंचायत समिति का एसोसियेट मैम्बर बन गया हू और मैम्बर बन गया हू जिला परिषद् 'का इसलिये मुझे वोट देने का राइट है। वहां मेरी केपेसिटी दूसरी तरह की हो जाती है। राज्य सभा में, जहां मैं वोटर हू अण्डर दी कान्स्टीट्यूशन मुझे राज्य सभा का वोट देन का अधिकार दिया गया है। मैं वह वोटर तभी बन सकता हू जब कि विधान सभा का सदस्य बन गया होऊं, अन्यथा नहीं। इसलिये मेरी केपेसिटी दूसरी हो जाती है। यहां पर इन्टरप्रिटेशन का सवाल केपेसिटी का है कि मैम्बर की केपेसिटी क्या है, किस केपेसिटी में काम कर रहा है। सदन के फंक्शन को उसमें नहीं जोड़ी जा सकता है कि सदन में जो हम डेली बिजनेस कन्डक्ट करते हैं उसी दरमियान कोई प्रिविलेज की बात हो, उसे लिया जाय। ऐसी बात नहीं है। सदन के मेम्बर के हिसाब से उसके खिलाफ कहीं भी कोई बात कही जाती है जिसकी वजह से उसका अपमान होता है और छवि बिगड़ती है तथा सारे सदन पर उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है तो It should be taken. और यह माना जाना चाहिये कि प्रिविलेज का हनन हुआ है, विशेषाधिकार का हनन हुआ है और उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिये।

एक प्रश्न और उठाया गया है कि माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी पार्लियामेन्ट के सदस्य हैं इसलिये उनके खिलाफ प्रिविलेज की बात यहां पर नही की जा सकती। मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो कुछ भी बात श्रीमान् वाजपेयीजी ने कही है कि राजस्थान विधान सभा के विपक्ष के सदस्य बिक गये, यह बात उन्होंने पार्लियामेन्ट के मैम्बर की हैसियत से नहीं कही यह बात उन्होंने एक राजनैतिक पार्टी के नेता होने के नाते और उनकी पार्टी के सदस्य के हार जाने की वजह से कही है। उनको कोई दुख नहीं होता, अगर किसी दूसरी पार्टी का व्यक्ति हार गया होता। दूसरी पार्टी का व्यक्ति हार गया होता तो सम्भवतः वह

(श्री हीरालाल देवपुरा)

कभी नहीं बोलते। लेकिन चूंकि उनकी पार्टी का व्यक्ति हार गया, जिसके वे अध्यक्ष है तो उन्होने उस पार्टी के नेता होने के नाते यह बात कही। पार्लियामेन्ट के मेंम्बर अगर अटल बिहारीजी वाजपेयी नहीं होते और उसके अध्यक्ष होते तो भी वह यही बात कहते। इसलिए यह कह कर कि अटल बिहारी जी चूंकि पार्लियामेन्ट के मेम्बर हैं इसलिए उनके खिलाफ मोशन पार्लियामेन्ट में जाना चाहिए। पार्लियामेन्ट के मेम्बर के नाते अगर पार्लियामेन्ट के विशेषाधिकार का हनन अगर किया होता, पार्लियामेन्ट के मेंम्बर के विशेषाधिकार का हनन अगर किया होता, पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स के बारे में ऐसा कुछ कहा होता तो निश्चित बात है उनके खिलाफ पार्लियामेन्ट मे मोशन जाना चाहिए था। लेकिन उन्होने जो विशेषाधिकार का हनन किया है वह राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन किया है इसलिये यह मोशन यहीं पर आयेगा। दूसरी जगह नहीं जाने वाला है। यही सदन सक्षम है, माननीय अध्यक्ष महोदय इस पर व्यवस्था देने के लिए सक्षम हैं, इस पर वे ही व्यवस्था देंगे। यह नहीं कहा जा सकता कि यह मोशन वहां जाना चाहिए।

एक बात और कही गयी, अध्यक्ष महोदय, बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, राज्य सभा के वोटर्स की हैसियत से हमने वोट दिया विधान सभा के सदस्य के नाते हम ओथ नहीं लें तो भी हम वोट दे सकते हैं किन्तु सदन कार्यवाही में हम भाग नहीं ले सकते हैं जब तक ओथ नहीं लेते। वह डिफरेन्सिएट करके बताना चाहते थे कि हमारा जो कन्डक्ट है, वोट देने का है, वह सदन के पूरे सदस्य के नाते नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं हम यहां पर ओथ लेते हैं, सदन के अन्दर जिस किसी भी कार्यवाही में भाग लें उसके प्रति कान्स्टीट्यूशन के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं और उसकी कार्यवाही के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं लेकिन एज ए विधायक, एज एन एम. एल. ए. हमारे कुछ अपने कर्त्तव्य है, ड्यूटीज हैं, सदन के बाहर भी कर्त्तव्य और ड्यूटीज हैं, उनको भी हम अदा करते हैं, उसके लिए हो सकता है कि ओथ की जरूरत नहीं हो जैसा कि हाई कोर्ट का निर्णय है, लेकिन उस पर यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी विधायक की हैसियत खतम हो गयी, हमारा कन्डक्ट दूसरा हो गया, हमारी केपेसिटी दूसरी बन गयी। हम उसी केपेसिटी में हैं और उसी केपेसिटी के आधार पर हमको अधिकार मिला हुआ है उसके आधार पर इसको डिफरेन्सिएट करके प्रिविलेज के पाइन्ट पर बाइफरकेट नही किया जा सकता। उसको इस आधार पर अलग-अलग नहीं किया जा सकता कि यह बिन्दु दूसरा है, यह बिन्दु दूसरा है। इन सब आधारों पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार का जो प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा है, उसको सदन में विचारार्थ लिया जाना चाहिए, उस पर विचार किया जाना चाहिए और नियमानुसार उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं तो निवेदन

(श्री हीरालाल देवपुरा)

करना चाहूंगा कि इस सदन में उस पर, जैसा कि पार्लियामेन्ट के अन्दर उस केस के अन्दर किया गया, माननीय अटल बिहारीजी ने मूव किया था कि इसको विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाय-लेकिन दूसरे प्रस्ताव पर माननीय नाथपई के प्रस्ताव पर उसको पार्लियामेन्ट में ही स्वीकार किया और पार्लियामेन्ट ने ही उस पर विचार किया, इसी तरह से यहां पर भी इस पर विचार किया जाना चाहिये। यही मेरा कहना है।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय दो घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय दो घण्टे के लिए और बढ़ाया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि सदन के सामने जो पैंडिंग बिजनेस है, उसका क्या होगा ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह आगे हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आगे आगे नहीं। देखिये, मेरा दो घण्टे, चार घण्टे का कोई विरोध नहीं है, आप चाहें तो रात के 12 बजे तक बैठें, मेरी कोई आपत्ति नहीं है। मेरा क्वेश्चन सीधा है कि एस. टी., एस. सी. कमिश्नर की रिपोर्ट पर आप बहस करेंगे या नहीं करेंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी हां, वह आज की कार्य सूची में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज की कार्य सूची में है तो आज की कार्यवाही तो सारी विशेषाधिकार प्रस्ताव पर हो जायेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर आप दो घण्टे लेंगे, श्रीमन्, तो मैं क्या करूंगा उसमें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्रीमन्, यदि आप इस तरह का प्रस्ताव लायेंगे और उस पर लम्बी डिबेट चलायी जाय, इस प्रकार की व्यवस्था जान-बूझकर करेंगे तो नतीजा यही निकलने वाला है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोई जान-बूझ-कर करने का प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय का निर्णय हो जायेगा। कार्य सूची सम्पूर्ण होगी तब तक चलती रहेगी डिबेट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर एस. टी. और एस. सी. की रिपोर्ट पर विचार करने में आपत्ति क्या है।

श्री छोगाराम बकोलिया (रेवदर) : वह कल है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह कह रहा हूं कल जे. डी. ए. का आर्डिनेन्स आयेगा एस. टी. और एस. सी. कमिश्नर की रिपोर्ट नहीं आयेगी। आप किस धोखे में बैठे हैं।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

कल तो जयपुर डवलपमेंट ग्रथोरिटी का जो ग्रार्डिनेन्स है, उस ग्रार्डिनेन्स को कानून बनाने के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। न इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड की रिपोर्ट ग्रायेगी....

श्री खेतसिंह राठौड़ : कल की कार्यवाही कल कर लेंगे।

श्री ग्रध्यक्ष: मैं समझता हूं, ग्राप सदन के समक्ष पहले जो कार्य है उसको सम्पादित कर दें।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमें कोई घबराहट नहीं है।

श्री ग्रध्यक्ष। इसके पश्चात् इस विषय पर मैं ग्रलग ग्रलग विपक्ष के नेताग्रों से बात करूंगा। उसके बाद ही इस पर निर्णय लिया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक को कह जाउं कि मुझे घबराहट नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। मुझे इस बात की घबराहट नहीं है। घबराहट तो ग्रापको होगी कि मुख्य सचेतक रहेंगे या श्रीमानजी का कुछ होने वाला है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कुछ नहीं होने वाला है। मुझे कोई घबराहट नहीं है। मुझे गलतफहमी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गलत फहमी नहीं है न कि जहां हो वहीं रहोगे ?

मैंने घबराहट का तो इसलिए कहा कि सदन की कार्यवाही ग्रगर ग्राज 12 बजे तक चलेगी तो चलेगी।

राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित श्री ग्रटल बिहारी वाजपेयी के एक वक्तव्य पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री ग्रध्यक्ष : श्री नरेन्द्रसिंह भाटी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: घबराहट तो उन्हें है जो ग्रपनी ग्रात्मा के खिलाफ बोल रहे हैं। यह नोंक झोंक तो चलती रहती है। इसमें घबराहट की बात नहीं है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी: ग्रध्यक्ष महोदय, नियम 158 के ग्रन्तर्गत जो माननीय कमलेन्द्र सिंह जी ने मोशन पेश किया है, उसकी एक्सेपटेन्स का समर्थन करते हुए मैं ग्रपने ग्रापको एक दो मुद्दों पर ही रेस्क्ट्रिट करना चाहता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : जिन-जिन को मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनना है सब बोलिये।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर, माननीय सदस्य, बाधा न डालें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ग्राप ग्रपनी उम्र में तो कभी इधर ग्राने वाले नहीं हो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपकी उम्र के होंगे तब आयेंगे ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : भैरोंसिंह जी तो चले जायेंगे । आप उधर ही रहोगे ।

अध्यक्ष महोदय, मेन पाइन्ट पर पूरे डिस्कशन को विपक्ष के नेता ने इसको बढ़ा....

(4. 55 सांय)

(श्री अहमद बक्श सिन्धी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरे डिस्कशन को स्वीच करके वर्ड कन्डक्ट पर कहा गया है । कन्डक्ट, उपाध्यक्ष महोदय, किस पर बेस थी, इस पूरे स्टेटमेन्ट, 3 अप्रेल के माननीय अटल विहारी वाजपेयी के इस स्टेटमेन्ट के बाद में मुझे मैगनैनीमस बनना पड़ा रहा है कि वर्ड माननीय भी इनके आगे लगाऊं, क्योंकि इस सदन के सदस्यों की इन्होंने इस स्टेटमेन्ट में कितनी तौहीन की है वह, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं । इस स्टेटमेन्ट में जो शब्द काम में लाया गया है और जो डिसग्रेसफुली काम में लाया गया है, उपाध्यक्ष महोदय, वह है शब्द "बिकना" । और बिकता कौन है, उपाध्यक्ष महोदय । इस सदन में आज की तारीख में इस स्टेटमेन्ट के बाद में वह अपोजीशन के, 148 तो हम हैं और आप लोग हैं 52, इसका मतलब आप लोगों में से 13 या 12 जितने भी हों, उन्होंने तो लीये है ब्राइब और ब्राइब देने वाला कौन है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम और हमारा दल । और कन्डक्ट की बात लेते हुए भैरोंसिंह साहब की आदत है, उपाध्यक्ष महोदय, भयंकर भाषण देना और उससे हम सब को ऐसा प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि सोचते हैं कि हम रीएक्ट भी नहीं करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो उनकी क्वालिटी है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : I am grateful for your support, Sir.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : You must argue specially when there are directions from the Prime Minister. you must.

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय भैरों सिंह साहब........

श्री उपाध्यक्ष : Don't address him, please.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष जी I would like to go on record because विपक्ष के नेता ने यह चैलेंज किया था इस पूरे सदन को

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

वर्ड कण्डक्ट को लेते हुए कि कोई ऐसी रूलिंग कहीं भी नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, जहां पर बिकने-विकने पर आरोप लग गया हो और उस पर कोई एक्शन लिया गया हो। उपाध्यक्ष महोदय, I would like to refer to May's Parliamentary Practice, 17th Edition, page 122.

श्री उपाध्यक्ष : शकधर ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : शकधर नहीं, मेज ।

A very strong word has been used, उपाध्यक्ष महोदय, the word "bribery". "Attempt by improper means to influence members in their parliamentary conduct."

उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मैं आपका थोड़ा समय लूंगा । ध्यानाकर्षण भी करूंगा और इसको कोट भी करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप इस पूरी डिबेट एण्ड डेलीबरेशन पर निर्णय लेंगे। मुझे पूरी तसल्ली है, उपाध्यक्ष महोदय, वह गिल्टी माने जायेंगे। मैं तो कन्विन्स हो गया हूं। विपक्ष के नेता ने उसे कोट भी किया है एक दो अखबारों की कटिंग से—

"On 2nd May, 1965, the Commons resolves that the offer of money or othed advantage to any member of Parliament."......

In our case, any member of the Assembly like this. "...Refor promoting of any matter whatsoever".......

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें राज्य सभा के चुनाव में वोट देना भी आता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं आता है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : "any matter whatsoever".

श्री भैरोंसिंह शेखावत : What do you mean by matter ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैटर, हुजूर, मैटर ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वही तो कह रहा हूं, What do you mean by matter ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : Any functioning.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Functioning in the House, not outside the House.

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : वह मैं बता दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे बातें नहीं करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : जब सदन के नेता अपना स्टेटमेंट देंगे उस समय वह आपके सब पाइन्ट्स को ले लेंगे । मैं उनको ...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं । इन्दिराजी के पास नाम तो वैसे ही पहुँच जाएगा कि आप बोल लिए ।

(व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : फिर आप क्यों रुचि ले रहे हैं ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : On 2nd may 1965' the House of Commons resolved that offering of money or other advantage to any member of Parliament or any member of a Assembly like this-for the promoting of any matter whatsoever depending on to be transacted in Parliament' is high crime and misdemlnour tends to the subersion of the English Constitution.

Who is a criminal in the statement ? उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन के हां पक्ष में बैठे हैं, अगर हमने ब्राइब किया है । उपाध्यक्ष महोदय, कमलेन्द्रसिंह जी जिस ग्रुप को बिलांग करते हैं, विपक्ष के नेता जिस ग्रुप को बिलांग करते हैं या राजबहादुर जी जिस ग्रुप को बिलांग करते हैं. इन सब ग्रुप्स में से, उपाध्यक्ष महोदय, 13 जनों ने हमें वोट दिये हैं । उन्होंने वोट इसलिए.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसके लिए कोई हां ही नहीं भरता । आप गलत चार्ज लगा रहे हैं । कोई हां ही नहीं भरता ।

श्री उपाध्यक्ष : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है । 13 मैम्बर्स के ऊपर रिफ्लेक्शन है या नहीं है, यह सवाल है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने राजबहादुर जी का नाम लिया, वे हां ही नहीं करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : फंक्शन एज ए मैम्बर हाउस किया है । उसका कण्डक्ट क्या रहा...

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरा नाम नहीं लिया जाता तो अच्छा था मैं तो उन लोगों में से था......

श्री उपाध्यक्ष : एक ने तो हां भरी है, चाव खां ने ।

श्री राजबहादुर : ....व्हील चेयर पर आया और आने के बाद वोट दिया, वोट अपोजीशन को दिया है। मेरे लिए यह नहीं कहा जाय कि मैंने वोट नहीं दिया। मैं उन लोगों में से था।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जरा शांति से सुनिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : धीमी गति का समाचार।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : तसल्ली से। माननीय राजबहादुर जी के पास चूंकि विपक्ष के नेता बैठे रहते हैं वे उनको प्राम्प्ट करते रहते हैं। उन्होंने पूरा सुना भी नहीं कि मैंने क्या कहा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्राम्टिग की बात करते हो तो मैं चला जाता हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं, नहीं आप बिराजें, यों पधारें नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : वह अपने काम जा रहे हैं, आप अपनी बात कीजिए।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : तो, उपाध्यक्ष महोदय, होनस क्राइम क्या हुआ :

"Bribery is an attempted bribary, acceptance of bribary acceptance of any consideration is a breach of privilege. उन्होंने किया हो या अगर हमने उनको दी हो we are both equally guilty. Enough breach of privilege for a very small consideration.

In 1694 one Bird was reprimanded and that is what we are asking here you to do. The person should be brought here to be reprimanded for offering Mr. Musgrove a member and gentleman of the long rob कितना दिया उपाध्यक्ष महोदय, एक गिन्नी, आप जानते हैं उसकी क्या वेल्यू है। उसके लिए यह रूलिंग है। उपाध्यक्ष महोदय, C-J. 1694-97 5th May's Parliamentary Practice-Historical Book 910.

Therefore the House has expressed its grave displeasure at the offering of payment to a member for the disclosure and publication of confidential information about matters to be proceeded within the Parlimant, such an action has not been held to be a breach of privilege.

उपाध्यक्ष महोदय, यह सब रूलिंग पार्लियामेन्ट्री प्रोसीजर बाई शकधर में हैं। आप भी बिराजे थे, आपने भी पढ़ी, उपाध्यक्ष महोदय, और क्या ड्यूटीज हैं चेयर की और उनके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, क्या-क्या रूलिंग आई

Page No 153

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

हैं, माननीय प्रभाकर जी ने और देवपुरा जी ने एक केस कोट किया। उपाध्यक्ष महोदय, वहां तक I would also like to quote one case and then wind up.

"On April 5th (Shakhdhar-page 241) 1967 a question of privilege was raised in the House alleging that the Minister of External Affairs and Commerce and the Prime Minister have mislead the House by making misleading and untruthful statements in the House. The motion was moved to refer the matter to the Privilege Committee. The Misinter of Parliamentary Affairs moved a counter motion to the effect that the Minister concerned had not committed any breach of privilege of the House.

Thereupon a point of order was raised that the second motion which had merely the effect of a negative vote was out of order under Rule 344. Citing Rule 226 the Speaker observed that either one of the two motions or both the motions can be made there under and ruled that......"

रूलिंग दी, उपाध्यक्ष महोदय, और ऐसी ही रूलिंग आपको भी लेनी पड़ेगी.......

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी (जैसलमेर) : आप वाइण्ड कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Making suggestion. सजेस्ट कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हां हैल्प कर रहा हूं।

"the original motion states that primafacie case of breach of privilege has been made out and the matter should be referred to the committee of privilege for investigatig

Therefore the Minister for Parliamentary Affairs is within his right to invite the House to come to a decision whether any breach of privilege or contempt of the House has been committed. I rule that both the motions are in order and they should be put to the vote of the House one after the other."

आज यही स्थिति है, उपाध्यक्ष महोदय, अपने सामने। इस हाउस को अपनी प्रेस्टिज, अपनी गरिमा रखने के लिये कमेटी को सजेस्ट नहीं करना पड़ेगा। इस हाउस को खुद को निर्णय लेना पड़ेगा so that in future ऐसी इन्सल्ट इस सदन के सदस्यों की कोई भी सिटीजन न कर पाये। Thank you.

श्री उपाध्यक्ष : श्री सूर्य कुमार।

श्री सूर्य कुमार (नैनवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के इतिहास में मेरे विचार से वर्तमान विधान सभा का मैं सौभाग्य कहूं, आज ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो हिन्दुस्तान की राजनीति का महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसके बारे में विचार करने का अवसर मिला है। आपत्ति करने वाले हवामहल क्षेत्र से आने वाले माननीय विधायक हैं, बांदीकुई से आने वाले माननीय विधायक और विपक्ष के माननीय नेता हैं। तीनों ही माननीय विधायक भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनमें से भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य विपक्ष के नेता हैं। जिन सज्जन के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न आज विचाराधीन है वह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में आपत्ति करने वाले माननीय विधायकों ने कुछ भी नहीं कहा कि 3 अप्रेल को श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्दौर में इस प्रकार का कोई वक्तव्य दिया और न ही श्री वाजपेयी की ओर से या उनकी पार्टी की ओर से अभी तक इस बारे में कोई खंडन आया है। तो, यह मानकर चलना पड़ेगा कि इस प्रकार का वक्तव्य श्री वाजपेयी ने इन्दौर में 3 अप्रेल, सन् 1982 को दिया। अब प्रश्न है वह यह है कि जो वक्तव्य दिया है, आया वह वक्तव्य इस राजस्थान विधान सभा के विपक्ष के उन विधायकों के लिये अपमानजनक, इन्सल्टिंग है या नहीं जिन्होंने राज्य सभा के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में मत दिया और उनको विजयी बनाया। जहां तक इसका प्रश्न है, आपत्ति करने वाले माननीय विधायकगण ने इस सम्बन्ध में भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की कि जो वक्तव्य दिया गया है वह अपमानजनक नहीं है, दबे शब्दों में उन्होंने इस बात को माना है। इस प्रकार का वक्तव्य निश्चित रूप से अपमानजनक है। केवल जिस बात पर विवाद है या जिस बात पर विचार करना है वह यह है कि जो मतदान राज्य सभा में 13 विपक्ष के विधायकों ने किया, कांग्रेस के उम्मीदवारों के पक्ष में, आया वह कार्य उनका एक विधायक के रूप में है, राजस्थान विधान सभा के सदस्य के रूप में किया हुआ माना जाना चाहिये या एक इलेक्टोरल कालेज के मैम्बर होने के नाते किया हुआ माना जाना चाहिये। केवल विवाद का विषय इस बिन्दु पर आकर अटक गया है। उस सम्बन्ध में कुम्भलगढ़ से आने वाले माननीय विधायक, मावली से आने वाले माननीय विधायक और आसिंद से आने वाले माननीय विधायक राज्य मन्त्री महोदय ने कुछ अथॉरिटी साइट कर यह बताने का प्रयास किया, जो मतदान किया गया वह मतदान एक विधायक के रूप में, राजस्थान विधान सभा के सदस्य का कर्त्तव्य निर्वहन और अधिकार के उपयोग के रूप में किया गया। इसी बात का समर्थन भरतपुर से आने वाले माननीय विधायक ने भी किया कि वास्तव में अगर वह राजस्थान विधान सभा के सदस्य नहीं होते तो राज्य सभा के लिये जिस इलेक्टोरल कालेज का फार्मेशन हुआ, वह उसके सदस्य नहीं होते।

इस सम्बन्ध में अप्रत्यक्ष रूप से इस दलील पर विचार करना होगा, अगर राजस्थान विधान सभा के सदस्य पंचायत समिति की बैठक में एक विधायक के रूप में सदस्य होते हैं और पंचायत समिति की

(श्री सूर्य कुमार)

बैठक में उपस्थित होते समय प्रिविलेज का अगर हनन होता है तो इस हाउस के बाहर घटना घटित होगी उस स्थिति में क्या ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन नहीं लाया जा सकेगा। मेरे नाचीज ख्याल से अगर उनका प्रिविलेज का ब्रीच होता है, इस हाउस के बाहर भी एक विधायक के रूप में उनकी उपस्थिति पंचायत समिति, जिला परिषद् की बैठक में है तो निश्चित रूप से ब्रीच आफ प्रिविलेज का प्रश्न यहां पर लाया जा सकता है।

जहां तक प्रश्न इस बात का है कि रीसेन्ट आकरेंस नहीं है। तो, इस संबध में इसी राजस्थान विधान सभा में आसन की ओर से सन् 1958 में एक व्यवस्था दी गई थी, उस व्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को स्वीकार किया गया था, "मेज" की जो पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस है, उसके आधार पर रेसिस में, जब एक सत्र समाप्त हो जाए और दूसरा सत्र शुरू ना हो उसके बीच में अगर कोई घटना ऐसी घटित होती है और विधान सभा या पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने से पहले दिन ही अगर वह मोशन लाया जाता है तो रीसेन्ट आकरेंस का मान लिया जायगा। यह अप्रत्यक्ष रूप से 15-4-58 को राजस्थान विधान सभा के आसन से जो व्यवस्था दी गई थी, उसमें स्वीकार किया गया है, इसलिए यह आपत्ति करना कि यह रीसेन्ट आकरेंस का नहीं है, यह भी अपने आपमें मानने काबिल दलील नहीं है

मेरे नाचीज खयाल से राज्य सभा के लिये जिस दिन मतदान हुआ उस दिन परामर्शदात्री समितियों, जो विधान सभा की बनी हुई हैं, की बैठकें थीं। उन बैठकों में माननीय सदस्यों की उपस्थिति थी। जितने भी सदस्य महानुभाव मतदान करने आये उनकी उपस्थिति उन बैठकों में थी। निश्चित रूप से उस दिन विधायक राजस्थान की विधान सभा सदस्य के रूप में उन परामर्शदात्री समितियों की बैठक में उपस्थित होने आये थे। उसी दिन यह मतदान था, उस मतदान में उन्होंने जो भाग लिया, वह विधान सभा के सदस्य के नाते ही भाग लिया। इसलिये अगर उनके भाग लेने के लिये ऐसी बात कही जाती है, जो चुनाव के कानून में अपराध घोषित की गई है, मतदान करवाने के लिए या करने के लिये कोई आडव देते हैं, किसी को खरीदता है किसी को बेचता है, अपने वोट को बेचता है तो वह कानूनी अपराध है। ऐसी स्थिति में वाजपेयी साहब जैसे वरिष्ठ संसदीय नेता, जिनके पीछे संसदीय इतिहास है, के मुंह से ऐसी बात निकलती है तो वह निश्चित रूप से राजस्थान विधान सभा के सदस्यों तथा राजस्थान विधान सभा के लिए एक अपमानजनक बात है। उनके द्वारा किसी भी रूप में नहीं कहनी चाहिये थी।

इस प्रकार मैं वल्लभनगर से आने वाले माननीय विधायक ने जो विशेषाधिकार हनन का यहां पर प्रश्न उपस्थित किया है उसका समर्थन करता हूं। साथ ही मुख्य सचेतक महोदय ने जो यह प्रस्ताव रखा है कि विधान सभा में ही आज के दिन ही या कल इस पर निर्णय किया जाना चाहिये, उसका मैं समर्थन करता हूं। वह इसलिये भी जरूरी है क्योंकि आज के

(श्री सूर्य कुमार)

दिन राजस्थान विधान सभा में विशेषाधिकार समिति नाम की समिति गठित नहीं है। विशेषाधिकार समिति 30 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। इसलिये आज की तारीख में हाउस को अधिकार प्राप्त है कि इस प्रश्न पर निर्णय करे। इसलिये मैं दोनों माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यदुनाथसिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं प्रस्ताव रखने वालों में से एक हूं। अतः मुझे इस पर उठाये बिन्दुओं पर जवाब देने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ सन् 1947 में उसके बाद संविधान का निर्माण हुआ....

श्री उपाध्यक्ष : You are one of the movers ?

श्री यदुनाथ सिंह : Yes, I am one of the movers.

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब बाद में दीजियेगा, फिर।

मुख्य मन्त्री।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्षी दल के नेता तो यहां पर उपस्थित नहीं हैं। अपनी बात कह कर चले जाते हैं, सुनने के लिये उपस्थित नहीं रहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, 29 मार्च, 1982 को राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनाव जो हुए उस प्रकरण को लेकर इंदौर में दिये गये एक वक्तव्य के सिलसिले में, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में एक प्रिविलेज मोशन की सूचना वल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर दी।

(5.18 सांय)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

मेरी इच्छा इस बहस में बोलने की कतई नहीं थी। क्योंकि इस पक्ष और उस पक्ष से जो कुछ भी माननीय सदस्यों ने भाग लिया वह आपके निर्णय के लिये काफी समझा जा सकता है लेकिन कुछ बातें विरोधी पक्ष के नेता ने यहां पर उठाई इसलिये मुझे कुछ निवेदन करना आवश्यक हो गया है।

विरोधी पक्ष के नेता ने इस सदन में कुछ इतिहास बनाने की बात कही, कुछ परम्पराओं का जिक्र किया और कहा कि बहुमत के आधार पर आप ऐसी परम्पराएं न डालें जो कि आगे आने वाले वक्त में एक अच्छी परम्परा न मानी जाय। मैं ऐसा समझता हूं कि यह कहने के पहले यदि वे अपनी पार्टी का इतिहास देख लेते और जो परम्पराएं उन्होंने निर्मित की उनकी ओर ध्यान देते तो ज्यादा उपयुक्त बात होती। यह बात प्रजातंत्र में स्वीकार करने योग्य है कि संविधान होते हुए भी, बहुत से कानूनों के होते हुए भी विधान सभा और लोक सभा के सदनों में परम्पराओं का निर्माण होता है वह हमारे लिए गाइड लाइन का काम करती हैं। आप लोग जब सत्ता में थे तब जिस प्रकार की परम्पराओं का निर्माण आपने किया वे कैसी थीं, सब जानते हैं। समझता हूं कि इस देश की महान् नेता को हिन्दुस्तान की जनता ने अटूट बहुमत से चुन कर भेजा।

(श्री शिवचरण माथुर)

चुन कर आने के बाद जब वे लोक सभा के सदन में आई तो किसी पुरानी प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देकर न केवल उनको रेप्रीमेण्ड करने की बात की, न कोई सजा देने की बात की बल्कि हिन्दुस्तान की जनता ने जिनको चुन कर भेजा था उनको लोक सभा से निष्कासित करने की परम्परा आपने कायम की उस इतिहास को कोई नहीं भूल सकता। हमने कभी इसी तरह की परम्पराओं में विश्वास नहीं किया। मैं बहुत गम्भीरता से कहना चाहता हूं कि 1977 के पहले और हिन्दुस्तान की आजादी के बाद सत्ता में रहते हुए जो परम्पराएं कांग्रेस ने बनाई और हमने हमेशा विरोधी पक्ष का सम्मान किया लेकिन जिस प्रकार से आपने सम्मान किया यह तो आपको देखने की बात है।

यहां पर बहुत सी दलीलें आपने दी हैं। हमारे माननीय सदस्यों ने सारी दलीलों का तथ्यों के साथ जवाब दिया है। मैं उन बातों को दोहरा कर आपका समय नहीं लेना चाहता। 1967 से आज तक दो बार पहले विधान सभा सदस्य की हैसियत से और अब तीसरी बार विधान सभा सदस्य की हैसियत से यहां बैठा हूं। मैंने विरोधी पक्ष के नेता को बहुत सुना है। वे बहुत अच्छे, मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं लेकिन उन्होंने जिस प्रकार की कमजोर और लचर दलीलें आज दीं, कम से कम मैंने तो नहीं सुनीं। जिस प्रकार की बातें उन्होंने कही, मैं समझता हूं उनको स्वयं को महसूस हो रहा होगा कि मेरा मन नहीं कह रहा है इस प्रकार की बातें कहने का। लेकिन मजबूरी ऐसी है, कहनी पड़ रही है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि शिवचरणजी माथुर नहीं बोल रहे हैं, कोई बुलवा रहा है। कोई बात नहीं, बोलिये, हुक्म की तामील तो करनी है।

श्री शिवचरण माथुर : यह तो हुक्म की बात है या क्या है लेकिन आप मन में अन्दाजा लगा कर देख लें आपने कभी पहले ऐसी दलीलें दी हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मन में आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, हुक्म की तामील बजानी है, बजाते जाइये। काम्पीटिशन आप में और भाटी साहब में हो रहा है कि कौन अच्छा बोलता है। रिपोर्ट चली जायेगी ऊपर।

श्री शिवचरण माथुर : आपने रीसेंट आकरेंस की बात कही। माननीय देवपुरा जी ने और नेनवा से आने वाले सूर्यकुमार जी ने बहुत तथ्यपूर्ण और अच्छे जवाब दिये, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा। आप अंदाजा लगाइये, चिकमगलूर से इंदिरा जी जीत कर आई उसके कितने बाद लोक सभा की बैठक हुई और प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट का नोटिस कितनी देर बाद लिया, क्या वह रीसेंट आकरेंस की घटना थी। 29 मार्च को जब चुनाव हुए राज्य सभा के उस समय विधान सभा सत्र में नहीं थी। मैं समझता हूं, उसके बाद विधान सभा का मिलने का मौका 6 सितंबर के बाद आया है और एक माननीय सदस्य को अपनी भावनाओं को विधान सभा में प्रकट करने का यह पहला अवसर मिला। उन्होंने विधान सभा के एक सत्र के बाद दूसरे

(श्री शिवचरण माथुर)

सत्र में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है इसलिये बिलकुल रूप से रीसेंट ग्राकरेंस का सवाल आता है। माननीय कमलेन्द्रसिंह जी ने इस सदन में अपनी बात इसलिये रखी कि उनके अधिकारों, कर्त्तव्यों का पालन करने के रास्ते में बाधा डाली गई उसको सदन के सामने ही प्रस्तुत कर सकते थे और सदन ही काग्नीजेंस ले सकता था इसलिये इसमें रीसेंट ग्राकरेंस की बात सामने नहीं आती है।

विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने संविधान की धारा 80 को यहां पढ़ कर सुनाया। इसकी तीन उप धाराएं उन्होंने पढ़ दीं लेकिन मतलब की उपधारा पढ़ना भूल गये। धारा 80 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इस सदन के माननीय सदस्यों पर कर्त्तव्य आयद है, जिम्मेदारी है कि वह राज्य सभा के मैंबर चुनने के लिये वोट का उपयोग करें। मैं पढ़ना चाहूंगा

"The representatives of each State in the Courcil of States shall be elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State in accordance with the system of proportional representation by means of the ingle transferable vote.

इस संविधान की धारा 80 (4) के अन्तर्गत माननीय सदस्यों के ऊपर यह कर्त्तव्य आयद है और संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कभी नहीं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कोई वोट नहीं दे तो क्या संविधान का उल्लंघन करेगा ?

(व्यवधान)

अगर सदन का कोई माननीय सदस्य राज्य सभा के चुनाव में वोट न दे तो क्या संविधान का विरोध करता है ?

श्री शिवचरण माथुर : विरोध की बात नहीं कर रहा हूं, यह उसका अधिकार है, कर्त्तव्य आयद है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अधिकार तो मैंने भी माने हैं, आप क्या कह रहे हो। विधि विभाग ने अच्छी तरह से नहीं पढ़ाया, पढ़ाया तो ठीक, आप समझे नहीं।

श्री शिवचरण माथुर : जिम्मेदारी को निभाते हुए माननीय सदस्यों पर एक प्रकार का प्रहार किया गया जो देश के एक चोटी के नेता द्वारा किया गया इसलिये सदन के माननीय सदस्य को पीड़ा हुई।

सवाल आता है, आखिर किन किन लोगों का अपमान किया गया। इस बात को बहुत साफ कहा गया है, इसमें बिकने वाले और खरीदने वाले दोनों का जिक्र किया गया है। इसका मतलब हम लोगों ने उधर से वोट लिये। पता नहीं किससे लिये, उसमें आपके लोग भी हो सकते हैं, यह आप क्यों भूल जाते हैं। यह बिकने और खरीदने का सवाल नहीं है। यह आपकी गलत नीतियों के परिणाम हैं। आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि आज राजनैतिक दृष्टि से आप चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में विरोध में कोई एक पार्टी पनपे तो भाजपा पनपे और सब आपके नीचे काम करते रहें। आप क्यों भूल जाते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कांग्रेस तो चाहती है कि सभी पनपे ।

श्री शिवचरण माथुर : 1980 के चुनाव में याद दिलाना चाहता हूं । सुनिये,

(व्यवधान)

सुनिये; जो मैं कह रहा हूं । खरीदने-विकने का सवाल नहीं है, इसके पीछे जो भावना माननीय सदस्यों की है उसको समझना चाहिये । मूल सवाल यह है कि 1980 के राज्य सभा के चुनाव में अगर आप सम्मिलित विरोध की बात करते तो जो आपके राज्य सभा के मैंबर चुन कर गये यह जरूरी नहीं था कि विरोधी पक्ष में बैठने वाली दूसरी पार्टियां हैं वह उनका समर्थन देतीं और उनको सदस्य बना कर भेजतीं । जब यह बात समझ में आई, लोगों ने कहा अपनी पार्टी के उम्मीदवार को थोपना चाहते हैं तो क्यों नहीं अपने अधिकारों का उपयोग करें । वह स्वतंत्र रूप से दो पक्षीय हो सकता है ।

दूसरी बात, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं हिन्दुस्तान की जनता ने इस बात को स्वीकार किया है कि आज इस देश में दो तरह की विचारधाराएं हैं । एक विचारधारा के वह हैं, जो समाजवाद में विश्वास करते हैं, जो प्रगति में विश्वास करते हैं, जो प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं । एक विचारधारा के वह हैं जो दकियानूसी मनोवृत्ति में विश्वास करते हैं, पिछड़ेपन में विश्वास करते हैं, जिनका भरोसा नहीं है प्रजातन्त्र में लेकिन जिन्हें मजबूरी में प्रजातन्त्र को अपनाना पड़ रहा है । यह पक्ष सामने आता है । विरोधी पक्ष में बैठने वाला कोई भी सदस्य अपना निर्णय कर सकता है कि वह भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करे या नहीं करे । इसमें नाराजगी होती है । आपके बड़े नेता नाराजगी के कारण बौखला कर आरोप लगाते हैं बिकने और खरीदने का, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है । हमारे जो माननीय सदस्य बुजुर्ग हैं बाबू राजबहादुर जी, उन्होंने बहुत सही बात कही है, मैं उनको हमेशा बुजुर्ग मानता हूं । आप प्रोसिडिंग्स उठा कर देख लीजिए, मैंने हमेशा उनको बुजुर्ग कहा है....

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी कहा था मुझे बुजुर्ग नहीं कहें । मुझे राजबहादुर ही कहें ।....

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपको बुजुर्ग आपके पुराने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं । जो आपका जीवन, जो आपका पुराना इतिहास रहा है, आपका जो अनुभव रहा है, उसका मैं सम्मान करता हूं ।

जो बात आपने कही, मैं समझता हूं कि कभी किसी का आपने समर्थन करने वाली बात सही होगी लेकिन एक वक्तव्य के कारण आपको भी महसूस हुआ कि जो कहा गया वह सही नहीं था । ऐसा बड़ा नेता ऐसी बात कहे तो गलत होता है । साधारण तौर पर कोई कहे और अटलबिहारी जी कहें इसमें बड़ा फर्क पड़ता है । आज राजस्थान विधान सभा के विरोधी पक्ष में बैठने वाले 13 सदस्यों के बारे में वाजपेयीजी यह कहें कि वे बिक गये, मैं कहता हूं कि इससे बड़ी शर्म और अपमान की बात क्या हो सकती है ? एक माननीय सदस्य के व्यक्तिगत कन्डक्ट की बात आपने कही । मैं मुख्य मन्त्री

(श्री शिवचरण माथुर)

होकर भी बाहर कोई बुरा कार्य करूं तो ला ग्राफ लैण्ड मुझे ट्रीट करेगा और सजा देने वाली बात करेगा। इस सदन में बैठने वाले माननीय सदस्य यदि कोई अपने कंडक्ट के आधार पर बुरा काम करते हैं तो उसका उनको अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन संविधान के अन्तर्गत उनको निश्चित रूप से कुछ अधिकार और प्रिविलेजेज प्राप्त हैं उनका पालन जब वह करते हैं तब यदि उनके संदर्भ में बातें कही जाती है तो इससे और बुरी बात क्या हो सकती है? इससे और अधिक अपमानजनक बात क्या हो सकती है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं

यहां पर जिला परिषद के सम्बन्ध में, पंचायत समिति के सम्बन्ध में बात कही गयी। पंचायत समिति के सदस्य होने के नाते यदि वहां पर कोई सवाल विधान सभा के माननीय सदस्य के बारे में उठाया जाये तो क्या प्रिविलेज मोशन आयेगा। मैं तो कहना चाहता हूं, हालांकि इसमें बड़ा अन्तर है। विधान सभा के माननीय सदस्यों को संविधान की धारा के अनुसार यहां बैठने का अधिकार मिला है और उसमें राज्य सभा के मैम्बर चुनने का भी अधिकार मिला है। इस अधिकार का पालन करने का एक प्रश्न है और बाद में जिला परिषद् और पंचायत समितियों की बैठक में एक्स-आफिसियो मैम्बर के रूप में एम.एल.ए. बैठता है, फर्क है उसमें। मैं तो कहता हूं यदि वहां पर किसी मैम्बर के बारे में इसी प्रकार की बात कही जाये तो निश्चित रूप से ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज का प्रश्न वहां पर आ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्या ऐसी बात कही जाये? दूसरे, अगर ऐसी बात कही जाये तो उसका इलेक्टोरल कालेज बहुत बड़ा है, किस ने कहा और किसने नहीं कहा यह पता लगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां पर तो वोट देने वाले अगर कोई हैं तो सदन में बैठने वाले 200 माननीय सदस्य हैं और 201-वां कोई वोट नहीं दे सकता है। इसलिये स्पेसिफिकली आइडेन्टीफाइ करके, मैम्बर्स को इंगित करके ही कोई बात कही गयी है तो निश्चित तौर से हम माननीय सदस्यों का अपमान है। चूंकि सभी माननीय सदस्यों का अपमान है इसलिये देवपुराजी ने जो बात कही वह सही बात कही है कि आज इधर बैठने वाले सदस्यों को इंगित किया जाता है हम लोगों ने खरीदा और सवाल पैदा होता है, उधर बैठने वालों में से किस को खरीदा, सब में से किसी को खरीदा जा सकता है, तो यह दोनों तरफ के लोगों का अपमान है। इसका मतलब हुआ सारे सदन के सदस्यों का सार्वजनिक अपमान वाजपेयीजी ने किया है। मैं समझता हूं कि उनसे यह अपेक्षा और आशा कभी नहीं की जा सकती थी।

यहां पर विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने गुजरात प्रिविलेज कमेटी और 1963 में स्पीकर साहब आयंगर साहब की रूलिंग का हवाला दिया। इसके पहले जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तब यह बात कही थी, प्रिविलेज कहीं पर भी हमारी विधान सभा में, हमारी पार्लियामेंट में आज भी कोडिफाई नहीं है। उन्होंने यह बात सब से पहले कही। एक तरफ तो वे स्वीकार करते हैं कि कहीं पर प्रिविलेज कोडिफाई आज तक नहीं किये गये। दूसरी तरफ उसी वेग में यह बात भी कहते हैं कि गुजरात को प्रिविलेज कमेटी ने यह कहा। उन्होंने प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ कर

(श्री शिवचरण माथुर)

सुनाया । आयंगर साहब ने जो कुछ रूलिंग दी उसको भी पढ़कर सुनाया । मैं समझता हूं ....

श्री भैरों सिंह शेखावत : The House feels pity on your knowledge.

श्री शिवचरण माथुर : मैं समझता हूं कि हर सदन में जो सदन के सामने इश्यू उपस्थित होता है उसकी अपनी अपनी रेलेवेंस होता है, उसकी अपनी अपनी भूमिका होती है, उसका अपना अपना परिप्रेक्ष होता है । सदन के सामने जो कुछ प्रश्न उपस्थित होता है उसको सदन स्वीकार करे या उस पर सदन विचार न करे, यह सदन का अपना अधिकार होता है । यहां पर जो बातें आपने कहीं, मैं समझता हूं उनमें कोई आधार मेरी तो समझ में नहीं आया । चाहे वे अपने संतोष के लिये आधार मान लें, यह दूसरी बात है ।

यहां यह भी कहा गया कि लोक सभा के मैम्बर की हैसियत से कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है । यह साफ है कि उनके खिलाफ जो कुछ लाया गया है वह लोक सभा के मैम्बर की हैसियत से नहीं लाया गया है बल्कि एक पार्टी के नेता की हैसियत से, एक साधारण नागरिक की हैसियत से उन्होंने जो प्रश्न उठाया है, जो माननीय सदस्यों का अपमान किया है, उसको लेकर प्रश्न सामने आया है । मैं समझता हूं कि लोक सभा के सदस्य के खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का प्रश्न यहां पर उठाने की दलील दी वह अब यहां पर उठने वाली बात नहीं है ।

एक यहां पर आपने यह कहा कि डिफेमेशन का सूट क्यों नहीं फाइल किया किसी ने ? अगर मान लीजिये किसी माननीय सदस्य का अपमान हुआ है तो इसके लिये कोर्ट्स हैं, डिफेमेशन का सूट दायर किया जा सकता है । मैं समझता हू कि यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं है । यदि कमलेन्द्र सिंहजी का अपना अपमान होता तो बात समझ में आ सकती थी कि वे अपने इस अपमान के खातिर किसी कोर्ट में अप्रोच करते और डिफेमेशन का केस दायर करते । लेकिन उन्होंने महसूस किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने सारे सदन का अपमान समझ करके इस सदन की गरिमा और माननीय सदस्यों की गरिमा को कायम रखने के लिये यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यह तरीका अपनाया है । यह बात कहना कि डिफेमेशन की बात थी तो कोर्ट में जाना चाहिये था; उपयुक्त प्रतीत नहीं होता ।

मैं ऐसा मानता हूं कि बाकी की बातें सारी की सारी माननीय सदस्यों ने काफी विस्तार से कह दी हैं, मैं उनको विस्तार से नहीं कहना चाहता हूं।

एक बात और विपक्ष के नेता महोदय ने कही कि 17 सितम्बर को हमारे दल में ऐसी कोई चर्चा हुई ।

(व्यवधान)

सुनिये । हमने यह साफ बता दिया था कि पहले वह प्रस्ताव आ गया था । इसीलिये कोई हमारे दल से प्रस्ताव रखने का प्रश्न नहीं आता है लेकिन एक सत्तारूढ़ दल होने के नाते यदि विधान सभा में प्रश्न उपस्थित हो जाता है तो उसके प्रति हमारा

(श्री शिवचरण माथुर)

क्या एटीट्यूड रहना चाहिये, हमारा क्या रुख रहना चाहिये, उसके लिये निश्चित रूप से विचार करने का अधिकार है। यदि हमारे दल की मीटिंग में इस प्रकार की चर्चा होती है, तो कोई हैरानी की बात नहीं। इसमें हमारी पार्टी का रुख क्या हो, क्या रुख अपनाना चाहिये, इसलिये हमने इस पर चर्चा की और बात की। और कोई उसमें गलत बात नहीं है।

मैं उम्मीद करता हूं कि जो बातें सामने आई हैं, अध्यक्ष महोदय, और जो विचार यहां पर प्रस्तुत किये गये हैं, जो तथ्य, वजनदार तथ्य इस प्रस्ताव के पक्ष में प्रस्तुत किये गये हैं, उनके आधार पर आप कृपा करके अपना निर्णय देंगे और इसको स्वीकार करने की इजाजत देंगे।

श्री अध्यक्ष : इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, मैं समझता हूं, पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। दोनों पक्ष के विचार आ गये।....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी मूवर हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव मूव करने वाला हूं, इसलिए ....

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : पाइंट आफ आर्डर।

अभी माननीय मुख्य मन्त्री ने अपने भाषण के दौरान कहा उनको यह चीज खराब लगी है कि उन पर आरोप यह लगाया गया है कि उधर के पक्ष के कुछ लोग खरीदते हैं, खरीदते हैं आपने कहा, इसका मतलब उधर के पक्ष के खरीदने वाले हो गये और इधर के पक्ष वाले बिकने वाले जिनको खरीदा गया। आपके भाषण के अनुसार, आप प्रोसिडिंग्स निकलवा कर देखें, आपने कहा कि इधर से खरीदने व उधर के बिकने वाले कोई भी हो सकते हैं। मुख्य मंत्री जी, अपनी इस बात को स्पष्ट करें। सभी सदस्य एक जैसे बिकने वाले नहीं होते हैं। इसके लिये आपको स्पष्ट करना होगा कि बिकने वाले कौन थे।

श्री शिवचरण माथुर : यह बात कही कि यहां से कोई खरीदने का प्रश्न नहीं है। उसका परिप्रेक्ष, राजनितिक आधार बताया कि क्यों लोग आपसे नाराज थे। आपकी नीतियों के कारण ही लोग आपसे नाराज थे। खरीदने और बिकने की बात नहीं है, यह बात तो नीतियों की है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : I am one of the mooers. जो प्रस्ताव रखा है उसके विपक्ष में जो बात कही गई है मैं उसका स्पष्टीकरण देना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : मेघराज तावड़ ने भी उसमें हस्ताक्षर किये हैं क्या ?

श्री यदुनाथ सिंह : हाँ।

अध्यक्ष महोदय, जब हम आजाद हुए, आजाद होने के बाद यह प्रश्न आया कि हम किस तरह का सिस्टम इस देश में इवाल्व करना चाहते हैं तो हमने यह प्रजातांत्रिक ढांचा, प्रजातांत्रिक ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, डेमोक्रेसी को चुना ; उसमें जिस सिस्टम को चुना उसके अन्तर्गत राज्य सभा होगी, लोक सभा होगी और विधान सभा होगी, और विधान सभायें सोवरिन होंगी। फेडरल सिस्टम को चुना गया जो कि अपने आपमें सोवरिन हैं। यह प्रश्न नहीं उठता है कि लोक सभा में कोई बात

(श्री यदुनाथसिंह)

हुयी, राज्य सभा में कोई बात हुयी, या दूसरी विधान सभा में कोई बात हुयी, तो वह हमारी विधान सभा में लागू नहीं होगी। यह विधान सभा अपने आप में हमारे एक सोवरिन बोडी है।

दूसरी बात आयी, अध्यक्ष महोदय, वह यह बात आयी कि राज्य सभा चुनाव में वोट दिया, विधान सभा के सदस्य की हैसियत से, विधान सभा अपने फंक्शन में यह मानती है या नहीं मानती ? क्या यह विधान सभा का फंक्शन नहीं था ? अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सदस्य ही राज्य सभा के सदस्यों को चुनने का काम करते हैं।

श्री अध्यक्ष : ये तथ्य तो आ चुके हैं चर्चा में। माननीय सदस्य, कोई नयी बात हो तो ....

श्री यदुनाथ सिंह : आज अटलजी का प्रश्न नहीं है आज इन्दिरा गांधी या अटलजी का प्रश्न नहीं है या यह भी नहीं है कि यह कोई अटलजी की प्रतिष्ठा को गिराने वाली बात है। मैं अटलजी की प्रतिष्ठा को इंन्दिरा गांधी से किसी भी तरह कम नहीं मानता हूं। लेकिन विधान सभा के सदस्यों के अधिकार क्या हैं उसके ऊपर चर्चा हो रही है तो हमें इस पर विचार करना है। यह कोई अटलजी की बात नहीं है, या इन्दिरा गांधी की बात नहीं है। विधान सभा के सदस्यों के अधिकार, विधान सभा की सोवरिनिटी पर एनक्रोचमेंट है या नहीं है इस पर यह सदन विचार कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा विचार है कि विधान सभा की सोवरिनिटी रही है, उस पर आपको निर्णय देना है।

श्री अध्यक्ष : श्री तावड़।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसमें मैं भी मूवर हूं, मैंने भी साइन किये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से ठेस लगी थी मैं उस समय भी बयान देने वाला था लेकिन दे नहीं पाया। विधान सभा में ही इसको उठायेंगे तो, अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के 200 विधायक हैं। अब 200 में से कौन कौन सा विधायक बिका और कौन कौन नहीं बिका, यह कैसे पता चले ....

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के लिए कहा है।

श्री मेघराज तावड़ : तो, अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के कौन से विधायक ? हम लोगों ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था, हमने तो पहले ही निर्णय ले लिया था कि किसी को वोट नहीं देंगे, न कांग्रेस को वोट देंगे, और न भाजपा को देंगे। सी पी आई और सी पी एम के सदस्यों ने किसी को भी वोट नहीं दिया। लेकिन इसका मतलब यह भी तो आ सकता है, हमने चूंकि वोट नहीं दिया इसलिये यह समझा जा सकता है कि इससे वोट कम पड़ जायेंगे, एक एक वोट कम हो जायेगा तो इससे कांग्रेस को लाभ मिलेगा। यह लांछन लगाया जा सकता है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, अब हम सब 200 माननीय सदस्य हैं, इस सदन के माननीय सदस्य हैं उनकी अपनी गरिमा है। माननीय अध्यक्षमहोदय, मैं बोल नहीं रहा था, बोलना नहीं चाहता था, बोलना इसलिये पड़ा कि विपक्ष के नेता ने कहा कि शंका तो किसी पर भी हो सकती है। तो वे ये बतायें कि कौन से विपक्ष के लोगों ने आपसे

(श्री मेघराज तावड़)

वायदा किया था कि आपको वोट देंगे और बाद में नहीं दिया । इससे समस्या का हल हो सकता है । यों तो उदयपुर डिवीजन की जनता के ऊपर भी आरोप आ सकता है कि सुन्दर सिंह भण्डारी वहां से हार गये इसलिये उदयपुर की जनता बिक गयी । अध्यक्ष महोदय, यों तो मुख्य मंत्री के साथ विपक्ष के नेता बैठ कर हैलीकोप्टर में छबड़ा गये तो कल को मैं कह सकता हूं कि मुख्य मंत्री के हाथ विपक्ष के नेता बिक गये । या विपक्ष के नेता को इलाज के लिए अमेरिका जाने के लिये पैसा दिया तो वे बिक गये, यह कहा जा सकता है । अध्यक्ष महोदय, जो एक पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, और जो हमारे देश के इने गिने लोगों में से हैं और जैसा कि हमारे साथी ने कहा वे इन्दिरा गांधी से किसी बात में कम नहीं हैं इतने बड़े नेता के मुख से इस तरह की बात बिना किसी आधार के निकल जाय तो यह बहुत दुःख का विषय है । विशेषाधिकार का हनन हुआ या नहीं हुआ, यह आपके सोचने का विषय है । हमारे सोचने का विषय यह है कि किसी पर बिना किसी आधार के आरोप लगा रहे हैं, यह उचित नहीं है । प्रजातंत्र में हम सब को बोलने का अधिकार है इसलिये ही यह प्रस्ताव आया है । इस पर निश्चित तौर पर चर्चा की जानी चाहिए । जैसा कि विपक्ष के नेता महोदय ने कहा, जितने विधायक फर्जी बिल उठाते हैं उनकी बात आयेगी, या अवैध कब्जे की बात आयेगी, उसके लिये आपसे अनुमति लेकर कोर्ट में केस चलाया जा सकता है । कोर्ट उनको सजा दे सकता है । आज मैं चोरी कर आता हूं, डाका डाल आता हूं तो क्या एम.एल.ए. होने के नाते मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा ? मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया जा सकता है, क्या मुझे सजा नहीं होगी ? अन्तुले काण्ड का क्या हुआ, कोर्ट में गया या नहीं गया मामला ? अध्यक्ष ने अनुमति दी थी या नहीं दी थी ? कोर्ट में वह बच नहीं सकेंगे । अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेकर यह कहता हूं कि यह मसला जो सदन के समक्ष आया है इस पर चर्चा होनी चाहिए । इतना कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुयी ।

श्री महाराम चौधरी : मैं दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : जो प्रस्तावक थे उन्होंने अपनी बात कह दी है । आपकी तरफ के दो ओपनर थे उन्होंने सब बात कह दी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात लिखकर जानकारी चाही थी उसकी कोई रिपोर्ट आयी है ।

श्री अध्यक्ष : उनका जवाब आपको मेरी व्यवस्था में मिल जायेगा । बल्लभनगर से आने वाले माननीय सदस्य श्री कमलेन्द्र-सिंह ने एक विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की आसन से अनुमति चाही थी वह आज प्रदान की गयी । उन्होंने इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखा और दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किये । पक्ष और विपक्ष के नेताओं और अन्य माननीय सदस्यों ने भी यह बात चाही कि इसमें आसन अपनी व्यवस्था दे । आसन इस तरह के प्रस्तावों पर क्या व्यवस्था दे सकता है जो नियम इस संबंध में हैं वे बाद में पढ़ कर सुनाऊंगा । लेकिन आसन इस

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन की प्रक्रियाओं और इस सदन के विशेषाधिकारों का संरक्षक है। उस नाते जो दिन भर डिबेट चली उसकी जो मुख्य बातें हैं वह मैं सदन के माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। जब सदन में किसी विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर विचार होता है तो सदन एक न्यायालय की तरह बैठता है और सदन को अन्य अधिकारों के साथ-साथ दोषी व्यक्ति को कारावास का दण्ड देने का भी अधिकार होता है। इसमें विधान सभा का वही दर्जा है जो किसी प्रदेश के उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय का होता है क्योंकि जो कुछ भी सदन निर्णय लेता है, उसकी कहीं अपील नहीं हो सकती है। वैसे यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि सदन अपनी प्रक्रिया स्वयं तय करता है। ऐसा कोई प्रक्रिया के नियमों में नियम नहीं है कि विशेषाधिकार का प्रश्न सदन अथवा उसकी समिति के समक्ष आये तो उसमें क्या प्रक्रिया अपनायी जायेगी। न्यायालय के समक्ष यदि कोई अपराध का मामला आता है तो उसके लिये क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ड के अन्दर प्रावधान किया हुआ है। लेकिन अपने यहां तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यह बात भी सर्वमान्य है कि जहां कहीं भी दण्डित करने के लिए कोई प्रक्रिया तय की हुई न हो तो सामान्य न्याय के सिद्धान्त लागू किये जाने चाहिए।

यहां पर तीन-चार विन्दुओं पर विचार किया गया, उनके सम्बन्ध में भी विचार माननीय सदस्यों ने अपने-अपने व्यक्त किये। पहला प्रश्न यह है कि श्री अटल विहारी वाजपेयी ने 3 तारीख को इन्दौर के अन्दर समाचार पत्र प्रतिनिधियों के सामने वक्तव्य दिया, उसमें वह बात कही, जो हमारे इस विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के अन्दर उल्लिखित की गयी है। लेकिन किसी अखबार में या अखबारों में कोई बात छप जाये, क्या यह किसी व्यक्ति को दण्डित करने के लिए पर्याप्त आधार है या पर्याप्त साक्ष्य है? द्वितीय, जिनको इसमें विशेषाधिकार हनन का दोषी माना गया है, क्या उनको बिना सूचना दिये, बिना अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर दिये हम दण्डित कर सकते हैं? जो न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्त हैं, उनके अन्दर सबसे मुख्य बात है कि no boby shall be cordemned in absence. हमको जो दोषी व्यक्ति है, उसको अवसर देना पड़ेगा। यदि हम कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जिसमें दोषी व्यक्ति को अगर अवसर नहीं दिया जाता है तो साधारण जो न्याय के सिद्धान्त हैं, उनका हनन है।

दूसरा विन्दु, जिस पर विचार किया गया, वह यह था कि यदि यह कहा गया सच भी मान लिया जाये तो क्या यह विशेषाधिकारों का हनन है। उसमें दोनों तरफ से पुराने जो चाहे हाउस ऑफ कामन्स के निर्णय हों, चाहे हमारी संसद के निर्णय हों, चाहे अलग-अलग विधान सभाओं के निर्णय हों, उनकी ओर आसन का ध्यान और सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया गया। एक बात से आप सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे कि यह जितने भी निर्णय हैं, आप सब ने माननीय सदस्यों ने सुने। उनके अन्दर कोई ठोस बात अभी तक हमारे सामने ऐसी नहीं है कि जिन परिस्थितियों के अन्दर श्री वाजपेयीजी ने जो बात कही, क्योंकि वह मसला है, राज्य सभा के चुनावों को लेकर एक ऐसी नजीर उपस्थित की

(श्री अध्यक्ष)

गयी, जिसमें उसको गुजरात विधान सभा ने विशेषाधिकार हनन का नहीं माना है, होगा भी नहीं। मेरी भी याददाश्त ताजा है, हमारे माननीय मुख्य सचेतक महोदय पहली विधान सभा के भी सदस्य थे, यहां पर ऐसे माननीय सदस्य उपस्थित हैं, जो एक में नहीं तो दूसरी सभा में जरूर थे, विधान सभा जितनी बार गठित हुई, उनमें इस तरह के निर्णय मुझे याद है, मेरे ध्यान में नहीं है और न किसी माननीय सदस्य ने इस सभा का ध्यान आकर्षित किया कि हमारे यहां पर इसको क्या माना है ? किस चीज को विशेषाधिकार का हनन माना है, यानि यह भी, काफी विवादास्पद विषय है और मेरी माननीय सदस्यों को यह सलाह होगी, उनको यह निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में इस सदन को बैठकर सब साहित्य मेज पार्लियामेण्ट की प्रेक्टिस, दूसरी टैक्स्ट बुक्स, इस तरह की दुनिया की और देशों की नजीरें, इस सदन के लिए संकलित करना काफी कठिन कार्य होगा और हम यह चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में हमारे यहां से कम से कम सभी पहलुओं का अध्ययन करके हम निश्चय कर लें ताकि भविष्य में यदि कोई प्रश्न उठता है तो हमको दुवारा इतनी लम्बी चौड़ी बहस करने की जरूरत नहीं होगी। तीसरे प्रश्न की ओर भी कुछ माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया। हमारे देश के अन्दर 18–20 साल से बराबर प्रयत्न चल रहा है कि इस देश के अन्दर इस तरह की परम्परायें निर्मित होनी चाहिए कि एक विधान सभा का माननीय सदस्य दूसरी विधान सभा के विशेषाधिकारों का हनन करता है, अथवा संसद सदस्य किसी विधान सभा के विशेषाधिकारों का हनन करता है या किसी विधान सभा का सदस्य संसद के विशेषाधिकारों का हनन करता है तो एक परिपाटी तय करने का फैसला किया गया था, कई विधान सभायें उस पर अमल कर रही हैं, कई विधान सभायें शायद नहीं कर रही हैं। तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम हमेशा के के लिए इस प्रश्न पर भी विचार कर लें कि यदि एक विधान सभा के विशेषाधिकार का हनन दूसरी विधान सभा के सदस्य या संसद सदस्य या विधान सभा का सदस्य करता है तो उस स्थिति में उनको दण्डित करने का अधिकार, जिस विधान सभा का विशेषाधिकार हनन हुआ है, उसको होना चाहिए या जिसका वह सदस्य हो, उसको चाहिए। यह भी हमको तय करना, मैं समझता हूं, जरूरी होगा। तो यह जो सब परिस्थितियां हैं, उसमें मैं यह समझता हूं इन तीनों बिन्दुओं पर गहराई से विचार इस सदन की जो विशेषाधिकार समिति होती है, वह कर सकती है। मेरी राय यह है कि, क्योंकि आगे मैं नियम पढ़कर माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा, मुझे इस पर कोई विनिश्चय करने का अधिकार नहीं है, यह सदन को तय करने का अधिकार है, लेकिन मेरी निश्चित राय यह है कि इस तरह के मामलों के अन्दर हमको जल्दी नहीं करनी चाहिए। किधर से, किस ओर से, कितने माननीय सदस्य बोले, नहीं बोले इस हिसाब से जुडिशियल जो प्रश्न है, जिस पर गहराई से विचार करना होता है, दण्डित करना होता है, उसमें ज्यादा

(श्री अध्यक्ष)

गहराई से विचार करना चाहिए। यह मेरी माननीय सदस्या को सलाह है कि इसको विशेषाधिकार समिति को दिया जाये, लेकिन यह मेरा विनिश्चय नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इसके लिए मैं माननीय सदस्यों का ध्यान नियम 161 की ओर आकृषित करूंगा।

Questions of privilege to be considere by House or Committee—

If leave under rule 160 is granted, which I have done, the House may consider the question and come to a decision or refer it to the Committee of Privileges on a motion made either by the member who has raised the question of privilege or by any other member.'

अब इस पर विचार कर लिया जाये, इस पर मैं निर्णय दूंगा अथवा यह समिति को सुपुर्द करें, इसके लिए या तो मूवर ही वह प्रस्ताव करे कि इसको विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया जाये अथवा कोई अन्य सदस्य यह प्रस्ताव करे। वह टेन मेम्बर्स वाला समय चला गया वह नहीं है, अब 160 में सदन ने विचार कर लिया। विचार करने के बाद सदन दो में से एक बात तय कर सकता है। अगर स्वयं सदन यह करना चाहता है तो कर ले और अगर कमेटी को जाना है तो उसके लिए या तो प्रस्तावक को अथवा किसी अन्य माननीय सदस्य को इस हेतु प्रस्ताव लाना पड़ेगा लेकिन सदन फिर भी इसको निर्णीत नहीं कर सकता। लेकिन जैसा मैंने कहा नेचुरल जस्टिस का सिद्धान्त है कि जिस व्यक्ति के ऊपर विशेषाधिकार हनन का यह प्रस्ताव लाया गया है उनको हमने पूछ करके कोई जवाब नहीं लिया है और हमारे सामने कोई साक्षी ऐसा नहीं है कि उन्होंने यह बात कही अथवा नहीं कही।

(व्यवधान)

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह।

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जो आपने अभी माननीय सदस्यों की दलील पर अपने विचार रखे उसके बाद में निवेदन यह करना था, आपने यह कहा अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्दौर में भाषण दिया उसमें माननीय सदस्यों के ऊपर या पार्टी के ऊपर लांछन लगाया कि ये पैसा खाकर बिक गये, वह हुआ। आपने कहा कि इसका साक्षी नहीं है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह नहीं समझा कि जब कहा गया और अखबारों में छपा है तो माननीय अटल बिहारी....

श्री अध्यक्ष : इसके लिए एविडेन्स एक्ट को देखें। इसको साक्षी नहीं मान सकते।

श्री रामसिंह विश्नोई : उनको खण्डन करना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : खण्डन करना चाहिये था, कई काम उनको करने चाहिये थे। फिर भी यह साक्षी नहीं हो सकता है, साक्षी पोजिटव हो....

(व्यवधान)

इसके लिए एविडेन्स एक्ट के प्रावधान देख लीजिए।

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कान्स्टीट्यूशन और विधान सभा और विधि की सभी प्रक्रिया में न जाते हुए दो तीन मुख्य मुद्दे आपके सामने प्रस्तुत करती हूं। विरोधी दल के माननीय नेता...

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह स्टेज, माननीय मन्त्री महोदया, चली गई। मैंने इसमें विनिश्चय नहीं दिया था। अपनी राय मुझे प्रकट करने का अधिकार है संरक्षक के नाते, इस सदन के प्रक्रिया के नियमों और इसके प्रिविलेज के नाते इसलिए मैंने बात निवेदन कर दी। वह चर्चा समाप्त हो चुकी है।

श्रीमती कमला : आपने जो निर्णय दिया है हाउस को....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : निर्णय नहीं दिया है।

श्रीमती कमला : सुनिये तो सही मेरी पूरी बात।

आपने सदन को विचार करने के लिए जो दिशा निर्देश दिये हैं उसके बाद में एक मोटी बात तो मैं यह जानना चाहती हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो स्टेटमेन्ट दिया आज से 5 महीने पहले वह स्टेटमेन्ट गलत है, किसी भी विरोधी दल के नेता ने भी इसका खण्डन नहीं किया और न स्वयं ने किसी जगह पर इस बात का खण्डन किया कि मेरे नाम से जो समाचार छपा है वह गलत है। इसलिए यह साक्षी होना और....

श्री अध्यक्ष : इन्होंने नहीं किया उसकी जगह श्री वाजपेयी को दण्डित नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर।

श्रीमती कमला : यह अपने आप में एक सबूत है कि उसका कोई खण्डन न उनकी पार्टी के द्वारा न उनके स्वयं के द्वारा....

श्री अध्यक्ष : किसी अन्य का दोष दूसरा पर नहीं मंढा जा सकता।

Page No 169

श्रीमती कमला : उन्होंने स्वयं भी कोई खण्डन नहीं किया। पांच महीनों में उन्होंने इस बात का खण्डन नहीं किया। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा अपमान सदन का किया और पूरे हाउस का चूंकि अपमान है,....

श्री अध्यक्ष : इस पर चर्चा हो चुकी है. माननीय मन्त्री महोदया। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी।

श्रीमती कमला : हाउस के सामने तो चर्चा हो चुकी इसलिए साक्षी बनता है....

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया, यह अपमान करना है, यह भी विचारणीय विषय है।

श्रीमती कमला : आपके दिशा निर्देश के मुताबिक ही मैं हाउस से अपनी बात निवेदन करना चाहती हूं कि जिस स्टेटमेन्ट के द्वारा पूरे सदन का निरादर हुआ है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्या। ये सभी प्रश्न आ चुके हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी विस्तार से जो कुछ फरमाया मैं तो सिर्फ दो पाइन्ट आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आपने इस हाउस को एक कोर्ट से कम्पेअर किया कि आज अपन एक कोर्ट की तरह यहां बैठे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : Not compared. It is more than a court.

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : विरोधी दल के नेता की तो आदत है...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी भी आदत....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : और, अध्यक्ष महोदय, आपने यह भी सुझाव दिया कि प्रिविलेज कमेटी को रेफर कर दिया जाय। सुझाव के तौर पर आपने यह फरमाया। इसमें, अध्यक्ष महोदय, मेरा हम्बल सबमीशन यही है कि कोई भी कोर्ट भले ही विधान सभा हो, या हाईकोर्ट हो, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जो कुछ भी निर्णय लेगी, उसको लीव टू अपील फोर्म में समझिये। प्रिविलेज कमेटी को रेफर हो आज की तारीख में, अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य सचेतक महोदय ने पहले ही फरमा दिया कि प्रिविलेज कमेटी आज की तारीख में एग्जिस्ट नहीं करती है।

श्री अध्यक्ष : ऐसा कुछ नहीं है, हाउस की जानी मानी हुई समिति है उसको अगर मैं चाहूं तो तत्काल फोर्म कर सकता हूं । यह मेरे अधिकार में है, यह कोई कानूनी तर्क नहीं है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आखिरी पाइन्ट यह है, मैं यह मानता हूं, मैं भी चाहता हूं कि....

श्री अध्यक्ष : जिस वक्त प्रस्ताव प्रस्तुत होता है, प्रवर समिति को सुपर्द किया जाय, उस वक्त कौनसी प्रवर समिति होती है । अध्यक्ष को अधिकार है, वह एक दिन बाद में कह दे, उसमें कोई बाधा नहीं है । तत्काल ही कह सकता हूं कि यह प्रिविलेज कमेटी बनाई ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आखिरी पाइन्ट यह था । मैं भी मानता हूं कि इण्डिविजुअल को सुनने की अपारचुनिटी दी जानी चाहिए लेकिन वह अपारचुनिटी यह सदन उस इण्डिविजुअल को सदन में ही देगा यह मेरा प्रस्ताव है ।

श्री राजबहादुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ विनती करना चाहूंगा....।

श्री बुलाराम (रायसिंहनगर) : मेरा यह निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से यह निवेदन करता हूं कि इस बारे में सदन के माननीय सदस्य ही सदन में विचार करें और समिति को यह प्रस्ताव सुपुर्द नहीं किया जाय ।

श्री अध्यक्ष : आपने जैसा कहा यह सदन विचार करे, तो सदन विचार कर रहा है उसके लिए तो प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है । प्रस्ताव की आवश्यकता तब है जब विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने का सवाल हो । आपने ध्यान से सुना नहीं ।

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, मैंने जब अपनी बात कही थी लोक सभा का एक केस आपके सामने रखा था, जिसमे जिसके खिलाफ शिकायत की गई थी उसको लोक सभा में बुलाया गया । जो आपने एविडेन्स एक्ट की बात कही,....

श्री अध्यक्ष : वह अलग परिस्थितियां हो सकती हैं । सीधा बुलाया गया उसमें प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया । ऐसा कुछ नहीं है ।

श्री हनुमान प्रभाकर : नहीं, अर्ज यह है कि उसमें सीधा लोक सभा में प्रस्ताव आया, वाजपेयी ने प्रस्ताव रखा, इसको प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया जाय । वाजपेयी जी ने यह कहा कि यह प्रिविलेज कमेटी को नहीं भेजा जाय और सदन इस पर विचार करे और दोषी अधिकारियों को सम्मन किया । यह उदाहरण मैंने आपको अपनी बातचीत में कहा था । तो जब लोक सभा में यह परम्परा है और लोक सभा....

श्री अध्यक्ष : तो इससे मैंने डिफर कब किया। सम्मन की बात ही हो तो मैं कह रहा हूं कि अगर सदन चाहता है तो सम्मन करे।

श्री हनुमान प्रभाकर : उस स्थिति में ..

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष जी, विचारणीय बिन्दु जो हमारे सामने है वह रूल 162 के अन्तर्गत है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, 62 में नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : 161 का, इसका मतलब है जो आपने सदन को सलाह दी, दिशा निर्देश दिया इस सदन के संरक्षक के नाते तो वह स्टेज जो...

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय कुछ प्रस्ताव करें उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : प्रिविलेज कमेटी को रेफर होने का था वह स्टेज निकल गई है। जब वह स्टेज निकल गई है तो अब यह हाउस...

श्री अध्यक्ष : वह स्टेज तो अब आई है ..

श्री परसराम मदेरणा : अब यह सदन कोर्ट में परिवर्तित हो गयी है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं आपसे यह सलाह लेना चाहूंगा कि क्या हम किसी के बारे में एब्सेन्सिया के अन्दर निर्णय ले सकते हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर सदन चाहता है तो फिर जो दोषी व्यक्ति है उसको नोटिस देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जितने कानून कायदे हैं जिस तरह से सुनवाई होती है, दलीलें, जितनी पुस्तकें हैं, सदन को बैठना पड़ेगा उसके लिये।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे...

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आन ए पाइंट आफ आर्डर।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने जब अपनी बात आरम्भ की थी उस समय मैंने स्पष्ट सचिव, राजस्थान विधान सभा को लिख कर दिया था कि मुझे इस बात की जानकारी दी जाये कि इस विशेषाधिकार प्रश्न के सम्बन्ध में अब तक राजस्थान विधान सभा से श्री वाजपेयीजी को सूचना दी गई है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैंने अर्ज कर दिया है अपनी व्यवस्था में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ? अभी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

नहीं बताया ।

श्री अध्यक्ष : मैंने यही तो निवेदन किया कि उनसे किसी तरह या इसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है, इसलिये तो मैंने कठिनाइयां बतायीं कई बार....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्पष्टीकरण मांगने में और सूचना देने में बड़ा अन्तर है मैं तो देऊंगा नहीं । कल अखबार दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष : किसी तरह की सूचना नहीं है, आप प्रारम्भिक चाहो चाहे कैसे हो....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : किसी तरह की कोई सूचना नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं । यह मैंने निवेदन कर दिया था ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री राजबहादुर । मैं आपको बाद में अवसर दे दूंगा ।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से, विशेष रूप से सदन के नेता और सभी सदस्यों से यह विनती करना चाहूंगा कि अब समय है कि सदन की गरिमा का, सदन की मर्यादाओं को ध्यान में रखा जाये । पूरी तरह से सुनने के बाद । इसलिये आज जो कुछ हम फैसला करेंगे, दो ही फैसले कर सकते हैं, या तो सारा सदन वह काम करे जो विशेषाधिकार समिति से कराना चाहते हैं या फिर अच्छी तरह से कन्सेन्ट्रेटेड डेलीब्रेशन और कहना चाहिये स्पेसिफाइड बाडी के मार्फत हो सकता है । मेरी विनती यह है कि अगर आप बिना सुने हुए कुछ फैसला यहां लेते हैं । तो नेचरल जस्टिस की आपने बात कही थी वह सामने आती है । नेचरल जस्टिस में यह है कि without hearing, without opportunity to the accused nobody can be punished.

दूसरी बात आपने जो कही यह भी तय होना है कि विधान सभा के सदस्य वोट देते हैं तो उनकी क्या स्थिति होती है । तीसरी बात यह भी आपने ठीक कही कि यह भी तय करना कि हमारे सदन में कोई बात दूसरे सदन के बारे में कहे, दूसरा सदन हमारे बारे में कहे । यह तीन प्रश्न ऐसे हैं जिनका पक्का निर्णय हाउस सारा नहीं कर सकेगा । मेरी विनती है कि बहुत गरिमा और ध्यान से सुनें । इस पर उदारता व्यू लेने में होनी चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं कोई उदारता नहीं चाहिये । आप करिये जो कुछ करना है ।

(व्यवधान)

ब्रूट मैजोरिटी की कोई उदारता नहीं चाहते ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री राजबहादुर ।

श्री राज बहादुर : मैं उदारता के नाते नहीं कहता । अगर जोश में होश की बात आती है जो पहले पहले रखना चाहिये, होश पहले जरूरी है । मैं यह कहना चाहता हूं इसमें उदारता की बात नहीं है, अगर यह हाउस किसी व्यक्ति, जिसको दोषी मानता है, के प्रति उदारता बरतता है तो हाउस की गरिमा बढ़ती है । आप नहीं चाहते हैं न चाहें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अटल जी के लिये कहते हैं कि उदारता से विचार किया जाये । कोई आवश्यकता नहीं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अटलजी से सम्बन्धित मसला है, आपसे सम्बन्धित कोई मसला नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, माननीय सदस्य ।

श्री राजबहादुर : इस शब्द पर नाराजगी है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यह सदन जो है इसकी गरिमा के लिये सुझाव रखा है । नहीं तो 162 के तहत आपको अधिकार है, not with standing anything...,

श्री अध्यक्ष : आप उसकी व्याख्या पढ़ लें, वह अलग परिस्थितियों में लागू होता है । अगर अध्यक्ष यह मानकर चले कि सदन की इसमें सहमति है उस अवस्था के अन्दर बिना विशेषाधिकार प्रश्न को सदन के समक्ष लाये उसको विशेषाधिकार समिति को दिया जा सकता है, लेकिन यह विवादास्पद विषय है इसलिये इसमें नहीं देंगे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस संबंध में और कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन आपने 162 का जो इंटरप्रिटेशन लिया है वह सही नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ लेना । वही मतलब है उसका ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह मतलब नहीं है इसका ।

श्री अध्यक्ष : वही मतलब है, पढ़ रखा है मैंने ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इस का मतलब इंटरप्रिटेशन जो और कई बार हुआ है वह बता देऊं आपको । मैं इसलिये कहता हूं वह मतलब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय, वह मतलब है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं अभी उसमें नहीं जा रहा, अध्यक्ष महोदय, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं....

श्री अध्यक्ष : यह सदन के समक्ष लाये बगैर अध्यक्ष को किसी भी वक्त कोई

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव आता है तो उसको विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने का अधिकार है और इसमें यह मानकर चला जाता है कि वह विषय इस तरह का नॉन-कंट्रोवर्शियल होना चाहिये कि उसमें सदन में कोई मत-भेद नहीं होगा। उस आशा के साथ ही अध्यक्ष कर सकता है। विवादास्पद विषयों को इस तरह अध्यक्ष नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : 162 के तहत अगर हाउस सैशन में नहीं है तो भी किया जा सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री जी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 160 में जो बहस चली और आपने जैसा फरमाया कि लीव ग्रान्ट कर दी गई और बहस चलती गयी उसके बाद जैसा आपने फरमाया उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि हम कभी भी यह नहीं चाहेंगे कि किसी व्यक्ति को बगैर सुने हुए उसको कोई दण्डित किया जाये या उसको दोषी पाया जाये और इसलिये।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फांसी दो बुलाकर।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : आपने दे दी थी क्या फांसी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कृपया बैठ जायें। आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है। विधि मंत्री जी।

श्री चन्दनमल बैद : फांसी भी दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : सब के सब × × × हैं, यह जनता देखेगी तुम × × × हो कि नहीं हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। असंसदीय कहा कि मंत्री जी ...।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : और इसलिये मैं जो निवेदन कर रहा हूं उसमें असंगति नहीं है। मैं निवेदन यह कर रहा था कि किसी भी व्यक्ति को दोषी करार देने से पहले सबको सुनना लाजिमी होता है। इसलिये यह सदन बगैर सुने हुए तो किसी को सजा नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष : यही मेरा कहना है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : दूसरा मेरा निवेदन यह है कि यह सदन सुप्रीम है इस बात को तय करने के लिये कि ब्रीच आफ प्रिविलेज मान लिया जाय, कि यह सही

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

है कि ऐसा उन्होने कहा तो प्राइमा फेसी ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज होता है या नहीं। तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि सदन को यह पूरा अधिकार है। दो ही ग्राल्टरनेटिव हमारे सामने हैं या तो सदन की प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द इस चीज को कर दें या सदन खुद इसका फैसला करे। मैं जैसा कि महसूस करता हूं कि पहले जो ग्रटल बिहारीजी वाजपेयी ने स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज है या नही, हम यह मान कर चलते हैं कि जो कुछ भी है वह है तो ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज है ग्रौर इस सदन को यह ग्रधिकार है कि यह इस बात का फैसला करे कि ग्रगर यह सच है तो फिर सदन के सामने यह सवाल ग्रायेगा कि उनको बुलाकर के उनको सुन करके क्या किया जाये उसके बारे में।

श्री ग्रध्यक्ष : या तो....तारीख निश्चित करनी पड़ेगी।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : ग्रध्यक्ष महोदय, इन्डिविजुग्रल को ग्रपारचूनिटी देने की बात उठी थी। मैंने पहले भी ग्रर्ज किया था। प्रोसिजर में क्लीयर कट सेफ्टी ग्राफ दी इन्डिविजुग्रल है। ग्रध्यक्ष महोदय, ग्राज ग्रगर यह सदन डिसाइड करे कि माननीय ग्रटलजी को नोटिस दिया जाय तो जिस हाउस के वह मैम्बर हैं लोक सभा के, नोटिस उस हाउस के स्पीकर को जायगा। ग्रौर वह हाउस निर्णय लेगा कि माननीय ग्रटलजी को यहां...

ग्रनेक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री ग्रध्यक्ष : उस बारे में मैंने ग्रर्ज कर दिया था कि यह कठिनाई है. यही तो मैं निवेदन कर रहा था। इस कठिनाई का ही मैं निवेदन कर रहा था।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : इसलिये ग्रब ग्राप प्रस्ताव दो।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, शांत रहें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसा मैंने निवेदन किया कि ग्रभी तक कोई प्रोसिजर कोडिफाइड नहीं है ग्रौर इसलिये क्या प्रोसिजर एडाप्ट किया जाय।

श्री ग्रध्यक्ष : इसलिये तो मैंने ग्रर्ज किया था कि कमेटी को सुपुर्द कर दो। सब मामला सदा के लिये तय हो जाएगा।

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा : तो मेरा निवेदन यह है कि इसमें कोई सम्मन किया जायगा तो श्री ग्रटल बिहारीजी वाजपेयीजी को सम्मन किया जायगा न किसी के ग्रू जाने की जरूरत है न किसी को इन्फार्मेशन देने की जरूरत है। He should be susnmoned before the bar of The House.

श्री खेतसिंह राठौड़ : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि श्री ग्रटल बिहारी जी वाजपेयी, ग्रध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी को इस सदन के सम्मुख बुलाया जाय ग्रौर उनकी यहां सुनवाई की जाय क्योंकि उन्होने ब्रीच ग्राफ प्रिविलेज इस हाउस

(श्री खेतसिंह राठौड़)

का किया है और उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि आगामी सत्र में उनको बुलाया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में चीफ व्हिप महोदय जरा सुन लें। इस सदन में कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत करने की इन नियमों में प्रक्रिया दी हुई है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव की इसमें जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लें आप, इसमें मुझे आप 161 या 162 या 160 किसी नियम में यह बता दें कि माननीय खेतसिंहजी को इस तरह का....

(व्यवधान)

अरे आप सुनो तो सही, मोदी जी, आपको बता दूंगा। 160, 161, 162 या 163 इन चारों नियमों में....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : 161 में क्लियर है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। ऐसे प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में भी मैंने निवेदन किया....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैंने जो कुछ निवेदन किया है वह सदन की भावना का ध्यान रखते हुए। माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए।

श्री अध्यक्ष : ज्यादा ठोस तरीके से रखा जा सके इसलिये आपने रखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे सुन लीजिये। मुझे पहले बता दीजिये कि प्रस्ताव है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव आया लेकिन प्रस्ताव के औचित्य पर...

(व्यवधान)

मैंने कहा नहीं कि इसमें प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह नहीं पूछना चाहता, अध्यक्ष महोदय, वह बोले वह प्रस्ताव है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : वह तो कोई भी माननीय सदस्य मेरे मना करते हुए भी दे सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको फैसला देना है कि प्रस्ताव है या नहीं।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत कर सकते इस तरह का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं कर सकते यही मुझे कहना है।

श्री अध्यक्ष : नियम 160 स्पष्ट है। किसी प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो आसन की अनुमति से किया जाता है। इसमें प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। आर्डर प्लीज। यदि इस मामले को यहीं छोड़ देते हैं तो अब इस सभा के सैक्रेटेरियट

(श्री अध्यक्ष)

के लिये लाजिमी होगा कि आगे उनका किस तरह से किस प्रक्रिया से उनका ट्रायल हो, वह हम इवाल्व करके आगे कार्यवाही करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं करबद्ध। माननीय अध्यक्ष ने अपना विनिश्चय नहीं दिया, यह तो बड़ी कृपा की लेकिन अध्यक्ष महोदय की इच्छा यह थी कि कमेटी को भेज दिया जाय, आप लोगों ने अध्यक्ष महोदय का अपमान कर दिया इसके लिये आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके अटल बिहारी ने जो हमारे सबका, सदन का अपमान किया, वह ?

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय के खिलाफ नो कान्फिडेंस, इससे ज्यादा क्लियर कट टर्म्स में नहीं आ सकता जो आपने लिया है। इससे ज्यादा कोई नहीं होता। घृणित कार्य किया है। धिक्कार है तुम लोगों को इस बात के लिये....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जनता पार्टी ने जिस तरह से किया था, सुनो भैरोंसिंह साहब।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : ××××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर। कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्यगण।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बलात्कार किया था, पकड़े गए थे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री नाथूसिंह। अभी प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहेंगे ?

श्री नाथूसिंह : क्यों नहीं करूंगा ? करूंगा। अब मेरा है।

श्री अध्यक्ष : अभी प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहेंगे या आगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : करेंगे, क्या बात है ? ये लोग एस. सी., एस. टी. की रिपोर्ट नहीं लेना चाहते, यह भी प्रकट हो रहा है।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 160 के अन्तर्गत....

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : ग्रान ए पाइंट ग्राफ ग्रार्डर....

श्री अध्यक्ष , ग्रार्डर प्लीज, मैंने इनको पाइंट ग्राफ ग्रार्डर की ग्रनुमति दे दी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं निवेदन कर रहा था कि 161 के तहत में जब ग्रापने लीव ग्रांट कर दी तो स्पीकर या तो कमेटी ग्राफ प्रिविलेजेज को रेफर करें या फिर वह यह डिसाइड करें कि हाउस के सामने लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैंने ग्रर्ज कर दिया कि ग्रब हाउस के सामने होगा ग्रौर उनको तलब करने के लिये जो कोई भी प्रक्रिया होगी वह सब कार्यवाही पूरी करेंगे।

(व्यवधान)

ग्रार्डर प्लीज। माननीय सदस्य। तिवाड़ीजी कृपया, ग्रार्डर प्लीज।

माननीय सदस्य भद्दा व्यवहार न करें सदन में। श्री नाथू सिंह।

श्री मोहनलाल मोदी ; रूल 161 में यह भी है कि जब ग्राप ऐसा ग्रादेश देंगे जो शिकायतकर्ता है वह प्रस्ताव मूव करेंगे कि यह सदन में ही लिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय। थोड़ी व्यवस्था करवाइए, जरा व्यवस्था बनवाइये।

श्री अध्यक्ष : ग्राप प्रारम्भ कीजिये। थोड़ी ग्राप कोशिश करेंगे तो सदन का ध्यान ग्राकर्षित हो जायगा। थोड़ी मैं कोशिश करूंगा, थोड़ी ग्राप भी कोशिश करें।

जस्टिस

श्री वी. ग्रार. कृष्णा ग्रय्यर द्वारा दिये गये भाषण ग्रंश पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 160 के ग्रन्तर्गत दिनांक 17 फरवरी, 1982 को बम्बई में पी. बी. गजेन्द्रगड़कर लेक्चर एन्डोमेंट सीरीज के ग्रन्तर्गत सामाजिक न्याय ग्रौर संसदीय प्रक्रिया पर जस्टिस श्री वी. ग्रार. कृष्णा ग्रय्यर द्वारा दिये गये भाषण के एक अंश के विषय में विशेषाधिकार का प्रश्न ग्रापकी ग्रनुमति से सदन में रखने की ग्रनुमति मांगता हूं।

(6.28 सायं)

(श्री ग्रहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रार्डर, ग्रार्डर।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप जारी रखिये, माननीय सदस्य। जाने वालों को कौन रोक सकता है। ग्राप तो बोलिये।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 17 फरवरी को टाइम्स ग्राफ इण्डिया, बम्बई में जो छपा है उसमें

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रापस में बातें नहीं करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ पर मन्त्री महोदय ग्रपना दफ्तर खोल कर बैठे हैं।

(व्यवधान)

चन्दनमल जी यहां × × × की तरह बैठे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जिस माननीय सदस्य ने चन्दनमल जी के लिए × × × शब्द काम में लिये हैं उनको सदन की कार्यवाही से निकाला जाय।

(व्यवधान)

नहीं, यह ग्रनपार्लियामेन्ट्री शब्द है। ग्रनपार्लियामेन्ट्री शब्द को बोलने की मैं ग्रनुमति नहीं दूंगा। ग्राप जारी रखें, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 17 फरवरी को टाइम्स ग्राफ इण्डिया में खबर छपी उसमें...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ग्रापस में बातें नहीं करें।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, 17 फरवरी, 1982 को बम्बई में पी. बी. गजेन्द्रगडकर लेक्चर एन्डोमेंट सीरीज के ग्रन्तर्गत सामाजिक न्याय ग्रौर संसदीय प्रक्रिया पर जस्टिस श्री वी. ग्रार. कृष्णा ग्रय्यर द्वारा दिये गये भाषण की ग्रोर मैं ग्रापका ध्यान दिलाना चाहूंगा। टाइम्स ग्राफ इण्डिया में जो छपा है 17 फरवरी को वह मैं कोट करना चाहूँगा। इसमें लिखा है "Mr. Justice Krishna Iyer"

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप क्या कर रहे हैं। ग्राप क्या प्रस्ताव ला रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : मैंने प्रस्ताव रख दिया है। मैं प्रस्ताव पर बोल रहा हूं। इसमें है "Mr. Justice Krishna Iyer was delivering the second lecture on Social Justice and the Parliamentary Process under the P. B. Gajendergadkar Lecture Endowment series.

उस भाषण के बारे में समाचार पत्र में जो छपा है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा उसमें उन्होंने कहा "The country's legislatures had failed in making good laws."

ग्रागे उसमें उन्होंने कहा है कि "Legislators were incompetent and untettered in law making and had, instead mastered the art of manoeuvring so well, Mr. Justice V. R. Krishna Iyer observed here yesterday."

× × × शब्द माननीय उपाध्यक्ष के ग्रादेशानुसार ग्रपलोपित किये गये।

(श्री नाथूसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने यह कह कर लेजिस्लेशन के बारे में कमेन्ट किया है। इसके साथ-साथ लेजिस्लेटर्स के बारे में भी कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा है कि they have failed to make good laws. जितने भी कानून बनाये जाते हैं आज वह सारे के सारे बुरे कानून हैं। उन्होंने लेजिस्लेचटर्स कहा है कि they are incompetent and untettered

वह इनकाम्पीटेन्ट है। आगे यह भी कहा है, उन्होंने यह शब्द यूज किये हैं।

"......and had, instead mastered the art of manoeuvring so well:"

इधर उधर की उन्होंने कहा, बेतुकी कला के मास्टर हैं और गोटियां बैठाने के सिवाय वह कुछ भी नहीं हैं। इसके आगे कहा, "In Parliament, zero hour has become horror hour. Instead of making progress forward, we are making headway terribly backward. He quoted Churchill."

यह उन्होंने जो कहा वह कोट किया है, पार्लियामेन्ट में जो जीरो आवर है वह हौरर है। इसके अलावा लेजिस्लेशन और लेजिस्लेटर्स के बारे में कमेन्ट किया है। आगे यह भी कहा है—

"The required changes were not taking place because legistators were not making laws because law makers were insensitive to the needs of the poor."

एक बात कही कि Insensitive to the needs of the poor है यानि we are insensitive to the needs of the poor.

उन्होंने यह कहा है। इससे उन्होंने डाइरेक्ट लैजिस्लेटर्स पर रिफलेक्शन किया है। डाइरेक्ट लैजिस्लैटर्स पर ही रिफलेक्शन नहीं किया बल्कि डाइरेक्ट माननीय सदस्यों के कन्डक्ट और उनकी ड्यूटीज के ऊपर कमेन्ट किया है। उन्होंने कमेन्ट किया, उपाध्यक्ष महोदय, उसके सम्बन्ध में मैंने कुछ पढ़ने का प्रयास किया है। मैं आपका ध्यान कौल एण्ड शकधर की प्रेक्टिस एण्ड पार्लियामेन्ट्री प्रोसीजर के पार्ट फर्स्ट के पेज 253 की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें लिखा है—

"It is breach of privilege and contempt of the House to make speeches or to print or publish any libels reflecting on the character and proceedings of the House."

उन्होंने कहा है कि लॉ बना रहे हैं वह सभी बेकार और खराब हैं इसका मतलब है, we are incompetent to make laws,

इसमें उन्होंने यह भी कहा है कि "......character or proceedings of the House or its Committees or on any member of the House for or relating to his character or conduct as a member of Parliament."

(श्री नाथूसिंह)

श्रौर श्रागे लिखा है –

"Speeches and writings reflecting on the House or its Committees or members are punished by the House as a contempt on the principle that such acts tend to obstruct the Houses in the performance their functions by diminishing the respect due to them."

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट लिखा है कि उनकी ड्यूटीज के श्रन्दर कोई श्रब्जेक्शन पैदा करें या किसी तरह से कोई उनकी रेस्पेक्ट को कम करता है या उनकी रेस्पेक्ट को समाप्त करता है तो प्रिविलेज का इश्यू बन जाता है।

(व्यवधान)

श्रापका, उपाध्यक्ष महोदय, इसके श्रलावा मैं एक बात की श्रोर ध्यान दिलाना चाहूंगा।

(व्यवधान)

बहुत है श्रभी।

मैं श्रापका, उपाध्यक्ष महोदय, मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस की श्रोर ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसमें स्पष्ट लिखा हुश्रा है, पेज 117 पर, उपाध्यक्ष महोदय, दिया गया है "Reflections upon members."

इसमें सवाल पैदा यह हो सकता है कि बाई नेम, न किया हो पर, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट प्रोविजन है :

"Reflections upon members as particular individuals not being named or otherwise indicated, are equivalent to reflections on the House."

उपाध्यक्ष महोदय, नाम लें या नहीं लें फिर भी हाउस पर रिफलेक्शन है। ऊपर इसमें कहा गया है, उपाध्यक्ष महोदय, 117 (1) में :

"In 1701 the House of Commons resolved that to print or publish any books or libels reflecting on the proceedings of the House is a high violation of the rights and privileges of the House."

"...and indignities offered to their House by words spoken or writings published reflecting on its character or proceedings have been constantly punished by both the Lords and the Commons upon the principle that such acts tend to obstruct the House in the performance of their functions by diminishing the respect due to them."

(श्री नाथूसिंह)

इसमें भी लिखा है उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं इसके ऊपर कई निर्णय भी हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इसी मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस के 17वें एडीशन में पेज 124 पर लिखा है :

"Analogous to molestation of members on account of their behaviour in Parliament are speeches and writings reflecting up on their conduct as members. On 26th February, 1701, the House of Commons resolved that to print or publish any book or libels reflecting upon any member of the House for or relating to his service therein, was a high violation of the rights and privileges of the House.

Written imputations as affecting a member of Parliament may amount to breach of Parliament without perhaps being libelous at common law, but to constitute a breach of privilege, a libel upon a member..."

श्री उपाध्यक्ष ; By reading it, you are demolishing your own case.

श्री नाथूसिंह : No, No आप देखिये, उपाध्यक्ष महोदय, आगे लिखा है इसमें :

"...concern the character or conduct of the member in that capacity."

We are sitting in that capacity in the House."

उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट लिखा है। इन्होंने भी यही कहा है कि यदि किसी मैम्बर या हाउस में जो मैम्बर का एक्शन है, उसकी ड्यूटी है, उसका कन्डक्ट है उसके बारे में यदि कोई रिमार्क्स पास करता है या कोई बात कही जाती है तो प्रिविलेज में इनक्लूड होता है, ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारे सिमिलर केसेज हैं इस तरह के उनके ऊपर मैं थोड़ा सा निवेदन कर देना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, यह तो प्रिविलेज की बात है, you need not quote anything.

श्री नाथूसिंह : अब आगे आ रहा हूं मैं। इस तरह कितने केसेज होते हैं जिनमें ब्रीच आफ प्रिविलेज माना है उनकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सिमिलर केसेज हैं। The Journal of the Society of Clerks-at-the-Table in Commonwealth-Parliaments, Volume XXIII, Page 136, की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा....

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्यमंत्री, उद्योग) : सामने देखिये।

श्री नाथूसिंह : सामने ही देख रहा हूं, मैं सामने देखता हूं तो भी आपको लगता है मैं ऊपर देख रहा हूं। आप नीचे देख रहे हैं।

सवाल इस बात का नहीं है, माननीय सदस्य जो बैठे हैं शायद कोई बेइज्जती करें, इनको ख्याल नहीं रहता लेकिन हम इनकी बेइज्जती करें उसका ख्याल हमें रखना पड़ता है। इसलिए मामला उठा रहा हूं। आपको मालूम नहीं है कि मामला कितना महत्वपूर्ण है....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप कोई बेरिस्टर हैं क्या बड़े।

श्री नाथूसिंह : इसको आप सुनेंगे तो आपका पता लग जायेगा कि मामला कितना महत्वपूर्ण है, और है या नहीं ब्रीच आफ प्रिवलेज है। इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं। आप सुनिये।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार असेम्बली में एक प्रश्न उठाया कुछ मैम्बर्स ने इसी तरह का। उन्होंने एक बात कही कि आर्यावृत्त में कोई कमेन्ट हुआ था पब्लिश....

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : समय सीमा तो बांधें।

श्री नाथूसिंह : इस पर कोई समय सीमा नहीं होती है for your kind information. आप रूल्स पढ़िये। पढ़कर नहीं आयें तो मैं क्या करूं। आप समझते तो हैं नहीं। यह बात भी मुझे समझानी पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह का सिमिलर समाचार एक अखबार में बिहार के आर्यावृत्त में पब्लिश हुआ और वहां के कुछ एम. एल. ए. ने बिहार असेम्बली में इस तरह का एक प्रश्न रेज किया। उन्होंने कहा, उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं:

"Some members of the Bihar Assembly raised a question of a breach of privilege of the House consequent upon the publication of a comment in the Aryavarta, a local Hindi daily newspaper of 8th March, 1954. The complaint was that the said publication cast grave reflections on the conduct and character of the members in the performance of their duties and also on the character of the proceedings of the House in general, and that it further attributed motive and malice to some of the members of the House."

उपाध्यक्ष महोदय, इसको ब्रीच आफ प्रिविलेज माना है। इतना ही नहीं,' उपाध्यक्ष महोदय, एक और केस की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह है 1964 का जनरल वही, उसका पेज 123 है। एक इस तरह का केस, उपाध्यक्ष महोदय, ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में भी आया। वह मैं कोट करके सुनाना चाहूंगा :

Page No 184

(श्री नाथूसिंह)

"Mr. Quintin Hogg, Lord President of the Council delivered a political speech at Chatham on Thursday, 19th March, 1964. On the following Monday, 23rd March Mr. wigg, Member for Dudley, complained of the following words in that speech:—

"No honest person since we came into power can accuse us of pursuing a reactionary or illiberal policy. Nevertheless, our elbows have been jarred in almost every part of the world by individual Labour members' partisanship of subversive activities. This is the party which is now seeking power."

उन्होंने उनकी स्पीच में इस पार्टी को कोट किया; और उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मेज पार्लियामेन्ट्री प्रेक्टिस, जिसकी कि मैंने अभी दो लाइनें सुनाई थीं, कोट की थीं उसी को बेस मानकर। किस को बेस मानकर?

"Reflections upon Members, the particular individuals not being named or otherwise indicated, are equivalent to reflections on the House."

यह मान करके, उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने इसको ब्रीच आफ प्रिविलेज माना है।....

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हैं ?

श्री नाथूसिंह : मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है। यही कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ब्रीच आफ प्रिविलेज है ?

श्री नाथूसिंह : हां।

श्री उपाध्यक्ष : मानते हैं आप ?

श्री नाथूसिंह : हां मानता हूं वही तो कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर सवाल क्या रह गया ?

श्री नाथूसिंह : हाउस में ब्रीच आफ प्रिवलेज का प्रश्न रखा है। उसके सम्बन्ध में हाउस को कन्विन्स कर रहा हूं। यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है तो मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते क्या हैं यह बताओ ना ? Principle is acceptable to all एक मेम्बर फंक्शन करता है, एज मैम्बर वोट डालता है उसके कन्डक्ट और करेक्टर पर अगर कोई रिफलेक्शन पड़ता है तो आप मानते हैं कि यह प्राइमाफेसी ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है। जब मानते हैं तो फिर There is nothing to say.

श्री प्रद्युम्न सिंह : आखिर चाहते क्या हैं ? कुछ कहें एक घन्टा हो गया इनको।

श्री नाथू सिंह: मैं यही तो कह रहा हूं कि ब्रीच आफ प्रिविलेज है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैंने इतनी पूअर एडवोकेसी देखी नहीं। कितनी पूअर वकालत कर रहे हैं आप, अपने केस की कितनी पूअर दलील द रहे है।

श्री उपाध्यक्ष : आजकल वकालत छोड़ रखी है। यही वजह है।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर साहब के हाथ में तो मुख्य मन्त्री ने झंडा पकड़ा दिया इसलिये डंडे के अलावा कानून की बात तो समझ नहीं आती।

श्री प्रद्युम्न सिंह : बड़ी कलम है मेरे पास।

श्री नाथूसिंह : इसलिए इनसे लॉ के बारे में बात करना मेरी इन्सल्ट है। मैं पढ़ रहा हूं कि क्यों ब्रीच आफ प्रिविलेज है।

(व्यवधान)

यही तो मैं निवेदन कर रहा हूं प्रिविलेज क्यों है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो सिमिलर केसेज बताये, रीजन्स भी बताऊंगा, क्यों ऐसा किया जाय। एक तो हाउस आफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसा हुआ है, एक बिहार में ऐसा ही केस हुआ है, उसको ब्रीच आफ प्रिविलेज माना है....

श्री उपाध्यक्ष : एम. पी. असेम्बली में हुआ है जो बाम्बे के टाइम्स आफ इंडिया का था, वह मैं पढ़ रहा था....।

श्री नाथूसिंह : वही निवेदन कर रहा हू, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो लॉ के जानने वाले हैं।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : बहस का मुद्दा उठाया है तो क्या चार्ज....।

(व्यवधान)

श्री नाथू सिंह : यह बात उपाध्यक्ष महोदय समझ रहे हैं। आप नहीं समझ रहे है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : समझेगा तो कोई नहीं आपको। आपको आपके घर वाले ही समझेंगे, यहां तो कोई है नहीं समझने वाला। बाकी कोई समझने वाला आपको है नहीं।

श्रीमती कमला (कृषि मन्त्री) : आप विशेषाधिकार समिति के लिये बोलना चाहते हैं तो उनको....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : जल्दी है क्या ? मैं बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव रखने की

आपसे दरख्वास्त की गई थी कि प्रस्ताव रख दीजिये।

श्री नाथूसिंह : सीधा विदाउट रीजन्स मैं कैसे कह दूं कि ऐसा कर दिया जाय। रीजन्स तो देने का अधिकार है न? कनविन्स तो करूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह ब्रीच आफ प्रिविलेज क्यों है?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, ऐसा एक केस और है। उपाध्यक्ष महोदय, बी. जी. रामचन्द्रन की जनरल बुक है उसके पेज 145 की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, एक पेन्डिग बिल के ऊपर एक आर्टिकल छपवा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, पब्लिकेशन आफ आर्टिकल आन ए पेन्डिग बिल. इस तरह का एक आर्टिकल छपा और उसमें लिखा है....

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : आज के बिजनेस का भी ख्याल है?

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मुख्य सचेतक) : सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय और वक्तव्य शुरू करवा दिया जाय जल्दी से जल्दी।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति से सदन की कार्यवाही का समय एक घंटा और बढ़ाया जाता है।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रिविलेज मोशन मैंने रखा है।

श्री रामसिंह बिश्नोई ; उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं इसके लिये एक घण्टा बढ़ाया गया या और कोई कार्यवाही के लिये।

व्यवस्था का प्रश्न

विशेषाधिकार हनन प्रश्न की ग्राह्यता की शर्त

श्री बृजसुन्दर शर्मा (विधि मंत्री) : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान रूल 159 की तरफ दिलाना चाहूंगा—

"The right to raise a question of privilege sha'l be governed by the following conditions, namely:—

(I) not more than one question shall be raised at the same sitting."

आज की सिटिंग में एक ही मोशन मूव हो सकता है, दो सवाल नहीं हो सकते हैं।

श्री नाथूसिंह ; कल कर लेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : कार्य सूची में जब आ गया है आलरेडी तो फिर आप बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव को कार्य सूची तो मेरे हाथ में है।

(व्यवधान)

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

I have got it. वह तो यह है विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष जी ने अनुमति दे दी है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (राज्य मंत्री, राजस्थान नहर परियोजना) : उपाध्यक्ष महोदय, अनुमति अगर किसी कारण वश दे भी दी गई हो—it can always be withdrawn. I would like to quote from Kaul and Shakdhar गाइड लाइन यह होगी, उपाध्यक्ष महोदय—

"Not more than one question shall be raised at the same sitting."

श्री प्रद्युम्न सिंह : कितना साफ लिखा है।

श्री रामसिंह विश्नोई : और कितना साफ बोला है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कार्य सूची में आपने इजाजत दे दी है। इस वक्त ...

(व्यवधान)

श्री वी. आर. कृष्णा अय्यर द्वारा दिये गये भाषण अंश पर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

श्री नाथूसिंह : मुझे तो बहुत बोलना है, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, बहुत मैटर है।

उपाध्यक्ष महोदय, उसमें लिखा है—

"The offence committed lay in the premature disclosure of the proceedings of the joint committee on the Merchant Shipping Bill, 1958."

"In para 13 of the report, the Committee states:—

"The passages contain statements which, in the opinion of the Committee are defamatory of members of the House in their capacity as members and cast reflections on the character and proceedings of the House and the joint committee."

उपाध्यक्ष महोदय, इसके आगे है—

"a fascinating inside story of how the battle was fought out before the select committee, has recently come to light."

तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें उन्होंने कन्टेम्प्ट आफ दी हाउस माना है। उपाध्यक्ष महोदय, बी. जी. रामचन्द्रन की बुक में है—

Page No 188

(श्री नाथूसिंह)

"In the light of the above citations, there was no doubt that the Editor of the Hindustan Standard was guilty of contempt of Parliament."

श्री नारायण सिंह (दांता रामगढ़) ; ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, ये इसकी चर्चा करें उससे पहले माननीय विधि मंत्री जी ने ग्रौर माननीय राज्य मन्त्री जी ने जो बातें कही उसका ग्राप निर्णय दीजिए कि दो प्रिविलेज मोशन एक सीटिंग में हो सकते हैं क्या ? 159 में एक सवाल कर सकते हैं...

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह ; पढ़ूंगा। यह मेरा राइट है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : नियमों में यह है कि संक्षिप्त वक्तव्य हो ! यह तो लम्बा वक्तव्य दे रहे हैं। नियमों में है, उसके ग्रनुसार ग्राप संक्षिप्त वक्तव्य देंगे। ग्राप मूव करने वाले हैं, ग्रापको एक घंटा दे दिया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) ; ग्रापको क्या ग्रापत्ति है ?

श्री मोहनलाल मोदी ; ग्रापत्ति तो यह है कि ग्रौर भी बिजनेस है।

श्री नाथूसिंह ; उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापका ध्यान.......

(व्यवधान)

श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया (रतनगढ़) ; पढ़ा हुग्रा मान लिया जाय।

श्री नाथूसिंह ; वन मंत्री तो मैं नहीं हूं कि लिखा-लिखाया स्टेटमेन्ट पढ़ दूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पेज 156 की तरफ ग्रापका ध्यान दिलाना चाहता हूं। Mr. D.puty Speaker, Sir, I am seriously requesting you to listen to me.

श्री उपाध्यक्ष ; इतने लम्बे चौड़े भाषण की ग्रावश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

ग्रनुमति मांगने का एक ही सेन्टेन्स होता है कि ग्रनुमति चाहता हूं। दी जाय या नहीं ?

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापने ग्रनुमति दे दी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रक्रिया का ध्यान रखें ग्राप।

प्रक्रिया के नियम 160 के ग्रन्तर्गत श्री नाथूसिंह, सदस्य, विधान सभा दिनांक 17 फरवरी, 1982 को बम्बई में पी. बी. गजेन्द्रगड़कर लेक्चर एन्डोमेन्ट सीरीज के ग्रन्तर्गत सामाजिक न्याय ग्रौर संसदीय प्रक्रिया पर जस्टिस श्री बी. ग्रार. कृष्णा ग्रय्यर द्वारा दिये गये भाषण के एक ग्रंश के विषय में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की ग्रनुमति मांगेंगे।

Page No 189

(श्री उपाध्यक्ष)

ठीक है अनुमति दी जाय या नहीं दी जाय।

श्री नाथूसिंह : आपने अनुमति दे दी।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर इतने लम्बे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं है। आपका जो प्रस्ताव है वह मैंने पढ़ लिया है। उसकी अनुमति नहीं देता हूं।

(व्यवधान)

आपको अनुमति नहीं दी जा रही है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

भरतपुर जिले में ज्वार व बाजरे की में फसल फड़का नामक कीड़ा लगने से फसलों को नुकसान

अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री हरिसिंह (कुम्हेर), श्री यदुनाथसिंह व श्री राज-बहादुर, सदस्य, विधान सभा भरतपुर जिले में ज्वार व बाजरे की फसल में फड़का "ग्रास होपर" नामक कीड़ा लगने से फसलों को नुकसान के सम्बन्ध में कृषि मन्त्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत राज्य सरकार के कृषि मंत्री जी का ध्यान भरतपुर जिले में विशेषकर मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत किसानों की फसल....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट ऑफ आर्डर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री चन्द्रवीर सिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पाइन्ट आफ आर्डर कह रहे हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आपकी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। मैंने दूसरा पाइन्ट ले लिया है....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : जो बोल रहे हैं उसी पर पाइन्ट आफ आर्डर है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं किसी पाइन्ट आफ आर्डर की इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

पहले इनको सुन लें, फिर पाइन्ट आफ आर्डर कहें।

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपको नियमों की जानकारी है, आप खुद वकील हैं और....

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी है तो ही इजाजत नहीं दे रहा हूँ। आप विराज जाइये।

श्री नाथूसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस प्रकार के निर्णय की आपसे कतई उम्मीद नहीं थी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया समय का ध्यान रखिये। मजाक न बनायें। सीरीयस रहिये। मैंने दूसरा पाइन्ट ले लिया है। माननीय श्री हरिसिंह (कुम्हेर) बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिये।

श्री नाथूसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर सीरियसली है।

श्री उपाध्यक्ष : आप उन्हें शुरू नहीं होने देंगे, क्या इसी पर पाइन्ट आफ आर्डर है।

श्री नाथूसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब कार्य सूची में एक चीज आ जाती है तो कार्य सूची में आने के बाद उसे हाउस के अन्दर बदल नहीं सकते।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो बात खतम हो चुकी है अब उस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत राज्य सरकार के कृषि मंत्री महोदय का ध्यान भरतपुर जिले और विशेषकर मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों की फसल में लगे कीड़े से जो फसल की क्षति हुई....

श्री नाथूसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ...

(व्यवधान)

मैं बोलना नहीं चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो खड़े क्यों हुए हैं ?

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप अनुमति नहीं दे रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, माननीय सदस्य, विराज जाइये।

श्री नाथूसिंह : दो प्रिविलेज मोशन हैं, इसलिये अनुमति नहीं दे रहे हैं, बाद में तो देंगे...

श्री उपाध्यक्ष : इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : बाद में तो देंगे न ?

श्री उपाध्यक्ष : बाद में देखा जायेगा।

श्री हरिसिंह ; मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर रहा था कि भरतपुर जिले के किसानों की फसल में जो बीमारी लगी हुई है, जो कीड़ा लगा हुआ है उससे अपार क्षति हुई है। खास तौर से ज्वार और बाजरे की फसल में, श्रीमन्, एक भयंकर बीमारी लगी हुई है, एक कीड़ा, जिसे ग्रामीण

(श्री हरिसिंह)

भाषा में "फड़का" कहते हैं और जिसे कृषि विभाग वाले "ग्रास होपर" के नाम से पुकारते हैं, ने ज्वार और बाजरे की फसल को बुरी तरह बरबाद कर दिया है। यह कीड़ा इस प्रकार का है कि जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है, उसकी तमाम पत्तियों को खा जाता है और जो बचती हैं उनको काट कर जमीन पर गिरा देता है। जो अधिक वर्षा हुई थी उसमें यह कीड़ा किसानों की फसल में लगा। इसके लगने से फसल में कुछ भी पैदा होने वाला नहीं है। किसानों का चारा भी खतम हो गया है। किसानों ने इस बात की कोशिश की, उसको बचायें, लेकिन मुझे दुःख के साथ यह निवेदन करना पड़ रहा है कि किसानों को जो दवाई मिलती है वह प्रापर मात्रा में मिली नहीं जिससे यह कीड़ा मरता है-10 पर्सेन्ट बी. एस. एफ. की दवा से यह मरता है। उसकी कीमत बहुत तेज थी। ऐसे समय में, प्रशासन के लिये यह आवश्यक हो गया था, जिलाधीश जी का यह कर्त्तव्य था कि इतने विशाल पैमाने पर, इतने भयंकर रूप में, और इतने विस्तार के साथ पूरे भरतपुर, जिले में जब यह कीड़ा लगा तो इसको उन्हें एपीडेमिक डिक्लेयर कर देना चाहिए था। अगर एपीडेमिक डिक्लेयर कर देते तो किसानों के लिए इस कीड़े को मारने की दवाई, श्रीमन्, आधी कीमत पर मिल जाती। उन्हें सब्सिडी इस दवाई के लिए मिल सकती थी। दिक्कत क्या होती है कि अगर एक किसान दवाई खरीद कर लाता है और खेत में छिड़क देता है तो कीड़ा दूसरे खेत में चला जाता है और अगर दूसरा किसान उस कीड़े को नहीं मारता है तो फिर उसी खेत में कीड़ा आ जाता है। तो सभी किसान एक साथ दवाई खरीद कर इस कीड़े को मार सकते हैं। उसके लिए जरूरी था कि वह दवाई काश्तकारों को आधी कीमत पर मिलती। दूसरे, सरकार को इन्तजाम करना था इस दवाई को छिड़कने की मशीनों का। इसलिए दवाई आधी कीमत पर उपलब्ध होनी चाहिए थी। और जितनी संख्या में आवश्यकता थी उतनी संख्या में न तो मशीनें मिलीं और न दवाइयां मिलीं। और कीमत इतनी थी कि किसान उसको नहीं खरीद सके।

मैं अधिक समय नहीं लेकर मन्त्री महोदय से दो बात निवेदन करना चाहूंगा। अब भी समय नहीं गया है, इस बीमारी से भरतपुर जिले में एपीडेमिक डिक्लेयर किया जाय और जो दवाइयां हैं वह उचित मात्रा में उपलब्ध हों, उसके लिए सब्सिडी दी जाय। अब तो समय इतना ही रह गया है कि दवाइयां फ्री मिलें, अगर फ्री भी नहीं तो कम से कम 50 प्रतिशत कीमत पर दवाइयां मिलें। मशीनें भी फ्री मिलें उसके लिए, तब जाकर बीमारी पर कुछ काबू पाया जा सकेगा। जो नुकसान, श्रीमन्, हो गया है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार किसानों के लिए जैसे मुताबिक समझे, उस तरह रिलीफ दे। कम से कम इतना रिलीफ तो दे दे कि आने वाली जो फसल है उस फसल को किसान बो सकें। उसके लिए फर्टिलाइजर

श्री हरिसिंह :

और सब्सिडी जो राज्य सरकार देती है वह भरतपुर जिले में देने के लिए अभी घोषणा करे। होता क्या है कि यहां से आदेश जाता है वह कई महीनों बाद पहुंचता है, तब तक फसल बो दी जाती है और किसान को जो उससे लाभ मिलना चाहिए वह उसे नहीं मिल पाता है।

श्रीमान, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं, आप तकलीफ न उठायें। मेरा निवेदन है, जिलाधीश जी या एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट या पंचायत समिति या बी.डी.ओ के माध्यम से अभी सब्सिडी के आदेश वहां पहुंच जाने चाहिए जिससे फर्टिलाइजर सब्सिडाइज्ड रेट पर किसानों को मिल सके। यह मेरे दो निवेदन है राज्य सरकार से।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : मन्त्री महोदय जब वक्तव्य दे देंगे उसके बाद मुझे कुछ प्रश्न करने होंगे तो वह मैं कर लूंगा।

(7.14 रात्रि)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन,)

श्रीमती कमला (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, भरतपुर जिले में वर्ष 1982-83 में बाजरा व ज्वार में फड़के का प्रकोप अगस्त के द्वितीय पखवाड़े से शुरू हुआ। उप जिलाधीश, डीग व तहसीलदार, कामां ने उप जिला कृषि अधिकारी, डीग को टिड्डी दल की सूचना दी तथा नियंत्रण कार्य के लिए लिखा। जिस पर उप जिला कृषि अधिकारी ने मौके पर विषय विशेषज्ञ पौध संरक्षण से जांच करवाकर उप जिलाधीश को उनके पत्र के उत्तर में सूचित किया कि क्षेत्र में टिड्डी दल का प्रकोप नहीं है बल्कि फड़के का प्रकोप है, इसकी जानकारी क्षेत्र के सभी कृषि कार्यकर्ताओं को तुरन्त दो जाकर नियंत्रण कार्य शुरू किये जाने चाहिये। इन कार्यों के आवश्यक निर्देश कलक्टर के कृषि कार्यकर्ताओं की मीटिंग आयोजित करके तुरन्त जारी किये गये। इसके साथ ही सहकारी समिति कुम्हेर व कामां को भी इकाइयों के प्रबन्ध हेतु लिखा गया और उनसे यह जानकारी प्राप्त की गयी कि उनके पास पर्याप्त केमिकल्स आदि हैं या नहीं। जानकारी के मुताबिक यह पता लगा कि जो भी वहां पर क्रय विक्रय सहकारी समितियां हैं, उनके पास में आवश्यकतानुसार कीटनाशक रसायन स्टाक में पर्याप्त उपलब्ध हैं। दिनांक 26-8-82 को भरतपुर में आयोजित कृषि व पौध संरक्षण के माह सितम्बर में किये जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त मौजूदा समस्याओं जैसे बाजरे की रूट बग, सफेद लट इत्यादि के साथ साथ फड़के के प्रकोप की भी जानकारी दी गयी एव तुरन्त उसके ऊपर नियंत्रण पाने हेतु तमाम विषय विशेषज्ञों एवं अन्य कार्यकर्ताओं को निर्देश दिये गये और फड़के का प्रकोप किस क्षेत्र में कितना है, इसकी अविलम्ब जानकारी की गयी। दिनांक 31-8-1982 तक जो सूचना आयी उसके मुताबिक कुल 5684 हैक्टेयर के अन्दर यह प्रभाव पाया गया, लेकिन अब जो अन्तिम सूचना आयी है उसके मुताबिक यह क्षेत्र 8455 हैक्टेयर पाया गया है। भरतपुर जिले के सम्बन्धित उप जिला कृषि अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में जाकर सम्बन्धित सोसायटियों व एजेन्सियों पर दवाई की व्यवस्था करने तथा आपरेशल काम के लिए मशीनों आदि का प्रबन्ध करवाये जाने की व्यवस्था करायी। विभिन्न समितियों में

(श्रीमती कमला)

दवाइयों व मशीनों को व्यवस्था निम्न प्रकार से की गयी :

यह 9 पंचायत समितियां हैं जो इस क्षेत्र में प्रभावित थीं, जिनमें जो बी.एच.सी 10 प्रतिशत है वह 72.434 मैट्रिक टन बांट गया, जो मैलाथियन 5 प्रतिशत है वह 14,205 मैट्रिक टन बांटा गया, जो पैराथियान दो प्रतिशत है वह 32.225 मैट्रिक टन बांटा गया और जो मैलाथियान ई.सी.है वह 300 लिटर बांटा गया। इसके अलावा जो आपरेशनल काम के लिए मशीनें दो गयीं वह 119 मशीनें काश्तकारों को दी गयीं, इसके अतिरिक्त केन्द्र प्रवर्तित योजना, दलहन विकास योजना एवं एस.एफ.डी.ए. के अन्तर्गत वितरित पौध संरक्षण यन्त्रों का काश्तकारों को उपयोग करने हेतु व्यवस्था भी की गयी। इसके अलावा विभिन्न पंचायत समितियों के क्षेत्र में ग्राम विस्तार कार्यकर्ताओं एवं पौध संरक्षण कार्यकर्ताओं ने उपलब्ध दवाइयों व मशीनों की सहायता से नियंत्रण कार्य करवाये। इस बीमारी पर प्रभावी तौर से काबू पाने के लिए तमाम क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं की एवं अधिकारियों को टीमें बनायी गयीं और उन टीमों को यह पाबन्द किया गया कि वह अपने अपने क्षेत्र में जाकर इसको रोकने का तुरन्त प्रभावी कार्य करें। समितियों से उनको केमिकल्स और औजार दिलवायें। तथा जिस प्रकार से संभव हो सके, उन पर काबू पाने की कोशिश की जाय। फड़के से ग्रसित क्षेत्र एवं विभाग के कार्यकर्ताओं एवं काश्तकारों द्वारा किये गये जो फड़के नियंत्रण की प्रगति की गयी वह निम्न प्रकार है :

जो 9 समितियां मैंने आपको बतायीं, उनमें जो 5684 हैक्टेयर पहले थीं, उसमें उस वक्त तक 1899 हैक्टेयर के अन्दर अपना कार्य किया। अब जो लेटेस्ट सूचना है उसके मुताबिक 8455 हैक्टेयर क्षेत्र था उसमें से 4909 हैक्टेयर पर उन्होंने अपना कन्ट्रोल का काम किया हुआ है और जो सब्सिडी इस पेटे में दी जाती है, माननीय सभापति महोदया, वह आम तौर पर कुछ सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स हैं उन पर दी जाती है और 15 रुपये प्रति हैक्टेयर आपरेशनल चार्जेज की सब्सिडी दी जाती है।

इसी प्रकार से कुछ लट पर दी जाती है। कातरा सफेद लट पर 50 पर्सेन्ट सब्सिडी दी जाती है केमिकल्स की और उसी तरह से 15 रुपये और आपरेशनल चार्जेज की भी सब्सिडी दी जाती है। उसके अनुसार भरतपुर जिले में सब्सिडी दी गयी। पहले जो 31 तारीख तक सूचना आई उसके मुताबिक भरतपुर जिले में लगभग 30 हजार के करीब सब्सिडी अब तक दी जा चुकी है और जो नये एरियाज उन्होंने देखे हैं उनके अन्दर और जो काश्तकार के अन्दर ड्यू होगी वह उनको दी जा रही है। इसलिए आपने कहा कि कोई सब्सिडी नहीं दी गयी है, कोई उसकी व्यवस्था नहीं की गयी है और पहले से एपीडेमिक डिक्लेयर कर देते तो शायद उनको बहुत कुछ लाभ मिल जाता। एपीडेमिक डिक्लेयर करने का जो कानून है, उसमें वैसे हमने सरकार की शक्तियां हैं वह कलेक्टर को दी हुई हैं। जब कलेक्टर्स ये देखें कि बहुत बड़े पैमाने पर प्रकोप हो रहा है या महामारी के रूप में बीमारियां फैल रही हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इससे काश्तकारों की फसलें नष्ट हो सकती हैं तो उस दिशा में हमने उनको

(श्रीमती कमला)

अधिकृत किया हुआ है कि वह महामारी डिक्लेयर कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदया, मैं आपको फिगर से बताना चाहती हूं कि कुल जो बोया गया क्षेत्र भरतपुर में था वह 160140 हैक्टेयर था उसके पेटे में जो क्षेत्र प्रभावित हुआ है वह 8455 है, तो उसको हमने इस हिसाब से नहीं माना है कि वह महामारी के रूप में है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में काफी व्यापक था लेकिन बोये गये क्षेत्र का प्रतिशत देखने के हिसाब से वह इतना व्यापक नहीं था कि उसको हम महामारी का रूप देते। इसलिए महामारी डिक्लेयर नहीं की गयी। हालांकि माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि अगर महामारी डिक्लेयर कर देते तो उस एरिया के सभी काश्तकारों को 50 प्रतिशत सब्सिडी मिल सकती थी जो कि ज्वार या बाजरे पर उपलब्ध नहीं है, कुछ विशेष प्रोग्राम्स पर ही उपलब्ध हैं। और ज्यादातर जो भी उसका कन्ट्रोल का काम किया गया है, वह काश्तकारों के खुद के खर्चे से किया गया है, बशर्ते कि वह अगर योजनाओं में आते थे उनको जरूर सब्सिडी का लाभ मिला है बाकी किसी काश्तकार को इसका लाभ नहीं मिल पाया।

श्री सभापति : माननीय श्री राजबहादुर।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया गया था।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : एक घण्टा और बढ़ा दिया था।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : मुझे एक दो सवाल पूछने हैं।

श्री सभापति : पूछिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : एक तो मेरा निवेदन यह था कि आप तो किसानों को शुभ चिंतक कृषि मंत्री हैं। अभी भी कुछ समय निकल नहीं गया है, जिलाधीश को इंस्ट्रक्शन देकर आप एपीडेमिक डिक्लेयर करा देंगे तो ये जो फिगर्स आपके पास आये हैं वह बहुत कम हैं। बड़े भयंकर पैमाने पर यह बीमारी फैली हुई है। आठ हजार हैक्टेयर का तो तीन चार गांवों के अन्दर ही यह एरिया हो जाएगा। ये तो तहसील की तहसीलें इस बीमारी से पीड़ती हैं। आप दुवारा सर्वे करवा लें और जिलाधीश को इस बात का आदेश प्रसारित कर दें कि इसको एपीडेमिक डिक्लेयर कर दें जिससे कि जो भी किसान हैं जिन्होंने ज्वार और बाजरा की फसलें बोई हैं उनको सब्सिडी मिल सके। दूसरा मैंने निवेदन किया था कि फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देने के लिये जल्दी डिक्लेयर करने के सम्बन्ध में उसके सम्बन्ध आपने कुछ नहीं फमाया।

श्री सभापति : माननीय श्री राजबहादुरजी।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : सभापति महोदय, मैं दो तीन प्रश्न करना चाहता हूं। अगर मैं ठीक समझा हूं मंत्रीजी को, उन्होंने कहा 8455 हैक्टेयर्स में 1 लाख 60 हजार 147 में से 8455 में है यानि 8 पर्सेन्ट में है, कुल तीस हजार रुपया आपने राहत में दिया बताया है सब्सिडी में। मैं जानना चाहता हूं कितना नुकसान हुआ है फसलों का, इसको कूता गया या कोई एस्टीमेट लगाया गया है क्या ? कितनी वेल्यू की क्राप मारी गई, एक बात।

(श्री राजबहादुर)

दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम है। खास तौर से फर्टाइल एरिया में जहां ज्यादा पैदावार होती है, अच्छी पैदावार होती है उसमें क्या भरतपुर जिले के लिए भी कभी सोचा है कि वहां क्राप इंश्योरेंस की पालिसी को अख्तियार करें गी ?

तीसरी बात यह है, मेरी समझ में नहीं आता जब यह सारी तहसीलों में बीमारी फड़के की भड़क चुकी और आप कहती हैं कि कुल 8 पर्सेन्ट एरिया क्राप अफेक्टेड एरिया है । It seems to be rather wrong. क्या आप दुबारा सर्वे नहीं करायेंगी ? दुबारा सर्वे, तीस हजार रुपया सारा कम्पेन्सेशन, subsidy is nothing, और तीसरा क्रॉप इंश्योरेंस, ये तीन प्रश्न हैं मेरे।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदया।

श्रीमती कमला : सभापति महोदया, जैसा मैंने निवेदन किया कि बाजरा ज्वार या दूसरी....

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : हम दोनों ही कह रहे हैं कि दुबारा सर्वे कराया जाय ।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने जो यह जानकारी चाही कि जितना नुकसान हुआ इसके पेटे कितना आपने कम्पेन्सेट किया या सब्सिडी दी, तो मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया है कि कुछ फसलों पर और कुछ पेस्ट पर उसी तरह से सब्सिडी मिली हुई है। जनरल तमाम सब फसलों के ऊपर इस प्रकार की सब्सिडी का प्रावधान नहीं है । चूंकि प्रावधान नहीं है इसलिए हम उनको अन्य प्रकार से सब्सिडी देने की व्यवस्था नहीं कर सकते । अगर वह दलहन, तिलहन की फसलें हैं तो उन पर फिफ्टी पर्सेंट देते हैं अगर वह कातरा, स ेद लट है तो उस पर फिफ्टी पर्सेंट देते हैं । इसके अलावा दूसरी किसी चीज पर सब्सिडी देने का प्रावधान नहीं है । अगर ज्वार बाजरा के ऊपर सब्सिडी देने का प्रावधान होता तो जो मैं आपको बता रही हूं उससे कहीं ज्यादा अधिक अमाउण्ट की हम सब्सिडी दे पाते । लेकिन इस प्रकार....

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : कुल तीस हजार रुपया दिया गया है । क्या सब्सिडी है ? तीस हजार रुपये क्या दिखाते हैं ?

श्रीमती कमला : यह मैं बता रही हूं कि जैसे नदबई में नुकसान हुआ, फड़का लगा, एक काश्तकार ने अपने खेत में अगर पांच बीघा में तिलहन बोया हुआ था और वह नष्ट हुआ तो उसके पेटे हमने फिफ्टी पर्सेंट सब्सिडी दे दी । अगर उसके कहीं लट लग गई तो उसका दे दिया, कातरा लग गया तो उसका दे दिया लेकिन बाकी चीजों का क्योंकि प्रावधान नहीं है इसलिए नहीं मिला । जितने इस प्रावधान में आते हैं उतने लोगों को दिया है, इसलिए उतना ही मिला है ।

श्री राजबहादुर : नमूने में दी गई है सब्सिडी । नमूने में राहत दी गई है ।

श्रीमती कमला : मैं बता दूं आपको पंचायत समिति वाइज ।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : यह तो पता लगे कि आपने जो कुछ भी दिया है वह काश्तकारों के पास पहुंचा भी है या नहीं पहुंचा है इसकी थोड़ी सी जांच करवा लेना। वास्तव में आप जिस चीज की घोषणा करते हैं वह काश्तकारों के पास में पहुंचती नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : ऐसा है, देखिये, काश्तकारों के पास पैसा पहुंचने की जरूरत नहीं होती। जिन क्रय विक्रय सहकारी समितियों के पास या एजेंसीज के पास यह केमिकल्स होते हैं उनको रेट में सब्सिडाइज कर दिया जाता है और उतनी कम कीमत पर उनको दे दिया जाता है। उसको डिपार्टमेंट रिएम्बर्स कर देता है। इसलिए उनके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा इसका सवाल ही नहीं है जो दवा ले गए उनको जरूर पहुंच गया।

श्री महाराम चौधरी : नहीं पहुंचने का सवाल यों ही मंत्री महोदया कि ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षेप में प्रश्न कर लें।

श्री महाराम चौधरी : मेरे जैसे दूसरे लोग हैं जिनकी फसलें नहीं होती हैं वह भी अपनी अप्लीकेशन मार्केटिंग सोसायटीज के ....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया नाम पुकारे जाने पर ही बोलने का कष्ट करें।

श्री राजबहादुर : क्रापानश्योरेंस के बारे में कुछ नहीं कहा, सोच रही है, कोई योजना है ?

श्रीमती कमला : क्रापाइंश्योरेंस की योजना। हमने दो साल पहले प्रारम्भ करने की घोषणा भी की, कुछ तहसीलों को हाथ में भी लिया लेकिन जो नेशनल नश्योरेंस की पालिसी थी उसको जब हमने वर्क आउट करके लागू करने की कोशीश की तो उनकी पालिसी से यह देखने में आया कि नससे आम काश्तकार को कोई लाभ नहीं होता। उन्होंने नस तरह की व्यवस्था उसमें बनाई है कि नस नस केटेगरी के लोक सदस्य बनेगें सोसायटी के, जो नस काश्त और केटेगरी में आयेगें उनको दो हजार रुपये तक का मुवावजा मिलेगा और वह भी पूरे बैच में खराबा होगा तो मिलेगा, नविण्डीजुअलको नहीं मिलेगा। तो हमने उस स्कीम को छोड कर देश के अन्य भागों में कौनसी अन्य बैटर स्कीम नसमें लागू का की जा सकती है सह हमने मंगाई है नसलिये हम नहको रिवानज करने जा रहे हैं क्योंकि नसको लागू करने से काश्तकारों को कोई फायदा नहीं हो पा रहा है।

श्री राजबहादुर: लेकिन जल्दी करिये।

श्री सभापति : एक प्रश्न, मगर संक्षेप में।

(7.25 रात्रि)

(श्री अहमदबक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आपका स्टेटमेंट हो गया ?

श्रीमती कमला : सवाल पूछ रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, दलहन और तिलहन में जिन-जिन बीमारियों के लिए आपका आर्थिक सहायता का प्रावधान है

(श्री महाराम चौधरी)

उसमें अक्सर ऐसा होता है कि काश्तकार हैं वह तो वहां पर दवाई लेने को पहुंच नहीं सकते, लेकिन मेरे जैसे बहुत से ऐसे आदमी होते हैं जो अपनी एप्लीकेशन मार्केटिंग सोसायटी वगैरह में दे करके दवाई ले लेते हैं और फिर दूसरी दुकानों के मार्फत बेचते हैं । इसलिए इस सम्बन्ध में आप थोड़ी सी जानकारी कीजिए । वास्तव में वाइड रूप में यह आपके करीब-करीब सभी जिलों में होता है, क्योंकि आपकी जो घोषणायें हैं उन घोषणाओं का काश्तकारों को पूरी तरह से मालूम नहीं होता है । इसलिये आपके पास में जो आंकड़े आते हैं वह काश्तकारों के पास पहुंचने के नहीं आते हैं, दुकानदारों के पास पहुंचने के आते हैं ।

(व्यवधान)

श्री हरीसिंह (कुम्हेर) एक सवाल पूछ रहा था, इसको एपीडेमिक डिक्लेयर करने में क्या बाधा आ रही है ?

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है ।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहती हूं कि राजस्थान भर में हमने 16,73,646) रुपये की सब्सिडी काश्तकारों को इसके पेटे दी है । आपके नागौर जिले में 42,720 तो दिये हैं केमिकल्स के लिए, 36 हजार दिये हैं आपरेशनल चार्जेज के लिए । 67,500 रुपये दिये हैं वाइड ग्रेव के लिए, 4500)रु. दिये हैं आपरेशनल चार्जेज के लिए, तीन हजार दिये हैं पल्सेज के डवलपमेंट के लिए, जिसमें यह कातरा वगैरह कुछ लगा हो, और 1500) रु. दिया है आपरेशनल चार्जेज के लिए । आप मेहरबानी करके कुछ जांच करके हमको बताइये ताकि अगर नहीं पहुंचा है तो हम इसके बारे में एक्शन लेवें ।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : मैं तो सही कह रहा हूं कि सही रूप से उसका वितरण नहीं होता । यह मेरी शिकायत है। आप हर साल देती हैं उसका सही रूप से वितरण नहीं होता है, इसलिए मेरा सुझाव है....

श्री उपाध्यक्ष : इसका मंत्रीजी ध्यान रखेंगी ।

श्री महाराम चौधरी : जो कुछ भी देते हैं वह तो ठीक है, लेकिन जो देते हैं वह काश्तकारों के पास नहीं पहुंचता है । दुकानदारों के मार्फत बिकता है ।

शाहजहांपुर से नारनौल तक सीधी बस सेवा का अवरुद्ध मार्ग

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुजानसिंह ।

श्री. सुजानसिंह (बहरोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत मैं राज्य सरकार के यातायात मंत्री का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र हरियाणा से लगता हुआ है । दो तरफ से लगता है उत्तर और पश्चिम, मेरा विधान सभा क्षेत्र न उप जिलाधीश मुख्यालय है बल्कि अतिरिक्त सैशन जज की अदालत है, एस.डी.एम. कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट, मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्टस है । नारनौल महेन्द्रगढ़ जिले का मुख्यालय है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरा इलाका हरियाणा से

(श्री सुजान सिंह)

लगता हुआ है हमारे हजारों आदमियों का रोज नारनोल और नारनोल से बहरोड़ आना जाना होता है। हमारे रीति रिवाज, बोली चाली, रिश्तेदारी सब हरियाणा से लगती हुई है। अब मैं इस भूमिका को पूर्ण करते हुए मेरे इलाके में विषम परिस्थिति जो पैदा हुई है उसके निमित्त आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। सन् 1969 से शाहजहांपुर, नारनोल बस सेवा चलती आ रही है। एक महीने पूर्व ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, मैं आपके सामने निवेदन करूं कि शाहजहांपुर, सोनयचा और नीमराना में माध्यमिक विद्यालय है, पंचायत समिति हैड क्वार्टर है। माजरी, दोसोज,कायचा, डूंगडोली में माध्यमिक विद्यालय है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इस रूट पर डेली कितने यात्री बहरोड़ से नारनोल वापस आते होंगे। यह रूट है 38 मील का। तीन सर्विस जाती हैं और तीन बस सर्विस वापस आती है। एक महीने पूर्व ऐसी स्थिति हो गयी है कि हरियाणा वालों ने पांच पांच, चार चार फीट की दीवार खड़ी करके उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। स्थिति ऐसी पैदा हो रही है कि जब बसें जाती हैं तो चार पांच सौ आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। राजस्थान वाले चाहते हैं कि यह सर्विस डायरेक्ट चले, हरियाणा वाले चाहते हैं कि यह सर्विस इधर से नहीं चले, जब कि हमारी सड़क हरियाणा बोर्डर तक बनी हुई है, उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। तो मैं राज्य सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, बांसवाड़ा और भरतपुर जैसी स्थिति पैदा नहीं हो जाये और कभी दो चार सौ आदमी इस मौके पर खतम नहीं हो जायें। ऐसी स्थिति हो रही है। इसके निमित्त मैंने राज्य सरकार से, हमारे मुख्य मंत्री जी से अलवर में भी निवेदन किया था। एस.डी.एम. साहब कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है। वह भी मौके पर गये है। डी. सी. नारनोल और ए.डी.एम अलवर ने भी जाकर स्थिति का अवलोकन किया है। मगर आज तक स्थिति शांत नहीं हो पाई है। अशांति इतनी बढ़ गई है कि हमारे राजस्थान के जो बच्चे और लड़कियां हरियाणा में पढ़ती हैं, वह भी अपनी टी.सी लेकर वापस आ गई हैं। स्थिति ऐसी पैदा हो गई है, कभी भी अनहोनी घटना घटित हो सकती है, इसलिये मैं राज्य सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, इस उद्देश्य, जो हरियाणा वालों ने अपना रखा है, को पूरा न होने दें। यातायात अवरुद्ध हो गया है उसको सुचारु चालू करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य मंत्री श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री, यातायात) : माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया, वक्तव्य इस प्रकार है।

शाहजापुर-नारनोल वाया निहालपुर 38 कि. मी. लम्बा अन्तर्राज्यीय मार्ग है जिसमें केवल सात कि. मी. लम्बा मार्ग हरियाणा राज्य में है शेष राजस्थान में है यह मार्ग सन 1969 में खोला गया था जिसके लिये हरियाणा तथा राजस्थान की सरकारों के बीच वर्ष 1977 में पारस्परिक समझौता हुआ था। परन्तु अब तक समझौता के अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। वर्तमान में इस मार्ग पर राजस्थान की ओर से 3 अस्थाई परमिट निजी बस मालिकों

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

को प्रदान किये हुए हैं जिन पर नियमित रूप से हरियाणा राज्य के ट्रांसपोर्ट आथोरिटी के प्रति हस्ताक्षर किये हुये है। दो अनुज्ञा-पत्रों की अवधि दिनांक 31.10.82 तक की है तथा तीसरा अनुज्ञा-पत्र हाल ही में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जयपुर की बैठक दिनांक 28-8-82 में स्वीकृत नहीं किया गया है। हरियाणा राज्य की ओर से अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत नहीं किया हुआ है। इस मार्ग का 9 कि. मी. भाग शाहजहांपुर के पास राष्ट्रीयकृत मार्ग का भाग है।

वर्तमान में शाहजहांपुर–नारनोल मार्ग की बसें हरियाणा राज्य के ग्राम भूषण तथा शोभापुरा से होकर नहीं गुजरती है। इन दोनों गांव के निवासियों को बस मार्ग तक पैदल जाना पड़ता है। वह यह चाहते है कि बसें ग्राम व शोभापुरा से होकर गुजरें ताकि उन्हें पैदल नहीं चलना पड़े। ग्रामवासियों ने बस वालों पर दबाव डालने के लिये मिट्टी के डोले बनाकर बसों का आवागमन बन्द कर दिया है। अतः बसें किसी अन्य मार्ग से नारनोल तक चलायी जा रही हैं।

यदि हरियाणा राज्य के ग्राम भूषण व शोभापुरा के निवासी वर्तमान मार्ग में परिवर्तित अपने गांवों से होकर बस व्यवस्था चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत करने चाहियें जिसमें मोटर वाहन अधिनियम की धारा 48 (3) उपखण्ड 21 के अन्तर्गत प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा उचित कार्यवाही की जा सकती है।

वर्तमान मार्ग को बदलने से यह कठिनाई आयेगी कि नया रास्ता राजस्थान के ग्राम निहालपुरा के काश्तकारों के खेत में से होकर निकलेगा और काश्तकार अपने खेतों में से नये मार्ग निकालने के लिए तैयार नहीं हैं।

इस समस्या के समाधान के लिये प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर तथा अलवर जिले के उच्च अधिकारियों एवं जिला यातायात अधिकारी को हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले के उच्च अधिकारियों के साथ सम्पर्क करके इस समस्या के समाधान के आदेश दे दिये हैं तथा मुख्य मन्त्री के समक्ष जो माननीय सदस्य ने समस्या रखी थी। उस पर मुख्य मन्त्री जी ने आदेश दिये हैं कि राजस्थान के होम कमिश्नर हरियाणा के होम कमिश्नर से बातचीत करके इस समस्या का समाधान जल्दी ही कराने की व्यवस्था करें।

श्री सुजानसिंह राठौड़ : ठीक है।

शासकीय वक्तव्य

प्रशासन द्वारा उदयपुर में श्री जाकिर हुसेन कुराबड़वाला को अपने घर व शहर में रहने की अनुमति

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर, प्रशासन द्वारा उदयपुर में श्री जाकिर हुसेन कुराबड़वाला को अपने घर व शहर में नहीं रहने देने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्य प्रस्ताव के उत्तर में वक्तव्य दे रहा हूं वह

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

तो यहां पर नहीं हैं। आपकी आज्ञा है, श्रीमन् ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई वर्षों से....

श्री उपाध्यक्ष : वह नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : जिन माननीय सदस्य ने रखा है वह तो हैं नहीं, श्रीमन, तब भी वक्तव्य दे दूं ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई जरूरी नहीं है। वह हैं ही नहीं खुद। कमलेन्द्र सिंह जी यहां मौजूद नहीं हैं।

What is the use ? बैठ जाइये।

मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर जैसलमेर जिले में पाकिस्तानी डकैतों द्वारा ऊंटों को पाकिस्तान ले जाने तथा जैसलमेर व अन्य सीमान्त जिलों में दस हजार से अधिक गाय बैलों की चोरी कर पाकिस्तान ले जाने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे। हां, इसका जवाब दीजिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह अब दुबारा नहीं दिया जायेगा, श्रीमन। दुबारा देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : That has lapsed.

पाकिस्तानी डकैतों द्वारा ऊंटों व जैसलमेर व अन्य सीमान्त जिलों से दस हजार से अधिक गाय बैलों को चोरी से पाकिस्तान ले जाना।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह) : लैप्स हो गया, श्रीमन, थैंक्यू।

मान्यवर आपकी आज्ञा से मैं वक्तव्य दे रहा हूं। राजस्थान की काफी लम्बी सीमा पाकिस्तान से लगती है, अधिकतर क्षेत्र वीरान एव रेतीले हैं। इस पूरी सीमा की सुरक्षा बी. एस. एफ. द्वारा मुस्तैदी से की जा रही है। मगर इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि कड़ी निगरानी के बावजूद भी किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों से चोरी-छिपे दोनों ओर की सीमाओं पर बसे कुछ अवांछनीय तत्व तस्करी एवं चोरी आदि कर लेते हैं। पुलिस एवं सीमा सुरक्षा बल द्वारा समय समय पर इन तत्वों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप कई बार मुठभेड़ें हुई हैं और लाखों रुपयों की सम्पत्ति बरामद की गई है।

गत 15 मई को पुलिस थाना सम के अन्तर्गत ग्राम बोवा की तलाई में पाकिस्तानी डकैतों द्वारा आठ भारतीय नागरिकों एवं उनके ऊंटों को पकड़ लिया एवं एक व्यक्ति के कानों की मुरकियां उतरवा लीं। सूचना मिलते ही उसी गांव में अवकाश पर आये भारतीय सेना के हवलदार एवं ग्रामवासियों ने इन डकैतों से मोर्चा लिया और एक डकैत साजन तथा एक ऊंट को गोली का निशाना बनाकर घायल कर पकड़ लिया। बाकी डकैत ऊंटों को छोड़ कर अंधेरे का लाभ उठाकर भाग जाने में सफल हो गये। पुलिस द्वारा उस पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा जाकर चालान प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसके इशारे पर इन डकैतों ने यह वारदात की थी। यह कथन कि सीमावर्ती क्षेत्र से हजारों गायों को पाकिस्तानी नाग-

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

रिकों एवं क्षेत्रीय तस्करों द्वारा चोरी से, अवैध रूप से पाकिस्तान ले जाया गया है, अतिरंजित है। गत वर्ष भी इसी प्रकार गायों की बड़े पैमाने पर तस्करी के समाचार प्राप्त हुए थे उस समय भी राज्य सरकार द्वारा इन सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों को इस बारे में जांच एवं प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए। इस वर्ष भी प्रशासन द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप अब तक करीबन 700-800 मवेशियों को सीमा के उस पार तस्करी से ले जाते हुए पकड़ा जा चुका है।

दिनांक 23-4-82 को ग्राम नेहड़ाई के पास तस्करी से ले जाई जा रही 200 गायों आदि को ग्रामीणों द्वारा पकड़े जाने के उपरान्त पुलिस द्वारा तस्करों को छोड़ दिये जाने की जिस घटना का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है उस बारे में निवेदन है कि दोषी पुलिस कर्मचारियों को पुलिस अधीक्षक जैसलमेर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है और विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

रामगढ़ निवासी श्री भंवरसिंह को गत वर्ष पाकिस्तानी डकैतों द्वारा अपहरण करने के बारे में जिस घटना का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसी कोई घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई है और न ही गत एक वर्ष में थाना रामगढ़ क्षेत्र में डकैती अथवा अपहरण की कोई घटना हुई है।

राज्य सरकार द्वारा सीमा पर तस्करी रोकने हेतु सभी सम्भव उपाय किये जा रहे है। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों से भी जिला प्रशासन द्वारा निरन्तर सम्पर्क बनाया हुआ है और सीमा पर स्थित चौकियों को और अधिक सक्रिय कर दिया गया है। जिला पुलिस द्वारा भी विशेष दल गठित कर ऊंटों एवं वाहनों द्वारा गश्त एवं नाकाबन्दी कराई जा रही है।

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, पिछले चार वर्षों से पश्चिमी राजस्थान में निरन्तर अकाल पड़ रहा है जिसके कारण वहां के पशुओं की हालत से आप भी और सदन के अन्य माननीय सदस्य भी परिचित हैं इसलिए डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं। इन पशुपालकों ने अपने पशुओं को बेचने की कोशिश की। मुख्य सचेतक जी यहां मौजूद नहीं हैं, उन्हीं के क्षेत्र का उदाहरण बता रहा हूं। खेतरावा पशु मेला तहसील शेरगढ़ में एक बैल 10 रुपये में, दो बैल 20 रुपये में और एक बैल की जोड़ी 15 रुपये में बिकी। ऐसी घटी हुई कीमतों में भी लोग मवेशी लेने के लिए तैयार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालकों ने अपना सब कुछ बेच कर यहां तक कि अपना आखिरी जेवर भी गिरवी रखकर पशुओं का पेट पालने की कोशिश की। लेकिन जब पूर्ण रूप से धैर्य टूट गया, क्षमता टूट गई जो जैसलमेर क्षेत्र में फील्ड फायरिंग रेंज के आसपास और सीमा पर जो थोड़ी बहुत घास उपलब्ध थी वहां पर पशुपालक मवेशी लेकर गये। जैसलमेर के अलावा जोधपुर, बाड़मेर एवं बीकानेर जिलों का भी पशुधन वहां भारी मात्रा में एकत्रित हुआ। प्राकृतिक

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

विपदाओं का फायदा उठाने के लिए सदा तत्पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस भीषण अकाल से फायदा उठाया गया।....

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्टीकरण चाहें तो पूछ लें, माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात बताऊं पूरी। कोई ध्यानाकर्षण तो है नहीं जो मैं जवाब दे दूं। जब पशुपालक अपने मवेशी वहां लाये तो इन असामाजिक तत्वों ने पशुओं को चुराकर पाकिस्तान में बेचना आरम्भ कर दिया। फलस्वरूप पशुपालकों का अनुमान है कि दस हजार से ऊपर मवेशी केवल जैसलमेर जिले से तस्करों द्वारा चुराकर पाकिस्तान में बेच दिए गए। और जिलों की मेरे को जानकारी नहीं है लेकिन पाकिस्तान की अधिकृत जानकारी बता रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : आपको पकड़वाना चाहिए था।

श्री चन्द्रवीर सिंह : पकड़वाया है वह भी बताऊंगा। जैसलमेर जिले से वर्ष 81-82 में, उपाध्यक्ष महोदय, चांदण से 150, डेलसार से 500, घायसर से 300, सांवला से 100, रासला से 200, मूलाणा से 175, दवाड़ा से 300, हमीरा से 100, फाणोद से 125, भैरवा से 100, सांकड़ा से 75, सनावड़ा से 125, देवीकोट से 50, सांवता से 100, छोडियां से 50, करमो की ढाणी से 50, आसकंद्रा से 175, छायण से 350, दिधू से 100, अवाय से 150, अजासर से 200, टोटा से 50, लाठी से 100, भादरिया से 250, धोलिया से 200, खेतोलाई से 150, चांदनी से 75, नवातला से 30, सूजिया से 20, लूणा से 100, मोडरडी से 150, दूधिया से 135, राजमथाई से 200, मेंसड़ा से 200, मणियाणा से 100, दांतल से 150, फलसूंड से 75, चांचरा से 150, डांगरी से 100, राजगढ़ से 80, ओला से 60, नरसिंगों की ढाणी से 50, भोपा से 75, कोटडी से 125, और बरमसर से 150 पशु यह मैंने मोटे आंकड़े दिये हैं, जो छोटी-मोटी चोरियां हुई हैं वह मैंने नहीं लिखीं। इन आंकड़ों को जोड़ें तो छः हजार के ऊपर तो केवल इन गांवों के ही मवेशी बनते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन मवेशियों को पाकिस्तान ले जाकर अवैध धन्धा जैसलमेर जिले के थानों थाट, रामगढ़, जैसलमेर, मानगढ़ व नाचणा के अधिकारियों की मिलीभगत से किया गया। जब पशुधन कम होने लगा तो सर्वप्रथम तो उन्होंने सोचा कि मवेशी मरने लगे हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जब जानकारी हासिल की तो मालूम पड़ा कि कुछ असामाजिक तत्वों, तस्करों द्वारा पाकिस्तान में अवैध रूप से बेचे जा रहे हैं। जब उनको विश्वास हो गया, वे आश्वस्त हो गये तो उन्होंने जिला प्रशासन को सूचना भेजी। पशुपालक कई बार थाना में गये लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। थानेदार ने कहा कि यह मामला फील्ड फायरिंग रेंज का है इसलिए आर्मी के पास जाइये। कुछ स्थानों पर कहा गया कि यह मामला बी. एस. एफ. का है उनके पास जाइये।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : पोइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, काल

Page No 203

(श्री राजबहादुर)

अटेंशन नोटिस के जरिये से मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि जो तथ्य माननीय सदस्य के पास हैं वे सब के सब दुबारा दोहरा दें। यह तो सदन में भी आना चाहिए था, शुरू में ही दे देते ।

श्री चन्द्रवीर सिंह : काल अटेंशन है मेरा ।

श्री राजबहादुर : सहयोग देने को तैयार हैं लेकिन पहले से ही आ जाना चाहिए था कि इतना गम्भीर मामला है।

श्री चन्द्रवीर सिंह : दिया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई । थानों के 50 रुपये प्रति गाय बन्धे हुए थे। 10 हजार से अधिक गाय, बैल तस्करों द्वारा पाकिस्तान में बेचे गये । इससे स्पष्ट होता है कि इन थानों ने 5 लाख से अधिक की जेब गर्म की और गरीब पशु पालकों को आठ करोड़ के नीचे उतारा। पुलिस वालों ने पशुपालकों की सुनवाई नहीं की तो पशुपालक कलेक्टर, एस. पी. के पास गये, दरख्वास्त दी कि उनको रोका जाय लेकिन वहाँ भी कोई तवज्जह नहीं दी गई । मजबूरन ये लोग आन्दोलन करने पर उतारू हुए । भूख हड़ताल की, धरना दिया और ऐसी गश्त टोलियां ग्रामीणों की बनाई जिन्होंने सीमा पर निगरानी रखना शुरू किया तब कुछ गायें पुलिस द्वारा पकड़ाई गईं ।....

श्री उपाध्यक्ष : ये केस दर्ज हो गये क्या ?

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : माननीय मंत्री महोदय नहीं सुन रहे हैं, वे ट्रांसफर की बात कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जवाब मांग लूंगा।

श्री चन्द्रवीर सिंह : करीब 7-8 सौ गायें पुलिस को मुकदमे देने पर पकड़ी गई। ये गायें नेड़ाई, कुकड़ी, काणोद, हरियार, कांदल, खतरैल, भागू गांव आदि के पास बरामद की गईं ।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करें, उपाध्यक्ष महोदय। उनको बात नहीं करनी चाहिये। आप उनको निर्देश दें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, आप इनकी सुनिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह ; मैं सब सुन रहा हूं, सबका जवाब दूंगा।

श्री चन्द्रवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम हरियार के पास गायें पकड़ी गईं उसमें दो पाक नागरिक इन्वाल्व्ड थे। इसी तरह खतरैल के पास पकड़ी गईं उनमें भी दो पाक नागरिक इन्वाल्व्ड थे, जो भागने में सफल हो गये। इसी तरह गांव नेड़ाई के पास पकड़ी गईं उसमें एस. एच. ओ. ने 10 हजार रुपये खाकर पाक नागरिक को छोड़ दिया। उसका नाम भी बता दूं- बेगू खां, साकिन बादलवाड़ा, पाकिस्तान। गायों की तस्करी जैसलमेर से ही नहीं, बाड़मेर, बीकानेर से भी भारी मात्रा में हो

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

रही है। चौहटन पुलिस ने 109 बैल बॉर्डर पर जाते हुए बरामद किये। उनको कलेक्टर ने गौशाला बाड़मेर को सुपुर्द किया। लेकिन घास के अभाव के कारण उनको बीसा, पालनपुर, गुजरात की गोशाला को सौंपा गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं बाड़मेर, बीकानेर से भी तस्करी हो रही है। यही नहीं...

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : बीकानेर की जानकारी मैं दूंगा।

श्री चन्द्रवीर सिंह : हालत यहां तक पहुंच चुकी है सीमा से 40-40, 60-60 किलोमीटर तक अन्दर आधुनिक हथियारों से लैस होकर आ जाते हैं। मंत्री महोदय ने जैसा फर्माया 15 मई को तीन पाकिस्तानी डकैत दिन दहाड़े गांव में आधुनिक हथियारों से लेस बीदा ग्राम में आये और वहां के नागरिक जगतसिंह के कानों की सोने की मुरकियां उतरवा लीं और जानवर पानी पीने आये हुए थे उनको घेरना शुरू कर दिया। ग्राम बीदा जैसलमेर से 50 कि. मी. और थंभ से 20 कि. मी. साउथ में स्थित है।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में, आप देखेंगे कि गांव कितना पास है। उस गांव में इस तरह की हरकत होती है तो यह बड़ी शर्मनाक बात है। जगतसिंह के कानों की मुरकियां खुलवाई गई। उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीणों को आतंकित करने के लिए सैंकड़ों फायर किये गये ताकि गांव वाले डर जायें और कोई पास नहीं आये।...

श्री उपाध्यक्ष : आप वर्णन कर रहे हैं। जो बयान दिया है मंत्री महोदय ने उसका स्पष्टीकरण आप क्या चाहते हैं वह बोलिये।....

श्री चन्द्रवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीणों को आतंकित किया गया। वहां पर जो ड्यूटी पर आया था उसका नाम था छोटूसिंह उसने इन डकैतों से लोहा लिया।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, सवाल कीजिये। माननीय सदस्य, टाइम का ध्यान रखेंगे। मैं जानता हूं, अगर ऐसी गम्भीर स्थिति है बार्डर पर तो राज्य सरकार को स्पेशल अरेंजमेन्ट करना चाहिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि छोटूसिंह ने मुकाबला किया। पाकिस्तानी डकैत मारा गया। जैसलमेर के अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई। अभी आपने यह फर्माया है कि हमने स्पेशल फोर्स स्थापित की है। उपाध्यक्ष महोदय, यह वारदातें हुई हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है। इस गांव के ऊंट, मवेशी पाकिस्तानी डकैत आये दिन ले जाते हैं। इस गांव के दो व्यक्तियों को पाकिस्तानी डकैतों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इसलिये अर्ज करना चाहता हूं कि

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

इस मुठभेड़ के बाद 15 दिन के अन्दर अन्दर साजन खां मारा गया और उसकी मौत के बाद 15 दिन के अन्दर अन्दर फिर पाकिस्तानी डकैत आये और ऊंट चुरा कर ले गये। अब उनको धमकाया जा रहा है कि साजन खां की मौत का बदला लेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, गांव में आतंक छाया हुआ है, गांव के लोग भयभीत है। वे सोच रहे हैं कि इस गांव में रहें या न रहें या इस गांव को खाली कर दें। उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम बीदा सम से 20 किलोमीटर दूर है। जैसा मैंने निवेदन किया है पर्यटन मंत्री नहीं हैं, यह ग्राम बीदा वही है जहां पर कई पर्यटक सैण्डड्यून देखने आते हैं। हर साल टूरिज्म डिपार्टमेन्ट द्वारा यहां पर डेजर्ट फेयर का आयोजन किया जाता है। मेरे खयाल से राज्य सरकार की नींद तब उड़ेगी जब यहां से दो-चार पर्यटकों का अपहरण हो जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, बीदा ग्राम 40 किलोमीटर दूर बसा हुआ है। गर्मी का मौसम था। उपाध्यक्ष महोदय, आप परिचित है पश्चिमी राजस्थान से, मैं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं, क्या मई के महीने में डकैत दिन दहाड़े बॉर्डर पार करके आ सकते हैं? हर्गिज नहीं आ सकते हैं। यह लोग रात में कहीं ठहरे, कहीं डेरा डाला, चारे पानी की ऊंटों के लिये व्यवस्था की है। तो क्या आपने यह जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है कि इन लोगों ने यह व्यवस्था कहां की। वे किस के यहां पर ठहरे? मंत्री महोदय ने पूछा? भंवर सिंह की रिपोर्ट दर्ज नहीं है। आपके थाने वाले रिपोर्ट दर्ज नहीं करते। भंवरसिंह पुत्र फतहसिंह का अपहरण हेलिकोप्टर द्वारा किया गया।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): भाषण हो रहा है या प्रश्न हो रहे हैं।...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रवीर सिंह : हेलिकोप्टर से उसका अपहरण हुआ है। उसकी लाठी उसकी कुबड़ी सब वहां पर मौजूद है लेकिन उसका पता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति का अपहरण हेलिकोप्टर द्वारा किया गया है। यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम जनता की धारणा है कि इस व्यक्ति का अपहरण पाकिस्तानी तस्करों द्वारा किया गया है। यह भंवरसिंह बी. एस. एफ. की चौकी को तस्करों से गायों की खोज कराने में मदद कर रहा था। यह निश्चित बात है, उपाध्यक्ष महोदय, इस बार उसका पता नहीं चला। मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं, क्या आप मेरी बात पर विश्वास करके इसकी इन्क्यवारी कराने को तैयार हैं? थाने में रिपोर्ट नहीं है पर मेरी बात पर विश्वास करके क्या आप इसकी जांच करवाने को तैयार हैं? उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले की सीमा पर स्थित गांव....

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आने दीजिये। ढेर सारी बात कह रहे हैं। बयान हो गया। सवाल तो आपने किया नहीं। एक सवाल का जवाब दे दें।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि जो सूचना माननीय सदस्य ने दी है अगर वही स्थिति है और आपकी जानकारी में नहीं है कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या हो रहा है, कहां ले जा रहे हैं प्रदेश को तो इसकी चिन्ता तो कीजिये।

श्री चन्द्रवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले की सीमा पर जो गांव स्थित हैं उनकी तो यह हालत है कि आये दिन पाकिस्तान के डकैत आते हैं और उनके मवेशी ले जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर बी. एस. एफ. की चौकियां मौजूद हैं। बी. एस. एफ. की चौकियां होने के उपरान्त भी उन गांवों से मवेशियां आये दिन पार करके ले जाते हैं, यह समझ में नहीं आता है कि सरकार किस प्रकार की व्यवस्था कर रही है।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, केवल एक बात और बताता हूं। दिनांक 8 9.82 को 150 गायों की चोरी की सूचना भूतपूर्व सरपंच नारायण सिंह ने थाने में दर्ज करवाई है। उसका क्या हुआ? क्या वे गायें पकड़ ली गई? जी नहीं। आपको कुछ पता नहीं है। इस साल भी पश्चिमी राजस्थान की वही हालत है जो पिछले साल थी। यह मेरी जानकारी है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले में और उसके एडजाइनिंग जिलों में 20–25 हजार मवेशी मर चुके हैं। आज की तारीख में समय रहते अगर राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो, उपाध्यक्ष महोदय, वही हालत होगी जो पिछले वर्ष थी और इसका उत्तरदायित्व सरकार पर होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मन्त्री महोदय से विनम्र विनती है कि जो गायें जैसलमेर जिले की चोरी हुई हैं, जिनको हम दस हजार से ज्यादा कहते हैं, उसकी आप जांच करवायें और तथ्य मालूम करवायें कि एक्चुअल में कितनी चोरी हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह....

श्री उपाध्यक्ष : आपको जवाब दिला दें। आप भाषण दे रहे हैं। इतना टाइप तो ले लिया।...

श्री चन्द्रवीर सिंह : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय जवाब दें।

श्री चन्द्रवीर सिंह : क्या वे पशुओं की तस्करी रोकने का प्रबन्ध करेंगे?....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक की कार्यवाही के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय आधा घण्टा और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की सहमति से समय आधा घण्टा और बढ़ाया जाता है।

पाकिस्तानी डकैतों द्वारा ऊंटों और जैसलमेर व अन्य सीमान्त जिलों से दस हजार से अधिक गाय बैलों को चोरी से पाकिस्तान ले जाना।

श्री दाऊदयाल जोशी (कोटा) : क्या यह सही है कि राजस्थान से पशुधन की निकासी पर प्रतिबन्ध है ?

श्री उपाध्यक्ष : जो मुद्दे उठाये गये हैं उनका जवाब आने दें, माननीय सदस्य।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है।....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले मन्त्री महोदय जवाब दे दें।

(व्यवधान)

That is not fair on your part, माननीय सदस्य।

मंत्री महोदय। I am not bound,

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्यों ने कुछ स्थगन प्रस्ताव दिये थे उन्हीं स्थगन प्रस्तावों पर आसन की व्यवस्था के अनुसार मैंने एक वक्तव्य यहां पर दिया। कुछ आरोप लगाये, श्रीमान, पुलिस की गफलत के बारे में। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस समय सीमा पर बी. एस. एफ. की चौकियों की संख्या 28 है। इन 28 चौकियों पर दो बटालियन फोर्स बी. एस. एफ. की डेप्लाय की हुई हैं। उससे आप भी सहमत होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। बी. एस.एफ. के अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भी तीन चौकियां गठित की हुई हैं और एक टेम्प्रेरी पोस्ट और लगाई जा रही है। जिस गांव के बारे में जिक्र किया है, सरकार पूरी तरह से इस समस्या के बारे में जागरूक है। लेकिन साथ में उस इलाके की भौगोलिक स्थिति से आप वाकिफ है, उसकी तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जिला जैसलमेर की पुलिस द्वारा जो अब तक गायें पकड़ी गई है उनका विवरण मैं दे देता हूं। इससे यह जाहिर हो जायगा माननीय सदस्यों को कि पुलिस सजग है। इसके बाद भी मैं डिनाई नहीं करता कि इन्सीडेन्ट नहीं हुए हैं। मैं संक्षेप में बता दूं, थाना किशनगढ़ में 30 गायें व एक घोड़ा 12.1.1982 को पकड़ी गई।

थाना मोहनगढ़ में 11.1.82 को 14 गायें पकड़ी गई, 7.3.82 को 28 गायें, 11.3.82 को 53 गायें और 6.4.82 को 174 गायें पकड़ी गया। इसी प्रकार थाना नाचना में 23.3.82 को 80 गायें और थाना पोकरण में 30.3.82 को 41 नहीं, 401 गाय पकड़ी गई। मैं गलत पढ़ गया था, माननीय सदस्य। जिला बाड़मेर में माह अगस्त 1982 तक 42 ऊंट, 110 गाय बैल व 154 बकरी सीमा पर गिरफ्तार की। सभापति महोदय, इसके अलावा इससे यह बात भी जाहिर होती है कि वहां पर बी. एस. एफ. और अपनी चौकियां सक्रिय हैं और पुलिस काफी सतर्क है। इसके अलावा, श्रीमान, पुलिस मुख्यालय में महानिरीक्षक की अध्यक्षता में केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार एक कमेटी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

का गठन किया गया जिसकी मीटिंग प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाती है। इसमें उप महानिरीक्षक, जोधपुर एवं बीकानेर में स्थित बी. एस. एफ. के वरिष्ठ अधिकारी, केन्द्रीय कस्टम के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित होकर सीमा पर तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों की रोकथाम और आपसी सहयोग पर महत्वपूर्ण विचार कर आवश्यक कार्यवाही करते हैं। एक कमेटी बनी हुई है।

You have made certain allegation about the Jaisalmer civil police. जैसलमेर में जो सिविल पुलिस है उसके बारे में जो आरोप लगाए हैं यहां पर माननीय सदस्य ने उसके बारे में निश्चित रूप से डी. आई. जी. रेन्ज जोधपुर को लिखा जायेगा।

श्री चन्द्रवीर सिंह : आप जांच करवा लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, निश्चित रूप से जांच करवाऊंगा। उनको पत्र लिखूंगा कि आप स्वयं जाकर जांच करें। क्या मुस्तैदी की जा सकती है, बी. एस. एफ. के अधिकारियों के साथ भी बैठ कर इसके बारे में विचार विमर्श कर प्रभावी कदम उठाये जायेंगे। यह सब कार्यवाही होने के बावजूद इतनी गायें पकड़ी गई हैं और जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि गायों को और ले जाने की तैयारी कर रहे हैं उसको रोकने के लिए जो कारगर कदम उठाये जा सकते हैं, उठाये जायेंगे। सरकार इस बारे में सजग है। उसके लिए जो कन्सर्न्ड आफिसर्स हैं उनको जांच करने की राय दी जायेगी और प्रभावी कदम उठाये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मेरा इस पर स्थगन प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय ने फर्माया था कि जिस वक्त मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे उस समय बोल लेना।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : इसी आसन से व्यवस्था दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, आप कागज देख लें, कार्यवाही देख लें।

श्री उपाध्यक्ष : आधे घन्टे की चर्चा।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मेरा....

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव दूंगा, ऐसी बात नहीं है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। मेरे सामने कोई लिखित में आपका प्रस्ताव नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : श्रीमान, आपके सामने ही तो यह बात हुई है। आप इसकी जानकारी मंगवा लें। हर बात लिखित रूप में नहीं होती है। जीरो आवर में अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी है।

(व्यवधान)

श्री राजबहादुर : मैं कुछ जानकारी चाहता हूं, यह नम्बर तीन पर जो जग मंदिर वाला वक्तव्य है....

श्री उपाध्यक्ष : उसको वापस ले लिया गया है। That has been withdrawn.

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं केवल मात्र....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : That matter is over, माननीय सदस्य।

श्री राजबहादुर : यह एश्योरेन्स दे दें पक्का कि यह कल जरूर लिया जायेगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ...

श्री उपाध्यक्ष : मेरे लेटीट्यूड का नाजायज फायदा नहीं उठायें। मैं फिर स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है। बैठ जाइये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आज प्रातःकाल स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था के समय जब कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य का विषय आया तो अध्यक्ष महोदय ने उस पर यह व्यवस्था दी कि आज इस पर वक्तव्य आयेगा, आप उस समय अपनी बात कह सकेंगे। इसलिए निवेदन करना चाहता हू कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य को जैसी कि माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी है उसके अनुसार सवाल पूछने की इजाजत दी जाये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आप चाहें।

श्री उपाध्यक्ष : There is nothing on record here.

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दे दी है। आधे घण्टे की चर्चा के लिए।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुझे जैसलमेर के बारे में वक्तव्य देने के लिये कहा गया था बीकानेर के बारे में नहीं। अगर ये प्रश्न करेंगे तो मैं उत्तर नहीं दे सकूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उत्तर मंगा लें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बीकानेर के बारे में बात करेंगे तो मुझे उत्तर देने में अक्षम पायेंगे। इसके बावजूद भी ये कोई जानकारी देना चाहते हैं तो उस पर मैं कार्यवाही करूंगा।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

श्री उपाध्यक्ष : आप लिखित में जानकारी दे दें। आपके किसी स्थगन प्रस्ताव की कोई लिखित सूचना मेरे सामने नहीं है। मेरे सामने कोई रेगुलर प्रस्ताव नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : आप मंगाकर देख लें। मैं मंत्री महोदय को सहयोग देने के लिए ही कर रहा हूं, सुझाव ही दूंगा थोड़े से में।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न थोड़े और ज्यादा का नहीं है। प्रश्न यह है कि मेरे सामने इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लिखित रूप में नहीं है इसलिये मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था मंगा लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे दे, दें मुझ से मिल कर मुझे बतायें, मैं निश्चित तौर पर कार्यवाही करूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : आपको अलग से ही दे दूंगा तो यहां आने की आवश्यकता ही क्या है। सारे सदस्यों को पता कैसे लगेगा? पूरे सदन को पता लगना चाहिये की क्या स्थिति है, क्यों यह मामला उठाया गया है। एक मिनट में सारी स्थिति बता दूंगा। मैं थोड़े में ही निवेदन कर देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही अर्ज करना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। भारत में इसके साथ हमारी धार्मिक भावनायें जुड़ी हुई हैं। लाखों की तादाद में गायें कटने के लिए पाकिस्तान जा रही हैं, उनको रोकने के लिये मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं कोई दुश्मनी निकालने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कोई आलोचना करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मेरे आरोप में सच्चाई है।

श्री माधवसिंह दीवान : लिखित रूप में दे दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : घर की बात है क्या ?

श्री माधवसिंह दीवान : हमको भी तो भूख लग रही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Shri Devi Singh. It is before me.

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने फर्माया हमारी बी. एस. एफ. की 28 चौकियां हैं उनके बारे में बताया कि अच्छी व्यवस्था है। वह चौकी बोर्डर पर दो चार मील तक ही सुरक्षा या जांच कर सकती है। मेरा सुझाव यह है जैसा कि अभी जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अकाल की वजह से लोग बाग पशुओं को चारा

(श्री देवीसिंह भाटी)

ढंग से नहीं खिला सकते हैं। इसलिये दूसरे स्मगलर्स उनसे पशुओं को खरीद कर ले जाते हैं। दूसरा इलाका है जैसे बीकानेर जिले में पांगीवाडा क्षेत्र है, चूरू जिले में राजाखेड़ा का उदाहरण है, गंगानगर जिले में अनूपगढ़ और बाजूवाला क्षेत्र से निरन्तर गायें जा रही हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूचनार्थ बताऊं कि 1 फरवरी 1982 को काला डूंगर से 21 गायें एक बंदूक और एक ऊंट इस्माइल नाम के स्मग्लर से बरामद हुयीं, वह केस थाना मोहनगढ़ में रजिस्टर हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार 2-3-82 को 53 गायें सरपंच और गौ सेवा संघ की मदद से मोहनगढ़ थाने के हवाले की गयीं। इसी प्रकार मार्च के अन्तिम सप्ताह में 41 बैल मांगू गांव के पास पकड़े गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार 2-4-82 को 202 गायें नेड़ाई के पास पकड़ी गयीं और उनको पुलिस के हवाले किया गया। जिसमें से पुलिस वालों की मिलीभगत होने की वजह से 28 गायें गायब कर दी गयीं और बाकी को बदल दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस बाबत, ऐसी बार-बार वारदातें हो रही थीं कि वहां के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बोर्डर सिक्योरिटी पुलिस से बात की। फिर उनकी उपस्थिति में बी. एस. एफ. वालों ने पाकिस्तान रेंजरों से बात की। फिर वहां उनकी 27 मार्च, 82 को फ्लैग मीटिंग हुई, बोर्डर के ऊपर दोनों तरफ के नागरिक आये। पाकिस्तान के नागरिक भी आते हैं, हिन्दुस्तान के नागरिक भी आते हैं फ्लैग मीटिंग के अन्दर। वहां उनको कहा जाता है कि आप हमारी ठीक एक लाख गायें पार करके पाकिस्तान ले गये हैं, वहां काटी गयी हैं। उसके बाद दोनों, बी. एस. एफ. और रेन्जर्स के सामने सांईदाह नाम के पाकिस्तानी खोजी ने कहा, उसने स्वीकारा, बी एस. एफ. रेंजर्स के सामने कि 15 हजार गायें हमारे यहां आयी हैं तो, भारत के नागरिकों ने, बी. एस. एफ. वालों ने कहा, अगर 15 हजार गायें आयी हैं तो हमको लौटाओ। तो कहा, वह तो बूचड़खाने में कट गयी हैं, उनके आने का सवाल नहीं है। अब इसी प्रकार उसमाराम पुत्र बन्नाराम गांव बैरवा, जिसकी 20 गायें पार हुई, ने रिपोर्ट जैसलमेर पुलिस स्टेशन में कराई। मेरा निवेदन यह है, उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे बात कह रहे हैं, जैसे आप भी वहां मौजूद हों।

श्री देवीसिंह भाटी : हर जगह आदमी मौजूद नहीं रहता है, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना एक भी गलत नहीं होगी। इसमें दिक्कत क्या आती है, कोई प्रयास करके नागरिक पुलिस को इत्तला करता है कि दो चार व्यक्तियों द्वारा गायों को इकट्ठा करके पाकिस्तान कटने के लिए भेजा जा रहा है। चूरू जिले में, मंत्री महोदय, सुनिए, फरवरी माह में जब कि ऐसे लोगों ने राजगढ़ थाने में इत्तला दी, गायें जा रही हैं, इनको रोकिये, पाकिस्तान जायेंगी कटने के लिए, उस वक्त उन्होंने कहा कि अभी तो हम रोक नहीं सकते। बोर्डर क्रॉस जब करेंगी तब कार्यवाही

(श्री देवीसिंह भाटी)

करेंगे। बोर्डर गायें क्रॉस करा दी गयीं तब जाकर उन्होंने कहा कि आप कार्यवाही करिये। उन्होंने कहा कि हरियाणा का बोर्डर क्रास करके गयी हैं, हम कार्यवाही नहीं कर सकते। फिर वहां के कलेक्टर को सूचना दी, कलेक्टर ने फोन किया, तब जाकर गायें पकड़ी गयीं। मेरा निवेदन यह है कि ज्यादातर गायें जाती हैं, विशेष तौर पर फाटक अकाल के समय, चौमासे में खुलता है तब जाती हैं। उस वक्त ऐसे लोग बाग, जो धन्धा करते हैं, आगे जाकर स्मगलर को दे देते हैं, पाकिस्तान में गायें कटने के लिए देते हैं, उनको ले जाकर देते हैं। अगर आप निगरानी रखना चाहते हों तो मैं उदाहरण आपको बताऊं, बीकानेर जिले में छतरगढ़ ग्राम पंचायत के अन्दर एक भागू भाट अक्सर गायें खरीदता है, और ले जाकर जो स्मगलर हैं उनको दे देता है। वह पाकिस्तान में कटने के लिए ले जाते हैं....

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, आप क्या चाहते हैं, यह तो बताइये।

गायें तो गयी हैं, जा रही हैं....

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : मेरा एक निवेदन है कि....

श्री उपाध्यक्ष : आप जल्दी खतम कीजिए।

(व्यवधान)

बेहतर यह है कि आप लिखित में दे दें, मन्त्री महोदय को...

श्री देवीसिंह भाटी : बोर्डर के पास स्मगलर पाकिस्तान में ले जाते हैं। आप यह मत सोचिए कि बोर्डर के 2-4 मील के एरिया से जाती है, गायें पीछे से आती हैं, अकाल के वक्त लोग सस्ते में देते हैं, पीछे से लोग धन्धा करते हैं, क्योंकि अरब देशों के अन्दर गाय के मांस का 60 रुपये किलो तक का भाव है इसलिए धन्धा करने वाले वहां से गायें खरीदकर बोर्डर पर ले जाकर लोकल धन्धा करते हैं उनको दे देते हैं। बोर्डर पर निगरानी मत करिये, मेरा निवेदन यह है कि दूर दराज के गांव हैं,....

श्री देवदत्त तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, दीवार खिचवा दीजिए जिससे गायें....

(व्यवधान)

तरीका निकालें कैसे....

श्री देवीसिंह भाटी : हम तो सुझाव दे सकते हैं। तरीका तो पकड़ने, तय करने का पुलिस का, बी. एस. एफ. का अलग अलग है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : सरकार का आश्वासन है कि गायों को कटने नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं।

श्री देवदत्त तिवाड़ी : आपका सुझाव यह है कि 30 मील के एरिया के अन्दर कोई जानवर नहीं रहे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री देवव्रत तिवाड़ी : मैं आपको निवेदन करता हूं कि इसमें कोई भी सन्देह नहीं है वहां की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, गांव इस तरह के बसे हुए हैं कि....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष ; बैठ जायें, माननीय सदस्य ।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय मुझे अब नहीं बोलना, अगर सदस्यों को रुचि नहीं है इसके अन्दर कि भारत की गायें पाकिस्तान के अन्दर जाकर कटें और मेरे बोलने का विरोध करते हैं तो मैं बैठ जाता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : जो बात इतनी देर में कही, 5 मिनट में कही जा सकती है ।

श्री देवीसिंह भाटी : गवर्नमेंट को चिन्ता नहीं है, माननीय सदस्य को चिन्ता नहीं है × × ×

श्री उपाध्यक्ष : × × × शब्द निकाल दीजिए ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मन्त्री महोदय जवाब दें, दो पाइन्टेड सवाल करना चाहता हूं...

श्री प्रद्युम्न सिंह : कितने लोग सवाल करेंगे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आपको लगे कि कहीं सवाल इर्रेलेवेन्ट है तो आप मना कर दीजिए । आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या पिछले कुछ महीने पहले पाकिस्तान से 4 बरातें आयीं और शादी करके हिन्दुस्तान से लड़कियां ले गये ? यह इसलिए कहना चाहता हूं कि सरकार की विजिलेन्स क्या है, मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे, श्रम प्रकोष्ठ.... ,

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, बैठे बैठे बात नहीं । कृपया आपस में बात नहीं करें ।

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : विश्व हिन्दू परिषद को जाना चाहिए वहां....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य

(व्यवधान)

अंकित न हो ।

अनेक माननीय सदस्य : × × ×

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मैं कह रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, विश्व हिन्दू परिषद के सदस्य लोग वहां जाकर सुधार करें, सलाह दें....

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : सरकार नहीं देती चना, सरकार नहीं देती खाना, सरकार नहीं देती घास तो....

श्री उपाध्यक्ष ; माननीय सदस्य, ग्रापस में नोक झोंक नही चलेगी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी ; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा सवाल मैं यह करना चाहता हूँ, मन्त्री महोदय यह जानकारी दें, श्रम प्रकोष्ठ कांग्रेस (ग्राई) के संयोजक ए. डी. दीपक ने केन्द्रीय रक्षा मन्त्री वेंकटरमन, मुख्य मन्त्री श्री शिव चरण माथुर, वहां के संसद सदस्य से यह शिकायत की है कि 60 हजार गायें पाकिस्तान में तस्करी से चली गई ? मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे इस शिकायत पर राज्य सरकार ने क्या किया ?

श्री रामसिंह विश्नोई ; उपाध्यक्ष महोदय, यह बात निर्विवाद सत्य है कि बाड़मेर, जैसलमेर में ग्रकाल के कारण, पानी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण, बार बार ग्रकाल पड़ने के कारण, चारे की व्यवस्था न होने के कारण, इतनी ग्रच्छी नस्ल की हिन्दुस्तान के ग्रन्दर कीमत न होने के कारण वहां से लोग एक हजार देकर ले जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, यह बात सत्य है लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो भारत की सर्वश्रेष्ठ थरपारकर नस्ल की गाय है, ग्राप चाहते हैं कि ग्राप उसे बाहर करने से रोकें तो ग्रापको उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके ग्रन्दर बी. एस. एफ के ग्रादमी, ग्रार. सी. पी. वाले, बड़े बड़े जागीरदार उपाध्यक्ष महोदय मिले हुए हैं। जब गाय की कीमत हिन्दुस्तान के ग्रन्दर 5 सौ रुपये है, पाकिस्तान के ग्रन्दर 2 हजार रुपये देकर ले जाते हैं। इस मामले में बिल्कुल चोरी होती है, तय है यह। इसलिए इसको रोकने के लिए हिन्दुस्तान के ग्रन्दर गायों को पालने, इनके रखरखाव के लिए पानी की व्यवस्था व चारे की व्यवस्था करें, उसकी कीमत ग्रच्छी मिले, जो चीजें उससे मिलें दूध घी उनकी कीमत ग्रच्छी मिले। यह जब तक नहीं होगा तब तक ग्राप लाख कोशिश कर लो इसको नहीं रोक सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको रोकने का भी प्रयास करना चाहिए, चाहे भारत सरकार की तरफ से हो, चाहे स्वयं सेवी संस्थाग्रों की तरफ से हो ग्रौर चाहे विश्व हिन्दू परिषद की तरफ से हो। गायों की कीमत यहां तो ग्राप दो सौ रुपये देवें नहीं ग्रौर वहां दो हजार रुपये मिल जावें तो वह वहां क्यों नहीं बेचेगा ? इसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए न कि इस गांव से उस गांव में चली जायं उस गांवसे इस गांव में चली जायं, यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय उपाध्यक्ष

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

महोदय, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, सरकार अपने स्तर के ऊपर, जैसा मैंने पूर्व में कहा था, और प्रभावी कदम उठायेगी। मैं खुद इस बारे में जो आई. जी. पी. बी. एस. एफ. के हैं बीकानेर में....

एक माननीय सदस्य : जोधपुर में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Sorry. जोधपुर में, मैं खुद उनसे बात करूंगा इस मामले के अन्दर और प्रभावी कदम उठायें कि बी. एस. एफ. और जो एजेन्सी बी. एस. एफ. के अन्दर काम कर रही है इसके द्वारा किस प्रकार से गायों की तस्करी को रोका जा सकता है। जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था, कुछ गायों को पकड़ा भी गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है इस मामले के अन्दर, लेकिन यह समस्या का हल नहीं है। जैसा माननीय सदस्यों ने वर्णन किया कि लोभ-लालच इसके अन्दर अधिक है, गायों की कीमत बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अन्दर और यहां पर गाय की कीमत बहुत कम है इसलिए लोभ के वशीभूत होकर लोग गाय का स्मगलिंग करते हैं। इस मामले में और जो कदम आलरेडी उठाये गये हैं उसके अलावा और क्या प्रभावी कदम उठाये जा सकते हैं वह हम निश्चित करेंगे। सरकार की इस मामले में साफ मन्शा है जैसे भी हो इस बुराई को रोका जाना चाहिये। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने बरातों के बारे में जिक्र किया कि चार बरातें यहां आई थीं और शादी करके लड़कियां ले गये। इसकी जानकारी नहीं है। इस अवसर पर कांग्रेस श्रम प्रकोष्ठ के संयोजक प्रेम दीपक ने क्या शिकायत की उसकी भी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन मैं इसको दिखवाऊंगा। कोई शिकायत आई है, कोई सुझाव आया है तो इस बारे में प्रभावी कदम उठाये जायेंगे। असली मकसद यह है कि क्या कदम उठाये जायें। ठीक है जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा 10 हजार, बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, 15 हजार और आपने कहा 60 हजार....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नहीं, मैंने नहीं, उन्होंने कहा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां उन्होंने कहा। रामसिंह जी ने कहा है।

आवश्यकता हुई तो, श्रीमान्, मैं इस मामले में दिल्ली जाकर गृह मन्त्री से बात करूंगा कि बी. एस. एफ. को और इफेक्टिव किस प्रकार से बनाया जाय। यही मैं सदन को विश्वास दिला सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल—

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा, जब तक मेरा वक्तव्य नहीं हो जाता, सदन की कार्यवाही....

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे,...

(श्री मोहनलाल मोदी)

(व्यवधान)

आधा घण्टे का समय बढ़ा दीजिये। आपने मेरा नाम पुकारा था।

श्री प्रद्युम्न सिह ; श्रीमान्, बीस मिनट का सवाल है। 8 50 पर खतम कर दें इसको।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री जयकृष्ण शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधे घण्टे के लिए और बढ़ाया जावे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से सदन की कार्यवाही का समय आधे घण्टे के लिये और बढ़ाया जाता है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वक्तव्य समाप्त होने तक....

(व्यवधान)

माननीय मन्त्री महोदय के वक्तव्य तक समय बढ़ा दिया जाता है।

आधे घण्टे की चर्चा

गांव देवगांव (झुंझुनू) के निकट लाइम स्टोन का लीज पट्टा

(तारांकित प्रश्न सं. 10)

श्री प्रद्युम्न सिह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा वक्तव्य नहीं। श्रीमान् एक प्रश्न का उत्तर जो मैंने विस्तार से....

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। आधे घन्टे की चर्चा है, माननीय मन्त्री महोदय को वक्तव्य चर्चा होने के बाद देना चाहिये। मैं आपसे निवेदन करता हूं पहले चर्चा हो जाय फिर वक्तव्य हो जाय वरना सब विषय नहीं आ पायेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिह : श्रीमान्, एक प्रश्न का उत्तर मैंने इस सदन में दिया था कुछ रोज पूर्व....

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या8...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं बयान नहीं दे रहा। मैं निवेदन कर दूं....

(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी ; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एकतारांकित प्रश्न देवगांव के निकट लाइम स्टोन की लीज देने के सम्बन्ध में दिया था उसका राज्य सरकार ने जो उत्तर दिया उसके बारे में मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि राज्य सरकार ने दो लीज का ही एक लीज के लिये 27. 6. 81 को एप्लाई

Page No 217

(श्री मोहन लाल मोदी)

किया था जो 26. 10. 81 को स्वस्तिक मिनरल्स को दी गई, दूसरी लीज के लिये 27. 6. 81 को आवेदन पत्र दिया जो 17. 8. 82 को दी गई। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। जो पहली लीज....

(व्यवधान)

वह बता दूंगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो पहली लीज है, सुखरामदास की डूंगरी के नाम से है, उस लीज के लिये पहले 30-6-77 को कैलाशचन्द गूजर नाम के व्यक्ति ने एप्लाई किया लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया, 9 महीने तक उस लीज के लिये कोई आदेश पारित नहीं किया गया और 9 महीने के बाद आटोमेटिक लीज को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद 15 2 79 को फतहचन्द पार्टनर, जो पवन लाइम स्टोन कम्पनी का है, ने एप्लाई किया उसके नाम भी कोई आदेश पारित नहीं किया और उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरीके से 26-3-79 को जगदीश प्रसाद सोनी ने लीज के लिए एप्लाई किया और उस लीज के अन्दर एक सीमेन्ट।....

श्री नाथूसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर, He is interested party.

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : क्या फर्माया। मैं बोल रहा हूं। 26-3-79 को जगदीश प्रसाद सोनी ने एप्लाई किया और राज्य सरकार ने यह लिख करके कि यह सीमेन्ट उद्योग के लिये विचाराधीन है उसको रिजेक्ट कर दिया। इन चार आदमियों ने इस लीज के लिए एप्लाई किया किन्तु किसी को टाइम पर सुनवाई नहीं हुई, 9 महीने आदेश नहीं दिया गया। उसके बाद उसको लिख कर दिया कि सीमेन्ट उद्योग के लिए रिजर्व है, विचाराधीन है। इसको लीज देने के कारण मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूं। स्वस्तिक मिनरल्स के अन्दर दो भागीदार हैं, एक सुभाष कटवा, एक आर. पी. शर्मा ओ. पी. शर्मा है जो आर. एस. एम. एम. में फाइनेन्सियल मैनेजर हैं, के भाई है। यह राज्य सरकार की हालत है, उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं यह कह कर कि सीमेन्ट उद्योग के लिए यह आरक्षित है तो उस लीज को दुबारा देने के लिये फ्री एरिया डिक्लेयर करना चाहिये। फ्री एरिया डिक्लेयर करके सारे लोगों की एप्लीकेशन मंगानी चाहिये थीं। जिन लोगों ने पहले एप्लाई किया उनको लीज नहीं देना बहुत ही बड़े घोटाले का मामला है। इसको जिस अधिकारी ने आदेश दिया है उसके बारे में आप स्वयं विचार कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह माइनर मिनरल है या मेजर मिनरल ?

श्री मोहनलाल मोदी : माइनर मिनरल का है। दूसरी लीज का प्रश्न रख

(श्री मोहनलाल मोदी)

देता हूं कि जो लीज 17-8 82 को इन स्वस्तिक मिनरल्स को दी है।

श्री उपाध्यक्ष ; आपका मतलब है पहले दरख्वास्त दे उसको मिलनी चाहिये।

श्री मोहनलाल मोदी : उन्होंने पहले की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया और बाद में दूसरे को दे दी। सुल्तान राम नामक पुत्र माला राम ने इस लीज के लिये 7-9-80 को एप्लाई किया। इसमें इतना भ्रष्टाचार है एक आदमी एप्लाई करता है नौ महीने के अन्दर माइन्स फोरमेन की रिपोर्ट नहीं आती है, ए. एम. ई. के पास कागज नहीं जाते हैं। माइनर मिनरल के अन्दर ऐसा रूल है कि नौ महीने के अन्दर अगर लीज सेंक्शन नहीं होती तो वह एप्लीकेशन अपने आप रिजेक्ट हो जाती है। इसलिये इनका अच्छा तरीका है कि नौ महीने तक कोई कार्यवाही न करो, माइन्स फोरमेन की खोदने की रिपोर्ट न देकर आगे नौ महीने के बाद रिजेक्ट कर दिया।

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, यह नौ महीने का मामला ठीक है। नौ महीने होने चाहिये।

श्री मोहनलाल मोदी : 11-9-80 को सुल्तान राम के लिये माइन्स फोरमेन को लिखा और 5-8-81 को रिपोर्ट दी गई। उसमें यह लिखा गया कि यह क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से दिया जाना उचित नहीं है। जब सुल्तान राम को यह क्षेत्र देना, सुरक्षा की दृष्टि से दिया जाना उचित नहीं माना जाता है तो फिर स्वस्तिक मिनरल्स को दिया जाना कहां तक उचित है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सुरक्षित क्षेत्र को शामिल करते हुए सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया ने लीज के लिये एप्लाई किया। उसको भी न दी जाकर यह इस पार्टी को दी गयी। एक लीज पहले दी और एक लीज अब दी। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से विभाग में भ्रष्टाचार चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य, अभी दो–तीन सदस्यों को और बोलना है, मंत्री जी का जवाब आना है।

श्री मोहनलाल मोदी : अभी पूरा समय नहीं हुआ है, थोड़ा समय मुझे और दीजिये।

10-79 को एप्लीकेशन के ऊपर जगदीश प्रसाद सोनी की रिपोर्ट में लिखा है कि सीमेण्ट उद्योग स्थापित करने हेतु शासन के विचाराधीन होने से यह विचार योग्य नहीं है। इस तरह की कार्यवाही होती है, चार आदमी एप्लाई करते हैं उनको छोड़कर विभाग में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको लीज दी जाये। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय जब इसका उत्तर दें तो इसका स्पष्टीकरण भी करें। इस माइनर मिनरल की लीज पर नहीं देने के लिये जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने नौ महीने

(श्री मोहनलाल मोदी)

तक आदेश पारित नहीं किया, इनकी आप जांच करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की डिटेल में सारी जानकारी प्रस्तुत हुई। मुझे इसमें निवेदन करना है कि देवगांव, जो झुंझुनू में स्थित है, में बाबा साहेब का मन्दिर है उसके आसपास के क्षेत्र के गांवों के पंचों और जनता ने उसका बड़ा एतराज किया कि यह धार्मिक क्षेत्र है यहां पर किसी तरह की लीज देना उचित नहीं होगा। इसके अलावा सी. सी आई. को इस स्थान को लेने के लिये प्रार्थना पत्र दिया। राजस्थान सरकार ने राजपत्र अंक-28 पेज संख्या 226, 8 अक्टूबर 1981 में नोटिफिकेशन निकाल करके इसको सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया। दूसरी तरफ कई लोगों ने एप्लाई किया उन सबकी कोई सुनवाई नहीं की गई। लीज देने की अवधि नौ महीने तक होती है उसके बाद यह आटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। तो जान-बूझ कर अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की, प्रार्थना पत्र को डिस्पोज कर दिया और सीमेण्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया के पड़े प्रार्थना पत्र, जो विचाराधीन था, को समाप्त कर दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब इसको सुरक्षित रखा गया था, प्रार्थना पत्र पेंडिंग थे उसके बाद यह एक कम्पनी को दोनों लीज किस प्रकार से दी गई। मुझे ऐसा लगता है इसमें पक्षपात किया गया, अन्याय किया गया है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सारे मामले की आप डिटेल से जांच करें और जो व्यक्ति इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। वहां पर लीज पर न दिये जाने के बावजूद खनन हो रहा है। इस मामले को खनिज राज्य मंत्री बहुत गम्भीरता से लें और इसकी जांच करें। इस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है यह इससे पता लगता है कि माइनर मिनरल एग्रीमेंट होता है उस मामले पर चार दिन के बाद ही लीज पर एग्रीमेंट हो गया। अभी सैक्रेटरी ने रिमाइंड किया, उसकी कोई सुनवाई नहीं की। उसके आधार पर उनको निर्णय करना चाहिये था, उसका निर्णय नहीं किया गया। मैं समझता हूं चार दिन में राजस्थान के इतिहास में इस प्रकार का लीज एग्रीमेंट होना पहली बार हुआ है। आप इसकी जांच करें, जनता बड़ी अशांत है। स्टे आर्डर के बाद भी खनन हो रहा है। एक पार्टी को विशेष, जिसका ओम प्रकाश नाम है, भाई का नाम आर. पी. शर्मा है जो उसमें शामिल है, यह सारी कार्यवाही बिलकुल गलत ढंग से की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

(व्यवधान)

आपस में बातें नहीं।

श्री रतनलाल ताम्बी : एक व्यक्ति ने एप्लाई किया उसको नहीं मिली और

(श्री रतनलाल ताम्बी)

दूसरे को दे दी। इसलिये मैं चाहूंगा कि स्टाफ से जांच करवा लें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुन्दरलाल।

(अनुपस्थित)

खनिज राज्य मंत्री जी।

(व्यवधान)

जिनका नाम नहीं है उन्हें मैं बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लिखित में आपको....

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने अनुमति नहीं दी है। कृपया विराज जाइये जिन्होंने प्रिवियस नोटिस नहीं दिया है उनको अनुमति मैं नहीं देता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं उत्तर देता हूं उसके उपरान्त भी आपको प्रश्न पूछना हो तो पूछें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको मंजूर है ना ?

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री जोशी को भले ही मेमोरेंडम देना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था कि "जिला झुन्झुनु के गांव देवगांव में लाइम स्टोन की खान के पट्टे को लीज पर लेने के लिए कितने व्यक्तियों ने कब-कब आवेदन पत्र प्रस्तुत किये और उन पर क्या कार्यवाही की ? "उत्तर था कि" जिला झुन्झुनु के देव गांव के निकट लाइम स्टोन की खान का पट्टा देने के लिए जिन जिन व्यक्तियों ने आवेदन पत्र प्रस्तुत किये तथा उन पर जो कार्यवाही की गई वह संलग्न परिशिष्ट में दर्शायी गई है।" वह मैंने सदन पर रख दी थी। दूसरा प्रश्न था कि "क्या यह सही है कि उपरोक्त खनिज क्षेत्र लीज दिनांक 17-8-82 को स्वास्तिक मिनरल के नाम से स्वीकृत की गई ? यदि हां, तो इस औपचारिकता को पूर्ण करने में कितना समय लगा।" उत्तर था "जी हां, इस खनन को 23-8-82 को पंजीयन करके दे दिया गया है। इस प्रकार लीज की औपचारिकता पूर्ण करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ।" तीसरा था "क्या यह सही है कि पहला खनिज लाइम स्टोन के लिए आरक्षित होने की वजह से लीज पर नहीं दिया गया था ? यदि हां, तो अब लीज पर देने का क्या कारण है।" श्रीमान, इस बारे में कोई कंफयूजन न रहे इसलिए मैं कहना चाहता हूं Cement industry was under the order of the Government dated 22.12.78.

अगर आप चाहें तो मैं इसको पढ़कर सुना दूं। मेरे पास इसकी कापी है लेकिन समय को बचाने के लिए—

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

and that order was cancelled by Government dated 17.12.79.

सन् 1978 में इसका रिजर्वेशन किया 17-12-79 को इसको सीमेन्ट के क्षेत्र के लिए जो आरक्षित किया गया था। उस आर्डर को निरस्त कर दिया गया इसलिए पेमेन्ट की कोई चर्चा रही नहीं. यह बात इससे साफ जाहिर हो जाती है।

अब माननीय सदस्य ने सुल्तानाराम के बारे में एक बात कही कि सुल्तानाराम को यही एरिया, जो स्वस्तिक मिनरल्स को अलाट किया गया है, इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वह सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं रहेगा। यह बात गलत है। सुल्तानाराम का इस आधार पर खारिज नहीं किया गया। उसका प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया था कि वह डीम्ड रिफ्यूजल की केटेगरी में आता है, इसलिये आ गया था कि जो ला में डिस्टिंक्शन दिया था आपने एप्लीकेशन में वह दिया था परशुराम पुरा, देव गांव। प्रश्न में पूछा है देव गांव। वह परशुराम पुरा से प्रार्थना पत्र दिया गया था और जब सर्वे में ढूंढा, वहां पर जानकारी प्राप्त की तो इन सज्जन ने डिस्क्रेप्शन रिपोर्ट दी, उस बारे में कोई विवरण नहीं दिया और ऐसा पता लगा, जो मेरे पास जानकारी है, यह बेनामी नाम से प्रार्थना पत्र दिया गया था इसलिये इसका निस्तारण नहीं हो पाया और deemed to have refused की केटेगरी में आ गया।

श्री मोहनलाल मोदी : अब बेनामी नाम की एक चीज और कह रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष ; बीच में न बोले।

(व्यवधान)

आप नोट कर लीजिये। मैं कानून जानता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह ; आप सुन लें। मैं निवेदन कर रहा हूं।

(सदन की कार्यवाही विधान सभा की बैठक के किन किन समय में वृद्धि

श्री उपाध्यक्ष ; सदन की कार्यवाही इस मसले के खतम होने तक बढ़ाई जाती है।

गांव देवगांव (झुंझुनू) के निकट लाइम स्टोन का लीज पट्टा

श्री प्रद्युम्नसिंह ; श्री सुल्तानाराम का आवेदन पत्र सहायक खनिज अभियन्ता के कार्यालय में दिनांक 5 सितम्बर, 1980 को प्राप्त हुआ। इस आवेदन पत्र में क्षेत्र के विवरण के कालम में स्थान का नाम परशुरामपुरा, देवगांव अंकित किया गया है। प्रश्न सं. 8, खनिज मंत्री जिला झुंझुनू के देव गांव से सम्बन्धित था इसलिये सम्बन्धित प्रश्न के उत्तर में जो सूची दी गई है उसमें श्री सुल्तानाराम का नाम नहीं दिया जा सका। श्री सुल्तानाराम का आवेदन 4-6-81 को स्वत: ही अस्वीकृत श्रेणी में आ गया था, यह आवेदन पत्र सुरक्षा की दृष्टि से अस्वीकृत नहीं किया गया था।

जहां तक उपरोक्त प्रश्न के भाग (3) के उत्तर का सम्बन्ध है यह निवेदन करना आवश्यक होगा कि 1-8-25 कि. मी. क्षेत्र लाइम पुनरीक्षण के लिये 22-8-81 को आरक्षित किया गया था। सम्बन्धित प्रश्न इस प्रकार है – '1. क्या यह सही है कि पहले यह खनिज क्षेत्र लाइम स्टोन पुनरीक्षण हेतु आरक्षित होने की वजह से लीज पर नहीं दिया गया था? यदि हां तो अब

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

लीज पर देने के क्या कारण है ? इस प्रश्न का नकारात्मक उत्तर दिया गया है। यह इसलिये कि पूर्व में आवेदन पत्र श्री जगदीश प्रसाद सोनी का दिनांक 22-3-79 का था जिसे दिनांक 19-10-79 को क्षेत्र के आरक्षण से पूर्व अस्वीकृत किया गया था। स्वास्तिक मिनरल एण्ड इंडस्ट्री प्रा0 लि0 के दो प्रार्थना पत्र दिनांक 27 6 81 के है। एक 80 × 50 वर्ग मीटर क्षेत्र है जो पुनरीक्षण हेतु आवेदन क्षेत्र में स्थित होने के कारण अधीक्षण अभियन्ता द्वारा अस्वीकृत किया गया। रिवीजन में निर्णय के अनुसार इस अस्वीकृति को निरस्त किया गया और प्रार्थना पत्र का नियमानुसार निस्तारण का आदेश दिया गया। अधिक्षण अभियन्ता ने तत्पश्चात यह क्षेत्र विकसित कर दिया था जिसका कारण मात्र यह तथ्य है कि खनिज चूना पत्थर पर पुनरीक्षण कार्य हेतु जिस क्षेत्र का आरक्षण किया गया....

(8·47 रात्रि श्री पूनमचन्द विश्नोई, सीन अध्यक्ष पीठा)

वह पूर्व में स्वीकृत क्षेत्र को छोड़ कर बचे हुए क्षेत्र के लिये ही दिया गया था। जो गजट नोटिफिकेशन हुआ था उसमें यह बात साफ तौर से जाहिर की गई थी। गजट नोटिफिकेशन था 8-10 81 का, उसमें इस बात को दर्शाया गया था कि यह एरिया पुनरीक्षण के लिये रिजर्व किया जाता है लेकिन इसमें जो एरिया आलरेडी अलाट हो चुका है या इस एरिया पर इस तिथि से पहले प्रार्थना पत्र लग चुके हैं उनको कंसीडर किया जायेगा। स्वस्तिक मिनरल का जो केस रिमाण्ड होकर गया, वहां के एस. एम. ई को वह इस आधार पर गया था कि यह क्षेत्र जो पुनरीक्षण के लिये आरक्षित किया गया था, तो गजट नोटिफिकेशन हुआ था, उससे पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया था इसलिये इस केटेगरी के अन्दर कवर नहीं होता था।

तो मेरा निवेदन यह है कि इसके अन्दर कोई अनियमितता नहीं हुई है लेकिन फिर भी माननीय सदस्य का इसके अन्दर आरोप है कि इसके अन्दर अनियमितता की गई है तो मैं आपके मार्फत माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई भी इसके अन्दर अनियमितता हुई है तो मैं निश्चित रूप से जांच कराने के लिये तैयार हूं. जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायेगा इसके अन्दर, मैं उसके विरुद्ध कार्यवाही करूंगा। मेरा इसके अन्दर संरक्षण देने का प्रश्न नहीं होता है। यह लीज 1980 में स्वीकृत हुई है मेरे आने से पहले। दूसरा अभी हुआ है 8 वें महीने में जो मेरी कांपीटेंस में नहीं है, सरकार के अन्दर आती नहीं है, नीचे के स्तर पर मंजूर हो जाती है। अगर आप कहते हैं कि इसके अन्दर गफलत की गई है, गड़बड़ी की गई है तो निश्चित रूप से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी नियमों के तहत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय ने एक व्यवस्था दी है उसको आप मानेगें।

श्री अध्यक्ष : जो पीठासीन न हो उस व्यक्ति....

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

जो व्यक्ति पीठासीन हो उसकी व्यवस्था मानी जाती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह है जाने वालों की बेइज्जती हो। आप देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : ऐसा कोई इरादा नहीं है। ऐसा है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं एक प्रश्न पूछूंगा ..

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया पहले तो तीन माननीय सदस्य अपनी इच्छा जाहिर कर दें, एक दो। अब आपको इजाजत नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

बैठ जाइये। अब पांच मिनट का समय देता हूं। चाहे जितने माननीय सदस्य दो तीन चार पांच उपयोग कर सकते हैं इसका। पांच मिनट समाप्त होते ही चर्चा समाप्त हो जायेगी।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतना गम्भीर मसला है....

श्री अध्यक्ष : गम्भीर मसला। आर्डर प्लीज। पांच मिनट का समय है। उसमें चार माननीय सदस्यों को बोलना है। कृपया वे अपनी बात कह दें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपको बधाई देता हूं, आपने पहली बार 50 × 50 मीटर का एक प्लाट दिया और उस पर एतराज आ गया व आधे घण्टे की चर्चा आ गई। मैं बधाई देना चाहता हू। मैं बधाई के साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि झुंझनू और सीकर में दोनों माइन्स पर मोदी परिवार ने अधिकार करने कि प्रवृत्ति बना रखी है, उनको तोड़ने को तैयार हैं। मैं माननीय मंत्री को आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जिन लीजेज को अवैधानिक रूप से, गलत ढग से, नियमों को ताक में रखकर, सरकार को धोखे में रख कर, गलत रिप्रेजेंटेशन करके लिया है उनको निरस्त करने का जनता पार्टी ने नोटिस दिया था, उसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल। मैं पूछना चाहता हूं, एक षड्यन्त्र चल रहा है, छोटे छोटे प्लाट देने की नीति बनाई है....

श्री अध्यक्ष : पुनरावृत्ति नहीं करें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं जानना चाहता हूँ, गरीबों को प्लाट देने के नाम पर, पीस मील में करके मोदी परिवार....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अंकित नहीं हो।

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य ।

श्री कैलाश मेघवाल : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं दो मिनट में....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सिरोही में मोदी परिवार, इनके लड़के गोपाल मोदी की लीज है । इसलिए यह नहीं चाहते हैं किसी जाट, किसी गूजर, दूसरे व्यक्ति को छोटे छोटे टुकडे मिल जायं । इसलिए मंत्री महोदय ने ठीक किया है....

(व्यवधान)

स्वास्तिक मिनरल्स को देकर । एक बात ।

दूसरी बात निवेदन करना चाहता हू निम्बाहेड़ा एरिया में इन्होने फर्जी, दूसरे नाम पर लीज ले रखी है । सारे पर मोदी परिवार का अधिकार है । उसको तोड़ने की कार्यवाही करें ।

तीसरा मैं कहना चाहता हूं, मलवे की उठाई के रूप में उठा रहे हैं । पांच रुपया रायल्टी के रूप में एक टन का मिलता है । मलवा उठाते हैं और मलवे के नाम पर लाइम स्टोन को उठा रहे हैं एक रुपये टन के ऊपर । इसके खिलाफ आप कार्यवाही करें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नम्बर चार में कहना चाहता हूं, कोयले के अन्दर....

श्री मोहनलाल मोदी अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन्होने आक्षेप लगाया है जिस बात का, मैं इस बात को चेलेंज देकर कहना चाहता हूं कि जरा सी किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं निकले तो आपको त्याग पत्र देना चाहिए या मैं दे दूंगा ।

(व्यवधान)

यह ऐसे बोखला गये हैं क्योंकि सीकर जिले में इन का प्रभाव समाप्त हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, समय ले रहे हैं । आर्डर प्लीज ।

श्री कैलाश मेघवाल : आपका हित है, पैसे का हित है, निजी स्वार्थ है ।

श्री मोहनलाल मोदी : कोई निजी स्वार्थ नहीं है । मैं आपको इस बात का चैलेंज करता हूं । इसमें मेरा निजी स्वार्थ निकले तो आप जो चाहें वह कर सकते हैं । आप लांछन लगाते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

एक माननीय सदस्य : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर ।

Page No 225

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किसी गरीब को छोटा सा टुकड़ा मिल जाय इससे आपको दर्द होता है।

श्री मोहनलाल मोदी : आपकी जनता पार्टी का सोनी है उसकी वकालत कर रहा हूं। उसके लिए कहा है। आपको जानकारी नहीं है। आपको, माननीय सदस्य, जानकारी नहीं है। यह जनता पार्टी का सोनी है।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही....

(व्यवधान)

कल दिनांक 11 सितम्बर, 1982 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 8.55 बजे मंगलवार दिनांक 21 सितम्बर, 1982 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट 1

तारांकित प्रश्न संख्या 297 की सूची

जिला कोटा से सम्बन्धित भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में पंजीकृत किये गये अपराधों की सूची

क्र. सं.	अपराध सं.	विरुद्ध	निर्णय	विवरण
1.	16/80	श्री अब्दुल गफूर, ए. एम. आई. थाना नयापुरा, कोटा	चार्जशीट नं. 52 दिनांक 6-12-80	चालान दिनांक 18-12-80
2.	20/80	श्री भगवती प्रसाद, पटवारी, हल्का तालाब, जिला कोटा	चार्जशीट नं. 56/23-12-80	चालान दिनांक 30-12-80
3.	39/80	श्री रघुनाथ सिंह, एस. एच. ओ. थाना कैथून, जिला कोटा	एस. आर. अदम सबूत 6/16-2-81	एफ. आर. स्वीकृत दि. 11-1-82
4.	50/80	श्री गोपाल लाल शर्मा ए. सी. टी. ओ. कोटा	एफ. आर. अदम सबूत 11/25-6-82	
5.	61/80	श्री कृपाल पुत्र श्री भोलाराम सिन्धी, श्री सुन्दर, भीमगंज मण्डी, कोटा	चार्जशीट नं. 5/31-3-81	चालान निांदक 28-4.81
6.	62/80	श्री छोटे खां सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पी. एस. उद्योग नगर, कोटा।	अभियोजन स्वीकृति के अभाव में एफ. आर. नं. 45/23-10-81	

Page No 227

क्र. सं.	अपराध सं.	विरुद्ध	निर्णय	विवरण
1.	6/81	श्री रामनारायण मेहर मीटर रीडर, जलदाय विभाग, कोटा	चार्जशीट नं. 9 दि. 22-5-81	चालान दिनांक 1.6.81
2.	18/81	श्री रामावतार, ए.पी.पी. (1) जे.एम.कोर्ट, बांरा श्री नवल सिंह, क.लि. कोटा	एफ. आर. अदम सबूत नं. 42/7-9-81	
3.	45/81	श्री बाबूलाल गुप्ता, ए. सी. टी. ओ. श्री भंवर सिंह खिची, इन्सपेक्टर, कोटा	तफतीश चल रही है।	
4.	51/81	श्री नूर अहमद, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, कोतवाली रामपुरा, कोटा	प्रकरण का अन्वेषण जारी है।	
5.	55/81	श्री कल्याण सिंह, भारसाधक पदाधिकारी हरनावदा, जिला कोटा	अन्वेषण जारी है।	

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 211 की सूचीयां

बाड़मेर जिले में अगस्त, 82 तक पेयजल हेतु लाभान्वित ग्रामों की पंचायत समितिवार सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	1971 की जनसंख्या	योजना का नाम
1	2	3	4	5
पंचायत समिति : बालोतरा				
1.	सराना	102	1975	परम्परागतजल योजना
2.	कितोंद	103	1553	,, ,,
3.	बालूजाति	121	1010	हैण्डपम्प योजना
4.	खोरा हुरचन्द	68	68	,, ,,
5.	कोरी	98	940	,, ,,
6.	माण्डली	127	960	,, ,,
7.	नागना	134	854	,, ,,
8.	गंगावास	128	872	,, ,,
9.	कालानकोट	86	83	,, ,,
10.	फूमोली	124	554	पम्प एवं टैंक योजना
11.	कल्याणपुरा	113	1972	क्षेत्रीय जल योजना
12.	सूरजपुरा	157	515	,, ,,
13.	काकरला	107	500	,, ,,
14.	पिन्दारन	110	327	,, ,,
15.	साखलों की ढाणी	156	610	,, ,,
16.	बांगलोप	153	283	,, ,,
17.	धाराईसोधा	154	71	,, ,,
18.	प्यारोजी चरणान	111	234	,, ,,
20	धर्मशर्म	152	239	,, ,,
21.	जिनयानी	100	933	,, ,,
22.	रामसेनसाठ	60	339	,, ,,
23.	मूनगरा	61	1049	,, ,,
24.	पोचूजा	58	1204	,, ,,
25.	मुण्डियाक	64	793	,, ,,
26.	होकलो	59	178	,, ,,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
27.	परलो	105	2501	पम्प टैंक योजना
28.	उमरलाई	99	1042	,, ,,
29.	घोलीकालान	149	483	,, ,,
30.	घोलीखुर्द	134	423	,, ,,
31.	घोलीराजमुरन	150	189	,, ,,
32.	असराउण्डा	142	478	,, ,,
33.	असरावा चारनान	143	470	,, ,,
34.	असरावा नागचा	140	62	,, ,,
35.	मेवा नगर	44	915	,, ,,
36.	असोतरा	57	2011	,, ,,
37.	कालूरी	49	700	,, ,,
38.	तपरा	52	2223	,, ,,
39.	जगसा	53	1523	,, ,,
40.	बूंदीवारा	54	1237	,, ,,
41.	आसदा	55	3045	,, ,,
42.	पचपदरा सेल	36	48	,, ,,
43.	बरिया भागवती	50	382	,, ,,
44.	सिगली चौसीरा	15	480	,, ,,
45.	भिमरलाई	3	452	,, ,,
46.	सिमलिया	47	383	,, ,,
47.	बाबवास	13	190	,, ,,
48.	कीतथला	48	621	,, ,,
49.	मकराना	12	167	,, ,,
50.	गोल	11	534	,, ,,
51.	बरिया बरीचा	45	229	,, ,,
52.	तीलवारा	16	558	,, ,,
53.	पचपदरा	63	3555	पम्प योजना
54.	जसोल	56	4921	,, ,,
55.	कनाना	104	2691	,, ,,
56.	कोरना	132	2853	हैण्ड पम्प
57.	सिमराखिया	83	688	,, ,,
58.	सायोनी चारानान	84	239	,, ,,

1	2	3	4	5
59.	सायोनी चरानान	85	298	हैण्ड पम्प
60.	परालियाग्रायत	130	188	,, ,,
61.	परालिया सासन	131	294	,, ,,
62.	त्रिसिगरी सोघ	92	616	,, ,,
63.	त्रिसिगरी चोहन	93	179	,, ,,
64.	घूघाली	91	109	,, ,,
65.	थाव	87	1748	,, ,,
66.	जस्ती	129	616	,, ,,
67.	नेरोई	115	766	,, ,,
68.	खरूदी	77	890	,, ,,
69.	मोहनपुरा	89	339	,, ,,
70.	मेघावास	117	272	,, ,,
71.	बनियावास	118	274	,, ,,
72.	देवरिया	133	590	,, ,,
73.	पातसर	119	640	,, ,,
पंचायत समिति :—चोहटन				
1.	सनाऊ	36	1195	परम्परागत जल योजना
2.	बीणासर	51	1010	,,
3.	मीथी का टीला	61	1146	,,
4.	सुहागी	128	317	हैण्ड पम्प
5.	भावला	129	303	,,
6.	सनघालासी	142	433	,,
7.	बोली	145	880	,,
8.	हेमावास	143	298	,,
9.	मोघवा	146	356	,,
10.	पनोरिया	144	1223	,,
11.	प्रीसारा	133	222	,,
12.	धनाऊ	63	2868	,,
13.	अलामसर	62	2316	पम्प एवं टैंक योजना
14.	सोंघियासर	56	950	,,
15.	बुरान का टीला	68	1520	,,
16.	बिसारनिया	61	3704	,,

1	2	3	4	5
17.	नेतराध	54	3638	पम्प एवं टैंक योजना
18.	सिहानिया	94	868	,,
19.	सीधवा	83	1466	,,
20.	कोनरा	53	2490	,,
21.	कितनोरिया	64	2052	क्षेत्रीय जल योजना
22.	सनवा	67	1917	,,
23.	ध्रासने का तला	81	309	,,
24.	पूजासर	77	895	,,
25.	धेंमुधा	88	257	,,
26.	सिनहार	79	820	,,
27.	सलारिया	84	789	,,
28.	इध्रोदा	82	1744	,,
29.	उपारला	292	677	,,
30.	परादिया	27	791	,,
31.	घरासर	9	2057	,,
32.	धोक	26	829	,,
33.	धोनिया	11	512	,,
34.	बीजराद	12	2367	,,
35.	चोहटन	20	4499	पाईप योजना

पंचायत समिति:— सिवाना

1.	देवरा	37	675	पारस्परिक स्रोत योजना
2.	देवंदी	42	441	,,
3.	रानीदेसीपुरा	22	489	,,
4.	ध्रजीत	29	1542	,,
5.	कोटरी	31	1464	,,
6.	मेली	39	1424	,,
7.	माध्रोरी	43	1260	,,
8.	काठरी	51	1304	हैण्ड पम्प
9.	भगवा	55	1026	,,
10.	कुन्डाल	47	1720	,,
11.	गुंडा	8	1050	,,
12.	धारोध्राला	57	550	,,

Page No 232

1	2	3	4	5
13.	पाऊ	51	744	हैण्ड पम्प
14.	कुम्पावास	15	363	,,
15.	फूलन	67	635	,,
16.	ग्रोरन	68	1283	,,
17.	गोडान का वास	77	156	,,
18.	चारनू का वाडा	30	135	,,
19.	लुडूरदा	64	620	,,
20.	बिजलिया	66	300	,,
21.	सेक्ष रलाई	13	760	,,
22.	बालीयाना	5	400	,,
23.	कुशीप	12	2110	पी एण्ड टी
24.	बामसीन	36	715	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना
25.	खंडप	88	3440	,,
26.	साखी	85	1931	,,
27.	सनवूरदा	70	609	,,
28.	मोखादी	21	257	,,
29.	पादरु	56	5545	,,
30.	मिधुरी	49	2271	,,
31.	करमावास	34	2120	,,
32.	छयाली	84	473	,,
33.	मोतीसरा	86	1017	,,
34.	दावली	87	224	,,
35.	रात्री	82	655	,,
36.	मर्धनादी	83	603	,,
37.	सेवाली	71	621	,,
38.	सरवारी	89	345	,,
39.	पाटोका वाडा	28	553	,,
40.	मियाँ का वाडा	27	547	,,
41.	देवालियाली	19	321	,,
42.	बूराड	32	123	,,
43.	त्रिगाटी	33	109	,,
44.	लालियाँ	74	232	,,
45.	कामू का वाडा	72	812	,,

1	2	3	4	5
46.	मातेल	81	2691	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना
47.	खारनसिया	75	827	"
48.	माघ खरेवतिया	76	624	"
49.	ग्रम्बू का वाड़ा	73	54	"
50.	समदारी	29	8401	"
51.	सिवाना	10	18610	"
52.	माकेलसर	53	6075	"
पंचायत समिति :—बयितू				
1.	सवाऊ पदमसिंह	190	3556	पम्प एवं टैंक
2.	बान्द्रा	137	2975	"
3.	घूंधा	134	3302	"
4.	भामदा	141	1964	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना
5.	बायतु पंजी	190	2027	"
6.	बायतू भोपजी	199	2403	"
7.	बायतु भोमजी	200	3750	"
8.	छीतर का पर	130	1757	"
9.	बायतू चिमंजी	197	2962	"
10.	भूरतिया	133	2740	"
11.	चाबा	186	3522	"
12.	खातवार	207	4264	"
13.	बातडू	145	5177	"
14.	हुडु की ढाणी	142	1065	"
15.	मादपुरा सैनी का वास	136	1065	"
16.	कोसरिया	143	1303	"
17.	मदपुरा बेरवारा	135	2167	"
18.	हीरा की ढाणी	155	1575	"
19.	निम्बला की ढाणी	159	651	"
20.	खोकसर	162	33083	"
21.	सोहरा	189	1136	"
22.	गिरा	186	1219	"
23.	कसुम्बला	154	1007	"
24.	रातेऊ	149	234	"

1	2	3	4	5
25.	पानावाडा	196	166	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना
26.	कानोड	191	1982	,,
27.	सहर	140	1214	,,
28.	कूलू	144	1340	,,
29.	खियर	147	1161	,,
30.	अंकादरा	195	2207	,,
31.	झंक	146	1751	,,
32.	रोहिली	15	1130	,,

पंचायत समिति:—सिन्दरी

1.	कमढाई	230	365	हैण्ड पम्प
2.	अदल	209	3143	पम्प एवं टैंक
3.	शिवकर	131	2674	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना
4.	शिवकर कुडला	132	1796	,,
5.	भाटा खरवा	296	441	,,
6.	नेहुरों की ढाणी	297	834	,,
7.	कोसलु	291	910	,,
8.	खारिया खुर्द	298	1204	,,
9.	निवालकोट	264	1405	,,
10.	साजंटा	209	2170	,,
11.	हुड्ड	263	3999	,,
12.	गोलिया महेचान	244	460	,,
13.	धनवा	245	852	,,
14.	जुना मीठा खेडा	247	1204	,,
15.	भाटा खेडा	246	1536	,,
16.	टाकु	234		हैण्ड पम्प

पंचायत समिति:—धोरीमन्ना

1.	सिन्डासवा हुरनिया	300	1066	हैण्ड पम्प
2.	कटरला	332	842	,,
3.	गान्धवा खुर्द	359	399	,,
4.	सनावरा खुर्द	362	151	,,
5.	मोडावास	309	156	,,

1	2	3	4	5
6.	लुम्बावास	301	161	हैण्ड पम्प
7.	आकली	349	196	,,
8.	रामजी का गोल	354	178	,,
9.	वाब तलाई	110	471	,,
10.	ओगाला	111	1605	,,
11.	कातिया	113	1383	,,
12.	भाकरपुरा	377	1504	पी एवं टैंक
13.	कोशा	324	1396	,,
14.	धोरनिया	322	3690	पाइप योजना
15.	लोहारवा	320	1913	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना
16.	खारडी	316	273	,,
17.	सनावडा	317	606	,,
18.	भीमथल	310	1003	,,
19.	पाबुवेडा	339	315	,,
20.	पूंजावेडी	340	439	,,
21.	खुन्दावा	322	723	,,
22.	बन्ता	365	730	क्षेत्रीय जल योजना
23.	धीमरी	366	262	,,
24.	आलपुरा	360	699	,,
25-	गुड़ा	370	5531	,,
26.	भालीसर	325		पम्प एवं टैंक
पंचायत समिति:— बाड़मेर				
1.	रानीगांव	124	1705	पारम्परिक स्रोत योजना
2.	नाथमा	104	671	हैण्ड पम्प
3.	मीथीसर	109	229	,,
4.	जसाई	107	305	,,
5.	सिहानी	30	1332	,,
6.	इन्द्रोही	34	536	,,
7.	मारुडो	116	554	,,
8.	अन्टा	26	101	,,
9.	असाडा की देरी	107	323	,,
10.	दांता	110	212	,
11.	दाऊडा	117	381	,,,

1	2	3	4	5
12.	उन्दरवा	126	1606	हैण्ड पम्प
13.	राडवा	123	516	,,
14.	कपूरडी	16	836	पम्प एवं टैंक
15.	महावर	130	644	,,
16.	लोडिया जागीर	13	350	,,
17.	भाडका भादरवा	140	2371	,,
18.	जालिया	113	626	,,
19.	विशाला	11	3074	पाइप योजना
20.	भीलो का पार	52	646	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना
21.	कन्टाल का पार	49	332	,,
22.	रामसर	41	2015	,,
23.	गगरिया	44	372	,,
24.	कन्टालिया का पार	40	456	,,
25.	बनवा	37	133	,,
26.	सुजावल का पार	47	99	,,
27.	लासवा	96	135	,,
28.	सुवाडा	97	568	,,
29.	चडवा सन्डरूप	90	355	,,
30.	पडवा दखनाद	92	101	,,
31.	सोनडी	12	200	,,
32.	सुरा चारनान	6	404	,,
33.	सुरा नरपतान	8	167	,,
34.	सुरा जागीर	7	430	,,
35.	नाद	5	1331	,,
36.	दूदावेरी	2	262	,,
37.	बूढ़िया	51	836	विस्तार क्षेत्रीय योजना
38.	बाडमेर (ग्रामीण)	131 (ए)	1010	,,
39.	बुठिया पुरोहितान	14	140	,,
40.	मूदेश गान्धव	17	542	,,
41.	भदरेश पुनशिया	10	276	,,
42.	चूली	112	320	,,
43.	धानोरा	20	192	,,
44.	त्रिसंगारी	22	275	,,

1	2	3	4	5
45.	त्रिसंगरा	21	398	विस्तार क्षेत्रीय योजना
46.	गुंडीसर	110	551	,,
47.	बोला	23	447	,,
48.	देवासर	25	1446	,,
49.	केरवाल	9	192	,,
50.	जायडू	32	531	हैण्डपम्प योजना
51.	मालवा	3	190	,,
52.	सोखरू	4	406	,,
53.	लावरान	29		,,
54.	लंगेरा	120	120	,,
55.	खान्टी खुर्द	121	1020	,,
56.	खारची	36	—	,,
57.	जुनापतरासर	120	—	,,
58.	निंबरी खुर्द	119	—	,,
59.	खारिया राठौड	93	890	,,
पंचायत समिति, शिव :—				
1.	रदाना	20	1101	पम्प-टंक योजना
2.	बालेवा	10	694	,,
3.	देदरीयार	21	253	,,
4.	गिराव	11	2197	पम्प एवं टंक
5.	हरसानी	16	4461	,,
6	सजीत्रा	57	307	,,
7.	सुन्द्रा	1	2195	,,
8.	शिव	59	7905	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना
9.	गुंगा	43	1437	,,
10.	नीमला	56	888	,,
11.	अंगेरिया	55	165	,,
12.	कुरवली	93	403	,,
13.	उन्डू	72	2795	,,
14.	कानासर	71	1453	,,
15.	काशमीर	73	1705	,,
16.	भीयार	63	2540	,,

1	2	3	5	5
17.	वलाई	60	611	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना
18.	बीसू कलां	62	434	,,
19.	बीसू खुर्द	61	174	,,
20.	कोटरा	51	2657	,,
21.	जासाका गांव	49	103	,,
22.	रावत का गाँव	40	50	,,
23.	चक भेनरुका	50	105	,,
24.	वंडासर	15	653	,,
25.	तामलोर	15	726	,,
26.	वातरा	79	171	,,
27.	गोखाव कलां	74	970	,,
28.	नागरदा	77	1205	,,
29.	पोसल	70	447	,,
30.	चोचरा	70	911	,,
31.	राटखूदिया	60	207	,,
32.	ग्रारंग	69	942	,,
33.	झिनकाली	9	599	,,
34.	गडरा रोड	14	2599	पाइप योजना
35.	मुगेरिया	25	1816	हैण्ड पम्प
36.	गेदूसर	12	—	,,

परिशिष्ट-3

तारांकित प्रश्न संख्या 297 की सूची

जांच दल द्वारा जयपुर की निम्न इकाइयों की पास बुकें जांच हेतु जप्त की गई —

क्र. सं.	इकाई का नाम व पता
1.	मैसर्स किरण इण्ड. ग्रो. क्षे. जयपुर।
2.	मैसर्स जगदीश इण्डस्ट्रियल कारपो सिटी पैलेस एरिया, जयपुर।
3.	मैसर्स आटो बाडी सेन्टर, झोटवाड़ा, जयपुर।
4.	मैसर्स सांघी इन्जीनियर्स, एम. आई रोड, जयपुर।
5.	मैसर्स विजयवर्गीय इण्ड, 38-इन्द्रा कलोनी, बनी पार्क, जयपुर।
6.	मैसर्स खण्डेलवाल एण्टरप्राइजेज, करतारपुरा 22 गोदाम, जयपुर।
7.	मैसर्स खण्डेलवाल इन्जीनियर्स इण्ड. धामानी मार्केट, जयपुर।
8.	मैसर्स अरुणोदय फाउन्ड्री, ई-248, विश्वकर्मा ग्रो. क्षे., जयपुर।
9.	मैसर्स न्यू इण्डिया इन्जी. वर्क्स, झोटवाड़ा, जयपुर।
10	मैसर्स कृष्णा मेटल इण्ड., धामानी मार्केट, जयपुर।

जलप्रदाय योजना हुडू भटाला के गांव हुडू व सांजटा में माह जनवरी, 81 से अगस्त, 82 तक जल सप्लाई विवरण

क्र. सं.	माह	हुडू को प्रति माह प्रति व्यक्ति जल वितरण गैलन में	सांजटा को प्रति माह प्रति व्यक्ति जल वितरण गैलन में
1.	जनवरी, 81	शून्य	42
2.	फरवरी, 81	शून्य	40
3.	मार्च, 81	शून्य	53
4.	अप्रैल, 81	शून्य	47
5.	मई, 81	95	43
6.	जून, 81	132	46
7.	जुलाई, 81	140	52
8.	अगस्त, 81	103	36
9.	सितम्बर, 81	93	32
10.	अक्टूबर, 81	57.5	24
11.	नवम्बर, 81	95	46
12.	दिसम्बर, 81	174	87
13.	जनवरी, 82	33	17
14.	फरवरी, 82	68	29
15.	मार्च, 82	126.5	50
16.	अप्रैल 82	83.6	36
17.	मई, 82	96.5	47
18.	जून, 82	19	—
19.	जुलाई, 82	84.5	28.5
20.	अगस्त, 82	166.5	104

बाड़मेर/जल प्रदाय योजनाओं के जिन गांवों में समुचित मात्रा में पानी नहीं जाता है उन ग्रामों की सूची :—

क्र. सं.	योजना का नाम	कुल लाभान्वित गांवों की संख्या	अनियमित जल वितरण कराने वाले गांवों के नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना नीम्बला शिव गूंगा	5	गूंगा	बिजली की अनियमित सप्लाई के कारण गूंगा पानी अनियमित जाता है ?
2.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना वरिया चंदेसरा	9	1. किटपाल 2. सिवालिया 3. भीमरलाई 4. गोल 5. बेकारना	स्रोत पर मांग के अनुसार जल उत्पादन नहीं हो पा रहा है। विद्युत सप्लाई अनियमित तथा मांग के अनुसार नहीं होने के कारण
3.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बालोतरा टापरा	7	1. कालूड़ी	दीमक द्वारा टापरा व कालूड़ी के बीच की पाइप लाइन की रबड़ रिंग खा लिये जाने के कारण लाइन में बहुत लीकेज रहते हैं अतः जल सप्लाई अनियमित है। इस लाइन को पी. वी. सी. लाइन में बदलने की कार्यवाही की जा रही है।
4.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना हुडू भटाला	7	1. सांजटा 2. हुडू	विद्युत सप्लाई मांग के अनुसार न होने के कारण इन दोनों छोर के गांवों में जल सप्लाई अनियमित रहती है।
5.	क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना लोहरवा भीमथल	9	1. पूंजा बेरी	लाइन टीबों में बहुत नीचे होने से टूट फूट होने पर मरम्मत में समय लगता है। इसलिये जल अनियमित मिलता है।
			10 ग्राम	

परिशिष्ट 4

तारांकित प्रश्न संख्या 2 की सूची

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

दिनांक 1-4-80 से 31-3-82 तक राजस्थान में बिजली की चोरी पकड़ने के मामलों की विवरण-तालिका

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	श्रेणी	अनुमानित यूनिट्स की चोरी	कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5
	(अ) अजमेर वृत्त ;—			
1.	श्री महेन्द्रसिंह	औद्यो.	5773	सम्बन्ध विच्छेद
2.	श्री कृष्णा पु. भवंरलाल	,,	1058	,, ,,
3.	,, लक्ष्मीनारायण ट्रस्ट	,,	3124	,, ,,
4.	,, एस. के. तिवारी	अनधिकृत सम्बन्ध	—	पुलिस में प्रथम एफ.आई. आर. दर्ज कराई गई-संबंध विच्छेद किया गया-
	(ब) जोधपुर (परि. एवं संधा.) वृत्त			
1.	श्री वासुदेव मुरलीधर	औद्योगिक	—	मीटर की कीमत वसूल की सम्बन्ध विच्छेद किया गय
2.	,, धरम चन्द	,,	3775	,, ,,
3.	,, खेम चन्द	,,	4760	,, ,,
4.	,, भंवरलाल	,,	8166	,, ,,
5.	,, धनराज पालीवाल	घरेलू	--	,, ,,
	(स) बीकानेर वृत्त ;—			
1.	मै. गंगानगर बर्फ फैक्ट्री	औद्योगिक	45233	संबंध विच्छेद किया गय
2.	,, गणेश आईल एन्ड जन. मिल्स	,, ,,	200730	,, ,,
3.	श्री मेघसिंह	कृषि	फ्लेट रेट	,, ,,
4.	,, शिवचन्द	,,	,,	,, ,,
5.	,, राजेन्द्र कुमार	,,	3235	,, ,,
6.	,, गोपाल राम	,,	1590	,, ,,
7.	,, विजयसिंह	,,	722	,, ,,

1	2	3	4	5
8.	श्री विनोद कुमार	कृषि	2042	सम्बन्ध विच्छेद किया गया
9.	,, डूंगर सिंह	,,	2653	,, ,,
10.	,, चतर सिंह	,,	7855	,, ,,
11.	,, गुलाब सिंह	,,	4775	,, ,,
12.	,, रघुनाथ सिंह	,,	3020	,, ,,
13.	,, राजा राम	,,	10077	,, ,,
14.	अमर सिंह	,,	18864	सम्बन्ध विच्छेद किया गया।
15.	जागीराम	नान डामे.	532	,, ,,
16.	अनिल पुस्तक भंडार	कार्मशियल	—	पुलिस में एफ. आई. आर.
17.	एवं सदीप रेडियोज	अनाधिकृत सम्बन्ध	—	दर्ज कराई गई तथा संबंध बिच्छेद किया गया
	(ख) जयपुर नगर वृत ;—			
1.	दुर्गालाल घासीलाल	औद्योगिक	14400	,, ,,
2.	एस. बी. सक्सेना	घरेलू	284	,, ,,
3.	राधेश्याम अग्रवाल	,,	257	,, ,,
4.	प्रभु सिंह	,,	768	,, ,,
5.	परसराम	,,	1388	,, ,,
6.	गजानन्द अग्रवाल	नान डामे.	960	,, ,,
7.	केसरलाल, गिर्राजप्रसाद	नान डामे.	976	,, ,,
8.	मांगीलाल	,, ,,	3675	,, ,,
9.	एस. के. शकूर	,, ,,	2700	,, ,,
	(क) कोटा वृत :			
1.	कल्याण पुत्र देवीलाल मित्तल	औद्योगिक	2209	,, ,,
2.	गिर्राज प्रसाद पुत्र बाबूलाल	औद्योगिक	6098	,, ,,
3.	भगवती प्रसाद श्याम सुन्दर	औद्योगिक	12122	,, ,,
4.	लाला राम धाकड़	,, ,,	10450	,, ,,
5	तयूब खातून	,, ,,	7633	,, ,,
6.	चतुरभुज पन्ना बाबू	,, ,,	1016	,, ,,

Page No 244

1	2	3	4	5
7.	मांगीलाल रामचन्द्र	ग्रौद्योगिक	1835	सम्बन्ध विच्छेद किया गया
8.	रामगोपाल शर्मा	,, ,,	4320	,, ,,
9.	रामजीलाल पुत्र कन्हैयालाल	,, ,,	18666	एफ. ग्राई. ग्रार. दर्ज की गई तथा सम्बन्ध विच्छेद किया गया
10.	भजनलाल	,, ,,	15736	संबंध विच्छेद किया गया
11.	बद्रीलाल मीणा	कृषि	2782	,, ,,
12.	गिरधर गोपाल	ग्रौद्योगिक	4933	,, ,,
13.	बापूर सिंह	कृषि	2265	,, ,,
14.	चरण सिंह	,,	4723	,, ,,
15.	रामचरण	,,	4228	,, ,,
16.	रामजीलाल	,,	2980	,, ,,
17.	कश्मीरा सिंह	,,	10152	,, ,,
18.	रतन लाल	,,	939	,, ,,
19.	रामसुख मीणा	,,	6556	एफ. ग्राई. ग्रार. दर्ज कर सम्बन्ध विच्छेद किया गया
20.	कजोरिया लक्ष्मण	,,	4289	सम्बन्ध विच्छेद किया गया
21.	बजरंग लाल खाती	,,	250	,, ,,
22.	तुलसीराम	,,	3384	एफ. ग्राई. ग्रार. दर्ज, कर सम्बन्ध विच्छेद
23.	रमेश चन्द्र	,,	फ्लेट रेट	सम्बन्ध विच्छेद किया गया
24.	करोड़ी लाल	,,	3384	एफ. ग्रार. दर्ज, सम्बन्ध विच्छेद किया गया
25.	गुलाब मीणा	,,	5076	,, ,,
26.	हीरालाल गोपाल	,,	4230	सम्बन्ध विच्छेद किया गया
27.	गफूर खां	,,	2592	,, ,,
28.	भौंरीलाल	घरेलू	499	,, ,,

1	2	3	4	5
29.	गंगासहाय	घरेलू	175	एफ. आई. आर. दर्ज, सम्बन्ध विच्छेद
30.	रघुनाथ मीणा	,,	87	,, ,,
31	रामस्वरूप मीणा	,,	87	,, ,,
32.	हजारी मीणा	,,	87	,, ,,
33.	गणेश प्रसाद	,,	998	सम्बन्ध विच्छेद किया गया
34.	नन्दलाल वर्मा	,,	414	,, ,,
35.	कुंज बिहारी	,,	3927	,, ,,
36.	किशनलाल कोली	,,	1554	,, ,,
37.	श्रीमती सूरज देवी	माम डामे.	845	,, ,,
38.	बजरंग लाल खाती	कृषि	फ्लैट रेट	,, ,,
	(ख) झुन्झुनू वृत्त—			
1.	रसूल खां	कृषि	–	पुलिस में एफ. आई. आर.
			–	दर्ज कराई गई तथा संबंध विच्छेद किया गया नोटिस
2.	बीरबल	कृषि	4596	दिया राशि वसूल की गई
3.	गणपत राम	,,	4596	,, ,,
4.	प्रहलाद	,,	6120	सम्बन्ध विच्छेद किया गया
5.	भागूराम	,,	2820	रकम वसूल की गई
6.	हरी प्रसाद	,,	4761	सम्बन्ध विच्छेद किया गया
7.	त्रिलोका राम	,,	540	,, ,,
8.	श्योनाथ	,,	270	,, ,,
9.	महीपाल	घरेलू	171	,, ,,
10.	लादूराम	कृषि	726	,, ,,
11.	नानका	,,	1557	,, ,,
12.	गणेश	,,	7889	,, ,,
13.	माल सिंह	औद्योगिक	8057	,, ,,
14.	चन्दू	कृषि	3270	,, ,,
15.	घासीराम	,,	706	,, ,,
16.	बन्शीधर	औद्योगिक	1557	,, ,,
17.	लोकराम	कृषि	6762	,, ,,
18.	रतीराम	,,	3850	,, ,,

1	2	3	4	5
19.	खूबा	कृषि	3802	सम्बन्ध विच्छेद किया गया
20.	भोला	,,	5372	,, ,,
21.	रिछपाल	,,	1000	,, ,,
22,	रामचन्द्र	,,	5700	,, ,,
23,	श्योचन्द	,,	4700	,, ,,
24.	चन्दगीराम	,,	6666	,, ,,
25.	मोहनलाल	,,	6768	,, ,,
26.	झाबर मल	कृषि अनधिकृत सम्बन्ध ले रखा था	6768	,, ,,
27.	लूणाराम	,,	6768	,, ,,
28.	बजरंग	,,	6768	,, ,,
29.	नागर मल	,,	6768	,, ,,
30.	विश्वनाथ	,,	222	,, ,,
31.	पवन कुमार	औद्यो.	4713	,, ,,
32,	इन्दरलाल	घरेलू अना.		एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई तथा सम्बन्ध विच्छेद किया गया
33.	शिवदान सिंह	,,		
34.	उदमीराम	,,		,,
35.	महेश	,,		,,
36.	निवास	,,		,,
37.	चन्दगीराम	,,	24200	,,
38,	बुद्ध राम	,,	यूनिट्स	,,
39.	नोरंगराम	,,		,
40.	प्रहलाद खाती	,,		,,
41.	श्योनारायण	,,		,,
42.	किशोरीलाल	औद्योगिक		,,

(ग) जयपुर जिला वृत्त :—

1.	मैसर्स निशा इन्डस्ट्रीज	औद्योगिक	819	पुलिस में एफ. आई.आर. दर्ज की गई सम्बन्ध विच्छेद किया गया
2.	मै. सांगानेर दाल मिल्स	,,		,,
3.	दामोदर लाल पु. सूरजमल	,,	83307	,
4.	सलामुद्दीन पु. अलाबक्श	,,	यूनिट्स	,,
5.	मदनलाल पु. दुर्गालाल	कृषि	4230	सम्बन्ध विच्छेद किया गया

1	2	3	4	5
6.	गणेश जोरा पु. त्रिलोक	कृषि	888	सम्बन्ध विच्छेद किया गया
7.	ग्यारसी लाल पु. नाराण	,,	564	,,
8.	ओमप्रकाश पु. बद्रीनारायण	,,	951	,,
9.	मै. धर्मेन्द्र आईल मिल्स	,,	3633	,,
10	राधेश्याम कल्याण सहाय	,,	10394	,,
11.	कजोड़मल मीणा	,,	1110	पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज की गई तथा
12.	बाबूलाल प्रभुदयाल	,,	2340	विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किया गया
13.	बृज मोहन	,,	4350	विद्युत सम्बन्ध विच्छेद नहीं किया
14.	सहा. अभि. वाटर वर्क्स	,,	668	विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किया गया
15.	सेडूराम कृष्णा यादव	,,	5200	विद्युत सम्बन्ध विच्छेद नहीं किया
16.	वन्शीधर	,,	14352	विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किया गया
17.	राधेश्याम	,,	688	,,
18.	जमालुद्दीन	,,	1338	,,
19.	अमर सिंह	,,	3310	,,
20.	भूरामल	,,	714	,,
21.	रामेश्वर पु जगदीश नारायण	,,	1680	,,
22.	आदर्श उद्योगशाला	,,	3877	विद्युत सम्बन्ध विच्छेद नहीं किया
23.	नारायण पु. गणेश	कृषि	फ्लेट रेट	पुलिस में एफ. आई.आर. दर्ज कराई गई तथा संबंध विच्छेद किया गया
24.	रामू रामदेव पु. गंगाराम	,,	,,	,,
25.	छीतर पु. सेडूराम	,,	,,	,,
26.	रामेश्वर प्रसाद	,,	,,	,,
27.	हरीदेव बागडा	,,	11559	सम्बन्ध विच्छेद किया गया
28.	मुकन्दा	,,	फ्लेट रेट	,,

1	2	3	4	5
29.	पोकर पु. नन्दा	कृषि	4230	सम्बन्ध विच्छेद किया गया
30.	किशन सहाय पु. जगदीश	,,	2592	,,
31.	भूरा रावण	,,	6120	,,
32.	भोरिया गौरिया	,,	1253	,,
33.	रामानन्द रामजीलाल	,,	3384	,,
34.	कन्हैयालाल गोवर्धन	,,	81	,,
35.	वन्शी रामकुमार	,,	3384	,,
36.	रामगोपाल गोपी	,,	3390	,,
37.	खिलाड़ी सुन्दर मोदी	,,	4584	पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज की गई तथा सम्बन्ध विच्छेद किया गया
38.	कन्हैयालाल हरनारायण	,,	4560	,,
39.	मै. अग्रवाल कृषि स्टोन	औद्योगिक	112	,,
40	सेडूराम	कृषि	1529	पैसों की वसूली की गई
41.	भगवान सहाय	,,	8159	सम्बन्ध विच्छेद किया गया
42.	रामचन्द्र सावलिया	,,	फ्लेट रेट	पुलिस में एफ. आई. आर. दर्ज की गई तथा सम्बन्ध विच्छेद किया गया
43.	भवंर सिंह आनंद सिंह	,,	4710	सम्बन्ध विच्छेद किया गया
44.	माना दादा	,,	1228	,,
45.	घासीलाल	,,	8740	,,
46.	मोती बिरजू	,,	4850	,,
47.	किशोरसिंह	,,	1510	,,
48	हनुमान बिरदा	,,	1000	,,
49.	गंगाराम श्यामा	,,	5307	,,
50.	नाथू चुन्ना बालू	,,	2841	,,
51.	सुर्गनसिंह गणपतसिंह	,,	610	,,
52.	रामदेव भीवा	,,	6165	,,
53.	गणेश नारायण	,,	2404	,,
54.	हनुमान जीवन	,,	780	,,
55.	कालू	,,	1270	,,
56.	गोवर्धन शिवनाथ	,,	257	,,
57.	खागा सेडू	,,	3260	,,

1	2	3	4	5
58.	रामबक्स	कृषि	460	सम्बन्ध विच्छेद किया गया
59.	नन्दा हनुमान	,,	2860	,,
60.	भवाराम किसना	,,	380	,,
61.	पन्ना बक्सा	,,	2010	,,
62.	झूथा नानू	,,	1230	,,
63.	बाना दूला	,,	6730	विद्युत संबंध विच्छेद नहीं किया।
64.	गोपाल	,,	1692	,,
65.	रामचन्द्र	,,	2132	,,
66.	कालूराम	,,	615	,,
67.	सूखा पूथा	,,	1600	,,
68.	मोतीराम बालूराम	,,	2192	,,
69.	झूंथा चूना	,,	2198	,,
70.	घीसा चौथू	,,	4475	,,
71.	हरदेव भूरा	,,	1020	,,
72.	नानगराम कृष्णाराम	,,	1730	,,
73	शंकर नारायण	,,	1754	,,
74.	झूंथा माना	,,	771	,,
75.	उदा राम	,,	6730	,,
76.	धन्ना बालू	,,	5540	,,
77.	नानू देवा	,,	2540	,,
78.	देवा भूरा	,,	3570	,,
79.	भंवर सिंह	,,	329	,,
80.	नाथूलाल	,,	176	,,
81.	प्रभूनारायण	,,	3640	,,
82.	प्रभात	,,	1730	,,
83.	श्रीमती जमावती	,,	194	,,
84.	नारायण	,,	3760	,,
85.	पापू तिलोका	,,	3755	,,
86.	रामकृपाल	,,	3810	,,
87.	पोकरमल गोविंदराम	,,	4405	,,
88.	नाथू सेडूराम	,,	2310	,,
89.	चन्दा पु धन्ना	,,	690	,,

Page No 250

1	2	3	4	5
90.	प्रभात पु. गीजा	कृषि	6530	विद्युत सम्बन्ध विच्छेद नहीं किया
91.	बालू पु. बीजा	,,	7770	,,
92.	श्योनारायण पु. भूरा	,,	902	,,
93.	बजरंगलाल पु. उजीलाल	,,	1800	,,
94.	उदयसिंह	घरेलू	120	एफ. आई. आर. दर्ज की ग- तथा सम्बन्ध विच्छेद किया
95.	सूआली	,,	58	सम्बन्ध विच्छेद किया
96.	सूआराम	,,	--	एफ. आई. आर दर्ज की ग- एवं सम्बन्ध विच्छेद किया ग-
97.	हरीप्रसाद	,,	621	–
98.	मूलचन्द मीणा	कृषि	फ्लेट रेट	विद्युत सम्बन्ध विच्छे- किया गया
99.	मुरलीराम	औद्योगिक	3070	,,
100	रतन कन्डक्टरर्स	,,	1300	,,
101	दयालराम	कृषि अनाधिकृत	4248	सम्बन्ध विच्छेद किया ग-

(घ) सीकर वृत्त :—

1.	मै. कमल आइस फैक्ट्री	औद्योगिक	2066	विद्युत सम्ब- विच्छेद किया ग-
2.	,, विष्णु आयल मिल	,,	4323	नोटिस जारी कि- गया
3.	,, हिन्दुस्तान ग्राईडिंग मिल	,,	4821	राशि वसूल कर गई
4.	,, सत्यनारायण आयल मिल	,,	4358	विद्युत सम्ब- विच्छेद किया ग-
5.	श्री रीडमल पु. खेताराम	अनाधिकृत	3461	एफ.आई.आर. कराई गई त- सम्बन्ध विच्छेद किया ग-
6.	,, नारायण मंगला	कृषि	फ्लेटरेट	,,
7.	,, हरिराम नानगराम	,,	,,	,,
8.	,, देवाराम पु. गोपीराम	,,	,,	,,
9.	,, बोदूराम पु. गणेशराम	,,	,,	,,

1	2	3	4	5
(न) अलवर वृत्त ;—				
1.	मै. राजस्थान कैमिकल्स	औद्योगिक	22440	कनेक्शनकाट दिया गया
2.	मुन्नालाल पु. नत्थीलाल	,,	71120	,,
3.	हजारी लाल प्रो. तारा इण्ड.	,,	131232	,,
4.	हजारी लाल पु. जमनादास	,,	31906	,,
5.	शिवचरण लाल	,,	1701	,,
6.	दिनेशचंद बाबूलाल	,,	982	,,
7.	एस. एस. स्टोन कं.	,,	1160	,,
8,	नानगराम लालाराम	,,	5344	,,
9.	खण्डेल वाल इण्ड.	,,	6670	,,
10	मुरारीलाल मदनमोहन	,,	395	,,
11.	दाल मिल खेडली	,,	—	,,
12.	हरीचरण हीरालाल	,,	3844	,,
13,	विजय आयल मिल	,,	659	,,
14.	अग्रवाल दाल मिल	,,	4360	,,
15.	हिन्दुस्तान सीमेन्ट टाइल्स	,,	37614	,,
16,	लल्लूराम इण्ड.	,,	1816	,,
17.	भारत एलम. केमी.	,,	306739	,,
18.	विजय इलेक्ट्रिक लैम्प	,,	29137	,,
19.	द्वारका प्रसाद शिवचरण	कृषि	—	एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई व सम्बन्ध विच्छेद किया गया
20.	बृजेन्द्र सिंह रामसिंह	,,	—	,,
21.	रामस्वरूप पु. कमल	,,	—	,,
22.	रामकिशन पु. चोथीलाल	,,	—	,,
23.	धनपाल पु. धर्मा	,,	—	एफ. आई. आर. दर्ज है एवं विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कर दिया
24.	पूरणसिंह पु. बालू	,,	—	,, ,,
25.	जीतराम पु. हरचन्द	,,	—	,, ,,
26.	मूला पु. जयकिशन	,,	—	,, ,,
27.	श्योनारायण पु. सुखलाल	,,	—	,, ,,
28.	जीवन पु. मांगी	,,	—	,, ,,
29,	किरोडी गूजर	,,	—	,,

1	2	3	4	5
30.	मांगीलाल	कृषि	–	एफ. आई. आर. दर्ज है एवं संबंध विच्छेद कर दिया
31.	दयाचन्द	,,	–	,, ,,
32.	भोपालसिंह ठाकुर	,,	–	,, ,,
33.	शिवराम जाट	,,	–	,, ,,
34.	हरीराम मीना	,,	–	,, ,,
35.	बोधाराम पु. नारायण	,,	–	,, ,,
36.	सुमेर पु. सम्मो	,,	–	,, ,,
37.	दुर्गा पु. हरगन	,,	–	,, ,,
38.	हिम्मत पु. सन्तोष	,,	–	,, ,,
39.	गोपी पु. अकबर	,,	–	,, ,,
40.	जोतराम पु. मंगल	,,	–	,, ,,
41.	गिर्राज पु. नानगराम	,,	–	,, ,,
42.	बलराम पु. मंगल	,	–	,, ,,
43.	दख पु. छोटल्ली	,,	–	,, ,,
44.	रूपसिंह पु. जोरावरसिंह	,,	–	,, ,,
45.	मेवाराम पु. दयविसिंह	,,	–	,, ,,
46.	करोडी शर्मा	,,	–	,, ,,
47.	प्यारेलाल	,,	–	,, ,,
48.	मोहरसिंह	,,	1701	,, ,,
49.	हरनामसिंह	,,	5109	सम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया
50.	लड्डूराम सैनी	,,	–	,, ,,
51.	लड्डूराम सैनी	,,	–	,, ,,
52.	धनीराम गुप्ता	,,	5415	,, ,,
53.	जस्सू पु. हनुमान	अनाधिकृत सम्बन्ध था	–	एफ.आई.आर. दर्ज कर सम्बन्ध विच्छेद किया गया
54.	लक्ष्मण पु. दूलाराम	,,	–	,, ,,
55.	मूडिया पु. जवाहर	,,	–	,, ,,
56.	उत्तमसिंह पु. देवराजसिंह	,,	–	,, ,,
57.	साधूराम पु. बद्रीप्रसाद	,,	8183	,, ,,
58.	कामेश्वर दयाल गुप्ता	अनाधिकृत संबंध था	696	,, ,,
59.	रामहेत पु. डीडाराम	कार्मशियल	–	,, ,,
60.	मन्नाराम	,,	3417	,, ,,

Page No 253

1	2	3	4	5
61.	मिलन टाकीज	कार्मशियल	5985	विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किया
62.	किशन पु. वाडरमल	घरेलू	620	,, ,,
63.	विजयपाल	,,	418	,, ,,
64.	किशनसिंह	,,	712	,, ,,
65.	अधीक्षक डाकघर	,,	—	एफ. आई. आर. दर्ज कर दी गई अदालत में कार्यवाही जारी है
(च) उदयपुरवृत :—				
	1. प्रेमसिंह पु. मोहरसिंह	औद्योगिक	1217	कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया
	2. चारभुजा मारवल इण्ड.	,,	25220	,, ,,
	3. प्रतापसिंह पु. रूपसिंह	कृषि	26792	एफ. आई. आर. दर्ज कराके विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किया गया
	4. जीतमल किस्तुरचन्द	,,	240	नोटिस दिया गया राशि वसूल की गई
	5. गौतम गंगाराम	घरेलू	125	एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई
	6. जीतमल किस्तुरचन्द	कृषि	7200	नोटिस दिया गया राशि वसूल की गई
(छ) भीलवाड़ा वृत :—				
	1. मै. हसननूर	औद्यो.	357	सम्बन्ध विच्छेद किया गया
	2. मै. बिरमा हरदेव	,,	2843	,, ,,
	3. श्री रामगोपाल उर्जा	,,	4325	,, ,,
	4. श्री हीरा पु. हजारी	कृषि	2041	,, ,,
	5. श्री बातमल पामेचा	,,	31000	,, ,,
	6. श्री उदयराम गूजर	,,	427	,, ,,
	7. श्री भंवरलाल जेठमल	,,	2317	,, ,,
	8. श्री बिरमा पु. हरदेव	,,	1459	,, ,,
	9. हीरा पु. लक्ष्मण	,,	418	,, ,,
	10. घासी पु. लक्ष्मण	,,	315	,, ,,
	11. घासी पु. लक्ष्मण	,,	345	,, ,,

1	2	3	4	5
12.	मगना पु. नाथू	कृषि	948	संबंध विच्छेद कर दिया गया
13.	फतेह मोहम्मद	,,	1080	,, ,,
14.	भूवान पु. मोडा	,,	370	,, ,,
15.	रामकरण पु. रामचन्द्र	,,	80	,, ,,
16.	हीरा पु. लक्ष्मण	,,	691	,, ,,
17.	कन्हैयालाल पटवारी	,,	2614	,, ,,
18.	नाथू बिरम	औद्योगिक	1700	,, ,,
19.	नाथू बिरम	,,	840	,, ,,
20.	हीरा पु. हजारी	घरेलु	454	,, ,,
21.	रामदयाल छीपा	,,	660	,, ,,
22.	बुद्धीप्रकाश	,,	276	,, ,,
23.	रामरिछपाल मानसिंहका	,,	11550	,, ,,

कुल विद्युत चोरी के केसेज पकड़े गये = 319

सम्भावित बिजली की चोरी की गई यूनिट्स = 259 केसेज में ।

18,78,795 यूनिट्स

Page No 255

परिशिष्ट 5

तारांकित प्रश्न संख्या 177 की सूची

जिलाधीशों द्वारा जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समितियों की सम्पादित बैठकों की सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति द्वारा की गई बैठकों की तिथि
1.	अलवर	जनवरी, 1978
		28-2-78
		-3-78
		1-4-78
		31-5-78
		30-6-78
		31-7-78
		31-6-78
		30-9-78
		6-11-78
		30-12-78
		31-1-79
		20-2-79
		31-3-79
		30-4-79
		31-5-79
		30-6-79
		31-7-79
		31-8-79
		28-9-79
		31-10-79
		30-11-79
		31-12-79
		28-2-80
		-3-80
		14-4-80

1	2	3
1.	अलवर	12-5-80
		10-6-80
		11-7-80
		16-8-80
		12-9-80
		9-10-80
		11-11-80
		31-12-80
		24-2-82
		24-3-81
		18-4-81
		19-5-81
		22-6-81
		20-7-81
		24-8-81
		28-9-81
		29-12-81
		10-5-82
		13-7-82
		31-8-82
2.	बाड़मेर	18-1-78
		28-2-78
		28-3-78
		3-5-78
		6-6-78
		4-7-88
		9-8-78
		8-9-78
		10-10-78
		20-11-78
		27-12-78
		29-1-79
		27-2-79

1	2	3
2.	बाड़मेर	30-3-79
		30-4-79
		21-5-79
		25-6-79
		30-7-79
		31-8-79
		25-10-79
		30-11-79
		21-1-80
		25-2-80
		30-3-80
		26-4-80
		7-6-80
		26-7-80
		29-8-80
		27-9-80
		22-10-80
		29-11-80
		29-12-80
		31-1-81
		28-2-81
		30-3-81
		30-4-81
		30-5-81
		30-6-81
		30-7-81
		30-8-81
		28-9-81
		30-10-81
		30-11-81
		30-12-81
		29-1-82
		26-2-82
		31-3-82

1	2	3
2.	बाड़मेर	30-4-82
		31-5-82
		30-6-82
		31-7-82
		31-8-82
3.	भरतपुर	20-1-78
		26-2-78
		2-4-78
		3-5-78
		31-5-78
		25-7-78
		27-1-79
		20-3-79
		3-5-79
		23-6-79
		16-8-79
		26-10-79
		22-1-80
		25-3-80
		17-4-80
		5-6-80
		17-6-80
		19-7-80
		29-8-80
		29-9-80
		12-11-80
		27-12-80
		29-1-81
		28-2-81
		27-3-81
		30-4-81
		30-5-81
		30-6-81

1	2	3
3.	भरतपुर	30-7-81
		14-10-81
		30-11-81
		30-12-81
		27-1-82
		3-3-82
		3-5-82
		19-6-82
		22-7-82
		21-8-82
4.	भीलवाड़ा	25-1-78
		25-2-78
		27-3-78
		25-4-78
		25-5-78
		25-6-78
		4-9-78
		27-11-78
		29-1-79
		27-2-79
		26-4-79
		28-5-79
		28-6-79
		30-7-79
		27-8-79
		24-9-79
		29-10-79
		27-11-79
		4-2-80
		26-3-80
		30-6-80
		21-7-80
		28-8-80
		29-9-80
		27-10-80
		4-12-80

1	2	3
4.	भीलवाड़ा	27-1-81
		27-4-81
		20 8-81
		20-9-81
		29-12-81
		30-1-82
		27-2-82
		30-4-82
		29-5-82
		30-6-82
		31-8-82
5.	बीकानेर	30-1-78
		29-5-77
		6-9-78
		30-2-79
		8-3-79
		30-4-79
		31-5-79
		31-7-79
		28-9-79
		3-10-79
		30-11-79
		31-12-79
		30-1-80
		29-2-80
		31-3-80
		13-6-80
		6-12-80
		28-2-81
		28-4-81
		1-8-81
		29-9-81
		26-12-81
		24-4-82
		29-5-82
		25-6-82
		31-7-82

Page No 261

1	2	3
6.	बूंदी	26.4.78
		24.5.78
		28.6.78
		27.7.78
		2.9.78
		21.10.78
		25.11.78
		27.1.79
		24.2.79
		24.3.79
		26.4.79
		28.7.79
		1.9.79
		28.9.79
		27.10.79
		21.12.79
		30.1.80
		26.2.80
		26.3.80
		26.4.80
		25.7.80
		27.8.80
		29.9.80
		29.10.80
		29.11.80
		30.12.80
		29.1.81
		27.2.81
		25.3.81
		30.4.81
		25.5.81
		25.6.81
		25.7.81
		25.8.81

Page No 262

1	2	3
6.	बूंदी	30.10.81
		30.11.81
		31.12.81
		2.2.82
		26.4.82
		24.6.82
		29.7.82
		9.8.82
		6.9.82
7.	चित्तौड़गढ	2.1.78
		25.1.78
		1.3.78
		1.4.78
		1.5.78
		1.6.78
		10.7.78
		8.8.78
		8.9.78
		12.10.78
		8.11.78
		8.12.78
		8.1.79
		8.2.79
		8.3.79
		9.4.79
		8.5.79
		8.6.79
		9.7.79
		9.8.79
		10.9.79
		9.10.79
		8.11.79
		8.2.80
		10.3.80

Page No 263

1	2	3
	चित्तौड़गढ	8.4.80
		11.4.80
		8.5.80
		18.7.80
		8.8.80
		8.9.80
		8.10.80
		13.11.80
		8.12.80
		8.1.81
		9.2.81
		8.4.81
		8.5.81
		8.6,81
		8.7.81
		10.8.81
		8.9.81
		14-10.81
		7.11.81
		17.12.81
		11.1.82
		8.2.82
		8.3.82
		24.4.82
		10.5.82
		8.6.82
		8.7.82
		9,8.82
8.	चूरू	6.1.78
		2.5.78
		2.6.78
		3.7.78
		4.9.78
		13.11.78

1	2	3
8.	चूरू	2.1.79
		8.2.79
		3.3.79
		19.4.79
		17.5.79
		2.6.79
		2.7.79
		2.8.79
		4.9.79
		5.2.80
		7.4.80
		18.6.80
		8.12.80
		2.5.81
		27.8.81
		24.10.81
		15.1.82
		27.2.82
		26.6.82
		6.8.82
9.	डूंगरपुर	21.1.78
		4.4.78
		2.5.78
		6.6.78
		4.7.78
		1.8.78
		6.9.78
		4.10.78
		12.12.78
		2.1.79
		6.2.79
		6.3.79
		3.4.79
		1.5.79
		5.6.79

1	2	3
	डूंगरपुर	3.7.79
		7.8.79
		4.9.79
		5.10.79
		6.11.79
		5.12.79
		15.1.80
		5.2.80
		4.3.80
		1.4.80
		6.5.80
		10.6.80
		8.7.80
		12.8.80
		9.9.80
		7.10.80
		16.12.80
		16.1.81
		17.2.81
		10.3.81
		14.4.81
		19.6.81
		18.9.81
		24.11.81
		19.2.82
10.	श्रीगंगानगर	31.12.77
		31.1.78
		27.2.78
		29.4.78
		31.5.78
		30.6.78
		31.7.78
		31.8.78
		20.9.78
		28.10.78
		30.11.78
		30.12.78

Page No 266

1	3
श्रीगंगानगर	31-1-79
	28-2-79
	31-3-79
	30-4-79
	31-5-79
	30-6-79
	31-7-79
	30-8-79
	28-9-78
	31-10-79
	30-1-80
	31-3-80
	30-4-80
	30-6-80
	31-7-80
	30-8-80
	30-9-80
	31-10-80
	29-11-80
	31-12-80
	31-1-81
	30-5-81
	30-6-81
	31-7-81
	31-8-81
	1-10-81
	2-12-81
	31-12-78
	30-1-82
	30-4-82
	31-5-82
	30-6-82
	31-7-82
	1-9-82

1	2	3
11.	जयपुर	21-1-78
		18-2-78
		18-3-78
		15-4-78
		29-4-78
		27-5-78
		24-6-78
		1-7-78
		24-7-78
		19-6-78
		2-9-78
		13-9-78
		23-9-78
		28-10-78
		25-11-78
		28-11-78
		16-12-78
		6-1-79
		16-2-79
		17-2-79
		21-4-82
		28-4-79
		16-6-79
		23-6-79
		28-7-79
		31-8-79
		19-10-79
		24-11-79
		20-5-81
		30-9-81
		5-8-82
		28-8-82
12.	जालौर	31-1-78
		27-2-78

1	2	3
	जालोर	18-3-78
		14-4-78
		25-5-78
		30-6-78
		29-7-78
		28-8-78
		30-9-78
		27-10-78
		29-11-78
		30-12-78
		27-1-79
		24-2-79
		28-3-79
		28-4-79
		26-5-79
		28-6-79
		28-7-79
		29-8-79
		27-9-79
		17-10-79
		30-11-79
		28-1-80
		28-2-80
		23-4-80
		27-6-80
		19-7-80
		29-8-80
		27-9-80
		30-10-80
		29-11-80
		30-12-80
		30-1-81
		27-2-81
		28-3-81
		29-4-81

1	2	3
	जालोर	21-5-81
		31-7-81
		28-8-81
		25-9-81
		13-10-81
		30-4-82
		22-5-82
		16-9-82
13.	झालावाड़	14-12-77
		21-1-78
		4-3-78
		14-4-78
		28-7-78
		30-8-78
		30-9-78
		28-10-78
		25-11-78
		30-12-78
		27-1-79
		24-2-79
		24-3-79
		28-4-79
		26-5-79
		30-6-79
		28-7-79
		31-8-79
		28-9-79
		7-11-79
		5-12-79
		5-2-80
		4-3-80
		28-3-80
		5-5-80
		5-6-80
		5-7-80

1	2	3
	झालावाड़	6-8-80
		6-9-80
		4-10-80
		13-11-80
		6-12-80
		5-1-81
		17-2-81
		2-3-81
		2-4-81
		2-5-81
		2-6-81
		2-7-81
		5-8-81
		2-9-81
		3-10-81
		9-11-81
		31-12-81
		30-1-82
		27-2-82
		23-4-82
		25-6-82
		29-7-82
		31-8-82
14.	झुन्झुनू	30-1-78
		26-2-78
		19-4-78
		29-7-78
		16-9-78
		28-12-78
		15-1-79
		15-2-79
		20-4-79
		15-6-79
		30-7-79
		5-9-79

1	2	3
	झुन्झुनू	7-10-79
		14-4-80
		12-5-80
		13-6-80
		19-7-80
		16-6-80
		3-11-80
		30-12-80
		30-1-81
		14-3-81
		20-4-81
		17-6-81
		1-8-81
		28-4-82
		28-5-82
		29-6-82
		28-7-82
15.	जोधपुर	31-12-77
		3-2-78
		29-4-78
		27-5-78
		29-7-78
		1-10-78
		25-11-78
		31-1-79
		27-2-79
		3-3-79
		28-4-79
		26-5-79
		30-6-79
		28-7-79
		10-10-79
		28-1-80
		29-2-80
		5-4-80

1	2	3
	जोधपुर	12.6.80
		26.7.80
		29.8.80
		27.9.80
		21.11.80
		2.1.81
		4.3.81
		7.5.81
		26.6.81
		24.7.81
		31.8.81
		30.9.81
		7.11.81
		12.2.82
		29.5.82
		17.7.82
		28.8.82
16.	कोटा	3.1.78
		20.4.78
		31.5.78
		29.7.78
		27.11.79
		27.4.79
		4.8.79
		20.9.79
		23.2.80
		17.6.80
		27.8.80
		1.12.80
		30.1.81
		16.5.81
		2.7.81
		29.8.81
		30.10.81

1	2	3
	कोटा	21.1.82
		15.5.82
		30.8.82
17.	नागौर	31.12.77
		31.1.78
		28.2.78
		31.3.78
		1.5.78
		31.5.78
		31.7.78
		31.8.78
		30.9.78
		30.11.78
		1.1.79
		27.1.79
		28.2.79
		7.4.79
		5.5.79
		16.6.79
		6.8.79
		17.9.79
		23.11.79
		16.1.80
		27.3.80
		15.10.80
		6.12.80
		8.6.81
		10.8.81
		1.3.82
		15.5.82
		19.6.82
18.	पाली	7.1.78
		15.5.78
		30.6.78
		27.7.78

Page No 274

1	2	3
	पाली	28.8.78
		25.9.78
		23.10 78
		27.11.78
		15.1.79
		27.2.79
		31.3.79
		28.4.79
		31.5.79
		28.6 79
		31.7.79
		29.8 79
		27.9.79
		31.10.79
		28.11.79
		18.1.80
		25.2.80
		27.3.80
		24.4.80
		16.8.80
		15.10.80
		26.11.80
		29.12.80
		27.1.81
		28.2.81
		30.3.81
		30.4.81
		30.5.81
		12.6.81
		18.7.81
		7.8.81
		11.9.81
		23.10.81
		13.11.81
		30.12.81
		30.1.82

1	2	3
	पाली	24.7.82
		29.4.82
		2.6.82
		30.6.82
		30.7.82
19.	सवाई माधोपुर	10.1.78
		10.3.78
		10.4.78
		10.5.78
		12.6.78
		12.7.78
		10.8.78
		11.9.78
		21.10.78
		7.11.78
		12.12.78
		10.1.79
		12.2.79
		12.4.79
		10.5.79
		16.6.79
		13.7.79
		10.8.79
		12.9.79
		10.10.79
		14.11.79
		16.1.80
		14.2.80
		14.3.80
		28.6.80
		30.8.80
		29.9.80
		30.12.80
		31.3.81
		30.5.81
		30.6.81

Page No 276

1	2	3
	सवाई माधोपुर	30.9.81
		20.11.81
		10.2.82
		5.5.82
		11.6.82
		31.7.82
20.	सीकर	31.12.77
		4.3.78
		29.4.78
		29.5.78
		24.6.78
		29.7.78
		31.8 78
		29.9.78
		28.10.78
		25.11.78
		30.12.78
		3.2.79
		3.3.79
		28.4.79
		23.6.79
		28.7.79
		31.8.79
		28.9.79
		9.11.79
		19.1.80
		13.2.80
		31.3.80
		30.4.80
		30.8.80
		30.9.80
		1.11.80
		9.2.81
		10.4.81
		29.4.81

1	2	3
	सीकर	8.6.81
		30.6.81
		31.7.81
		31.8.81
		30.9.81
		31.10.81
		30.11.81
		31.12.81
		30.1.82
		27.2 82
		31.3.82
		30.4.82
		31.5.82
		30 6.82
		31.7.82
		31.8.82
21.	सिरोही	30.12.77
		30.1.78
		28.2.78
		29.4.78
		31.5.78
		30.6.78
		31.7.78
		2.9.78
		9.10.78
		8.11.78
		30.11.78
		31.12.78
		30.1.79
		28.2.79
		30.4.79
		30.5.79
		30.6.79
		30.7.79
		30.8.79

1	2	3
	सिरोही	3.10.79
		2-11-79
		3-12-79
		1-2-80
		27-3-80
		30-4-80
		10-6-80
		30-6-80
		2-8-80
		30-8-80
		30-9-80
		6-12-80
		2-1-81
		30-1-81
		30-4-81
		30-6-81
		30-7-81
		3-10-81
		30-10-81
		30-11-81
		28-12-81
		1-3-82
		30-4-82
		31-5-82
		30-6-82
		30-7-82
22.	टौंक	19-4-78
		30-8-82
		10-7-78
		27-9-78
		7-2-79
		10-5-79
		18-8-79
		27-2-80
		28-3-80
		21-7-80

Page No 279

1	2	3
	टोंक	19-3-80
		23-9-80
		25-11-80
		26-12-80
		31-1-81
		30-4-81
		30-5-81
		30-9-81
		13-11-81
		16-1-82
		26-5-82
		19-7-82
		31-8-82
23.	उदयपुर	31-1-78
		28-2-78
		31-3-78
		29-4-78
		30-5-78
		30-6-78
		29-7-78
		31-8-78
		30-9-78
		30-11-78
		27-1-79
		27-2-79
		27-3-79
		30-4-79
		31-5-79
		29-6-79
		31-7-79
		31-8-79
		31-10-79
		29-11-79
		31-1-80
		29-2-80
		31-3-80
		30-4-80

1	2	3
	उदयपुर	7-6-80
		30 6-80
		31-7-80
		30-8-80
		30-9-80
		30-10-80
		29-11-80
		31-12-80
		30-4-81
		30-5-81
		30-6 81
		30-7-81
		30-8-81
		30-9-81
		31-10-81
		30-11-81
		31-12-81
		31-1-82
		27-2-82
		30-4-82
		31-5-82
		30-5-82
		31-8-82
24.	अजमेर	30-1-78
		28-2-78
		27-3-78
		29-4-78
		27-5-78
		30-6-78
		29-7-78
		2-9-78
		30-9-78
		28-10-78
		25-11-78

1	2	3
		27-1-79
		3-3-79
		28-4-79
		30-6-79
		28-7-79
		29-8-79
		28-9-79
		28-1-80
		29-2-80
		28-3-80
		26-4-80
		30-6-80
		30-8-80
		27-9-80
		29-11-80
		31-12-80
		28-2-81
		4-3-81
		30-6-81
		31-7-81
		30-9-81
		27-11-81
		30-1-82
		31-7-82
25.	जैसलमेर	27-1-78
		25-2-78
		23-3-78
		25-4-78
		25-5-78
		28-6-78
		25-7-78
		10-8-78
		25-9-78
		26-10-78
		26-12-78

Page No 282

1	2	3
	जैसलमेर	24-1-79
		7-3-79
		26-4-79
		25-5-79
		28-6-79
		25-7-79
		15-9-79
		29-10-79
		29-11-79
		20-12-79
		28-1-80
		28-2-80
		20-3-80
		24-4-80
		19-5-80
		26-6-80
		30-7-80
		30-8-80
		29-9 80
		27-10-80
		4-12-80
		30-1-81
		26-3-81
		28-4-81
		28-5-81
		26-6-81
		27-7-81
		27-8-81
		3-10-81
		3-11-81
		21-12-81
		30-1-82
		27-2-82
		29-3-82
		24-4-82

Page No 283

1	2	3
	जैसलमेर	28-5-82
		26-6-82
		7-8-82
		25-8-82
26.	बांसवाड़ा	7-1-78
		24-2-78
		28-3-78
		24-4-78
		29-5-78
		24-7-78
		24-8-78
		24-9-78
		24-10-78
		24-11-78
		26-12-78
		24-1-79
		24-2-79
		24-3-79
		24-4-79
		30-5-79
		30-6-79
		30-7-79
		30-8-79
		6-10-79
		23-11-79
		12-2-80
		18-4-80
		19-6-80
		29-7-80
		27-9-80
		27-10-80
		27-11-80
		8-1-81
		20-6-81
		23-7-81

Page No 284

1	2	3
	बांसवाड़ा	31-12-81
		30-1-82
		30-4-82
		29-5-82
		19-7-82
		19-8-82

परिशिष्ट—6

अल्पकाल सूचना प्रश्न की जांच रिपोर्ट प्रतिलिपियां एवं सूची

PULLEN PUMP INDUSTRIES Report No.

DHOLKA. Dist. Ahmedabad,

Gujarat State.

Dt. 11-6-1982

TEST REPORT

Pump Sr. No. : P-542

	Pump Type : PH5
Height of pressure gauge above the water level 1.5 m.	H. P. : 11.0 Stages 12
Any other losses considered 2.5 m.	Motor Typa : V6-48
Any other details Total 4.0 m.	Connection : Star-Delte
	Motor Sr. No. : P-542
	Order Ref. No :

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		120	428	16.0	380
2.	50	54	115	383	16.0	380
3.	118	122	95	240	13.5	380

Shut-off at 150 mtrs.

Insulation Resistance Test		Required Discharge : 189 L.P.M. (G. P. M.)	High voltage Test OK
I Phase /	M-n-	At Required Head : 122 Mtrs.	Continuity Test OK
II Phase /	M-n-	Rated Ampere : A	
III Phase /	M-n-		

Sd/-

Tested by J. P. PATEL Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES Report No.

DHOLKA. Dist. Ahmedabad,

Gujarat State. Dt. 11-6-1982

TEST REPORT

		Pump Sr. No :	P-543
		Pump Type :	PH5
Height of pressure gauge above the water leval	1.5 m.	H. P. :	11.0 Stages 12
Any other losses considered	2.5 m.	Motor Type :	V6-48
Any other details	Total 4.0 m.	Connection :	Star-Delta
		Motor Sr. No. :	P-543
		Order Ref. No.	

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		125	473	16.5	380
2.	50	54	120	428	16.0	380
3,	118	122	94	234	14.0	380

Shutt-off at 155 mtrs.

Insulation Resistance Test.		Requirsed Discharge	: 189	L.P.M. (G.P.M.)	High voltage Test	OK
I Phase /	M-n-	At Required Head	: 122	Mtrs.	Continuity Test	OK
II Phase /	M-n-	Rated Ampere		A		
III Phase /	M-n-					

Tested by J.P. PATEL

Sd/-
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

DHOLKA, Dist. Ahmedabad,
Gujarat State.

Report No.

Dt- 11-6-1982

TEST REPORT

Height of pressure gauge above the water leval	1.5 m.	Pump Sr. No	:	P-544
Any other losses considered	2.5 m.	Pump Type	:	PH5
Any other details — Total	4.0 m.	H. P.	:	11.0 Stages : 12
		Motor Type	:	V6-48
		Connection	:	Star-Delta
		Motor Sr. No.	:	P-544
		Order Ref. No.		

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		120	428	16.0	380
2.	50	54	115	385	16 0	380
3.	118	122	95	240	13.5	380

Shutt-off at 150 mtrs.

Insulation Resistance Test	Required Discharge : 189 L.P.M. (G.P.M.)	High voltage Test	OK
I Phase / M-n-	At Required Head : 122 Mtrs.	Continuity Test	OK
II Phase / M-n-	Rated Ampere : A		
III Phase / M-n-			

Tested by J. P. PATEL

Sd/.
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

DHOLKA. Dist. Ahmedabad,
Gujarat State.

Report No.

TEST REPORT

Dt. 11-6-1982

		Pump Sr. No	:	P-545
		Pump Type	:	PH5
Height of pressure gauge above the water leval	1.5 m.	H. P.	:	11.0 Stages 12
Any other losses considered	2.5 m.	Motor Type	:	V6-48"
Any other details Total	4.0 m.	Connection	:	Star-Delta
		Motor Sr. No.	:	P-545
		Order Ref. No.		

Sr. No.	Delivery Head in m.	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		125	473	16.5	380
2.	50	54	110	345	16.0	380
3.	108	112	95	240	13.5	380

Shutt-off at 150 mtrs.

Insulation Resistance Test		Required Discharge :	189	L.P.M. (G.P.M.)	High voltage Test	OK
I Phase	M-n-	At Required Head :	122	Mtrs.	Continuity Test	OK
II Phase	M-n-	Rated Ampere		A		
III Phase	M-n-					

Tested by J. P. PATEL

Sd/-
Approved. by

PULLEN PUMP INDUSTRIES Report No.

DHOLKA. Dist. Ahmedabad,

Gujarat State. Dt. 11-6-1982

TEST REPORT

Pump Sr. No :	P-546
Pump Type :	PH5
H. P. :	11.0 Stages 12
Motor Type :	V6–48
Connection :	Star-Delta
Motor Sr. No :	P-546
Order Ref. No :	

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m.
Any other losses considered 2.5 m.
Any other details Total 4.0 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		125	473	16.5	380
2.	50	54	120	428	16.0	380
3.	118	122	94	234	14.0	380

Shutt-off at 150 Mtrs.

Insulation Resistance Test		Required Discharge :	189 L.P.M. (G.P.M.)	High voltage Test	OK
I Phase	/ M-n-	At Required Head :	122 Mtrs.	Continuity Test	OK
II Phase	/ M-n-	Rated Ampere :	Mtrs.		
III Phase	/ M-n-	:	A		

Tested by J.P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES Report No.

DHOLKA Dist. Ahmedabad,
Gujarat State.

TEST REPORT

Dt. 11-6-1982

Pump Sr. No. : P-547
Pump Type : PH5
H. P. : 11.0 Stages 12
Motor Type : V6-48
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : P-547
Order Ref. No.

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m.
Any other losses considered 2.5 m.
Any other details Total 4 0 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		120	428	16.0	380
2.	50	54	115	385	16.0	380
3.	118	122	95	240	13.5	380

Shutt-off 145 mtrs.

Insulation Resistance Test
I Phase / M-n-
II Phase / M-n-
III Phase / M-n-

Required Discharge : 180 L.P.M. (G.P.M.) High voltage Test OK
At Required Head : 122 Mtrs. Continuity Test OK
Rated Ampere : A

Tested by J.P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES Report No.

DHOLKA Dist. Ahmedabad,

Gujarat State.

TEST REPORT Dt. 11-6-1982

Pump Sr. No : P-548

Pump Type : PH5

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m. H. P. : 11.0 Stages 12

Any other losses considered 2.5 m. Motor Type : V6-48

Any other details Total 4.0 m. Connection : Star-delta

Motor Sr. No : P-548

Order Ref. No :

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		125	473	16.5	380
2.	50	54	120	428	16.0	380
3.	118	122	94	234	14.0	380

Shutt-off at 150 mtrs.

Insulation Resistance Test		Required Discharge	: 189 L. P.M. (G.P.M.)	High voltage Test	OK
I Phase /	M-n-	At Required Head	: 122 Mtrs.	Continuity Test	OK
II Phase /	M-n-	Rated Ampere	: A		
III Phase /	M-n-				

Tested by J. P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

Report No.

DHOLKA. Dist Ahmedabad,

Gujarat State.

D1. 11-6-1982

TEST REPORT

Pump Sr. No. : P-549
Pump Type : PH5
H. P. : 11.0 Stages 12
Motor Type : V6-48
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : P-549.
Order Ref No. :

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m.
Any other losses considered 2.5 m.
Any other details Total 4.0 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch, in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	value full open		120	428	16.0	380.
2.	50	54	115	385	16.0	380
3.	188	122	95	240	13.5	380

Shutt-off at 150 mtrs.

Insulation Resistance Test
I Phase / M-n-
II Phase / M-n-
III Phase / M-n-

Required Discharge : 189 L.P.M. (G.P.M.)
At Required Head : 122 Mtrs.
Rated Ampere : A

High voltage Test OK
Continuity Test OK

Tested by J. P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

Report No.

DHOLKA. Dist., Ahmedabad,
Gujarat State.

TEST REPORT

Dt-11-6-1982

Pump Sr. No : P-550
Pump Type : PH5
H. P. : 11.0 Stages 12
Motor Type : V6-48
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : P-550
Order Ref. No :

Height of pressure gauge above the water level 1.5 m.
Any other losses considered 2.5 m.
Any other details Total 4.0 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		125	473	16.5	380
2.	50	54	120	428	16.0	380
3.	118	122	94	234	14.0	380

Shutt-off at 150 mtrs.

Insulation Resistance Test
I Phase / M-n-
II Phase / M-n-
III Phase / M-n-

Required Discharge : 189 L.P.M. (G. P. M.) High voltage Test OK
At Required Head : 122 Mtrs. Continuity Test OK
Rated Ampere : A

Sd/-
Tested by J. P. PATEL

Sd/-
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES | Report No.

DHOLKA. Dist., Ahmedabad,

Gujarat State.

TEST REPORT Dt. 13-6-1982

		Pump Sr. No	: P-551
		Pump Type	: PH5
Height of pressure gauge above the water leval	1.5 m.	H. P.	: 11.0 Stages 12
Any other losses considered	4.0 m.	Motor Type	: V6-48
Any other details Total	5.5 m.	Connection	: Star-Delta
		Motor Sr. No.	: P-551
		Order Ref. No.	

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		120	428	16.5	380
2.	50	55.5	115	385	16	380
3.	116.5	122.0	95	240	13.5	380

Shutt-off at 155 mtrs.

Insulation Resistance Test	Required Discharge : 227 L.P.M. (G.P.M.)	High Voltage Test	OK
I Phase M-n-	At Required Head : 122 Mtrs.	Continuity Test	OK
II Phase M-n-	Rated Ampere : A		
III Phase M-n-			

Sd/-
Tested by J. P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES
DHOLKA, Dist. Ahmedabad,
Gujarat State.
TEST REPORT

Report No.

Dt- 1[illegible]-6-1982

Pump Sr. No : P-552
Pump Type : PH5
H. P. : 11.0 Stages 12
Motor Type : V6-48
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : P-552
Order Ref. No.

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m.
Any other losses considered 4.0 m.
Any other details Total 5.5 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		125	473	16.5	380
2.	50	55.5	110	345	16.0	380
3.	116.5	122.0	94	234	15.0	380

Shutt-off at 155 mtrs.

Insulation Resistance Test
I Phase / M-n-
II Phase / M-n-
III Phase / M-n-

Required Discharge : 227 L.P.M. (G.P.M.)
At Required Head : 122 Mtrs.
Rated Ampere : A

High voltage Test OK
Continuity Test OK

Tested by J. P. PATEL

Sd/.
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

Report No.

DHOLKA. Dist. Ahmedabad.

Gujarat State.

Dt. 16-6-1982

TEST REPORT

		Pump Sr. No :	P-580	
		Pump Type :	PH5	
Height of pressure gauge above the water leval	1.5 m.	H. P. :	13.0	Stages 14
Any other losses considered	1.5 m.	Motor Type :	V6-58	
Any other details	Total 3.0 m.	Connection :	Star-Delta	
		Motor Sr. No. :	P-580	
		Order Ref. No.		

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		125	428	23	380
2.	50	53	115	385	22	380
3,	137	140	93	228	20	380

Shutt-off at 175 mtrs.

Insulation Resistance Test.		Required Discharge :	226	L.P.M. (G.P.M.)	High voltage Test	OK
I Phase /	M-n-	At Required Head :	140	Mtrs.	Continuity Test	OK
II Phase /	M-n-	Rated Ampere		A		
III Phase /	M-n-					

Tested by Sd/- J.P. PATEL

Sd/- Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

DHOLKA. Dist., Ahmedabad,
Gujarat State.

Report No.

TEST REPORT

Dt-16-6-1982

Pump Sr. No : P-579
Pump Type : PH5
H. P. : 13 Stages 14
Motor Type : V6-58
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : P-579
Order Ref. No :

Height of pressure gauge above the water level 1.5 m.
Any other losses considered 1.5 m.
Any other details Total 3.0 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L. M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		120	428	23	380
2.	50	53	115	385	22	380
3.	137	140	93	228	19	380

Shutt-off at 175 mtrs.

Insulation Resistance Test
I Phase / M-n-
II Phase / M-n-
III Phase / M-n-

Required Discharge : 226 L.P.M. (G. P. M.) High voltage Test
At Required Head : 140 Mtrs. Continuity Test
Rated Ampere : A

Tested by Sd/- J P. PATEL

Sd/-
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

Report No.

DHOLKA. Dist. Ahmedabad,
Gujarat State.

Dt. 14-6-1982

TEST REPORT

Pump Sr. No : P-568
Pump Type : PH6
H. P. : 13.0 Stages 13
Motor Type : V6-58
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : P-568
Order Ref. No. :

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m.
Any other losses considered 7.5 m.
Any other details Total 9.0 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	value full open		135	572	20	380
2.	50	59	129	516	20	380
3.	81	90	115	385	21	380

Shutt-off at 150 mtrs.

Insulation Resistance Test
I Phase / M-n-
II Phase / M-n-
III Phase / M-n-

Required Discharge : 378 L.P.M. (G.P.M.)
At Required Head : 90 Mtrs.
Rated Ampere : A

High voltage Test OK
Continuity Test OK

Tested by J. P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

Report No.

DHOLKA Dist. Ahmedabad,
Gujarat State.

TEST REPORT

Dt. 14-6-1982

Pump Sr. No. : P-568
Pump Type : PH6

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m. H. P. : 13.0 Stages 12
Any other losses considered 7.5 m. Motor Type : V6-58
Any other details Total 9.0 m. Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : P-568
Order Ref. No.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in mm	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		135	572	20	380
2.	50	59	129	516	20	380
3.	81	90	115	385	21	380

Shutt-off 150 mtrs.

Insulation Resistance Test			Required Discharge	:	378	L.P.M. (G.P.M.)	High voltage Test	OK
I Phase	/	M-n-	At Required Head	:	90	Mtrs.	Continuity Test	OK
II Phase	/	M-n-	Rated Ampere	:		A		
III Phase	/	M-n-						

Tested by J.P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES Report No.

DHOLKA Dist. Ahmedabad,

Gujarat State

TEST REPORT

Dt. 14-6-1982

			Pump Sr. No	:	P–569
			Pump Type	:	PH6
Height of pressure gauge above the water leval	1.5	m.	H. P.	:	13.0 Stages 13
Any other losses considered	7.5	m.	Motor Type	:	V6-58
Any other details Total	9.0	m.	Connection	:	Star-delta
			Motor Sr. No	:	P-569
			Order Ref. No	:	

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps	Volts
1.	Value full open		130	521	20	380
2.	50	59	125	473	20	380
3.	81	90	115	385	21	380

Shutt-off at 140 mtrs.

Insulation Resistance Test		Required Discharge	:	378	L. P.M. (G.P.M.)	High voltage Test	OK
I Phase /	M-n-	At Required Head	:	90	Mtrs.	Continuity Test	OK
II Phase /	M-n-	Rated Ampere	:		A		
III Phase /	M-n-						

Tested by J. P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

Report No.

DHOLKA. Dist., Ahmedabad,
Gujarat State.

TEST REPORT

Dt. 13-6-1982

Pump Sr. No : P-553
Pump Type : PH5
H. P. : 11.0 Stages 12
Motor Type : V6-48
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : P-553
Order Ref. No.

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m.
Any other losses considered 4.0 m.
Any other details Total 5.5 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in mm	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		120	428	16	380
2.	50	55.5	115	385	16.0	380
3.	116.5	122.0	95	240	14	380

Shutt-off at 150 mtrs.

Insulation Resistance Test
I Phase M-n-
II Phase M-n-
III Phase M-n-

Required Discharge : 228 L.P.M. (G.P.M.)
At Required Head : 122 Mtrs.
Rated Ampere : A

High Voltage Test
Continuity Test

Sd/--
Tested by J. P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES
DHOLKA. Dist. Ahmedabad,
Gujarat State.
TEST REPORT

Report No.

Dt- 13-6-1982

Pump Sr. No	:	P-554
Pump Type	:	PH5
H. P.	:	11.0 Stages : 12
Motor Type.	:	V6-48
Connection	:	Star-Delta
Motor Sr. No.	:	P-554
Order Ref. No.		

Height of pressure gauge above the water level		1.5 m.
Any other losses considered		4.0 m.
Any other details	Total	5.5 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		125	473	16.5	380
2.	50	55.5	110	428	16.0	380
3.	116.5	122 0	94	234	14.0	380

Shutt-off at 155 mtrs.

Insulation Resistance Test	Required Discharge : 227 L.P.M. (G.P.M.)	High voltage Test
I Phase / M-n-	At Required Head : 122 Mtrs.	Continuity Test
II Phase / M-n-	Rated Ampere : A	
III Phase / M-n-		

Tested by J. P. PATEL

Sd/.
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

ReportNo.

DHOLKA. Dist. Ahmedabad,
Gujarat State.

Dt. 13-6-1982

TEST REPORT

Pump Sr. No : P-555
Pump Type : PH5
H. P. : 11.0 Stages 12
Motor Type : V6–48
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No : P-555
Order Ref. No :

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m.
Any other losses considered 4.0 m.
Any other details Total 5.5 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		120	428	16.0	380
2.	50	55.5	115	385	16.0	380
3.	116.5	122.0	95	240	15.0	380

Shutt-off at 150 Mtrs.

Insulation Resistance Test
I Phase / M-n-
II Phase / M-n-
III Phase / M-n-

Required Discharge : 227 L.P.M. (G.P.M.)
At Required Head : 122 Mtrs.
Rated Ampere : Mtrs.
: A

High voltage Test
Continuity Test

Tested by J.P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

Report No.

DHOLKA. Dist. Ahmedabad.
Gujarat State.

Dt. 13-6-1982

TEST REPORT

Pump Sr. No : P-556
Pump Type : PH5
H. P. : 11.0 Stages 12
Motor Type : V6-48
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : P-556
Order Ref. No.

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m.
Any other losses considered 4.0 m.
Any other details Total 5.5 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		120	428	16.0	380
2.	50	55.5	115	483	16.0	380
3,	116.5	122.0	95	240	13.5	380

Shutt-off at 175 mtrs.

Insulation Resistance Test.
I Phase / M-n-
II Phase / M-n-
III Phase / M-n-

Required Discharge : 227 L.P.M. (G.P.M.) High voltage Test
At Required Head : 122 Mtrs. Continuity Test
Rated Ampere A

Tested by Sd/- J.P. PATEL

Sd/- Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

Report No.

DHOLKA. Dist., Ahmedabad,
Gujarat State.

TEST REPORT

Dt-13-6-1982

Pump Sr. No : P-557
Pump Type : PH5
H. P. : 11.0 Stages 12
Motor Type. : V6-48
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : P-557
Order Ref. No :

Height of pressure gauge above the water level 1.5 m.
Any other losses considered 4.0 m.
Any other details Total 5.5 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		128	428	16.0	380
2.	50	55.5	120	483	16.0	380
3.	116.5	122.0	94	240	14.0	380

Shutt-off at 155 mtrs.

Insulation Resistance Test
I Phase M-n-
II Phase M-n-
III Phase M-n-

Required Discharge : 227 L.P.M. (G. P. M.) High voltage Test
At Required Head : 122 Mtrs. Continuity Test
Rated Ampere : A

Tested by Sd/- J. P. PATEL

Sd/-
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES Report No.

DHOLKA. Dist. Ahmedabad.
Gujarat State. Dt. 13-6-1982

TEST REPORT

		Pump Sr. No	:	P-558	
		Pump Type	:	PH5	
Height of pressure gauge above the water leval	1.5 m.	H. P.	:	11.0	Stages 12
Any other losses considered	4.0 m.	Motor Type	:	V6-48	
Any other details	Total 5.5 m.	Connection	:	Star-Delta	
		Motor Sr. No.	:	P-558	
		Order Ref. No.			

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		125	428	16.0	380
2.	50	55.5	120	483	16.0	380
3.	116.5	122.0	95	240	14.0	380

Shutt-off at 155 mtrs.

Insulation Resistance Test.		Required Discharge	:	227	L.P.M.	(G.P.M.) High voltage Test
I Phase	M-n-	At Required Head	:	122	Mtrs.	Continuity Test
II Phase	M-n-	Rated Ampere	:		A	
III Phase	M-n-					

Tested by Sd/- J.P. PATEL

Sd/- Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

Report No.

DHOLKA. Dist. Ahmedabad,
Gujarat State.

Dt. 13-6-1982

TEST REPORT

Pump Sr. No : P-559
Pump Type : PH5
H. P. : 11.0 Stages 12
Motor Type : V6-48
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No : P-559
Order Ref. No :

Height of pressure gauge above the water leval		1.5	m.
Any other losses considered		4.0	m.
Any other details	Total	5.5	m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		125	473	16.5	380
2.	50	55.5	120	428	16.0	380
3.	116.5	122.0	94	234	14.0	380

Shutt-off at 155 Mtrs.

Insulation Resistance Test		Required Discharge :	227	L.P.M. (G.P.M.)	High voltage Test
I Phase	M-n-	At Required Head :	122	Mtrs.	Continuity Test
II Phase	M-n-	Rated Ampere :		A	
III Phase	M-n-				

Sd/
Tested by J.P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES Report No.

DHOLKA. Dist. Ahmedabad,

Gujarat State. Dt. 13-6-1982

TEST REPORT

Pump Sr. No : P-560
Pump Type : PH5
H. P. : 11.0 Stages 12
Motor Type : V6-48
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : P-560
Order Ref. No. :

Height of pressure gauge above the water leval	1.5	m.
Any other losses considered	4.0	m.
Any other details Total	5.5	m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	value full open		125	473	16.5	380
2.	50	55.5	120	428	16.8	380
3.	116.5	122.0	94	234	14.0	380

Shutt-off at 150 mtrs.

Insulation Resistance Test
I Phase M-n-
II Phase M-n-
III Phase M-n-

Required Discharge : 227 L.P.M. (G.P.M.)
At Required Head : 122 Mtrs.
Rated Ampere : A

High voltage Test
Continuity Test

Sd/
Tested by J. P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

Report No.

DHOLKA. Dist., Ahmedabad,
Gujarat State.

TEST REPORT

Dt. 13-6-1982

Pump Sr. No : P-561
Pump Type : PH5
H. P. : 11.0 Stages 12
Motor Type : V6-48
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : P-561
Order Ref. No.

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m.
Any other losses considered 4.0 m.
Any other details Total 5.5 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		125	473	16.5	380
2.	50	55.5	110	345	16.0	380
3.	116.5	122.0	95	240	13.5	380

Shutt-off at 150 mtrs.

Insulation Resistance Test
I Phase M-n-
II Phase M-n-
III Phase M-n-

Required Discharge : 227 L.P.M. (G.P.M.)
At Required Head : 122 Mtrs.
Rated Ampere : A

High Voltage Test
Continuity Test

Sd/-
Tested by J. P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES   Report No.

DHOLKA Dist. Ahmedabad,
Gujarat State.

TEST REPORT   Dt. 14-6-1982

Pump Sr. No : P-562
Pump Type : PH5

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m.   H. P. : 11.0   Stages 12
Any other losses considered 4.0 m.   Motor Type : V6-48
Any other details   Total 5.5 m.   Connection : Star-delta

Motor Sr. No : P-562
Order Ref. No :

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps	Volts
1.	Value full open		120	428	16.5	380
2.	50	55.5	115	385	16.0	380
3.	116.5	122.0	95	240	13.5	380

Shutt-off at 155 mtrs.

Insulation Resistance Test
I Phase M-n-
II Phase M-n-
III Phase M-n-

Required Discharge : 227 L. P.M. (G.P.M.)
At Required Head : 122 Mtrs.
Rated Ampere : A

High voltage Test
Continuity Test

Sd/
Tested by J. P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES Report No.

DHOLKA Dist. Ahmedabad,

Gujarat State.

TEST REPORT Dt. 15-6-1982

Pump Sr. No. : P-572

Pump Type : PH5

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m. H. P. : 13.0 Stages 14

Any other losses considered 4.0 m. Motor Type : V6-58

Any other details Total 5.5 m. Connection : Star-Delta

Motor Sr. No. : 572

Order Ref. No.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		125	473	23.0	380
2.	50	55.5	120	428	22.0	380
3.	134.5	140	94	234	19	380

Shutt-off 175 mtrs.

Insulation Resistance Test		Required Discharge	: 227	L.P.M. (G.P.M.)	High voltage Test
I Phase	M-n-	At Required Head	: 140	Mtrs.	Continuity Test
II Phase	M-n-	Rated Ampere	:	A	
III Phase	M-n-				

Tested by J.P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

DHOLKA. Dist. Ahmedabad,
Gujarat State.

TEST REPORT

Report No.

Dt- 15-6-1982

Pump Sr. No : P-573
Pump Type : PH5
H. P. : 13.0 Stages : 14
Motor Type : V6-58
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : P-572
Order Ref. No.

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m.
Any other losses considered 4.0 m.
Any other details Total 5.5 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		125	473	23.0	380
2.	50	55.5	120	428	22.0	380
3.	134.5	140	94	234	14.0	380

Shutt-off at 175 mtrs.

Insulation Resistance Test
I Phase M-n-
II Phase M-n-
III Phase M-n-

Required Discharge : 227 L.P.M. (G.P.M.)
At Required Head : 140 Mtrs.
Rated Ampere : A

High voltage Test
Continuity Test

Sd/
Tested by J. P. PATEL

Sd/.
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

Report No.

DHOLKA. Dist., Ahmedabad,
Gujarat State.

TEST REPORT

Dt. 15-6-1982

Pump Sr. No	:	P-574
Pump Type	:	PH5
H. P.	:	13.0 Stages 14
Motor Type	:	V6-58
Connection	:	Star-Delta
Motor Sr. No.	:	P-574
Order Ref. No.		

Height of pressure gauge above the water leval		1.5 m.
Any other losses considered		4.0 m.
Any other details	Total	5.5 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		120	428	23.0	380
2.	50	55.5	115	383	23.0	380
3.	134.5	140	95 .	240	20	380

Shutt-off at 170 mtrs.

Insulation Resistance Test		Required Discharge :	227	L.P.M. (G.P.M.)	High Voltage Test
I Phase	M-n-	At Required Head :	140	Mtrs.	Continuity Test
II Phase	M-n-	Rated Ampere :		A	
III Phase	M-n-				

Sd/--
Tested by J. P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

Report No.

DHOLKA. Dist. Ahmedabad,

Gujarat State.

Dt. 16-6-1982

TEST REPORT

Pump Sr. No : P-575
Pump Type : PH5
H. P. : 13.0 Stages 14
Motor Type : V6-58
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : P-575
Order Ref. No. :

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m.
Any other losses considered 4.0 m.
Any other details Total 5.5 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.		value full open	125	473	23.0	380
2.	50	55.5	120	428	22.0	380
3.	134.5	140	94	234	19.0	380

Shutt-off at 175 mtrs.

Insulation Resistance Test
I Phase M-n-
II Phase M-n-
III Phase M-n-

Required Discharge : 227 L.P.M. (G.P.M.)
At Required Head : 140 Mtrs.
Rated Ampere : A

High voltage Test
Continuity Test

Sd/
Tested by J. P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

DHOLKA. Dist. Ahmedabad,
Gujarat State.

Report No.

Dt. 15-6-1982

TEST REPORT

Pump Sr. No : P-576
Pump Type : PH5
H. P. : 13.0 Stages 14
Motor Type : V6-58
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No : P-576
Order Ref. No :

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m.
Any other losses considered 4.0 m.
Any other details Total 5.5 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		120	428	23.0	380
2.	50	55.5	115	383	23.0	380
3.	134.5	140	95	240	20.0	380

Shutt-off at 170 Mtrs.

Insulation Resistance Test
I Phase M-n-
II Phase M-n-
III Phase M-n-

Required Discharge : 227 L.P.M. (G.P.M.)
At Required Head : 140 Mtrs.
Rated Ampere : A

High voltage Test
Continuity Test

Sd/
Tested by J.P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES Report No.

DHOLKA Dist. Ahmedabad,

Gujarat State.

TEST REPORT

Dt. 15-5-1982

			Pump Sr. No	:	P-577	
			Pump Type	:	PH5	
Height of pressure gauge above the water leval	1.5	m.	H. P.	:	1[illegible].0	Stages 14
Any other losses considered	4.0	m.	Motor Type	:	V6-58	
Any other details Total	5.5	m.	Connection	:	Star-delta	
			Motor Sr. No	:	P-577	
			Order Ref. No	:		

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in mm	Discharge in L.M.P.	Amps	Volts
1.	Value full open		120	428	23.0	380
2.	50	55.5	115	383	22.0	380
3.	134.5	140	95	240	20.0	380

Shutt-off at 155 mtrs.

Insulation Resistance Test	Required Discharge	:	227 L. P.M. (G.P.M.)	High voltage Test
I Phase M-n-	At Required Head	:	140 Mtrs.	Continuity Test
II Phase M-n-	Rated Ampere	:	A	
III Phase M-n-				

Sd/
Tested by J. P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES Report No.

DHOLKA Dist. Ahmedabad,
Gujarat State.

TEST REPORT Dt. 15-6-1982

Pump Sr. No. : P-578
Pump Type : PH5

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m. H. P. : 13.0 Stages 14
Any other losses considered 4.0 m. Motor Type : V6-58
Any other details Total 5.5 m. Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : 578
Order Ref. No.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		125	473	23.0	380
2.	50	55.5	120	428	22.0	380
3.	134.5	140	94	234	19.0	380

Shutt-off 175 mtrs.

Insulation Resistance Test
I Phase M-n-
II Phase M-n-
III Phase M-n-

Required Discharge : 227 L.P.M. (G.P.M.)
At Required Head : 140 Mtrs.
Rated Ampere : A

High voltage Test
Continuity Test

Tested by J.P. PATEL

Sd/
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

Report No.

DHOLKA. Dist. Ahmedabad.
Gujarat State.

Dt. 11-6-1982

TEST REPORT

Pump Sr. No : P-541
Pump Type : PH5

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m.
Any other losses considered 2.5 m.
Any other details Total 4.0 m.

H. P. : 11 Stages 12
Motor Type : V6-48
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : P-541
Order Ref. No..

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		120	428	16.5	380
2.	50	54	117	395	16.0	380
3.	118	122	95	240	13.0	380

Shutt-off at 155 mtrs.

Insulation Resistance Test.		Required Discharge : 189 L.P.M. (G.P.M.)	High voltageTest	OK
I Phase	M-n-	At Required Head : 122 Mtrs.	Continuity Test	OK
II Phase	M-n-	Rated Ampere : A		
III Phase	M-n-			

Tested by Sd/- J.P. PATEL

Sd/- Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

Report No.

DHOLKA. Dist., Ahmedabad,
Gujarat State.

TEST REPORT

Dt-16-6-1982

Pump Sr. No : P-570
Pump Type : PH5
H. P. : 15.0 Stages 16
Motor Type : V6-63
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : P-570
Order Ref. No :

Height of pressure gauge above the water level 1.5 m.
Any other losses considered 1.5 m.
Any other details Total 3.0 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in mm	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		130	521	22	380
2.	50	53	125	475	22	380
3.	157	160	94	234 /	18	380

Shutt-off at 190 mtrs.

Insulation Resistance Test		Required Discharge :	227 L.P.M. G. P. M.)	High voltage Test
I Phase	M-n-	At Required Head :	160 Mtrs.	Continuity Test
II Phase	M-n-	Rated Ampere :	A	
III Phase	M-n-			

Tested by Sd/- J. P. PATEL

Sd/-
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

DHOLKA. Dist. Ahmedabad,
Gujarat State.

Report No.

Dt- 14-6-1982

TEST REPORT

Pump Sr. No : P-564
Pump Type : P68
H. P. : 21.5 Stages : 16
Motor Type : V6-78
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : P-564
Order Ref. No.

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m.
Any other losses considered 2.0 m.
Any other details Total 3.5 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		155	805	24	380
2.	50	53.5	140	626	26	380
3.	126.5	130.0	116	393	28	380

Shutt-off at 210 mtrs.

Insulation Resistance Test		Required Discharge :	378	L.P.M. (G.P.M.)	High voltage Test	OK
I Phase	M-n-	At Required Head :	130	Mtrs.	Continuity Test	OK
II Phase	M-n-	Rated Ampere :		A		
III Phase	M-n-					

Sd/
Tested by J. P. PATEL

Sd/.
Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

Report No.

DHOLKA. Dist., Ahmedabad,
Gujarat State.

TEST REPORT

Dt-16-6-1982

Pump Sr. No : P-571
Pump Type : P55
H. P. : 15 Stages 16
Motor Type : V6-63
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : P-571
Order Ref. No :

Height of pressure gauge above the water level 1.5 m.
Any other losses considered 1.5 m.
Any other details Total 3.0 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vee notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		129	516	22	380
2.	50	53	124	469	22	380
3.	157	160	94	234	18	380

Shutt-off at 190 mtrs.

Insulation Resistance Test		Required Discharge :	227 L.P.M. (G. P. M.)	High voltage Test
I Phase	M-n-	At Required Head :	160 Mtrs.	Continuity Test
II Phase	M-n-	Rated Ampere :	A	
III Phase	M-n-			

Tested by Sd/- J. P. PATEL

Sd/- Approved by

PULLEN PUMP INDUSTRIES

DHOLKA. Dist. Ahmedabad,
Gujarat State.

TEST REPORT

Report No.

Dt- 14-6-1982

Pump Sr. No : P-563
Pump Type : P68
H. P. : 21.5 Stages : 16
Motor Type : V6-78
Connection : Star-Delta
Motor Sr. No. : P-563
Order Ref. No.

Height of pressure gauge above the water leval 1.5 m.
Any other losses considered 2.0 m.
Any other details Total 3.5 m.

Sr. No.	Delivery Head in m	Total Head in m	Head over vce notch in m m	Discharge in L.M.P.	Amps.	Volts
1.	Value full open		150	743	23.0	380
2.	50	53.5	145	683	26.0	380
3.	126.5	130.0	115	385	28.0	380

Shutt-off at 210 mtrs.

Insulation Resistance Test
I Phase M-n-
II Phase M-n-
III Phase M-n-

Required Discharge : 378 L.P.M. (G.P.M.)
At Required Head : 130 Mtrs.
Rated Ampere : A

High voltage Test OK
Continuity Test OK

Sd/
Tested by J. P. PATEL

Sd/.
Approved by

जलदाय विभाग बीकानेर में 1980-81 एवं 1981-82 में सबमरसीबल पम्पिंग सेट के क्रय आदेश

क्र0 सं0	क्रय आदेश संख्या एवं दिनांक	मेक	क्षमता हैड (मो0)	डिस्चार्ज लि0प्र0से0	हार्स पावर	दर	तादाद
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	एफ. आई/पीसी/6/सब/पम्प/बीका./79-80/4807-12 दिनांक 16-4-80	कलामा	122	760 LPM	35	10,020/-	5
2.	—"—/80-81/4813-18 दिनांक 16-4-80	कलामा	122	1135 ,,	52	10,710/-	3
3.	एफ. आई (पीसी) एन.आई.टी.-12/80-81/4578-84 दि. 9-4-80	एस. यू. 42	140	227 ,,	15	11,430/-	10
4.	—"—4634से40 दिनांक 18-4-80	एस. यू.	110	227 ,,	11	9,150/-	6

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	एफ.म्राई (पीसी) एन.म्राई.टी. 12/ 80-81 4086-92 दिनांक18-4-82	एस. यू.	122	227 LPM	13	10,060/-	3
6.	—"—13/80-81/6934-39 दिनांक 29-5-80	के. एस. बी.	50	1203 ,,	25	14.437/-	4
7.	—"—6981-86 दि0 2-6-80	के.एस.बी.	70	1453 ,,	35	16,845/-	4
8.	—"—6962-67 दि0 2-6-80	के.एस,बी.	44	1607 ,,	25	14,436/-	1
9.	—"—7000-93 दि0 3-6-80	के.एस.बी.	78	1453 ,,	35	16,045/-	2
10.	—"—14/88-81/4389-95 दिनांक 5-4-80	एस.यू.	120	300 ,,	16.5	12,360/-	5
11.	एफ,म्राई, (पीसी) एन.म्राई.टी. 14/ 80-81/4563-70 दि0 9-4-80	एस. यू.	140	300 ,,	20	13,050/-	5
12,	—"—4571-77 दि0 9-4-80	एस. यू.	110	230 ,,	11	9,150/-	6

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	एफ.आई. (पीसी) एन.आई.टी. 14/ 80–81 8475–82 दिदि0 26–6–80	पुलम	120	300 LPM	20	11,000/–	5
14.	—"—22/80–81/5440–53 दिनांक 28–5–80	एस. यू.	122	227 ,,	13	10,060/–	5
15.	—"—6058–55 दि0 28–5–80	के.एस.बी.	122	1515 ,,	60	20,931.70	5
16.	—"—10015–20 दि0 18–6–80	कलामा	122	1135 ,,	52	10,750/–	10
17.	एफ. आई. (पीसी) एन. आई. टी. 29/80–81 11115 दि0 20–8–80	कलामा	130	151.2 ,,	9	10,450/–	10
18.	—"—11148–53 दि0 23–8–80	के.एस.बी.	140	240 ,,	15	18,903/–	10
19.	—"—40 नं0/4231–36 दिनांक 11–3–81	के.एस.बी.	100	22.5 M^3Hr	15	19,011/–	10
20.	—"—42 नं0/5002–87 दिनांक 16–4–81	के.एस.बी.	340	18.75 LPS	41	34,046/–	2
21.	—"—14615–17 दि. 24-12-81	पुलन	120	4000 GPH	13	17,000/–	5
	,,	,,	120	5000 ,,	15	10,000/–	5

Page No 326

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	एफ.आई. (पीसी) एन.आई.टी. 29/ 80-81 14610 -20 दि. 24-1-8	पुलन	50	3000 GPH	6	9,900/-	2
	,,	,,	110	2500 ,,	9	13,700/-	8
23.	1392-95 दिनांक 5-2-82	एस. यू.	140	3.15 LPS	15	17,750/-	3
	,,	एस. यू.	135	6.3 ,,	25	24,075/-	2
24.	5365-60 दिनांक 1-5-82	पुलन	130	500 LPM	35	25,096/-	3
	,,						
25.	5374-78 दि0 3-5-82	पुलन	122	3.15 LPS	11	14,560/-	10
	,,	पुलन	90	6.3 ,,	13	10,512/-	2
26.	6470-74 दिनांक 18-5-83	पुलन	122	3.78 ,,	11	14,560/-	11
	,,	पुलन	140	3.78 ,,	13	14,872/-	2
27.	6949 दिनांक 2.5.82	पुलन	140	3.70 ,,	13	14,872/-	7 सेट
	,,	पुलन	122	3.70 ,,	11	14,560/-	1 सेट
	,,	पुलन	160	3.70 ,,	15	16,224/-	2 सेट
	,,	पुलन	130	6.30 ,,	21,5	22,547.20	2 सेट
						कुल	176 सेट

Page No 327

परिशिष्ट 7

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जयपुर-जमवारामगढ़ सड़क

303. श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) नवम्बर, 1982 में एशियाई गेम्स के आयोजन के सन्दर्भ में जमवारामगढ़ में आयोजित नौका प्रतियोगिता के लिए जयपुर से जमवारामगढ़ तक सड़क निर्माण के लिये कुल कितने रुपये व्यय करने की वित्तीय स्वीकृति कब दी गई ?

(2) उक्त सड़क निर्माण के लिए कुल कितने रुपयों का प्रावधान रखा गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि जयपुर-जमवारामगढ़ सड़क का कुछ हिस्सा विभाग द्वारा तैयार करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस कारण अधिक व्यय हो रहा है ? यदि हां, तो समस्त कार्य का ठेका क्यों नहीं दिया गया ?

(4) ठेकेदार द्वारा कुल कितनी सड़क का तथा विभाग द्वारा कितने हिस्से का निर्माण कराया गया है ? दोनों के निर्माण पर कुल कितना खर्चा हुआ है ? कृपया पृथक्-पृथक् आंकड़े सदन के पटल पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि जल्दी से सड़क बनाने की आड़ में विभाग द्वारा निर्माण हेतु आवंटित राशि के दुरुपयोग किये जाने की शिकायतें की गई हैं ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(6) वर्तमान में जयपुर-जमवारामगढ़ सड़क पर कौन-कौन अभियन्ता कार्यरत हैं ? अभियन्ताओं की कुल सेवा अवधि में कितने अर्से से वह जयपुर में है ? कृपया नाम व अवधि सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1 एवं 2) जयपुर से रामगढ़ तक के सड़क सुधार हेतु प्रावधान अनुसार 40.00 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति है। यह स्वीकृति 21-7-82 को दी गई है ?

(3 एवं 4) जी हां, समस्त कार्य की निविदायें आमन्त्रित की गई थी। सड़क सुधार का एक भाग किलोमीटर 21 से 31 तक के ठेकेदार द्वारा दिए गए निविदा पर न करने के कारण विभागीय तौर पर कराया जा रहा है। जो अभी प्रगति पर है। विभागीय कार्य पर सरकार के पास उपलब्ध मशीन व अन्य सामान की सहायता से निर्माण कराया जा रहा है, जिसका लेखा-जोखा नियमित रूप से हो रहा है और अभी तक व्यय अनुमानित लागत के अनुसार है। अतः इस स्थिति में अधिक व्यय का प्रश्न नहीं उठता है। बाकी सड़क सुधार का कार्य ठेके पर कराया जा रहा है। विभागीय निर्माण पर रु. 10·59 लाख एवं ठेके के कार्यों पर रु. 22·57 लाख कुल 33·16 लाख अगस्त, 1982 तक खर्च हुआ है।

(5) जल्दी से सड़क बनाने की आड़ में विभाग द्वारा आवंटित राशि के दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु कुछ अन्य मुद्दों पर शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच की जा रही है।

(6) सूची (परिशिष्ट--"क") सदन के पटल पर रख दी गई है।

Page No 328

प्रपत्र "क"

क्र. सं.	नाम	पद	सेवा अवधि	जयपुर में सेवा अवधि	
1.	श्री ए. एच. अब्बासी	अधिशासी अभियन्ता सा. निर्माण विभाग जिला खण्ड II जयपुर।	$16\frac{1}{2}$ वर्ष	7 वर्ष 3 माह	
2.	श्री ओ. पी. जौहरी	सहायक अभियन्ता, सा. निर्माण विभाग उप खण्ड आमेर।	16 वर्ष 3 माह	9 वर्ष 9 माह	
3.	श्री बी. एस. जैन	उप अभियन्ता (रामगढ़)	19 वर्ष	कभी नहीं रहा।	इनका पदस्थापन रामगढ़ रोड़ पर है।
4.	श्री आर. एन. माथुर	,, ,,	20 वर्ष	5 वर्ष	,, ,,
5.	श्री ताराचन्द अग्रवाल	,, ,,	5 वर्ष	कभी नहीं रहा।	,, ,,
6.	श्री सीताराम शर्मा	,, ,,	14 वर्ष	एक वर्ष 9 माह	,, ,,

Page No 329

देवास योजना, उदयपुर

304. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या उदयपुर नगर एवं जिले की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देवास योजना के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण का पुन: सर्वे किया गया ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या राज्य सरकार अरब सागर में जाने वाले इस पानी को अतिशीघ्र रोक कर उदयपुर जिले के लिए उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार इस सम्बन्ध में समय-समय पर आश्वासन देती रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इनके स्थान पर अब वापस नदी के पानी को उदयपुर के बांध में परावर्तन करने हेतु सर्वे किया जा रहा है। सर्वे कार्य वर्ष 1981-82 में प्रारम्भ किया गया ?

(2) राज्य सरकार का यही प्रयास हैं। इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि यह पानी उदयपुर व अन्य जिलों के लिये कब तक उपलब्ध हो जायेगा।

(3) जी हां।

थाना मण्डरायल (सवाई माधोपुर) में बच्चे के कथित अपहरण का प्रकरण

305. श्री नरपतराम बरबड़ (सूरसागर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि थाना मण्डरायल, जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1978 में दर्ज किसी बच्चे के कथित अपहरण के मामले में कुछ पुलिस अधिकारियों को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो किन-किन को ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन निलम्बित किये गये कर्मचारियों में से कुछ को पुनः बहाल कर दिया व कुछ को नहीं ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि 3 साल से निलम्बित शेष कर्मचारियों के विरुद्ध अभी तक कोई जांच कार्यवाही शुरू नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) बहाल किये गये कर्मचारियों के विरुद्ध जांच किस अधिकारी ने की और बहाल किन आधारों पर किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। निलम्बित किये गये अधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(2) निलम्बित किये गये अधिकारियों में से एक को छोड़कर शेष सभी को बहाल किया जा चुका है। एक अधिकारी, जिनके विरुद्ध रिश्वत लेने का गम्भीर आरोप है, को बहाल नहीं किया गया है।

(गृह मंत्री)

(3) जी नहीं, इस प्रकरण के दोषी सभी अधिकारियों के विरुद्ध संयुक्त विभागीय जांच शुरू की जा चुकी है।

(4) इस प्रकरण की प्राथमिक जांच राज्य सरकार के आदेशानुसार अपर पुलिस महा-निरीक्षक (सतर्कता) द्वारा की गई थी। प्राथमिक जाचकर्ता के प्रतिवेदन के आधार पर 8 अधिकारियों को आरोपित किया गया है, जिनमें से एक के विरुद्ध रिश्वत लेने का गम्भीर आरोप है। रिश्वत के आरोपी को छोड़ कर शेष को जांच के विचाराधीन रहते बहाल किया गया है। जिन्हें बहाल किया गया उनके विरुद्ध इतना गम्भीर आरोप नहीं था कि उन्हें निरन्तर निलम्बित रखा जाता।

निलम्बित किये गये अधिकारियों की सूची

1. श्री उम्मेद सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, करौली।
2. श्री बी. एन. योगेश्वर, पुलिस उप अधीक्षक, करौली।
3. श्री रमेश गुप्ता, पुलिस उप निरीक्षक, करौली।
4. श्री गोविन्द नारायण, उप निरीक्षक थाना मण्डरायल।
5. श्री शहीद अहमद, कानि. नं. 432 ,, ,,
6. श्री मूलचन्द कानि. नं. 107 ,,
7. श्री बलवीर प्रसाद कानिस्टेबल ,,
8. श्री बलवीर सिंह कानि. नं. 120 ,,

विधायकों को परिवहन निगम की बसों में प्राप्त सुविधायें

306. श्री भैरूं सिंह गुर्जर (खारची)
श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण)

श्री गोकुलचन्द शर्मा (सुमेरपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि परिवहन निगम की प्रत्येक बस में दो सीटें विधायकों हेतु आरक्षित रहती हैं ? यदि हां, तो कौन कौनसी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या विधायकों को बसों (निगम व निजी) के निरीक्षण करने के अधिकार प्राप्त हैं ? यदि हां, तो निरीक्षण की क्या प्रक्रिया है व उनकी निरीक्षण रिपोर्ट पर राज्य सरकार क्या कार्यवाही करती है ?

(3) क्या विधायक को पहले यात्रा का टिकट वाहन में ही दिया जाता था व अब टिकट खिड़की पर कतार में खड़े होकर लेना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, प्रत्येक बस में सीट संख्या 4 व 5 विधायकों हेतु आरक्षित रहती हैं।

(2) विधायकों को केवल निगम के वाहनों के निरीक्षण करने का अधिकार है। निरीक्षण की प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। निरीक्षण रिपोर्ट पर निगम प्रशासन आवश्यक कार्यवाही करता है।

(3) जी हां। विधायकों को टिकट खिड़की पर कतार में खड़े होकर लेना आवश्यक नहीं है।

बीकानेर जिले में चरागाह विकास कार्यक्रम

307. **श्री सुरजाराम टांक (नोखा) :** क्या सिंचाई वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

बीकानेर जिले में गत 3 वर्षों में चरागाह विकास कार्यक्रम के लिये कितने हैक्टेयर जमीन की तारबंदी की गई और इस पर कितना खर्चा हुआ ? इन चरागाहों के विकास हेतु वर्ष में कितनी धनराशि व्यय होती है ? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बीकानेर जिले में गत तीन वर्षों में 14932 हैक्टेयर क्षेत्र में चरागाह विकास, टीबा स्थिरीकरण तथा सिल्वी पाश्चरल वृक्षारोपण कार्य का निर्माण किया गया जिस पर 90·425 लाख रु. व्यय हुआ। वर्षवार निर्धारित व्यय का ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है।

राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में टीबा स्थिरीकरण, चरागाह विकास एवं सिल्वी पाश्चरल वृक्षारोपण के कार्यों में निर्धारित व्यय का वर्षवार ब्योरा :-

प्रथम वर्ष (अग्रिम कार्य)	570 रुपये
द्वितीय वर्ष (रोपण)	250 ,,
तृतीय वर्ष (प्रथम वर्ष का संधारण)	60 ,,
चतुर्थ वर्ष (द्वितीय वर्ष का संधारण)	50 ,,
पंचम वर्ष (तृतीय वर्ष का संधारण)	50 ,,
छठा वर्ष (चतुर्थ वर्ष का संधारण)	50 ,,
सातवां वर्ष (पंचम वर्ष का संधारण)	40 ,,
आठवां वर्ष (छठे वर्ष का संधारण)	40 ,,

20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला झालावाड़ में विमुक्त बंधुआ मजदूर

308. **श्री बालचन्द्र आर्य वीर** (डग)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 20-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र क्रमांक 7 के अन्तर्गत झालावाड़ जिले में अनुसूचित जाति और जनजातियों के विकास हेतु क्या कार्य किये गये हैं ?

(2) 20-सूत्री कार्य क्रम के सूत्र क्रमांक 6 के अन्तर्गत झालावाड़ा जिले में कितने बन्धुआ मजदूरों को किन-किन लोगों के यहां से मुक्त कराया गया तथा उनके पुनर्वास और रोजगार की क्या व्यवस्था की गई ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट क)

(2) वर्ष 1981-82 की सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(परिशिष्ट ख)

परिशिष्ट "क"

झालावाड़ जिले में विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति के परिवार

क्र० सं०	योजना/कार्यक्रम का नाम	निर्धारित भौतिक लक्ष्य 1982-83	माह अगस्त 82 तक प्राप्त किये लक्ष्य — माह के अन्त तक इस वर्ष में
1	2	3	4
1.	लघु/कुटीर उद्योगों को औद्योगिक ऋण सहायता एवं औद्योगिक प्लाटों का आवंटन	140	18
2.	खादी एवं ग्रामोद्योग	210	निल
3.	हाथकर्घा विकास	10	निल
4.	राज. लघु उद्योग विकास/बुनकर संघ/आर. टी. आई. द्वारा प्रशिक्षण	-	
5.	संयुक्त/निजी क्षेत्र में रोजगार	25	निल
6.	भूमि सीलिंग में प्राप्त आवंटित भूमि में कृषि विकास हेतु सहायता	20	4
7.	शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार के लिए ऋण	50	-
8.	अनुसूचित जाति के परिवारों के कुओं पर बिजली।	25	8
9.	राज्य सरकार/निगम/स्वायत्त शासी निकाय स्थानीय निकाय/संस्थाओं आदि में रोजगार (तृतीय व चतुर्थ श्रेणी में)	75	6
10.	मुर्गी/शूकर पालन	-	-
11.	दुग्ध विकास	-	-
12.	राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन	-	-
13.	राजस्थान नहर के अतिरिक्त क्षेत्र में भूमि आवंटन (सीलिंग भूमि सहित)	150	141
14.	कमाण्ड क्षेत्र विकास/राजस्थान भूमि विकास निगम (ओ. एफ. डी. कार्य)	-	-
15.	सिंचाई	150	-
16.	एकीकृत ग्रामीण विकास योजना	3081	115
	योग	3936	292

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति की 9 बस्तियों में बिजली की व्यवस्था की गई है तथा 19 बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई है।

परिशिष्ट 'ख"

झालावाड़ जिले के मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूर एवं उन्हें दी गई सहायता सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	बंधुआ मजदूर का व पिता का नाम व ग्राम	बन्धक रखने वाले का नाम	पुनर्वास हेतु एक मुश्त सहायता सहायता निर्वाह भत्ता	पुनर्वास हेतु कार्य में दी गई राशि मकान निर्माण हेतु	आर्थिककार्यक्रम सहायता	ऋण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	श्री चम्पा लाल/अमर लाल महेश पुरा	श्री चन्द ग्राम जावर	800/-	1000/-	3870/-	-	5670/-
(2)	,, राधा किशन/कंवर लाल जावर	,, ,,	800/-	1000/-	3864/-	-	5664/-
(3)	,, कन्हैयालाल/अमरा ग्राम बसखेड़ा	,, देवकी नन्दन जावर	800/-	1000/-	3630/-	1375/-	6805/-
(4)	,, कंवर लाल/किशोर ग्राम जावर	,, ,,	800/-	1000/-	3474/-	-	5274/-
(5)	,, घनश्याम/देवकीलाल ग्राम जावर	,, ,,	800/-	1000/-	3812/-	-	5612/-
(6)	,, भंवरलाल/गेदा ग्राम पीपलोई	,, कन्हैयालाल ग्राम जावर	800/-	1000/-	3817/-	-	5617/-
(7)	,, गुलाब चन्द/धुलीचन्द ग्राम जावर	,, चन्द साहू ग्राम जावर	800/-	1000/-	3221/-	-	5021/-
(8)	,, काना/राम नारायण ग्राम जावर	,, देवकी नन्दन जावर	800/-	1000/-	2200/-	-	4000/-
(9)	,, परमानन्द/नारायण	,, चन्द ग्राम जावर	800/-	1000/-	3480/-	-	5280/-
(10)	,, वन्शी/प्रभु लाल ग्राम जावर	,, देवकी नन्दन जावर	800/-	1000/-	3765/-	-	5565/-
(11)	,, भंवरलाल/पन्ना लाल ग्राम जावर	,, नाथ ग्राम जावर	800/-	1000/-	2675/-	-	4475/-
(12)	,, रोडू लाल/मातो जाज़ ग्राम जावर	,, ,,	800/-	1000/-	3998/-	-	5798/-

1	2	3	4	5	6	7	8
(13)	श्री राधा किशन/श्री लाल ग्राम जावर	श्री नाथ ग्राम जावर	800/-	1000/-	3274/-	-	5074/-
(14)	,, धन्ना लाल/रतीराम ग्राम जावर	,, ,, ,,	800/-	1000/-	3552/-	-	5352/-
(15)	,, सुखा/ग्रमरलाल ग्राम खजूरी बनेठ	,, ,, ,,	800/-	1000/-	3448/-	1200/-	6448/-
(16)	,, नारायण/मूलचन्द ग्राम बनेठ	,, ,, ,,	800/-	1000/-	3013/-	-	4813/-
(17)	,, बीरमा/मोती ग्राम दानीपूरीया	,, भैरुलाल ग्राम दानी पूरीया	800/-	1000/-	3475/-	1250/-	6525/-
(18)	,, देवा/ग्रमरा ग्राम कोटड़ा	,, गोपालसिंह/भवानी ग्राम कोटड़ा	500/-	1000/-	2500/-	-	4000/-
(19)	,, मांगी लाल/शकंर ग्राम पुनिया रेवडी	,, हीरा खां ग्राम	800/-	1000/-	3332/-	1100/-	6232/-
(20)	,, जगन्नाथ/धोला ग्राम खूरी	,, सुल्तान खां खूरी	800/-	1000/-	2200/-	-	4000/-
(21)	,, मांगीलाल/धूलीलाल ग्राम खजूरी	,, नाथ जावर	800/-	1000/-	3474/-	1225/-	6499/-
(22)	,, भैरु/धोला ग्राम खूरी	,, सुल्तान ग्राम खूरी	800/-	1000/-	3013/-	-	4813/-
(23)	,, धुलीचन्द/राम लाल खजूरी	,, नाथ ग्राम जावर	800/-	1000/-	3396/-	1150/-	6346/-
(24)	,, पूरन/घीसा ग्राम खजूरी	,, ,, ,,	800/-	1000/-	3013/-	1533/-	6346/-
(25)	,, चन्दा/राम लाल ग्राम खजूरी	,, ,, ,,	800/-	1000/-	3975/-	1250/-	7025/-
(26)	,, राम प्रताप/शकर ग्राम खजूरी	,, ,, ,,	600/-	1000/-	3650/-	-	5250/-
(27)	,, राम प्रसाद/धुली लाल ग्राम खजूरी	,, ,, ,,	800/-	1000/-	3450/-	-	5250/-
(28)	,, किशन लाल/नाथू ग्राम कटफला	,, भागचन्द ग्राम कटफला	800/-	1000/-	3448/-	-	5248/-
(29)	,, कानू लाल/मोती ग्राम कटफला	,, भाग चन्द्र ग्राम कटफला	800/-	1000/-	3500/-	-	5300/-
(30)	,, राम भरोसे/मोती लाल ग्राम कूकलवाडा	,, रामलाल ग्राम सड़ाकुग्रां	800/-	1000/-	2200/-	-	4000/-

1	2	3	4	5	6	7	8
(31)	श्री किशन/बिरधीलाल ग्राम थनावद	श्री अमरलाल ग्राम थनावद	800/-	1000/-	3975/-	-	5775/-
(32)	,, जगन्नाथ/घूलीलाल ग्राम थनावद	,, कन्हैयालाल थनावद	800/-	1000/-	3975/-	-	5775/-
(33)	,, सीताराम/माधोलाल ग्राम थनावद	,, सुभाष चन्द ग्राम थनावद	800/-	1000/-	3919/-	-	5719/-
(34)	,, मोहन/प्रभूलाल ग्राम थनावद	,, केसरी लाल जैन ग्राम थनावद	800/-	1000/-	2200/-	-	4000/-
(35)	,, बाबूलाल/अमरलाल ग्राम गोरधनपुरा	,, मंगल खां ग्राम बामनगांव टीपरा	800/-	1000/-	3467/-	-	5267/-
(36)	,, अमरलाल/शंकरलाल ग्राम थडोल	,, अमर लाल ग्राम थडोल	800/-	1000/-	3945/-	-	5[illegible]45/-
		योग	28500/-	35000/-	121540/-	1148/-	196523/-

नीमला-जायड़ (बाड़मेर) जल-प्रदाय योजना

310. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले में नीमला-जायड़ जल प्रदाय योजना गत चार वर्षों से अधूरी पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि स्कीम के अनुरूप पानी का स्रोत भी तैयार हो चुका है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस स्कीम से सम्बन्धित ग्रामों में पाइप लाइन पहुंचने से पूर्व ही सर्विस रिजरवॉयर्स बना दिये गये हैं और उन्हें पाइप लाइन से नहीं जोड़ा जा रहा है ?

(4) क्या इस वर्ष 1982-83 के अन्त तक दूदाबेरी और सोखरू तक पाइप लाइन डाली जाने की सम्भावना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । जल की कमी एवं लागत बढ़ने के कारण योजना का कार्य पूरा नहीं किया जा सका ।

(2) जी हां । वर्ष 81 82 में एक और नलकूप बनाकर आवश्यक जल स्रोत तैयार कर लिया गया है ।

(3) जी हां । आवश्यकतानुसार ग्राम को पाइप लाइन से जोड़ने की योजना विचाराधीन है ।

(4) रिवाइज्ड योजना विचाराधीन है उसकी स्वीकृति पर कार्यवाही की जा सकेगी ।

राजस्थान विधान सभा के नये भवन का निर्माण

311. श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान विधान सभा का नया भवन बनाया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो कहां ? इसके निर्माण कार्य पर कितनी धनराशि खर्च होगी, तथा कितने समय में यह भवन बनकर तैयार हो जावेगा ? कृपया पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) विधान सभा भवन के बनाने के लिए कितनी जमीन की आवश्यकता होगी ?

उत्तर

(1) जी हां, विचाराधीन है ।

(2) लाल कोठी योजना में । निर्माण कार्य पर धन राशि एवं समय का पूर्व अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है ।

(3) लगभग 17.60 एकड़ भूमि में ।

जालोर में निर्माण कार्य

312. **श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल)**: क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है जालोर में मार्च, 1982 में अधिशासी अभियन्ता द्वारा लगभग 6 लाख रुपये के निर्माण कार्य करवाये गये ? यदि हां, तो कृपया कार्यों का विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या इनके लिये विभागीय स्वीकृति पूर्व में प्राप्त कर ली गई थी ? यदि नहीं, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है और दोषी अधिकारी के खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यों में से एक कार्य में आकोली-सियाणा में सियाणा-क्वेरी से लीज दी गई थी ? यदि हां, तो क्या उसे हटाकर आडवाडा-क्वेरी कर ठेकेदार को रु. 35,000/- का लाभ दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अधिशासी अभियन्ता, जालोर द्वारा मार्च, 1982 में रु. 11,44,044·96 पैसे के निर्माण कार्य कराये जिनका विवरण (प्रपत्र "क") सदन के पटल पर रख दिया है।

(2) जी हां।

स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी। अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) आकोली से सियाणा सड़क पर मरम्मत कार्य झीकरा डलवाया गया है जो आडवाड़ा क्वारी से लिया गया। ठेकेदार को अनुबन्ध के अनुसार ही भुगतान किया गया। क्वारी बदली नहीं गई।

---

259 लोक निर्माण मरम्मत कार्य नोन रेजि·डेन्टल भवन

कार्य का नाम	खर्चा मार्च, 82 का
1. मरम्मत कार्य नोन रेजिडेन्टल भवन	46,785.13
283 हाउसिंग मरम्मत कार्य रेजिडेन्टल भवन	
1. मरम्मत कार्य रेजिडेन्टल भवन	3,663.78
337 सड़क एवं पुलियें	
1. बाडमेर सिन्दरी, जालोर, तखतगढ़ देसूरी रोड	1,62,412.03
2. जालो' भीनमाल रानिवाड़ा	68,334.18

3. रानिवाड़ा मण्डार रोड़	20,855.33
4. श्राहोर रोहिट भाद्राजून सड़क	1,11,221.21
5. रामसीन कालिन्द्री रोड	2,689.50
6. चांदराई गुडा रोड	2,457.60
7. मालवाड़ा जसवंतपुरा	5,138.84
8. ग्रामली चितलवाना	54,433.02
9. भीनमाल झुझपी बागोड़ा रोड	1,138 00
10. ग्राकोली सियाणा रोड	6,118.90
11. भीनमाल से सांचौर	69,639.54
12. सांचौर गुजरात बोर्डर पीरजी की जाल रोड	397.50
13. सांचौर-रानिवाड़ा	(–) 3,73,286.80
14. उम्मेदपुर से हरजी	(–) 3,713.00
कुल योग	(—) 30,053.70

मद 459 केपीटल ग्राउट ले कन्सट्रक्शन

1.	निर्माण कार्य जेल भवन सांचौर	1,887.50
2.	,, कोर्ट भवन जालोर	4,998.00
3.	,, उप तहसील भाद्राजून	28,817.45
4.	,, उप तहसील भाद्राजून	6,306.65
5.	निर्माण कार्य केमल सवार लाइन भीनमाल	343.20
6.	,, पुलिस स्टेशन चितलवाना	23,748.03
	योग :	66,101.03

मद 477 केपीटल ग्राउट ले, शिक्षा, निर्माण कार्य

1.	निर्माण कार्य क्लास रूम राजकीय कालेज, जालोर	4,747.50
2.	,, मरम्मत कार्य जालोर (किला)	20,645.72
3.	,, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय	2,313.79
4.	,, छात्रावास भवन, ग्राहोर	41,635.38
5.	,, जालोर	34,261 00
	कुल योग :	1,05,603.39

•

कार्य का नाम		खर्चा मार्च, 82 का
480 केपीटल चिकित्सा कार्य		
1. सब सेन्टर तिलोड़ा		157.75
2. ,, ऊन		1,356.00
3. ,, बुग्रारी		144.00
योग:—		1657.75
मद 483 केपीटल ग्राउट ले ग्रावासीय निर्माण		
1-2 नं. 111 टाइप क्वाटर जालौर	(-)	10,250,00
2. निर्माण कार्य 2 नं. 4 टाइप क्वाटर सायला		6,967.00
3. ,, बागोड़ा		43,506.80
4. ,, भाद्राजून		10.400.00
5. ,, 5 टाइप भाद्राजून		17,456.15
6. ,, सायला		2,585.10
7. ,, बागोड़ा	(-)	13,937.00
योग:—		56,728.27
मद 537 सड़क एवं पुलियें एम. एन. पी.		
1. निर्माण कार्य बागरा-बाकरा वाया साथू		59,715.00
2. रामा भाद्राजून		61,003.22
3. ,, उम्मेदपुर-हरजी		47,455.00
4. ,, उम्मेदपुर-हरजी		3,68,245.00
5. ,, भनमाल क्षुण्क्षणी		6,351.00
6. ,, भीनमाल पुनासा		82,641.00
7. ,, एप्रोच रोड विरोल साथू		12,483.60
8. ,, ,, धानसा गांव		2,81,883.03
9. ,, बावलियापुर धानता	(-)	1,53,083.00
10. ,, मोरसीन से घुम्बडीया		1,12,023.00
कुल योग :—		8,93,564.29
		11,44,044.96

चित्तौड़गढ़ जिले में चोरी की घटनायें

313. श्री घनश्याम जैन (बेंगू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विगत 4 वर्षों में चित्तौड़गढ़ जिले में दस हजार रुपये से अधिक की कितनी चोरियां कब-कब व कौन-कौनसी तारीखों को हुई ?

(2) उपरोक्त चोरियों में से कितनी चोरियां पकड़ी गयीं ?

(3) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची में अंकित है।

(3) आठ मामलों में अभियुक्तों का पता न लगने के कारण एफ. आर. अदम पता दी गई है।

जिला चित्तौड़गढ़ में गत चार वर्षों में दस हजार रुपये से अधिक रकम की चोरियों की सूची

क्र. सं.	वर्ष	नाम थाना	मुकदमा नम्बर मय दिनांक	जुर्म धारा	नतीजा तफतीश चालान	एफ. आर.	पेंडिंग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1978	कपासन	76/28,5.78	379 ताहि.	12.6.78	–	–	–
2.	,,	पारसोली	38/4.7.78	,,	29.7.78	–	–	–
3.	1979	निम्बाहेड़ा	119/25.5.79	,,	19.9.79	–	–	–
4.	1979	छोटीसादड़ी	43/९.4.79	,,	15.4.79	–	–	–
5.	1980	भादसोडा	34/26.5.80	,	9.8.80	–	–	–
6.	1981	चित्तौड़गढ़	40/25.1.81	,,	29.4.81	–	–	–
7.	,,	,,	74/10.2.81	,,	22.6.81	–	–	–
8.	,,	,,	98/21.2.81	,,	27.4.81	–	–	–
9.	,,	,,	152/22.3.81	,,	,,	–	–	–
10.	,,	,,	223/28.4.81	380 ताहि.	–	अदम पता 31.7.81	–	–
11.	,,	,,	248/8.5.81	379 ताहि.	–	अदम पता 31,7,81	–	–
12.	,,	,,	623/4.11.81	,,	31.12.81	–	–	–
13.	,,	,,	688/6.12 81	,,	–	अदमयता 23,12,81	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	1981	गंगधार	56/7-5-81	379 ताहि. 25 टी. एक्ट	31.12.81	–	–	–
15.	,,	,,	70/2-6-81	,,	–	अदमपता 18-7-81	–	–
16.	,,	,,	151/3-11-81	,,	31-12-82	–	–	–
17.	,,	,,	152/13-11-81	,,	,,	–	–	–
18.	,,	,,	153/14-11-83	,,	,,	–	–	–
19.	,,	,,	154/15-11-81	,,	,,	–	–	–
20.	,,	कनेरा	16/2-10-81	379 ताहि.	26-12-81	–	–	–
21.	1982	चित्तौड़गढ	38/20-1-82	379 ताहि.	–	अदम पता 23-4-82	–	–
22.	,,	,,	169/16-3-82	,,	–	अदम पता 30-5-82	–	–
23.	,,	कपासन	108/18-6-82	,,	–	अदम वकुवा 31-7-82	–	–
24.	,,	कनेरा	6/28-2-82	,,	–	अदम पता 30-6-82	–	–
25.	,,	प्रतापगढ़	203/21-6-82	,,	29-7-82	–	–	–

तहसील सिकराय के ग्रामों का विद्युतीकरण

314. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे;-

(1) क्या राज्य विद्युत मण्डल को तत्कालीन मुख्यमन्त्री का दिनांक 15.2.1980 का पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें सम्पूर्ण सिकराय क्षेत्र को विद्युतीकृत करने की आवश्यकता प्रतिपादित की हैं ? यदि हां, तो इस ओर मण्डल द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या इसी पत्र में ग्राम चांदेरा, करोड़ी, ठीकरिया, घूमणा, नाहरखोहरा, डेण्डा वसेड़ी का अविलम्ब विद्युतीकरण करने हेतु लिखा था ?

(3) उपरोक्त ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु कब तक स्वीकृति प्रदान की जावेगी ?

उत्तर

(1) तत्कालीन मुख्य मन्त्री महोदय का दिनांक 15.2.1980 का उल्लेखित पत्र विद्युत मण्डल में प्राप्त होना प्रतीत नहीं होता । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) उक्त उल्लेखित पत्र उपलब्ध नहीं होने के कारण इसके बारे में कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

(3) पंचायत समिति सिकराय के सभी बचे हुए अविद्युतीकृत ग्रामों के विद्युतीकरण की स्वीकृति के बारे में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

पुलिस विभाग में नव सृजित पद

315. श्री उम्मेद सिंह (डीडवाना) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) वर्ष 1982 में प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के कितने नवीन पदों का सृजन हुआ व कितने नये कार्यालयों की स्थापना की गई है ?

(2) क्या नये पदों के सृजन के साथ ही उनके कार्यालय फर्नीचर व स्टाफ की भी व्यवस्था कर दी गई है ? यदि नहीं, तो किस कारण ? ऐसी परिस्थितियों में नये पदाधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट कार्य सम्पादन नहीं कर सकने के लिए कौन उत्तरदायी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1982 में भारतीय पुलिस सेवा में जिला पुलिस अधीक्षक, धौलपुर एवं राजस्थान पुलिस सेवा में अपर पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द के पद सृजित किये गए हैं । इन दोनों अधिकारियों के कार्यालयों के अतिरिक्त गत वर्ष में सृजित अपर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़, अपर पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. (क्राइम ब्रांच), जयपुर, अपर पुलिस अधीक्षक, सी. आई.

•

Page No 344

(गृह मंत्री)

डी. (स्पेशल, ब्रांच) बोर्डर इन्टेलीजेन्स, जैसलमेर, अपर पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. (स्पेशल ब्रांच) जोन, जयपुर तथा अपर पुलिस अधीक्षक, सी. आई. डी. (स्पेशल ब्रांच) भरतपुर के कार्यालयों की स्थापना भी चालू वर्ष में की गई है।

(2) नये पदाधिकारियों हेतु कार्यालय, फर्नीचर एवं स्टाफ की व्यवस्था उपलब्ध साधनों से कर दी गई है, अतः कार्य सम्पादन में बाधा का प्रश्न नहीं उठता। फर्नीचर, स्टाफ आदि की स्थाई व्यवस्था के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नियमित प्रकरणों में कृषि भूमि रूपान्तरण शुल्क व शास्ति की मांग

316. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र अथवा नगर परिषद क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों, जिन्होंने नगरपालिका से इजाजत एवं नियमानुसार शुल्क जमा करा कर अपने मकान बना रखे हैं, को नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण नियम, 1981 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त व्यक्तियों को रूपान्तरण की रकम व पैनेल्टी देने के लिए बाध्य किया जा रहा है जो अनुचित है ?

(3) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उन्हें सहयोग एवं न्याय दिलवाने के प्रयोजन से आवश्यक निर्देश जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिन व्यक्तियों ने कृषि भूमि पर, बिना पूर्वानुमति के गैर कानूनी रूप से, मकान आदि बना लिये हैं और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 अथवा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए का उल्लंघन किया है, उन्हें इस प्रकार के नोटिस दिये जा रहे हैं।

(2) जो भूमि रूपान्तरण शुल्क तथा पैनेल्टी धारा 90-ए राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम तथा सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत देय है, उसी के जमा कराने के लिए ताकीद की जा रही है।

(3) इसका प्रश्न नहीं उठता।

आदिवासी क्षेत्रों में बेरोजगारों को रोजगार

317. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे –

(1) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्र में । विद्यालय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आदिवासियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है लेकिन राज्य सेवा में भर्ती

(श्री नाथूराम अहारी)

में आरक्षण 12 प्रतिशत है ?

(2) क्या सरकार का आदिवासी बहुल ऐसे क्षेत्रों में बेरोजगारी को समाप्त करने के प्रयोजनार्थ नई भर्तियों में आरक्षण का प्रतिशत समानुपात बढ़ाने का विचार है ? यदि हां, तो किस प्रकार व कब तक ?

(3) क्या सरकार को विदित है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र डूंगरपुर जिले में अधिकांश आदिवासी लड़के, जो नॉन-मैट्रिक हैं, इसलिए बेरोजगार बैठे हैं कि वे राज्य सेवा में नौकरी के लिए अपेक्षित योग्यताओं से सम्पन्न नहीं हैं ? क्या ऐसे स्थानीय बेरोजगारों को जिले में ही किसी प्रकार का रोजगार उपलब्ध कराने की सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी, नहीं, जनजाति उपयोजना क्षेत्र के डूंगरपुर एवं गढ़ी स्थित विद्यालय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आदिवासियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में प्रवेश हेतु आरक्षण की व्यवस्था इसी सत्र 1982-83 से प्रारम्भ की गई है। राज्य सेवा में अनुसूचित जनजाति के आशार्थियों के लिए आरक्षण 12 प्रतिशत है।

(2) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(3) जी, हां। इन आदिवासी युवकों को स्वावलम्बी बनाने हेतु ट्राइसम एवं आई. टी. आई. प्रशिक्षण देकर स्वनियोजन के प्रयास किये जा रहे हैं।

ग्राम नादेश्वर (उदयपुर) में पिछोला बांध का निर्माण

318. श्री भैरूलाल मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नादेश्वर जिला उदयपुर के पास नाई पंचायत में पिछोला बांध का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस बांध से सिंचाई की जावेगी ?

(2) क्या उक्त बांध के निर्माण में आई डूब की भूमि का मुआवजा दे दिया गया है अथवा उन लोगों को भूमि आवंटित की जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि जिन व्यक्तियों की भूमि डूब में आई है उन्होंने आस पास कृषि भूमि पर नाजायज कब्जे कर रखे हैं ? यदि हां, तो क्या इन कब्जों को सरकार नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

इससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

(सिचाई मंत्री)

(2) इस बांध की डूब मे प्रभावित 45 काश्तकारों में से 40 को मुग्रावजे स्वरूप नकद भुगतान किया जा चुका है। शेष 5 व्यक्तियों के मुग्रावजे की कार्यवाही भूमि प्रावाप्ति अधिकारी उदयपुर के कार्यालय में चल रही है, जिसका भुगतान अवार्ड जारी होने पर कर दिया जावेगा।

(3) सिंचाई विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

राहत कार्यों की मजदूरी की बकाया

320. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 31 जुलाई, 1982 को जिस दिन राहत कार्य बन्द कर दिये गये राज्य में कितने मजदूर उन कार्यों पर लगे हुए थे? कृपया जिलेवार संख्या सदन के पटल पर रखें।

(2) उन मजदूरों की कितने समय की एवं कितनी मजदूरी बकाया है? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य सरकार इस मजदूरी का भुगतान कब तक कर देगी?

उत्तर

(1) 31 जुलाई, 1982 को जिस दिन राहत कार्य बन्द किये गए, राज्य में 6 लाख 26 हजार 764 मजदूर सहायता कार्यों पर लगे हुए थे। जिलेवार श्रमिकों की संख्या सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "ख"ट)

(3) राज्य सरकार बकाया मजदूरी का भुगतान शीघ्रातिशीघ्र करा देगी।

परिशिष्ट 'क'

31 जुलाई, 1982 को सहायता कार्यों पर लगे कार्यरत श्रमिकों की संख्या का विवरण

क. सं.	नाम जिला	श्रमिक संख्या
1.	अजमेर	35008
2.	अलवर	1007
3.	बांसवाड़ा	21015
4.	बाड़मेर	81177
5.	भरतपुर	—
6.	भीलवाड़ा	72228
7.	बीकानेर	5662
8.	बून्दी	8703
9.	चित्तौड़गढ़	20319
10.	चूरू	8434
11.	डूंगरपुर	25034
12.	गंगानगर	207
13.	जयपुर	9130
14.	जैसलमेर	19980
15.	जालौर	21094
16.	झालावाड़	925
17.	झुंझुनू	4332
18.	जोधपुर	92737
19.	कोटा	—
20.	नागौर	29559
21.	पाली	46314
22.	स. माधोपुर	1196
23.	सीकर	6695
24.	सिरोही	11269
25.	टोंक	6366
26.	उदयपुर	98347
27.	धौलपुर	26
	योग	626764

Page No 348

परिशिष्ट 'ख'

सम्वत् 2038 की अभाव स्थिति में अकाल राहत कार्यों पर श्रमिकों की बकाया मजदूरी के भुगतान की स्थिति

क. सं.	नाम जिला	भुगतान से शेष रही राशि	अवधि जिसका भुगतान किया जाना शेष है	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	6.98	16.7.82 से 31.7.82	
2.	अलवर	,,	विभिन्न तिथियों में	
3.	बांसवाड़ा	0.08	,,	
4.	बाड़मेर	70.56	16.7.82 से 31.7.82	
5.	भरतपुर	0.04	विभिन्न तिथियो में	
6.	भीलवाड़ा	,,	,,	
7.	बीकानेर	,,	,,	
8.	बून्दी	11.84	15.5.82 से 31.7.82	
9.	चित्तौड़गढ़	,,	विभिन्न तिथियों में	
10.	चूरू	0.88	16.6.82 से 31,7,82	
11.	धौलपुर	—	—	
12.	डूंगरपुर	2.36	28.5.82 से 31.7.82	
13.	गंगानगर	,,	,,	
14.	जयपुर	0.10	विभिन्न तिथियों में	
15.	जैसलमेर	5.00	1-7-82 से 31-7-82	
16.	जालोर	0.13	1-6-82 से 15-7-82	
17.	झालावाड़	—	—	
18.	झुंझुनू	—	—	
19.	जोधपुर	8.40	16-7-82 से 31-7-82	

Page No 349

1	2	3	4
20.	कोटा	0.03	18-5-82 से 30-6-82
21.	नागौर	24.68	मई, 82 से जुलाई, 82
22.	पाली	—	—
23.	स. माधोपुर	—	—
24.	सीकर	0.02	विभिन्न तिथियों में
25.	सिरोही	0.91	16-6-82 से 31-7-82
26.	टोंक	1.88	8-7-82 से 31-7-82
27.	उदयपुर	3.00	16-7.82 से 31-7-82

जीणमाता (सीकर) के मेले में गोली काण्ड की घटना

321. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;-

(1) क्या यह सही है कि इस साल जिला सीकर में जीणमाता के मेले में पुलिस द्वारा गोली चलाने से कई लोगों की मृत्यु हुई थी ? क्या राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जांच कराई गयी थी ? यदि हां, तो कृपया जांच रपट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस गोलीकाण्ड के मृतकों को राज्य सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई ?

उत्तर

(1) जी हां। 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जिलाधीश, सीकर को जांच करने के आदेश दिये थे। जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अतः जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(2) कोई सहायता नहीं दी गई है।

पंचायत समिति, नागौर के ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण

322. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर) क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे,

(1) पंचायत समिति, नागौर के क्षेत्र में आने वाले किन गांवों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बनाई गई है और किस-किस वर्ष में इनको विद्युतीकृत कर दिया गया है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) पंचायत समिति भूण्डका क्षेत्र में आने वाले किन ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है ? शेष ग्रामों का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति, नागौर के क्षेत्र में आने वाले 10 ग्रामों हेतु मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत एक विद्युतीकरण योजना स्वीकृत की गई थी। इन 10 ग्रामों में से 8 ग्रामों का विद्युतीकरण मार्च, 1982 के अन्त तक किया जा चुका है तथा शेष 2 ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 1982-83 में किया जाना प्रस्तावित है। इन 8 ग्रामों को मिलाते हुए पंचायत समिति, नागौर में अब तक कुल 23 ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं। जिनकी सूची 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति नागौर के 76 अविद्युतीकृत ग्रामों को सम्मिलित करते हुए एक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को ऋण सहायतार्थ वर्ष 1981-82 में प्रेषित की गई थी लेकिन निगम द्वारा बिना स्वीकृति माह जून, 1982 में मण्डल को लौटा दी है। अतः इनमें सम्मिलित ग्रामों के विद्युतीकरण का अभी प्रश्न नहीं उठता। योजना की स्वीकृति से पूर्व गांवों की सूची देना सम्भव नहीं है।

(3) पंचायत समिति, मूण्डवा क्षेत्र में आने वाले 17 ग्रामों का विद्युतीकरण 31 मार्च, 1982 तक किया जा चुका है। शेष अविद्युतीकृत ग्रामों में से 16 ग्रामों का विद्युतीकरण इस वर्ष 1982-83 में प्रस्तावित है। अन्य ग्रामों का विद्युतीकरण अगले वर्षों में प्राप्त होने वाले वित्तीय साधनों पर निर्भर करेगा। अभी तक अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची 'ब' सदन के पटल पर रख दी गई है।

Page No 351

सूची 'ब'

पं. स. नागौर के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची (मार्च 82 तक)

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतीकरण की तारीख	
1.	नागौर रूरल	14/4/87 ए	21-'.60	
2.	चेनार	128	6-4-62	
3.	बासनी	84	30-10-62	
4.	ताऊसर	132	6-4-65	
5.	डुकोसी	85	31-3-69	
6.	अधियासन	131	31-3-69	
7.	कुमारी	79	29-9-70	
8.	गोगेलाव	47	14-1-72	
9.	अलेय	24	7-2-72	
10.	भदवासी	45	15-3-72	
11.	बदानी	48	31-3-80	
12.	सलेऊ	89	12-9-80	
13.	सिन्गार	49	16-1-81	
14.	सुखवासी	50	16-1-81	
15.	गुढा भगवानदास	20	21-2-81	
16.	भूडेल	17	30-10-81	(डीडीपी)
17.	चावन्डिया	56	30-10-81	,,
18.	बरणगांव	141	24-12-81	,,
19.	जोशियाद	80	25.2-82	,,
20.	देऊ	5	31.3.82	,,
21.	कालडी	23	31.3.82	,,
22.	भेड	57	31.3.82	,,
23.	राईधनु	52	30.3.82	,,

सूची 'ब'

पंचायत समिति मुण्डवा मे स्वीकृत/अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3
1.	खजवाना	14/4/210
2.	इन्दोकली	209
3.	संखवास	183
4.	कडलू	172
5.	फिरोद	161
6.	पिथोलाव	161
7.	खेण	167
8.	डुडिवास	164
9.	चिमरानी	138
10.	बोठवाल	171
11.	पारासरा	160
12.	खरनाल	158
13.	बलाया	159
14.	थिरोद	170
15.	पालडी पिचकिया	188
16.	खुडखुडा खुर्द	185
17.	जूझडा	186
18.	रुण	208
19.	गोलासनी	198
20.	चिताणी	207
21.	खुडखुडा कलां	184
22.	ग्वालू	197
23.	बुनरावत्रा	196
24.	भटनोखा	199
25.	हिलोडी	200
26.	दियावडी	202
27.	आसावटी	204
28.	सेनडी	203
29.	घवा	206
30.	ढेहरू	145
31.	गोवां कलां	174
32.	मेंदयाड	173
33.	लालाप	155

1	2	3
34.	शीलगांव	156
35.	पालडीव्यास	157
36.	भाकरोद	143
37.	चुदियाडी	178
38.	मोडी	181
39.	कंकडाय	201
40.	भदोरा	179
41.	कालियास	180
42.	भेडास	176
43.	धारणावास	151
44.	वेरावास	149
45.	जोरावरपुरा	147
46.	खोंडवा	148
47.	माणकपुर	177
48.	खाटोडा	9
49.	महेशपुरा	60
50.	काटियां	61
51.	पोचला सिद्दा	13
52.	विरलोका	11
53.	साटीका कलां	10
54.	साटीका खुर्द	8
55.	माचोडी	7
56.	माडपुर	15
57.	अकला हमीरान	73
58.	वेरायल कलां	59
59.	वेरायल खुर्द	58
60.	अचीणा	14
61.	इशरनावडा	12
62.	कुडछी	66
63.	नाखाकलां	62
64.	लालवास	70
65.	नागडी	69
66.	अखावास	14/4/64
67.	नाग्रा खुर्द	63
68.	लूणावास	65

1	2	3
69.	खुण्डाला	68
70.	बखटा	67
71.	जोधडास	175
72.	अछूताई	165
73.	चक जूझण्डा	187
74.	खेडा अकबरपुरा	194
75.	खेडा घाघलावास	182
76.	चींगावास	205
77.	गिरावंडी	145
78.	चिदडी	152
79.	चारंडा	153
80.	गुडिया	72

अटरू क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

323. श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अटरू में 1981-82 तक कितने व कौन कौन से गांवों में बिजली कनेक्शन देने की स्वीकृति हुई है और स्वीकृतिशुदा कौन-कौनसे गावों में बिजली देना शेष है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अटरू तहसील में जिन ग्रामों में डी. पी. लगी हुई है, वहां भी लोगों को नये कनेक्शन नहीं दिये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? अब नये कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल द्वारा ग्रामवार बिजली कनेक्शन स्वीकृत नहीं किये जाते हैं। केवल ग्रामों का विद्युतीकरण स्वीकृत किया जाता है। ग्राम के विद्युतीकरण के उपरान्त वहां की कनेक्शनों की मांग के अनुरूप सामान्य प्रक्रिया के अनुसार कनेक्शन दिये जाते हैं। अटरू विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1981-82 तक 204 ग्राम विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 196 ग्रामों का विद्युतिकरण किया जा चुका है तथा 8 ग्रामों में विद्युत देना शेष है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) डी. पी. लगे होने का कनेक्शन दिये जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। विद्युत मण्डल के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अनुसार ही कनेक्शन दिये जाते हैं।

अटरू विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र० सं०	ग्राम का नाम	कोड नं०
1	2	3
(अ) तहसील अटरू :	I विद्युतीकृत ग्राम	
1.	छाजवा	25/10/4
2.	चरडाना	5
3.	हरनावदा	6
4.	मूंडला	7
5.	मोतीपुरा	15
6.	पीपलोद	17
7.	बगली	18
8.	अरडाना	19
9.	आमली	20
10.	जिरोद	24
11.	खरखड़ा	26
12.	उदयपुरिया	28
13.	गुंजेर मंजरा रामपुरया	29
14.	मायथा	30
15.	दिवाली	32
16.	मोरमा तलाब	34
17.	अरडांद	36
18.	मेरमा चाह	37
19.	चैनपुरिया	40
20.	रतनपुरा	41
21.	खेड़लीगंज	42
22.	अटरू मांजरा लक्ष्मीपुरा	43
23.	वेडक्या	44
24.	गंडोलिया	45
25.	काचंरा	46
26.	आटोन	48
27.	भैसड़ा	49
28.	रीछन्दा	57
29.	भौंहरा	58
30.	आमली जागीर	25/10/59
31.	धुमेन	61
32.	सकतपुरा	62
33.	बमोरी	66

1	2	3
34.	डडवाड़ा	67
35.	खेडली नाहरंया	68
36.	अन्ताना	69
37.	मूंडला	70
38.	मुसेन माता	71
39.	पटना	72
40.	बरलां	74
41.	खेडली बांसला	75
42.	छत्रपुरा	76
43.	बलदेवपुरा	77
44.	दड़ा	78
45.	लीलाहेडी मजरा आमापुरा	81
46.	हानीहेडा	82
47.	टिगरी	83
48.	भखरावदा	84
49.	दीलोद हाथी	85
50.	व्यास खेड़ी	86
51.	खरखड़ा रामलीथान	87
52.	बानपुर	88
53.	झांडोता	92
54.	कटावर	93
55.	भाजू खेड़ी	94
56.	कानोटिया	95
57.	रुघनाथपुरा	96
58.	बडोरा	98
59.	अचरावा	25/10/100
60.	करजूना	101
61.	कनवाड़िया	102
62.	बर-खेडी	
63.	गोरडी	108
64.	ननावता	109
65.	चारणखेड़ी	110
66.	मोठपुर	111
67.	केखाड़ा	112

1	2	3
68.	मोतीपुरा	115
69.	कासमपुरा	116
70.	बरावदी	117
71.	कुन्डी	118
72.	उग्रपुरा	119
73.	पाडत्या	120
74.	सोडल हेडी	121
75.	कवाई	122
76.	कंवरपुरा	124
77.	गोवर्धनपुरा	125
78.	सालपुरा	126
79.	ग्रमृतखेड़ी	127
80.	मुसईगूजरान	128
81.	पांडूहेली	129
82.	हनमत खेड़ा	130
83.	बटावदा	25/4/32
84.	सम्वतपुरा	44
85.	घींसरी	46
86.	रपटावन	48
87.	नारेडा	49
88.	वाबड़ीखेड़ा	50
89.	ग्रामापुरा	52
90.	तलावदा	53
91.	मोटपुर	54
92.	फूंसरा	55
93.	वेगना	25/4/58
94.	श्यामपुरा	59
95.	ठूंसरा	60
96.	उम्मेदगंज	61
97.	कलमंडा	62
98.	खेरीली	63
99.	जगन्नाथपुरा	71
100.	रटावत	65
101.	वेगनी	66
102.	ऊंडा	67
103.	चुरेत्या	68
104.	नूरपुर	70

1	2	3
105.	शंकरपुरा	72
106.	तुलसां	73
107.	तूमड़ा	74
108.	कोटड़ी तुलसां	75
109.	बोरदा	76
110.	दीलोदा	77
111.	बामला	78
112.	बामली	79
113.	दौलतपुरा	80
114.	मंडोली	81
115.	दुर्जनपुरा	82
116.	लक्ष्मीपुरा	83
117.	आंखेड़ा	84
118.	जालेड़ा	36
119.	केदाहेड़ी	89
120.	पाठेडा	90
121.	कोटड़ी पाठेडा	91
122.	हींकड	92
123.	कोटडा	93
124.	बराना	97
125.	बरानी	98
126.	मंडोला	99
127.	इकलेरा	100
128.	गोरधनपुरा	101
129	हनोटया	25/4/88
तहसील सांगोद :		
130.	डावरी कलां	25/9/88
131.	धस खेड़ा	89
132.	रेलावद	90
133.	दमरदा	91
134.	बूढली	93
135.	ब्यावर खुर्द	95
136.	कोटड़ा	96
137.	ब्यावर कलां	97
138.	भूलाहेड़ी	98

1	2	3
139.	वरु खेड़ी	99
140.	भूलाहेड़ा	100
141.	डोबरी	101
142.	कमोलर	102
143.	गेहूँ खेड़ी	103
144.	खड़िया	104
145.	लसाड़िया कला	105
146.	नयापुरा	107
147.	रोसत्या	108
148.	बोरदा	109
149.	तालछी	110
150.	लसाडिया खुर्द	111
151.	दिल्लीपुरा	112
152.	लक्ष्मीपुरा	117
153.	कुदेत	146
154.	विजयपुर	147
155.	बैसार	148
156.	जोगड़ी	150
157.	जोगड़ा	149
158.	हरीपुरा	151
159.	दीगोद	152
160.	लटूरा	153
161.	लटरी	.25/9/154
162.	हनवत खेड़ा	155
163.	लवानिया	156
164.	वरां	157
165.	सनखेडा	158
166.	छरेल	159
167.	जिठानी	161
168.	बुढनहेडा	162
169.	डीवरा	165
170.	चतरपुरा	166
171.	हींगी	167
172.	वरखेड़ी	171
173.	मोई खुर्द	174
174.	किशनपुरा	176

Page No 360

1	2	3
175.	बारिना कलां	177
176.	अमृत कुआ	178
177.	खर खना खेड़ी	179
178.	खजूरी	180
179.	तरक्या	181
180.	बोरिना खुर्द	182
181.	गुरायता	183
182.	होई कलां	163
183.	डूंगरपुर	164
184.	नागरा खेड़ी	116
185.	बमंत्या कलां	170
186.	गाडरवाडा	175
187.	लालाहेड़ी	94
तहसील बारां :		
188.	खेड़ी	25/4/56
189.	बोरीना	57
190.	लेवा	64
191.	अरनिया	69
192.	भट्टखेड़ी	85
193.	करना हेड़ा	25/4/96
194.	लुहारिया	95
195.	बामनहेड़ा	96
196.	जुगलहेड़ी	87

II. **अविद्युतीकृत ग्राम**

तहसील बारां :		
197.	हरीपुरा	33
तहसील सांगोद :		
198.	बांगडस्या	25/9/169
199.	आकेदिया	173
200.	सहीपुर	168
201.	दोरानी	160
202.	सूडा	92 (नॉन पोटेन्शल)
203.	मनक्या खेड़ी	172 ,,
204.	प्रतापपुरा	106 ,,

माठिया बांध-उदयपुर

324. श्री पूंजीलाल (घाटोल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माठिया बांध का निर्माण कार्य ठेके पर दिया गया था ? यदि हां, तो इसके निर्माण पर कितनी राशि व्यय हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस बांध का टूटा हुआ हिस्सा वापस बांधने की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उदयपुर को 26-2-1981 को प्रतिनियुक्त किया गया था ?

(3) क्या इस बांध को पूरा करने के लिये 1980-81 में आवश्यक धनराशि की भी व्यवस्था कर दी गई थी ?

(4) तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(5) इस बांध से काश्तकारों को सिंचाई हेतु जल कब तक उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) माठिया नाम का कोई बांध नहीं है। भाठिया बांध (बांसवाड़ा जिला) का कार्य ठेके पर दिया गया था। इसके निर्माण पर 3,33, 358/- रुपये व्यय हुए।

(2) जी हां, 7-2-81 को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई, उदयपुर को प्रेषित किया गया था।

(3) जी नहीं।

(4) अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई, बांसवाड़ा द्वारा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के उठाये गये आक्षेपों की पूर्ति नहीं करने के कारण तकनीकी स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

(5) यह अभी बताना सम्भव नहीं है।

ग्राम बादेड़ के सार्वजनिक कुए के ताड़े की भूमि

325. श्री रामधन (लाडनूं) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बादेड़ के सार्वजनिक कुए के ताड़े की भूमि खसरा न. 141, 153 व 159/348 रकबा 22·4 पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण करके कब्जा किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा के पूर्व सत्र में अतारांकित प्रश्न संख्या 51/प. मं. के उत्तर में यह बताया गया था कि श्री जीवणराम पुत्र श्री चेनाराम से रु. 505/- जुर्माना वसूल किया गया ? और उसे जमीन से बेदखल किया गया यदि हां, तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ग्राम बादेड़ के कुए के ताड़े पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

Page No 362

राजस्व मंत्री

उत्तर

(1) जी हां, प्रतिक्रमी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व नियम, 1956 के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है।

(2) पूर्व सत्र में अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि तहसील लाडनूं में अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत मुकदमा दर्ज कर बेदखल किया एवं रुपये 505/- जुर्माना आरोपित करने के आदेश दिये। अतिक्रमी को दिनांक 16-1-81 को बेदखल किया। अकाल के कारण जुर्माने की राशि वसूल नहीं की गई थी। अब जुर्माने की मांग कायम की जा चुकी है, वसूली की कार्यवाही जारी है।

(3) जी हां।

जिला कोटा में सीलिंग की भूमि के मुआवजे की दर

326. **श्री रामकिशन** (लाडपुरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला कोटा में नये व पुराने कृषि सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत प्रति बीघा मुआवजे की दरें क्या निर्धारित की गई हैं ? क्या चम्बल कमाण्ड एरिया में भी मुआवजे की दर अन्य भूमि के समान है ?

(2) कोटा जिले में निर्धारित दरों से कितने काश्तकारों को मुआवजा दिया गया है ?

उत्तर

(1) जो भूमि कृषि भूमि पर लागू सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की जाती है उसके मुआवजे के चुकारे के सम्बन्ध में व्यवस्था कृषि भूमि सीलिंग अधिनियमों में है। पुराने सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की गई भूमि के लिए मुआवजा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 30-जी के अनुसार निर्धारित किया जाता है। नये सीलिंग कानून के तहत अधिगृहीत की गई भूमि का मुआवजा राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 19 (4) में निर्धारित अनुसार तय किया जाता है। कोटा जिले के लिए अलग से दरें निर्धारित नहीं की गई हैं। चम्बल कमाण्ड क्षेत्र के लिए भी कोई अलग दरें नहीं हैं।

इन प्रावधानों के उद्धरण सदन के पटल पर रख दिये गये हैं।

(2) कोटा जिले में अभी तक किसी काश्तकार को मुआवजा नहीं चुकाया गया।

30 **छा-धारा 30 डा. के अन्तर्गत समर्पित भूमियों के लिये एवं उनमें किये हुए सुधारों में अधिकारों के लिये मुआवजा :-**

1. राज्य सरकार उन सब भूमियों के लिये जो उसमें धारा 30-डा के अन्तर्गत विहित हों, उन्हें समर्पित करने वाले व्यक्तियों को मुआवजा देने के लिये उत्तरदायी होगी ।

2. उक्त प्रत्येक व्यक्ति, उक्त निहिति के समय अथवा तत्पश्चात् किसी समय, सब डिविजनल आफिसर को मुआवजे के लिये अपने दावे का सविस्तार विवरण-पत्र विहित प्रपत्र में तथा विहित रीति से प्रस्तुत करेगा ।

3. मुआवजे की रकम सब डिविजनल आफिसर द्वारा, धारा 23, 24, 25 तथा 26 में बताई गई रीति से तथा उसमें वर्णित सिद्धान्तों के अनुसरण में निश्चित की जायेगी ।

परन्तु धारा 23 की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुआवजे की दर नीचे लिखे अनुसार होगी :-

(क) धारा 30-डा के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित होने वाली भूमि में से प्रथम 25 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में स्वीकृत की गई लगान दर का तीस गुना,

(ख) उक्त भूमि में से अगली 25 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में स्वीकृत की गई लगान-दर का पच्चीस गुना, तथा

(ग) उक्त भूमि के अवशिष्ट भाग के सम्बन्ध में स्वीकृत की गई लगान दर का बीस गुना ।

परन्तु जहां ऐसी भूमि के सम्बन्ध में लगान निश्चित नहीं किया गया हो, उसके लिये स्वीकृत लगान-दर वह मानी जायगी जो पिछले बन्दोबस्त में निकटस्थ तत्समान भूमि के लिए स्वीकृत की गई हो ।

Page No 364

(4) धारा 16 के अधीन राज्य सरकार में निहित अधिशेष भूमि के लिए किसी व्यक्ति को सदेव अर्जन की रकम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित मापमानों के अनुसार अवधारित की जावेगी:—

1) पहली 7–5 एकड़ अधिशेष भूमि के लिये :–	(क) नहरी	1600 रुपये प्रति एकड़
	(ख) चाही	1000 रुपये प्रति एकड़
	(ग) सूखी (बारानी) भूमि :—	
	(i) अनुसूची में यथावर्णित उपजाऊ जोन में	500 रुपये प्रति एकड़
	(ii) अनुसूची में यथावर्णित अर्द्ध उपजाऊ जोन में	300 रुपये प्रतिएकड़
	(iii) अनुसूची में यथावर्णित पहाड़ी जोन में	300 रुपये प्रति एकड़
	(iv) अनुसूची में यथावर्णित अर्द्ध रेगिस्तानी जोन में	100 रुपये प्रति एकड़
	(v) अनुसूची में यथावर्णित रेगिस्तानी जोन में	75 रुपये प्रति एकड़
2) अगली 7–5 एकड़ अधिशेष भूमि के लिये :–	(क) नहरी	1400 रुपये प्रति एकड़
	(ख) चाही	880 रुपये प्रति एकड़
	(ग) सूखी (बारानी) भूमि :–	
	(i) अनुसूची में यथावर्णित उपजाऊ जोन में	440 रुपये प्रति एकड़
	(ii) अनुसूची में यथावर्णित अर्द्ध उपजाऊ जोन में	260 रुपये प्रति एकड़
	(iii) अनुसूची में यथावर्णित पहाड़ी जोन में	260 रुपये प्रति एकड़
	(iv) अनुसूची में यथावर्णित अर्द्ध रेगिस्तानी जोन में	88 रुपये प्रति एकड़
	(v) अनुसूची में यथावर्णित रेगिस्तानी जोन में	65 रुपये प्रति एकड़
3) अवशिष्ट अधिशेष भूमि के लिये :-	(क) नहरी	1280 रुपये प्रति एकड़
	(ख) चाही	800 रुपये प्रति एकड़

Page No 365

(ग) सूखी (बारानी) भूमि ;-

(i) अनुसूची में यथावर्णित उपजाऊ जोन में	400 रुपये प्रति एकड़
(ii) अनुसूची में यथावर्णित अर्द्ध उपजाऊ जोन में	340 रुपये प्रति एकड़
(iii) अनुसूची में यथावर्णित पहाड़ी जोन में	240 रुपये प्रति एकड़
(iv) अनुसूची में यथावर्णित अर्द्ध रेगिस्तानी जोन में	80 रुपये प्रति एकड़
(v) अनुसूची में यथावर्णित रेगिस्तानी जोन में	60 रुपये प्रति एकड़

विद्युत उत्पादन एवं वितरण के सम्बन्ध में गठित समिति का प्रतिवेदन

327. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्युत उत्पादन व वितरण आदि के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा श्री राज्याध्यक्ष की अध्यक्षता में नियुक्त समिति के प्रतिवेदन की किस किस-सिफारिश को राज्य सरकार अथवा विद्युत मण्डल ने स्वीकार किया है और किन-किन को नहीं ? कृपया विवरण सहित प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार पर दबाव बढ़ रहा है ?

उत्तर

(1) राज्याध्यक्ष कमेटी का प्रतिवेदन विद्युत मण्डल/राज्य सरकार के विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में प्रतिवेदन की प्रति निर्णय होने के पश्चात् ही प्रस्तुत की जा सकेगी।

(2) जी नहीं।

विवादग्रस्त अन्तर्राज्यीय विद्युत योजनाओं का निपटारा

328. **श्री मालाराम** (खेतड़ी), श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)-क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि थीन डेम, नाथपा झाकरी, आनन्दपुर साहिब, मुकेरिया आदि अन्तर्राज्यीय विद्युत योजनाओं का विवाद अन्तिम रूप से भारत सरकार द्वारा निर्णीत कर दिया गया है ?

(2) यदि नहीं, तो वर्तमान स्थिति क्या है ?

(3) इन योजनाओं से प्रत्येक से कितनी कितनी बिजली का उत्पादन अपेक्षित है और इनमें राजस्थान ने कितनी बिजली के अपने हिस्से का दावा किया था और कितनी मिलेगी ?

(4) क्या यह सही है कि इन योजनाओं के निर्माण में रास्थान द्वारा अभी तक कोई खर्चा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राजस्थान का दावा केन्द्र सरकार के विचाराधीन है

(3) परियोजना का नाम	अपेक्षित उत्पादन	राजस्थान द्वारा हिस्से का दावा
1. थीन डेम	480 मेगावाट	52·6%

(ऊर्जा मंत्री)

2. नाथपा-झाकड़ी	1020 मेगा वाट	15.22./·
3. आनन्दपुर साहिब	134 मेगा वाट	52·6./·
4. मुकेरिया	207 मेगा वाट	52·6./·

(4) इन परियोजनाओं में राजस्थान के हिस्सों पर निर्णय नहीं होने की वजह से इनके निर्माण पर राजस्थान ने अभी तक कोई खर्चा नहीं किया।

बीसलपुर सिंचाई परियोजना

329. **श्री चतुर्भुज** (टोडारायसिंह): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या बीसलपुर परियोजना का कार्य चालू है? यदि हां, तो कब से? नहीं तो क्यों? राज्य सरकार इस परियोजना की क्रियान्विति के बारे में क्या उपाय कर रही है? कृपया पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। योजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है। स्वीकृति होने पर तथा आवश्यक बजट उपलब्ध होने पर ही इस योजना की क्रियान्विति सम्भव हो सकेगी।

रामसागर बांध (चाकसू) के निर्माण सम्बन्धी शिकायतें

330. **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) —क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चंदलाई बांध को जुलाई, 1981 की बाढ़ से क्या क्या क्षति हुई और उसकी मरम्मत के लिये कितनी धनराशि किस-किस काम के लिये स्वीकृत हुई?

(2) बांध की मरम्मत के कितने काम पर कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है और क्या क्या कार्य शेष हैं? शेष कार्य कब तक पूरा कर लिया जावेगा?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम चंदलाई तहसील चाकसू के रामसागर बांध के निर्माण के बारे में अनेकों शिकायतें राज्य सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं?

(4) राज्य सरकार ने उन शिकायतों के निराकरण के लिये क्या कदम उठाये हैं?

उत्तर

(1) जुलाई, 1981 की बाढ़ में चंदलाई बांध चार जगह से टूटा एवं उसकी मिट्टी की पाल क्षतिग्रस्त हुई। राज्य सरकार ने इसके नाकों को बन्द करने एवं बांध की मरम्मत के लिए 9.44 लाख रु. स्वीकृत किए।

(2) बांध के नाके बन्द करने का मुख्य कार्य पूर्ण कर दिया गया है। इसके अलावा बांध की पाल को मजबूत करने तथा उसे निर्धारित ऊंचाई तक उठाने के लिए अगस्त, 1982 तक 3.10 लाख रुपये व्यय किये गये हैं। शेष कार्य मार्च, 1983 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

(सिंचाई मन्त्री)

(3) जी हां। ग्रामवासी चंदलाई द्वारा की गई कुछ मुख्य शिकायतें इस प्रकार हैं:

(1) जुलाई, 81 से अब तक (7-1-82) सरकार ने बांध की मरम्मत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।

(2) कार्य की धीमी गति के बारे में।

(3) बांध को छोटा बनाकर उसकी भराव क्षमता कम की जा रही है।

(4) निराकरण के लिये शिकायतों की जांच करने के पश्चात् निम्न कार्यवाही की गई :—

(1) जुलाई, 81 से दिसम्बर, 81 तक विस्तृत तकमीना बना, निविदा आमंत्रित कर कार्य 10-12-81 को ठेकेदार को आवंटित कर दिया गया।

(2) कार्य की धीमी गति के लिए ठेकेदार को अनुबन्ध के अनुसार नोटिस दिया गया।

(3) तकनीकी कारणों से बांध की चैन 54 से 60 तक एलाइन्मेंट में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित था। इससे भराव क्षमता में नगण्य असर पड़ता, किन्तु काश्तकारों की इच्छानुसार बांध के एलाइन्मेंट को पुराने एलाइन्मेन्ट पर ही कर दिया गया, एवं इसी प्रकार कार्य करवाया जा रहा है।

जयपुर नगर में पेयजल संकट

331. श्री भंवरलाल शर्मा (हवा-महल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व जयपुर रियासत के काल में जयपुर की जनता की सुविधा के लिए जमुवा रामगढ़ के बन्धे से 16 इन्च की पाइप लाइन डालकर पेयजल उपलब्ध कराया जाता था?

(2) क्या यह भी सत्य है कि राजस्थान बनने के पश्चात् जमुवा रामगढ़ के बन्धे से ही बढ़ी हुई जयपुर की आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 21 इन्च की पाइप लाइन और डाली गई है?

(3) क्या यह भी सत्य है कि जयपुर रियासत के समय डाली गई पाइप लाइन एक बार भी नहीं टूटी जबकि राजस्थान बनने के बाद डाली गई 21 इन्च की पाइप लाइन आये दिन यत्र-तत्र टूटती ही रहती है?

(4) यदि हां, तो विज्ञान व टैक्नोलोजी के क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद इस प्रकार आये दिन लाइन टूटने की घटना क्यों होती है और इसके लिए कौन उत्तरदायी है?

(5) क्या सरकार ने तकनीकी रूप से दोषपूर्ण 21 इन्च की पाइप लाइन की कभी जांच कराई है?

(6) क्या सरकार जयपुर की पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान निकालने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस

(श्री भंवलाल शर्मा)

प्रकार ? कृपया प्रस्तावित योजना के ब्ल्यू-प्रिन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, 17" की पाइप लाइन द्वारा जमुवा रामगढ़ बांध से लक्ष्मण डूंगरी तक जल उपलब्ध कराया जाता था।

(2) वर्ष 1983 में 27" पाइप लाइन रामगढ़ से लक्ष्मण डूंगरी तक और लगायी गयी है।

(3) पुरानी 17" की लाइन एवं बाद में डाली गई 27" की लाइन दोनों में ही समय समय पर लीकेज होते रहते हैं।

(4) पाइप लाइन में लीकेज एवं टूटना पानी का दबाव अचानक बढ़ने या घटने से व "वाटर हेमर" के कारण होता है। यह स्थिति बिजली बन्द हो जाने पर पम्प अचानक बन्द हो जाने से हो जाती है। साधारणतया लीकेज की ही घटना होती है। पाइप ब्रस्ट होने की घटना यदा कदा ही होती है। इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

(5) विभाग द्वारा इसकी अलग से जांच के लिए कोई आदेश नहीं दिए गए। किन्तु सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा यह लीकेज कम करने के लिए जांच की जाती रही है। वाटर हेमर के प्रभाव को कम करने के लिए लाइन पर जीरो वेलोसिटी वाल्व एवं एयरकुशन वाल्व" लगाए गये हैं एवं लगाये जा रहे हैं जिससे उक्त प्रभाव कम भी हुआ है व यह आशा है कि आगे लीकेज कम होंगे।

(5) जी हां, अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण से प्राप्त सहायता के अन्तर्गत वर्ष 1980 में 14.48 करोड़ की एक योजना स्वीकृत की गई है। उक्त योजना की मुख्य रूपरेखा सदन की मेज पर रख दी गयी है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण से सहायता प्राप्त जयपुर की जल प्रदाय पुनर्गठन योजना की मुख्य रूपरेखा

जयपुर शहर की पेयजल की समस्या को हल करने के लिए सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण की सहायता से एक योजना की क्रियान्विति वर्ष 1980-81 से शुरू की है। योजना की अनुमानित लागत 14.48 करोड़ रु. है। इस योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति राजस्थान जल प्रदाय व सीवरेज मेनेजमेण्ट बोर्ड द्वारा पत्र संख्या एफ. ए. सेक्टी/ग्रार. डब्ल्यू. एस. एस. एम. बी./80 दिनांक 20-9-1980 द्वारा रु. 1032.79 लाख के लिए दी जा चुकी है। इस योजना को हाथ में लेने के पूर्व, वर्ष 1980 में शहर को रामगढ़ स्रोत द्वारा 54.4 एम. एल. डी. तथा ट्यूब वैलों से 87 72 एम. एल. डी. पानी दिया जाता था। इस प्रकार शहर को पानी की कुल सप्लाई 132.12 एम. एल. डी. थी।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण की सहायता द्वारा जयपुर शहर की पेयजल योजना के तहत निम्नलिखित मुख्य कार्य प्रस्तावित हैं :—

(1) रामगढ़ बांध को 5 फीट ऊंचा किया जाकर इससे 18.6 एम. एल. डी. अधिक जल जयपुर को लाया जावेगा।

(2) ढूंढ नदी पर कानोता के पास बांध बनाया जाकर 18.0 एम. एल. डी. पानी जयपुर लाया जावेगा।

(3) शहर के विभिन्न भागों में 114 नये नलकूप बनाकर जल उत्पादन 50.16 एम. एल. डी. बढ़ाया जावेगा।

(4) रामगढ़ के अतिरिक्त पानी लाने की 600.00 एम. एम. व्यास की 23.9 किलोमीटर लाइन बंधगेट तक डालने का कार्य।

(5) बंधगेट पर 18.6 एम. एल. डी. क्षमता का नया फिल्टर प्लाण्ट बनाने का कार्य।

(6) कानोता बांध से ट्रक स्टेण्ड तक 600.00 एम. एम. व्यास की 9.9 कि.मी. लम्बी लाइन डालने का कार्य।

(7) कानोता बांध के पास 18.00 एम. एल. डी. क्षमता का नया फिल्टर प्लाण्ट बनाने का कार्य।

(8) शहर में जल वितरण की व्यवस्था पूर्ण दबाव से करने हेतु 73.00 कि.मी. लम्बी विभिन्न साइजों की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डालने का कार्य।

Page No 371

(9) 5 नये उच्च जलाशय बनाने का कार्य ।

(10) नये सी. डब्ल्यू. आर. बनाने का कार्य ।

उपरोक्त सभी कार्यों को 1984-85 तक पूरा करने का लक्ष्य है ।

इस योजना द्वारा बढ़ाये गये जल उत्पादन की क्षमता वर्ष 1987-88 तक काफी रहेगी तथा भविष्य में 1988 से 1994 तक बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए बांडी नदी क्षेत्र में 139 ट्यूब वैल बनाना प्रस्तावित है । इसके उपरान्त बढ़ती हुई पानी की मांग को पूरा करने के लिए बनास नदी पर बांध बनाकर पानी लाया जाना होगा ।

प्रस्तावित योजना का तकमीना संलग्न है ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण द्वारा सहायता प्राप्त जयपुर जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य एवं उसके तकमीने का विवरण

		(अ) मूल लागत (लाखों रु. में)
1.	स्रोत :	
	(i) बांध निर्माण	34.63
	(ii) रामगढ़	68.46
	कानोता	
	(i) नलकूप	45.50
2.	इनटेक वैल	
	(i) रामगढ़	6.00
	(ii) कानोता	4.00
(3)	रा वाटर पाइप लाइन	
	(i) रामगढ़	119.00
	(ii) कानोता	6.16
	(iii) नलकूप	45.67
4.	ट्रीटमेण्ट फैसिलिटीज	
	(अ) रामगढ़	21.00
	(ब) कानोता	21.00
	(स) नलकूप (क्लोरीनेटर)	6·60
5.	शुद्ध जलकूप	
	(अ) रामगढ़	6.35
	(ब) कानोता	6.15
	(स) नलकूप	11.75
6.	ट्रान्समिशन लाइन	
	(अ) रामगढ़	22.88
	(ब) कानोता	62.97
7.	बैलेंसिंग रिजर्वायर	21.49
8.	पम्प मशीनरी	
	(अ) रामगढ़	17.70
	(ब) कानोता	6.32
	(स) नलकूप	27.04
9.	जल वितरण पाइप लाइन	54.12
10.	भवन निर्माण कार्य	60.25
11.	वाटर मीटर	
	(अ) उपभोक्ता जल मीटर	51.78
	(ब) बल्क मीटर	4.22

12.	भू-अधिग्रहण	
	(अ) रामगढ़	1.00
	(ब) कानोता	2.27
	(स) नलकूप	0.63
	(द) जनरल	0.87
13.	मिसलेनियस (विविध)	
	(अ) रामगढ़	5 09
	(ब) कानोता	12.73
	(स) नलकूप	12.00
	(द) जनरल	2064
	उपयोग (अ)	787.17
	(ब) भौतिक अभिवर्द्धन (कन्टिनजेन्सी) 15%	118.09
	उप-योग (अ+ब)	905.26
	(स) मूल्य अभिवर्द्धन	326.02
	उप-योग (अ+ब+स)	1231.28
	(द) अभियांत्रिक अभिवर्द्धन (10% निर्माण कार्य का निरीक्षण + 5./· डिजाइन+ 1 ./· आडिट चार्ज योग 16./·)	206.98
	योग (अ+ब+स+द)	1438.26

पहाड़ी (भरतपुर) जल प्रदाय योजना

332. श्री चात्र खां (कामां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि कस्बा पहाड़ी जल प्रदाय योजना छपरा से मंजूर हो चुकी है जिस पर पाइप भी डाल दिये गये हैं लेकिन आज तक पानी नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त योजना का कब तक क्रियान्वयन होगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस योजना में गाजूमा, नगला, फिरानपुर वगैरह गांव शामिल हैं ? क्या इन गांवों के लिये पूर्व में ही जल प्रदाय योजना मंजूर हो चुकी है लेकिन आज तक उस पर काम शुरू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम नूनेरा के आसपास के गांव के लिये पूर्व में ही जल प्रदाय योजना मंजूर हो चुकी है लेकिन आज तक उस पर कार्य शुरू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या तहसील कामां में पहाड़ी तथा नूनेरा के अलावा और भी गांवों को पीने के लिये पानी देने की योजना है ?

(श्री चाव खां)

यदि हां, तो किन-किन गांवों को ?

उत्तर

(1) जी, हां। कार्य प्रगति पर है। धन की उपलब्धि के अनुसार कार्य पूरा किया जायेगा।

(2) ग्राम गाजूमा व नगला, फिरानपुर उक्त स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं हैं।

(3) जी हां। आसपास के 6 ग्रामों की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना स्वीकृत है। ग्रामवासियों द्वारा नियमानुसार आवश्यक 2.50 प्रतिशत जन सहयोग अभी तक जमा नहीं कराया गया है जिसके कारण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है।

(4) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

तहसील कामां में 31-3-82 तक स्वीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	1971 की जनसंख्या	योजना का प्रकार	स्वीकृति वर्ष	चालू होने का शेष
1	2	3	4	5	6	7
1.	डाथेत	2	269	क्षेत्रीय 6	81–82	—
2.	सोहालपुर	3	64	,,	,,	—
3.	गोडनेर	4	722	,,	,,	—
4.	धानलती	5	1052	हैण्ड पम्प (6)	,,	—
5.	धीसेरा	6	671	,, (5)	80–81	—
6.	धाटमीका	7	817	,, (6)	,,	—
7.	कानवारी	8	226	क्षेत्रीय 6	81-82	—
8.	भौरी	11	878	हैण्ड पम्प (7)	80–81	—
9.	कालूखा	12	552	क्षेत्रीय 6	81–82	—
10.	कंचनमेर	16	693	हैंण्ड पम्प 5	80–81	—
11.	गोशींगा	19	1200	हैण्ड पम्प 8	80–81	—
12.	सेतपुरा	23	338	हैण्ड पम्प 3	80–81	81–82
13.	झूरहेरा	24	4024	पी. एण्ड. टी.	71–72	73–74
14.	फुरहेरी	25	1382	टीएसएस/एचपी 8	79–80	81-82 (एच पी)
15.	नागला डूबोखार	26	234	क्षेत्रीय	,,	—

1	2	3	4	5	6	7
16.	बोमनी	27	665	क्षेत्रीय	08-81	—
17.	नौगांव	28	1264	क्षेत्रीय	,,	—
18.	नोनेरा	29	2365	क्षेत्रीय	,,	—
19.	नांगल इसरीसिंग	34	234	एच. पी. 2	,,	81-82
20.	पथवारी	41	449	एच. पी. 3	80-81	81-82
21.	नगला कुंदन	44	227	एच. पी. 2	81 82	—
32.	खेंचातान	46	299	क्षेत्रीय	80-81	—
23.	समधरा	45	299	क्षेत्रीय	80 81	—
24.	पाई	49	1418	टी. एस. एस.	80-81	79-80
25.	सब्बलगढ़	50	389	ए. पी. 3	80-81	—
26.	भंडारा	51	1136	टी एस. एस.	79-80	—
27.	साहसान	57	2674	टी. एस. एस.	79-80	80-81
28.	केथुग्रल	58	1591	रीज. (6)	81-82	—
29.	भोजाका	59	173	रीज. (6)	81-82	—
30.	झांडीपुर	60	317	रीज. (6)	81-82	—
31.	ढोमरी	61	810	रीज. (6)	81-82	—
32.	पहाड़ी	63	3479	पी. एण्ड. टी.	64-65	66-67
33.	गोदशोरा	66	310	एच. पी. (2)	81-82	—
34.	छीनावाड़ा	69	375	एच. पी. (3)	80-81	—

1	2	3	4	5	6	7
35.	खण्डेवला	73	1091	एच. पी. (7)	80-81	—
36.	बूराना	77	472	एच. पी. (3)	80-81	—
37.	महमदपुर	79	298	एच. पी. (2)	81-82	—
38.	जसोटी	81	492	एच. पी. (3)	80-81	—
39.	सतवाडी	85	1731	„ (9)	79-80	82-83
40.	सामलेर	86	1894	„ (10)	79-80	82-83
41.	डाहना	87	201	„ (2)	81-82	—
42.	उंधान	95	467	„ (3)	80-81	81-82
43.	मूसेपुर	96	754	„ (4)	80-81	81-82
44.	रीश्याका	97	430	„ (3)	80-81	82-83
45.	नेतवाडी	90	322	„ (2)	81-82	—
46.	सोनीखार	101	516	„ (4)	80-81	81-82
47.	परेही	102	427	„ (2)	81-82	—
48.	उन्चेरा	104	593	„ (4)	80-81	81-82
49.	दादूरा	105	265	„ (2)	81-82	—
50.	नागला भाटकी	107	300	„ (3)	80-81	81-82
51.	सतवास	111	961	„ (6)	80-81	—
52.	लेवडा	114	992	„ (6)	80-81	—
53.	नागला कुलवाना	121	324	„ (2)	80-81	81-82

1	2	3	4	5	6	7
54.	कनवारी	123	259	एच. पी. (2)	81-82	–
55.	नांदेडा	127	1300	टी. एस. एस./एच. पी. (7)	79-80	82-83
56.	लोडाका	129	385	एच. पी, (3)	81-82	82-83
57.	कालावाटा	130	258	,, (2)	81-82	–
58.	बीलोंग	132	1297	,, (4)	81-82	82-83
59.	नांगल शाहजोद	133	330	रीज. 0	81–82	–
60.	गढ भ्रजन	134	695	रीज. 0	81–82	–
61.	नागला मुकारू	135	399	एच. पी. (3)	80–81	–
62.	दांतका	136	288	,, (2)	81–82	–
63.	ईखांवा	138	499	,, (3)	80–81	82–83
64.	मुनासका	139	390	,, (3)	80–81	82–83
65.	समसालका	140	83	रीज. 13	80–81	–
66.	जोधपुर	141	536	रीज. 13	81–82	–
67.	ऊभाका	142	487	एच. पी. (3)	80–81	–
68.	खेडली माना	143	830	,, (5)	81–82	–
69.	बारोली	146	1356	रीज. 13	81–82	–
70.	बाडखेडा	148	328	एच. पी. (2)	80–81	–
71.	लावना	152	264	,, (2)	81–82	–
72.	बारला	153	281	,, (2)	81–82	–

1	2	3	4	5	6	7
73.	लीबासना	156	475	एच. पी. (3)	80–81	–
74.	भोजपुर	163	438	,, (5)	80–81	–
75.	जाट गावती	168	519	,, (4)	80–81	–
76.	जाट रोहेला	167	711	,, (5)	80–81	–
77.	गोपालगढ़	171	2354	पी. एण्ड. टी.	76–77	77–78
78.	मलिकी	175	513	एच. पी. (4)	80–81	–
79.	पीपरोली	176	505	रीज. 9	81–82	–
80.	नाकतपुर	177	340	रीज. 9	81–82	–
81.	अरघोका	180	420	एच. पी. (3)	80-81	–
82.	कटकारका	181	144	,, (2)	80-81	–
83.	पीपल खेडा	185	1602	रीज. 2	81-82	–
84.	चांदूपुरा	186	622	,,	81-82	–
85.	पथरोली	187	1225	,,	81-82	–
86.	सेखपुर	188	81	,,	81-82	–
87.	शार्दूगर	191	486	,,	81-82	–
88.	खेतवाड़ा	193	2974	टी.एस.एस./हैण्ड पम्प	79-80	–
39.	कोलीयान	194	223	एच. पी. (2)	81-82	–
90.	घाघवाडी	195	600	,, (5)	80-81	–
91.	रेंक	197	1180	,, (8)	80-82	–

1	2	3	4	5	6	7
92.	बहुल खेडा	201	2175	रीज. 8	81–82	—
93.	जोतोली	203	233	रीज. 8	81–82	—
94.	धर्मशाला	205	792	एच. पी (5)	80–81	81–82
95.	मतुकी	209	699	रीज. 8	81–82	81-82
96.	वाघ	218	198	रीज. 8	81–82	—
97.	लुहीसर	214	1135	टी. एस एस/एच. पी (6)	79–80	—
98.	ग्र गरावाली	216	405	रीज. 8	80–81	81–82
99.	करमोका	218	1000	रीज. 3	81–82	—
100.	लाधूका	218	171	रीज. 3	81–82	—
101.	लालपुर	220	216	रीज. 3	81–82	—
102.	छीछारवारी	221	696	रीज. 3	81–82	—
103.	इन्दरोली	222	1173	एच. पी (0)	80-81	—
104.	कनवारा	224	1163	टी एस एस	79–80	79-80
105.	धाना	230	304	एच. पी (2)	81–82	—
106.	मुलाका	234	522	एच. पी (4)	80–81	82-83
107.	खाता	236	509	एच. पी (4)	80–81	—
108.	खानपुर	239	350	एच. पी (2)	81–82	—
109.	सवालाना	242	1994	रीज. 3	81–82	—
110.	विरार	243	254	रीज. 3	81–82	—

1	2	3	4	5		6	7
111.	विलोंड	224	1763	रीज. 3		81–82	—
112.	वरोली धाऊ	246	1306	रीज. 3		81–82	—
113.	मंची	248	199	रीज. 2		81–82	—
114.	नीमला	249	463	रीज. 2		81–82	—
115.	खोखरा	251	388	एच. पी	(2)	81–82	—
116.	जालनका	753	666	एच. पी	(2)	80–86	—
117.	झिलपाती	255	524	रीज. 3		81–82	—
118.	खेरा	257	498	एच. पी	(2)	80–81	81-82
119.	घोघर	258	494	एच. पी	(3)	80–81	—

जयपुर में क्रियाशील विभिन्न क्लब

333. **श्री ईश्वरलाल सैनी** (लक्ष्मणगढ़) व

श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या जय क्लब, अशोक क्लब, जयपुर क्लब व रायल क्लब लिमिटेड, त्रिपोलिया बाजार (जयपुर) वैधानिक तरीके से चल रहे हैं ? कृपया इन क्लबों के अध्यक्षों के नाम सहित सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या कभी पुलिस द्वारा इन तीनों क्लबों पर भी रायल क्लब की भांति छापा मारा गया और मुकदमे बनाये गये ? यदि हां तो कब-कब और छापों का क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्रामों के विरुद्ध किस-किस क्लब के पदाधिकारियों द्वारा कब-कब किस-किस पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालत में मुकदमे दर्ज करवाये गये एवं उनका क्या परिणाम रहा ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन क्लबों में ताश का खेल "रमी" पैसों के आदान-प्रदान से होता है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त क्लबों में दिनांक 23 अप्रेल, 1977 को "रमी" ताश द्वारा खेले जाने पर रायल क्लब में मिले लोगों पर पुलिस द्वारा मुकदमा बनाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि जुडिशियल कोर्ट नं. 3 से उक्त पुलिस द्वारा बनाये गये झूठे मुकदमे का दिनांक 18-2-1981 को फैसला होकर पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध टिप्पणियां की गई व क्लब का कार्य वैधानिक सिद्ध हुआ है ? यदि हां, तो पद का दुरुपयोग करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार भविष्य में वैधानिक तरीके से कार्य कर रहे क्लब को पुलिस के अनावश्यक हस्तक्षेप व सदस्यों को नाजायज तंग करने की कार्यवाही को रोकने हेतु संरक्षण प्रदान करने के लिये आवश्यक व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इस समय केवल तीन क्लब चल रहे हैं। रायल क्लब बन्द है। श्री कपूर चन्द कुलिस, श्री भवानीसिंह, श्री यू. एन. उवेराय क्रमश: जय क्लब, अशोक क्लब, जयपुर क्लब के अध्यक्ष हैं।

(2) जी नहीं। इन क्लबों के विरुद्ध कोई वैधानिक कृत्य के आरोप प्राप्त न होने के कारण छापे नहीं मारे गये। अत: प्रश्न पैदा नहीं होता।

(3) ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(4) जी नहीं, केवल रायल क्लब पर ही छापा मारा गया था। रायल क्लब के पदाधिकारियों द्वारा नियमित नाल लेकर "रमी" खिलाने के अभियोग में दिनांक 22-4-77 को छापा मारा गया था।

(गृहमंत्री)

(5) उक्त मुकदमों का निर्णय अभियुक्तों के पक्ष में शहादतों के आधार पर हुआ था। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता। वैधानिक तरीके से कार्य कर रहे क्लबों पर पुलिस के अनावश्यक हस्तक्षेप एवं नाजायज तंग करने के आरोप प्राप्त होने पर ही उचित कार्यवाही सम्भव है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14 सितम्बर, 1982)

माडा योजना के अन्तर्गत कार्य

238. श्री समर्थलाल (राजगढ) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) माडा योजना के अन्तर्गत राजस्थान में कितने कार्य चल रहे हैं तथा उन हेतु कितनी राशि स्वीकृत है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि माडा योजना में स्वीकृत राशि उक्त कार्यों पर समय पर खर्च नहीं हो पायेगी ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) माडा योजना के अन्तर्गत 1867 निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये, जिन पर वर्ष 1978-79 से 1981-82 तक 410.45 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

परिशिष्ट 'क'

(2) जी नहीं। सीमेंट की अनुपलब्धता, हैण्ड पम्प के लिए ड्रिलिंग रिग्स आदि समय पर उपलब्ध न होने के कारण कार्यों में विलम्ब होता है, फिर भी राशि समय पर उपयोग करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

माडा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978–79 से 1981–82 तक स्वीकृत कार्य तथा धनराशि का जिलेवार विवरण

क. सं.	जिला	स्वीकृत कार्य	(राशि लाख रु.) स्वीकृत राशि
1.	अलवर	163	29.96
2.	भरतपुर	2	5.25
3.	भीलवाड़ा	142	23.40
4.	बूंदी	160	31.27
5.	चित्तौड़गढ़	109	20.57
6.	जयपुर	349	82.85
7.	झालावाड़	54	11.24
8.	कोटा	139	13.39
9.	पाली	42	13.63
10.	सवाई माधोपुर	473	115.43
11.	सिरोही	8	14.68
13.	टोंक	100	12.97
13.	उदयपुर	126	35.81
	योग	1867	410.45

परिशिष्ट 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 299 की तालिका

वर्ष	व्यय	आमद	शुद्ध व्यय
1971–72	47,01,821	45,60,903	1,40,918
1972–73	43,51,140	40,01,899	3,49,241
1973–74	50,83,168	43,69,208	7,13,960
1974–75	51,70,751	41,82,521	9,88,230
1975–76	55,77,119	49,46,656	6,30,463
1976–77	71,31,304	68,26,738	3,04,566
1977–78	66,91,813	73,28,512	+6,36,699
1978–79	79,45,225	75,91,198	3,54,027
1979–80	1,09,40,866	88,16,433	21,24,433
1980–81	1,31,94,749	1,27,63,455	4,31,294

Page No 386

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 303 का विवरण

दिनांक 9 अगस्त, 1982 को भरतपुर में हुई घटना में हुई हानि का विवरण

क्र. सं.	नाम	अनुमानित क्षति
1.	अग्निकाण्ड मकान (रिहायशी) मकान	82,822-00
2.	अग्निकाण्ड दुकान	1,08,120-00
3.	लूटपाट	1,14,317-00
4.	डा. अम्बेडकर भवन	6,050-00
5.	शान्ति प्रिंटिंग प्रेस	100-00
	योग	3,11,409-00

भरतपुर घटना में पीड़ित व्यक्तियों को दी गयी "एक्स ग्रेशिय" सहायता का विवरण

क्र. सं.	नाम व्यक्ति जिले सहायता दी गयी	कुल सहायता जो दी गयी
1	2	3
1.	श्री मंदूराम पुत्र भिक्कीराम, जाटव बडा मोह. भरतपुर।	2600/-
2.	,, बल्लोराम पुत्र गोगलराम जाटव, बडा मो. भरतपुर।	1770/-
3.	,, मानसिह ,, रामदेव जाटव, मथुरागेट भरतपुर	5710/-
4.	,, कलूआराम ,, रामहेत जाटव, मथुरागेट भरतपुर	5670/-
5.	,, ननगी पुत्र परभाती जाटव मथुरागेट, भरतपुर	2990/-
6.	,, शिवचरन पुत्र रामजीलाल जाटव गिरजाघर के पास भरतपुर	2490/-
7.	,, किशनलाल पुत्र मूला जाटव चौबुजा, भरतपुर	1200/-
8.	,, इन्दर पुत्र छिददा जाटव, पटपरा, भरतपुर	1000/-
9.	,, फूलसिह पुत्र देवीलाल जाटव पटपरा	780/-
10.	,, टेकचन्द पुत्र देवीलाल जाटव ,,	540/-
11.	,, जसवन्त पुत्र गनेशी जाटव ,,	330/-
12.	,, भूपसिह पुत्र सुमेरा जाटव ,,	520/-
13.	,, सुभाव पुत्र छिददा ,,	620/-
14.	,, सुम्मेरा पुत्र हट्टी ,,	300/-
15.	,, भगवानसिह पुत्र भिक्कीराम ,,	1390/-
16.	,, ननगी पुत्र परभाती ,,	720/-

Page No 387

1	2		3
17.	,, परमोली पुत्र दीपा	,,	450/-
18.	,, सामन्ता पुत्र देवलाल	,,	400/-
19.	,, राजेन्द्रसिंह पुत्र जयसिंह नट	,,	600/-
20.	,, जयसिंह पुत्र प्यारे नट	,,	960/-
21.	,, बन्ने पुत्र नारायन माली	,,	100/-
22.	,, पुन्नी पुत्र सुम्मेरा जाटव	,,	950/-
23.	श्रीमती अमृतकोर/दासीदास	,,	1850/-
24.	,, गयासी पुत्र थिक्नू जाटव	,,	320/-
25.	,, गंगाराम पुत्र वेदरिया	,,	600/-
26.	,, रामसिंह पुत्र मदनलाल	,,	740/-
27.	,, रामदयाल पुत्र मोहन लाल	,,	1150/-
28.	,, प्रेमसिंह पुत्र जयसिंह नट	,,	960/-
29.	,, रामदयाल पुत्र बुद्धिसिंह	,,	590/-
30,	,, गुलाबसिंह पुत्र गिर्लेसिंह	,,	570/-
31.	श्री जगन्नाथ प्रसाद पुत्र दयाचन्द जाटव पटपरा		330/-
32.	,, पोकरसिंह पुत्र नेकराम, पटपरा		160/-
33.	कमला पुत्र चौथी	,,	100/-
34.	,, प्रतापसिंह पुत्र करनसिंह जाटव पटपरा		200/-
35,	,, हरीयाचन्द पुत्र पूनमचंद ,,	,,	300/-
36.	,, परभाती पुत्र टीकमसिंह ,,	,,	300/-
37.	,, गुलाबसिंह पुत्र परभाती ,,	,,	200/-
38.	,, करनसिंह पुत्र सामन्ता ,,	,,	300/-
39.	,, मूलचन्द देवलाल ,,	,,	300/-
40.	,, लक्ष्मनसिंह पुत्र पूरना जाटव	,,	200/-
41.	,, महेश चंद पुत्र यादराम ,,	,,	200/-
42.	,, विशन पुत्र बादाम ,,	,,	200/-
43.	,, मनोहरी पुत्र सूखे ,,	,,	200/-
44.	,, प्रहलाद पुत्र सुम्मेरा ,,	,,	300/-
45.	,, सुम्मेरा पुत्र बिहारी ,,	,,	300/-
46.	,, राम प्रसाद पुत्र घुन्धी ,,	,,	300/-
47.	,, विजयसिंह पुत्र यादराम ,,	,,	300/-
48.	,, बेदरिया पुत्र मनोहरी ,,	,,	300/-
49.	,, धर्मसिंह पुत्र परभाती ,,	,,	300/-

Page No 388

1	2			3
50.	,, शिवचरन पुत्र फूसिया	,,	,,	300/-
51.	,, रतनसिंह पुत्र परभाती	,,	,,	200/-
52.	,, ज्योति पुत्र हैतराम	,,	,,	300/-
53.	,, भवासी पुत्र डाल चन्द	,,	,,	200/-
54.	,, मोहनसिंह पुत्र हुकमसिंह	,,	,,	300/-
55.	,, केलीराम पुत्र बदले	,,	,,	300/-
56.	,, अमरी पुत्र भूरीसिंह	,,	,,	100/-
57.	,, शेरसिंह पुत्र बसन्ता	,,	,,	150/-
58.	,, रामचरन पुत्र डालचंद	,,	,,	200/-
59.	,, गिलहरी पुत्र गोगा	,,	,,	100/-
60.	,, गंगों पुत्र गिलहरी	,,	,,	100/-
61.	,, कालीचरन पुत्र छोटेलाल	,,	,,	200/-
62.	,, भूपसिंह पुत्र गिराज	,,	,,	100/-
63.	,, सुक्खा पुत्र मनोहर	,,	,,	100/-
64.	श्री गंगादेवी/गिर्राजसिंह	जाटव	पट पर	100/-
65.	,, करनसिंह पुत्र डालचंद	,,	,,	100/-
66.	श्रीमती राजनदेवी/रामसिंह	,,	,,	100/-
67.	,, पूनमचन्द पुत्र शिवलाल	,,	,,	100/-
68.	,, ख्यालीराम पुत्र भीकीराम	,,	,,	100/-
69.	,, खेमचन्द ,, रतन लाल	,,	,,	100/-
70.	,, मानसिंह ,, भूरीसिंह	,,	,,	100/-
71.	,, नथुआ ,, परमोली	,,	,,	100/-
72.	,, बच्चूसिंह ,, कममेरी	,,	,,	100/-
73.	,, दयाराम ,, हण्डू	,,	,,	100/
74.	,, परभाती ,, नत्थी	,,	,,	100/-
75.	,, प्रेमसिंह ,, दुल्ली	,,	,,	100/-
76.	,, नारायण ,, तुलाराम	,,	,,	100/-
77.	,, रामस्वरूप पुत्र भगरी	,,	,,	100/-
78.	,, दुवारकाप्रसाद पुत्र शिवलाल	,,	,,	100/-
79.	,, तेजाराम पुत्र घीसाराम	,,	,,	100/-
80.	,, श्यामबाबू ,, ,,	,,	,,	100/-
81.	,, ख्यालीराम पुत्र घीयाराम	,,	,,	100/-
82.	,, शंकर पुत्र भोगो	,,	,,	400/-
83.	,, भोंदूराम पुत्र भिक्कीराम	,,	,,	150/-

1	2	3
84.	,, सीताराम पुत्र चिरंजीव नाई ,, ,,	50/-
85.	,, मोतीलाल पुत्र गिर्राज नाई ,, ,,	50/-
86.	,, रामखिलाड़ी पुत्र तुल्ली जाटव	50/-
87.	,, जमनी पुत्र मुल्ली जाटव	50/-
88.	,, श्रीमती गगांदेवी/सूरज प्रा.	100/-
89.	,, अमरसिंह जाटव	100/-
90.	,, गंगाराम जाटव	100/-
91.	,, रामस्वरूप जाटव	100/-
92.	,, श्री रामसिंह जाटव	100/-
93.	,, हुक्कम चन्द जाटव	100/-
94.	,, मोहनसिंह जाटव	100/-
95.	,, पप्पू पुत्र विशम्भर उम्र 15 वर्ष अनाह मेट भरतपुर	1200/-
96.	,, रामसिंह पुत्र दौलतराम उम्र 20 वर्ष बुरावई थाना लेवर।	300/-
97.	श्री सुन्दरसिंह पुत्र छिदनलाल उम्र 35 वर्ष जाटव, भरतपुर।	1100/-
98.	,, भूराराम पुत्र चिरंजी उम्र 50 वर्ष जाटव, छौहरी का लगला।	1450/-
99.	श्रीमती कम्पूरी पत्नि मुन्नी उम्र 61 वर्ष जाटव, पटपरा।	1500/-
100.	श्रीमती सोनदेवी पत्नी भगवानदास उम्र 35 वर्ष जाटव पटपरा।	1500/-
101.	श्री वीरेन्द्रपाल पुत्र अंगदसिंह उम्र 40 वर्ष राजपूत, सिपाही नं. 91	200/-
102	,, मोहनलाल पुत्र सिवाजी उम्र 40 वर्ष मीना, सिपाही नं. 216	200/-
103.	घायल व्यक्तियों के लिये खून एवं दवाईयों के लिये जनरल अस्पताल भरतपुर में डॉ. कोहली को दिये।	1000/-
104.	घायल श्री पप्पू की मृत्यु होने पर उसके परिवार को दी गई सहायता।	5000/-

Page No 390

1	2	3
105.	श्रीमती रामेश्वरी पत्नि नानकदास जादव पो. पंटपरा	750/-
106.	श्री रामकिशन पुत्र यादराम	750/-
107.	,, नानकदास पुत्र सियाराम	750/-
108.	डॉ. अम्बेडकर भवन	—
109.	शांति प्रिंटिंग प्रेस	—
	कुल योग :— परिवार-107	64990/-

परिशिष्ट 10

अतारांकित प्रश्न संख्या 306 की सूची

क्र. सं.	इकाई का नाम		पहले स्वीकृत किया गया ऋण	वितरित किया गया ऋण	बकाया ऋण	बंद रहने की अवधि	पुनर्जीवन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया ऋण
1.	मै. राजू इण्डस्ट्रीज, जयपुर		1.93	1.93	2.48	....	0.60
2.	मै. आहूजा इण्डस्ट्रीज	I	0.77	0.77	0.10	....	1.53
		II	3.80	3.39	3.55	....	
3.	मै. मीरा उद्योग, जयपुर		0.98	0.91	0.18	एक वर्ष	0.60
4.	मै. प्रताप आइल मिल, अलवर		1.16	1.15	1.43	मई, 1978 से बंद पड़ी है	1.86
5.	मै. प्रक्टोमेक इण्डिया, जयपुर		2.00	1.94	3.05	....	0.90
6.	मै. सिंगल स्टील, जयपुर	I	1.60	1.60	1.19	....	2.00
		II	0.40	0.40	0.29		
			12.64	12.09	12.27		7.49

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 313 की सूची

चाकसू ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम के अन्तर्गत ग्रामों की सूची

(अ) विद्युतीकृत :—

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	विद्युतीकरण की तारीख
1	2	3	4
1.	मालवा	8/14/8	23-11-79
2.	तीतरिया	132	26-12-79
3.	भोज्या ढण्ड	117	31-12-79
4.	बृजनाथपुरा	118	,,
5.	रानीवाडा	3	28-2-80
6.	चक चन्दलाई नं. 2	9	,,
7.	यारलीपुरा	87	,,
8.	काठावाला	88	,,
9.	जानकी वल्लभपुरा	104	,,
10.	जयचन्दपुरा	120	,,
11.	श्री किशनपुरा	133	,,
12.	खेडा जगन्नाथपुरा	14	31-7-80
13.	बिहारीपुरा	102	,,
14.	देवकीनन्दनपुरा	23	31-8-80
15.	पीचूड़ा	18	,,
16.	धूनी जयलालपुरा	85	30-9-80
17.	घोलारा	25	,,
18.	माधोसिंहपुरा	24	,,
19.	शिवदासपुरा नं. 2 (चक)	22	31-10-80
20.	सन्तोषपुरा	21	,,
21.	पीपलीबाई का बास	26	,,
22.	नानगीपुरा	5	,,
23.	प्रहलादपुरा	119	,,
24.	चतुर्भुजपुरा	20	,,

1	2	3	4
25.	भंवरवास	29	पूर्व में ही विद्युतीकृत
26.	गोपीरामपुरा	89	31-10-80
27.	बल्लूपुरा	28	,,
28.	जुझारपुरा	101	,,
29.	डहर	91	,,
30.	सालगरामपुरा	90	,,
31.	भवानीपुरा	82	,,
32.	खाजलपुरा	81	,,
33.	नांगलपूरन	83	,,
34.	गोवर्धनपुरा	15	,,
35.	दादनपुरा	99	29-11-80
36.	दादनपुरा की डूंगरी	100	,,
37.	बीड सन्तोषपुरा	208	,,
38.	रघुपुरा	209	,,
39.	गणेशपुरा	76	,,
40.	बीर किनारपुरा	75	,,
41.	भगवानपुरा	78	,,
42.	चक शिवदासपुरा नं. 1	17	,,
43.	राजपुरा	219	31-12-70
44.	चन्देलखुर्द	72	,,
45.	चन्देलकलां	73	,,
46.	गरुडथानी	220	,,
47.	खेडा जगन्नाथपुरा	217	,,
48.	रूपवास	211	,,
49.	बडोदिया	212	,,
50.	लाखावास	98	,,
51.	बढ रामजानीपुरा	13	,,
52.	बाढ मुरलीपुरा	218	30-1-81
53.	रामनिवास	210	,,
54.	बाढ महावतान	77	,,
55.	राम लक्ष्मणपुरा	74	,,
56.	बीढ सूरतरामपुरा	105	,,

1	2	3	4
57.	रायपुरा बुजुर्ग	107	30-1-81
58.	जीवनपुरा	183	28-2-81
59.	जयसिंहपुरा	182	,,
60.	फोयून	178	24-10-81
61.	रामनगर गढ़ी	174	,,
62.	श्यामी का बास	175	,,
63.	मुड़िया खुर्द	173	,,
64.	तिगरिया	184	,,
65.	श्रीनगर	172	,,
66.	गिरधारीलालपुरा	185	30-11 81
67.	भूरतिया	186	,,
68.	बारली	176	,,
69.	बृजराजपुरा	179	,,
70.	किशनपुरा	187	,,
71.	गैनवा	177	,,
72.	धूनीरानी मूंगा	92	,,
73.	हुलासपुरा	93	,,
74.	सुरंगा	94	,,
75.	श्री लक्ष्मीपुरा	95	,,
76.	नन्दगांव बासडी	207	31-12-81
77.	कोटखावदा	60	,,
78.	रादोली	62	,,
79.	कोलिया	214	,,
80.	जगरामपुरा	61	31-1-82
81.	फिरोजपुरा	71	,,
82.	महेशपुरा	215	,,
83.	लक्ष्मीपुरा	216	,,
84.	कवरपुरा	230	,,
85.	गढ़ी लश्करी	229	,,
86.	रूपहेरी कलां	43	28-2-82
87.	आजमनगर	111	,,
88.	गोढ का बास	44	31-3-82
89,	तेजखान का बास	50	31-3-82

Page No 395

1	2	3	4
90.	श्री किशनपुरा	55	31-3-82
91.	खेड़ा रानीवास	235	,,
92.	दामोदर का वास	51	,,
93.	बलरामपुरा	56	31-3-82
94.	माधोपुरा	46	,,
95.	हरिनारायणपुरा	45	,,
96.	इन्द्रपुरी	59	,,
97.	हिगोटी	47	,,
98.	चक चन्दलाई नं. 1(एनपी)	7	,,
99.	चक लक्ष्मीपुरा नं. 1 ,,	1	,,
100.	चक लक्ष्मीपुरा नं. 2 ,,	2	,,
101.	चक वाटिका (एनपी)	122	,,
102.	चक श्री किशनपुरा ,,	116	,,
103.	रामपुराबास गोनेर ,,	16	,,
104.	रामपुरा बुर्ज ,,	181	,,
105.	महाचन्दपुरा ,,	180	,,
106.	दीपपुरा ,,	188	,,
107.	नन्दलालपुरा ,,	213	,,
108.	महारामपुरा ,,	70	,,
109.	चक तेजखान का बास ,,	58	,,
110.	चक बलरामपुरा ,,	57	,,
111.	चक किशनपुरा ,,	54	,,
112,	मण्डावरी ,,	52	,,
113.	चक चान्दपुरा ,,	42	,,
114.	बोदिया का खेडा ,,	38	,,

(ब) अविद्युतीकृत :—

115.	नैनूपुरा	8/14/61
116.	चक श्री किशनपुरा नं. 2	53
117.	महादेवपुरा	48
118.	कुनपा का बास	49

Page No 396

1	2	3
119.	बुगारिया	30
120.	भावनसर काकरिया	63
121.	भगवतपुरा	39
122.	रमजानीपुरा	41
123.	बढ चन्दपुरा	40
124.	बृजराजपुरा	37
125.	सवाई जयसिंहपुरा	64
126.	रूपहेरी खुर्द विथ बापूगांव	69
127.	हरिकिशनपुरा	36
128.	बढ मूंडाहेरी	65
129.	चक थूनी	34
130.	मूंडाहेरी	66
131.	उगरियावास	67
132.	बिलासपुर	68
133.	रामकिशनपुरा उर्फ थूनी मांगलदास	35
134.	नरपतिपुरा उर्फ हरिपुरा	33
135.	आंचलपुरा	31
136.	सीतापुरा	32
137.	गोगारावास	127
138.	सूरजपुरा उर्फ टूटोली	130
139.	भोज्यारा	129
140.	विनोदीलालपुरा	128
141.	श्री दौलतपुरा	131
142.	बजडोली	125
143.	कुमारियावास	124
144.	सवाई जयसिंहपुरा	126
145.	चोसला	112
146.	मुमारक्या	138
147.	मांगसर	139
148.	थाली	153
149.	बड भागपुरा	155
150.	हंसराजपुरा	154

1	2	3
151.	सीरापुरा	156
152.	मुरारपुरा	137
153.	देवकीसानपुरा	134
154	सदरामपुरा	133
155.	केरदा खुर्द	109
156.	चक मुरारपुरा	136
157.	दृगपालपुरा	110
158.	उदयपुरा	114
159.	आल्यावास उर्फ पुरषोतमपुरा	115
160.	कल्याणपुरा	108
161.	नरहरपुरा	113
162.	नयागांव	148
163.	केदेरा	140
164.	श्री जयदेवपुरा	143
165.	किरतपुरा	142
166.	अकेशपुरा	141
167.	रूपबास	150
168.	खेजडी बुजुर्ग	144
169.	मादीपुरा	146
170.	कृपारामपुरा	145
171.	बल्लभपुरा	147
172.	तापरिया	149
173.	खेरा उकन्दपुरा	166
174.	सेवापुरा	152
175.	जयपुरा	151
176.	दुलारी	158
177.	दलपतपुरा	160
178.	देवगांव	161
179.	आनन्दरामपुरा	162
180.	रसूलपुरा	157
181.	श्री गणेशपुरा	159
182.	सवाई माधोसिंहपुरा	168

1	2	3
183.	लासलिया	169
184.	ग्रहीरानथूनी	170
185.	हिगोनिया	164
186.	श्री साईपुरा	163
187.	टूमरी का बास	165
188.	लदान खुर्द	167
189.	चौप	171

———

परिशिष्ट 12

अतारांकित प्रश्न संख्या 314 की सूची

वर्ष 1977 में निलम्बित किये गये अधिशासी अभियन्ताओं की सूची

(1) श्री टी. आर. गुप्ता — निलम्बन के कारण

श्री टी. आर. गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध अम्बाबाड़ी स्कीम में 10,000/– रुपये में एक प्लाट खरीद कर उस पर स्वयं की आय से निर्माण कराने तथा उनके नजदीकी रिश्तेदार श्रीमती कान्ती देवी पत्नी श्री सुरेश मित्तल के नाम बेनामी लेन देन करने का आरोप था। श्री गुप्ता ने निर्माण पर जो 40,000/– रुपये व्यय किये थे, वह उनकी आय के अनुरूप नहीं थे। उनका यह आचरण राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल कर्मचारी आचार संहिता के नियम: के प्रतिकूल होने तथा इस सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मण्डल ने अपनी दिनांक 27-6-1977 को हुई बैठक में श्री टी. आर. गुप्ता को निलम्बित करने का निर्णय लिया। तदनुसार श्री गुप्ता को दिनांक 6-7-1977 को निलम्बित किया गया।

(2) श्री एम. एल. गर्ग

श्री एम. एल. गर्ग, अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध उनके द्वारा प्रेषित पत्रों तथा प्रतिवेदनों में मण्डल के सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के सम्बन्ध में अनर्गल आरोप लगाने एवं अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने का आरोप था। पूर्व में भी उन्हें भारत सरकार को सीधे पत्र लिखने के कारण, मण्डल स्तर पर कई बार प्रताड़ित किया जा चुका था तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री गर्ग को व्यक्तिगत रूप से भी सचेत कर दिया गया था। श्री गर्ग ने पुनः दिनांक 10-11-1976 को एक शिकायती पत्र लिखकर प्रतिलिपि प्रधान मंत्री, राजस्थान तथा मुख्य मंत्री को प्रेषित की। भविष्य में इस प्रकार के पत्र न लिखने की चेतावनी देने के उपरान्त भी श्री गर्ग ने पुनः शिकायती पत्र लिखकर मंत्री स्तर पर प्रतिलिपियां प्रेषित कीं जो राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल कर्मचारी आचार संहिता, 1976 के नियम 20 के विरुद्ध है। अतः विद्युत मण्डल ने दिनांक 3-8-1977 को हुई अपनी बैठक में अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का निर्णय लेते हुए श्री गर्ग को निलम्बित करने का निर्णय लिया। तदनुसार श्री गर्ग को दिनांक 6-8-77 को निलम्बित किया गया।

परिशिष्ट 13

अतारांकित प्रश्न संख्या 315 की सूची

सूची "अ"

जालौर जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत ग्रामों की सूची

क्र. स.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3
प. स. भीनमाल--वर्ष 74--75		
1.	रगाला	17/4/1
2.	बिजलिया	2
3.	छजना	3
4.	मोवड़ावास	4
5.	कोड़ी धवेचा	5
6.	जैसावास	6
7.	कूड़ा धवेचा	7
8.	बागोड़ा	8
9.	नादिया	9
10.	बीछावाड़ी	10
11.	नवापुरा	11
12.	बाटेरा	12
13.	राऊता	13
14.	गूजरवाड़ा	14
15.	चैनपुरा	15
16.	लाखनी	16
17.	मोरसीम	17
18.	बाजी	18
19.	भालनी	19
20.	गांवड़ी	20
21.	धुम्बड़िया	21
22.	दामन	22
23.	कालेटी	23

क्र. सं. 1	ग्राम का नाम 2	कोड नं. 3
24.	लूनावा	24
25.	राह्	25
26.	नरसाना	26
27.	डूंगरवास	27
28.	मेड़ा ब्राह्मणान	28
29.	खेड़ापुरिया	29
30.	कूका	30
31.	धोबाउ	31
32.	जोगाऊ	32
33.	सारियाना	33
34.	भाड़वी	35
35.	सेवड़ी	36
36.	जेरन	37
37.	निड़ावास	38
38.	बागावास	39.
39.	चक जेरन	17/4/40
40.	भरनू	41
41.	कावतरा	42
42.	जैतू	43
43.	दासपा	44
43.	कोरा	45
45.	रुचियार	46
46.	सरथला	47
47.	चक चांदपाल	48
48.	भीमपुरा	52
49.	बोरटा	53
50.	मासोली	54
51.	भागल सेपरा	55
52.	नेरता	56
53.	मीरपुरा	57
54.	जूंजानी	58
55.	भागल भीम	59
56.	फीरवाला	70
57.	गासेडी	83

क्र. सं. 1	ग्राम का नाम 2	कोड नं 3
58.	लेदमेर	86
59.	कोट कास्ता	87

प. स. रानीवाडा—वर्ष 76--77

60.	रानीवाड़ा खुर्द	17/4/175
61.	तेजावास	174
62.	दोलतपुरा	173
63.	मालवाड़ा	174
64.	केर	170
65.	बाडा	148
66.	डूंगरी	199
67.	आखराड़	146
68.	डाठोकी	145
69.	कागमाला	151
70.	चिरपटिया	144
71.	दूधवट	140
72.	गोलवाड़ा	139
73.	मेडा	141
74.	डोडवाड़िया	196
75.	सेवाड़िया	195
76.	आदखाड़ा	197
77.	सिगावास	17/4/194
78.	मेडक खुर्द	204
79.	जोडवा	193
80.	आजोदर	198
81.	मोखमपुरा	203
82.	मंडककला	205
83.	बडगांव	208
84.	भाटवास	202
85.	रामपुरा	201
86.	सूरजवाड़ा	171
87.	धूलिया धारनान	169

क. सं 1	ग्राम का नाम 2	कोड नं. 3
88.	रोडा	200
89.	धामसीन	206
90.	धानोल	192
91.	भंवरिया	191
92.	जैतपुरा	207
93.	रुपावटी	209
94.	बावनवाडा	210
95.	जालेरा कलां	177
96.	जालेरा खुर्द	178
97.	दईपुर	186
98.	मंत्रीवाडा	187
99.	रतनपुरा	189
100.	जाखडी	190
101.	मारुवाडा	188
102.	गॉंग	185
103.	पाल	179
104.	कूडा	182
105.	हुरसवाडा	183
106.	भडारडो	184
107.	सातरु	180
108.	करवाड़ा	136
109.	सेवाड़ा	181
110.	मोखातरा	135

प. स. आहोर - वर्ष 76-77

111.	काम्बा	17/2/72
112.	दूदिया	51
113.	गुढारामा	52
114.	बागुन्दा	34
115.	कोटडा	49
116.	वेडिया	47
117.	खाम्बी	37
118.	छांगाड़ी	17/2/48

Page No 404

क्र. स.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3
119.	पाचोटा	55
120.	ग्राकोरा पाडार	68
121.	उखरड़ा	67
122.	कंवला	58
123.	केराल	62
124.	मानपुरा	64
125.	नाखण	63
126.	चवरचा	113
127.	गांगावा	93
128.	दयालपुरा	100
129.	सुगालिया-बालोतान	119
130.	ग्रालावा सी	124
131.	पलासिया	126
132.	गोईन्दला	7
133.	खेडा धानारी	18
134.	चवरडा	25
135.	मोह्वीवाडा	20
136.	नोखा	22
137.	मालगढ़	24
138.	कुवारडा	19
139.	किशनगढ़	32
140.	मूलेवा	29
141.	चूण्डा	31
142.	रूण्डमाल	28
143.	खेडा सूलिया	27
144.	सुगालिया सिंघलान	57
145.	तरवाडा	54
146.	महेशपुरा	30
147.	रायथला	42
148.	कोरापा	16
149.	सांडन	40
150.	भवरानी	41
151.	बाला	13
152.	सुगालिया जोधा	15

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3
153.	नोसरा	36
154.	बावडी	39
155.	श्राईपुरा	38
156.	सराना	46
157.	नीलकण्ड	11
158.	सेलडी	6
159.	बाकली	5
160.	तोडमी	4
161.	खेड़ा कलां	17/2/3
162.	घाना	2
163.	बिजली	9
164.	भोरडा	10
165.	बखा	1
166.	रामा	8
167.	वारनी	35
168.	मंडला	69
169.	मोतीसरी	12
170.	कालोरापादर	14
171.	मोरी टोकरिया	21
172.	कुण्डली	23
173.	दुदरमाल उर्फ खेडासावरी	26
174.	आलावा (बी)	121
175.	आलावा (ए)	122
पं. स. सायला–वर्ष 76-77		
176.	तुरा	17/1/37
177.	आसाना	36
178.	बोरवाडा	33
179.	पोसाना	32
180.	उनडी	31
181.	माडकवाणा	28
182.	विशाला	29
183.	देता कलां	26
184.	देता खुर्द	27
185.	पुनराड़	24

Page No 406

क्र. स.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3
186.	कोमता	25
187.	चोराऊ	16
188.	पुनावास	18
189.	सुरापा	19
190.	हरमू	20
191.	नारवाड़ा	21
192.	तिलोडा	23
193.	दाधाल	22
194.	बालेरा	15
195.	मोकनीखेडा	14
196.	बाबतरा	13
197.	मेंगलवा	17
198.	भुन्डवा	11
199.	तालियाणा	12
200.	जीवाणा	4
201.	श्राकवा	17/1/6
202.	दूधवा	9
203.	सागाना	5
204.	श्रालवाडा	7
205.	खेतलावा	8
206.	दहीवा	3
207.	सिराणा	2
208.	खारी	1
209.	विराणा	39
210.	लोदराउ	35
211.	घनाणी	38
212.	थलवाड़	34
213.	पाथेडो	30
214.	बाकरा	63
215.	बेरठ	67
216.	कतरासन	60
217.	तडवा	68
218.	पिजोपुरा	69
219.	छिपी	57

क. सं. 1	ग्राम का नाम 2	कोड नं. 3
220.	नरसाना	52
221.	मूंडी	53
222.	रटून्जा	47
223.	निम्बलाना	48
284.	कोल्र	70
225.	खानपुर	71
226.	थलूण्डा	48
227.	कलापुरा	85
228.	खेडा गंगावा	10
प. स. जसवन्तपुरा-वर्ष 76-77		
229.	जोडवाडा	17/4/90
230.	सोमता	109
231.	सिणाधरा	113
232.	ग्राम्बातरी	114
233.	गांजीपुरा	76
234.	उचमत	164
235.	राजीकावास	119
236.	राजपुरा	154
237.	पंसेरी	167
238.	चेकला	156
239.	जसवन्तपुरा	162
240.	धानसा	49
241.	मोदरा	17/4/51
242.	गोला	93
243.	सिकवाडा	108
244.	चांदना	96
245.	तातोल	92
246.	बासडा गोगा	94
247.	कलापुरा	158
248.	कोलर	105
249.	भूगांव	104
250.	बीठण	103
251.	ग्राजबर	112
252.	धान्दूर	115

Page No 408

क. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3
253.	गोलाना	157
254.	पैदाना	116
255.	पावटी	117
256.	बीकणवास	159
257.	गजापुरा	160
258.	बाडा भवजी	163
259.	पादर	161
260.	मालपुरा	160
261.	लूर	88
262.	बासडा धनजी	91
263	सेरणा	50
264.	पहाडपुरा	121
265.	डोरडा	118
266.	मादरडा	85
267.	रतनपुरा	99
268.	भूतवास	98
269.	कारलू	122
270.	शिवगढ	153
271.	मनोहरजी का वास	120
272.	थाना माताजी	166
273.	पूरण	168
274.	डेडरी	149
275.	धानपुरा	150
276.	कोटडा	147
277.	दाँतलावास	155
278.	जाविया	165
प.स. सांचोरवर्ष 79-80		
279.	लाछडी	17/3/131
280.	आजूसर	130
281.	हुडेंतर	133
282.	फालाना	132
283.	मेडा जागीर	17/3/143
284.	सिद्धेश्वर	116

क. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3
285.	डबाल	117
286.	डडूसन	86
287.	कमालपुरा	115
288.	कारोला	113
289.	धमापा	114
290.	पालडी सोलकिया	88
291.	वरणपुरी	89
292.	डेडवा	90
293.	जाराल	91
294.	प्रतापपुर	126
295.	वडसम	145
296.	पथमेढा उर्फ पृथ्वीनेढा	144
297.	नैनोल	149
298.	पलादर	146
299.	तूणियासर	148
300.	विरोल	147
301.	पहाडपुरा	127
302.	गरडाली	125
303.	गोलासन	124
304.	कोड	123
305.	लालपुर उर्फ धाधला	127
306.	सीतू	122
307.	ग्रमार	17/3/128
308.	कीलवा	168
309.	धुडवा	120
310.	बासन चौहाना	84
311.	भडवता	119
312.	ग्रचलपुर	81
313.	वावरला	85
314.	छजारा	83
315.	वीछावाडी	82
316.	सरनाउ	140
317.	गुन्दाऊ	139
318.	वोढा	136

Page No 410

1	2	3
319.	गीरपुर	638
320.	खारा	737
321.	पालडी देवडान	753
322.	सांकड	554
323.	कुडा	652
324.	कान्टोल	542
325.	वासन देवडाम	455
326.	वाली	456
327.	वनदेव	17/3/157
328.	पांचला	151
329.	तेतरोल-देवड़ा	58
330.	टिटोव	161
331.	गजापुरा	160
332.	लाछीवाडा	162
333.	सुरावा	159
334.	दुगावा	158
335.	दांता	141
336.	नागोलडी	134
337.	पुर	135
338.	बलाना	110
339.	धान्ता	111
340.	डांगरा	112
341.	भादरूण	100
342.	सेली	57
343.	खिरोड़ी	95
344.	श्राकोली	94
345.	तेतरोल राठोडा	58
346.	पादरली	59
347.	सित्राडा	60
348.	देवडा	102
349.	भूतेल	103
350.	जेलातरा	104
351.	मूली	101

1	2	3
352.	साव	55
353.	निम्वाड़ा	54
354.	अनखोल	52
355.	जोधावास	53
356.	चोरा	99
357.	अरणाय	109
358.	लियादरा	107
359.	जेरोल	108
360.	वीजरोल	106
361.	पमाना	105
362.	करावड़ी	96
363.	भाडकुवा	97
364.	मालवाडा	93
365.	हरियाली	98
366.	परावा	92
उपखण्ड प-स. सायला–एस. पी. ए.—		
367.	थलूण्डा	17/1/48
368.	कोलर	70
369.	खानपुर	71
370.	कालापुरा	85
प. स. जालौर वर्ष 78–79		
371.	मादलपुरा	17/1/80
372.	रेवत	84
373.	नाराणावास	79
374.	धवला	77
375.	राजनवाडी	17/2/109
376.	कानीवाड़ा	108
377.	पोडगरा	102
378.	मेडा उपरला	17/1/78
379.	आडवाडा	103
380.	देलदरी	105
381.	बिवलसर	106
382.	देवाड़ा	109
383.	सुमेरगढ़	107

1	2	3
384.	नागनी	94
385.	देवदा	93
386.	नवी	96
387.	भेटाला	97
388.	नायलाबास	98
389.	बरलावास (तख्तपुरा)	100
390.	मेडा निचला	99
391.	भागली पुरोहितान	17/2/106
392.	देवकी	77
393.	देबावास	45
394.	बीछावाडी	85
395.	महेशपुरा	17/1/75
396.	सरदारगढ़	73
397.	पानवा	17/2/43
398.	ओडवाडा	44
399.	चुरा	17/1/87
400.	मौक	83
401.	सरत	88
402.	नून	89
403.	नरपड़ा	65
404.	भडगांव	66
405.	रानीवाड़ा	64
406.	डकातरा	86
आर. ई. सी.–सब–डिवीजन–जसवन्तपुरा		
407.	चक चन्दाना	17/1/95

प. स. सायला की एम. एन. पी. डी. श्रेणी की योजना के 5 नोन–पोटेन्शियल ग्रामों में से 4 ग्रामों में विद्युत भार में विकास होने पर ओ. एण्ड एम. सब-डिवीजन जालोर की एस. पी. ए. श्रेणी की योजना में 4 ग्राम पोटेन्शियल लिये गये। (क्र. सं. 367 से 370 तक)

सूची 'ब'

जालौर जिले में ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के स्वीकृति वर्ष तथा ग्रामों के विद्युतिकरण के (कार्यक्रम) फेजिंग की विवरण तालिका

क्र. सं.	योजना का नाम	श्रेणी	योजना का स्वीकृति माह/वर्ष	स्वीकृति योजनानुसार नये-पोटेन्शियल ग्रामों के विद्युतिकरण का वर्ष वार कार्यक्रम: प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	पंचम वर्ष	कुल ग्राम (5 से 10 तक)	योजना में स्वीकृत नोन-पोटेन्शियल ग्रामों की संख्या	योजना में कुल ग्रामों की संख्य (10+11)	योजना का कार्यकाल वर्षों में	31/3/82 तक उपलब्धी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	पं. स. जालौर	ग्रो ए.	नवम्बर, 79 (79-80)	10	14	12	—	--	36	--	36	5	12
2.	पं. स. भीनमाल	ग्रो. वी.	जुलाई, 74 (74-75)	17	22	--	--	--	39	20	59	5	39+20 नो. पो.
3.	पं. स. ग्राहोर	ग्रो. बी.	दिसम्बर, 77 (77-78)	21	21	18	--	—	60	5	65	5	60+5 नो. पो.
4.	पं. स. सांचोर	एस. यू.	सितम्बर, 79 (79-80)	42	35	00	—	--	88	--	88	5	25

Page No 414

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	पं. स. रानी-वाड़ा	एम. एन. पी. डी.	जुलाई, 76 (76-77)	25	16	10	—	—	51	—	51	5	51
6.	पं. स. जसवन्त पुरा	,,	दिसम्बर, 77 (77 78)	6	5	14	25	—	51	—	50	5	31
7.	पं. स. सायला	,,	,, ,,	—	11	22	15	—	48	5	53	5	19
8.	ओ एण्ड एम-उपखण्ड जालोर (पं. स. सायल) जालोर	एस. पी. ए-2	जनवरी, 80 (79-80)	4	—	—	—	—	41	−4 ×	4	3	—
9.	आर ई सी-उपखण्ड आहोर	,,	जनवरी, 80 (80-81)	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
10.	आर ई सी उपखण्ड जसवन्तपुरा (पं. स. जसवन्तपुरा)	एस. पी. ए-1	मार्च, 81 (80-81)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
11.	आर ई सी-उपखण्ड रानीवाड़ा (प. स. रानीवाड़ा)	एस. पी. ए-2	,,	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
12.	आर ई सी-ऊपखण्ड-भीनमाल (पं. स. भीनमाल)	,,	,,	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	ग्रो. एण्ड एम.-उपखण्ड-जालोर ग्राम रानीबाड़ाकला (पं. स. रानीवाड़ा)	हरिजन बस्ती	मार्च, 80 (79-80)	9 हरि. बस्तियां	....	....	....	....	....	...	9 हरिजन बस्तियां	1	9 हरिजन बस्तियां
14.	ग्रो. एण्ड एम. उपखण्ड जालोर ग्राम सियाना (प. स. नीवाड़ा)	,,	मार्च, 80 (79-80)	3 ,,	....	....	....	....	....	....	3 ,,	1	3 ,,
15.	ग्रो. एण्ड एम.-उपखण्ड जालोर	,,	अगस्त, 81 (81-82)	1 ,,	....	...	...	...	...	...	1 ,,	1	1...
16.	ग्रो. एण्ड एम-जालोर	,,	,,	5 ,,	...	....	...	...	...	...	5 ,,	1	...
	योग :... 1 से 16 तक			125+22 हरिजन बस्तियां	124	87	40	=	376	31-4	403+22 हरि. बस्तियां		263+12 हरिजन बस्तियां

× पं. स. सायकला की एक एम. एन. पी. डी. श्रेणी की योजना के 5 नोन-पोटेन्शियल ग्रामों में से 4 ग्रामों में विद्युत भार में विकास होने पर ग्रो. एण्ड एम. उपखण्ड जालोर की एस. पी. ए. श्रेणी की योजना में 4 ग्राम पोटेशियल ग्राम लिये गये हैं।

परिशिष्ट 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 321 की सूची

बीकानेर जिले में वर्ष 1980–81 एवं 81-82 में अकाल की स्थिति में लूनकरणसर सैनिक तोप अभ्यास क्षेत्र में करवाये गये कार्यों का विवरण

वर्ष 1980-81 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत करवाये गये कार्य

1.	मेरुमसर पशु चिकित्सालय भवन निर्माण		
2,	जागोर तालाब खुदाई कार्य		
3.	लिखमीसर	,,	,,
4.	हाथूसर	,,	,,
5.	मेरूसर	,,	,,

वर्ष 1981-82 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत करवाये गये कार्य

क्र. सं.	नाम कार्य		नाम ग्राम	नियोजित श्रमिक
1.	तालाब	खुदाई	मनेरा	404
2.	,,	,,	कुम्माना	466
3.	,,	,,	मोटासर	500
4.	,,	,,	मीरमाना	464
5.	,,	,,	मेरूसर	343
6.	,,	,,	मोटोलाई	556
7.	,,	,,	लखोर छोटी	241
8.	,,	,,	हाथूसर	184
9.	,,	,,	ककुरालिया	245
10.	,,	,,	लिखमीसर	247
11.	,,	,,	नाकरासर	79
12.	,,	,,	भोजरासर	296
13.	,,	,,	कुम्मासर	240
14.	,,	,,	ददेर	249
15.	,,	,,	कानोलाई	480
16.	,,	,,	रायमतवाली उर्फ	589
17.	,,	,,	रीण	
			योग	5583

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 325 की प्रति
राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर

क्रमांक :—एफ·1 (30) बी0 आर0/एल0 आर0/एल0 एस0 सी0/81-82/10981
दिनांक 5-11-81

निविदा सूचना

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पशुगणना प्रतिवेदन ग्रामवार का मुद्रण कार्य हेतु मुहरबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। मुद्रण कार्य 8 पाइन्ट इटेलिक व बोल्ड टाइप का है और 18 × 22 आकार में टेब्यूलर कार्य है। इसके अतिरिक्त जानकारी कार्यालय से प्राप्त हो सकेगी। निविदा दिनांक 25–11–81 को दोपहर बाद 3 बजे तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर) में दी जावे अथवा पहुँच जानी चाहिए। निविदाएं उसी दिन शाम 4 बजे निविदा प्रस्तुतकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष (जो उपस्थित होंगे अथवा नहीं) खोली जावेगी।

निविदा हेतु फार्म व छपाई का पूर्ण विवरण एवं शर्तें राजस्व मण्डल अजमेर से व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा रुपये 5– व और फीस निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी के रूप में 4000/– नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये जो संयुक्त निदेशक, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के नाम भरकर मण्डल के कैशियर के पास जमा करवाकर रसीद अथवा रसीद नम्बर एवं दिनांक निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा निविदा स्वतः रद्द मानी जावेगी।

संयुक्त निदेशक एवं पशुगणना अधिकारी,
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

"टेण्डर की शर्तें"

(1) प्रत्येक निविदादाता के टेन्डर के साथ रुपये 4000/– सिक्योरिटी नकद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करानी होगी। चैक स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यह राशि टेण्डर अस्वीकृत होने पर वापस लौटा दी जावेगी।

(2) निविदा स्वीकृत हो जाने पर जिस प्रेस की निविदा स्वीकृत होगी उसे कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य आदेश का 10 प्रतिशत धरोहर जमा करानी होगी। इस राशि में स्वीकृत निविदा के निविदादाता द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी शामिल है, इस कुल राशि पर मण्डल कार्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की ब्याज की राशि नहीं दी जावेगी।

(3) मुद्रण होने वाली सामग्री जो कि लगभग 6500 पृष्ठ तक हो सकती है, कम्पोजिंग कर ड्राफ्ट इस विभाग द्वारा अनुमोदित कराना होगा। मुद्रण के बाद ही इसे जिलेवार बाइण्ड कर देनी होगी।

(4) सामग्री मिलने के 28 फरवरी, 1982 तक मुद्रण कार्य समाप्त करना होगा।

(5) पीछे अंकित दरों के अलावा कोई पेशगी नहीं दी जावेगी।

(6) पीछे अंकित दरों के अलावा कोई अन्य व्यय या टैक्स आदि राजस्व मण्डल नहीं देगा।

(7) मुद्रण हेतु कागज इस कार्यालय से दिया जावेगा परन्तु इस कार्यालय से प्रेस तक कागज ले जाने का व्यय एवं पुस्तक छापने के बाद पुस्तक को कार्यालय तक पहुंचाने का व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। यदि राजकीय मुद्रणालय से कागज कार्यालय में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्यालय द्वारा कागज की सप्लाई सम्भव नहीं हो सकेगी उस स्थिति में निविदादाता को स्वय की तरफ से कागज वांछित साइज का उपलब्ध कराना होगा जिसकी कीमत भी निविदा फार्म में यथा स्थान अंकित करनी होगी। कागज का पूरा हिसाब देना होगा। वेस्टेज के लिए एक प्रतिशत से अधिक कागज नहीं दिया जायेगा।

(8) मुद्रण कार्य में विलम्ब होने, मुद्रण त्रुटि होने या कार्य सन्तोषजनक न होने पर होने वाली हानि का दण्ड का दायित्व निविदादाता पर होगा। इसके लिए निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। हानि दण्ड की राशि धरोहर राशि या बिल से काटी जा सकेगी।

(9) टैक्स के साथ यदि कोई ब्लाक छपेगा तो उसके लिए अतिरिक्त व्यय नहीं दिया जावेगा।

(10) कार्य सन्तोषजनक न होने पर अनुबन्ध किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता को होगा ।

(11) निविदादाता व इस कार्यालय के बीच कोई विवाद खड़ा हो जाने पर पुस्तक के लिये गठित समिति द्वारा विचार किये जाने के उपरान्त निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा निर्णय लिया जायेगा वह अंतिम होगा ।

(12) निविदादाता से आयकर एवं बिक्रीकर के बकाया न होने का प्रमाण पत्र मय संबंधित सर्कल अधिकारी से प्राप्त प्रेषित करना होगा इसके बिना कोई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी ।

(13) तमाम वैधानिक समस्याएं यदि किसी तरह की पैदा होती हैं तो दोनों ही पार्टी को तरफ से (राज्य सरकार को निविदादाता) न्यायालय क्षेत्र अजमेर ही रहेगा ।

(14) यदि निविदादाता अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से निविद सम्बन्धी प्रचार करता हुआ पाया गया तो उनकी निविदा निरस्त की जावेगी।

(15) निविदादाता का टेण्डर स्वीकृत होने के पश्चात् किसी अन्य को अपने स्तर का कार्य का ठेका नहीं दे सकेगा ।

(16) उक्त शर्तों के अलावा कोई शर्तें मान्य नहीं होंगी ।

निबंधक,
राजस्व मण्डल, राजस्थान
अजमेर ।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER.

COMPARATIVE STATEMENT

Items		Chawla Printers, New Khailand Market, Ajmer.	Keshav Art Printers, Hathi Bhata, Ajmer.	Print House, Babu Mohalla Ajmer.	Fine Art Printing Press, Ajmer.	Modern Printing House, Ajmer.	Time Printing Press, Ajmer.	Job Printing Press, Ajmer.
1		2	3	4	5	6	7	8
1. Composing-Imposing								
Perform of	8 Pages.	424.00	424.00	480.00	350.08	440.00	424.00	424.00
-do-	4 Pages.	212.00	212.00	240.00	175.04	220.00	212.00	212.00
-do-	2 Pages.	106.00	106.00	120.00	87.52	110.00	106.00	106.00
-do-	1 Pages.	53.00	53.00	60.00	43.76	55.00	53.00	53.00
2. Printing work per 100 copies.								
1. Ordinary page per form	8 Pages.	40.00	40.00	80.00	60.00	80.00	40.00	40:00
2. -do-	4 Pages.	20.00	20.00	40.00	30.00	40.00	20.00	20.00
3. -do-	2 Pages.	10.00	10.00	30.00	15.00	40.00	10.00	10.00
4. -do-	1 Pages.	5.40	2.00	25.00	7.00	20.00	5,00	5.00

1	2	3	4	5	6	7	8
(2) Printing on Art Paper							
perform 2 Pages.	100.00	100.00	40.00	10.00	40.00	100.00	100.00
-do- 1 Pages.	50.00	50.00	30.00	10.00	20.00	50.00	50.00
(5) Block Printing Half Tone or cut off or line block.	—	—	30.00	15.00	30.00	—	—
3. Cover Composing & Printing							
1. Composing 4 pages.	120.00	120.00	60.00	10.00	80.00	120.00	120.00
2. 1 & 4 page in one Colour.	20.00	20.00	40.00	15.00	30.00	20.00	20.00
1 & 4 -do- 2 -do-	60.00	60.00	80.00	30.00	80.00	60.00	60.00
1 & 4 -do- 3 -do-	100.00	100.00	120.00	45.00	150.00	100.00	100.00
3. 2 & 3 -do- 1 Colour	20.00	20.00	40.00	10.00	25.00	20.00	20.00
2 & 3 -do- 2 -do-	60.00	60.00	80.00	20.00	60.00	60.00	60.00
2 & 3 -do- 3 -do-	100.00	100.00	120.00	30.00	120.00	100.00	100.00
4. Binding with cover posting.	2.00 (per page)	2.00 (per page)	12.00 (for 4 pages)	8.00 (per form of 4 pages or part thereof)	10.00 (for 4 pages)	2.00 (per page)	2.00 (per page)
5. Block making per Sq. Cms. with S.T.							
1. Half Tone Block.	0.30 (M.M. Charges Rs. 20/-)	0.30 (M.M. Charges Rs. 20/-)	0.30 (per Sq. cms)	0.25 (per Sq. cms)	0.30 (per Sq. cms)	0.30 (per Sq. cms)	0.30 (ber Sq. cms)

1	2	3	4	5	6	7	8
2. Line Block	0.30 (M.M. Charges Rs. 20/-)	0.30 (M.M. Charges Rs. 20/-)	0.25 (per Sq. cms)	0.22 (per Sq. cms)	0.28 (per Sq. cms)	0.30 (per Sq. cms)	0.30 (per Sq. cms)
6. Paper size 18×22 per rim.	80.00 (1.6 Kg. Orient. (2) 9.0 Kg. J.K. 115.00	80.00 (1)7.6 Kg. Orient. (2) 9.0 Kg. J.K. 115,00	85.00 (1)7.6 Kg. Orient. with Printing.	78.00 (1)7.6 Kg. Orient. (2) Mepelitho 12.5 Kg. J.K. 190.00	85.00 (1)7.6 Kg. Orient	80.00 (1)7.6 Kg. Orient. (2) 9.0 Kg. J.K. 115.00	80.00 (1)7.6 Kg. Orient. (2) 9.0 Kg. JK- 115.00
1. White Print per rim.	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-
2. Cartage paper per rim.	—	—	Card Sheet J.K. per	22×28 12.5 (कार्ड शीट कवर हेतु) J.K. 1.50 per sheet. J.K. 250/- Blank pages, if any will be charged full.	12.5 Kg. (कार्ड शीट कवर हेतु)	—	—
Remarks if any.	उक्त कार्य अन्य प्रेसों से भी कराने की अनुमति दी जावे ।	कार्य अधिक है अतः अन्य प्रेसों से कराने की अनुमति दी जावे ।				We can Print 2000 pages and if given permission to get it Print from other presses we can do the full work. यह कार्य हमें अन्य प्रेसों से भी कराने की अनुमति दी जावे ।	

परिशिष्ट 16

अतारांकित प्रश्न संख्या 326 की सूची

तहसील प्रतापगढ़ में पेयजल हेतु स्वीकृत गांवों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	जनसंख्या	योजना का नाम	स्वीकृत वर्ष
1.	अबेरपुरा	246	633	हैण्ड पम्प	1980-81
2.	बजरंगगढ़	244	655	"	"
3.	अचलपुरा	189	645	"	"
4.	बागवास	104	522	"	"
5.	दालुम	124	587	"	"
6.	जोलर	110	551	"	"
7.	मनोहरगढ़	210	603	"	"
8.	कमलपुरिया	203	620	"	"
9.	मोता धामनिया	369	787	"	"
10.	सावरिया	156	515	"	"
11.	डाबरा	166	506	"	"
12.	देवाड़	226	561	"	"
13.	कल्याणपुरा	160	593	"	"
14.	नानारोडा	100	734	"	"
15.	नागही	434	651	"	"
16.	असवता	243	499	"	"
17.	वमोतोर	146	326	"	"
18.	गोपालपुरा	125	327	"	"
19.	करोली	209	315	"	"
20.	कैरवास	253	351	"	"
21.	कोतवाल	199	496	"	"
22.	लालगढ़	344	200	"	"
23.	लखरिया	144	454	"	"
24.	मुंगरी	139	354	"	"
25.	मानपुरा	220	382	"	"
26.	सामली पाथोर	132	461	"	"
27.	बडोदिया	236	307	"	"
28.	गडदोडी	165	499	"	"
29.	अन्दगोरा	127	252	"	"
30.	वानरी खुरा	219	257	"	"

Page No 424

1	2	3	4	5	6
31.	धामा खेडी	154	254	हैण्ड पम्प	1980-81
32.	घोरमागरी	143	292	,,	,,
33.	सरदारपुरा	479	257	,,	1981–82
34.	हिंगेनिया	126	178	,,	,,
35.	बेरी	131	169	,,	,,
36,	बोरी	149	955	,,	,,
37.	भदावेली	136	169	,,	,,
38.	प्रयागजी का पत्थर	142	227	,,	,,
39.	पधलान	161	351	,,	,,
40.	कर्मादी खैरा	185	179	,,	,,
41.	रघुनाथपुरा	183	229	,,	,,
42.	भाजी का पत्थर	192	168	,,	,,
43.	सीतानगरी	194	311	,,	,,
44.	धमाना डूंगरी	206	240	,l	,,
45.	धातोर	212	233	,,	,,
46.	तिमकाश	216	231	,,	,,
47.	क्रिमावर	221	174	,,	,,
48.	धनिया	227	499	,,	,,
49.	बसैरा	229	463	,,	,,
50.	बांगरिया	239	262	,,	,,
51.	बमाली खैरा	262	282	,,	,,
52.	मैदीखैरा	282	187	,,	,,
53.	खैमपुरिया	276	152	,,	,,
54.	धमेरी	279	200	,,	,,
55.	बाराखैरी	331	307	,,	,,
56.	धधांवनिया	341	153	,,	,,
57.	बन्जारी	360	253	,,	,,
58.	पग्दनी	395	410	,,	,,
59.	बारोदी	406	273	,,	,,
60.	उखैला	432	173	,,	,,
61.	मचून्डला	467	199	,,	,,
62.	लालाखैरी	505	270	,,	,,
63.	बैरं	522	246	,,	,,
64.	मोरजार	171	173	,,	,,

•

Page No 425

1	2	3	4	5	6
65.	मोतीखरी	350	224	हैण्ड पम्प	1981-82
66.	राचोरालिया	130	121	,,	,,
67.	घिमाभीया	153	145	,,	,,
68.	सलामगढ़	186	113	,,	,,
69.	धारणी	190	104	,,	,,
70.	राजेसरिया	120	114	,,	,,
71.	पाण्डिया	264	130	,,	,,

टिप्पणी :— वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 के दौरान तहसील प्रतापगढ़ में कोई भी ग्राम परम्परागत जल स्रोत योजना के तहत स्वीकृत नहीं हुआ ।

परिशिष्ट (अ)

वर्ष 1981-82 में तहसील प्रतापगढ़ में लाभान्वित ग्रामों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड सं.	लगाये गये हैण्डपम्पों की संख्या
1.	लुहारिया	144	3
2,	दमा केडी	!54	2
3.	अरनोद	345	3
4.	दलोड़	474	1
5.	सलामगढ़	186	3
6.	सेवाना	465	2
7.	खेडमगरी	143	2
8.	बजरंगगढ़	244	3
9.	मनोहरगढ़	210	2
10.	मानपुरा	220	2
11.	अखेपुरा	246	1
12.	रामपुरीया	203	4
13.	अचलपुरा	189	2
14.	अगौरा	127	2
15.	बगवास	104	3
		कुल	35

परिशिष्ट 17

अतारांकित प्रश्न संख्या 327 की सूची

तहसील जैतारण में अगस्त, 1982 तक लाभान्वित ग्रामों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	योजना का नाम
1	2	3	4
1.	आनन्दपुर कालू	23	पाइप्ड जल योजना
2.	वालुन्डा	14	,,
3.	आगेवा	49	,,
4.	वलारा	62	,,
5.	रास	05	,,
6.	जैतारण	55	क्षेत्रीय जल योजना
7.	निम्बाज	90	,,
8.	लाम्बिया	67	,,
9.	खार्चिया	10	,,
10.	कनवालिया	12	,,
11.	भेड़	39	,,
12.	जाजनवास	43	,,
13.	पेवा	45	,,
14.	राजडन्ड	44	,,
15.	लाकासनी	42	,,
16.	पृथ्वीपुरा	40	,,
17.	रानावास कलां	22	,,
18.	रानावास खुर्द	21	,,
19.	लाटोरी	20	,,
20.	ठाकरावास	31	परम्परागत जल स्रोत योजना
21.	खिनोंरी	50	,,
22.	धीरोल	33	,,
23.	बीकेली	23	,,
24.	कांचा	16	,,
25.	मालपुरिया कलां	24	,,
26.	भाखरावास	50	,,
27.	रानीवाल	76	,,
28.	लुनावास कलां	01	,,
29.	केरा महाराजपुरा	09	,,

1	2	3	4
30.	डिगारना	1	ग्राईडल ट्यूब वैल हैण्ड पम्प योजना
31.	टालकिया	29	,,
32.	जुजान्डा	55	,,
33.	रावडिया	66	,,
34.	कोटारिया	79	,,
35.	पीपालियास	20	,,
36.	केकिन्द्रा	70	,,
37.	कालका	4	,,
38.	लितारिया	17	,,
39.	घोडावास	72	,,
40.	रवीन्डावास	70	,,
41.	पालियास	04	,,
42.	डागला	94	,,
43.	घोडावास	26	,,
44.	कुराडिया	32	,,

जैतारण तहसील के स्वीकृत ग्रामों की सूची

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड न.	योजना का नाम
1.	सिनला	2	हैण्ड पम्प योजना
2.	खनाड़ी	3	क्षेत्रीय जल योजना
3.	पीपाड़ा	5	,,
4.	ग्राकोडिया	7	,,
5.	टिगारा	8	,,
6.	वनसास	9	,,
7.	कानावास	15	विस्तार क्षेत्रीय जल योजना
8.	निम्वाल	10	पम्प एण्ड टैंक योजना
9.	वन्ता कुड़ी	25	विस्तार क्षेत्रीय जल योजना
10.	नन्दावास	27	हैण्ड पम्प योजना
11.	गरनिया	37	पम्प एण्ड टैंक योजना
12.	देवरिया	47	,,
13.	कुरकी	77	,,
14.	बसी चैनपुरा	01	विस्तार क्षेत्रीय जल योजना
15.	दारलाडा	00	पम्प एण्ड टैंक योजना
16.	चावंडिया	40	परम्परागत जल स्रोत योजना

जैतारण तहसील के उन ग्रामों की सूची जिनकी कोई योजना नहीं बनाई गई :–

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	योजना का नाम
1.	खाती खेड़ा	35	
2.	वोगासनी	19	एन. पी.
3.	फूलमाल	60	एन. पी.
4.	विरमपुरी	92	एन. पी.
5.	खेड़ा मालावास	11	गैर आबाद ग्राम
6.	सामावास	34	,,
7.	बेर खुर्द	38	,,
8.	भाखर वासनी	41	,,
9.	लुम्बड़ावास	46	,,
10.	हिंगोनिया	63	,,
11.	देवरिया राजपुतान	82	,,
12.	खेड़ा नैनपुरा	83	,,
13.	रतनपुरा	52	,,

Page No 431

जैतारण तहसील के स्वीकृति हेतु प्रस्तावित ग्रामों की सूची :—

क्र. सं.	गांव का नाम	कोड नं.	योजना का नाम
1.	पाटुस एवं चक	30	विस्तार योजना जैतारण
2.	जाडावास	50	हैण्ड पम्प योजना
3.	हुनावास खुर्द	53	,,
4.	जनासनी	56	विस्तार योजना गागावास
5.	सफावास	57	,,
6.	लासनी	61	विस्तार योजना आसरलाई
7.	गयास	64	क्षेत्रीय जल योजना
8.	पन्सापुरा	65	,,
9.	गंगालिया	68	,,
10.	लिखमनिया	69	,,
11.	नीम्बलिया	71	,,
12.	अमरपुरा	73	,,
13.	वालूपुरा	74	,,
14.	कटमोर दौलपुरा	75	,,
15.	धमरिया	76	,,
16.	सेवारिया	00	पम्प एवं टैंक योजना
17.	समोखी	91	विस्तार योजना निम्बाज
18.	भोराई	93	हैण्ड पम्प योजना
19.	टूंकड़ा	06	,,
20.	निम्बेड़ा खुर्द	07	,,
21.	टीबड़ी	6	,,

परिशिष्ट-18

अतारांकित प्रश्न 332 की सूची

राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर

जयपुर तथा राजस्थान के विभिन्न शहरों में पंजीकृत विधायकों की सूची

क. सं.	नाम व पता	श्रेणी	शहर
1	2	3	4
1.	श्री अमरा राम चौधरी, वार्ड नं. 113 गांधी पुरा बालोतरा, बाड़मेर।	मध्यम आय वर्ग 'ब'	जयपुर
2.	श्री असलम खान 2/1 विधायक नगर, जयपुर।	,,	,,
3.	श्री भैरू सिंह गुर्जर 4/3 विधायक नगर, जयपुर।	,,	,,
4.	श्री भूपाल सिंह, पी. ओ. बड़ोली माधोसिंह तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़	,,	,,
5.	श्री चेतराम, ग्राम मसरा कसर पी. ओ. बोराई जिला भरतपुर, राज.।	,,	,,
6.	श्री धारा राम फुलमारिया, जटियों का मोहल्ला समदड़ी पी. ओ. समदड़ी जिला बाड़मेर	,,	,,
7.	श्री फतेह सिंह, कमरा नं0 41, विधायक निवास, जयपुर।	,,	,,
8.	श्री गोकुलचन्द्र शर्मा, 3/1 विधायक नगर जयपुर	,,	,,
9.	श्री गोपाल पचेरवाल, प्लाट नं. 15 विधायक निवास, जयपुर।	,,	,,
10.	श्री हंसराज शर्मा, विधायक, सवाई माधोपुर	,,	,,
11.	श्री जगदीश तिवाड़ी, मार्फत जिला कांग्रेस, देवड़ी जी का मन्दिर जौहरी बाजार, जयपुर।	,,	,,
12.	श्री मोहन लाल जाट, मु0 पो0 उसरोत वाया भोपालसागर जिला, चित्तौड़गढ़	,,	,,
13.	श्री मांगी लाल आर्य, 383-ए, सिविल लाइन, जयपुर		
14.	श्री नरपत राम बरबड़, 7/1, विधायक नगर जयपुर।	,,	,,
15.	श्री रामरावत, ग्राम चिमनपुरा, तहसील कोटपूतली	,,	,,
16.	श्री रामलाल गुर्जर 4/2, विधायक नगर, जयपुर।	,,	,,

1	2	3	4
17.	श्री रंग जी मीणा, ग्राम जोड़ाली तह. सपोटरा जिला सवाईमाधोपुर।	मध्यम आय वर्ग 'ब'	जयपुर
18.	श्री सूरजपाल सिंह, 6/4 विधायक नगर, जयपुर।	,,	,,
19.	श्री शिवदान सिंह राठौड़, 4/1 विधायक नगर, जयपुर	,,	,,
20.	श्री सुरजा राम टोंक, मु. पो. मेनता, तह. नोखा जिला-बीकानेर	,, ,,	,, ,,
21.	श्री त्रिलोक सिंह, बी-4, एम. एल. ए. क्वार्टस, जयपुर।	,,	,,
22.	श्री उम्मेद सिंह, बी-3, एम. एल. ए. क्वार्टर्स, जयपुर।	,,	,,
23.	श्री कुंजी लाल, बामनवास, पट्टी कला सवाईमाधोपुर।	,,	,,
24.	श्री बालचन्द्र आर्यवीर, 1/4, विधायक नगर, विद्युत मार्ग, जयपुर।	,,	,,
25.	श्री नाना लाल, मु0 पो0 कुरज, जिला उदयपुर।	,,	,,
26.	श्री रामपाल उपाध्याय, हरिजन मोहल्ला, गंगापुर, जिला भीलवाड़ा।	,,	,,
27.	श्री राम किशोर मीणा, 2/5, विधायक नगर, जयपुर।	,,	,,
28.	श्री राम प्रसाद, 11 विधायक पुरी, जयपुर।	,,	,,
29.	श्री नारायण सिंह, 22, विधायक पुरी. जयपुर।	,,	,,
30.	श्री नाथू राम डैंडोर, 20, विधायक पुरी, जयपुर।	,,	,,
31.	श्री नाथूराम आहारी, 82, विधायक निवास, जयपुर।	,,	,,
32.	श्री मेघराज तावड़, गांव जावरमाता, तह. मिखा जिला उदयपुर।	,,	,,
33.	श्री हाजी चांद खां, ग्राम गाजका पो. खण्डेवला, जिला भरतपुर।	,,	,,
34.	श्री गोविन्द सिंह, प्लैट नं. 5, एम0 एल0 ए0 होस्टल, एम. आई. रोड, जयपुर।	,,	,,
35.	श्री भरोसी लाल जाटव, स्टेशन रोड, हिण्डौन जिला सवाईमाधोपुर।	,,	,,
35.	श्री अहमद बक्श सिंधी, 380, सिविल लाइन्स जयपुर।	,,	,,

1	2	3	4
	37. श्री अमर चन्द, 13, विधायक पुरी, जयपुर	मध्यम आय वर्ग "अ"	जयपुर
	38. श्री बाबू लाल बैरवा	मध्यम आय वर्ग "ब"	,,
	39. श्री कमला भाई मीणा	,,	,,
	40. श्री अब्दुल रहमान चौधरी, गुणवती रोड, चौधरी नगर मकराना, जिला नागौर	उच्च आय वर्ग	,,
	41. श्री आत्माराम चौधरी, 7/6, विधायक पुरी, जयपुर।	,,	,,
	42. श्री भालू खां, ग्रा. पो. सहजसर जिला व तहसील चूरू।	,,	,,
	43. श्री भवर लाल मेघवाल, नयाबास, सुजानगढ़ जिला चूरू।	,,	,,
	44. श्रीमती भगवती देवी, 385 "ए", सिविल लाइन जयपुर।	,,	,,
	45. श्री भगवान दास शास्त्री, न्यू 38/633, नला बाजार, अजमेर।	,,	,,
	46. श्री बुलाकी दास कल्ला, नई कल्लों की गली, बीकानेर।	,,	,,
	47. श्री भैरू लाल मीणा, मार्फत राजस्थान इंटक कार्यालय, एम. आई. रोड, जयपुर।	,,	,,
	48. श्री चन्द्र वीर सिंह, मार्फत मदिर पलाल, जैसलमेर।	,,	,,
	49. श्री दीपेन्द्र सिंह, ग्राम मऊ, तह. श्री माधोपुर, जिला सीकर (राज.)।	,,	,,
	50. श्री द्वारका प्रसाद, 2/3 विधायक नगर, जयपुर।	,,	,,
	51. श्री गोविन्द आमलिया, 7/5, विधायक नगर, जयपुर।	,,	,,
	52. श्री हरी सिंह, 6/5 विधायक नगर, जयपुर।	,,	,,
	53. श्री जगतार सिंह कंग 2/7, विधायक नगर, जयपुर।	,,	,,
	54. श्री जय कृष्ण शर्मा, 2, हास्पीटल रोड, जयपुर।	,,	,,
	55. श्री केसरी चन्द चौधरी, 54, महावीर कालोनी, अजमेर।	,,	,,
	56. श्री खेतराम चौधरी, ग्रा. दल्चातर, तह. श्री डूंगरगढ़, जिला चूरू।	,,	,,
	57. श्रीमती कमला मीणा, 4/4, विधायक नगर, जयपुर	,,	,,

Page No 435

1	2	3	4
58.	श्री लच्छुराम, ग्राम पोस्ट कोदेसर, वाया बिसाऊ जिला झुन्झुनू ।	उच्च आय वर्ग	जयपुर
59.	श्री मुराद खां, ग्राम-पांचरोली, पो. सीकरी, तह. कामां, भरतपुर ।	,,	,,
60.	श्री महादेव सिंह, क्वा. 4, विधायक पुरी, जयपुर ।	,,	,,
61.	श्री नाथूसिंह, 3/3, विधायक नगर, जयपुर ।	,,	,,
62.	,, पोलूराम प्लैट नं. 9, विधायक निवास जयपुर ।	,,	,,
63.	,, राधेश्याम. प्लैट नं. 1, विधायक निवास जयपुर ।	,,	,,
64.	,, रामदेव सिंह, 4/5, विधायक नगर, जयपुर ।	,,	,,
65.	,, रामेश्वर लाल चौधरी, काला भाटा की ढाणी, कुचामन सिटी, जिला नागौर ।	,,	,,
66	श्री समरथ लाल मीणा, डी-93, ग्रम्बाबाड़ी, जयपुर ।	,,	,,
67.	,, शीश राम ग्रोला, 384, सिविल लाइन, जयपुर ।	,,	,,
68.	,, सोहन लाल बन्सीवाल, ग्राइस फैक्ट्री, दौसा ।	,,	,,
69.	,, सुजान सिंह यादव, राष्ट्रीय मार्ग नं. 8, बहरोड़, जिला ग्रलवर ।	,,	,,
70.	श्री शिवचरण माथुर, ए- 87, श्याम नगर, ग्रजमेर । रोड, जयपुर ।	,,	,,
71.	श्री शिव सिंह रावत, 87, विधायक निवास जयपुर ।	,,	,,
72.	,, सुन्दर लाल, कमरा, नं. 67, विधायक निवास जयपुर ।	,,	,,
73.	श्री शोभराज मल, प्रताप नगर, चित्तौड़गढ़ ।	,,	,,
74.	, सुनील विश्नोई, बी-7, एम. एल. ए. क्वार्टर्स, जयपुर ।	,,	,,
75.	श्री तेजपाल यादव, मार्फत श्री नाथू लाल यादव, डी-168, बापू नगर, जयपुर	,,	,,
76.	श्री घनश्याम, मु. पो. बेगू, जिला चित्तौड़गढ ।	,,	,,
77.	,, हरि सिंह मु. पो. खेरला बजर्ग, तह. महुग्रा, जिला सवाईमाधोपुर ।	,,	,,
78.	श्री ईश्वर लाल सैनी, सैनी कॉटेज, विनय मार्ग, ग्रलवर ।	,,	,,
79.	श्री जीवराज सिंह राठौड़, प्लैट नं. 23, विधायक पुरी, जयपुर ।	,,	,,

1	2	3	4
80.	श्री जगन्नाथ पहाड़िया, 9, विवेकानन्द मार्ग, जयपुर ।	उच्च आय वर्ग	जयपुर
81.	,, नरेन्द्र सिंह भाटी, 48 सिविल लाइन, जयपुर ।	,,	,,
82.	,, भंवर सिंह शेखावत, बी-18, एम. एल. ए. क्वार्टर्स, जयपुर ।	,,	,,
83.	,, राम कंवार बैरवा, 1/2, विधायक नगर, जयपुर ।	,,	,,
84	श्री मोहन लाल शर्मा, फ्लैट नं. 16, विधायक निवास जयपुर ।		
85.	श्री माणक मल मेहता, 18, सिविल हाउस, जयपुर ।	,,	,,
86.	श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, बी-385, सिविल लाइन्स जयपुर ।	,,	,,
87.	श्री प्रद्युम्न सिंह, 9 विधायक पुरी, जयपुर ।	,,	,,
88.	श्रीमती सूरज देवी मल्होत्रा, 1-24, डी कबीर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर ।	,,	,,
89.	श्री बनवारी लाल शर्मा, जगन भवन धौलपुर ।	,,	,,
90.	श्री भरत लाल मीणा, ग्रा. पो. बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर ।		
91.	श्री छोगालाल कंवरिया, 43/34, विनय नगर, दादाबाड़ी के पास, अजमेर ।		
92.	श्री देवी सिंह भाटी, 5/8 विधायक नगर, जयपुर ।		
93.	श्री दुला राम, 381 सिविल लाइन, जयपुर ।	,,	,,
94.	श्री घनश्याम तिवाड़ी, शीतला का बास, सीकर ।	,,	,,
95.	,, कैलाश चन्द मेघवाल, सी-6, एम. एल. ए. क्वाटर्स, जयपुर ।	,,	,,
96.	श्रीमती कमला, 13 सिविल लाइन्स जयपुर ।	,,	,,
97.	श्री लक्ष्मी नारायण भांभु, 7/6, विधायक नगर, जयपुर ।	,,	,,
98.	श्री महेन्द्र सिंह, 1/1 विधायक नगर, ज्योति नगर, जयपुर ।	,,	,,
99.	श्री परस राम मोर्दिया, 13, बी, एम. एल. ए. क्वाटर्स, जयपुर ।	,,	,,
100.	,, सैय्यद मोहम्मद अय्या महाराज, महाराज हाउस इमाम बाड़ा दरगाह शरीफ, अजमेर ।	,,	!

1	2	3	4
101.	श्री पूंजी लाल खाराड़ी, फ्लैट नं 8, विधायक निवास, जयपुर ।	उच्च ग्रांय वर्ग	जयपुर
102.	श्री रतन लाल ताम्बी, रूम नं. 17, सर्किट हाउस, जयपुर ।	"	"
103.	श्री रामरघुनाथ चौधरी, सी-3, एम. एल. ए. क्वार्टर्स एम. भाई रोड, जयपुर ।	"	"
104.	श्री उदयराय धाकड़, ग्राम- खरदेवला, तह. बडीसादड़ी जिला चित्तौड़गढ़	"	"
105.	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, ग्रा. पो. गुढ़ा गोरजी, जिला झुन्झुनू	"	"
106.	श्री घासी राम यादव, 18 'ए', सिविल लाइन, जयपुर ।	"	"
107.	श्री महावीर प्रसाद ।	"	"
108.	श्री राम सिंह, विश्नोई ।	"	"
109.	श्री विष्णु प्रकाश	"	"
110.	श्री हर सहाय मीणा	"	"
111.	श्रीमती विद्या पाठक, बी-43, गोविन्द मार्ग, राजापार्क, जयपुर ।	"	कोटा
112.	श्री राम किशन वर्मा, 11, राम सिंह रोड, बड़े अस्पताल के सामने, जयपुर ।	"	"
113.	श्री अनंग कुमार जैन, मंगलपुरा, झालावाड़ ।	मध्यम ग्रांथ वर्ग 'अ'	जयपुर
114.	श्री भैरू लाल रानीपुरिया, पो. तहाला, ग्राम-रानीपुरिया, अकलेरा जिला झालावाड़ ।	"	"
115.	श्री छोगा लाल बाकोलिया, 12, विधायक पुरी, जयपुर ।	"	"

परिशिष्ट 19

अतारांकित प्रश्न संख्या 335 की सूचियां

परिशिष्ट "अ"

प्रधान खनिज के विचाराधीन आवेदन पत्रों की सूची 15-8-82 तक

क. सं.	आवेदक का नाम	आवेदन पत्र की तिथि	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4
1.	श्री शरद बाजोरिया	7.8.81	10-00 वर्ग मीटर
2.	,, भंवरी लाल सेठी	31.8.81	135-00 एकड़
3.	,, खत्री मिनरल ग्राइंडिग इण्डस्ट्रीज	9.9.81	91-00 हैक्टर
4.	,, शेर मोहम्मद	17.9.81	70-00 हैक्टर
5.	,, मोहनसिंह पंवार	8.7.81	306-25 हैक्टर
6.	,, हरजीनाथ	24.7.81	34-00 हैक्टर
7.	,, राधेश्याम चावडा	28.11.81	280-63 हैक्टर
8.	,, राधेश्याम चावडा	28.11.81	215-75 हैक्टर
9.	,, कल्याणमल टांक	1.1.82	60-00 हैक्टर
10.	,, काबरा मिनरल	1.1.82	200-00 हैक्टर
11.	,, कन्हैयालाल राठौड	11.1.82	87-50 हैक्टर
12.	,, बालमुकुन्द सोनी	19.1.82	142-00 हैक्टर
13.	,, गौरीनारायणी–खनिज उद्योग प्रो. श्री नेमीचन्द मुंदा	17.2.82	200-00 हैक्टर
14.	,, गौरीनारायणी–खनिज उद्योग प्रो. नेमीचन्द मुंदा	17.2.82	300-00 हैक्टर
15.	,, कैलाश चन्द जैन	20.2.82	320-00 एकड़
16.	,, अभयराज पदावत	8.3.82	100-00 एकड़
17.	,, अभयराज पदावत	8.3.82	75-00 हैक्टर
18.	,, अभयराज पदावत	8.3.82	40-00 हैक्टर
19.	,, जे. के. मिनरल	13.4.82	194-25 हैक्टर
20.	,, कल्याणमल टांक एण्ड संस	15.5.82	233-10 हैक्टर
21.	,, शिवराज महेश्वरी	17.5.82	100-00 हैक्टर
22.	,, केसरी मिनरल	15.1.82	135-90 हैक्टर
23.	,, हिन्दुस्तान माइका एण्ड मिनरल श्री शान्तिलाल जैन	26.2.82	143-74 हैक्टर

Page No 439

1	2	3	4
24.	,, भाभरी मिनरल	1.4.82	150-00 हैक्टर
25.	,, रतनलाल	13.5.82	215-32 हैक्टर
26.	,, जे. के. मिनरल	13.4.82	194-25 हैक्टर
27.	,, माइनिंग एण्ड मिनरल इण्डस्ट्रीज प्रो. ए. के. सेठी	13.5.82	259-00 हैक्टर
28.	,, गणपतलाल दण्डी	6.2.82	172-66 हैक्टर
29.	,, ओमप्रकाश	15.2.82	80-00 हैक्टर
30.	,, ई. जी. पामजी	17.12.81	34 11 हैक्टर
31.	,, मानसिंह बागले	17.12.81	132-34 हैक्टर
32.	,, रामप्रसाद अग्रवाल	27.2.82	125-00 हैक्टर
33.	,, दुर्गा मिनरल	5.5.82	150-00 हैक्टर
34.	,, सत्यनारायण गर्ग	16.9.81	36-00 हैक्टर
35.	,, अरविंद मिनरल	11.1.82	120-00 हैक्टर
36.	,, हरिशंकर शर्मा	14.5.82	200-00 हैक्टर
37.	,, रहीम बक्श	21.6.82	264-39 हैक्टर
38.	,, सोहनलाल नागौरा	26.6.82	70-00 हैक्टर
39.	श्रीमती सुशीला जैन	5.7.82	35-00 हैक्टर
40.	श्री प्रताप कामर्शियल	11.5.82	80-00 एकड़
41.	,, माहेश्वरी मिनरल प्रो. श्री महेशकुमार लढ़ा	6.7.82	50-00 हैक्टर
42.	श्री कृष्णकान्त वर्मा	22.7.82	563-16 हैक्टर
43.	,, ओमप्रकाश सोलंकी	23.2.82	266-66 एकड़
44.	,, मै. नरेन्द्र मिनरल	11.1.82	110-50 हैक्टर
45.	,, रामप्रसाद अग्रवाल	20.3.82	893-00 हैक्टर
46.	,, राधेश्याम चावड़ा	8.12.81	172-41 हैक्टर

परिशिष्ट 'ब'

दिनांक 15–8–82 को अप्रधान खनिज के विचाराधीन
आवेदन पत्रों की सूची :--

क्र. सं.	आवेदक का नाम	आवेदन पत्र की तिथि	आवेदित क्षेत्र का क्षेत्रफल
1	2	3	4
1.	श्रीमती फूला देवी	19.2.82	200-200 वर्गमीटर
2.	श्री अब्दुल सलाम	9.9.81	150-150 वर्गमीटर
3.	,, सीमेन्ट लिमिटेड, जयपुर	22.3.82	300-100 वर्गमीटर
4.	,, सीमेन्ट लिमिटेड, जयपुर	22.3.82	300-100 वर्गमीटर
5.	,, युधिष्ठर बुलानी	21.4.82	60-120 वर्गमीटर
6.	श्रीमती वीणा दौलतराम	22.4.82	300-150 वर्गमीटर
7.	श्री बनवारी लाल अग्रवाल	5.5.82	60-150 वर्गमीटर
8.	,, कैलाशचन्द्र अग्रवाल	5.5.82	60-120 वर्गमीटर
9.	,, मधुसूदनसिंह	15.5.82	90-60 वर्गमीटर
10.	श्रीमती वीना दौलतराम	22.4.82	300-150 वर्गमीटर
11.	श्री रतनलाल शर्मा	28.4.82	90-60 वर्गमीटर
12.	,, रतनलाल वैष्णव	15.5.82	700-700 वर्गमीटर
13.	,, रतनलाल शर्मा	27.5.82	120-60 वर्गमीटर
14.	,, रतनलाल शर्मा	27.5.82	150-80 वर्गमीटर
15.	,, छगनलाल	5.6.82	60-60 वर्गमीटर
16.	,, शिवप्रसाद छापरवाल	8.6.82	60-120 वर्गमीटर
17.	,, श्रवणलाल माली	31.5.82	60-60 वर्गमीटर
18.	श्रीमती शशि गुप्ता	8.6.82	700-200 वर्गमीटर
19.	श्री हरिशचन्द्र सिन्धी	9.6.82	100-60 वर्गमीटर
20.	,, कमलसिंह रावत	15.6.82	90-60 वर्गमीटर
21.	,, नरेन्द्रसिंह रावत	19.6.82	60-60 वर्गमीटर
22.	,, किशोर रैगर	19.6.82	60-60 वर्गमीटर
23.	,, महेश्वरी मिनरल	6.7.82	60-60 वर्गमीटर
24.	,, महेश्वरी मिनरल्स	6.7.82	100-60 वर्गमीटर
25.	,, बाबूलाल बावरी	6.7.85	90-60 वर्गमीटर
26.	,, बाबूलाल बावरी	6.7.82	90-60 वर्गमीटर
27.	,, मुकुट बिहारी बिरला	6.7.82	90-120 वर्गमीटर
28.	,, उत्तमचन्द लुनावत	12.7.82	60-60 वर्गमीटर
29.	,, बाधा गुजर	12.7.82	60-60 वर्गमीटर

1	2	3	4
30.	श्री सुरजमल गुजर	19.7.82	60-60 वर्गमीटर
31.	,, बुद्धालाल बैरवा	19.7.82	60-60 वर्गमीटर
32.	,, बृजभूषण मित्तल	19.7.82	60-60 वर्गमीटर
33.	,, बृजभूषण मित्तल	19.7 82	201-08/201-0 वर्गमीटर
34.	,, रहमान चीता	24.7.82	60-60 वर्गमीटर
35.	,, महेन्द्रसिंह	26.7.82	11-50 वर्ग किलो मीटर
36.	,, रघुवीर शरण	27.7.82	120.60 वर्गमीटर
37.	,, जगदीशचन्द्र कोटिया	27.7.82	200-130 वर्गमीटर
38.	,, जगदीश चन्द्र कोटिया	27.7.82	150-75 वर्गमीटर
39.	. रघुवीर शरण	27.7.82	125-80 वर्गमीटर
40.	,, जगदीश चन्द्र कोटिया	27.7.82	200-150 वर्गमीटर
41.	,, जगदीश चन्द्र कोटिया	27.7.82	200-100 वर्गमीटर
42.	,, जगदीश चन्द्र कोटिया	27.7.82	100-75 वर्गमीटर
43.	,, जगदीश चन्द्र कोटिया	27.7.82	200-100 वर्गमीटर
44	,, जगदीश चन्द्र कोटिया	27.7.82	150-90 वर्गमीटर
45.	, जगदीश चन्द्र कोटिया	27.7.82	200-90 वर्गमीटर
46.	, जगदीश चन्द्र कोटिया	27.7 82	200-90 वर्गमीटर
47.	,, जगदीश चन्द्र कोटिया	27.7.82	120-60 वर्गमीटर
48.	,, जगदीश चन्द्र कोटिया	27.7.82	150-60 वर्गमीटर
49.	,, सालिगराम शुक्ला	27.7.82	120-60 वर्गमीटर
50.	,, रघुवीर शरण	27.7.82	90-60 वर्गमीटर
51.	,, रघुवीर शरण	27.7.82	120-60 वर्गमीटर
52.	,, घीसा भम्भी	3.8.82	60-60 वर्गमीटर
53.	,, कानाराम चमार	3.8.82	60-60 वर्गमीटर
54.	,, मदनलाल	3.8.82	60-60 वर्गमीटर
55.	,, लादूर	3.8.82	60-60 वर्गमीटर

परिशिष्ट (स)

दिनांक 15-8-82 को परमिटों के निम्न आवेदन-पत्र विचाराधीन थे :-

क. सं.	आवेदक का नाम	आवेदन की तिथि	क्षेत्र का विवरण
1.	मै. यू. एस. ए. बिल्डर्स	14-7-81	चौरसियावास
2.	श्री मदनचंद गंगवाल	30-11-81	कल्याणीपुरा, हटुण्डी, बीर
3.	श्री मदनचंद गंगवाल	30-11-81	कल्याणीपुरा, नारोली, फाईसागर, हटुण्डी
4.	श्री राजन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	16-1-82	आवेदित खनन क्षेत्र का वर्णन नहीं है।
5.	श्री चावला कन्सट्रक्शन कं.	18-2-82	नारेली
6.	श्री होतचंद	6-3-82	वर्णन नहीं है।
7.	श्री बालूराम	14-4-82	टिकावड़ा, बन्दिया, गोदियाना
8.	श्री कमालुद्दीन	24-4-82	केकड़ी
9.	श्री कमालुद्दीन	24-4-82	केकड़ी
10.	शकुन्तला देवी माथुर	7-5-82	चश्मानाल, दौराई
11.	श्री नारायण सिंह	28-5-82	शिखरानी
12.	श्री मोती कन्स्ट्रक्शन	14-6-82	मुणाबाय, फाइसागर
13.	श्री हरदास आसूदानी	14-6-82	नाल क्वारी
14.	श्री सुजानमल गदिया	14-6-82	तिलाना, परवतपुरा
15.	मै. श्री सीमेन्ट प्राइवेट लि.	10-8-82	अन्धेरी देवरी माता

परिशिष्ट "व" भाग –1

वित्तीय वर्ष 1980-81 में प्राप्त प्रधान खनिज के खारिज आवेदन पत्रों की सूची :—

क्र. सं.	आवेदनकर्ता का नाम	आवेदन क्षेत्र खारिज होने की तिथि	आवेदन पत्र खारिज होने का कारण
1	2	3	4
1.	श्री कानमल मोदी, ब्यावर	10-1-81	आवेदक की क्षेत्र लेने की रुचि नहीं होने के कारण रद्द की गई।
2.	श्री शरद बाजोरिया, कलकत्ता	10-6-81	प्रार्थी द्वारा वैध अनुमोदन प्रमाण-पत्र व लेटर आफ इनडेन्ट प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण।
3.	श्री कैलाश चन्द जैन, भीलवाड़ा	10-8-81	स्वत: अस्वीकृत श्रेणी में आने के कारण।
4.	श्री मगनमल के. नागदा, अजमेर	19-8-81	स्वत: अस्वीकृत श्रेणी में आने के कारण।
5.	श्री मगनलाल के. नागदा, अजमेर	19-8-81	स्वत: अस्वीकृत श्रेणी में आने के कारण।
6.	श्री राजकुमार भगत, अजमेर	14-9-81	स्वत: अस्वीकृत श्रेणी में आने के कारण।
7.	श्री सौभागमल गोलेछा, ब्यावर	30-5-81	आवेदक की क्षेत्र लेने की रुचि नहीं होने से अस्वीकृत की गई।
8.	श्री राजकुमार भगत, अजमेर	17-8-81	आवेदक की क्षेत्र लेने की रुचि नहीं होने से अस्वीकृत की गई।
9.	श्री हरीशंकर शर्मा, मांगलियावास	27-12-80	आवेदित क्षेत्र निर्धारित स्वीकृत योग्य क्षेत्र से कम होने से।

परिशिष्ट (द) भाग-2

वित्तीय वर्ष 1981-82 में प्राप्त प्रधान खनिज के खारिज आवेदन-पत्रों की सूची :--

1	2	3	4
1.	श्री चम्पालाल सोलंकी	15-3-82	स्वत: अस्वीकृत माना गया ।

परिशिष्ट (द) भाग-3

वित्तीय वर्ष 1982 में प्राप्त प्रधान खनिज के खारिज आवेदन-पत्रों की सूची

1.	हाइरोक मिनरल्स प्रा. लि.	2-6-82	आवेदक वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा ।
2.	श्री दुर्गाप्रसाद साबू	29-6 82	आवेदक पूर्वेक्षण खर्चे की राशि एक मुश्त जमा कराने को तैयार नहीं होने से खारिज की गई ।
3.	श्री रामावतार गुप्ता	1-7-82	पब्लिक सेक्टर में डोलोमाईट देने का प्रावधान नहीं है ।
4.	श्री कमलेश कुमार अग्रवाल	14-6-82	पार्टी ने बकाया का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया के कारण ।
5.	श्री हरीशंकर शर्मा	28-4-82	आवेदक द्वारा आवेदित क्षेत्र अनुदान हेतु मुक्त नहीं होने से खारिज किया गया ।

परिशिष्ट घ भाग-1

वित्तीय वर्ष 1980-81, 81-82 में प्राप्त अप्रधान खनिज के खारिज किये गये आवेदन-पत्रों की सूची

1.	श्री रामपाल रेगर	26-7-80	रिनिवल प्रार्थना-पत्र नियमानुसार अवधि पश्चात् प्रस्तुत करने के कारण ।
2.	श्री रामा पुत्र लादु डुमाडा	16-8-80	आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में रही कमियों की पूर्ति न करने के कारण एवं रिजर्व फोरेस्ट में पड़ने के कारण ।

1	2	3	4
3.	श्री रामा पुत्र लादु मकराना	23-8-82	क्षेत्र रिजर्व फोरेस्ट में पड़ने के कारण वन विभाग को एन. ओ. सी. प्रदान करने हेतु लिखा गया जो कि प्राप्त न होने पर नियमानुसार नौ माह पश्चात् आवेदन-पत्र डीम टू हैव बीन रिफ्यूज हो गया।
4.	श्री रामा पुत्र लादू मकराना	23-8-82	,, ,, ,,
5.	श्री सुवालाल पुत्र गिरधारी लाल मामी, नि. केसरपुरा अजमेर।	3-4-81	आवेदित क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्र में पड़ने के कारण मण्डल वन अधिकारी द्वारा एन. ओ. सी. प्रदान करने से इन्कार करने के कारण।
6.	श्री सुनील कुमार अरोड़ा	14-4-81	चूंकि आवेदक क्रेशर लगाना चाहता था, चुनाई पत्थर के खनन पट्टों के लिये आवंटित करने हेतु निर्धारित श्रेणी में न आने के कारण।
7.	श्री छीतर पुत्र लाखा रावत	4-4-81	जिलाधीश को एन. ओ. सी. बाबत लिखा गया जो प्राप्त नहीं हुई। आवेदित क्षेत्र का निरीक्षण करने पर पाया गया कि क्षेत्र आरक्षित वन खण्ड में पड़ता है चूंकि आरक्षित क्षेत्र (वन) में खनन पटटें नहीं दिया जाता है। इस वजह से आवेदन पत्र खारिज किया गया।
8.	श्री बालू मामी पुत्र नन्दा	12-4-81	आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में रही कमियों की पूर्ति करने में असमर्थ रहने के कारण खारिज किया।

1	2	3	4
9.	श्री छगनलाल पुत्र कालूराम	13-4-81	आवेदित क्षेत्र का पुनः निरीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदित आरक्षित वन खण्ड में पड़ता है व मण्डल वन अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 31-3-81 से वन क्षेत्र में खनन पट्टा देने से इन्कार किया है। अतः आवेदन पत्र खारिज किया गया है।
10.	श्री बूटीराम पंजाबी	17-8-80	स्वतः अस्वीकृत श्रेणी में आने के कारण व आवेदित क्षेत्र का परिनिरीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदित क्षेत्र आरक्षित वन खण्ड में पड़ता है व मण्डल वन अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 31-3-81 से वन क्षेत्र में खनन पट्टा देने से इन्कार किया है। अतः आवेदन पत्र खारिज किया गया।
11.	श्री सुवालाल	20-2-81	आवेदित क्षेत्र का पुनर्निरीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदित क्षेत्र आरक्षित वन खण्ड में पड़ता है व मण्डल वन अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 31-3-81 से वन क्षेत्र में खनन पट्टा देने से इन्कार किया है। अतः आवेदन पत्र खारिज किया जाता है।
12.	श्री छगनलाल पुत्र कालूराम जाटव	13-4-81	आवेदित क्षेत्र का पुनः निरीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदित क्षेत्र आरक्षित वन खण्ड में पड़ता है व मण्डल वन अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 31-3-81 से वन क्षेत्र में खनन पट्टा देने से इन्कार किया है अतः आवेदन पत्र खारिज किया गया है।
13.	श्री कायमअली पुत्र अब्दुल रहमान	12-6-81	आवेदक ने आवेदन पत्र में रही कमियों की पूर्ति करने में असफलता दिखाई, इसलिये खारिज।

1	2	3	4
14.	श्री नवाब अली पुत्र अब्दुल रहमान	12-6-81	आवेदक ने आवेदन पत्र में रही कमियों की पूर्ति करने में असफलता दिखाई, इस कारण ।
15.	,, हरलाल पुत्र लादू बलाई	12-6-81	,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
16.	,, मांगीलाल पुत्र रामदयाल	23-4-81	रिजर्व फोरेस्ट में पड़ने के कारण ।
17.	,, रामा पुत्र भोलू बलाई	12-6-81	आवेदक आवेदन पत्र में रही पूर्ति करने में असफल रहने के कारण ।
18.	,, महेश कुमार गोड़	13-4-81	आवेदन चुनाई पत्थर हेतु निर्धारित श्रेणियों में न होने के कारण खारिज किया गया ।
19.	,, कैलाश चन्द्र	14-2-81	आवेदक आवेदन पत्र में रही कमियों की पूर्ति करने में असमर्थ रहने के कारण खारिज की गई ।
20.	,, महेन्द्र कुमार नाहठा	14-3-81	आवेदक आवेदन पत्र मे रही कमियां की पूर्ति करने में असमर्थ रहने के कारण खारिज की गई ।
21.	,, रामचन्द्र माली	4-4-81	आवेदित क्षेत्र आरक्षित वन खण्ड में पड़ने के कारण ।
22.	,, रमेश चन्द्र पुत्र गबरू	4-4-81	,, ,, ,, ,, ,, ,,
23.	,, दुर्गासिंह पुत्र हीरासिंह	23-4-81	आवेदक आवेदन पत्र में रही कमियों की पूर्ति करने में असफल रहने के कारण खारिज किया गया ।
24.	,, पन्ना पुत्र भीमा रावत	23-4-81	आवेदक ने आवेदन पत्र में रही कमियां की पूर्ति करने में असमर्थता दिखाई अतः खारिज किया गया ।

1	2	3	4
25.	श्री मोहन राम अहीर	23-4-81	आरक्षित वन में पड़ने के कारण।
26.	,, मोहन राम अहीर	23-4-81	,, ,, ,, ,,
27.	,, मोहन राम अहीर	23-4-81	,, ,, ,, ,,
28.	,, मुन्शीलाल जाट	28-8-81	आवेदक के आवेदन पत्र वापस लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के कारण खारिज किया गया।
29.	,, राजेन्द्र बागड़ी	5-10-81	डीम टू हैवबीन रिफ्यूज्ड हो गया।
30.	,, सरवण रेगर	28-8-81	आवेदित क्षेत्र आरक्षित वन खण्ड में पड़ने के कारण वन मण्डल अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 31-3-81 में वन क्षेत्र में खनन पट्टा न देने के कारण।
31.	श्री मती पुष्पादेवी पत्नि श्री नाथुराम बावरी	13-1-81	आवेदक आवेदन पत्र में रही कमियों की पूर्ति करने में असफल रही इस कारण आवेदन पत्र खारिज किया गया।
32.	श्री मंगाराम पुत्र पेसाराम मकराना	13-1-81	एजन
33.	,, दिनेश गोयल पुत्र रामदीन गोयल	15-1-81	,,
34.	,, मंगाराम पुत्र रामचन्द्र नायक	,,	,,
35.	,, बद्री नारायण पुत्र रामजीवन लाखेटिया	17-1-81	डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड हो गया।

Page No 449

1	2	3	4
36.	श्री मनोहर लाल जोशी पुत्र बंशीलाल	31-1-81	आवेदक आवेदन पत्र में रही कमियों की पूर्ति करने में असफल रहा।
37.	„ सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल व्यास नागोर	„	एजन
38.	„ गोमाराम पुत्र मोटाराम चौधरी	„	„
39.	„ बाबूराम „ टिकूराम नागोर	„	„
40.	„ वासदेव „ रघुनाथ व्यास	„	„
41.	„ मो. इस्माईल पुत्र मो. शरीफ	2-2-81	„
42.	„ गुलजारीलाल „ बन्शीधर गुप्ता	4-2-81	„
43.	„ प्रेमचन्द्र पुत्र श्री लखीचन्द्र टॉक	27-1-81	„
44.	„ उम्मेदसिंह पुत्र विजय सिंह	„	„
45.	„ उगमाराम „ मागूराम जाट	29-1-81	„
46.	„ „ „ „ „	„	„
47.	„ कैलाश चन्द्र पुत्र बंशीलाल	31-1-81	„
48.	„ नन्द किशोर „ भंवरलाल	„	„
49.	„ मनोहर लाल नागोर	„	„
50.	„ उमरखान पुत्र करीम खां	17-2-81	„

1	2	3	4
51.	श्री भंवरू खां पुत्र उमरखां	17-2-81	एजन
52.	,, उमरखां पुत्र करीम खान	,,	आवेदक ने आवेदन पत्र में रही कमियों की पूर्ति करने में असफल रहा।
53.	,, भंवरु खां पुत्र उमरखान	,,	,,
54.	,, मूलचन्द कुमावत	23-2-81	,,
55.	,, हरदेव पत्र मोती भील	23-2-81	,,
56.	,, ,, ,, ,,	,,	,,
57.	,, मधुसुदन पुत्र भंवर लाल व्यास	2-3-81	,,
58.	,, मंगलचन्द पुत्र श्री जमना लाल व्यास	,,	,,
59.	,, रमेश चन्द्र पुत्र श्री मोहन लाल	7-3-81	,,
60.	,, ,, ,, ,, ,,	,,	आवेदित क्षेत्र रिक्त न होने के कारण।
61.	,, ओम प्रकाश पुत्र बाबूलाल शर्मा	,,	एजन
62.	,, आनन्द प्रकाश	11-3-81	,,
63.	,, श्रवण लाल गहलोत	12-3-81	डीम्ड टू हैव बीन रिफ्यूज्ड हो गया है।
64.	,, पुष्कर लाल पुरोहित	19-3-81	आवेदित क्षेत्र रिक्त न होने के कारण।

परिशिष्ट (छ) भाग–11

वित्तीय वर्ष 1981–82 में प्राप्त अप्रधान खनिज के खारिज आवेदन पत्रों की सूची: —

क्र. सं. 1	आवेदक का नाम 2	खारिज होने की तिथि 3	विवरण 4
1.	श्री गजानन्द खटीक	9–9–81	आवेदन पत्र में रही कमियों की पूर्ति पार्टी द्वारा नहीं किये जाने के कारण ।
2.	,, युवराज सिंह	31–12–81	आवेदन पत्र में रही कमियों की पूर्ति पार्टी द्वारा नहीं किये जाने के कारण ।
3.	,, चन्द्र दास	28–8–81	आवेदन पत्र की कमियों को पार्टी द्वारा पूर्ति नहीं किये जाने से खारिज ।
4.	,, छगनसिंह रावत	30–12–81	आवेदित क्षेत्र आरक्षित वन खण्ड में होने व वन विभाग से स्वीकृति नहीं मिलने से खारिज ।
5.	,, अशोक कुमार खण्डेलावल	30–12–81	,, ,, ,, ,,
6.	,, शिव रमेश चन्द डालमी	20–1–82	नगर परिषद् से अनापत्ति प्रमाणपत्र को पेश करने में पार्टी असमर्थ रही इसलिये खारिज ।
7.	कल्पना स्टोन्स	30–1–81	पार्टी द्वारा क्षेत्र में अनाधिकृत कार्य करने से बनने वाली रकम जमा नहीं कराने से आवेदन पत्र खारिज ।

1	2	3	4
8.	श्री पुष्कर लाल पुरोहित	9-9-81	पार्टी द्वारा आवेदन पत्र वापस लेने के कारण खारिज।
9.	श्रीमती सुमित्रा पारीक	9-9-81	,, ,, से ,, ,,
10.	श्रीमती सुमित्रा पारीक	9-9-81	आवेदन पत्र को विड्रा करने से खारिज किया गया।
11.	श्री मोती पुत्र देवाचीता	30-4-82	आवेदन पत्र में कमियों का निवारण करने हेतु पार्टी को लिखा जाने पर भी पूर्ति न करने से खारिज।
12.	,, मोहनलाल श्रीमाल	12-8-81	,, ,, ,, ,, ,,
13.	,, घासीलाल माली	16-6-82	स्वतः अस्वीकृत की श्रेणी में आने के कारण।
14.	,, रामलाल माली	16-6-82	,, ,, ,,
15.	,, सूवालाल भावी	29-1-82	आवेदित क्षेत्र आरक्षित वन खण्ड में पड़ने के कारण व वन विभाग से स्वीकृति नहीं मिलने से खारिज।
16.	,, प्रभूराम चौधरी	4-7-82	आवेदन पत्र वापस लेने से खारिज।
17.	,, इनामी मारबल उद्योग	4-7-82	,, ,, ,,
18.	श्री सूरजमल चौधरी	6-7-82	आवेदित क्षेत्र न्यूनतम क्षेत्र से कम होने से पार्टी की न्यूनतम क्षेत्र का लगान देने हेतु सहमति चाही गई थी लेकिन पार्टी से कोई जवाब प्राप्त नहीं होने से खारिज।
19.	,, मोती पुत्र देवा चीता	6-7-82	नगर परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र पेश नहीं करने से खारिज।

1	2	3	4
20.	श्री नरेन्द्र कुमार डाढ़ी	20-4-82	आवेदित क्षेत्र रिक्त नहीं होने से खारिज ।
21.	,, रामलाल चौधरी	8-7-82	आवेदित क्षेत्र की स्थिति आवेदन पत्र में सही नहीं दर्शाये जाने के कारण खारिज ।
22.	,, सीमेन्ट लि.	30-4-82	आवेदित क्षेत्र रिक्त नहीं होने से खारिज ।
23.	,, सीमेन्ट लि.	2-8-82	पार्टी द्वारा क्षेत्र को नहीं लिये जाने के कारण खारिज ।
24.	,, सहजराम	8-7-82	पार्टी द्वारा बकाया का प्रमाण पत्र नहीं पेश करने के कारण खारिज ।
25.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	8-7-82	,, ,, ,, ,, ,,
26.	श्री पुसाराम चौधरी	29-1-82	आवेदक द्वारा खनन पट्टा नहीं लेने से खारिज ।
27.	,, रामपाल रेगर	6-7-82	पार्टी द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र पेश करने हेतु लिखे जाने के बाद भी पेश नहीं करने के कारण ।
28.	,, रामपाल रेगर	6-7-82	,, ,, ,, ,, ,,
29.	,, हरीओमबीर सिंह	26-7-82	पार्टी द्वारा शपथ पत्र पेश नहीं करने के कारण खारिज ।
30.	,, अभय कुमार जैन	6-7-82	आवेदित क्षेत्र न्यूनतम क्षेत्र से कम होने पर आवेदक से न्यूनतम लगान दिये जाने हेतु सहमति चाही थी लेकिन पार्टी ने इसकी पालना नहीं की इसलिए खारिज ।
31.	,, सुरेश चन्द जैन	30-4-82	आवेदित क्षेत्र रिक्त नहीं होने से खारिज ।

1	2	3	4
32.	श्री रामपाल रेगर	6-7-82	आवेदन पत्र में पाई गई कमियों की पूर्ति पार्टी द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने के कारण खारिज ।
33.	,, रामपाल रेगर	6-7-82	,, ,, ,, ,, ,,
34.	,, मगना भाभी	30-4-82	आवेदित क्षेत्र आरक्षित वन खण्ड में पड़ने से खारिज ।
35.	,, छोतर रावत	8-7-82	,, ,, ,, ,,
36.	,, भगूराम जाट	26-7-82	आवेदित क्षेत्र रिक्त नहीं होने से खारिज ।
37.	,, रामपाल रेगर	26-7-82	आवेदन पत्र में आवश्यक पूर्ति करने हेतु पार्टी को पत्र लिखा गया परन्तु पूर्ति नहीं की गई ।
38.	,, रामावतार गुप्ता	27-7-82	पार्टी ने क्षेत्र को नहीं लेने हेतु आवेदन पत्र पेश किया इसलिये खारिज ।
39.	,, लक्ष्मणसिंह माली	26-7-82	आवेदन पत्र राजस्थान अप्रधान रियायत नियम, 1977 के नियम 7 (3) में चुनाई पत्थर के लिये निर्धारित श्रेणियों में किसी में भी नहीं आने से खारिज ।
40.	मैं. डीडवाना कार. लि.	26-7-82	आवेदन पत्र में रही कमियों हेतु पार्टी को लिखे जाने पर भी कमियों की पूर्ति नहीं करने के कारण खारिज ।

परिशिष्ट (घ) भाग — 3

वित्तीय वर्ष 1982 में प्राप्त अप्रधान खनिज आवेदन पत्रों की सूची

1.	शिवशक्ति सीमेन्ट उ.	26-7-82	आवेदित क्षेत्र रिक्त नहीं होने से खारिज।
2.	शिवशक्ति सीमेन्ट उ.	26-7-82	आवेदक आवेदन पत्र में रही कमियों की पालना नहीं करने से खारिज।
3.	श्री रणजीत सिंह	26-7-82	आवेदित क्षेत्र आरक्षित वन खण्ड में होने से खारिज।
4.	श्रीमती कांता मित्तल	26-7-82	आवेदित क्षेत्र को पार्टी ने निरस्त कराने हेतु निवेदन किया था इसलिये खारिज किया गया।

परिशिष्ट 20

अतारांकित प्रश्न 345 की सूचना

डाक बंगला का नाम	आई. ए. एस. अधिकारी का नाम	डाक बंगले में विश्राम के दिन
1	2	3
अजमेर	1. श्री ओ. पी. जोशी उप शासन सचिव, गृह विभाग, राज.	2
	2. श्री एस. एन. थानवी आई. ए. एस.	2
रेस्ट हाउस नाथद्वारा	1. श्री जे. पी. सिंह जिलाधीश, उदयपुर।	2
	2. डा. ए. के. बनर्जी रीजनल निदेशक, भारतीय सरकार।	2
	3. श्री आर. एल. परमार उप जिलाधीश, खनिज, उदयपुर।	6
	4. श्री आर. जे. मजीठिया अकाल आयुक्त, राज., जयपुर।	2
	5. श्री रवी माथुर आई. ए. एस.	370
	6. श्री श्याम लाल शर्मा उप आयुक्त, एक्साइज	4
	7. श्री अशोक कुमार अति. जिलाधीश, उदयपुर।	1
सवाई माधोपुर	श्री एस. अहमद जिलाधीश, सवाई माधोपुर।	5
गंगानगर	,, ,,	2
	,, ,,	2
हिण्डौन	श्री रामेश्वर सिंह	3
	जिलाधीश, सवाई माधोपुर।	2
	श्री एस. अहमद	2
	जिलाधीश, सवाई माधोपुर।	1
		3
		2
		3

Page No 457

1	2	3
कोलायत	श्री एम. के. खन्ना	2
	जिलाधीश, बीकानेर ।	2
किशनगढ़	1. श्री अशोक सम्पतराम	2
	आई. ए. एस. कलेक्टर, अजमेर	
		5
		5
		5
		3
	2. श्री एम. एल. परिहार	2
	जिलाधीश, पाली	
	3. श्री नरेश कुमार माहेश्वरी, ए. डी. एम., जयपुर।	1
	4. श्री ए. के. गुप्ता	5
	सहायक जिलाधीश	
	5. श्री एम. एल. परिहार	4
	जिलाधीश, पाली	2
	6. श्री एस. एन. थानवी	3
	जिलाधीश, पाली	3
	7. श्री एस. एन. यादव	3
	आई. ए. एस. अवर सचिव, मिनिस्टर ऑफ	
	एग्रीकल्चर ।	
	8. श्री रोहतास आर, आई. ए. एस.	3
केकड़ी	1. श्री डी. सी. सामन्त	
	जिलाधीश, अजमेर	
	2. श्री एस. एन. थानवी	387
	अति. जिलाधीश, अजमेर ।	5
		2
ब्यावर	1. श्री आर. सी. रूंगटा	2
	आई. ए. एस.	
	2. श्री एस. एन. थानवी	3
	आई. ए. एस.	
	3. श्री संजय डी. गुप्ता	2
	आई. ए. एस.	
	4. श्री वी. के. मल्होत्रा, आई. ए. एस,	2
	5. श्री एस. एन. थानवी, आई ए. एस.	2

1	2	3
	6. श्री सी. डी. आर्य, आई. ए. एस.	
	7. श्री आर. एन. मीणा, आई. ए. एस.	2
	8. श्रीमती निलीमा जोहरी, आई. ए. एस.	2
	9. श्री गणेश भट्ट, आई. ए. एस.	2
	10. श्री रणजीत सिंह कुम्भट, आई. ए. एस.	1
	11. श्री के. एल. कोठारी, आई. ए. एस.	1
	12. श्री एस. एन. थानवी, आई. ए. एस.	2
बरल (विजयनगर)	1. श्री वाई. एन. चतुर्वेदी आई. ए. एस.	1
धौलपुर	श्री आर. डी. गुप्ता, आई. ए. एस.	3
		2
		3
		3
नागौर	1. श्री पी. सी. सिंघवी, उप शासन सचिव	1
	2. श्री विजय कुमार, कमिश्नर डेजर्ट डवलपमेन्ट, जोधपुर	1
	3. श्री बी. एन. डोडियाल, शासन सचिव, खनिज विभाग	1
	4. श्री जेड. एम. खान, विकास आयुक्त	2
टौंक	1. श्री एम. सी. मोदी, निदेशक, उद्योग	3
	2. श्री उम्मेदसिंह, निदेशक, भेड़ व ऊन	2
	3. श्री एस. सी. भंडारी, जिलाधीश, टौंक	9
	4. श्री योगेन्द्रसिंह, चिकित्सा आयुक्त	2
	5. श्री आर. सी. शर्मा, वेलफेयर आयुक्त, भारत सरकार	2
	6. श्री के. एम. हल्दिया, उपनिदेशक, स्वास्थ्य	3
	7. श्री प्रशान्त सेन, उप सचिव, गृह भारत	2
	8, श्री रूकमणी हल्दिया, जिलाधीश, टौंक	6
मालपुरा	1. श्री एस. पी. भंडारी, जिलाधीश टौंक	3
अलीगढ़	1. श्री एस. पी. भंडारी, जिलाधीश टौंक	2
देवली	1. श्री ओ. पी. श्रीवास्तव, निदेशक, अल्प बचत	2
	श्री एस. पी. भंडारी, जिलाधीश, टौंक	2
भरतपुर	1. श्री पी. के. देव, ए. डी. एम. भरतपुर	2
	2. श्री पी. के. देव, ,, ,,	1

1	2	3
डीग	1. श्री जे. एस. कुमार, स्पेशल सैक्रेट्री, मेडिकल	1
	2. श्री आर. डी. गुप्ता, जिलाधीश, भरतपुर	2
	3. ,, ,, ,,	2
	4. ,, ,, ,,	3
वैर	1. भवानी सिंह, देवस्थान, आयुक्त	2
नगर, कामां	निल	
चाकसू	निल	
बून्दी	निल	
प्रतापगढ़	1. श्री बी. पी. आर्य, आई. ए. एस. जिलाधीश, चित्तौड़	2
		1
		1
		1
		367
	o	1
		1
		1
	2. श्री रमाकान्त, आई. ए. एस., आयुक्त टीएडी	2
	3. श्री बी. पी. आर्य, आई. ए. एस. जिलाधीश, चित्तौड़	2
मारवाड़ जं.	शून्य	
सोजत	,,	
सोजत रोड	,,	
बर	1. श्री के. एल. मीणा, जिलाधीश, पाली	1 दिन
पाली	1. श्री विजय वर्मा, आई. ए. एस.	9 दिन
	2. श्री विजय वर्मा ,,	9 दिन
	3. श्री एम. डी. कोरानी ,,	1 दिन
	4. श्री के. वी. शंकरन ,,	2 दिन
	5. श्री के. वी. शंकरन ,,	1 दिन
	6. श्री सी. डी. आड़ा	1 दिन
	7. श्री के. वी. शंकरन आई. ए. एस.	1 दिन
सांडराव	शून्य	
देसूरी	,,	
सादड़ी	,,	
उदयपुर	,,	

Page No 460

1	2	3
हनुमानगढ़ जं.	1. मिस ए. के. ग्राहुजा. ग्राई. ए. एस. कोलोनेशन कमिश्नर	2 दिन
	2. श्री प्यारेलाल, ग्राई. ए. एस. डी. एम., फिरोजपुर	4 दिन
	3. श्री ए. शेखर, ग्राई. ए. एस. सहायक जिलाधीश, श्रीगंगानगर	1 दिन
	4, श्री एस. ग्ररोरा, ग्राई. ए. एस.	2 दिन
	5, श्री एम. एस. कंवर, ग्राई. ए. एस. कलेक्टर, सैन्ट्रल एक्साइज, जयपुर	2 दिन
	6, श्री एम. बी. मीणा, ग्राई. ए. एस. एसिस्टेन्ट कलेक्टर, सैन्ट्रल एक्साईज, बीकानेर	2 दिन
नोहर	1. श्री पी. ग्रार. शर्मा जिलाधीश, श्रीगंगानगर	1 दिन
	2. ,, ,,	2 दिन
	3. पी. ग्रार. शर्मा जिलाधीश, श्रीगंगानगर	2 दिन
	4. श्री पी. ग्रार. शर्मा	1 दिन
	5. ,, ,,	1 दिन
भादरा	1. श्री जी. एस. सिधू एस. डी. एम., नोहर	2 दिन
	2. ,, ,,	2 दिन
सलूम्बर	श्री जे. पी. सिंह जिलाधीश, उदयपुर	
धरियावद	शून्य	
जयपुर	1. श्री बी. एन. व्यास, ग्राई. ए. एस.	3 दिन
	2. श्री पी. सी. जैन ,,	29 दिन
	3. श्री एम. एम. के. वली ,,	2 दिन
	4. श्री एन. के. ग्रोखा, उपायुक्त	3 दिन
	5. श्री जी. एन. भारद्वाज	2 दिन
	6. श्री एच. एन. दरबारी	2 दिन
	7. श्री एस. सिदराजन	1 दिन

1	2	3
	8. श्री जी. बी. सिंह	6 दिन
	9. श्री बी. के. माराठा	2 दिन
	10. श्री ओ. पी. गोयल	3 दिन
	11. श्री एस. एल. जोहिया	2 दिन
	12. श्री एस. के. गोयल	11 दिन
	13. श्री महेश कुमार	2 दिन
	14. श्री टी. एच. सेन गुप्ता	2 दिन
	15. श्री एम. एल. प्रसाद	14 दिन
	16. श्री पी. के. दास	5 दिन
	17. श्री डी. मुखर्जी	4 दिन
	18. श्री पी. के. राय	5 दिन
	19. श्री जी. पन्चोपिकासव	3 दिन
	20. श्री नरेन्द्रनाथ	3 दिन
	21. श्री एन. एच. शाह	2 दिन
कोटा	निल	
रंगपुर	निल	
झुन्झुनू	1. श्री शोभाराम चौधरी, डिप्टी कमीश्नर	2 दिन
	2. श्री बी. एन. डोडियाल, डेजर्ट कमीश्नर	2 दिन
	3. श्री रामेश्वर सिंह, कलक्टर, सवाई माधोपुर	2 दिन
	4. श्री गुमानसिंह, सेकेट्री, आर. एस. ई. बी.2	2 दिन
	5. श्री जी. एम. यादव, आई. ए. एस.	2 दिन
	6. श्री श्याम सुन्दर भटनागर, डिप्टी सेकेट्री	2 दिन
	7. आर. पी. विजय, डिप्टी डायरेक्टर खादी ग्रामोद्योग, नागौर	2 दिन
	8 श्री गुरुदेव सिंह, कलेक्टर, झुन्झुनू	7 दिन
	9. श्री डी. एस. दुग्गड़, आइ. ए. एस.	2 दिन
	10. श्री रणजीत सिंह कुमावत, आई. ए. एस.	2 दिन
नवलगढ़	श्री एस. सी. पगोरिया, सेटलमेंट आफीसर	1 दिन
		1 दिन
		2 दिन
		1 दिन
चिड़ावा	श्री एस. आर. चौधरी, डिप्टी कमिश्नर सेटलमेंट, बीकानेर	1 दिन

Page No 462

1	2	3
गोगुन्दा	श्री वी. डी. शर्मा, ए. डी. एम.	2 दिन
कोटड़ा	श्री डी. एस. शेखावत, आई. ए. एस.	1 दिन
	सुभाष शर्मा, ए. डी. एम.	1 दिन
	श्री जे. पी. सिंह, जिलाधीश	6 दिन
देवगढ़	श्री सी. के. मेथ्यू, अति. जिलाधीश	3 दिन
	श्री जे. पी. सिंह, जिलाधीश	2 दिन
	श्री डी. सी. शेखावत, जिलाधीश	2 दिन
	श्री जे. पी. सिंह, जिलाधीश	2 दिन
	श्री सी. के. मेथ्यू, उप जिलाधीश	2 दिन
कुम्भलगढ़	निल	
जैसलमेर	श्री गुमान सिंह	2 दिन
	श्री टी. के. शर्मा	2 दिन
	श्री आर. के. भाटिया	2 दिन
बारां	श्री डी. बी. मोहन्ती, अति. जिलाधीश	5 दिन
	तपेन्द्र कुमार ,,	15 दिन
	श्री प्रमेश चन्द, कलेक्टर सालागढ़	2 दिन
	श्री व्रजदत्त उपाध्याय, ,,	3 दिन
शाहबाद	श्री प्रमेश चन्द ,,	1 दिन
	श्री श्याम एस. अग्रवाल ,,	7 दिन
	श्री डी. बी. मोहन्ती ,,	1 दिन
	श्री सुधीर भार्गव ,,	8 दिन
छबड़ा	श्री प्रमेश चन्द ,,	2 दिन
	श्री तपेन्द्र कुमार ,,	15 दिन
अटरू	श्री श्याम एस. अग्रवाल ,,	2 दिन
	श्री राजेन्द्र सिंह ,,	2 दिन
जालौर	1. श्री घनश्याम शर्मा उप आयुक्त, डेजर्ट डवलपमेंट	2 दिन
	2. श्री आर. के. गर्ग अतिरिक्त आयुक्त	1 दिन
	3. श्री आई. सी. श्रीवास्तव डायरेक्टर, इकोनोमिक्स एण्ड स्टेटिक्स	2 दिन

1	2	3
	4. श्री के. एस. अग्रवाल, आई. टी. ओ.	2 दिन
	5. श्री जे. के. शर्मा, ए. एम.	1 दिन
सांचोर	1. श्री आर. के. गुप्ता, आई. ए. एस.	2 दिन
	2. श्री टी. आर. वर्मा, आई. ए. एस.	12 दिन
भीनमाल	1. श्री आर. के. गुप्ता, जिलाधीश	2 दिन
	2. श्री एल. के. भार्गव, उप आयुक्त	2 दिन
	3. श्री आर. के. गुप्ता, जिलाधीश	2 दिन
	4. श्री विजय वर्मा, आयुक्त डेजर्ट डवलपमेंट	2 दिन
	5. श्री आर. के. गुप्ता, जिलाधीश, जालौर	2 दिन
	6. श्री ए. के. जैन अतिरिक्त आयुक्त, एक्साइज	2 दिन
	7. श्री टी. आर. वर्मा, जिलाधीश	2 दिन
	8. श्री ए. के. जैन, अति. आयुक्त, एक्साइज	1 दिन
	9. श्री एस. एल. शर्मा, ,,	2 दिन
	10. श्री ए. के. जैन	2 दिन
	11. श्री डी. एस. सांघी	4 दिन
	12. श्री टी. आर. वर्मा, जिलाधीश	2 दिन
	13. श्री ए. के. जैन	2 दिन
	14. श्री ए. के. जैन	2 दिन
रामगंजमंडी	1. श्री श्याम एस. अग्रवाल, आई. ए. एस.	6 दिन
	2. श्री प्रमेशचन्द्र, जिलाधीश ,,	1 दिन
	3. श्री प्रमेशचन्द्र, जिलाधीश ,,	1 दिन
करौली	1. जिलाधीश, सवाई माधोपुर	2 दिन
	2 मरुक्षेत्र विकास आयुक्त	1 दिन
लूनकरणसर	1. श्री एफ. के. खन्ना, जिलाधीश	5 दिन
डूंगरपुर	शून्य	
श्री गंगानगर	,,	
सूरतगढ़	,,	
रायसिंहनगर	,,	
झालावाड़	1. श्री एच. दास जिलाधीश, मन्दसोर (म. प्र.)	1 दिन
	2. श्री डी. एन. उपाध्याय रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव विभाग	4 दिन

1	2	3
	3. श्री पी. एन. भण्डारी आयुक्त, टी. ए. डी.	2 दिन
	4. श्री पी. सी. जैन जिलाधीश, झालावाड़	2 दिन
	5. श्री जे. के. शर्मा अतिरिक्त आयुक्त, टेक्शेसन	2 दिन
	6. श्री यतेन्द्र सिंह हैल्थ कमिश्नर	2 दिन
	7. श्री रमाकान्त कमिश्नर, टी. ए. डी.	2 दिन
	8. श्री वाई. शर्मा डाइरेक्टर, पशुपालन	3 दिन
	9. श्री डी. एन. उपाध्याय रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव विभाग	2 दिन
	10. श्री अरूण कुमार सदस्य, राजस्व मण्डल	2 दिन
	11. श्री ए. डी. शर्मा अतिरिक्त आयुक्त	1 दिन
पिन्डवाड़ा	शून्य	
भवानी मंडी	,,	
डग	,,	
एकलेरा	1. श्री एस. अहमद, जिलाधीश	5 दिन
चूरू	1. श्री विजय वर्मा, आई. ए. एस.	3 दिन
	2. श्री पी. बी. माथुर ,,	2 दिन
	3. श्री एम. डी. कोरानी ,,	2 दिन
	4. श्री जे. एम. खान ,,	1 दिन
रतनगढ़	1. श्री सी. डी. अरेचा ,,	1 दिन
सरदारशहर	1. श्री पी. सी. जैन ,,	2 दिन
बांसवाड़ा	शून्य	
डूंगरपुर	1. श्री डी. एस. शक्तावत, एम. डी. (टी. ए. डी. सी. एफ.)	3 दिन
	2. श्री अरूण कुमार	2 दिन
शाहपुरा (भीलवाड़ा)	1. श्री अतुल गुप्ता, आई. ए. एस.	21 दिन

परिशिष्ट-2

अतारांकित प्रश्न संख्या 348 की प्रतियां

R. P. Form N. 63

रिपोर्ट इत्तिला अव्वल (प्रथम सूचना)

(नियम 285 रा. हु. पे.)

N. 30

(जो काबिल दस्तन्दाजी पुलिस जुर्म है हस्ब दफा 145 जा. फो. दावे पर चालू होती है)

कस्बा-भिनाय जिला-अजमेर (राजस्थान)

दर्ज नं. (सुर्खो में)-48/82 तारीख और वक्त वकुआ 11-5-82 वक्त दिन

तारीख व वक्त, जब इत्तिला हुई मय रिपोर्ट नं. रोजनामचा आय	बाद वकुआ और फासला सिविल थाने से मय नाम इसका अगर कोई दूसरा हो	तारीख व वक्त रवानगी थाने से
तारीख 15.7.82 समय 3-15 पी. एम. रपट --295	मोजा शालाकोर्ट व फासला 15 कि. मी. जानिब पश्चिम	जरिये डाक

नाम व नम्बर हल्का L. C. B. No. 55 हल्के में वकुआ अन्दर शाला
ब. 1 72 बीट नं. 2 1/82

नाम और वक्त इत्तिला कुनिन्दा और मुस्तगीश (सूचना देने वाले और अभियोगी का नाम और विवाद स्थल)	नाम और सकुनत मुल्जिमान निवास स्थान अपराधी	मुख्तसिर हालात जुर्म मय दफा और माल अगर कोई गया हो।	कार्यवाही तफतीश जो अमल में लाई गई और वजय देरी जो इत्तिला करने में हुई है।
श्री बिशनलालS/oश्री भूरालाल जाति मीना प्रवंतन अधिकारी उपखण्ड कार्यालय केकड़ी निवासी गांयगी कला थाना जहाजपुर जिला-भीलवाड़ा	1. महेन्द्र कुमार 2. अमर सिंह 3. सोहन लाल	राशन की शक्कर उठाकर उपभोक्ताओं को वितरण न करने बाजार में बेच देना अपराध धारा 317 E. C. Act.	रिपोर्ट प्राप्त होते ही मुकदमा कायम कर तफतीश प्रारम्भ की गई।

ह/

नकबर Sd. रा. मिश्रा ओहदा S.H.O. P.S. निगम रिपोर्ट जुबानी या वह पीपी पुरते पर

श्रीमान् थानाधीश महोदय, भिनाय अजमेर श्री महेन्द्र कुमार बागमार पुत्र श्री मांगीलाल निवासी वसीपीया एवं अमरसिंह पुत्र श्री रामसिंह निवासी शालाकोट व रामदीन भाम्बी निवासी शालाकोट और श्री सोहनलाल तायेड़ निवासी विजयनगर के विरुद्ध ई. सी. एक्ट धारा 3/7 के अन्तर्गत एफ. आई. आर. दर्ज किये जाने हेतु। उपरोक्त विषय में बिन्दुवार निम्न निवेदन है कि श्री महेन्द्र कुमार बागमार पुत्र श्री मांगीलाल निवासी झिरण की ग्राम पंचायत शालाकोट का अधिकृत दुकानदार है। जिसको ग्राम पंचायत शालाकोट हेतु राजस्थान खाद्य पदार्थ एवं अन्य उपयुक्त वस्तु वितरण का विभाग आदेश 1976 के तहत प्रबन्धकार नम्बर 11./81 उपखण्ड कार्यालय केकड़ी से जारी किया गया था। 2. यह है कि श्री महेन्द्र कुमार ने दिनांक 11-5-82 को केकड़ी कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी केकड़ी (थोक विक्रेता) से 19 कुन्टल चीनी बुक नम्बर 311 किता पन्ना 187 से प्राप्त की परन्तु उसी समय स्थान ग्राम पंचायत शालाकोट में न ले जाकर अन्यत्र स्थान बादनवाड़ा ले गया। बादनवाड़ा तक यह चीनी केकड़ी से ट्रक नम्बर R. R. S. 9027 से पहुंचाई थी और वहां पर उसने श्री रामप्रसाद टांक के मकान में चीनी रखी जो कि प्राधिकार में/आदेश परिसर एवं कारो-बार सीमा के बाहर है। बादनवाड़ा में अमरसिंह पुत्र श्री रामसिंह निवासी शालाकोट ने मिलकर इस लेवी चीनी को विजयनगर में बेचने की गारन्टी ली और दो तीन रोज बाद अमर सिंह विजयनगर के श्री सोहनलाल तायेड़ से चीनी वितरण बाबत सौदा करके श्री बागमार को कहा कि आपकी इस चीनी को (19 कुन्टल) श्री रामदेव भाम्बी के बजाय अन्य और श्री सोहनलाल तापेड़ के पास विजयनगर ले जाकर दे दो बाद में श्री बाग-मार (19 कुण्टल) को रामदेव भाम्बी के साथ बादनवाड़ा में नानूलाल लुहार के टेक्टर में लादकर विजयनगर ले गये। विजयनगर में गतियों के स्थान के उत्तर की ओर रामदेव भाम्बी के बतलाये अनुसार श्री सोहनलाल तापेड़ को चीनी सम्भला दो जिससे चीनी का सौदा हुआ था। उक्त चीनी का सौदा 465 रुपये प्रति कुन्टल से सोहनलाल तापेड़ ने हिसाब कर 2800 (अठ्ठाइस सौ रुपये) श्री अमरसिंह के मारफत श्री बाग-मार को एवं बाकी रकम 6035 रुपये (छः हजार पैंतीस रु.) श्री अमरसिंह पुत्र मानसिंह को दिये थे। उक्त श्री बागमार के बयानों से प्रकट होता है कि इस प्रकार दुकानदार श्री बागमार ने चीनी का दुरुपयोग कर अधिकार से रूल नम्बर 1 व 4 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। तथा श्री अमर सिंह श्री रामदेव भाम्बी श्री सोहनलाल तापेड़ द्वारा चीनी का दुरुपयोग किये जाने में पूर्ण सहयोग किया बाकी अपराध करने की योजना बनाने में अब तक सरीक रहे हैं। जो कि E. C. Act, 1955 की धारा 8 की स्पष्ट भा. द. सं. की धारा 107-109-120 बी के तहत अपराध किया जाना प्रतीत होता है। 3. यह है कि मेरी निरीक्षण के दौरान केवल चीनी स्थानान्तरण कर रजिस्टर के अलावा कोई बिल नहीं बताया एवं 12-7-82 को उप जिलाधीश कार्यालय केकड़ी में उक्त डीलर द्वारा पेश करने पर पिशारा गांव की जांच में अनिय-मितता पाये जाने पर रिकार्ड जमा किया गया व माह फरवरी, मार्च, 1982 के चीनी वितरण रजिस्टर को प्रमाणित नहीं कराया गया और चीनी वितरण करना बताया

वितरण रजिस्टर में रजिस्टर के कुल 376 राशन कार्ड अंकित किये इसमें से 29 राशन धारकों के हस्ताक्षर कराये गये और 347 राशन कार्ड धारकों के सामने चीनी प्राप्त की हस्ताक्षर नहीं करवाये गये जांच दौरान 121 राशन कार्ड जप्त सरकार किये गये जिसका इन्दराज वितरण रजिस्टर (फरवरी मार्च 82) में है। परन्तु उक्त राशन कार्डों में चीनी का इन्दराज नहीं है एक उपभोक्ताओं ने ली फरवरी-मार्च, 82 की चीनी नहीं लेना बताया तथा आधे से ज्यादा कार्ड ऐसे हैं जिसमें चीनी फरवरी-मार्च, 82 की दर्ज है। परन्तु वितरण रजिस्टर में हस्ताक्षर उपभोक्ताओं के नहीं हैं और न ही उनको चीनी मिली है जो कि सम्बन्धियों के बयानों से प्रकट होता है। अधिकार की वृत्त नं. 17 श. ख. अ. का उल्लंघन किया जाता प्रतीत होता है। (ख) यह है कि लेवी चीनी का स्टाक रजिस्टर देखा गया जिसमें दिनांक 10-5-82 को पूर्व का स्टाक 93 किलों 800 ग्राम था एवं दिनांक 11-5-82 को 19 कुन्टल चीनी आमद बताई उक्त 19 कुन्टल चीनी पेरा नं. 2 में वर्णित के अनुसार बाजार में बिक्री की गई। शेष स्टाक 9 कु. 800 ग्राम के लिये श्री बागमार ने बयान में प्रकट किया है कि चीनी श्री अमर सिंह यह कह कर ले गया कि स्टाकनिल कर दो। (ग) चीनी वितरण का प्रमाणित करना सहकारी समिति के सदस्य श्री अमर सिंह राठोड़ रामदेव भाम्बी व शांतिलाल ने की जो कि पेरा नं 2 में दर्शाये हैं जो कि माह फरवरी, मार्च. 82 की चीनी का प्रमाणित करना झूठा है तथा हल्का पटवारी ने बयानों में प्रकट किया कि आपके द्वारा नवम्बर, 81 की चीनी का प्रमाणित कराया गया था उसके ऊपर प्रमाणित करना नहीं कहता है। एवं माह फरवरी मार्च, 82 की चीनी शालाकोर्ट पंचायत वितरण में वितरण नहीं हुई है यही बात प्रधानाध्यापकजी ने भी अपने बयानों से बताई है। (ग) जाँच के दौरान उपभोक्ताओं से सम्बन्धी एवं बयानों से स्पष्ट हुआ कि दुकानदार द्वारा प्राप्त राशन कार्ड पन्द्रह पैसे किसके नाम से वसूल किया, वसूल किया जाता था। यह पैसे जब भी चीनी वितरण होती थी वसूल किये जाते थे जो कि अधिकार की शर्त नं. 3 का स्पष्ट उल्लंघन की परिभाषा में आता है। (4) यह कि दिनांक 7-7-82 को शालाकोर्ट की दुकान का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया गेहूं का स्टाक भी निल और स्टाक रजिस्टर व वितरण रजिस्टर गेहूं का डीलर द्वारा नहीं लिखवाया गया दिनांक 12-7-82 को स्टाक रजिस्टर डीलर द्वारा पेश किया गया जिसमें 5-2-82 से 12-7-82 तक 4 कुन्टल 37 किलों गेहूं का स्टाक बताया इस प्रकार गेहूं भी लेते हुए भी स्टाक रजिस्टर में स्टाक दर्शाया है। यह अधिकार की शर्त धारा 4 का उल्लंघन है। उपरोक्त तथ्यों के देखते हुए श्री महेन्द्र कुमार ने खाद्य पदार्थ एवं युक्त आवश्यक वस्तु (वितरण आदि अधिनियम) आदेश 1976 के प्राधिकरण के शर्तों का इस बार उल्लंघन किया जो कि असल वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है श्री अमरसिंह श्री रामदेव श्री सोहनलाल तापेड़ जिन्होंने श्री बागमार की लेवी चीनी फरवरी-मार्च, 82 कर बाजार में बेचने के लिये उकसाया एक साजिश की व सहयोग दिया जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 8 को सपठित

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 107-109 120 बी के तहत दण्डनीय है। अतः F. I. R. दर्ज कर अभियुक्तान गणों के विरुद्ध शीघ्र ही कार्यवाही करने का कष्ट करें। रिकार्ड बयान तफतीश पेश किया जायेगा यह कि श्री उप जिलाधीश महोदय के आदेश दिनांक 14-7-82 के क्रम में यह इत्तिला आपके अर्ज कर रहा हूं। दिनांक 15-7-82 Sd. बिशनलाल मिश्राराम जिला प्रवंतन अधिकारी अजमेर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट तहरीकी श्री बिशनलाल S/o भूरालाल जाति मीणा निवासी गाजियाबाद थाना जहाजपुर जिला भीलवाड़ा मुताबिक प्रवर्तन अधिकारी उपखण्ड क्षेत्र केकड़ी जिला अजमेर ने उप थाना होकर पेश की जो शब्द शब्द सही दर्ज की गयी पढ़कर सुनाई सही मानकर हस्ताक्षर किये संलग्न इस रिपोर्ट में मामला जैसे जुर्म दफा 3/7 E. C. Act. व 107-109-120 B 2 Pc, का घटित होना पाया जाता है। अतः अभियोग नं. 48 व दफा मजबूर वाला काल कर श्रीमन् S. H O रामदास मिश्रा मतअप तफतीश हुआ प्रतियां F. I. R नियमानुसार इजबाल होगी। नकल F. I. R. नियुक्त मुस्तगीश को दी गयी। Sd. S. H. O-P. S. भिनाय दिनांक 15-7-82 at 3-15 PM. श्री बिशनलाल मीणा 15-7-82 साय की गयी।

Sd. बिशनलाल

Attested

Sd.

S. H. O. भिनाय

15-7-82

श्रीमान् एस. पी. साहब
अजमेर

विषय :–ग्राम पंचायत राताकोट के दोनों ग्रामों राताकोट व झोमिया की माह फरवरी व मार्च 1982 की राशन की शक्कर के ब्लेक होने की जांच के सम्बन्ध में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम पंचायत रातकोट की माह फरवरी व मार्च 1982 की राशन की शक्कर ग्रामों में वितरण नहीं कर उसका ब्लेक वितरक महेन्द्र कुमार निवासी झोमियां श्री अमर सिह जैन सरपंच ग्राम पंचायत राताकोट सरपंच के भाई शान्ति लाल जैन वार्ड पंच राताकोट व श्री जयदेव भाभी राताकोट की मिली भगत से किया उपरोक्त राशन की शक्कर श्री सोहन लाल नातेड निवासी विजयनगर को वेची। उपरोक्त राशन की शक्कर का कोटा दिनांक 10-5-82 को केकड़ी से उठाया गया। दिनांक 11-5-82 से 13-5-82 तक फर्जी वितरित रेकार्ड में बताकर रेकार्ड प्रमाणित किया गया।

उपरोक्त घोटाले की जांच श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी के केकड़ी के अधीन प्रवर्तन अधिकारी के. एल. मीणा साहब ने दिनांक 7-7-82 से शुरू की दिनांक 9-7-82 को ग्राम में से राशन कई जब्त कर दोनों गांव बोरां के बगात लिये व बाद में वितरिक महेन्द्र कुमार के बयान लेकर दिनांक 14-2-82 को थाना भिनाय से मुलजिमानों के विरूद्ध रिपोर्ट वर्ज कराई।

श्रीमान् थानेदार साहब भिनाय ने वितरक महेन्द्र कुमार को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया परन्तु बाकी किसी भी मुलजिम के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही आज दिनांक 24-7-82 तक नहीं की गई है। इस कारण उपरोक्त मुलजिमान को उपरोक्त काण्ड के सबूत नष्ट करने अपने गवाह तैयार करने व अपने राजनैतिक प्रभाव का उपयोग कर इसे गवाहों को डराने धमकाने व केस को किसी भी प्रकार दबाने का समय मिल रहा है। मुलजिमान किसी भी प्रकार अपनी अग्रिम जमानत करने की भी कोशिश कर रहा है। जिससे कि वह बाहर रह कर अपने प्रभाव का गलत उपयोग कर सके।

अतः हम ग्राम वासियों का निवेदन है कि उपरोक्त व्यक्तियों को शीघ्र गिरफ्तार कर जानकरी उच्च अधिकारी से करनाने के आदेश प्रदान करवाने की कृपा करावे। ताकि गरीब जनता को न्याय मिल सके।

न्याय की आशा व विश्वास के साथ हम हैं ग्राम वासी ग्राम पंचायत राताकोट व व झीपिया के।

–हस्ताक्षर

सेवा में,

श्रीमान् ....

....

....

विषय:–श्री अमर सिंह सरपंच एवं श्री रामदेव वा0 प0 ग्राम पंचायत राताकोट जिला अजमेर की राशन की 19 क्विंटल शक्कर की काला बाजारी करने के जुर्म गिरफ्तार करने हेतु ।

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि उक्त दोनों व्यक्तियों ने ग्राम पंचायत राताकोट के राशन की शक्कर माह फरवरी व मार्च की 19 क्विन्टल शक्कर एस. डी. एम. केकड़ी कार्यालय आदेश से उठाकर ग्रामवासियों को वितरण नहीं करके कहीं पर ब्लेक में बेच दी । इस संबंध में ग्रामवासियों ने श्रीमान् उप जिलाधीश महोदय केकडी को शिकायत की । श्रीमान् उप जिलाधीश महोदय ने भी किशनलाल मीणा प्रवंतक अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया । श्री मीणा ने उक्त दोनों व्यक्तियों को दोष के पाते हुये पुलिस थाना भीनाय में एफ. आई. आर. दि. 12.7.82 को दर्ज करवाई । पुलिस ने दोनों जांच में भी तथ्य सही पाये । इसी क्रम में व उक्त दोनों व्यक्तियों ने जिला सेसन न्यायालय में अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र पेश किया । परन्तु माननीय न्यायाधीश महोदय ने उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया । इन सब हालतों के बावजूद भी थानेदार भाणा कर उक्त दोनों मुलजिमानों गिरफ्तार नहीं कर रहे है क्योंकि उन्हें भारी मात्रा में रिश्वत दी गई है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त समाज विरोधी तत्वों को अविलम्ब गिरफतार करवाकर माल बरामद करवाकर ग्रामवासियों में शक्कर वितरण करवाई जाये अन्यथा ऐसे तत्व भविष्य में भी ऐसी हो हरकतें करते रहेंगे ।

अतः हम ग्रामवासियों का निवेदन है कि उपरोक्त मुलजिमानों की शीघ्र गिरफतार कर जाँच किसी उच्च अधिकारी से करवाने के आदेश प्रदान करवाने की कृपा करायें । ताकि गरीब जनता को न्याय मिल सके ।

न्याय की आशा व विश्वास के साथ हम हैं ग्राम वासी ग्राम पंचायत राताकोट व झीपियां ।

परिशिष्ट 22

अतारांकित प्रश्न संख्या 349 की निरीक्षण रिपोर्ट एवं फैसले की प्रति

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनिज अभियन्ता, उदयपुर खण्ड,
उदयपुर

क्रमांक-एमई/यूडी/एमएफ/80/3/49 दिनांक 2-5-80

निरीक्षण प्रतिवेदन

1. खान निकट ग्राम अमराघाटी तहसील खैरवाड़ा जि. उदयपुर
2. खनिज सरपनटाइन
3. पट्टाधारी का नाम व पता राणा देवेन्द्र सिंह सेठी
4. आज दिनांक 29-4-80 को निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने मय श्री ईश्वर सिंह भगला, खनिज कार्य रक्षक ने उपरोक्त खान का निरीक्षण किया। खान पर एक भी पीलर कच्चा या पक्का नहीं पाया। खान पर लगभग 30 टन खनिज सरपनटाइन अलग-अलग पांच ढेरियों में पड़ा हुआ था। वहां पास में श्री लक्ष्मण पुत्र श्री लाला रहते हैं। उन्होंने बताया कि पांच छः महीनों पहले पार्टी ने पन्द्रह श्रमिक लगाये थे व सात दिन तक खनन कार्य किया था। इसके पहले व बाद में किसी प्रकार का कोई खनन कार्य नहीं हुआ था। श्री लक्ष्मण ने बताया कि यहां से कभी कोई ट्रक सरपनटाइन की खनिज को भर कर नहीं गई। वहां पर दो पिट लगे हुए थे। पिट नं. 1-मी.×6 मी.×3 मी. का था जिसमें 4 मी.×2 मी. सरपनटाइन की वेन थी। पीट नं. 2-6 मी.×3 मी.×2 मी. का था। जिसमें 4 मी.×2 मी. की वेन थी। इसके अलावा वहां कोई पीट नहीं था। उक्त दोनों पीटों को देखने से यह पता लगता है कि वहां पर 30 टन से अधिक प्रोडेक्शन सम्भव नहीं है। वहां पास में श्री किशन लाल तेली की सोप स्टोन की लीज होने से खान तक जाने का रास्ता बना हुआ है। जो जुलाई या अगस्त, 79 में सड़क निर्माण वालों ने क्यारीयाजी खेरवाड़ा रोड की रक्षा हेतु एक नाली बना कर काट दी थी। जो अभी भी कटी हुई है। अतः अगस्त, 79 के बाद वहां से कोई खनिज डिस्पैच होना सम्भव नहीं है। श्री लक्ष्मण द्वारा ज्ञात हुआ कि इसके पूर्व भी कोई खनिज यहां से डिस्पेच नहीं हुआ था।

ह/-	ह/-
ईश्वरसिंह भगला	देपुरा
खनि निरीक्षक	खनि कार्यदेशक
29-4-80	29-4-80

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, उदयपुर

खान निरीक्षण प्रतिवेदन

1. क्रम संख्या : 13 — निरीक्षण की तिथि 20-8-80
पूर्व निरीक्षण की तिथि –

2. खनिज — सरपन्टाइन

3. खान का नाम — कागदर की पाल सरपनटाइन खान

4. गांव का नाम — कागदर की पाल तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर

5. पट्टाधारी का नाम व पता — राजा देवेन्द्रसिंह सेठी, उदयपुर।

6. खनन पट्टा : पूर्व अनुज्ञा पत्र — खनन पट्टा (अप्रधान खनिज)

7. खनन कार्य चालू करने की तिथि — करीब एक वर्ष पूर्व खनन कार्य प्रारम्भ किया गया है। 31-8-79 से प्रारम्भ है।

8. खनन कार्य का ढंग

खनन कार्य बन्द पाया गया खनन कार्य ओपन कास्ट तरीके से एक पीट 20 × 8 × 3 मीटर नाप के, में किया गया जो दो मिले हुये छोटे छोटे खड्डे हैं। यह खड्डा मगरी के दक्षिणी ढलान पर किया गया है और उसके पास ही निकला हुआ खनिज सरपनटाइन 5 ढेरियों में पड़ा हुआ है। जो करीब 30 टन होगा। पीट के पास कोई ट्रक आदि आने का चालू रास्ता प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि एन. एच.-8 रोड के किनारे पर पानी के लिये नाली बहुत पहले खोद दी गई है जिस पर ट्रकों को गुजर कर खान पर जाना असम्भव है। श्री बाल नन्द पिता रामा निवासी कागदर से जानकारी मिली कि इस क्षेत्र से निकाला हुआ सरपनटाइन यहां पड़ा हुआ है और कोई ट्रक अब तक यहां से नहीं गया है।

9. भूगर्भिक रचना :

आधे मीटर तक मिट्टी का आवरण है, तत्पश्चात् सरपनटाइन मिलता है जो चिप्स बनाने योग्य है।

10. विभिन्न मशीनरी का विवरण :-किसी प्रकार की मशीनरी का उपयोग नहीं किया प्रतीत होता है।

11. खानों के नक्शे आदि व सैक्शन बनाये गये हैं या नहीं–

किसी प्रकार के नक्शे व सैक्शन आदि पट्टेधारी द्वारा नहीं बनाये गये हैं।

12. किस्म विस्फोटक:–

पीट को देखने से प्रतीत होता है कि कोई विशेष खनन कार्य नहीं किया गया है।

13. साल का उत्पादन व्यय–विक्री दर का विवरण:–खान कार्य बन्द होने से जानकारी नहीं हो सकी।

14. औसतन माल उत्पादन की मात्रा प्रतिदिन:–खान कार्य बन्द होने से जानकारी नहीं हो सकी।

15. मजदूरों की संख्या व अन्य तकनीकी कर्मचारियों के नाम व पद आदि:– खनन कार्य बन्द पाया गया।

16. खनि पर उपलब्ध रेकार्ड :– किसी प्रकार का रेकार्ड खान पर उपलब्ध नहीं हुआ। खनन कार्य लम्बे समय से बन्द होने की जानकारी आस पड़ौस से पूछने पर मिली।

17. खनिज निर्यात का विवरण–ट्रक द्वारा खनिज का निर्गमन हो सकता है। नजदीकी रेल्वे स्टेशन रिषबदेव रोड है जो करीब 20 कि. मी. दूर है।

18. मौके पर पड़े खनिज की मात्रा मुताबिक बेलेन्स रजिस्टर के ठीक पाई गई या नहीं–

पीट के पास 4–5 ढेरियों (गिट्टी व लम्प्स) सरपनटाइन करीब 30 टन पड़ा हुआ था जो पार्टी द्वारा लगाया गया पीट से निकाला हुआ है।

19. सीमा स्तम्भ पक्के बने हुए हैं अथवा नहीं :–सीमा स्तम्भ नहीं लगे हुए हैं।

20. पट्टेधारी की खान या अन्य समस्यायें :–निल

21. पार्टी स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य तो नहीं कर रही है:– पार्टी द्वारा लगाया गया पीट क्षेत्र के मदाम "ए" के पास क्षेत्र में ही स्थित है जो मगरी के दक्षिणी ढलान पर है।

22. अन्य सुझाव जो निरीक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये व त्रुटियां जो वक्त निरीक्षण के पाई गई जिसके लिए पार्टी को नियमानुसार नोटिस जारी करना है :—

1. पार्टी द्वारा खनन कार्य नहीं किया जा रहा है और खान से खनिज का निर्गमन बताया जा रहा है जो मौके की स्थिति से मेल नहीं खाता है। पार्टी को गलत रेकार्ड प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी करें। खनिज की कीमत वसूल करने की कार्यवाही की जाय।

2. खनन कार्य शीघ्र प्रारम्भ करें।
3. खान के नक्शे, प्लान व सेक्शन आदि तैयार कर पेश करें।
4. सीमा स्तम्भ नहीं लगाए गये हैं।

ह.
(ओ. पी. जैन)
खनि अभियन्ता, उदयपुर

क्रमांक-खअ/उदय/स्टेनो/एफ. 120/80-81/244 दिनांक 8-10-80

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्री निदेशक महोदय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
2. श्री अधीक्षक, खनि अभियन्ता, उदयपुर वृत्त उदयपुर।
3. सी. सी. प्रथम को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. राजा देवेन्द्र सिंह सेठी।

ह.
खनि अभियन्ता, उदयपुर

निरीक्षण प्रतिवेदन

1. खनन पट्टा क्षेत्र वास्ते सरपनटाइन निकट ग्राम बिलखाई तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर जो श्री राजा देवेन्द्र सिंह सेठी को स्वीकृत है।

2.	निरीक्षण की तारीखः--	12-6-80
3.	निरीक्षण कर्ता व पद	श्री श्रीपाल जैन वरिष्ठ सर्वेक्षक
4.	खनन पट्टा क्षेत्र के पीलर	कच्चे तीन बने हुए पाये गये।
5.	खनन कार्य मुख्यतया कितने पीट में हो रहा है।	कुल पांच पीट लगाये गये हैं। अभी एक बड़े वाले पीट नं. 3 में खनन कार्य चल रहा है। नक्शा सर्वेक्षण अनुसार संलग्न कर लगाया जायगा।
6.	खनिज जिसका खनन हो रहा है उसका किस्म व ग्रेड	सरपनटाइन
7.	पार्टी को स्वीकृत खनिज के अलावा अन्य खनिज क्षेत्र में उपलब्ध है या नहीं।	अन्य खनिज मैगनेसाइट बहुत कम उपलब्ध होता है। सूत पत्थर की धारी सरपनटाइन में दिखाई नहीं देती है।
8.	पार्टी स्वीकृत खनिज के अलावा अन्य खनिज का खनन तथा निर्गम कर रही है या नहीं।	स्वीकृत खनिज सरपनटाइन का निगर्मन व उत्पादन करती है।
9.	खनिज का औसत दैनिक उत्पादन (टन) में	6.83 टन
10.	खनिज का औसत माहवारी उत्पादन (टन में)	148 टन
11.	खनिज का औसत माहवारी निर्गम	141.0 टन
12.	दैनिक मजदूरों की संख्या (12-6-80)	आदमी 4, औरतें 5, मेट 1, बच्चे निल

13.	खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र में हो रहा है या बाहर हो रहा है।	स्वीकृत क्षेत्र में खनन कार्य हो रहा है।
14.	पार्टी रवन्ना, उत्पादन रजिस्टर व अन्य रजिस्टर व नक्शे रखती है।	(1) रवन्ना बुक नई अब लायेंगे। कुल 20 रवन्ना दिनांक 6-6-80 को पूरे हो चुके हैं। दिनांक 9-5-80 से 6-6-80 तक 1 से 20 खन्ना जारी किये हैं। (2) उत्पादन रजिस्टर दि. 22-3-79 से लीज प्रारम्भ होने की तिथि से बनाया हुआ उपलब्ध है।

माह 1	बेलेन्स 2	उत्पादन 3	निर्गम 4	विवरण 5
22-3-79 से	निल	151 टन	–	
अप्रेल, 79	निल	200 टन	150	
मई, 79	–	353	316	
जून, 79	–	365	217	
जुलाई	–	58	360	
,,	दिनांक 14-7-79 से 31-8-79 तक कार्य बन्द रहा।			
सितम्बर, 79	–	136	157	
अक्टूम्बर, 79	–	143	171	
नवम्बर, 79	–	190	275	
दिसम्बर, 79	–	325	165	
जनवरी, 80	–	81	18	काम 1 से 9 तथा 27 से 31 तक हुआ।
फरवरी, 80	–	66.	129	दि. 4-2-80 से 9-2-80 तक ट्रैक्टर द्वारा इन्दोरी लाल की फैक्ट्री रिखबदेव में 4 टन प्रति ट्रिप खनिज निर्गम किया है। कुल 14 ट्रीप 56 टन

1	2	3	4	5
मार्च, 80	-	-	-	
22 अप्रेल, 80 से 30-4-80	-	14	9	
मई, 80 15 दिन काम किया है।	-	6	154	
12 जून 80 तक	-	58	27 लास्ट बैलेन्स 101 टन	
		2146	2045	
		Op. Bal. Nil	+101	
		2146	2146 टन	

अन्य रजिस्टर हाजरी, रजिस्टर माह जून, 80 से प्रारम्भ किया हुआ उपलब्ध है। खान के किसी प्रकार नक्शे नहीं बनाये हैं।

15. प्रति टन उत्पादन खर्च — रु. 10 से 11/- रुपया

16. निरीक्षण के बाद पड़े हुए खनिज की मात्रा (टन में) — उत्पादन रजिस्टर में पोते 101 टन सरपनटाइन लम्पुस गिट्ट जूरी एवं मिक्स क्वालिटी निम्न प्रकार देखने से सही प्रतीत होता है।

17. पार्टी द्वारा खनन कार्य नियमानुसार हो रहा है। — बेंच चारों ओर पीट के नहीं बनाई गई है। प्रोपर बेन्च बना कर वन ओवरहेंगिंग रख कर कार्य नहीं करावें।

18. वर्षा ऋतु में खनन कार्य संभव है या नहीं। — सम्भव है।

19. वर्षा ऋतु में खनिज का निर्गम हो सकता है। — निर्गम खनिज का हो सकता है क्योंकि खान कार्य हाइवे रोड के पश्चिम में करीब 100 मीटर दूर स्थित है।

20. खनिज की भू गर्भिक रचना — इस क्षेत्र में सरपनटाइन की नस उत्तर-दक्षिण की ओर है तथा डीप पश्चिम

		की ओर, 40-50 है। सरपनटाइन में मैगनेसाइट का कहीं-कहीं लेयर आती है। जिसको अलग एकत्रित नहीं किया जाता है और वेस्ट में जाता है।
21.	खान से निकटतम रेल्वे स्टेशन पक्की सड़क।	रिखबदेव रोड 18 कि. मीटर एन. एच. 8 हाई वे रोड करीब 100 मीटर दूर है।
22.	अन्य विवरण	क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण खान का सर्वे मेट की उपस्थिति में किया गया। सुपरवाइजर, श्री चांदमल सोनी खान पर उपलब्ध नहीं थे, उदयपुर गये हुए थे अतः हस्ताक्षर बाद में लिये गये। खान में खनन कार्य सुबह 8 बजे से 5 बजे तक ही होता है।

ह./- ह./-

(चान्द मल सोनी) (श्रीपाल जैन)

13-6-80 वरिष्ठ सर्वेक्षक

हस्ताक्षर सुपरवाईजर

Page No 479

कार्यालय खान अभियन्ता, उदयपुर

निरीक्षण प्रतिवेदन

1.		निरीक्षण की तिथि : 20-8-80 पूर्व निरीक्षण की तिथि : —
2.	खनिज	सरपेन्टीन
3.	खान का नाम :	बिलखाई सरपन्टीन खान।
4.	गांव का नाम :	बिलखाई तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर।
5.	खान पर पहुंचने का रास्ता :	उदयपुर से बिलखाई वाया रिखबदेव राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर उदयपुर से 70 कि. मी. दूर पक्का रास्ता एवं करीब 100 मीटर कच्चा रास्ता है। विश्राम गृह खेरवाड़ा है।
5.	पट्टाधारी का नाम व पता :	राजा देवेन्द्र सिंह सेठी, उदयपुर।
6.	खनन पट्टा : पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र :	खनन पट्टा (अप्रधान खनिज)
7.	खनन कार्य चालू करने की तिथि :	यह क्षेत्र दिनांक 21-3-79 से प्रारम्भ हुआ है। खनन कार्य पहले बन्द था, पुनः 13-3-80 से प्रारम्भ करना मजदूरों ने बताया।

8. **खनन कार्य का ढंग :**

खनन कास्ट ओपन कास्ट पद्धति से किया गया है। 5 पिटों में खनन कार्य किया गया है। पिटों से निकाला हुआ मलवा पिट के बाहर ही डाल दिया गया है। दो बड़े पिट हैं (1) 125×15×5 मीटर का है। इसमें एक मीटर तक मिट्टी के आवरण का ओवर बरडन है। इसी प्रकार दूसरा, पिट करीब 30×25×10 मीटर नाप का है, जिसमें अभी पानी भरा हुआ है। एक छोटे पिट में मलवा डाल कर भर दिया गया है। दूसरे पिट के पश्चिम में मलवा हटाने का कार्य किया जा रहा है। इसमें औसतन ओवर बर्डन 1 मीटर है। दो अन्य पिट 15/10×5 मीटर के हैं। इनमें कार्य अभी बन्द है। पूर्व में पिटों का सर्वेक्षण कुछ करके सरपेन्टीन की मात्रा जो पिटों से निकाला गया है, अनुमान लगाया गया, जो मौके पर पिटों को देखने पर सही प्रतीत होता है।

9. भूगर्भिक संरचना :—

क्षेत्र में करीब एक मीटर मिट्टी के प्रावरण के बाद सरपनटाइन डिपोजिट मिलता है।

10. विभिन्न मशीनरी का विवरण जो काम में लाई जा रही है : —
मशीनरी कोई उपलब्ध नहीं थी सम्पूर्ण कार्य मेन्युग्रल ही किया जाता है।

11. खानों के नक्शे ग्रादि के बारे में :—

नक्शे ग्रादि उपलब्ध नहीं थे। खान का प्लान व सेक्शन ग्रादि तैयार करने की हिदायत की गई।

12. किस्म विस्फोटक जो काम में लाई जा रही है :—
बारूद का उपयोग नहीं करना बताया।

13. माल उत्पादन, व्यय व बिक्रीदर का विवरण : -
उत्पादन व्यय प्रतिटन 12/- रुपये, बिक्रीदर 16 से 18/- रुपया प्रति टन। पिटों को देखने से व नाप कर जो उत्पादन ज्ञात हुग्रा वह 3563.84 टन पाया गया जबकि पार्टी ने 12-6-80 तक 2146 टन खनिज ही उत्पादन में दिखाया। पिटों की नपती 12-6-80।

14. ग्रौसत माल उत्पादन प्रति टन : प्रतिदिन करीब 5 टन उत्पादन होता है।

15. मजदूरों की संख्या व ग्रन्य तकनीकी :—कुल 62 मजदूर व 1 मेट कार्य कर रहे थे। मेट व कर्मचारियों के नाम व पद ग्रादि :—थावरा पिता दशरथ निवासी कागदर।

16. खान पर उपलब्ध रेकार्ड :—

खान पर निम्न रेकार्ड उपलब्ध थे :—

हाजरी रजिस्टर 13-8-80 से प्रारम्भ किया हुग्रा मिला जिसमें 15 ग्रादमी काम पर लगाए हैं। जिसमें वक्त निरीक्षण 13 ग्रादमी व ग्रौरतें उपस्थित थी। उत्पादन रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र की रवान्ना बुक सं. 80190 : जो 24-6-80 से प्रारम्भ हुई है जिसमें एक से 17 रवान्ना दिनांक 22-7-80 तक जारी हुए हैं। खनिज उदयपुर-मादंडी व उदयपुर सीटी स्टेशन भेजा जाता है। 22-7-80 के बाद भी माल निर्गमन किया गया है लेकिन रवान्ना इस खान से नहीं काट कर इनकी ग्रन्य खान (ग्रमरघाटी के पास) से भेजना मेट द्वारा बताया गया। जब कि वह खान काफी समय से बन्द होना मालूम हुग्रा है। दिनांक 23-7-80–ग्रार जे वाई 7005, 25-7-80

आर. जे. जे. 481, 17-8-80 आर. आर. एल. 6355 रवान्ना नम्बर 80190, 18 दिनांक 18-8-80 आर. एस. वाई. 8007, 20-8-80 को 12.00 नून पर काटा गया। बिल बुक नम्बर निल संख्या 451 से 500 खान बिल खाई पर पाई जिसमें इनवाइस बिल नं. 477 तक 18-8-80 तक काटे गये हैं जिसमें कि अन्य खान अमराघाटी के पास के भी बिल काटे हैं। 14 बिल अमराघाटी खान कागदर के काटे हुए पाये गये।

17. खनिज निर्यात का विवरण :—

खनिज निर्यात ट्रक द्वारा किया जाता है। खनिज उदयपुर-चितौड़गढ़ की तरफ भेजा जाता है। रेल्वे स्टेशन रिखवदेव रोड करीब 15 कि. मी. दूर है। वह क्षेत्र एम एच. के पास पश्चिम में करीब 50 मीटर दूर है।

18.	मौके पर पड़े खनिज की मात्रा मुताबिक बेलेन्स रजिस्टर ठीक पाया गया अथवा नहीं, विवरण देवें।	मौके पर रफा व छना हुआ करीब 3-4 ट्रक पड़ा हुआ है जो भेजने योग्य नहीं होना बताया। गिट्टी एक ट्रक वाहन सं. आर. जे. वाई. 7369 में वक्त निरीक्षण भरी जा रही थी।
19.	सीमा स्तम्भ पक्के बने हुए हैं या नहीं।	सीमा स्तम्भ दो कच्चे बने हुए पाये गये।
20.	पट्टेधारी की खान या अन्य समस्यायें :	–
21.	पार्टी स्वीकृत क्षेत्र के बाहर खनन कार्य तो नहीं कर रही है ?	खनन कार्य स्वीकृत क्षेत्र में ही किया जा रहा है।

22. अन्य सुझाव जो निरीक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये व त्रुटियां जो वक्त निरीक्षण पाई गई, जिसके लिये पार्टी को नियमानुसार नोटिस जारी करना है :—

1. बड़े पिटों के पास जो मलवा का ढेर डाला गया है, उसे दूर न फैंके।

2. ओवर हेंगिंग को पहले हटाने हेतु हिदायत दी गई।

3. इस क्षेत्र से खनिज का निर्गमन करना व रवन्ना अपनी अन्य क्षेत्र के काटने के लिये नोटिस देवें।

4. खान के प्लान व सेक्शन बनाये जायं।

5. तकनिकी व्यक्तियों की नियुक्ति की जावे।

ह./–

(ओ. पी. जैन)

खनिज अभियन्ता, उदयपुर

क्रमांक :खअ/उदय/स्टेनो/एफ–120/80-81/240 दिनांक 8-10-80

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. श्री निदेशक महोदय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

2. श्री अधीक्षक, खनि अभियन्ता, उदयपुर वृत्त, उदयपुर।

3. सीसी–/को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4. राजा देवेन्द्र सिंह सेठी।

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, (उदयपुर)

खान निरीक्षण प्रपत्र

1–5 क्रम सं. : निरीक्षण की तिथि : 20 8 80

2. खनिज : पूर्व निरीक्षण की तिथी :
सरपनटाइन

3. खान का नाम : खान पर पहुंचने का रास्ता : कागदर तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर। उदयपुर से 74 कि. मी.

4. गांव का नाम कागदर दूरी पर नेशनल हाई वे के पूर्व खेरवाड़ रोड़ पर 50 मीटर दूर है। नजदीक का विश्राम गृह रिखब देव या खेरवाड़ा है।

5. पट्टाधारी का नाम : श्री गुरूदत्त सेठी उदयपुर।

6. खनन पट्टा पूर्वेक्षण अनुज्ञापत्र : खनन पट्टा (अप्रधान खनिज)

7. खनन कार्य चालु करने की तिथि: – 31/1/78 से प्रारम्भ लेकिन पार्टी द्वारा क्षेत्र का अभ्यार्पण कर दिया गया।

खनन कार्य का ढंग :

खनन कार्य बन्द पाया गया। पार्टी द्वारा छोटे-छोटे चार पिट मगरी के ऊपर व मगरी दक्षिणी व पूर्वी ढलान पर नाले व सोम नदी के पश्चिमी किनारे के पास लगाये गये हैं।

(1) 3 × 2, 5 × 0, 5 मीटर, (2) 6 × 4 × 2 मीटर

(3) 1 × 3 × 1·5 मी. मगरी के टोप पर।

(4) 1·5 × 1 × 0·5 मीटर।

इन पीट से निकाला हुआ खनिज अच्छी किस्म का सरपेन्टाइन नहीं है, जिससे चिप्स भी नहीं बनाई जा सकती है। मौके पर ही इन पीठों से निकाला हुआ मलवा व खनिज पड़ा हुआ है जो करीब 5 टन होगा।

(9) भू गर्भिक (संरचना) :

Page No 484

सरपनटाइन मिट्टी की परत जो करीब आधा मीटर होगी के साथ है, जो अच्छी किस्म का नहीं है, जिसे चिप्स के लिए उपयोग में लाया जा सके।

(10) **विभिन्न मशीनरी का विवरण जो काम में लाई जा रही हैं :**

कोई मशीनरी नहीं है। पार्टी द्वारा क्षेत्र का अध्यार्पण किया गया है और क्षेत्र का कब्जा भी लिया जा चुका है।

(11) **खानों के नक्शे आदि के सम्बन्ध में :**

खान के किसी प्रकार के नक्शे नहीं बनाये गये हैं। खान का कब्जा लिया जा चुका है।

(12) किस्म विस्फोटक : क्षेत्र को अध्यार्पित किया गया है।

(13) माल का उत्पादन-व्यय-बिक्री दर आदि : ,, ,,

(14) औसत माल उत्पादन प्रतिदिन : ,, ,,

(15) मजदूरों की संख्या व अन्य तकनिकी कर्मचारी एवं कब्जा भी लिया जा चुका है।

(16) **खान पर उपलब्ध रेकार्ड :**

पार्टी द्वारा क्षेत्र सरेण्डर कर दिया गया है। खनन कार्य बन्द पाया गया। क्षेत्र पर ट्रक के जाने का कोई रास्ता बना हुआ नहीं है और तीन तरफ थुर की बाड लगी हुई है और पूर्व की तरफ सोम नदी स्थित है। अतः इस क्षेत्र से खनिज का निर्गमन नहीं हुआ है। पिटों के पास निकाला हुआ मलवा, खराब किस्म का सरपनटाइन (अशुद्ध) वहीं पर पड़ा हुआ है।

(17) **खनिज निर्यात का विवरण :**

किसी प्रकार का निर्यात नहीं किया गया है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 8 पर पूर्व में स्थित है। नजदीक का रेल्वे स्टेशन रिखबदेव रोड़ है जो यहां से 19 कि. मी. दूर है।

(18) मौके पर पड़े खनिज की मात्रा मुताबिक बेलेन्स रजिस्टर के ठीक पाई गई या नहीं ?

करीब 5 टन खराब किस्म का सरपेन्टाइन खान के मलवा के साथ पीट के पास पड़ा हुआ है, व कोई खनिज निर्गमन नहीं हुआ है।

(19) सीमा स्तम्भ पक्के-पक्के बने हुए हैं अथवा नही ?

सीमा स्तम्भ नहीं लगे हुए पाये गये ।

(20) पट्टेधारी की खान या अन्य समस्यायें : क्षेत्र सरेन्डर किया जा चुका है ।

(21) पार्टी स्वीकृति क्षेत्र से बाहर खनन कार्य तो नहीं कर रही है ?

क्षेत्र में खनन कार्य सरेण्डर करने से बन्द पाया गया ?

(22) अन्य सुझाव जो निरीक्षण अधिकारी द्वारा दिये गये, त्रुटियां जो वक्त निरीक्षण पाई गई हो जिसके लिए नियमानुसार पार्टी को नोटिस जारी करना हो :

क्षेत्र का निरीक्षण करने से पाया गया कि पिट में से निकाला खनिज चिप्स बनाने के काबिल नहीं है जो कि मलवा के साथ क्षेत्र में ही पड़ा है। पत्रावली को देखने से मालूम हुआ है कि पट्टेधारी ने 412 टन खनिज का उत्पादन दिखाया है जो कि कि केवल 5 टन खनिज का उत्पादन किया है। अत: नियमानुसार 407 टन खनिज की दस गुणी रायल्टी की वसूली का नोटिस देवें। जिसमें यह भी लिखे कि पार्टी ने गलत रेकार्ड भी प्रस्तुत किया है। नोटिस को देते समय उस समय तक बताया गया पूर्ण खनिज शामिल किया जावे ।

ह/-

(ओ0 पी0 जैन)

खनि अभियन्ता, उदयपुर

दिनाक 8. 10 80

क्रमांक : खअ उदय स्टेनों, एफ-120 80-81/227--29

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक महोदय, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।
2. अधीक्षक, खनि अभियन्ता, उदयपुर वृत्त, उदयपुर ।
3. सीसी–I, प्रथम को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

ह/-

खनि अभियन्ता, उदयपुर

न्यायालय अतिरिक्त निदेशक, प्रशासन खान एवं विज्ञान विभाग, राज. उदयपुर

अपील सं. 146/81   दिनांक

अपीलान्ट   रेस्पोंडेन्ट

श्री राजा देवेन्द्र सिंह सेठी   खनि अभियन्ता, उदयपुर

पुत्र श्री गुरुदत्त सिंह सेठी,

13–सिक्ख कालोनी, उदयपुर

यह अपील राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती अधिनियम 1977 के नियम 44 (1) के अन्तर्गत पेश हुई है।

आदेश

यह अपील राजा देवेन्द्र सिंह सेठी पुत्र श्री गुरुदत्त सिंह सेठी निवासी उदयपुर के द्वारा खनि अभियन्ता, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1798 दिनांक 24-4 81 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई।

संक्षेप में मामले का विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम पर खनन पट्टा वास्ते खनिज सरपनटाइन निकट ग्राम कागदर तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर में पंजीयन तिथि से दिनांक 31-8-79 से 10 वर्ष के लिए स्वीकृत है जिसे खनि अभियन्ता, उदयपुर द्वारा आदेश अपील दिनांक 24-4-81 द्वारा इस कारण प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए खण्डित कर दिया कि पट्टेधारी को चेतना पत्र क्रमांक खअ/उदय/सीसी–1/एम.एल./269/78/6052 दिनांक 11-12-80 द्वारा निम्नलिखित दोषों के विवरण हेतु जारी किया गया था जिसमें चेतना पत्र में दोषों का निवारण समयावधि में नहीं किये जाने से :—

1. उक्त क्षेत्र के निरीक्षण 29-4-80 व 20-8-80 के दौरान पाया गया कि खान से खनिज का जितना निर्गमन बताया जा रहा है वह मौके की स्थिति से मेल नहीं खाता है। खनन कार्य एक पीट 20 × 8 × 3 मीटर के नाप में किया गया हैं जो दो मिले हुए है। खण्डों के नाम के अनुसार 30 टन से अधिक खनिज का उत्पादन होना प्रतीत नहीं होता है। जितना खनिज खनन किया गया है वह निरीक्षण के दौरान वहीं पड़ा होना पाया गया। जबकि 30-8-80 तक के अधिशुल्क निर्धारण के समय 764 टन उत्पादन तथा 717 टन निर्गमन बताया जो वास्तविक स्थिति से भिन्न है। इस प्रकार गलत लेखे रखा रहे हैं जो अप्रधान खनिज रियायती नियम 1977 के नियम 18(9) का स्पष्टतया उल्लंघन है तथा 717 टन खनिज जो अन्य स्थान पर अनाधिकृतीय से प्राप्त कर निर्गमन किया गया उसकी कीमत रु. 38850/- जमा करावें।
2. लम्बी अवधि से खनन कार्य बन्द है।
3. क्षेत्र के इर्द गिर्द पक्के स्तम्भ स्थापित नहीं हैं।

अपील पर अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 3-7-81 में यह निवेदन किया कि इस अपील पर निर्णय लेने के पूर्व मौका मुलायजा फरमाया। जाये इस पर मैंने दिनांक 9-8-81 को मौके का निरीक्षण किया।

अपील पर अपीलान्ट एवं योग्य वकील श्री रामचन्द्र को सुना उन्होंने कहा कि खनि अभियन्ता, द्वारा जिन आधार पर मेरे खनन पट्टे को आदेश दिनांक 24-4-81 द्वारा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए खण्डित कर दिया है। वह बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि दिनांक 9-1-81 द्वारा खनि कार्यदेशक द्वारा जो निरीक्षण किया गया है उस समय पर जो निरीक्षण प्रतिवेदन बनाया गया उससे जाहिर है कि मेरी खान चालू थी अपीलान्ट ने यह भी कहा कि खनि अभियन्ता द्वारा दिनांक 11-12-80 को जो नोटिस दिया गया था उसका जवाब मेरे द्वारा दिनांक 27-12-80 को दिया गया एवं विस्तृत जवाब दिनांक 23-2-81 को प्रस्तुत किया जिसमें मैंने दिनांक 27-12-80 के पत्र में निवेदन किया था कि मैं कुछ समय से बिमार हूं इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता हूं। उसने समय की मांग की जिसमें नोटिस दिये गये तथ्यों को अवगत कराने हेतु निवेदन किया था एवं दिनांक 23-2-81 के पत्र में निवेदन किया कि क्षेत्र में जो पीलर लगे हुए हैं ये वो बकरी चराने वालों या राहगीरों द्वारा नष्ट कर दिये गये हैं एवं यह भी निवेदन किया कि उक्त क्षेत्र का सीमांकन वापस कराया जावे उसकी फीस जो भी होगी मैं जमा कराने के लिये तैयार हूं। लेकिन खनि अभियन्ता ने मेरे पत्र के जवाब में कुछ भी आदेश नहीं दिया एवं आदेश जेर अपील द्वारा सीधा ही एक तरफा कार्यवाही कर मुझे स्वीकृत क्षेत्र को खण्डित कर दिया है जो कि गलत है। चूंकि उन्हें आदेश प्रसारित करने से पहले मुझे सुनने का मौका देना चाहिये था। अपीलान्ट ने आगे यह भी कहा कि मैंने जिस माल को इस खान से रवाना बुक के द्वारा निर्गमन किया है वह इसी खान से निकाला है खनि अभियन्ता ने स्थिति का जायजा लेते हुए पीट को नाप कर जो उत्पादन बताया है वह कतई गलत है।

खनि अभियन्ता द्वारा नोटिस में मुझे लम्बी अवधि से कार्य नहीं करना बताया लेकिन वास्तविक स्थिति इससे परे ही है क्योंकि दिनांक 9-1-81 द्वारा जिस खनि कार्यदेशक द्वारा निरीक्षण किया गया उस समय भी काम चालू था इसलिये नहीं कहा जा सकता कि खान का कार्य बन्द है। हो सकता है कि किसी समय लेबर की कमी के कारण कार्य चालू नहीं होगा लेकिन मेरा निवेदन है कि खान का कार्य चालू ही है एवं वकील ने कहा जिन तकनिकी आधारों पर दोष लगाये हुए मेरे अपीलान्ट के स्वीकृत खनन पट्टे को खनि अभियन्ता को खण्डित करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील स्वीकार करवाई जाकर खनि अभियन्ता के आदेश दिनांक 24-4-81 निरस्त करवाई जावे।

मैंने अपील अपीलान्ट एवं खनि अभियन्ता द्वारा अपील पर भिजवाई गई। तथ्यपूर्ण प्रतिवेदन एवं पैरावाइज उत्तर एवं सम्बन्धित रेकार्ड व मेरे द्वारा मौके के निरीक्षण पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि खनि अभियन्ता द्वारा अपीलान्ट को जो नोटिस दिनांक 11-12-80 को दिया गया था उसके जबाव में अपीलान्ट द्वारा पत्र दिनांक 27-12-80 व 23-2-81 को जो पत्र प्रस्तुत किये थे उस पर उसको सुनने का मौका दिया जाना चाहिये था एवं उसके द्वारा पुनः सीमांकन कराने की मांग की गई थी। अतः नियमानुसार उसकी फीस जमा कर उसका सीमांकन कराया जाना चाहिये था चूंकि उसने स्पष्ट निवेदन

किया कि राहगीरों एवं जानवरों के द्वारा पीलर्स तोड़ दिये गये थे ऐसी स्थिति में खनि अभियन्ता को पुनः सीमाकन का मौका दिया जाना चाहिये था ऐसा न कर गलत किया है। जहां तक खनिज का खान का निर्गम का प्रश्न है। मैंने मौके निरीक्षण समय पीट्स को देखे उसमें पाया पानी भरा हुआ था एवं नीचे की सतह पर मिट्टी जमी हुई थी। खनि अभियन्ता द्वारा 20-8-80 को जो निरीक्षण किया गया था उस समय भी बरसात का मौसम था इसलिये सही स्थिति नहीं आंकी जा सकती थी एवं चूकि अभी भी मरके पर खड्डों में पानी भरा हुआ है एवं अन्दर सतह में बरसात के कारण मिट्टी जमी हुई है इसलिये अभी भी सही स्थिति को नही आंका जा सकता। इसलिये यही माना जायेगा जो खनिज उस खान से निर्गम किया है उस खान की रवाना बुक से निर्गम किया गया है, वह उसी खान का माना जावेगा। क्योंकि न तो कोई पचनामा ही बनाया गया है। खनि-अभियन्ता के रेकार्ड के अन्दर खनि अभियन्ता द्वारा जो निरीक्षण दिनांक 20-8-80 द्वारा जो किया गया है उसमें कोई भी ट्रक लदान होकर नहीं जाना बताया है लेकिन सर्वेयर द्वारा निरीक्षण दिनांक 3-3-81 को जो निरीक्षण किया गया था उसमें चार ट्रक माल एक माह मे ले जाना बताया और 40 टन लम्पूस व मिट्टी वहीं पड़ी हुई बताई है। इसलिये यह जाहिर है कि काम चालू था और माल निकाला जा रहा था और निर्गम किया जा रहा था। जहाँ तक दोष म बताया गया कि लम्बी अवधि से खनन कार्य बन्द है लेकिन खनि अभियन्ता द्वारा किये गये निरीक्षण एवं खनि कार्यदेशक द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 9-1-81 एवं वरिष्ठ सर्वेयर द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 22-1-81 मे कार्य चालू होना बताया है इसलिये वस्तुस्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती है कि खनन कार्य कब तो चालू था और कब बन्द हो सकता है। मजदूरों की कमी के कारण कभी खनन का कार्य बन्द हो सकता है।

उपरोक्त तथ्यों के बावजूद भी राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प-1 (3) खान/ग्रुप-4/77 दिनांक 21-4-77 के अनुसार किन्हीं भी तकनीकी पहलू पर यदि पट्टाधारी को 60/15दिवसीय नोटिस दिया जाना है, तो खनि अभियन्ता या सहायक खनि अभियन्ता द्वारा ही निरीक्षण करने बाद व अपने प्रस्ताव अधीक्षक, खनि अभियन्ता को भेजेंगे एवं व उन प्रस्ताव पर पूर्णतया सहमत है, तो वे निदेशालय को नोटिस जारी करने हेतु प्रस्ताव भेजेंगे, इस प्रकार इस प्रकरण मे खनि अभियन्ता द्वारा स्वयं ही पार्टी को नोटिस दिया जाकर आदेश अपील अन्त्र जेर बहस द्वारा स्वीकृत खनन पट्टे को खण्डित कर दिया है, वह बिल्कुल ही गलत है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये।

अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील, अपीलकर्ता स्वीकार की जाती है एवं आदेश अपील अन्त्र जैर बहस दिनाक 24-4-81 निरस्त किया जाता है।

आदेश दिनांक 10-8-81 को जारी किया गया।

ह/-

(जगन्नाथ सिंह)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

प्रपत्र "ख" II

न्यायालय अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

अपील संख्या 147/81 दिनांक 10-8-81

अपीलांट	रेस्पान्डेन्ट
श्री राजा देवेन्द्रसिंह सेठी पुत्र श्री गुरुदत सिंह सेठी 13 सिख कोलोनी, उदयपुर	खनि अभियन्ता, उदयपुर

यह अपील राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती अधिनियम, 1977 के नियम 44 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत हुई।

आदेश

अपील श्री राजा देवेन्द्र सिंह सेठी पुत्र श्री गुरुदत सिंह, निवासी 13 सिख कालोनी उदयपुर द्वारा खनिज अभियन्ता, उदयपुर के आदेश संख्या 1931 दिनांक 4-5-81 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में मामले का हालात इस प्रकार है कि अपीलेन्ट के पक्ष में खनन पट्टा वास्ते खनिज सरपन्टाइन निकट ग्राम बिलखाई तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर में खनिज अभियन्ता, उदयपुर के आदेश संख्याखग्र/उदय/सीसी–2/एसएल/270/78/664 दिनांक 5-3-79 द्वारा संविदा पंजीयन की तिथि से 10 वर्ष के लिए स्वीकृत है जिसका पंजीयन दिनांक 12-3-79 को हुआ। खनिज अभियन्ता द्वारा अपीलेन्ट के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा इस कारण प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए खण्डित कर दिया कि पट्टेधारी को चेतना पत्र संख्या 700 दिनांक 13-2-81 को निम्नलिखित कारणों के लिए जारी किया, पट्टाधारी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर को सही नहीं मानते हुए।

क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि खनिज उत्पादन व निर्गमन बताया गया है, वह मौके की स्थिति से मेल नहीं खाता है। सांख्यकीय रिटर्न्स के आधार पर मार्च, 1979 से अगस्त, 80 तक उत्पादन 2362 टन व निर्गमन 2309 टन बताया गया जब कि मौके के वास्तविक स्थिति के अनुसार करीब 3563–84 टन खनिज उत्पादन कर निर्गमन किया है। इस प्रकार इस खान से निकलने वाले खनिज को अन्य खनन पट्टा खनिज सरपन्टाइन निकट ग्राम कागदर तहसील खेरवाडा के नाम जारी रवन्ना से

निर्गमन किया गया है जबकि वहां पर कार्य काफी लम्बे समय से बंद है। इस प्रकार गलत ढंग से लेखे रख रहे हैं जो अप्रधान खनिज रियायती नियमावली, 1977 के नियम 18 (9) तथा संविदा की धारा 4 (10) का उल्लंघन है।

अपीलान्ट द्वारा अपील पर निर्णय करने के पूर्व क्षेत्र का निरीक्षण किया जाने हेतु दिनांक 3-7-81 को निवेदन किया, जिस पर मेरे द्वारा दिनांक 9-8-81 को खान का निरीक्षण किया गया एव अपीलेन्ट को सुना गया। अपीलेन्ट ने निवेदन किया कि यह खनन पट्टा मुझे 21-3-79 से 10 वर्ष के लिये स्वीकृत है। मैंने इस खान पर जाने के लिये रास्ता बनाया है एवं मुझे खान क्षेत्र को सुपर्द करने के पहले इस क्षेत्र में बीरला ब्रदर्स द्वारा एसबैसटस हेतु कार्य किया गया था जिसके लिये पार्टी ने काफी पीट्स इस क्षेत्र में लगाये हैं एवं हैदराबाद एसबैसटस कं. द्वारा खनिज माल के लिये पीट्स लगाये गये, और वहां से खनिज को निकाल कर ले जाया गया। इनके बाद से मेरे द्वारा आवेदित क्षेत्र को खनन पट्टा स्वीकृत कर सौंपा गया। अपीलांट द्वारा यह कहा गया कि मुझे जिस समय यह क्षेत्र डीमारकेशन के अनुसार सौंपा गया उसके जो खड्डे पड़े हुए थे उनका विवेचन भी नहीं किया गया और न ही इसका कन्टूरींग प्लान ही बनाया जाकर दिया गया जिसमें पूर्व के खड्डे का मापदण्ड निहित हो। अपीलेन्ट ने कहा कि इसके अलावा भी खान का ढलाव सड़क की तरफ ही है। काफी माल उसमें बह कर चला जाता है एवं मेरे द्वारा खान से खनन कार्य कर खनिज पदार्थ निकाल कर निर्गमन किया है जिसका हिसाब रखा गया है जिसके आधार पर खनिज अभियन्ता द्वारा रॉयल्टी असैसमेंट समय-समय पर दिया गया है वही सत्य है। इसके अलावा उसने कहा कि मैंने इस खान का माल दूसरी खान की खन्ना बुक से निर्गमन नहीं किया। इसके अलावा यह भी कहा कि खनिज पदार्थ के साथ मलबा भी निकलता है इसलिए जिन खड्डा का आधार मान कर खनिज उत्पादन माना गया वह कतई गलत है। उत्पादन का आधार लगाते समय उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज किया गया है अतः खनिज उत्पादन का अनुमान लगाते समय उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखा जाना चाहिये था। खनिज अभियन्ता ने ऐसा नहीं किया है। अतः खनिज अभियन्ता द्वारा मेरे पर गलत चार्जेज लगा कर मुझे स्वीकृत खनन पट्टा प्रतिभूति की राशि जब्त करते हुए आदेश अपील से खण्डित कर दिया है वह निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार फरमाई जावे।

मैंने अपील पर अपीलेन्ट को सुना एवं खान अभियन्ता द्वारा अपील पर भिजवाई गई तथ्य पूर्ण प्रतिवेदन, पैरावाइज उत्तर एवं सम्बन्धित रेकार्ड के अवलोकन एवं मेरे द्वारा मौका निरीक्षण पर पाया कि अपीलेन्ट द्वारा जो बात कही गई है वह कई हद तक सही प्रतीत होती है। चूंकि प्रथम बात जो उसने कही कि क्षेत्र का कब्जा जिस समय मुझे दिया गया था उसके पहले उसी क्षेत्र में मै. बिड़ला ब्रदर्स हैदराबाद-ऐसबैसटस द्वारा कार्य किया गया था एवं वहां से खनिज माल हेतु पीट्स लगाये जाकर एवं वहां से माल को ले जाया गया। इसलिये पिट्स बहुत कुछ उनके द्वारा ही लगाये गये थे। इसके अलावा

Page No 491

अपीलेन्ट को यह क्षेत्र सौंपने के पहले कितने खड्डे कितने-कितने गहरे व लम्बे चौड़े थे इसका भी विवेचन कहीं पर भी नहीं किया गया था अगर न ही इसको कन्टूरींग प्लान ही बनवाया गया था। यदि वास्तव में कन्टूरींग प्लान बनाया जाकर यदि क्षेत्र को अपीलेन्ट को सौंपा जाता तो आज यह स्थिति पैदा ही नहीं होती, इसलिए अपीलेन्ट को ही इसके लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा खान का ढलान भी सड़क की तरफ ही है जिससे माल आदि बहकर चले जाने का संदेश रहता है। इसके अलावा खनिज अभियन्ता द्वारा खड्डे(पीट्स)को नाप कर ही उसमें खनिज उत्पादन का आधार बनाये गये हैं लेकिन खनिज अभियन्ता को खनिज का उत्पादन का आधार मानते समय एवं पिट्स से खनिज के साथ साथ मलबा भी निकलता है। एवं खनिज अभियन्ता की निरीक्षण रिपोर्ट 9 में यह भी लिखा है कि करीब-करीब एक मीटर मिट्टी के आवरण के बाद सरपन्च इनके डिपोजिट मिलते है मैने स्वयं इस बात की जांच की तोपाया, कहीं-कहीं एक से दो मीटर तक मिट्टी का आवरण के क्षेत्र पड़ा हुआ है। यदि खनिज अभियन्ता द्वारा इस मिट्टी के आवरण के क्षेत्र को उन पिट्स के क्षेत्र में से बाकी निकाल कर यदि खनिज उत्पादन का अनुमान लगाया जाता तो निश्चित रूप से उतना ही बैठता जितना कि अपीलेंट द्वारा अपने रेकार्ड में बताया गया था। चूंकि आज की स्थिति उससे कुछ भिन्न ही है क्योंकि उसके बाद भी खनिज का उत्पादन हुआ है। मैंने खान पर लगे हुये पिट्स का अवलोकन किया एवं सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हिसाब लगाया तो पाया कि करीब 5500 टन खनिज पदार्थ ही अन्दर से निकला है जो कि अपीलेन्ट द्वारा रखे गये हिसाब से मिलान किया तो लगभग बराबर ही बैठता है। इसलिये मैं समझता हूं कि खनिज अभियन्ता द्वारा उक्त तथ्यों को नजर अन्दाज किये ही उस समय पिट्स के आधार पर खनिज का उत्पादन का अनुमान लगाया है वह कतई गलत है जिसके आधार पर अपीलेन्ट से रकम वसूली कार्यवाही की जा रही है वह भी कतई गलत है एवं मैंने अपीलेन्ट की दूसरी खान का भी मुआयना किया तो जितना उत्पादन उसने बता रखा है उसके अनुसार निर्गमन भी किया है वह सही प्रतीत होता है। इस लिये यह नहीं कहा जा सकता कि इस खान का माल दूसरी खान की रवन्ना बुक से निर्गमन किया जा रहा है यह भी तथ्यहीन है। चूंकि इस बारे में न तो पंचनामा ही पूर्व में बनाया गया और न ही कोई अनाधिकृत माल ले जाने वाला ट्रक या वाहन ही पकड़ा गया इसलिये खनिज अभियन्ता द्वारा बिना परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिस आधार पर माल के उत्पादन का अनुमान लगाया गया है वह उचित नहीं मानता।

अत: उक्त तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए अपीलेंट स्वीकार की जाती है एवं खनिज अभियंता, उदयपुर के आदेश अपील क्रमांक 1931 दिनांक 4-5-81 निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10-8-81 को जारी किया गया।

ह/–

(जगन्नाथ

अतिरिक्त निदे

परिशिष्ट 23

अतारांकित प्रश्न संख्या 9 के आंकड़े एवं सूचना

परिशिष्ट "अ"

सा. नि. विभाग द्वारा सम्बत 2037 में अकाल राहत कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण : –

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	जिले का नाम	मजदूरी पर व्यय	सामग्री पर व्यय	कुल व्यय
1.	अजमेर	127.70	76.70	204.40
2.	अलवर	13.60	5.47	19.07
3.	बांसवाड़ा	19.31	27.42	46.73
4.	बाड़मेर	457.38	280.39	717.77
5.	भरतपुर	0.30	--	0.30
6.	भीलवाड़ा	669.54	200.93	870.47
7.	बीकानेर	56.48	20.86	77.34
8.	बून्दी	39.22	16.44	55.76
9.	चित्तौड़गढ़	92.38	74.17	166.55
10.	चूरू	43.30	22.66	65.94
11.	डूंगरपुर	91.57	58.09	143.66
12.	गंगानगर	5.34	--	5.34
13.	जयपुर	69.29	20.09	89.68
14.	जैसलमेर	100.00	40.25	140.25
15.	जालौर	161.57	107.71	269.28
16.	झालावाड़ा	13.86	9.15	23.01
17.	झुंझुनू	2.49	1.81	4.30
18.	जोधपुर	260.82	178.05	438.87
19.	कोटा	12.90	8.96	21.86
20.	नागौर	7.71	2.29	10.00
21.	पाली	302.85	201.90	504.75
22.	सवाईमाधोपुर	3.35	0.14	3.49
23.	सीकर	25.30	16.85	42.15
24.	सिरोही	102.62	68.41	171.03
25.	टोंक	25.55	9.76	35.31
26.	उदयपुर	571.50	281.10	852.60
27.	धौलपुर	2.16	--	2.16
	योग :--	3258.35	1723.68	4982.07

परिशिष्ट "म" II

सा. नि. विभाग द्वारा अकाल राहत कार्यों पर किये व्यय का जिले वार विवरण संवत 2038 माह जुलाई, 82

(राशि लाखों में)

क्रमांक	नाम जिला	मजदूरी पर व्यय	सामग्री पर व्यय	कुल व्यय
1.	अजमेर	70.69	42.34	113.03
2.	अलवर	0.96	0.16	1.12
3.	बांसवाड़ा	48.17	16.66	64.83
4.	बाड़मेर	314.40	102.75	410.15
5.	भरतपुर	11.98	4.51	16.49
6.	भीलवाड़ा	828.26	325.08	1153.34
7.	बीकानेर	40.00	10.28	50.28
8.	बून्दी	56.33	15.10	71.43
9.	चित्तोड़गढ़	184.28	88.16	272.44
10.	चूरू	46.70	9.93	56.63
11.	धौलपुर	निल	निल	निल
12.	डूंगरपुर	78.93	21.4	99.97
13.	श्री गंगानगर	1.69	—	1.69
14.	जयपुर	31.73	9.36	41.09
15.	जैसलमेर	115.98	53.03	169.01
16.	जालोर	56.52	56.48	113.00
17.	झालावाड़	1.81	—	1.81
18.	झुन्झुनु	17.05	13.46	30.51
19.	जोधपुर	262.35	81.35	343.70
20.	कोटा	4.72	0.77	5.49
21.	नागौर	130.67	47.86	178.53
22.	पाली	259.81	141.44	401.25
23.	सवाई माधोपुर	4.19	1.46	5.65
24.	सीकर	45.48	13.92	59.40
25.	टोंक	20.00	10.50	30.50
26.	सिरोही	48.26	32.17	80.43
27.	उदयपुर	402.67	51.89	454.65
	योग :—	3083.72	1142.70	4226.42

परिशिष्ट "ब"

अकाल राहत कार्यों पर सिंचाई विभाग द्वारा जिलेवार व्यय की गई राशि का विवरण (राशि लाखों में)

क. सं.	नाम जिला	सं. 2037			सं. 2038		
		9/80 से 3/81	4/81 से 9/81	कुल	10/81 से 3/82	4/82 से 7/82	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	51.84	120.53	172.37	21.18	131.54	152,72
2.	अलवर	16.24	—	16.24	—	—	—
3.	बांसवाड़ा	11.50	34.18	45.68	17.41	42.50	59.91
4.	बून्दी	15.26	6.59	21.85	3.99	20.97	24.96
5.	बाड़मेर	2.04	4.86	6.90	0.86	30.29	31.15
6.	जालौर	6.80	18.40	25.20	1.10	22.71	23.81
7.	भीलवाड़ा	36.38	121.37	157.75	96.74	338.50	435.24
8.	चित्तौड़गढ़	23.00	7.62	30.62	12.32	39.21	51.53
9.	डूंगरपुर	15.51	28.81	44.32	9.76	37.00	46.76
10.	जयपुर	37.50	18.33	55.83	4.09	3.21	8.29
11.	जोधपुर	31.82	62.00	93.82	46.10	109.87	155.97
12.	जैसलमेर	1.72	30.00	31.72	19.00	36.89	55.89
13.	नागौर	2.24	25.00	27.24	18.00	45.24	63.24
14.	झालावाड़	25.12	18.50	43.62	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	भरतपुर	3.24	8.88	12.12	5.15	--	5.15
16.	पाली	5.59	62.00	68.59	15.72	115.14	130.86
17.	सिरोही	37.26	23.77	61.03	24.10	18.00	42.10
19.	सीकर	6.33	17.35	23.68	9.50	5.75	15.25
19.	झुन्झुनू	2.83	2.19	5.02	4.27	3.50	7.77
20.	कोटा	22.38	0.34	22.62	--	--	--
21.	उदयपुर	15.87	114.69	130.56	30.40	213.00	243.40
20.	टोंक	23.32	37.26	60.79	13.20	8.93	22.13
23.	सवाई माधोपुर	5.00	--	5.00	--	--	--
	योग :--	400.00	762.67	1162.67	343.39	1222.25	1565.63

नोट :–संवत 2037 में मजदूरी व सामग्री पर हुए व्यय की सूचना एकत्रित की जा रही है तथा संवत 2038 में राहत कार्य दिनांक 31-7-82 को ही बन्द किये गये थे अतः मजदूरी तथा सामग्री पर व्यय की गई राशि का संकलन किया जा रहा है ।

परिशिष्ट "स" I

अकाल राहत कार्यों पर वन विभाग द्वारा
जिलेवार व्यय की गई राशि का विवरण (सं. 2037)।

क्र. सं.	नाम जिला	श्रमिक व्यय (लाखों में)	सामग्री व्यय (लाखों में)	योग
1.	अजमेर	8.17	–	8.17
2.	अलवर	–	–	–
3.	बांसवाड़ा	–	–	–
4.	बाड़मेर	2.24	–	2.24
5.	भरतपुर	0.52	–	0.52
6.	भीलवाड़ा	–	–	–
7.	बीकानेर	–	–	–
8.	बून्दी	1.73	–	1.73
9.	चित्तौड़गढ़	11.36	–	11.36
10.	चूरू	–	–	–
11.	डूंगरपुर	6.03	–	6.03
12.	गंगानगर	–	–	–
13.	जयपुर	1.46	–	–
14.	जैसलमेर	0.21	–	0.21
15.	जालौर	1.42	–	1.42
16.	भीलवाड़ा	0.09	–	0.09
17.	झुन्झुनू	2.60	–	2.60
18.	जोधपुर	2.93	–	2.93
19.	कोटा	3.72	–	3.82
20.	नागौर	1.43	–	1.43
21.	सीकर	2.19	–	2.19
22.	सिरोही	1.32	–	1.32
23.	सवाई माधोपुर	–	–	–
24.	टोंक	4.06	–	4.06
25.	पाली	11.78	–	11.78
26.	उदयपुर	4.51	–	4.51
	योग :—	67.77	–	67.77

INFORMATION ABOUT SOIL CCNSERVATION RELIEF WORKS TAKEN UP DURING SMT. 2037 AND SMT 2030

S. No. District.	Smt. 2037 (Oct.80 to Sept 81			Smt. 2038 (Oct. 81 to July 82		
	Labour	Meterial	Total	Labour	Meterial	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Ajmer						
(a) Jawaja unit	3.51	3.76	7.27	0.64	—	0.64
(b) Masuda Unit				0.81	0.14	0.95
(c) Ajmer Unit	5.50	0.11	5.61	8.26	0.12	8.30
2. Banswara	6.41	—	6.41	47.94	41.24	49.10
3. Barmer	0.40	—	0.40	0.65	—	0.65
4. Bhilwara	5.26	—	5.26	11.47	—	11.74
5. Bundi	5.86	0.24	6.10	4.77	0.27	5.26
6. Chittorgarh	—	—	—	3.70	—	3.70
7. Dungarpur	65.32	7.49	72.81	26.23	8.80	35.03
8. Jalore	2.40	0.10	2.50	3.77	0.49	4.26
9. Jhalawar	—	—	—	0.40	—	0.30
10. Jhodhpur	—	—	—	5.21	8.24	5.45
11. Nagpur	—	—	—	4.80	1.55	5.63
12. Pali	13.40	0.40	13.80	37.40	0.60	30.00

Page No 498

1	2	3	4	5	6	7
13. Sikar	0.59	—	0.59	3.26	0 14	3.40
14. Sirohi	3.33	—	3.33	2.70	—	2.70
15. Tonk	9.00	0.05	9.13	4 06	0.79	4.85
16. UDAIPUR						
(a) Bhim Unit	2.73	1.19	3.92	4.57	0.27	4.84
(b) Deogarh Unit	1.95	0.37	2.32	2.14	0.11	2.25
(c) Udaipur Unit	11.14	—	11.14	4.42	—	4.42
Total—	136.88	13.71	140.59	176.97	14,76	191.73

परिशिष्ट 24

अतारांकित प्रश्न संख्या 165 की सूचना

क्र. सं.	अनवान मुकदमा	नाम ग्राम	पटवार मण्डल	दूध बटने की तारीख	तहसील कार्यालय में दूध डोने की तारीख	कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7
1.	सरकार/श्री जवरसिंह वल्द सिमरथसिंह पुरोहित नि. दूदोड	दूदोड	दूदोड	5-2-81	6-2-81	बाद जांच के आर. टी. एक्ट की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु कागजात श्रीमान एस. डी. ओ. साहब सोजत को जरिये क्रमांक राज/843 दिनांक 3-2-81 के भेजा ।
2.	सरकार/श्री मांगूसिंह जसवंत सिंह पितलरान देवीसिंह राजपूत	मोजावास	वोपारी	10-2-81	2-3-81	,, ,, राज/1205/ 11-5-81 को भेजा
3.	सरकार/श्री गिरधारीसिंह पुत्र हुका भांबी मदीया पुत्र वेना भांबी	टेम. कलां	खारची	14-3-81	16-3-81	बाद जांच कार्यवाही ड्रोप की गई दिनांक 7-5-81 को ।

1	2	3	4	5	6	7
4.	सरकार/श्री भंवरसिंह कालूसिंह राजपूत	खारची	खारची	24-4-81	30-4-81	बाद जांच कार्यवाही ड्रोप की गई दिनांक 13-5-81
5.	सरकार/श्री रामदान पुत्र शिवदान चारण	देवली	देवली	29-5-81	16-5-81	जांच कार्यवाही जारी है।
6.	सरकार/श्री धोलूलाल/मलाराम ब्राह्मण	धामली	धामली	ता. उपलब्ध नहीं हुई	17-3-81	बाद जांच लकडी की बरामदी हेतु मूल कागजात एस. एच. ग्रो. खारची को जरिये पत्रांक राजस्व/477 दि. 25-5-81 के भेजा।
7.	सरकार/श्री ढगलाराम पुत्र सीरवी	देवली	देवली	8-2-81	27-8-81	बाद जांच ग्राइ. टी. एक्ट की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु मूल कागजात श्रीमान एस. डी. ग्रो. सा. सोजत को नं. राज/स्पे. 1 दि. 28-4-82 को भेजा
8.	सरकार/श्री मगना/सोना, हिमता/रुपा चौकीदार नन्दरुप/भीका चौकीदार नि. जाडन	जाडन	जाडन	21-1-81	21-9-81	बाद जांच के रिपोर्ट श्रीमान जिलाधीश महोदय पाली को जरिये पत्रांक राजस्व/232 दिनांक 16-2-82 को भेजी

1	2	3	4	5	6	7
9.	सरकार/श्री भंवरलाल/ पुखराज तवार नि. बाडता	बाडता	बाडता	18-9-81	19-10-81	जांच कार्यवाही जारी है ।
10.	सरकार/श्री राखूराम/पना: नायक निवासी गुडामोरवक सिंह	गुडामोर-वकसिंह	इताली	10/81	10-11-81	यह खेरवा से कामली घाट सड़क जो निकाली गई की गोचर भूमि में से काटी गयी व लकडी से सम्बन्धित है जिसकी जांच की जाकर निलामी के आदेश दिये है निलामी की कार्यवाही जारी है ।

परिशिष्ट -II

अकाल राहत कार्यों पर वन विभाग द्वारा जिलेवार व्यय की गई राशि का विवरण
(संम्वत् 2038)

क्र. सं.	नाम जिला	श्रमिक व्यय (लाखों में)	सामग्री व्यय (लाखों में)	योग लाखों में)
1.	अजमेर	13.00	5.54	18.54
2.	अलवर	--	--	--
3.	बांसवाड़ा	1.97	0.08	2.05
4.	बाड़मेर	6.16	1.18	7.34
5.	भरतपुर	--	—	—
6.	भीलवाड़ा	13.01	0.55	13.56
7.	बीकानेर	--	—	—
8.	बून्दी	16.82	3.12	19.94
9.	चित्तौड़गढ़	1.33	0.31	1.64
10.	चूरू	--	—	—
11.	डूंगरपुर	2.26	—	2.26
12.	श्रीगंगानगर	—	—	—
13.	जयपुर	—	-	—
14.	जैसलमेर	1.46	0.19	1.65
15.	जालौर	2.11	0.03	2.14
16.	झालावाड़	0.15	--	0.15
17.	झुन्झुनू	2.12	0.75	2.87
18.	जौधपुर	11.88	1.04	12.92
19.	कोटा	3.99	0.20	4.19
20.	नागौर	1.09	0.58	4.67
21.	सीकर	--	--	--
22.	सिरोही	2.87	0.66	3.53
23.	स०माधोपुर	0.48	0.12	0.60
24.	टोंक	2.08	0.84	2.92
25.	पाली	16.86	0.82	17.68
26.	उदयपुर	2.40	0.10	2.50
		102.04	16.11	118.15

परिशिष्ट 25

अतारांकित प्रश्न संख्या 199 की सूची

फी पास द्वारा आदिवासियान को ब्याज दिया गया
उसकी सूची रेंज सलुम्बर

क्र. सं. 1	नाम आदिवासी 2
1.	श्री खेता/हुरजी मीणा नि. सताकी खोरी
2.	श्री मंगा/देवा मीणा नि. बैंडावल
3.	श्री भीमा/देवा मीणा नि. समीकीघोरी
4.	श्री मेगला/मोकरा मीणा नि. कुकड़ा
5.	श्री मोता/हमीरा मीणा नि. कुकड़ा
6.	श्री केशा/मंगा मीणा नि. धादरी
7.	श्री नारिया पिता माना मीणा नि. बैंडावल
8.	श्री गौतमा/तकमा मीणा नि. पडवा
9.	श्री वावरीया/माना मीणा नि. डांवडीया
10.	श्री केशा/खेमा मीणा नि. बैंडावत
11.	श्री तेजा/काना मीणा नि. जाम्बूडा
12.	श्री भेरा/दल्ला मीणा नि. मानपुर
13.	श्री मानजी/मौता मीणा सा. मानपुर
14.	श्री धुलिया/रवका मीणा सा. मानपुर
15.	श्री पांचीया/भेरा मीणा सा. मानपुर

Page No 504

1	2
16.	श्री बख्ता/रकबा मीणा सा. मानपुर
17.	श्री भूरीया/उदा मीणा सा. मानपुर
18.	श्री मावजी/दामा मीणा सा. मानपुर
19.	श्री मानीया/मौड़ा मीणा सा. मानपुर
20.	श्री मौता/ग्रमरा मीणा सा. माण्डती
21.	श्री नाथू/मौता मीणा सा. माण्डता